

भारत सरकार

©

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय



निर्वाचन विधि निर्देशिका

(संसद् और राज्य विधान-मंडलों के निर्वाचनों को शासित करने वाले कानूनी उपबन्धों का संकलन)

[खिल्द 1]

[1 जनवरी, 1995 को यथाविद्यमान]

Manual of Election Law

(A Compilation of the statutory provisions governing elections to Parliament and the State Legislatures)

[VOLUME I]

[As on the 1st January, 1995]

F Clifton White Resource Center
International Foundation for Election Systems

1995

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद-121001 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशन-नियंत्रक, भारत सरकार, सिविल लाईन्स, दिल्ली-110054 द्वारा प्रकाशित।

दोनों खिल्दों का सम्मिलित मूल्य : देश में : 145 रुपए

विदेश में : 2.85 पाँड या 4.60 डालर

निर्वाचन विधि निर्देशिका
[जिल्द 1]
MANUAL OF ELECTION LAW
[VOLUME I]

F Clifton White Resource Center
International Foundation for Election Systems

PREFACE

This edition of the Manual of Election Laws is being published in diglot form. The English text and the authoritative Hindi text of the Act, have been modified up to the 1st January, 1995.

NEW DELHI:
1st JANUARY 1995

K. L. MOHANPURIA,
Secretary to the Government of India.

LIST OF ABBREVIATIONS USED

Cl.	for	Clause.
Ins.	Inserted.
Notifn.	Notification.
Rep.	Repealed.
S.	Section.
Sch.	Schedule.
Subs.	Substituted.
w.e.f.	with effect from.

First diglot edition—1982 : 15,000

Second diglot edition—1984 : 14,000

Third diglot edition—1989 : 14,500

Fourth diglot edition—1991 : 12,500

Fifth diglot edition—1995 : 15,000

प्राक्कथन

निर्वाचन विधि निर्देशिका का यह द्विभाषी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। इस अधिनियम का अंग्रेजी पाठ और उसका हिन्दी प्राधिकृत पाठ 1 जनवरी, 1995 तक संशोधित है।

नई दिल्ली;
1 जनवरी, 1995

के० एल० मोहनपुरिया,
सचिव, भारत सरकार।

संक्षेपाक्षर

सं०

संख्यांक (नम्बर) ।

पहला द्विभाषीय संस्करण—1982 : 15,000

दूसरा द्विभाषीय संस्करण—1984 : 14,000

तीसरा द्विभाषीय संस्करण—1989 : 14,500

चौथा द्विभाषीय संस्करण—1991 : 12,500

पांचवा द्विभाषीय संस्करण—1995 : 15,000

MANUAL OF ELECTION LAW

VOLUME I

CONTENTS

PART I

EXTRACTS FROM THE CONSTITUTION

Extracts from the Constitution.

PART II

ACTS OF PARLIAMENT

1. Extracts from the Indian Penal Code (45 of 1860).
2. The Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950).
3. The Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951).
4. Extracts from the States Reorganisation Act, 1956 (37 of 1956).
5. Extracts from the Government of Union territories Act, 1963 (20 of 1963).
6. Extracts from the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 (1 of 1992).
7. The Jammu and Kashmir Representation of the People (Supplementary) Act, 1968 (3 of 1968).
8. The Delimitation Act, 1972 (76 of 1972).
9. The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976 (108 of 1976).
10. Extracts from the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (33 of 1989).

PART III

RULES AND ORDERS UNDER THE CONSTITUTION

1. Officers before whom candidates may make or subscribe oath or affirmation.
2. The Prohibition of Simultaneous Membership Rules, 1950.
3. The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950.
4. The Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951.
5. The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956.
6. The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962.
7. The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964.
8. The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978.
9. The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950.
10. The Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951.
11. The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959.
12. The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962.
13. The Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967.
14. The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.
15. The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978.
16. The Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989.

PART IV

LAW RELATING TO REMOVAL OF DISQUALIFICATION

1. The Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 (10 of 1959).
2. Acts of the State Legislatures (Relating to Removal of Disqualifications).

निर्वाचन विधि निर्देशिका

ज़िल्द 1

विषय सूची

भाग 1	पृष्ठ
संविधान से उद्धरण	
संविधान से उद्धरण	1
भाग 2	
संसद के अधिनियम	
1. भारतीय षष्ट संविदा (1860 का 45) से उद्धरण	26
2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43)	30
3. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43)	55
4. राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का 37) से उद्धरण	118
5. संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20) से उद्धरण	119
6. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 (1992 का 1) से उद्धरण	123
7. जम्मू-कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व (अनुसूचक) अधिनियम, 1968 (1968 का 3)	127
8. परिसीमन अधिनियम, 1972 (1972 का 76)	128
9. अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 108)	132
10. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) से उद्धरण	135
भाग 3	
संविधान के अधीन नियम और आदेश	
1. वे अधिकारी जिनके समस्त सम्पत्तियाँ श्राप्य हो सकेंगे या प्रतिज्ञान कर सकेंगे	140
2. समसामयिक सबस्यता प्रतिबंध नियम, 1950	142
3. संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950	143
4. संविधान (अनुसूचित जातियाँ) (संघ राज्यक्षेत्र) आदेश, 1951	157
5. संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियाँ आदेश, 1956	159
6. संविधान (छत्तरा और नगर हवेली) अनुसूचित जातियाँ आदेश, 1962	160
7. संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियाँ आदेश, 1964	161
8. संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978	162
9. संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950	163
10. संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) (संघ राज्यक्षेत्र) आदेश, 1951	174
11. संविधान (संरक्षित और निकोबार द्वीप) अनुसूचित जनजातियाँ आदेश, 1959	175
12. संविधान (छत्तरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजातियाँ आदेश, 1962	176
13. संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967	177
14. संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजातियाँ आदेश, 1970	178
15. संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978	179
16. संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियाँ आदेश, 1989	180
भाग 4	
निरर्हताओं को हटाने संबंधी विधि	
1. संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 (1959 का 10)	183
2. राज्य विधान मंडलों के अधिनियम (निरर्हताओं को हटाने के बारे में)	191

भाग 1

संविधान से उद्धरण

PART I

Extracts from the Constitution.

PART I

EXTRACTS FROM THE CONSTITUTION

* * * *

The President and Vice-President

52. The President of India—There shall be a President of India.

* * * *

54. Election of President—The President shall be elected by the members of an electoral college consisting of—

- (a) the elected members of both Houses of Parliament; and
- (b) the elected members of the Legislative Assemblies of the States.

¹[*Explanation.*—In this article and in article 55, "State includes the National Capital Territory of Delhi and the Union territory of Pondicherry.]

55. Manner of election of President—(1) As far as practicable, there shall be uniformity in the scale of representation of the different States at the election of the President.

(2) For the purpose of securing such uniformity among the States *inter se* as well as parity between the States as a whole and the Union, the number of votes which each elected member of Parliament and of the Legislative Assembly of each State is entitled to cast at such election shall be determined in the following manner :—

(a) every elected member of the Legislative Assembly of a State shall have as many votes as there are multiples of one thousand in the quotient obtained by dividing the population of State by the total number of the elected members of the Assembly;

(b) if, after taking the said multiples of one thousand, the remainder is not less than five hundred, then the vote of each member referred to in sub-clause (a) shall be further increased by one;

(c) each elected member of either House of Parliament shall have such number of votes as may be obtained by dividing the total number of votes assigned to the members of the Legislative Assemblies of the States under sub-clauses (a) and (b) by the total number of the elected members of both Houses of Parliament, fractions exceeding one-half being counted as one and other fractions being disregarded.

(3) The election of the President shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote and the voting at such election shall be by secret ballot.

²[*Explanation.*—In this article, the expression "population" means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published :

Provided that the reference in this *Explanation* to the last preceding census of which the relevant figures have been published shall, until the relevant figures for the first census taken after the year 2000 have been published, be construed as a reference to the 1971 census.]

56. Term of office of President—(1) The President shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office :

Provided that—

(a) the President may, by writing under his hand addressed to the Vice-President, resign his office;

(b) the President may, for violation of the Constitution, be removed from office by impeachment in the manner provided in article 61;

1. Ins. by the Constitution (Seventieth Amendment) Act, 1992, s. 2.

2. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 12, for the former *Explanation* (w.e.f. 3-1-1977).

संविधान से उद्धरण

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति

52. भारत का राष्ट्रपति—भारत का एक राष्ट्रपति होगा।

54. राष्ट्रपति का निर्वाचन—राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचकगण के सदस्य करेंगे जिसमें—

(क) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, और

(ख) राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य,

होंगे।

¹[स्पष्टीकरण—इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 55 में "राज्य" के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र और पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र हैं।]

55. राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति—(1) जहां तक साध्य हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न-भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापमान में एकरूपता होगी।

(2) राज्यों में आपस में ऐसी एकरूपता तथा समस्त राज्यों और संघ में समतुल्यता प्राप्त कराने के लिए संसद और प्रत्येक राज्य की विधान सभा का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य ऐसे निर्वाचन में जितने मत देने का हकदार है उनकी संख्या निम्नलिखित रीति से अवधारित की जाएगी, अर्थात् :—

(क) किसी राज्य की विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे जितने कि एक हजार के गुणित उस भागफल में हों जो राज्य की जनसंख्या को उस विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए:

(ख) यदि एक हजार के उक्त गुणित को लेने के बाद शेष पांच सौ से कम नहीं है तो उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या में एक और जोड़ दिया जाएगा:

(ग) संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या वह होगी जो उपखंड (क) और उपखंड (ख) के अधीन राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों के लिए नियत कुल मतों की संख्या को, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए जिसमें आधे से अधिक भिन्न को एक गिना जाएगा और अन्य भिन्नों की उपेक्षा की जाएगी।

(3) राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा।

²[स्पष्टीकरण—इन अनुच्छेद में, "जनसंख्या" पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं :

परन्तु इस स्पष्टीकरण में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, निर्देश का, जब तक सन् 2000 के पश्चात् की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 1971 की जनगणना के प्रति निर्देश है।]

56. राष्ट्रपति की पदावधि—(1) राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा :

परन्तु—

(क) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा;

(ख) संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा:

1. संविधान (सत्रका संशोधन) अधिनियम, 1992 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।

2. संविधान (ब्यालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 12 द्वारा (3-1-1977 से) पहले स्पष्टीकरण के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(PART I)

(c) the President shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor enters upon his office.

(2) Any resignation addressed to the Vice-President under clause (a) of the proviso to clause (1) shall forthwith be communicated by him to the Speaker of the House of the People.

57. Eligibility for re-election—A person who holds, or who has held, office as President shall, subject to the other provisions of this Constitution, be eligible for re-election to that office.

58. Qualifications for election as President—(1) No person shall be eligible for election as President unless he—

- (a) is a citizen of India;
- (b) has completed the age of thirty-five years; and
- (c) is qualified for election as a member of the House of the People.

(2) A person shall not be eligible for election as President if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State or under any local or other authority subject to the control of any of the said Governments.

Explanation.—For the purposes of this article, a person shall not be deemed to hold any office of profit by reason only that he is the President or Vice-President of the Union or the Governor^{1***} of any State or is a Minister either for the Union or for any State.

59. Conditions of President's office—(1) The President shall not be a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State, and if a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State be elected President, he shall be deemed to have vacated his seat in that House on the date on which he enters upon his office as President.

* * * * *

62. Time of holding election to fill vacancy in the office of President and the term of office of person elected to fill casual vacancy—(1) An election to fill a vacancy caused by the expiration of the term of office of President shall be completed before the expiration of the term.

(2) An election to fill a vacancy in the office of President occurring by reason of his death, resignation or removal, or otherwise shall be held as soon as possible after, and in no case later than six months from, the date of occurrence of the vacancy; and the person elected to fill the vacancy shall, subject to the provisions of article 56, be entitled to hold office for the full term of five years from the date on which he enters upon his office.

63. The Vice-President of India—There shall be a Vice-President of India.

64. The Vice-President to be *ex officio* Chairman of the Council of States—The Vice-President shall be *ex officio* Chairman of the Council of States and shall not hold any other office of profit :

Provided that during any period when the Vice-President acts as President or discharges the functions of the President under article 65, he shall not perform the duties of the office of Chairman of the Council of States and shall not be entitled to any salary or allowance payable to the Chairman of the Council of States under article 97.

* * * * *

1. The words "or Rajpramukh or Uparajpramukh" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch.

(ग) राष्ट्रपति, अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी, तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है।

(2) खंड (1) के परंतुक के खंड (क) के अधीन उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र की सूचना उसके द्वारा लोक सभा के अध्यक्ष को तुरन्त दी जाएगी।

57. पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता—कोई व्यक्ति, जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा।

58. राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए ग्रहंताएं—(1) कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह—

(क) भारत का नागरिक है;

(ख) पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका है; और

(ग) लोक सभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है।

(2) कोई व्यक्ति, जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थायी या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा।

स्पष्टीकरण—इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल *** है अथवा संघ का या किसी राज्य का मंत्री है।

59. राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें—(1) राष्ट्रपति संसद् के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि संसद् के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है।

* * * * *

62. राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और धाकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि—(1) राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा।

(2) राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, रिक्ति होने की तारीख के पश्चात् यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में छह मास बीतने से पहले किया जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति, अनुच्छेद 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा।

63. भारत का उपराष्ट्रपति—भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।

64. उपराष्ट्रपति का राज्य सभा का पदेन सभापति होना—उपराष्ट्रपति, राज्य सभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा:

परंतु जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस अवधि के दौरान वह राज्य सभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा और वह अनुच्छेद 97 के अधीन राज्य सभा के सभापति को संदेय वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा।

* * * * *

1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा "अथवा राजप्रमुख या उपराजप्रमुख" शब्दों का जोड़ किया गया।

(PART I)

66. Election of Vice-President—(1) The Vice-President shall be elected by the ¹[members of an electoral college consisting of the members of both Houses of Parliament] in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote and the voting at such election shall be by secret ballot.

(2) The Vice-President shall not be a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State, and if a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State be elected Vice-President, he shall be deemed to have vacated his seat in that House on the date on which he enters upon his office as Vice-President.

(3) No person shall be eligible for election as Vice-President unless he—

(a) is a citizen of India;

(b) has completed the age of thirty-five years; and

(c) is qualified for election as member of the Council of States.

(4) A person shall not be eligible for election as Vice-President if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State or under any local or other authority subject to the control of any of the said Governments.

Explanation.—For the purposes of this article, a person shall not be deemed to hold any office of profit by reason only that he is the President or Vice-President of the Union or the Governor ² of any State or is a Minister either for the Union or for any State.

67. Term of office of Vice-President—The Vice-President shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office:

Provided that—

(a) a Vice-President may, by writing under his hand addressed to the President, resign his office;

(b) a Vice-President may be removed from his office by a resolution of the Council of States passed by a majority of all the then members of the Council and agreed to by the House of the People; but no resolution for the purpose of this clause shall be moved unless at least fourteen days' notice has been given of the intention to move the resolution;

(c) a Vice-President shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor enters upon his office.

68. Time of holding election to fill vacancy in the office of Vice-President and the term of office of person elected to fill casual vacancy—(1) An election to fill to a vacancy caused by the expiration of the term of office of Vice-President shall be completed before the expiration of the term.

(2) An election to fill a vacancy in the office of Vice-President occurring by reason of his death, resignation or removal, or otherwise shall be held as soon as possible after the occurrence of the vacancy, and the person elected to fill the vacancy shall, subject to the provisions of article 67, be entitled to hold office for the full term of five years from the date on which he enters upon his office.

* * * * *

71. Matters relating to, or connected with, the election of a President or Vice-President—(1) All doubts and disputes arising out of or in connection with the election of a President or Vice-President shall be inquired into and decided by the Supreme Court whose decision shall be final.

1. Subs. by the Constitution (Eleventh Amendment) Act, 1961, s. 2, for "members of both Houses of Parliament assembled at a joint meeting".

2. The words "or Rajpramukh or Uparajpramukh" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch.

3. Subs. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 10, for article 71 (w.e.f. 20-6-1979).

66. उपराष्ट्रपति का निर्वाचन—(1) उपराष्ट्रपति का निर्वाचन [संसद् के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचकगण के सदस्यों] द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा।

(2) उपराष्ट्रपति संसद् के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि संसद् के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है।

(3) कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह—

(क) भारत का नागरिक है;

(ख) पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका है; और

(ग) राज्य सभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है।

(4) कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा।

स्पष्टीकरण—इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल **** है अथवा संघ का या किसी राज्य का मंत्री है।

67. उपराष्ट्रपति की पदावधि—उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा : परंतु—

(क) उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा;

(ख) उपराष्ट्रपति, राज्य सभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्य सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिसमें लोक सभा सहमत है; किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम चौदह दिन की सूचना न दे दी गई हो;

(ग) उपराष्ट्रपति, अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है।

68. उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और ध्वाकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि—(1) उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा।

(2) उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, रिक्ति होने के पश्चात् यथाशीघ्र किया जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति, अनुच्छेद 67 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा।

* * * * *

71. राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय—(1) राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या संसक्त सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

1. संविधान (ग्यारहवां संशोधन) अधिनियम, 1961 की धारा 2 द्वारा "संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद् के दोनों सदनों के सदस्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा "अथवा राजप्रमुख या उपराजप्रमुख" शब्दों का लोप किया गया।

3. संविधान (बत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 10 द्वारा अनुच्छेद 71 के स्थान पर (20-6-1979 से) प्रतिस्थापित।

(PART I)

(2) If the election of a person as President or Vice-President is declared void by the Supreme Court, acts done by him in the exercise and performance of the powers and duties of the office of President or Vice-President, as the case may be, on or before the date of the decision of the Supreme Court shall not be invalidated by reason of that declaration.

(3) Subject to the provisions of this Constitution, Parliament may by law¹ regulate any matter relating to or connected with the election of a President or Vice-President.

(4) The election of a person as President or Vice-President shall not be called in question on the ground of the existence of any vacancy for whatever reason among the members of the electoral college electing him.]

* * * * *

PARLIAMENT

* * * * *

79. Constitution of Parliament—There shall be a Parliament for the Union which shall consist of the President and two Houses to be known respectively as the Council of States and the House of the People.

80. Composition of the Council of States—(1) ⁴**** The Council of States shall consist of—

(a) twelve members to be nominated by the President in accordance with the provisions of clause (3); and

(b) not more than two hundred and thirty-eight representatives of the States ⁴{and of the Union territories}.

(2) The allocation of seats in the Council of States to be filled by representatives of the States ⁴{and of the Union territories} shall be in accordance with the provisions in that behalf contained in the Fourth Schedule.

(3) The members to be nominated by the President under sub-clause (a) of clause (1) shall consist of persons having special knowledge or practical experience in respect of such matters as the following, namely:—

Literature, science, art and social service.

(4) The representatives of each State ^{****} in the Council of States shall be elected by the elected members of the Legislative Assembly of the State in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote.

(5) The representatives of the ⁴{Union territories} in the Council of States shall be chosen in such manner as Parliament may by law prescribe.

781. Composition of the House of the People—(1) ⁴{Subject to the provisions of article 331 ^{****}} the House of the People shall consist of—

(a) not more than ¹⁰{five hundred and thirty members} chosen by direct election from territorial constituencies in the States, and

1. See the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952).
2. Subs. by the Constitution (Thirty-fifth Amendment) Act, 1974, s. 3, for "The Council of States" (w.e.f. 1-3-1975).
3. The words "Subject to the provisions of paragraph 4 of the Tenth Schedule" omitted by the Constitution (Thirty-sixth Amendment) Act, 1975, s. 5 (w.e.f. 26-4-1975).
4. Added by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 3 (w.e.f. 1-11-1956).
5. The words and letters "specified in Part A or Part B of the First Schedule" omitted by s. 3, *ibid.*
6. Subs. by s. 3, *ibid.*, for "States specified in Part C of the First Schedule".
7. Subs. by s. 4, *ibid.*, for articles 81 and 82.
8. Subs. by the Constitution (Thirty-fifth Amendment) Act, 1974, s. 4, for "Subject to the provisions of article 331" (w.e.f. 1-3-1975).
9. The words "and paragraph 4 of the Tenth Schedule" omitted by the Constitution (Thirty-sixth Amendment) Act, 1975, s. 5 (w.e.f. 26-4-1975).
10. Subs. by the Goa, Daman and Diu Reorganisation Act, 1987 (18 of 1987), s. 63, for "five hundred and twenty-five members" (w.e.f. 30-5-1987).

(2) यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है तो उसके द्वारा, यथास्थिति, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख को या उससे पहले किए गए कार्य उस घोषणा के कारण अविधिमान्य नहीं होंगे।

(3) इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त किसी विषय का विनियमन संसद् विधि द्वारा कर सकेगी।

(4) राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को उसे निर्वाचित करने वाले निर्वाचकगण के सदस्यों में किसी भी कारण से विद्यमान किसी रिक्ति के आधार पर प्रयुक्त नहीं किया जाएगा।

* * * * *

संसद्

* * * * *

79. संसद् का गठन—संघ के लिए एक संसद् होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिल कर बनेगी जिनके नाम राज्य सभा और लोक सभा होंगे।

80. राज्य सभा की संरचना—(1) [**** राज्य सभा]—

(क) राष्ट्रपति द्वारा खंड (3) के उपबंधों के अनुसार नामनिर्देशित किए जाने वाले बारह सदस्यों, और

(ख) राज्यों के [और संघ राज्यक्षेत्रों के] दो सौ अड़तीस से अनधिक प्रतिनिधियों,

से मिलकर बनेगी।

(2) राज्य सभा में राज्यों के [और संघ राज्यक्षेत्रों के] प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का आवंटन चौथी अनुसूची में इस निमित्त अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगा।

(3) राष्ट्रपति द्वारा खंड (1) के उपखंड (क) के अधीन नामनिर्देशित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निम्नलिखित विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है, अर्थात् :—

साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा।

(4) राज्य सभा में प्रत्येक **** राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा।

(5) राज्य सभा में [संघ राज्यक्षेत्रों] के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जाएंगे जो संसद् विधि द्वारा विहित करे।

7[81. लोक सभा की संरचना—(1) [अनुच्छेद 331 के उपबंधों के अधीन रहते हुए ****] लोक सभा—

(क) राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए ¹⁰[पांच सौ तीस] से अनधिक ¹⁰[सदस्यों], और

1. राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) देखिए।
2. संविधान (पैतृसत्वा संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 3 द्वारा "राज्य सभा" के स्थान पर (1-3-1975 से) प्रतिस्थापित।
3. संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 5 द्वारा "दसवीं अनुसूची के पैरा 4 के उपबंधों के अधीन रहते हुए" शब्दों का (26-4-1975 से) लोप किया गया।
4. संविधान (सालवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा (1-11-1956 से) जोड़ा गया।
5. पूर्वोक्त की धारा 3 द्वारा "पहली अनुसूची में भाग क और भाग ख में विनिर्दिष्ट" शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया।
6. पूर्वोक्त की धारा 3 द्वारा "पहली अनुसूची के भाग ग में विनिर्दिष्ट राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
7. पूर्वोक्त की धारा 4 द्वारा अनुच्छेद 81 और 82 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
8. संविधान (पैतृसत्वा संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 4 द्वारा "अनुच्छेद 331 के उपबंधों के अधीन रहते हुए" शब्दों के स्थान पर (1-3-1975 से) प्रतिस्थापित।
9. संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 5 द्वारा "और दसवीं अनुसूची के पैरा 4" शब्दों का (26-4-1975 से) लोप किया गया।
10. गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 का 18) की धारा 63 द्वारा (30-5-1987 से) "पांच सौ पचास" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(PART I)

(b) not more than ⁴[twenty members] to represent the Union territories, chosen in such manner as Parliament may by law provide.

(2) For the purposes of sub-clause (a) of clause (1),—

(a) there shall be allotted to each State a number of seats in the House of the People in such manner that the ratio between that number and the population of the State is, so far as practicable, the same for all States; and

(b) each State shall be divided into territorial constituencies in such manner that the ratio between the population of each constituency and the number of seats allotted to it is, so far as practicable, the same throughout the State:

²[Provided that the provisions of sub-clause (a) of this clause shall not be applicable for the purpose of allotment of seats in the House of the People to any State so long as the population of that State does not exceed six millions.]

(3) In this article, the expression “population” means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published:

³[Provided that the reference in this clause to the last preceding census of which the relevant figures have been published shall, until the relevant figures for the first census taken after the year 2000 have been published, be construed as a reference to the 1971 census.]

82. Readjustment after each census.—Upon the completion of each census, the allocation of seats in the House of the People to the States and the division of each State into territorial constituencies shall be readjusted by such authority and in such manner as Parliament may by law determine:

Provided that such readjustment shall not affect representation in the House of the People until the dissolution of the then existing House:

⁴[Provided further that such readjustment shall take effect from such date as the President may, by order, specify and until such readjustment takes effect, any election to the House may be held on the basis of the territorial constituencies existing before such readjustment:]

Provided also that until the relevant figures for the first census taken after the year 2000 have been published, it shall not be necessary to readjust the allocation of seats in the House of the People to the States and the division of each State into territorial constituencies under this article.]

83. Duration of Houses of Parliament.—(1) The Council of States shall not be subject to dissolution, but as nearly as possible one-third of the members thereof shall retire as soon as may be on the expiration of every second year in accordance with the provisions made in that behalf by Parliament by law.

(2) The House of the People, unless sooner dissolved, shall continue for ⁵[five years] from the date appointed for its first meeting and no longer and the expiration of the said period of ⁶[five years] shall operate as a dissolution of the House:

Provided that the said period may, while a Proclamation of Emergency is in operation, be extended by Parliament by law for a period not exceeding one year at a time and not extending in any case beyond a period of six months after the Proclamation has ceased to operate.

1. Subs. by the Constitution (Thirty-first Amendment) Act, 1973, s. 2, for “twenty-five members”.

2. Ins. by s. 2, *ibid.*

3. Added by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 15 (w.e.f. 3-1-1977).

4. Ins. by s. 16, *ibid.* (w.e.f. 3-1-1977).

5. Subs. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 13, for “six years” (w.e.f. 20-6-1979).

(ख) संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी रीति से, जो संसद् विधि द्वारा उपबंधित करे, चुने हुए ¹[बीस] से अनधिक ²[सदस्यों],

से मिलकर बनेगी।

(2) खंड (1) के उपखंड (क) के प्रयोजनों के लिए,—

(क) प्रत्येक राज्य को लोक सभा में स्थानों का आवंटन ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो, और

(ख) प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो:

³[परंतु इस खंड के उपखंड (क) के उपबंध किसी राज्य को लोक सभा में स्थानों के आवंटन के प्रयोजन के लिए तब तक लागू नहीं होंगे जब तक उस राज्य की जनसंख्या साठ लाख से अधिक नहीं हो जाती है]।

(3) इस अनुच्छेद में, "जनसंख्या" पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं :

⁴[परंतु इस खंड में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, निर्देश का, जब तक सन् 2000 के पश्चात् की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 1971 की जनगणना के प्रति निर्देश है]।

82. प्रत्येक जनगणना के पश्चात् पुनः समायोजन—प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्यों को लोकसभा में स्थानों के आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन का ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से पुनः समायोजन किया जाएगा जो संसद् विधि द्वारा अवधारित करे :

परंतु ऐसे पुनः समायोजन से लोक सभा में प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक उस समय विद्यमान लोक सभा का विघटन नहीं हो जाता है :

⁵[परंतु यह और कि ऐसा पुनः समायोजन उस तारीख से प्रभावी होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विनिश्चित करे और ऐसे पुनः समायोजन के प्रभावी होने तक लोक सभा के लिए कोई निर्वाचन उन प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के आधार पर हो सकेगा जो ऐसे पुनः समायोजन के पहले विद्यमान हैं :

परंतु यह और भी कि जब तक सन् 2000 के पश्चात् की गई पहली जनगणना के पुंजात आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं तब तक राज्यों को लोक सभा में स्थानों के आवंटन का और इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन का पुनः समायोजन आवश्यक नहीं होगा]।

83. संसद् के सदनों की अवधि—(1) राज्य सभा का विघटन नहीं होगा, किंतु उसके सदस्यों में से यथा संभव निकटतम एक-तिहाई सदस्य, संसद् द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त किए गए उपबंधों के अनुसार, प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथाशक्य शीघ्र निवृत्त हो जाएंगे।

(2) लोक सभा, यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से ⁶[पांच वर्ष] तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं और ⁷[पांच वर्ष] की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम लोक सभा का विघटन होगा :

परंतु उक्त अवधि को, जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब, संसद् विधि द्वारा, ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी, जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होती और उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात् उक्त विस्तार किसी भी दशा में छह मास की अवधि से अधिक नहीं होगा।

1. संविधान (इक्कीसवां संशोधन) अधिनियम, 1973 की धारा 2 द्वारा "पच्चीस सदस्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. पूर्वोक्त की धारा 2 द्वारा अस्त-स्थापित।
3. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 15 द्वारा (3-1-1977 से) जोड़ा गया।
4. पूर्वोक्त की धारा 16 द्वारा (3-1-1977 से) अस्त-स्थापित।
5. संविधान (चत्तीसवां संशोधन) अधिनियम 1978 की धारा 13 द्वारा "छह वर्ष" के स्थान पर (20-6-1979से) प्रतिस्थापित।

(PART I)

84. Qualification for membership of Parliament.—A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in Parliament unless he—

¹[(a) is a citizen of India, and makes and subscribes before some person authorised in that behalf by the Election Commission an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule;]

(b) is in the case of a seat in the Council of States, not less than thirty years of age and, in the case of a seat in the House of the People, not less than twenty-five years of age; and

(c) possesses such other qualifications as may be prescribed in that behalf by or under any law² made by Parliament.

85. Sessions of Parliament, prorogation and dissolution.—(1) The President shall from time to time summon each House of Parliament to meet at such time and place as he thinks fit, but six months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session.

(2) The President may from time to time—

(a) prorogue the Houses or either House;

(b) dissolve the House of the People.]

* * * * *

99. Oath or affirmation by members.—Every member of either House of Parliament shall, before taking his seat, make and subscribe before the President, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule.

* * * * *

Disqualifications of Members

101. Vacation of seats.—(1) No person shall be a member of both Houses of Parliament and provision shall be made by Parliament by law for the vacation by a person who is chosen a member of both Houses of his seat in one House or the other.

(2) No person shall be a member both of Parliament and of a House of the Legislature of a State³, and if a person is chosen a member both of Parliament and of a House of the Legislature of [a State], then, at the expiration of such period as may be specified in rules⁴ made by the President, that person's seat in Parliament shall become vacant, unless he has previously resigned his seat in the Legislature of the State.

(3) If a member of either House of Parliament—

(a) becomes subject to any of the disqualifications mentioned in [clause (1) or clause (2) of article 102,] or

⁵[(b) resigns his seat by writing under his hand addressed to the Chairman or the Speaker, as the case may be, and his resignation is accepted by the Chairman or the Speaker, as the case may be,]

his seat shall thereupon become vacant:

1. Subs. by the Constitution (Sixteenth Amendment) Act, 1963, s. 3, for cl. (a) (w.e.f. 1-11-1956).

2. See the Representation of the People Act, 1951 (.3 of 1951), ss. 3 and 4, in Part II, *infra*.

3. Subs. by the Constitution (First Amendment) Act, 1951, s. 6, for the original article.

4. The words and letters "specified in Part A or Part B of the First Schedule," omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956).

5. Subs. by s. 29 and Sch., *ibid.*, for "such a State" (w.e.f. 1-11-1956).

6. See the Prohibition of Simultaneous Membership Rules, 1950, in Vol. I, Part III *infra*.

7. Subs. by the Constitution (Fifty-second Amendment) Act, 1985, s. 2, for "clause (1) of article 102" (w.e.f. 1-3-1985).

8. Subs. by the Constitution (Thirty-third Amendment) Act, 1974, s. 2, for sub-clause (b).

84. संसद् की सदस्यता के लिए अर्हता—कोई व्यक्ति संसद् के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित तभी होगा जब—

1[(क) वह भारत का नागरिक है और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है];

(ख) वह राज्य सभा में स्थान के लिए कम से कम तीस वर्ष की आयु का और लोक सभा में स्थान के लिए कम से कम पच्चीस वर्ष की आयु का है; और

(ग) उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएँ हैं जो संसद् द्वारा बनाई गई किसी श्रविधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त विहित की जाएँ।

85. संसद् के सत्र, सत्रावसान और विघटन—(1) राष्ट्रपति समय-समय पर, संसद् के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर, जो वह ठीक समझे, अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच छह मास का अंतर नहीं होगा।

(2) राष्ट्रपति, समय-समय पर—

(क) सदनों का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा;

(ख) लोक सभा का विघटन कर सकेगा।]

*

*

*

*

99. सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान—संसद् के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले, राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार, शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा।

*

*

*

*

*

सदस्यों की निरर्हताएँ

101. स्थानों का रिक्त होना—(1) कोई व्यक्ति संसद् के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा और जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है उसके एक या दूसरे सदन के स्थान को रिक्त करने के लिए संसद् विधि द्वारा उपबंध करेगी।

(2) कोई व्यक्ति संसद् और किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन, दोनों का सदस्य नहीं होगा और यदि कोई व्यक्ति संसद् और [किसी राज्य] के विधान-मंडल के किसी सदन, दोनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात् जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, संसद् में ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जाएगा यदि उसने राज्य के विधान-मंडल में अपने स्थान को पहले ही नहीं त्याग दिया है।

(3) यदि संसद् के किसी सदन का सदस्य—

(क) अनुच्छेद 102 के खंड (1) या खंड (2) में वाणत किसी निरर्हता से ग्रस्त हो जाता है, या

1[(ख) यथास्थिति, सभापति या अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग कर देता है और उसका त्यागपत्र, यथास्थिति, सभापति या अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है,] तो ऐसा होने पर उसका स्थान रिक्त हो जाएगा :

1. संविधान (सोलहवां संशोधन) अधिनियम, 1963 की धारा 3 द्वारा (1-11-1956 से) खण्ड (क) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धाराएं 3 और 4 भाग 2 में देखिए।
3. संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 की धारा 6 द्वारा मूल अनुच्छेद के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "पहली अनुसूची के भाग 5 या भाग 6 में विनिर्दिष्ट" शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया।
5. पूर्वोक्त की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) "ऐसे किसी राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. समसामयिक सदस्यता प्रतिबंध नियम, 1950 जिल्द 1 के भाग 3 में देखिए।
7. संविधान (मावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 की धारा 2 धारा (1-3-1985 से) "अनुच्छेद 102 के खंड (1)" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
8. संविधान (तीसरे संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 2 धारा उपखंड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(PART I)

¶[Provided that in the case of any resignation referred to in sub-clause(b), if from information received or otherwise and after making such inquiry as he thinks fit, the Chairman or the Speaker, as the case may be, is satisfied that such resignation is not voluntary or genuine, he shall not accept such resignation.]

(4) If for a period of sixty days a member of either House of Parliament is without permission of the House absent from all meetings thereof, the House may declare his seat vacant.

Provided that in computing the said period of sixty days no account shall be taken of any period during which the House is prorogued or is adjourned for more than four consecutive days.

102. Disqualifications for membership.—(1) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament—

(a) if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State, other than an office declared by Parliament by law¹ not to disqualify its holder ;

(b) if he is of unsound mind and stands so declared by a competent court;

(c) if he is an undischarged insolvent;

(d) if he is not a citizen of India, or has voluntarily acquired the citizenship of a foreign State or is under any acknowledgement of allegiance or adherence to a foreign State;

(e) if he is so disqualified by or under any law² made by Parliament.

¶[Explanation.—For the purposes of this clause] a person shall not be deemed to hold an office of profit under the Government of India or the Government of any State by reason only that he is a Minister either for the Union or for such State.

¶(2) A person shall be disqualified for being a member of either House of Parliament if he is so disqualified under the Tenth Schedule.]

¶[103. Decision on questions as to disqualifications of members.—(1) If any question arises as to whether a member of either House of Parliament has become subject to any of the disqualifications mentioned in clause (1) of article 102, the question shall be referred for the decision of the President and his decision shall be final.

(2) Before giving any decision on any such question, the President shall obtain the opinion of the Election Commission and shall act according to such opinion.]

104. Penalty for sitting and voting before making oath or affirmation under article 99 or when not qualified or when disqualified.—If a person sits or votes as a member of either House of Parliament before he has complied with the requirements of article 99, or when he knows that he is not qualified or that he is disqualified for membership thereof, or that he is prohibited from so doing by the provisions of any law made by Parliament, he shall be liable in respect of each day on which he so sits or votes to a penalty of five hundred rupees to be recovered as a debt due to the Union.

1. Ins. by the Constitution (Thirty-third Amendment) Act, 1974, s.2.

2. See the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 (10 of 1959), in Volume III, Part IV, *infra*.

3. See the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), s. 7, in Part II, *infra*.

4. Subs. by the Constitution (Fifty second Amendment) Act, 195, s. 3, for "(2) For the purposes of this article" (w.e.f. 1-3-1985).

5. Ins. by s. 3, *ibid.* (w.e.f. 1-3-1985).

6. Subs. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 14, for article 103 (w.e.f. 20 6-1979)..

1[परंतु उपखंड (ख) में निर्दिष्ट त्यागपत्र की दशा में, यदि प्राप्त जानकारी से या अन्यथा और ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, यथास्थिति, समाप्ति या अज्ञान का यह समझान ही जाता है कि ऐसा त्यागपत्र स्वैच्छिक या असली नहीं है तो वह ऐसे त्यागपत्र को स्वीकार नहीं करेगा।]

(4) यदि संसद् के किसी सदन का कोई सदस्य साठ दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगा:

परंतु साठ दिन की उक्त अवधि की संगणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन सत्रावसित या निरंतर चार से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है।

102. सदस्यता के लिए निरहंताएं—(1) कोई व्यक्ति संसद् के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरहंत होगा—

(क) यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़कर, जिसको धारण करने वाले का निरहंत न होना संसद् ने 2 विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है;

(ख) यदि वह विकृतचित्त है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है;

(ग) यदि वह अनुमोचित दिवालिया है;

(घ) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वैच्छता से अर्जित कर ली है या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुपस्थित को अभिस्वीकार किए हुए है;

(ङ) यदि वह संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरहंत कर दिया जाता है।

4[स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,] कोई व्यक्ति केशल इस कारण भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का या ऐसे राज्य का मंत्री है।

5[(2) कोई व्यक्ति संसद् के किसी सदन का सदस्य होने के लिए निरहंत होगा यदि वह दसवीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार निरहंत हो जाता है।]

6[103. सदस्यों की निरहंताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय—(1) यदि यह प्रश्न उठता है कि संसद् के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 के खंड (1) में वर्णित किसी निरहंता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(2) ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने के पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा।]

104. अनुच्छेद 99 के अंतिम शपथ लेने या प्रतिमान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरहंत किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति—यदि संसद् के किसी सदन में कोई व्यक्ति अनुच्छेद 99 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने से पहले, या यह जानते हुए कि में उसकी सदस्यता के लिए अर्हित नहीं है या निरहंत कर दिया गया है या संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबन्धों द्वारा ऐसा करने से प्रतिषिद्ध कर दिया गया है, सदस्य के रूप में बैठता है या मत देता है तो वह प्रत्येक दिन के लिए जब वह इस प्रकार बैठता है या मत देता है, पांच सौ रुपये की शास्ति का भागी होगा जो संघ को देय ऋण के रूप में वसूल की जाएगी।

*

*

*

*

1. संविधान (तीसरीसर्वा संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 2 द्वारा अस्तित्स्थापित।

2. संसद् (निरहंता निवारण) अधिनियम, 1959 (1959 का 10) क्लिद 1 के भाग 4 में देखिए।

3. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 7 प्राप्ते भाग 2 में देखिए।

4. संविधान (षाबनवा संशोधन) अधिनियम, 1985 की धारा 3 द्वारा (1-3-1985 से) "इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

5. संविधान (बाबनवा संशोधन) अधिनियम, 1935 की धारा 3 द्वारा (1-3-1985 से) अस्तित्स्थापित।

6. संविधान (चवासीसर्वा संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 14 द्वारा अनुच्छेद 103 के स्थान पर (20-8-1979 से) प्रतिस्थापित।

(PART I)

THE STATES

* * * * *

The Governor

* * * * *

158. Conditions of Governor's office.—(1) The Governor shall not be a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State specified in the First Schedule, and if a member of either House of Parliament or a House of the Legislature of any such State be appointed Governor, he shall be deemed to have vacated his seat in that House on the date on which he enters upon his office as Governor.

THE STATE LEGISLATURE

* * * * *

168. Constitution of Legislatures in States.—(1) For every State there shall be a Legislature which shall consist of the Governor, and

(a) in the States of ^{****} Bihar, ^{*****} ^{****} [Maharashtra], [¶] [Karnataka] ^{****} [and Uttar Pradesh], two Houses;

(b) in other States, one House.

(2) Where there are two Houses of the Legislature of a State, one shall be known as the Legislative Council and the other as the Legislative Assembly, and where there is only one House, it shall be known as the Legislative Assembly.

169. Abolition or creation of Legislative Councils in States.—(1) Notwithstanding anything in article 168, Parliament may by law provide for the abolition of the Legislative Council of a State having such a Council or for the creation of such a Council in a State having no such Council, if the Legislative Assembly of the State passes a resolution to that effect by a majority of the total membership of the Assembly and by a majority of not less than two-thirds of the members of the Assembly present and voting.

(2) Any law referred to in clause (1) shall contain such provisions for the amendment of this Constitution as may be necessary to give effect to the provisions of the law and may also contain such supplemental, incidental and consequential provisions as Parliament may deem necessary.

(3) No such law as aforesaid shall be deemed to be an amendment of this Constitution for the purposes of article 363.

¶170. Composition of the Legislative Assemblies.—(1) Subject to the provisions of article 333, the Legislative Assembly of each State shall consist of not more than five hundred, and not less than sixty, members chosen by direct election from territorial constituencies in the State.

-
1. The words "Andhra Pradesh," omitted by the Andhra Pradesh Legislative Council (Abolition) Act, 1985 (34 of 1985) s. 4 (w.e.f. 1-11-1986).
 2. The word "Bombay" omitted by the Bombay Reorganisation Act, 1960 (11 of 1960), s. 20 (w.e.f. 1-5-1960).
 3. No date has been appointed under, s. 8(2) of the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, for the insertion of the words "Madhya Pradesh" in this sub-clause.
 4. The words "Tamil Nadu," omitted by the Tamil Nadu Legislative Council (Abolition) Act, 1986 (40 of 1986), s. 4 (w.e.f. 1-11-1986).
 5. Ins. by the Bombay Reorganisation Act, 1960 (11 of 1960), s. 20 (w.e.f. 1-5-1960).
 6. Subs. by the Mysore State (Alteration of Name) Act, 1973 (31 of 1973), s. 4, for "Mysore" (w.e.f. 1-11-1973).
 7. The word "Punjab" omitted by the Punjab Legislative Council (Abolition) Act, 1969 (46 of 1969), s. 4 (w.e.f. 7-1-1970).
 8. Subs. by the West Bengal Legislative Council (Abolition) Act, 1969 (20 of 1969), s. 4, for "Uttar Pradesh and West Bengal" (w.e.f. 1-8-1969).
 9. Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 9, for the original article (w.e.f. 1-11-1956).

* * * * *

* * * * *

158. राज्यपाल के पद के लिए शर्तें—(1) राज्यपाल संसद् के किसी सदन का या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि संसद् के किसी सदन का या ऐसे किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राज्यपाल के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है।

* * * * *

* * * * *

168. राज्यों के विधान-मंडलों का गठन—(1) प्रत्येक राज्य के लिए एक विधान-मंडल होगा जो राज्यपाल और—

(क) 1*** बिहार 2** 3-1*** 4[महाराष्ट्र, 5[कर्नाटक, 7*** 8[और उत्तर प्रदेश] राज्यों में दो सदनों से;

(ख) अन्य राज्यों में एक सदन से,

मिलकर बनेगा।

(2) जहाँ किसी राज्य के विधान-मंडल के दो सदन हैं वहाँ एक का नाम विधान परिषद् और दूसरे का नाम विधान सभा होगा और जहाँ केवल एक सदन है वहाँ उसका नाम विधान सभा होगा।

169. राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन—(1) अनुच्छेद 168 में किसी बात के होते हुए भी संसद् विधि द्वारा किसी विधान परिषद् वाले राज्य में विधान परिषद् के उत्सादन के लिए या ऐसे राज्य में, जिसमें विधान परिषद् नहीं है, विधान परिषद् के सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी, यदि उस राज्य की विधान सभा ने इस आशय का संकल्प विधान सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या से कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित कर दिया है।

(2) खंड (1) में निर्दिष्ट किसी विधि में इस संविधान के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों तथा ऐसे अनुसूचक, आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध भी अंतर्विष्ट हो सकेंगे जिन्हें संसद् आवश्यक समझे।

(3) पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी।

170. विधान सभाओं की संरचना—(1) अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक राज्य की विधान सभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए पांच सौ से अधिक और साठ से से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी।

1. आंध्र प्रदेश विधान परिषद् (उत्सादन) अधिनियम, 1985 (1985 का 34) की धारा 4 द्वारा (1-6-1985 से) "आंध्र प्रदेश" शब्दों का लोप किया गया।
2. मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 का 11) की धारा 20 द्वारा (1-5-1960 से) "मुंबई" शब्द का लोप किया गया।
3. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 8(2) में "मध्य प्रदेश" शब्दों के अन्तःस्थापन को इस उपबंध में कोई तारीख नियत नहीं की गई है।
4. तमिलनाडु विधान परिषद् (उत्सादन) अधिनियम, 1986 (1986 का 40) की धारा 4 द्वारा (1-11-1986 से) "तमिलनाडु" शब्द का लोप किया गया।
5. मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 का 11) की धारा 20 द्वारा (1-5-1960 से) अन्तःस्थापित।
6. मैसूर राज्य (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 1973 (1973 का 31) की धारा 4 द्वारा "मैसूर" के स्थान पर (1-11-1973 से) प्रतिस्थापित।
7. पंजाब विधान परिषद् (उत्सादन) अधिनियम, 1969 (1969 का 46) की धारा 4 द्वारा "पंजाब" शब्द का (7-1-1970 से) लोप किया गया।
8. पश्चिमी बंगाल विधान परिषद् (उत्सादन) अधिनियम, 1969 (1969 का 20) की धारा 4 द्वारा "उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल" के स्थान पर (1-8-1969 से) प्रतिस्थापित।
9. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 9 द्वारा मूल अनुच्छेद के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(PART I)

(2) For the purposes of clause (1), each State shall be divided into territorial constituencies in such manner that the ratio between the population of each constituency and the number of seats allotted to it shall, so far as practicable, be the same throughout the State.

¹[*Explanation.*—In this clause, the expression “population” means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published :

Provided that the reference in this *Explanation* to the last preceding census of which the relevant figures have been published shall, until the relevant figures for the first census taken after the year 2000 have been published, be construed as a reference to the 1971 census.]

(3) Upon the completion of each census, the total number of seats in the Legislative Assembly of each State and the division of each State into territorial constituencies shall be readjusted by such authority and in such manner as Parliament may by law determine :

Provided that such readjustment shall not affect representation in the Legislative Assembly until the dissolution of the then existing Assembly :

²[Provided further that such readjustment shall take effect from such date as the President may, by order, specify and until such readjustment takes effect, any election to the Legislative Assembly may be held on the basis of the territorial constituencies existing before such readjustment :

Provided also that until the relevant figures for the first census taken after the year 2000 have been published, it shall not be necessary to readjust the total number of seats in the Legislative Assembly of each State and the division of such State into territorial constituencies under this clause.]¹

171. Composition of the Legislative Councils.—(1) The total number of members in the Legislative Council of a State having such a Council shall not exceed ³[one-third] of the total number of members in the Legislative Assembly of that State :

Provided that the total number of members in the Legislative Council of a State shall in no case be less than forty.

(2) Until Parliament by law otherwise provides, the composition of the Legislative Council of a State shall be as provided in clause (3).

(3) Of the total number of members of the Legislative Council of a State—

(a) as nearly as may be, one-third shall be elected by electorates consisting of members of municipalities, district boards and such other local authorities in the State as Parliament may by law specify;

(b) as nearly as may be, one-twelfth shall be elected by electorates consisting of persons residing in the State who have been for at least three years graduates of any university in the territory of India or have been for at least three years in possession of qualifications prescribed by or under any law made by Parliament as equivalent to that of a graduate of any such university;

(c) as nearly as may be, one-twelfth shall be elected by electorates consisting of persons who have been for at least three years engaged in teaching in such educational institutions within the State, not lower in standard than that of a secondary school, as may be prescribed by or under any law made by Parliament;

1. Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 29, for the former *Explanation* (w.e.f. 3-1-1977).

2. Ins. by 29, *ibid.* (w.e.f. 3-1-1977).

3. Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 10, for “one-fourth” (w.e.f. 1-11-1956).

(2) खंड (1) के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो।

¹[स्पष्टीकरण—इस खंड में "जनसंख्या" पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं:]

परंतु इस स्पष्टीकरण में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, निर्देश का, जब तक सन् 2000 के पश्चात् की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 1971 की जनगणना के प्रति निर्देश है।]

(3) प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर प्रत्येक राज्य की विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन का ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से पुनः समायोजन किया जाएगा जो संसद् विधि द्वारा अवधारित करे:

परंतु ऐसे पुनः समायोजन से विधान सभा में प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक उस समय विद्यमान विधान सभा का विघटन नहीं हो जाता है:]

²[परंतु यह और कि: ऐसा पुनः समायोजन उस तारीख से प्रभावी होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे और ऐसे पुनः समायोजन के प्रभावी होने तक विधान सभा के लिए कोई निर्वाचन उन प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के आधार पर हो सकेगा जो ऐसे पुनः समायोजन के पहले विद्यमान हैं:]

परन्तु यह और भी कि जब तक सन् 2000 के पश्चात् की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं तब तक प्रत्येक राज्य की विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या का और इस खंड के अधीन ऐसे राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन का पुनः समायोजन आवश्यक नहीं होगा।]

171. विधान परिषदों की संरचना—(1) विधान परिषद् वाले राज्य की विधान परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के ³[एक-तिहाई] से अधिक नहीं होगी:

परंतु किसी राज्य की विधान परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में चालीस से कम नहीं होगी।

(2) जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक किसी राज्य की विधान परिषद् की संरचना खंड (3) में उपबंधित रीति से होगी।

(3) किसी राज्य की विधान परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या का—

(क) यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई भाग उस राज्य की नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों और अन्य ऐसे स्थानीय प्राधिकारियों के, जो संसद् विधि द्वारा विनिर्दिष्ट करे, सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक-मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा;

(ख) यथाशक्य निकटतम बारहवां भाग उस राज्य में निवास करने वाले ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक-मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा, जो भारत के राज्यक्षेत्र में किसी विश्वविद्यालय के कम से कम तीन वर्ष से स्नातक हैं या जिनके पास कम से कम तीन वर्ष से ऐसी अर्हताएं जो संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि या उसके अधीन ऐसे किसी विश्वविद्यालय के स्नातक की अर्हताओं के समतुल्य विहित की गई हों;

(ग) यथाशक्य निकटतम बारहवां भाग ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक-मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा जो राज्य के भीतर माध्यमिक पाठशालाओं से अनिम्न स्तर की ऐसी शिक्षा संस्थाओं में, जो संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाएं पढ़ाने के काम में कम से कम तीन वर्ष से लगे हुए हैं;

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 द्वारा पहले स्पष्टीकरण के स्थान पर (3-1-1977 से) प्रतिस्थापित।
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 29 द्वारा (3-1-1977) से अंतःस्थापित।
3. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 10 द्वारा (1-11-1956 से) "एक-तीहाई" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(PART I)

(d) as nearly as may be, one-third shall be elected by the members of the Legislative Assembly of the State from amongst persons who are not members of the Assembly;

(e) the remainder shall be nominated by the Governor in accordance with the provisions of clause (5).

(4) The members to be elected under sub-clauses (a), (b) and (c) of clause (3) shall be chosen in such territorial constituencies as may be prescribed by or under any law made by Parliament, and the elections under the said sub-clauses and under sub-clause (d) of the said clause shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote.

(5) The members to be nominated by the Governor under sub-clause (e) of clause (3) shall consist of persons having special knowledge or practical experience in respect of such matters as the following, namely :—

Literature, science, art, co-operative movement and social service.

172. Duration of State Legislatures.—(1) Every Legislative Assembly of every State, unless sooner dissolved, shall continue for ²[five years] from the date appointed for its first meeting and no longer and the expiration of the said period of ²[five years] shall operate as a dissolution of the Assembly :

Provided that the said period may, while a Proclamation of Emergency is in operation, be extended by Parliament by law for a period not exceeding one year at a time and not extending in any case beyond a period of six months after the Proclamation has ceased to operate.

(2) The Legislative Council of a State shall not be subject to dissolution, but as nearly as possible one-third of the members thereof shall retire as soon as may be on the expiration of every second year in accordance with the provisions made in that behalf by Parliament by law.

173. Qualification for membership of the State Legislature.—A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the Legislature of a State unless he—

³(a) is a citizen of India, and makes and subscribes before some person authorised in that behalf by the Election Commission an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule;]

(b) is, in the case of a seat in the Legislative Assembly, not less than twenty-five years of age and, in the case of a seat in the Legislative Council, not less than thirty years of age; and

(c) possesses such other qualifications as may be prescribed in that behalf by or under any law made by Parliament.

⁴**174. Sessions of the State Legislature, prorogation and dissolution.**—(1) The Governor shall from time to time summon the House or each House of the Legislature of the State to meet at such time and place as he thinks fit, but six months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session.

(2) The Governor may from time to time—

(a) prorogue the Houses or either House;

(b) dissolve the Legislative Assembly.]

*

*

*

*

*

1. Subs. by of the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 24, for "six years" (w.e.f. 6-9-1979).

2. Subs. by the Constitution (Sixteenth Amendment) Act, 1963, s. 4, for cl. (a).

3. See the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), ss. 5, 5A and 6, in Part II, *infra*.

4. Subs. by the Constitution (First Amendment) Act, 1951, s. 8, for the original article.

(घ) यथायशक्य निकटतम एक-तिहाई भाग राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से निर्वाचित होगा जो विधान सभा के सदस्य नहीं हैं;

(ङ) शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा खंड (5) के उपबंधों के अनुसार नामनिर्देशित किए जाएंगे।

(4) खंड (3) के उपखंड (क), उपखंड (ख) और उपखंड (ग) के अधीन निर्वाचित होने वाले सदस्य ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में चुने जाएंगे, जो संसद् द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन विहित किए जाएं तथा उक्त उपखंडों के और उक्त खंड के उपखंड (घ) के अधीन निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होंगे।

(5) राज्यपाल द्वारा खंड (3) के उपखंड (ङ) के अधीन नामनिर्देशित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निम्नलिखित विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है, अर्थात्:—

साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा।

172. राज्यों के विधान-मंडलों की अवधि—(1) प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधान सभा, यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 1[पांच वर्ष] तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं और 1[पांच वर्ष] की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम विधान सभा का विघटन होगा:

परंतु उक्त अवधि को, जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, तब संसद् विधि द्वारा, ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी, जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात् किसी भी दशा में उसका विस्तार छह मास की अवधि से अधिक नहीं होगा।

(2) राज्य की विधान परिषद् का विघटन नहीं होगा, किंतु उसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम एक-तिहाई सदस्य संसद् द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त बनाए गए उपबंधों के अनुसार, प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथाशक्य शीघ्र निवृत्त हो जाएंगे।

173. राज्य के विधान-मंडल की सदस्यता के लिए अर्हता—कोई व्यक्ति किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित तभी होगा जब—

1[(क) वह भारत का नागरिक है और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है;]

(ख) वह विधान सभा के स्थान के लिए कम से कम पच्चीस वर्ष की आयु का और विधान परिषद् के स्थान के लिए कम से कम तीस वर्ष की आयु का है; और

(ग) उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं हैं जो इस निमित्त संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि² द्वारा या उनके अधीन विहित की जाएं।

174. राज्य के विधान-मंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन—(1) राज्यपाल, समय समय पर, राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे, अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच छह मास का अंतर नहीं होगा।

(2) राज्यपाल, समय-समय पर—

(क) सदन का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा;

(ख) विधान सभा का विघटन कर सकेगा।

* * * * *

1. संविधान (चबालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा "छह वर्ष" के स्थान पर (6-9-1979 से) प्रतिस्थापित।

2. संविधान (सोलहवां संशोधन) अधिनियम, 1963 की धारा 4 द्वारा खंड (क) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

3. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धाराएं 5, 5क और 6 भाग 2 में देखिए।

4. संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 की धारा 8 द्वारा मूल अनुच्छेद के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(PART I)

188. Oath or affirmation by members.—Every member of the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State shall, before taking his seat, make and subscribe before the Governor, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule.

* * * * *

Disqualifications of Members

190. Vacation of seats.—(1) No person shall be a member of both Houses of the Legislature of a State and provision shall be made by the Legislature of the State by law for the vacation by a person who is chosen a member of both Houses of his seat in one House or the other.

(2) No person shall be a member of the Legislatures of two or more States specified in the First Schedule and if a person is chosen a member of the Legislatures of two or more such States, then, at the expiration of such period as may be specified in rules¹ made by the President, that person's seat in the Legislatures of all such States shall become vacant, unless he has previously resigned his seat in the Legislatures of all but one of the States.

(3) If a member of a House of the Legislature of a State—

(a) becomes subject to any of the disqualifications mentioned in ²[clause (1) or clause (2) of article 191]; or

³[(b) resigns his seat by writing under his hand addressed to the Speaker or the Chairman, as the case may be, and his resignation is accepted by the Speaker or the Chairman, as the case may be,]

his seat shall thereupon become vacant:

⁴[Provided that in the case of any resignation referred to in sub-clause (b), if from information received or otherwise and after making such inquiry as he thinks fit, the Speaker or the Chairman, as the case may be, is satisfied that such resignation is not voluntary or genuine, he shall not accept such resignation.]

(4) If for a period of sixty days a member of a House of the Legislature of a State is without permission of the House absent from all meetings thereof, the House may declare his seat vacant:

Provided that in computing the said period of sixty days no account shall be taken of any period during which the House is prorogued or is adjourned for more than four consecutive days.

191. Disqualifications for membership.—(1) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State—

(a) if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State specified in the First Schedule, other than an office declared by the Legislature of the State by law not to disqualify its holder;

(b) if he is of unsound mind and so declared by a competent court;

(c) if he is an undischarged insolvent;

(d) if he is not a citizen of India, or has voluntarily acquired the citizenship of a foreign State or is under any acknowledgment of allegiance or adherence to a foreign State;

1. See the Prohibition of Simultaneous Membership Rules, 1950, in Vol. I Part III *infra*.

2. Subs. by the Constitution (Fifty-second Amendment) Act, 1985, s.4, for "clause (1) of article 191" (w.e.f. 1-3-1985).

3. Subs. by the Constitution (Thirty-third Amendment) Act, 1974, s. 3, for sub-clause (b).

4. Ins. by s. 3, *ibid*.

188. सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान—राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले, राज्यपाल या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार, शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा।

* * * * *

सदस्यों का निरहंताएं

190. स्थानों का रिक्त होना—(1) कोई व्यक्ति राज्य के विधान-मंडल के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा और जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है उसके एक या दूसरे सदन के स्थान को रिक्त करने के लिए उस राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा उपबंध करेगा।

(2) कोई व्यक्ति पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दो या अधिक राज्यों के विधान-मंडलों का सदस्य नहीं होगा और यदि कोई व्यक्ति दो या अधिक ऐसे राज्यों के विधान-मंडलों का सदस्य चुन लिया जाता है तो ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात् जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे सभी राज्यों के विधान-मंडलों में ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जाएगा यदि उसने एक राज्य को छोड़कर अन्य राज्यों के विधान-मंडलों में अपने स्थान को पहले ही नहीं त्याग दिया है।

(3) यदि राज्य विधान-मंडल के किसी सदन का सदस्य—

(क) [अनुच्छेद 191 के खंड (1) या खंड (2)] में वर्णित किसी निरहंता से ग्रस्त हो जाता है य

[ख] यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग कर देता है और उसका त्यागपत्र, यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है।]

तो ऐसा होने पर उसका स्थान रिक्त हो जाएगा :

[परंतु उपखंड (ख) में निर्दिष्ट त्यागपत्र की दशा में, यदि प्राप्त जानकारी से या अन्यथा और ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा त्यागपत्र स्वच्छिक या असली नहीं है तो वह ऐसे त्यागपत्र को स्वीकार नहीं करेगा।]

(4) यदि किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का सदस्य साठ दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगा :

परंतु साठ दिन की उक्त अवधि की संगणना करने में किसी ऐसी अवधि को हितव में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन सत्रावसित या निरंतर चार से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है।

191. सदस्यता के लिए निरहंताएं—(1) कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरहित होगा—

(क) यदि वह भारत सरकार के या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार के अंगीन, ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने वाले का निहित न होना राज्य के विधान-मंडल ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है;

(ख) यदि वह विकृतचित्त है और सक्षम न्यायालय को ऐसी घोषणा विद्यमान है ;

(ग) यदि वह अनुमोचित दिवालिया है ;

(घ) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुषक्ति को अभिस्वीकार किए हुए है ;

1. समसामयिक सदस्यता प्रतिषेध नियम, 1950 जिल्द 1 के भाग 3 में देखिए।

2. संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 की धारा 4 द्वारा (1-3-1985 से) "अनुच्छेद 191 के खंड (1)" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

3. संविधान (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 3 द्वारा उपखंड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

4. पूर्वोक्त की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित।

(PART I)

(e) if he is so disqualified by or under any law¹ made by Parliament.

²[*Explanation.*—For the purposes of this clause] a person shall not be deemed to hold an office of profit under the Government of India or the Government of any State specified in the First Schedule by reason only that he is a Minister either for the Union or for such State.

³[(2) A person shall be disqualified for being a member of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State if he is so disqualified under the Tenth Schedule.]

⁴[192. **Decision on questions as to disqualifications of members.**—(1) If any question arises as to whether a member of a House of the Legislature of a State has become subject to any of the disqualifications mentioned in clause (1) of article 191, the question shall be referred for the decision of the Governor and his decision shall be final.

(2) Before giving any decision on any such question, the Governor shall obtain the opinion of the Election Commission and shall act according to such opinion.]

193. Penalty for sitting and voting before making oath or affirmation under article 188 or when not qualified or when disqualified.—If a person sits or votes as a member of the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State before he has complied with the requirements of article 188, or when he knows that he is not qualified or that he is disqualified for membership thereof, or that he is prohibited from so doing by the provisions of any law made by Parliament, or the Legislature of the State, he shall be liable in respect of each day on which he so sits or votes to a penalty of five hundred rupees to be recovered as a debt due to the State.

* * * * *

ELECTIONS

324. Superintendence, direction and control of elections to be vested in an Election Commission.—(1) The superintendence, direction and control of the preparation of the electoral rolls for, and the conduct of, all elections to Parliament and to the Legislature of every State and of elections to the offices of President and Vice-President held under this Constitution **** shall be vested in a Commission (referred to in this Constitution as the Election Commission).

(2) The Election Commission shall consist of the Chief Election Commissioner and such number of other Election Commissioners, if any, as the President may from time to time fix and the appointment of the Chief Election Commissioner and other Election Commissioners shall, subject to the provisions of any law made in that behalf by Parliament, be made by the President.

(3) When any other Election Commissioner is so appointed the Chief Election Commissioner shall act as the Chairman of the Election Commission.

(4) Before each general election to the House of the People and to the Legislative Assembly of each State, and before the first general election and thereafter before each biennial election to the Legislative Council of each State having such Council, the President may also appoint after consultation with the Election Commission such Regional Commissioners as he may consider necessary to assist the Election Commission in the performance of the functions conferred on the Commission by clause (1).

1. See the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), s. 7, in Part II, *infra*.

2. Subs. by the Constitution (Fifty-second Amendment) Act, 1985, s. 5, for "(2) For the purposes of this article" (w.e.f. 1-3-1985).

3. Ins. by s. 5, *ibid.* (w.e.f. 1-3-1985).

4. Subs. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 25, for article 192 (w.e.f. 20-6-1979).

5. Certain words omitted by the Constitution (Nineteenth Amendment) Act, 1966, s. 2.

(ङ) यदि वह संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि¹ द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरहित कर दिया जाता है।

²[स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए] कोई व्यक्ति केवल इस कारण भारत सरकार के या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का या ऐसे राज्य का मंत्री है।

³[(2) कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य होने के लिए निरहित होगा यदि वह दसवीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार निरहित हो जाता है।]

⁴[192. सबस्यों की निरहताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय—(1) यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 191 के खंड (1) में वर्णित किसी निरहता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राज्यपाल को विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(2) ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा।]

193. अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या अहित न होते हुए या निरहित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति—यदि किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् में कोई व्यक्ति अनुच्छेद 188 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने से पहले, या यह जानते हुए कि मैं उसकी सदस्यता के लिए अहित नहीं हूँ या निरहित कर दिया गया हूँ या संसद् या राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों द्वारा ऐसा करने से प्रतिषिद्ध कर दिया गया हूँ, सदस्य के रूप में बैठता है या मत देता है तो वह प्रत्येक दिन के लिए जब वह इस प्रकार बैठता है या मत देता है, पांच सौ रुपए की शास्ति का भागी होगा जो राज्य को देय ऋण के रूप में वसूल की जाएगी।

* * * * *

निर्वाचन

324. निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना—(1) इस संविधान के अधीन संसद् और प्रत्येक राज्य विधान-मंडल के लिए कार्य करने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों के लिए निर्वाचक-नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण * * * * * एक आयोग में निहित होगा (जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है)।

(2) निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से, यदि कोई हों, जितने राष्ट्रपति समय-समय पर नियत करे, मिलकर बनेगा तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, संसद् द्वारा इस निमित्त बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।

(3) जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

(4) लोक सभा के और प्रत्येक राज्य की विधान सभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन से पहले तथा विधान परिषद् वाले प्रत्येक राज्य की विधान परिषद् के लिए प्रथम साधारण निर्वाचन से पहले और उसके पश्चात् प्रत्येक द्विवाषिक निर्वाचन से पहले, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात् खंड (1) द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपे गए कृत्यों के पालन में आयोग की सहायता के लिए उतने प्रादेशिक आयुक्तों की भी नियुक्ति कर सकेगा जितने वह आवश्यक समझे।

1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 7 धारा 2 में देखिए।

2. संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 की धारा 5 द्वारा (1-3-1985 से) "(2) इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

3. संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 की धारा 5 द्वारा (1-3-1985 से) संतःस्थापित।

4. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 25 द्वारा अनुच्छेद 192 के स्थान पर (20-6-1979 से) प्रतिस्थापित।

5. संविधान (उन्नीसवां संशोधन) अधिनियम, 1966 की धारा 2 द्वारा कुछ शब्दों का लोप किया गया।

(PART I)

(5) Subject to the provisions of any law made by Parliament, the conditions of service and tenure of office of the Election Commissioners and the Regional Commissioners shall be such as the President may by rule determine :

Provided that the Chief Election Commissioner shall not be removed from his office except in like manner and on the like grounds as a Judge of the Supreme Court and the conditions of service of the Chief Election Commissioner shall not be varied to his disadvantage after his appointment :

Provided further that any other Election Commissioner or a Regional Commissioner shall not be removed from office except on the recommendation of the Chief Election Commissioner.

(6) The President, or the Governor^{1***} of a State, shall, when so requested by the Election Commission, make available to the Election Commission or to a Regional Commissioner such staff as may be necessary for the discharge of the functions conferred on the Election Commission by clause (1).

325. No person to be ineligible for inclusion in, or to claim to be included in a special, electoral roll on grounds of religion, race, caste or sex.—There shall be one general electoral roll for every territorial constituency for election to either House of Parliament or to the House or either House of the Legislature of a State and no person shall be ineligible for inclusion in any such roll or claim to be included in any special electoral roll for any such constituency on grounds only of religion, race, caste, sex or any of them.

326. Elections to the House of the People and to the Legislative Assemblies of States to be on the basis of adult suffrage.—The elections to the House of the People and to the Legislative Assembly of every State shall be on the basis of adult suffrage; that is to say, every person who is a citizen of India and who is not less than [eighteen years] of age on such date as may be fixed in that behalf by or under any law made by the appropriate Legislature and is not otherwise disqualified under this Constitution or any law made by the appropriate Legislature on the ground of non-residence, unsoundness of mind, crime or corrupt or illegal practice, shall be entitled to be registered as a voter at any such election.

327. Power of Parliament to make provision with respect to elections to Legislatures.—Subject to the provisions of this Constitution, Parliament may from time to time by law make provision with respect to all matters relating to, or in connection with, elections to either House of Parliament or to the House or either House of the Legislature of a State including the preparation of electoral rolls, the delimitation of constituencies and all other matters necessary for securing the due constitution of such House or Houses.

328. Power of Legislature of a State to make provision with respect to elections to such Legislature.—Subject to the provisions of this Constitution and in so far as provision in that behalf is not made by Parliament, the Legislature of a State may from time to time by law make provision with respect to all matters relating to, or in connection with, the elections to the House or either House of the Legislature of the State including the preparation of electoral rolls and all other matters necessary for securing the due constitution of such House or Houses.

329. Bar to interference by courts in electoral matters.—³[Notwithstanding anything in this Constitution^{****}—]

(a) the validity of any law relating to the delimitation of constituencies or the allotment of seats to such constituencies, made or purporting to be made under article 327 or article 328, shall not be called in question in any court;

-
1. The words "or Rajpramukh" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch.
 2. Subs. by the Constitution (Sixty-first Amendment) Act, 1988, s. 2, for "twenty-one years" (w.e.f. 18-3-1989).
 3. Subs. by the Constitution (Thirty-ninth Amendment) Act, 1975, s. 3, for "Notwithstanding anything in this Constitution—" (w.e.f. 10-8-1975).
 4. Certain words omitted by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 35 (w.e.f. 20-6-1979).

(5) संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तों और पदावधि ऐसी होंगी जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करे :

परंतु मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा, जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है अन्यथा नहीं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा :

परंतु यह और कि किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही पद से हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

(6) जब निर्वाचन आयोग ऐसा अनुरोध करे तब, राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल ^{1***} निर्वाचन आयोग या प्रादेशिक आयुक्त को उतने कर्मचारिवृद्ध उपलब्ध कराएगा जितने खंड (1) द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपे गए कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों ।

325. धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक-नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक-नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना— संसद् के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचन के लिए प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए एक साधारण निर्वाचक-नामावली होगी और केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी के आधार पर कोई व्यक्ति ऐसी किसी नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र नहीं होगा या ऐसे किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए किसी विशेष निर्वाचक-नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा नहीं करेगा ।

326. लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मतदाधिकार के आधार पर होना— लोक सभा और प्रत्येक राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन वयस्क मतदाधिकार के आधार पर होंगे, अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत का नागरिक है और ऐसी तारीख को, जो समुचित विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त नियत की जाए, कम से कम ²[अठारह वर्ष] की आयु का है और इस संविधान या समुचित विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अनिवास, चित्तविकृति, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा निर्राहित नहीं कर दिया जाता है, ऐसे किसी निर्वाचन में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार होगा ।

327. विधान-मंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद् की शक्ति—इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद् समय-समय पर, विधि द्वारा, संसद् के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचनों से संबंधित या संसक्त सभी विषयों के संबंध में, जिनके अंतर्गत निर्वाचक-नामावली तैयार कराना, निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन और ऐसे सदन या सदनों का सम्यक् गठन सुनिश्चित करने के लिए अन्य सभी आवश्यक विषय हैं, उपबंध कर सकेगा ।

328. किसी राज्य के विधान-मंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधान-मंडल की शक्ति— इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए और जहां तक संसद् इस निमित्त उपबंध नहीं करती है वहां तक, किसी राज्य का विधान-मंडल समय-समय पर, विधि द्वारा, उस राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचनों से संबंधित या संसक्त सभी विषयों के संबंध में, जिनके अंतर्गत निर्वाचक-नामावली तैयार कराना और ऐसे सदन या सदनों का सम्यक् गठन सुनिश्चित करने के लिए अन्य सभी आवश्यक विषय हैं, उपबंध कर सकेगा ।

329. निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन—³[इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी ^{4***}—]

(क) अनुच्छेद 327 या अनुच्छेद 328 के अधीन बनाई गई या बनाई जाने के लिए तात्पर्यित किसी ऐसी विधि की विधिमान्यता, जो निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों को स्थानों के आबंटन से संबंधित है किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी ;

1. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा "या राजप्रमुख" शब्दों का लोप किया गया ।
2. संविधान (इकसठवां संशोधन) अधिनियम, 1988 की धारा 2 द्वारा (28-3-1989 से) "इक्कीस वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. संविधान (उनतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 3 द्वारा "इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी" के स्थान पर (10-8-1975 से) प्रतिस्थापित ।
4. संविधान (चत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 35 द्वारा कुछ शब्दों का (20-6-1979 से) लोप किया गया ।

(PART I)

(b) no election to either House of Parliament or to the House or either House of the Legislature of a State shall be called in question except by an election petition presented to such authority and in such manner as may be provided for by or under any law made by the appropriate Legislature.

* * * * *

SPECIAL PROVISIONS RELATING TO CERTAIN CLASSES

330. Reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the House of the People.—(1) Seats shall be reserved in the House of the People for—

(a) the Scheduled Castes;

¹[(b) the Scheduled Tribes] except the Scheduled Tribes in the autonomous districts of Assam; and]

(c) the Scheduled Tribes² in the autonomous districts of Assam.

(2) The number of seats reserved in any State³ [or Union territory] for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes under clause (1) shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats allotted to that State³ [or Union territory] in the House of the People as the population of the Scheduled Castes in the State³ [or Union territory] or of the Scheduled Tribes in the State³ [or Union territory] or part of the State³ [or Union territory], as the case may be, in respect of which seats are so reserved, bears to the total population of the State³ [or Union territory].

³[(3) Notwithstanding anything contained in clause (2), the number of seats reserved in the House of the People for the Scheduled Tribes in the autonomous districts of Assam shall bear to the total number of seats allotted to that State a proportion not less than the population of the Scheduled Tribes in the said autonomous districts bears to the total population of the State.]

⁴[*Explanation.*—In this article and in article 332, the expression “population” means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published:

Provided that the reference in this *Explanation* to the last preceding census of which the relevant figures have been published shall, until the relevant figures for the first census taken after the year 2000 have been published, be construed as a reference to the 1971 census.]

331. Representation of the Anglo-Indian community in the House of the People.—Notwithstanding anything in article 81, the President may, if he is of opinion that the Anglo-Indian community is not adequately represented in the House of the People, nominate not more than two members of that community to the House of the People.

332. Reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Legislative Assemblies of the States.—(1) Seats shall be reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, ⁵[except the Scheduled Tribes in the autonomous districts of Assam], in the Legislative Assembly of every State^{6****}.

(2) Seats shall be reserved also for the autonomous districts in the Legislative Assembly of the State of Assam.

1. Subs. by the Constitution (Fifty-first Amendment) Act, 1984, s. 2, for sub-clause (b) (w.e.f. 16-6-1986).

2. Ins. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch.

3. Ins. by the Constitution (Thirty-first Amendment) Act, 1973, s. 3.

4. Ins. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 47 (w.e.f. 3-1-1977).

5. Subs. by the Constitution (Fifty-first Amendment) Act, 1984, s. 3, for certain words (w.e.f. 16-6-1986).

6. The words and letters “specified in Part A or Part B of the First Schedule” omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch.

(ख) संसद् के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए कोई निर्वाचन ऐसी निर्वाचन अर्जी पर ही प्रश्नगत किया जाएगा, जो ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की गई है जिसका समुचित विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंध किया जाए, अन्यथा नहीं।

* * * * *

कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध

330. लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का धारक्षण—(1) लोक सभा में—

(क) अनुसूचित जातियों के लिए,

¹[(ख) असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए, और]

(ग) असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए,

स्थान आरक्षित रहेंगे।

(2) खंड (1) के अधीन किसी राज्य ²[या संघ राज्यक्षेत्र] में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, लोक सभा में उस राज्य ³[या संघ राज्यक्षेत्र] को आवंटित स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य बही होगा जो, यथास्थिति, उस राज्य ⁴[या संघ राज्यक्षेत्र] की अनुसूचित जातियों की अथवा उस राज्य ⁵[या संघ राज्यक्षेत्र] की या उस राज्य ⁶[या संघ राज्यक्षेत्र] के भाग की अनुसूचित जनजातियों की, जिनके संबंध में स्थान इस प्रकार आरक्षित हैं, जनसंख्या का अनुपात उस राज्य ⁷[या संघ राज्यक्षेत्र] को कुल जनसंख्या से है।

⁸[(3) खंड (2) में किसी बात के होते हुए भी, लोक सभा में असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस राज्य को आवंटित स्थानों की कुल संख्या के उस अनुपात से कम नहीं होगा जो उक्त स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है।]

⁹[स्पष्टीकरण—इस अनुच्छेद में और अनुच्छेद 332 में, “जनसंख्या” पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं :

परंतु इस स्पष्टीकरण में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, निर्देश का, जब तक सन् 2000 के पश्चात् की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 1971 की जनगणना के प्रति निर्देश है।]

331. लोक सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व—अनुच्छेद 81 में किसी बात के होते हुए भी, यदि राष्ट्रपति को यह राय है कि लोक सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह लोक सभा में उस समुदाय के दो से अनधिक सदस्य नामनिर्देशित कर सकेगा।

332. राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का धारक्षण—

(1) ¹⁰*** प्रत्येक राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जातियों के लिए और ¹¹[असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर] अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे।

(2) असम राज्य की विधान सभा में स्वशासी जिलों के लिए भी स्थान आरक्षित रहेंगे।

1. संविधान (इक्यावनवां संशोधन) अधिनियम, 1984 की धारा 2 द्वारा 16-6-1986 से उपखंड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा अंतःस्थापित।
3. संविधान (इकतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1973 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित।
4. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 47 द्वारा (3-1-1977) से अंतःस्थापित।
5. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा “पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट भाग क या भाग ख” शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया।
6. संविधान (इक्यावनवां संशोधन) अधिनियम, 1984 की धारा 3 द्वारा (16-6-1986 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(PART I)

(3) The number of seats reserved for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of any State under clause (1) shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats in the Assembly as the population of the Scheduled Castes in the State or of the Scheduled Tribes in the State or part of the State, as the case may be, in respect of which seats are so reserved, bears to the total population of the State.

¹[(3A) Notwithstanding anything contained in clause (3), until the taking effect, under article 170, of the re-adjustment, on the basis of the first census after the year 2000, of the number of seats in the Legislative Assemblies of the States of Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram and Nagaland, the seats which shall be reserved for the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of any such State shall be,—

(a) if all the seats in the Legislative Assembly of such State in existence on the date of coming into force of the Constitution (Fifty-seventh Amendment) Act, 1987 (hereafter in this clause referred to as the existing Assembly) are held by members of the Scheduled Tribes, all the seats except one;

(b) in any other case, such number of seats as bears to the total number of seats, a proportion not less than the number (as on the said date) of members belonging to the Scheduled Tribes in the existing Assembly bears to the total number of seats in the existing Assembly.]

²[(3B) Notwithstanding anything contained in clause (3), until the re-adjustment, under article 170, takes effect on the basis of the first census after the year 2000, of the number of seats in the Legislative Assembly of the State of Tripura, the seats which shall be reserved for the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly shall be, such number of seats as bears to the total number of seats, a proportion not less than the number, as on the date of coming into force of the Constitution (Seventy-second Amendment) Act, 1992 of members belonging to the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly in existence on the said date bears to the total number of seats in that Assembly.]

(4) The number of seats reserved for an autonomous district in the Legislative Assembly of the State of Assam shall bear to the total number of seats in that Assembly a proportion not less than the population of the district bears to the total population of the State.

(5) The constituencies for the seats reserved for any autonomous district of Assam shall not comprise any area outside that district^{3***}.

(6) No person who is not a member of a Scheduled Tribe of any autonomous district of the State of Assam shall be eligible for election to the Legislative Assembly of the State from any constituency of that district^{3***}.

333. Representation of the Anglo-Indian community in the Legislative Assemblies of the States.— Notwithstanding anything in article 170, the Governor^{4***} of a State may, if he is of opinion that the Anglo-Indian community needs representation in the Legislative Assembly of the State and is not adequately represented therein, ⁵[nominate one member of that community to the Assembly].

334. Reservation of seats and special representation to cease after ⁶[fifty years].— Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Part, the provisions of this Constitution relating to—

(a) the reservation of seats for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the House of the People and in the Legislative Assemblies of States; and

(b) the representation of the Anglo-Indian community in the House of the People and in the Legislative Assemblies of the States by nomination,

shall cease to have effect on the expiration of a period of ⁶[fifty years] from the commencement of this Constitution :

Provided that nothing in this article shall affect any representation in the House of the People or in the Legislative Assembly of a State until the dissolution of the then existing House or Assembly, as the case may be.

1. Ins. by the Constitution (Fifty-seventh Amendment) Act, 1987, s. 2 (w.e.f. 21-9-1987).

2. Ins. by the Constitution (Seventy-second Amendment) Act, 1992, s. 2 (w.e.f. 5-12-1992).

3. Certain words omitted by Act 81 of 1971, s. 71 (w.e.f. 21-1-1972).

4. The words "or Rajpramukh" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch.

5. Subs. by the Constitution (Twenty-third Amendment) Act, 1969, s. 4, for certain words (w.e.f. 23-1-1970).

6. Subs. by the Constitution (Sixty-second Amendment) Act, 1989, s. 2, for "forty years" (w.e.f. 20-12-1989).

(3) खंड (1) के अधीन किसी राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य बढी होगा जो, यथास्थिति, उस राज्य की अनुसूचित जातियों की अथवा उस राज्य की या उस राज्य के भाग की अनुसूचित जनजातियों की, जिनके संबंध में स्थान इस प्रकार आरक्षित हैं, जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है।

1[(3क) खंड (3) में किसी बात के होते हुए भी, सन् 2000 के पश्चात् की गई पहली जनगणना के आधार पर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैण्ड राज्यों की विधान सभाओं में स्थानों की संख्या के अनुच्छेद 170 के अधीन, पुनः समायोजन के प्रभावी होने तक, जो स्थान ऐसे किसी राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाएंगे वे—

(क) यदि संविधान (सत्तावनवां संशोधन) अधिनियम, 1987 के प्रवृत्त होने की तारीख को ऐसे राज्य की विद्यमान विधान सभा में (जिसे इस खंड में इसके पश्चात् विद्यमान विधान सभा कहा गया है) सभी स्थान अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा धारित हैं तो, एक स्थान को छोड़कर सभी स्थान होंगे; और

(ख) किसी अन्य दशा में, उतने स्थान होंगे, जिनकी संख्या का अनुपात, स्थानों की कुल संख्या के उस अनुपात से कम नहीं होगा जो विद्यमान विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की (उक्त तारीख को यथाविद्यमान) संख्या का अनुपात विद्यमान विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या से है।]

2[(3ख) खंड (3) में किसी बात के होते हुए भी, सन् 2000 के पश्चात् की गई पहली जनगणना के आधार पर, त्रिपुरा राज्य की विधान सभा में स्थानों की संख्या के, अनुच्छेद 170 के अधीन, पुनः समायोजन के प्रभावी होने तक, जो स्थान उस विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाएंगे वे उतने स्थान होंगे जिनकी संख्या का अनुपात, स्थानों की कुल संख्या के उस अनुपात से कम नहीं होगा जो विद्यमान विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की, संविधान (बहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रवृत्त होने की तारीख को यथाविद्यमान संख्या का अनुपात उक्त तारीख को उस विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या से है।]

(4) असम राज्य की विधान सभा में किसी स्वशासी जिले के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या के उस अनुपात से कम नहीं होगा जो उस जिले की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है।

(5) 3*** असम के किसी स्वशासी जिले के लिए आरक्षित स्थानों के निर्वाचन-क्षेत्रों में उस जिले के बाहर का कोई क्षेत्र समाविष्ट नहीं होगा।

(6) कोई व्यक्ति जो असम राज्य के किसी स्वशासी जिले की अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, इस राज्य की विधान सभा के लिए 3*** उस जिले के किसी निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा।

333. राज्यों की विधान सभाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व—अनुच्छेद 170 में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी राज्य के राज्यपाल 4*** की यह राय है कि उस राज्य की विधान सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है और उसमें उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह उस विधान सभा में 5[उस समुदाय का एक सदस्य नामनिर्देशित कर सकेगा]।

334. स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 6[पचास वर्ष] के पश्चात् न रहना—इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) लोक सभा में और राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण संबंधी, और

(ख) लोक सभा में और राज्यों की विधान सभाओं में नामनिर्देशन द्वारा आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी, इस संविधान के उपबंध इस संविधान के प्रारम्भ से 6[पचास वर्ष] की अवधि की समाप्ति पर प्रभाव नहीं रहेंगे :

परन्तु इस अनुच्छेद की किसी बात से लोक सभा में या किसी राज्य की विधान सभा में किसी प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक, यथास्थिति, उस समय, विद्यमान लोक सभा या विधान सभा का विघटन नहीं हो जाता है।

* * * * *

1. संविधान (सत्तावनवां संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 2 द्वारा (21-9-1987 से) अंतःस्थापित।
 2. संविधान (बहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 की धारा 2 द्वारा (5-12-1992 से) अंतःस्थापित।
 3. 1971 के अधिनियम सं० 81 की धारा 71 द्वारा कुछ शब्दों का (21-1-1972 से) लोप किया गया।
 4. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा "या राजप्रमुख" शब्दों का लोप किया गया।
 5. संविधान (वैईसवां संशोधन) अधिनियम, 1969 की धारा 4 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर (23-1-1970 से) प्रतिस्थापित।
 6. संविधान (बसठवां संशोधन) अधिनियम, 1989 की धारा 2 द्वारा "चालीस वर्ष" के स्थान पर (20-12-1989 से) प्रतिस्थापित।

(PART I)

341. Scheduled Castes.—(1) The President ¹[may with respect to any State ²[or Union territory], and where it is a State ^{3***} after consultation with the Governors ^{4***} thereof,] by public notification⁵, specify the castes, races or tribes or parts of or groups within castes, races or tribes which shall for the purposes of this Constitution be deemed to be Scheduled Castes in relation to that State ²[or Union territory, as the case may be].

(2) Parliament may by law include in or exclude from the list of Scheduled Castes specified in a notification issued under clause (1) any caste, race or tribe or part of or group within any caste, race or tribe, but save as aforesaid a notification issued under the said clause shall not be varied by any subsequent notification.

342. Scheduled Tribes.—(1) The President ⁶[may with respect to any State ²[or Union territory], and where it is a State ^{3***}, after consultation with the Governor ^{4***} thereof,] by public notification⁵, specify the tribes or tribal communities or parts of or groups within tribes or tribal communities which shall for the purposes of this Constitution be deemed to be Scheduled Tribes in relation to that State ²[or Union territory, as the case may be].

(2) Parliament may by law include in or exclude from the list of Scheduled Tribes specified in a notification issued under clause (1) any tribe or tribal community or part of or group within any tribe or tribal community, but save as aforesaid a notification issued under the said clause shall not be varied by any subsequent notification.

* * * * *

EMERGENCY PROVISIONS

* * * * *

356. Provisions in case of failure of constitutional machinery in States.—(1) If the President on receipt of a report from the Governor ^{4***} of a State or otherwise, is satisfied that a situation has arisen in which the Government of the State cannot be carried on in accordance with the provisions of this Constitution, the President may by Proclamation—

(a) assume to himself all or any of the functions of the Government of the State and all or any of the powers vested in or exercisable by the Governor ^{4***} or any body or authority in the State other than the Legislature of the State;

(b) declare that the powers of the Legislature of the State shall be exercisable by or under the authority of Parliament;

(c) make such incidental and consequential provisions as appear to the President to be necessary or desirable for giving effect to the objects of the Proclamation, including provisions for suspending in whole or in part the operation of any provisions of this Constitution relating to any body or authority in the State :

1. Subs. by the Constitution (First Amendment) Act, 1951, s. 10, for "may, after consultation with the Governor or Rajpramukh of a State".

2. Ins. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch.

3. The words and letters "specified in Part A or Part B of the First Schedule" omitted by s. 29 and Sch., *ibid.*

4. The words "or Rajpramukh" omitted by s. 29 and Sch., *ibid.*

5. See Manual of Election Law, Vol. I, Part III, *infra.*

6. Subs. by the Constitution (First Amendment) Act, 1951, s. 11, for "may, after consultation with the Governor or Rajpramukh of a State,".

341. अनुसूचित जातियाँ—(1) राष्ट्रपति [किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र] के संबंध में और जहाँ वह *** राज्य है वहाँ उसके राज्यपाल **** से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा, उन जातियों, मूलवंशों या जनजातियों, अथवा जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भागों या उनमें के यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, [यथास्थिति] उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जातियाँ समझा जाएगा।

(2) संसद, विधि द्वारा, किसी जाति, मूलवंश या जनजाति को अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें के यूथ को खंड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चात्वर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

342. अनुसूचित जनजातियाँ—(1) राष्ट्रपति, [किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र] के संबंध में और जहाँ वह *** राज्य है वहाँ उसके राज्यपाल **** से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा, उन जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनमें के यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, [यथास्थिति] उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजातियाँ समझा जाएगा।

(2) संसद, विधि द्वारा, किसी जनजाति या जनजाति समुदाय को अथवा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें के यूथ को खंड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चात्वर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

* * * * *

आपात् उपबंध

* * * * *

356. राज्यों में सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की वशा में उपबंध—(1) यदि राष्ट्रपति का, किसी राज्य के राज्यपाल **** से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा, यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जितमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा—

(क) उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य और राज्यपाल **** में या राज्य के विधान मंडल से भिन्न राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी में निहित या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी या कोई शक्तियाँ अपने हाथ में ले सकेगा ;

(ख) यह घोषणा कर सकेगा कि राज्य के विधान-मंडल की शक्तियाँ संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोक्तव्य होंगी ;

(ग) राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी से संबंधित इस संविधान के किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन को पूर्णतः या भागतः निलंबित करने के लिए उपबंधों सहित ऐसे आनुपंगिक और परिणामिक उपबंध कर सकेगा जो उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी करने के लिए राष्ट्रपति को आवश्यक या वाछनीय प्रतीत हों :

1. संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 की धारा 10 द्वारा "राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख से परामर्श करने के पश्चात्" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा अंतःस्थापित।
3. पूर्वोक्त की धारा 29 और अनुसूची द्वारा "पहली अनुसूची के भाग क या भाग ख में निर्दिष्ट" शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया।
4. पूर्वोक्त की धारा 29 और अनुसूची द्वारा या "राजप्रमुख" शब्दों का लोप किया गया।
5. निर्वाचन विधि निदेशिका जिल्द 3 का भाग 3 देखिए।
6. संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 की धारा 22 द्वारा "राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख से परामर्श करने के पश्चात्" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

Provided that nothing in this clause shall authorise the President to assume to himself any of the powers vested in or exercisable by a High Court, or to suspend in whole or in part the operation of any provision of this Constitution relating to High Courts.

(2) Any such Proclamation may be revoked or varied by a subsequent Proclamation.

(3) Every Proclamation under this article shall be laid before each House of Parliament and shall, except where it is a Proclamation revoking a previous Proclamation, cease to operate at the expiration of two months unless before the expiration of that period it has been approved by resolutions of both Houses of Parliament:

Provided that if any such Proclamation (not being a Proclamation revoking a previous Proclamation) is issued at a time when the House of the People is dissolved or the dissolution of the House of the People takes place during the period of two months referred to in this clause, and if a resolution approving the Proclamation has been passed by the Council of States, but no resolution with respect to such Proclamation has been passed by the House of the People before the expiration of that period, the Proclamation shall cease to operate at the expiration of thirty days from the date on which the House of the People first sits after its reconstitution unless before the expiration of the said period of thirty days a resolution approving the Proclamation has been also passed by the House of the People.

(4) A Proclamation so approved shall, unless revoked, cease to operate on the expiration of a period of ¹[six months from the date of issue of the Proclamation]:

Provided that if and so often as a resolution approving the continuance in force of such a Proclamation is passed by both Houses of Parliament, the Proclamation shall, unless revoked, continue in force for a further period of ²[six months] from the date on which under this clause it would otherwise have ceased to operate, but no such Proclamation shall in any case remain in force for more than three years :

Provided further that if the dissolution of the House of the People takes place during any such period of ²[six months] and a resolution approving the continuance in force of such Proclamation has been passed by the Council of States, but no resolution with respect to the continuance in force of such Proclamation has been passed by the House of the People during the said period, the Proclamation shall cease to operate at the expiration of thirty days from the date on which the House of the People first sits after its reconstitution unless before the expiration of the said period of thirty days a resolution approving the continuance in force of the Proclamation has been also passed by the House of the People.

³[Provided also that in the case of the Proclamation issued under clause (1) on the 11th day of May, 1987 with respect to the State of Punjab, the reference in the first proviso to this clause to "three years" shall be construed as a reference to ⁴[five years].]

⁵(5) Notwithstanding anything contained in clause (4), a resolution with respect to the continuance in force of a Proclamation approved under clause (3) for any period beyond the expiration of one year from the date of issue of such Proclamation shall not be passed by either House of Parliament unless—

(a) a Proclamation of Emergency is in operation, in the whole of India or, as the case may be, in the whole or any part of the State, at the time of the passing of such resolution, and

(b) the Election Commission certifies that the continuance in force of the Proclamation approved under clause (3) during the period specified in such resolution is necessary on account of difficulties in holding general elections to the Legislative Assembly of the State concerned:]

⁴[Provided that nothing in this clause shall apply to the Proclamation issued under clause (1) on the 11th day of May, 1987 with respect to the State of Punjab.]

* * * * *

1. Subs. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 38, for "one year from the date of the passing of the second of the resolutions approving the Proclamation under clause (3)" (w.e.f. 20-6-1979).
2. Subs. by s. 38, *ibid.*, for "one year" (w.e.f. 20-6-1979).
3. Ins. by the Constitution (Sixty-fourth Amendment) Act, 1990, s. 2.
4. Successively subs. by the Constitution (Sixty-seventh Amendment) Act, 1990, s. 2 (w.e.f. 4-10-1990) and the Constitution (Sixty-eighth Amendment) Act, 1991, s. 2 to read as above (w.e.f. 12-3-1991).
5. Subs. by the Constitution (Sixty-fourth Amendment) Act, 1990, s. 38, for cl.(5) (w.e.f. 20-6-1979).

परंतु इस खंड की कोई बात राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय में निहित या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य किसी शक्ति को अपने हाथ में लेने या उच्च न्यायालयों से संबंधित इस संविधान के किसी उपबंध के प्रवर्तन को पूर्णतः या भागतः निलंबित करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी।

(2) ऐसी कोई उद्घोषणा किसी पश्चात्बर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस ली जा सकेगी या उसमें परिवर्तन किया जा सकेगा।

(3) इस अनुच्छेद के अधीन की गई प्रत्येक उद्घोषणा संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी और जहां वह पूर्ववर्ती उद्घोषणा को वापस लेने वाली उद्घोषणा नहीं है वहां वह दो मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद् के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है :

परंतु यदि ऐसी कोई उद्घोषणा (जो पूर्ववर्ती उद्घोषणा को वापस लेने वाली उद्घोषणा नहीं है) उस समय की जाती है जब लोक सभा का विघटन हो गया है या लोक सभा का विघटन इस खंड में निर्दिष्ट दो मास की अवधि के दौरान हो जाता है और यदि उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया है किन्तु ऐसी उद्घोषणा के संबंध में कोई संकल्प लोक सभा द्वारा उस अवधि की समाप्ति से पहले पारित नहीं किया गया है तो, उद्घोषणा उस तारीख से जिसको लोक सभा अपने पुनर्गठन के पश्चात् प्रथम बार बैठती है, तीस दिन की समाप्ति पर, प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प लोक सभा द्वारा भी पारित नहीं कर दिया जाता है।

(4) इस प्रकार अनुमोदित उद्घोषणा, यदि वापस नहीं ली जाती है तो, [ऐसी उद्घोषणा के किए जाने की तारीख से छह मास] की अवधि की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी :

परंतु यदि और जितनी बार ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प संसद् के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो और उतनी बार वह उद्घोषणा, यदि वापस नहीं ली जाती है तो, उस तारीख से जिसको वह इस खंड के अधीन अन्यथा प्रवर्तन में नहीं रहती, [छह मास] की और अवधि तक प्रवृत्त बनी रहेगी, किन्तु ऐसी उद्घोषणा किसी भी दशा में तीन वर्ष से अधिक प्रवृत्त नहीं रहेगी :

परन्तु यह और कि यदि लोक सभा का विघटन [छह मास] की ऐसी अवधि के दौरान हो जाता है और ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया है, किन्तु ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखने के संबंध में कोई संकल्प लोक सभा द्वारा उक्त अवधि के दौरान पारित नहीं किया गया है तो, उद्घोषणा उस तारीख से, जिसको लोक सभा अपने पुनर्गठन के पश्चात् प्रथम बार बैठती है, तीस दिन की समाप्ति पर, प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प लोक सभा द्वारा भी पारित नहीं कर दिया जाता है।

³[परंतु यह भी कि पंजाब राज्य की बाबत 11 मई, 1987 को खंड (1) के अधीन की गई उद्घोषणा की दशा में, इस खंड के पहले परंतुक में "तीन वर्ष" के प्रति निर्देश का इस प्रकार अर्थ लगाया जाएगा मानो वह [पांच वर्ष] के प्रति निर्देश हो।]

³(5) खंड (4) में किसी बात के होते-हुए भी, खंड (3) के अधीन अनुमोदित उद्घोषणा, के किए जाने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति से आगे किसी अवधि के लिए ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखने के संबंध में कोई संकल्प संसद् के किसी सदन द्वारा तभी पारित किया जाएगा जब—

(क) ऐसे संकल्प के पारित किए जाने के समय आपात को उद्घोषणा, परास्मिती, संयुक्त भारत में अवधिपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग में प्रवर्तन में है; और

(ख) निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर देता है कि ऐसे संकल्प में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान खंड (3) के अधीन अनुमोदित उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखना, संबंधित राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन कराने में कठिनाइयों के कारण, आवश्यक है] :

⁴[परंतु इस खंड की कोई बात पंजाब राज्य की बाबत 11 मई, 1987 को खंड (1) के अधीन की गई उद्घोषणा को लागू नहीं होगी।]

- * * * * *
1. संविधान (चौसठवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 38 द्वारा "खण्ड (3) के अधीन उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्पों में से दूसरे के पारित हो जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि" के स्थान पर (20-6-1979 से) प्रतिस्थापित।
 2. संविधान (चौसठवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 38 द्वारा "एक वर्ष" के स्थान पर (20-6-1979 से) प्रतिस्थापित।
 3. संविधान (चौसठवां संशोधन) अधिनियम, 1990 की धारा 2 द्वारा (16-4-1990 से) अंतःस्थापित।
 4. संविधान (सड़सठवां संशोधन) अधिनियम, 1990 की धारा 2 द्वारा (4-10-1990 से) और उत्पश्चात् संविधान (अड़सठवां संशोधन) अधिनियम, 1991 की धारा 2 द्वारा (12-3-1991 से) संशोधित होकर वर्तमान रूप में आया।
 5. संविधान (चौसठवां संशोधन) अधिनियम, 1990 की धारा 38 द्वारा खंड (5) के स्थान पर (20-6-1979 से) प्रतिस्थापित।

(PART I)

* * * * *
TEMPORARY, TRANSITIONAL AND SPECIAL PROVISIONS
* * * * *

¶371F. Special provisions with respect to the State of Sikkim.—Notwithstanding anything in this Constitution,—

(a) the Legislative Assembly of the State of Sikkim shall consist of not less than thirty members;

(b) as from the date of commencement of the Constitution (Thirty-sixth Amendment) Act, 1975 (hereafter in this article referred to as the appointed day)—

(i) the Assembly for Sikkim formed as a result of the elections held in Sikkim in April, 1974 with thirty-two members elected in the said elections (hereinafter referred to as the sitting members) shall be deemed to be the Legislative Assembly of the State of Sikkim duly constituted under this Constitution;

(ii) the sitting members shall be deemed to be the members of the Legislative Assembly of the State of Sikkim duly elected under this Constitution; and

(iii) the said Legislative Assembly of the State of Sikkim shall exercise the powers and perform the functions of the Legislative Assembly of a State under this Constitution;

(c) in the case of the Assembly deemed to be the Legislative Assembly of the State of Sikkim under clause (b), the references to the period of ²[five years] in clause (1) of article 172 shall be construed as references to a period of ³[four years] and the said period of ³[four years] shall be deemed to commence from the appointed day;

(d) until other provisions are made by Parliament by law, there shall be allotted to the State of Sikkim one seat in the House of the People and the State of Sikkim shall form one parliamentary constituency to be called the parliamentary constituency for Sikkim;

(f) Parliament may, for the purpose of protecting the rights and interests of the different sections of the population of Sikkim make provision for the number of seats in the Legislative Assembly of the State of Sikkim which may be filled by candidates belonging to such sections and for the delimitation of the assembly constituencies from which candidates belonging to such sections alone may stand for election to the Legislative Assembly of the State of Sikkim;

¶371G. Special provision with respect to the State of Mizoram.—Notwithstanding anything in this Constitution,—

(a) no Act of Parliament in respect of—

(i) religious or social practices of the Mizos,

(ii) Mizo customary law and procedure,

(iii) administration of civil and criminal justice involving decisions according to Mizo customary law,

(iv) ownership and transfer of land,

shall apply to the State of Mizoram unless the Legislative Assembly of the State of Mizoram by a resolution so decides :

Provided that nothing in this clause shall apply to any Central Act in force in the Union territory of Mizoram immediately before the commencement of the Constitution (Fifty-third Amendment) Act, 1986;

(b) the Legislative Assembly of the State of Mizoram shall consist of not less than forty members.]

¶371H. Special provision with respect to the State of Arunachal Pradesh.—Notwithstanding anything in this Constitution,—

(a) the Governor of Arunachal Pradesh shall have special responsibility with respect to law and order in the State of Arunachal Pradesh and in the discharge of his functions in relation thereto, the Governor shall, after consulting the Council of Ministers, exercise his individual judgment as to the action to be taken :

1. Ins. by the Constitution (Thirty-sixth Amendment) Act, 1975, s. 3 (w.e.f. 26-4-1975).

2. Subs. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 43, for "six years" (w.e.f. 6-9-1979).

3. Subs. by s. 43, *ibid.*, for "five years" (w.e.f. 6-9-1979).

4. Ins. by the Constitution (Fifty-third Amendment) Act, 1986, s. 2 (w.e.f. 20-2-1987).

5. Ins. by the Constitution (Fifty-fifth Amendment) Act, 1986, s. 2 (w.e.f. 20-2-1987).

* * * * *

अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध

* * * * *

¹[371च. सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध—इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) सिक्किम राज्य की विधान सभा कम से कम तीस सदस्यों से मिलकर बनेगी ;

(ख) संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 के प्रारंभ को तारीख से (जिसे इस अनुच्छेद में इसके पश्चात् नियत दिन कहा गया है)—

(i) सिक्किम की विधान सभा, जो अप्रैल, 1974 में सिक्किम में हुए निर्वाचनों के परिणामस्वरूप उक्त निर्वाचनों में निर्वाचित वृत्तीय सदस्यों से (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् आसीन सदस्य कहा गया है) मिलकर बनी है, इस संविधान के अधीन सम्यक् रूप से गठित सिक्किम राज्य की विधान सभा समझी जाएगी ;

(ii) आसीन सदस्य इस संविधान के अधीन सम्यक् रूप से निर्वाचित सिक्किम राज्य की विधान सभा के सदस्य समझे जाएंगे; और

(iii) सिक्किम राज्य की उक्त विधान सभा इस संविधान के अधीन राज्य की विधान सभा की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगी ;

(ग) खंड (ख) के अधीन सिक्किम राज्य की विधान सभा समझी गई विधान सभा की दशा में, अनुच्छेद 172 के खंड (1) में ²[पांच वर्ष] की अवधि के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे [चार वर्ष] की अवधि के प्रति निर्देश हैं और ³[चार वर्ष] की उक्त अवधि नियत दिन से प्रारंभ हुई समझी जाएगी ;

(घ) जब तक संसद् विधि द्वारा अन्य उपबंध नहीं करती है तब तक सिक्किम राज्य को लोक सभा में एक स्थान आवंटित किया जाएगा और सिक्किम राज्य एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र होगा जिसका नाम सिक्किम संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र होगा ;

* * * * *

(च) संसद्, सिक्किम की जनता के विभिन्न अनुभागों के अधिकारों और हितों की संरक्षा करने के प्रयोजन के लिए सिक्किम राज्य की विधान सभा में उन स्थानों की संख्या के लिए जो ऐसे अनुभागों के अभ्यर्थियों द्वारा भरे जा सकेंगे और ऐसे सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के लिए, जिससे केवल ऐसे अनुभागों के अभ्यर्थी ही सिक्किम राज्य की विधान सभा के निर्वाचन के लिए खड़े हो सकेंगे, उपबंध कर सकेंगे।

* * * * *

⁴[371छ. मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध—इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,—]

(क) निम्नलिखित के संबंध में संसद् का कोई अधिनियम मिजोरम राज्य को तब तक लागू नहीं होगा जब तक मिजोरम राज्य की विधान सभा संकल्प द्वारा ऐसा विनिश्चय नहीं करती है, अर्थात् :—

(i) मिजो लोगों की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएं ;

(ii) मिजो रूढ़िजन्य विधि और प्रक्रिया ;

(iii) सिविल और वांडिक न्याय प्रशासन, जहां विनिश्चय मिजो रूढ़िजन्य विधि के अनुसार होने है ;

(iv) भूमि का स्वामित्व और अंतरण ;

परंतु इस खंड की कोई बात, संविधान (तिरपनवा संशोधन) अधिनियम, 1986 के प्रारंभ से ठीक पहले मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त किसी केंद्रीय अधिनियम को लागू नहीं होगी।

(ख) मिजोरम राज्य की विधान सभा कम से कम चालीस सदस्यों से मिलकर बनेगी।

⁵[371ज. अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध—इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल का अरुणाचल प्रदेश राज्य में विधि और व्यवस्था के संबंध में विशेष उत्तरदायित्व रहेगा और राज्यपाल, उस संबंध में अपने कृत्यों का निर्वहन करने में की जाने वाली कार्रवाई के बारे में अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग मंत्रि-परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् करेगा :

1. संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 3 द्वारा (26-4-1975 से) अन्तःस्थापित।
2. संविधान (चत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 43 द्वारा "छह वर्ष" के स्थान पर (6-9-1979 से) प्रतिस्थापित।
3. पूर्वोक्त की धारा 43 द्वारा "पांच वर्ष" के स्थान पर (6-9-1979 से) प्रतिस्थापित।
4. संविधान (तिरपनवा संशोधन) अधिनियम, 1986 की धारा 2 द्वारा (20-2-1987 से) अन्तःस्थापित।
5. संविधान (पचपनवा संशोधन) अधिनियम, 1986 की धारा 2 द्वारा (20-2-1987 से) अन्तःस्थापित।

(PART I)

Provided that if any question arises whether any matter is or is not a matter as respects which the Governor is under this clause required to act in the exercise of his individual judgment, the decision of the Governor in his discretion shall be final, and the validity of anything done by the Governor shall not be called in question on the ground that he ought or ought not to have acted in the exercise of his individual judgment:

Provided further that if the President on receipt of a report from the Governor or otherwise is satisfied that it is no longer necessary for the Governor to have special responsibility with respect to law and order in the State of Arunachal Pradesh, he may by order direct that the Governor shall cease to have such responsibility with effect from such date as may be specified in the order;

(b) the Legislative Assembly of the State of Arunachal Pradesh shall consist of not less than thirty members.]

[371-I. Special provision with respect to the State of Goa.—Notwithstanding anything in this Constitution, the Legislative Assembly of the State of Goa shall consist of not less than thirty members.]

* * * * *

THIRD SCHEDULE
[Articles ** 99 ** 188**]†
Forms of Oaths or Affirmations

* * * * *

‡[III
A

Form of oath or affirmation to be made by a candidate for election to Parliament :—

“I, A. B., having been nominated as a candidate to fill a seat in the Council of States (or the House of the People), do swear in the name of God solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and that I will uphold the sovereignty and integrity of India”.

* * * * *

‡[VII
A

Form of oath or affirmation to be made by a candidate for election to the Legislature of a State :—

“I, A. B., having been nominated as a candidate to fill a seat in the Legislative Assembly (or Legislative Council), do swear in the name of God solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and that I will uphold the sovereignty and integrity of India.”

* * * * *

1. Ins. by the Constitution (Fifty-sixth Amendment) Act, 1987, s. 2 (w.e.f. 30-5-1987).

†See also Articles 84(a) and 173(a).

2. Subs. by the Constitutions (Sixteenth Amendment) Act, 1963, s.5.

परन्तु यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई मामला ऐसा मामला है या नहीं जिसके संबंध में राज्यपाल से इस खंड के अधीन अपेक्षा की गई है कि वह अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करके कार्य करे तो राज्यपाल का अपने विवेक से किया गया विनिश्चय अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की विधिमान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि उसे अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करके कार्य करना चाहिए या नहीं :

परन्तु यह और कि यदि राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि अब यह आवश्यक नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में विधि और व्यवस्था के संबंध में राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व रहे तो वह, आदेश द्वारा, निदेश दे सकेगा कि राज्यपाल का ऐसा उत्तरदायित्व उस तारीख से नहीं रहेगा जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए;

(ख) अरुणाचल प्रदेश राज्य की विधान सभा कम से कम तीस सदस्यों में मिलकर बनेगी ।]

[371B. गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध— इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, गोवा राज्य की विधान सभा कम से कम तीस सदस्यों से मिलकर बनेगी ।]

* * * * *

तीसरी अनुसूची

[अनुच्छेद** 99** और 188**]†

शपथ या प्रतिज्ञान के प्रपत्र

* * * * *

3[3

क

संसद के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्ररूप :—

“मैं, अमक, जो राज्य सभा (या लोक सभा) में स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित हुआ ईश्वर की शपथ लेता हूँ

हूँ— कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ

रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा ।”

* * * * *

3[7

क

किसी राज्य के विधान-मंडल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्ररूप:—

“मैं, अमक, — जो विधान-सभा (या विधान परिषद्) में स्थान भरने के लिए ईश्वर की शपथ लेता हूँ

अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित हुआ हूँ — कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संवि- सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ

धान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा ।”

* * * * *

1. संविधान (छपनवां संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 2 द्वारा (30-5-1987 से) प्रतः स्थापित ।]

†. अनुच्छेद 84(क) और 173(क) भी देखिए ।

2. संविधान (सोलहवां संशोधन) अधिनियम, 1963 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(PART I)

[FOURTH SCHEDULE

[Articles 4(1) and 80(2)]

Allocation of seats in the Council of States

To each State or Union territory specified in the first column of the following table, there shall be allotted the number of seats specified in the second column thereof opposite to that State or that Union territory, as the case may be:

TABLE

1. Andhra Pradesh	18
2. Assam	7
3. Bihar	22
4.] Goa	1]
5.] Gujarat	11]
6.] Haryana	5]
7.] Kerala	9
8.] Madhya Pradesh	16
9.] Tamil Nadu]	7]
10.] Maharashtra	19]
11.] Karnataka]	12
12.] Orissa	10
13.] Punjab	7]
14.] Rajasthan	10
15.] Uttar Pradesh	34
16.] West Bengal	16
17.] Jammu and Kashmir	4
18.] Nagaland	1]
19.] Himachal Pradesh	3]
20.] Manipur	1]
21.] Tripura	1
22.] Meghalaya	1

1. Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 3.
2. Ins. by Act 18 of 1987, s. 6 (w.e.f. 30-5-1987).
3. Subs. by Act 11 of 1960, s. 6, for entry relating to Gujarat (w.e.f. 1-5-1960).
4. Entries 4 to 26 renumbered as entries 5 to 27 respectively by Act 18 of 1987, s. 6 (w.e.f. 30-5-1987).
5. Ins. by Act 31 of 1966, s. 9 (w.e.f. 1-11-1966).
6. Subs. by Act 53 of 1968, s. 5, for "8. Madras" (w.e.f. 14-1-1969).
7. Subs. by Act 56 of 1959, s. 8, for "17." (w.e.f. 1-4-1960).
8. Ins. by Act 11 of 1960, s. 6 (w.e.f. 1-5-1960).
9. Subs. by Act 31 of 1973, s. 5, for "10. Mysore" (w.e.f. 7-11-1973).
10. Subs. by Act 31 of 1966, s. 9, for "11" (w.e.f. 1-11-1966).
11. Ins. by Act 27 of 1962, s. 6 (w.e.f. 1-12-1963).
12. Ins. by Act 53 of 1970, s. 5 (w.e.f. 25-1-1971).
13. Subs. by Act 81 of 1971, s. 10, for entries relating to Manipur, Tripura, Meghalaya, Delhi and Pondicherry (w.e.f. 21-1-1972).

(भाग 1)

चौथी अनुसूची

[अनुच्छेद 1(1) और अनुच्छेद 80(2)]

राज्य सभा में स्थानों का आबंटन

निम्नलिखित सारणी के पहले स्तंभ में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को उतने स्थान आबंटित किए जाएंगे जितने उसके दूसरे स्तंभ में, यथास्थिति, उस राज्य या उस संघ राज्यक्षेत्र के सामने विनिर्दिष्ट हैं।

सारणी

1. आंध्र प्रदेश		18
2. असम	①	7
3. बिहार		22
४[4.] गोवा		1]
४[5.] गुजरात		11]
४[6.] हरियाणा		5]
४[7.] केरल		9
४[8.] मध्य प्रदेश		16
४[9.] तमिलनाडु]		7[18]
४[10.] महाराष्ट्र		19]
४[11.] कर्नाटक]		12
४[12.] उड़ीसा		10
४[13.] पंजाब		10[7]
४[14.] राजस्थान		10
४[15.] उत्तर प्रदेश		34
४[16.] पश्चिमी बंगाल		16
४[17.] जम्मू कश्मीर		4
11[18.] नागालैंड		1]
1३[19.] हिमाचल प्रदेश		3]
1३[20.] मणिपुर		1]
४[21.] त्रिपुरा		1
४[22.] मेघालय		1]

1. संविधान (सप्तवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. 1987 के अधिनियम सं० 18 की धारा 6 द्वारा (30-5-1987 से) अंतःस्थापित।
3. 19६० के अधिनियम सं० 11 की धारा 6 द्वारा (1-5-1960 से) गुजरात संबंधी प्रविष्टि के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. 19६७ के अधिनियम सं० 18 की धारा 6 द्वारा (30-5-1987 से) 4 से 26 तक की प्रविष्टियां 5 से 27 तक की प्रविष्टियों के रूप में पुनःसंख्यांकित।
5. 1966 के अधिनियम सं० 31 की धारा 9 द्वारा (1-11-1966 से) अंतःस्थापित।
6. 1968 के अधिनियम सं० 53 की धारा 5 द्वारा (14-1-1969 से) "8. मद्रास" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
7. 1959 के अधिनियम सं० 56 की धारा 8 द्वारा (1-4-1960 से) "17" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
8. 1960 के अधिनियम सं० 11 की धारा 6 द्वारा (1-5-1960 से) अंतःस्थापित।
9. 1973 के अधिनियम सं० 31 की धारा 5 द्वारा (1-11-1973 से) "10. मैसूर" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
10. 1966 के अधिनियम सं० 31 की धारा 9 द्वारा (1-11-1966 से) "11" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
11. 1962 के अधिनियम सं० 27 की धारा 6 द्वारा (1-12-1963 से) अंतःस्थापित।
12. 1970 के अधिनियम सं० 53 की धारा 5 द्वारा (25-1-1971 से) अंतःस्थापित।
13. 1971 के अधिनियम सं० 81 की धारा 10 द्वारा (21-1-1972 से) मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, दिल्ली और पांडिचेरी संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(PART I)

¶[23.]	Sikkim	1]
¶[24.]	Mizoram	1]
¶[25.]	Arunachal Pradesh	1]
¶[26.]	Delhi	3
¶[27.]	Pondicherry	1
Total=		5[223]]

¶TENTH SCHEDULE

[Articles 102(2) and 191(2)]

Provisions as to disqualification on ground of defection

1. Interpretation.—In this Schedule, unless the context otherwise requires,—

(a) “House” means either House of Parliament or the Legislative Assembly or, as the case may be, either House of the Legislature of a State;

(b) “legislature party”, in relation to a member of a House belonging to any political party in accordance with the provisions of paragraph 2 or paragraph 3 or, as the case may be, paragraph 4, means the group consisting of all the members of that House for the time being belonging to that political party in accordance with the said provisions;

(c) “original political party”, in relation to a member of a House, means the political party to which he belongs for the purposes of sub-paragraph (1) of paragraph 2;

(d) “paragraph” means a paragraph of this Schedule.

2. Disqualification on ground of defection.—(1) Section to the provisions of paragraphs 3, 4 and 5, a member of a House belonging to any political party shall be disqualified for being a member of the House—

(a) if he has voluntarily given up his membership of such political party; or

(b) if he votes or abstains from voting in such House contrary to any direction issued by the political party to which he belongs or by any person or authority authorised by it in this behalf, without obtaining, in either case, the prior permission of such political party, person or authority and such voting or abstention has not been condoned by such political party, person or authority within fifteen days from the date of such voting or abstention.

Explanation.—For the purposes of this sub-paragraph,—

(a) an elected member of a House shall be deemed to belong to the political party, if any, by which he was set up as a candidate for election as such member;

1. Ins. by the Constitution (Thirty-sixth Amendment) Act, 1975, s. 4 (w.e.f. 26-4-1975).

2. Entries 4 to 26 renumbered as entries 5 to 27 respectively by Act 18 of 1987, s. 6 (w.e.f. 30-5-1987).

3. Ins. by Act 34 of 1986, s. 5 (w.e.f. 20-2-1987).

4. Ins. by Act 69 of 1986, s. 5 (w.e.f. 20-2-1987).

5. Subs. by Act 18 of 1987, s. 6, for “232” (w.e.f. 30-5-1987).

6. Subs. by the Constitution (fifty-second Amendment) Act, 1985, s. 6 (w.e.f. 1-3-1985).

4[23.] सिक्किम	1]
3[24.] मिजोरम	1]
4[25.] जरणाचल प्रदेश	1]
2[26.] दिल्ली	3
2[27.] पांडिचेरी	1]

योग: 5[233]]

* * * * *

दसवीं अनुसूची

[अनुच्छेद 102(2) और अनुच्छेद 101(2)]

दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में उपबंध

1. निर्वाचन—इस अनुसूची में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—

(क) "सदन" से संसद् का कोई सदन या किसी राज्य की, यथास्थिति, विधान सभा या, विधान-मंडल का कोई सदन अभिप्रेत है;

(ख) सदन के किसी ऐसे सदस्य के संबंध में जो, यथास्थिति, पैरा 2 या पैरा 3 या पैरा 4 के उपबंधों के अनुसार किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, "विधान-दल" से, उस सदन के ऐसे सभी सदस्यों का समूह अभिप्रेत है जो उक्त उपबंधों के अनुसार तत्समय उस राजनीतिक दल के सदस्य हैं;

(ग) सदन के किसी सदस्य के संबंध में, "मूल राजनीतिक दल" से ऐसा राजनीतिक दल अभिप्रेत है जिसका वह पैरा 2 के उपपैरा (1) के प्रयोजनों के लिए सदस्य है;

(घ) "पैरा" से इस अनुसूची का पैरा अभिप्रेत है।

2. दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता—(1) पैरा 3, पैरा 4 और पैरा 5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सदन का कोई सदस्य, जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, सदन का सदस्य होने के लिए उस दशा में निरर्हित होगा जिसमें—

(क) उसने ऐसे राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी है; या

(ख) वह ऐसे राजनीतिक दल द्वारा जिसका वह सदस्य है अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी निदेश के विरुद्ध, ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी की पूर्ण अनुज्ञा के बिना, ऐसे सदन में मतदान करता है या मतदान करने से विरत रहता है और ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने को ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी ने ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर माफ नहीं किया है।

स्पष्टीकरण—इस उपपैरा के प्रयोजनों के लिए—

(क) सदन के किसी निर्वाचित सदस्य के बारे में यह समझा जाएगा कि वह ऐसे राजनीतिक दल का, यदि कोई हो, सदस्य है जितने उसे ऐसे सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में खड़ा किया था;

-
1. संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 4 द्वारा (26-4-1975 से) संत:स्थापित।
 2. 1987 के अधिनियम सं० 18 की धारा 6 द्वारा (30-5-1987 से) 4 से 26 तक की प्रविष्टियों 5 से 27 तक की प्रविष्टियों के रूप में पुनः संशोधित।
 3. 1986 के अधिनियम सं० 34 की धारा 5 द्वारा (20-2-1987 से) संत:स्थापित।
 4. 1986 के अधिनियम सं० 69 की धारा 5 द्वारा (20-2-1987 से) संत:स्थापित।
 5. 1987 के अधिनियम सं० 18 की धारा 6 द्वारा (30-5-1987 से) "232" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
 6. संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 की धारा 6 द्वारा (1-3-1985 से) संत:स्थापित।

(PART I)

(b) a nominated member of a House shall,—

(i) where he is a member of any political party on the date of his nomination as such member, be deemed to belong to such political party;

(ii) in any other case, be deemed to belong to the political party of which he becomes, or, as the case may be, first becomes, a member before the expiry of six months from the date on which he takes his seat after complying with the requirements of article 99 or, as the case may be, article 188.

(2) An elected member of a House who has been elected as such otherwise than as a candidate set up by any political party shall be disqualified for being a member of the House if he joins any political party after such election.

(3) A nominated member of a House shall be disqualified for being a member of the House if he joins any political party after the expiry of six months from the date on which he takes his seat after complying with the requirements of article 99 or, as the case may be, article 188.

(4) Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this paragraph, a person who, on the commencement of the Constitution (Fifty-second Amendment) Act, 1985, is a member of a House (whether elected or nominated as such) shall,—

(i) where he was a member of a political party immediately before such commencement, be deemed, for the purposes of sub-paragraph (1) of this paragraph, to have been elected as a member of such House as a candidate set up by such political party;

(ii) in any other case, be deemed to be an elected member of the House who has been elected as such otherwise than as a candidate set up by any political party for the purposes of sub-paragraph (2) of this paragraph or, as the case may be, be deemed to be a nominated member of the House for the purposes of sub-paragraph (3) of this paragraph.

3. Disqualification on ground of defection not to apply in case of split.—Where a member of a House makes a claim that he and any other members of his legislature party constitute the group representing a faction which has arisen as a result of a split in his original political party and such group consists of not less than one-third of the members of such legislature party,—

(a) he shall not be disqualified under sub-paragraph (1) of paragraph 2 on the ground—

(i) that he has voluntarily given up his membership of his original political party;
or

(ii) that he has voted or abstained from voting in such House contrary to any direction issued by such party or by any person or authority authorised by it in that behalf without obtaining the prior permission of such party, person or authority and such voting or abstention has not been condoned by such party, person or authority within fifteen days from the date of such voting or abstention; and

(b) from the time of such split, such faction shall be deemed to be the political party to which he belongs for the purposes of sub-paragraph (1) of paragraph 2 and to be his original political party for the purposes of this paragraph.

4. Disqualification on ground of defection not to apply in case of merger.—(1) A member of a House shall not be disqualified under sub-paragraph (1) of paragraph 2 where his original political party merges with another political party and he claims that he and any other members of his original political party—

(a) have become members of such other political party or, as the case may be, of a new political party formed by such merger; or

(ख) सदन के किसी नामनिर्देशित सदस्य के बारे में,—

(i) उस दशा में, जिसमें वह ऐसे सदस्य के रूप में अपने नामनिर्देशन की तारीख को किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, यह समझा जाएगा कि वह ऐसे राजनीतिक दल का सदस्य है;

(ii) किसी अन्य दशा में, यह समझा जाएगा कि वह उस राजनीतिक दल का सदस्य है जिसका, यथास्थिति, अनुच्छेद 99 या अनुच्छेद 188 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के पश्चात् अपना स्थान ग्रहण करने की तारीख से छह मास की समाप्ति के पूर्व वह, यथास्थिति, सदस्य बनता है या पहली बार बनता है।

(2) सदन का कोई निर्वाचित सदस्य, जो किसी राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी से भिन्न रूप में सदस्य निर्वाचित हुआ है, सदन का सदस्य होने के लिए निरहित होगा यदि वह ऐसे निर्वाचन के पश्चात् किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है।

(3) सदन का कोई नामनिर्देशित सदस्य, सदन का सदस्य होने के लिए निरहित होगा यदि वह, यथास्थिति, अनुच्छेद 99 या अनुच्छेद 188 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के पश्चात् अपना स्थान ग्रहण करने की तारीख से छह मास की समाप्ति के पश्चात् किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है।

(4) इस पैरा के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो, संविधान (बाबनवा संशोधन) अधिनियम, 1985 के प्रारंभ पर, सदन का सदस्य है (चाहे वह निर्वाचित सदस्य ही या नामनिर्देशित) —

(i) उस दशा में, जिसमें वह ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले किसी राजनीतिक दल का सदस्य था वहाँ, इस पैरा के उपपैरा (1) के प्रयोजनों के लिए, यह समझा जाएगा कि वह ऐसे राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी के रूप में ऐसे सदन का सदस्य निर्वाचित हुआ है;

(ii) किसी अन्य दशा में, यथास्थिति, इस पैरा के उपपैरा (2) के प्रयोजनों के लिए, यह समझा जाएगा कि वह सदन का ऐसा निर्वाचित सदस्य है जो किसी राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी से भिन्न रूप में सदस्य निर्वाचित हुआ है या, इस पैरा के उपपैरा (3) के प्रयोजनों के लिए, यह समझा जाएगा कि वह सदन का नामनिर्देशित सदस्य है।

3. दल परिवर्तन के आधार पर निरहता का दल विभाजन की दशा में लागू न होना—जहाँ सदन का कोई सदस्य यह दावा करता है कि वह और उसके विधान-दल के कोई अन्य सदस्य ऐसे गुट का प्रतिनिधित्व करने वाला समूह गठित करते हैं जो उसके मूल राजनीतिक दल के विभाजन के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ है और ऐसे समूह में ऐसे विधान-दल के कम से कम एक-तिहाई सदस्य हैं वहाँ—

(क) वह पैरा 2 के उपपैरा (1) के अधीन इस आधार पर निरहित नहीं होगा कि—

(i) उसने अपने मूल राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी है; या

(ii) उसने ऐसे दल द्वारा अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी निदेश के विरुद्ध, ऐसे दल, व्यक्ति या प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना, ऐसे सदन में मतदान किया है या वह मतदान करने से विरत रहा है और ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने को ऐसे दल, व्यक्ति या प्राधिकारी ने ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर माफ नहीं किया है; और

(ख) ऐसे दल विभाजन के समय से, ऐसे गुट के बारे में यह समझा जाएगा कि वह, पैरा 2 के उपपैरा (1) के प्रयोजनों के लिए, ऐसा राजनीतिक दल है जिसका वह सदस्य है और वह इस पैरा के प्रयोजनों के लिए उसका मूल राजनीतिक दल है।

4. दल परिवर्तन के आधार पर निरहता का विलय की दशा में लागू न होना—(1) सदन का कोई सदस्य पैरा 2 के उपपैरा (1) के अधीन निरहित नहीं होगा यदि उसके मूल राजनीतिक दल का किसी अन्य राजनीतिक मंडल विलय हो जाता है और वह यह दावा करता है कि वह और उसके मूल राजनीतिक दल के अन्य सदस्य—

(क) यथास्थिति, ऐसे अन्य राजनीतिक दल के या ऐसे विलय से बने नए राजनीतिक दल के सदस्य बन गए हैं; या

(PART I)

(b) have not accepted the merger and opted to function as a separate group,

and from the time of such merger, such other political party or new political party or group, as the case may be, shall be deemed to be the political party to which he belongs for the purposes of sub-paragraph (1) of paragraph 2 and to be his original political party for the purposes of this sub-paragraph.

(2) For the purposes of sub-paragraph (1) of this paragraph, the merger of the original political party of a member of a House shall be deemed to have taken place if, and only if, not less than two-thirds of the members of the legislature party concerned have agreed to such merger.

5. **Exemption.**—Notwithstanding anything contained in this Schedule, a person who has been elected to the office of the Speaker or the Deputy Speaker of the House of the People or the Deputy Chairman of the Council of States or the Chairman or the Deputy Chairman of the Legislative Council of a State or the Speaker or the Deputy Speaker of the Legislative Assembly of a State, shall not be disqualified under this Schedule,—

(a) if he, by reason of his election to such office, voluntarily gives up the membership of the political party to which he belonged immediately before such election and does not, so long as he continues to hold such office thereafter, rejoin that political party or become a member of another political party; or

(b) if he, having given up by reason of his election to such office his membership of the political party to which he belonged immediately before such election, rejoins such political party after he ceases to hold such office.

6. **Decision on questions as to disqualification on ground of defection.**—(1) If any question arises as to whether a member of a House has become subject to disqualification under this Schedule, the question shall be referred for the decision of the Chairman or, as the case may be, the Speaker of such House and his decision shall be final:

Provided that where the question which has arisen is as to whether the Chairman or the Speaker of a House has become subject to such disqualification, the question shall be referred for the decision of such member of the House as the House may elect in this behalf and his decision shall be final.

(2) All proceedings under sub-paragraph (1) of this paragraph in relation to any question as to disqualification of a member of a House under this Schedule shall be deemed to be proceedings in Parliament within the meaning of article 122 or, as the case may be, proceedings in the Legislature of a State within the meaning of article 212.

7. **Bar of jurisdiction of courts.**—Notwithstanding anything in this Constitution, no court shall have any jurisdiction in respect of any matter connected with the disqualification of a member of a House under this Schedule.

8. **Rules.**—(1) Subject to the provisions of sub-paragraph (2) of this paragraph, the Chairman or the Speaker of a House may make rules for giving effect to the provisions of this Schedule, and in particular, and without prejudice to the generality of the foregoing, such rules may provide for—

(a) the maintenance of registers or other records as to the political parties, if any, to which different members of the House belong;

(b) the report which the leader of a legislature party in relation to a member of a House shall furnish with regard to any condonation of the nature referred to in clause (b) of sub-paragraph (1) of paragraph 2 in respect of such member, the time within which and the authority to whom such report shall be furnished;

(c) the reports, which a political party shall furnish with regard to admission to such political party of any members of the House and the officer of the House to whom such reports shall be furnished; and

(PART I)

(d) the procedure for deciding any question referred to in sub-paragraph (1) of paragraph 6 including the procedure for any inquiry which may be made for the purpose of deciding such question.

(2) The rules made by the Chairman or the Speaker of a House under sub-paragraph (1) of this paragraph shall be laid as soon as may be after they are made before the House for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and shall take effect upon the expiry of the said period of thirty days unless they are sooner approved with or without modifications or disapproved by the House and where they are so approved, they shall take effect on such approval in the form in which they were laid or in such modified form, as the case may be, and where they are so disapproved, they shall be of no effect.

(3) The Chairman or the Speaker of a House may, without prejudice to the provisions of article 105 or, as the case may be, article 194, and to any other power which he may have under this Constitution direct that any wilful contravention by any person of the rules made under this paragraph may be dealt with in the same manner as a breach of privilege of the House.]

(घ) पैरा 6 के उपपैरा (1) में निर्दिष्ट किसी प्रश्न का विनिश्चय करने की प्रक्रिया जिसके अंतर्गत ऐसी जांच की प्रक्रिया है, जो ऐसे प्रश्न का विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए की जाए।

(2) सदन के सभापति या अध्यक्ष द्वारा इस पैरा के उपपैरा (1) के अधीन बनाए गए नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, सदन के समक्ष, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखे जाएंगे। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। वे नियम तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति पर प्रभावी होंगे जब तक कि उनका सदन द्वारा परिवर्तनों सहित या उनके बिना पहले ही अनुमोदन या अननुमोदन नहीं कर दिया जाता है। यदि वे नियम इस प्रकार अनुमोदित कर दिए जाते हैं तो वे, यथास्थिति, ऐसे रूप में जिसमें वे रखे गए थे या ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होंगे। यदि नियम इस प्रकार अननुमोदित कर दिए जाते हैं तो वे निष्प्रभाव हो जाएंगे।

(3) सदन का सभापति या अध्यक्ष, यथास्थिति, अनुच्छेद 105 या अनुच्छेद 194 के उपबन्धों पर और किसी ऐसी अन्य शक्ति पर जो उसे इस संविधान के अधीन प्राप्त है, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यह निदेश दे सकेगा कि इस पैरा के अधीन बनाए गए नियमों के किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर किए गए किसी उल्लंघन के बारे में उली रीति से कार्रवाई की जाए जिस रीति से सदन के विशेषाधिकार के भंग के बारे में की जाती है।]

भाग 2

संसद् के अधिनियम

PART II

Acts of Parliament

PART II
ACTS OF PARLIAMENT

EXTRACTS FROM THE INDIAN PENAL CODE

(ACT 45 OF 1860)

* * * * *

153A. Promoting enmity between different groups on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, etc., and doing acts prejudicial to maintenance of harmony.—(1) Whoever—

(a) by words, either spoken or written, or by signs or by visible representations or otherwise, promotes or attempts to promote, on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, caste or community or any other ground whatsoever, disharmony or feelings of enmity, hatred or ill-will between different religious, racial, language or regional groups or castes or communities, or

(b) commits any act which is prejudicial to the maintenance of harmony between different religious, racial, language or regional groups or castes or communities, and which disturbs or is likely to disturb the public tranquillity, [or]

(c) organizes any exercise, movement, drill or other similar activity intending that the participants in such activity shall use or be trained to use criminal force or violence or knowing it to be likely that the participants in such activity will use or be trained to use criminal force or violence, participates in such activity intending to use or be trained to use criminal force or violence or knowing it to be likely that the participants in such activity will use or be trained to the use criminal force or violence, against any religious, racial, language or regional group or caste or community and such activity for any reason whatsoever causes or is likely to cause fear or alarm or a feeling of insecurity amongst members of such religious, racial, language or regional group or caste or community,

shall be punished with imprisonment which may extend to three years, or with fine, or with both.

Offence committed in place of worship, etc.—(2) Whoever commits an offence specified in sub-section (1) in any place of worship or in any assembly engaged in the performance of religious worship or religious ceremonies, shall be punished with imprisonment which may extend to five years and shall also be liable to fine.]

153B. Imputations, assertions prejudicial national integration.—(1) Whoever, by words either spoken or written or by signs or by visible representations or otherwise,—

(a) makes or publishes any imputation that any class of persons cannot, by reason of their being members of any religious, racial, language or regional group or caste or community, bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established or uphold the sovereignty and integrity of India, or

1. Subs. by Act 35 of 1969, s. 2, for s. 153A.

2. Ins. by Act 31 of 1972, s. 2.

संसद के अधिनियम

भारतीय दण्ड संहिता (1860 का अधिनियम संख्यांक 45) से उद्धरण

153क. धर्म, मूलवंश, भाषा, जन्म-स्थान, निवास-स्थान इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना—(1) जो कोई—

(क) बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपणों द्वारा या अन्यथा विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूहों, जातियों या समुदायों के बीच सौहार्द अथवा शत्रुता, घृणा या बंमनस्य की भावनाएं, धर्म, मूलवंश, जन्म-स्थान, निवास-स्थान, भाषा, जाति या समुदाय के आधारों पर या अन्य किसी भी आधार पर संप्रवर्तित करेगा या संप्रवर्तित करने का प्रयत्न करेगा, अथवा

(ख) कोई ऐसा कार्य करेगा जो विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूहों या जातियों या समुदायों के बीच सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है और लोक-प्रशान्ति में विघ्न डालता है या जिससे उसमें विघ्न पड़ना सम्भाव्य हो; अथवा]

(ग) कोई ऐसा अभ्यास, आन्दोलन, कवायद या अन्य वैया ही क्रियाकलाप इस आशय से संचालित करेगा कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे या यह सम्भाव्य जानते हुए संचालित करेगा कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक मूलवंशीय भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे अथवा ऐसे क्रियाकलाप में इस आशय से भाग लेगा कि किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए या यह सम्भाव्य जानते हुए भाग लेगा कि ऐसे क्रियाकलाप में भाग लेने वाले व्यक्ति किसी धार्मिक या मूलवंशीय भाषाई, प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के विरुद्ध आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे या प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे और ऐसे क्रियाकलाप से ऐसे धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्यों के बीच, चाहे किसी भी कारण से, भय या संदास या अनुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है या उत्पन्न होनी सम्भाव्य है,

वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुमनि से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

(2) पूजा के स्थान आदि में किया गया अपराध—जो कोई उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अपराध किसी पूजा के स्थान में या किसी जमाव में जो धार्मिक पूजा या धार्मिक कर्म करने में लगा हो, करेगा, वह कारावास से जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा और जुमनि से भी दंडनीय होगा।

153ख. राष्ट्रीय अखण्डता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन प्रारूपण—(1) जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपणों द्वारा या अन्यथा—

(क) ऐसा कोई लांछन लगाएगा या प्रकाशित करेगा कि किसी वर्ग के व्यक्ति इस कारण से कि वे किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्य हैं, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा नहीं रख सकते या भारत की प्रभुता और अखण्डता की मर्यादा नहीं बनाए रख सकते, अथवा

1. 1969 के अधिनियम सं० 35 की धारा 2 द्वारा धारा 153 क के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. 1972 के अधिनियम सं० 31 की धारा 2 द्वारा अन्तःस्थापित।

(PART II.—Acts of Parliament)

(b) asserts, counsels, advises, propagates or publishes that any class of persons shall, by reason of their being members of any religious, racial, language or regional group or caste or community, be denied or deprived of their rights as citizens of India, or

(c) makes or publishes any assertion, counsel, plea or appeal concerning the obligation of any class of persons, by reason of their being members of any religious, racial, language or regional group or caste or community, and such assertion, counsel, plea or appeal causes or is likely to cause disharmony or feelings of enmity or hatred or ill-will between such members and other persons,

shall be punished with imprisonment which may extend to three years, or with fine, or with both.

(2) Whoever commits an offence specified in sub-section (1), in any place of worship or in any assembly engaged in the performance of religious worship or religious ceremonies, shall be punished with imprisonment which may extend to five years and shall also be liable to fine.]

* * * * *

[CHAPTER IX A

OF OFFENCES RELATING TO ELECTIONS

171A. "Candidate", "Electoral right" defined.—For the purposes of this Chapter—

[(a) "candidate" means a person who has been nominated as a candidate at any election;]

(b) "electoral right" means the right of a person to stand, or not to stand as, or to withdraw from being a candidate or to vote or refrain from voting at an election.

171B. Bribery.—(1) Whoever—

(i) gives a gratification to any person with the object of inducing him or any other person to exercise any electoral right or of rewarding any person for having exercised any such right; or

(ii) accepts either for himself or for any other person any gratification as a reward for exercising any such right or for inducing or attempting to induce any other person to exercise any such right,

commits the offence of bribery:

Provided that a declaration of public policy or a promise of public action shall not be an offence under this section.

(2) A person who offers, or agrees to give, or offers or attempts to procure, a gratification shall be deemed to give a gratification.

(3) A person who obtains or agrees to accept or attempts to obtain a gratification shall be deemed to accept a gratification, and a person who accepts a gratification as a motive for doing what he does not intend to do, or as a reward for doing what he has not done, shall be deemed to have accepted the gratification as a reward.

171C. Undue influence at elections.—(1) Whoever voluntarily interferes or attempts to interfere with the free exercise of any electoral right commits the offence of undue influence at an election.

1. Ins. by Act 39 of 1920, s. 2.

2. Subs. by Act 40 of 1975, s. 9, for cl. (a) (w.e.f. 6-8-1975).

(ख) यह प्राख्यान करेगा, परामर्श देगा, सलाह देगा, प्रचार करेगा या प्रकाशित करेगा कि किसी वर्ग के व्यक्ति को, इस कारण कि वे किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्य हैं, भारत के नागरिक के रूप में उनके अधिकार न दिए जाए या उन्हें उनसे वंचित किया जाए, अथवा

(ग) किसी वर्ग के व्यक्तियों की, बाध्यता के संबंध में, इस कारण कि वे किसी धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूह या जाति या समुदाय के सदस्य हैं कोई प्राख्यान करेगा, परामर्श देगा, अभिवाक करेगा या अपील करेगा अथवा प्रकाशित करेगा और ऐसे प्राख्यान, परामर्श, अभिवाक या अपील से ऐसे सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों के बीच असमंजस्य अथवा शत्रुता या घृणा या वैमनस्य की भावनाएं उत्पन्न होती हैं या उत्पन्न होनी संभाव्य हैं,

वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडित किया जाएगा।

(2) जो कोई उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कोई अपराध किसी उपासना स्थल में या धार्मिक उपासना अथवा धार्मिक कर्म करने में लगे हुए किसी जमाव में करेगा वह कारावास से, जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

* * * * *

अध्याय 9क

निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में

171क. "अभ्यर्थी", "निर्वाचन अधिकार" परिभाषित—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए—

¹[(क) "अभ्यर्थी" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है ;]

(ख) "निर्वाचन अधिकार" से किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या खड़े न होने या अभ्यर्थना से अपना नाम घापस लेने या मत देने या मत देने से विरत रहने का किसी व्यक्ति का अधिकार अभिप्रेत है।

171ख. रिश्वत—(1) जो कोई—

(i) किसी व्यक्ति को इस उद्देश्य से परितोष देता है कि वह उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को किसी निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करे या किसी व्यक्ति को इसलिए इनाम दे कि उसने ऐसे अधिकार का प्रयोग किया है, अथवा

(ii) स्वयं अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई परितोषण ऐसे किसी अधिकार को प्रयोग में लाने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे किसी अधिकार को प्रयोग में लाने के लिए उत्प्रेरित करने या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करने के लिए इनाम के रूप में प्रतिगृहीत करता है,

वह रिश्वत का अपराध करता है :

परन्तु लोक नीति की घोषणा या लोक कार्यवाही का वचन इस धारा के अधीन अपराध न होगा।

(2) जो व्यक्ति परितोषण देने की प्रस्थापना करता है या देने को सहमत होता है या उपाप्त करने की प्रस्थापना या प्रयत्न करता है, यह समझा जाएगा कि वह परितोषण देता है।

(3) जो व्यक्ति परितोषण अभिप्राप्त करता है या प्रतिगृहीत करने को सहमत होता है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है, यह समझा जाएगा, कि वह परितोषण प्रतिगृहीत करता है और जो व्यक्ति वह बात करने के लिए जिसे करने का उसका आशय नहीं है, हेतुस्वरूप, या जो बात उसने नहीं की है उसे करने के लिए इनाम के रूप में परितोषण प्रतिगृहीत करता है, यह समझा जाएगा कि उसने परितोषण को इनाम के रूप में प्रतिगृहीत किया है।

171ग. निर्वाचनों में असम्यक् असर डालना—(1) जो कोई किसी निर्वाचन अधिकार के निर्वाचन प्रयोग में स्वैच्छया हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने का प्रयत्न करता है वह निर्वाचन में असम्यक् असर डालने का अपराध करता है।

1. 1920 के अधिनियम सं० 39 की धारा 2 द्वारा अध्याय 9क प्रस्तुतः स्थापित।

2. 1975 के अधिनियम सं० 40 की धारा 9 द्वारा (6-8-1975 से) खंड (क) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(PART II.—Acts of Parliament)

(2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), whoever—

(a) threatens any candidate or voter, or any person in whom a candidate or voter is interested, with injury of any kind, or

(b) induces or attempts to induce a candidate or voter to believe that he or any person in whom he is interested will become or will be rendered an object of Divine displeasure or of spiritual pleasure,

shall be deemed to interfere with the free exercise of the electoral right of such candidate or voter, within the meaning of sub-section (1).

(3) A declaration of public policy or a promise of public action, or the mere exercise of a legal right without intent to interfere with an electoral right, shall not be deemed to be interference within the meaning of this section.

171D. Personation at elections.—Whoever at an election applies for a voting paper or votes in the name of any other person, whether living or dead, or in a fictitious name, or who having voted once at such election applies at the same election for a voting paper in his own name, and whoever abets, procures or attempts to procure the voting by any person in any such way, commits the offence of personation at an election.

171E. Punishment for bribery.—Whoever commits the offence of bribery shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both:

Provided that bribery by treating shall be punished with fine only.

Explanation.—“Treating” means that form of bribery where the gratification consists in food, drink, entertainment, or provision.

171F. Punishment for undue influence or personation at an election.—Whoever commits the offence of undue influence or personation at an election shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.

171G. False statement in connection with an election.—Whoever with intent to affect the result of an election makes or publishes any statement purporting to be a statement of fact which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, in relation to the personal character or conduct of any candidate shall be punished with fine.

171H. Illegal payments, in connection with an election.—Whoever without the general or special authority in writing of a candidate incurs or authorises expenses on account of the holding of any public meeting, or upon any advertisement, circular or publication, or in any other way whatsoever for the purpose of promoting or procuring the election of such candidate, shall be punished with fine which may extend to five hundred rupees:

Provided that if any person having incurred any such expenses not exceeding the amount of ten rupees without authority obtains within ten days from the date on which such expenses were incurred the approval in writing of the candidate, he shall be deemed to have incurred such expenses with the authority of the candidate.

171-I. Failure to keep election accounts.—Whoever being required by any law for the time being in force or any rule having the force of law to keep accounts of expenses incurred at or in connection with an election fails to keep such accounts shall be punished with fine which may extend to five hundred rupees.]

* * * * *

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो कोई—

(क) किसी अभ्यर्थी या मतदाता को, या किसी ऐसे व्यक्ति को जिससे अभ्यर्थी या मतदाता हितबद्ध है, किसी प्रकार की अति करने की धमकी देता है, अथवा

(ख) किसी अभ्यर्थी या मतदाता को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि वह या कोई ऐसा व्यक्ति, जिससे वह हितबद्ध है, दैवी अप्रसाद या आध्यात्मिक परिनिन्दा का भाजन हो जाएगा या बना दिया जाएगा,

यह समझा जाएगा कि वह उपधारा (1) के अर्थ के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थी या मतदाता के निर्वाचन अधिकार के निर्वाध प्रयोग में हस्तक्षेप करता है।

(3) लोक नीति की बोधना या लोक कार्यवाही का बचन या किसी बंध अधिकार का प्रयोग मात्र, जो किसी निर्वाचन अधिकार में हस्तक्षेप करने के आशय के बिना है, इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत हस्तक्षेप करना नहीं समझा जाएगा।

171घ. निर्वाचनों में प्रतिरूपण—जो कोई किसी निर्वाचन में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, चाहे वह जीवित हो या मृत, या किसी कल्पित नाम से, मतपत्र के लिए आवेदन करता या मत देता है, या ऐसे निर्वाचन में एक बार मत दे चुकने के पश्चात् उसी निर्वाचन में अपने नाम से मतपत्र के लिए आवेदन करता है और जो कोई किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे प्रकार से मतदान को दुष्प्रेरित करता है उपाप्त करता है, या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, वह निर्वाचन में प्रतिरूपण का अपराध करता है।

171ङ. रिश्वत के लिए दण्ड—जो कोई रिश्वत का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा :

परन्तु सत्कार के रूप में रिश्वत केवल जुर्माने से ही दण्डित की जाएगी।

स्पष्टीकरण—“सत्कार” से रिश्वत का वह रूपा अभिप्रेत है जो परिशोधन दाय, पेय, मनोरंजन या रसद के रूप में है।

171च. निर्वाचन में असत्यक असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दण्ड—जो कोई किसी निर्वाचन में असत्यक असर डालने या प्रतिरूपण का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

171छ. निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन—जो कोई निर्वाचन के परिणाम पर प्रभाव डालने के आशय से किसी अभ्यर्थी के वैयक्तिक शील या आचरण के संबंध में तथ्य का कथन तात्पर्यित होने वाला कोई ऐसा कथन करेगा या प्रकाशित करेगा, जो मिथ्या है, और जिज्ञाता मिथ्या होगा वह जानता है या विश्वास करता है अथवा जिसके सत्य होने का वह विश्वास नहीं करता है, वह जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

171ज. निर्वाचन के सिलसिले में ध्वंस संवाय—जो कोई किसी अभ्यर्थी के साधारण या विशेष लिखित प्राधिकार के बिना ऐसे अभ्यर्थी का निर्वाचन अग्रसर करने या निर्वाचन करा देने के लिए कोई सार्वजनिक सभा करने में या किसी विज्ञापन, परिपत्र या प्रकाशन पर, या किसी भी अन्य ढंग से व्यय करेगा या करना प्राधिकृत करेगा, वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा:

परन्तु यदि कोई व्यक्ति, जिसने प्राधिकार के बिना कोई ऐसे व्यय किए हों, जो कुल मिलाकर दस रुपए से अधिक न हों, उस तारीख से जिस तारीख को ऐसे व्यय किए गए हों, दस दिन के भीतर उस अभ्यर्थी का लिखित अनुमोदन अभिप्राप्त कर ले, तो यह समझा जाएगा कि उसने ऐसे व्यय उस अभ्यर्थी के प्राधिकार से किए हैं।

171झ. निर्वाचन लेखा रखने में असफलता—जो कोई किसी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा या विधि का बल रखने वाले किसी नियम द्वारा इसके लिए अपेक्षित होते हुए कि वह निर्वाचन में या निर्वाचन के संबंध में किए गए व्ययों का लेखा रखे, ऐसा लेखा रखने में असफल रहेगा, वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का, हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।]

* * * * *

(PART II.—Acts of Parliament)

1505. Statements conducing to public mischief.—(1) Whoever makes, publishes or circulates any statement, rumour or report,—

(a) with intent to cause, or which is likely to cause, any officer, soldier, sailor or airman in the Army, Navy or Air Force of India to mutiny or otherwise disregard or fail in his duty as such; or

(b) with intent to cause, or which is likely to cause, fear or alarm to the public, or to any section of the public whereby any person may be induced to commit an offence against the State or against the public tranquillity; or

(c) with intent to incite, or which is likely to incite, any class or community of persons to commit any offence against any other class or community,

shall be punished with imprisonment which may extend to three years, or with fine, or with both

(2) **Statement creating or promoting enmity, hatred or ill-will between classes.**—Whoever makes, publishes or circulates any statement or report containing rumour or alarming news with intent to create or promote, or which is likely to create or promote, on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, caste or community or any other ground whatsoever, feelings of enmity, hatred or ill-will between different religious, racial, language or regional groups or castes or communities, shall be punished with imprisonment which may extend to three years, or with fine, or with both.

(3) **Offence under sub-section (2) committed in place of worship, etc.**—Whoever commits an offence specified in sub-section (2) in any place of worship or in any assembly engaged in the performance of religious worship or religious ceremonies, shall be punished with imprisonment which may extend to five years and shall also be liable to fine.

Exception.—It does not amount to an offence, within the meaning of this section, when the person making, publishing or circulating any such statement, rumour or report, has reasonable grounds for believing that such statement, rumour or report is true and makes, publishes or circulates it in good faith and without any such intent as aforesaid.

*

*

*

*

*

1505. लोक रिप्टिकारक वस्तव्य—(1) जो कोई किसी कथन, जनश्रुति या रिपोर्ट को,—

(क) इस आशय से कि, या जिसे यह संभाव्य हो कि, भारत की सेना, नौसेना या वायु सेना का कोई आफिसर, सैनिक, नाविक या वायुसैनिक विद्रोह करे, या अन्यथा वह अपने उस नाते अपने कर्तव्य की अवहेलना करे या, उसके पालन में असफल रहे, अथवा

(ख) इस आशय से कि, या जिसे यह सम्भाव्य हो कि, लोक या लोक के किसी भाग को ऐसा भय या संताप कारित हो जिसे कोई व्यक्ति राज्य के विरुद्ध या लोक प्रणालि के विरुद्ध अपराध करने के लिए उत्प्रेरित हो, अथवा

(ग) इस आशय से कि, या जिसे यह संभाव्य हो कि, उससे व्यक्तियों का कोई वर्ग या समुदाय किसी दूसरे वर्ग या समुदाय के विरुद्ध अपराध करने के लिए उदीप्त किया जाए,

रचेगा, प्रकाशित करेगा या परिचालित करेगा, वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या जुमनि से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

(2) विभिन्न वर्गों में शत्रुता, घृणा या वैमनस्य पैदा या संप्रवर्तित करने वाले कथन—जो कोई जनश्रुति या संवासकारी समाचार अंतर्विष्ट करने वाले किसी कथन या रिपोर्ट को, इस आशय से कि, या जिसे यह संभाव्य हो कि, विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय, भाषाई या प्रादेशिक समूहों या जातियों या समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या वैमनस्य को भावनाएं, धर्म, मूलवंश, जन्म-स्थान, निवास-स्थान, भाषा, जाति या समुदाय के आधारों पर या अन्य किसी भी आधार पर पैदा या संप्रवर्तित हो, रचेगा, प्रकाशित करेगा या परिचालित करेगा, वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या जुमनि से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

(3) पूजा के स्थान आदि में किया गया उपधारा (2) के अधीन अपराध—जो कोई उपधारा (2) में विनिदिष्ट अपराध किसी पूजा के स्थान में या किसी जमाव में, जो धार्मिक पूजा या धार्मिक कर्म करने में लगा हुआ हो, करेगा वह कारावास से, जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा और जुमनि से भी दण्डनीय होगा ।

अपवाद—ऐसा कोई कथन, जनश्रुति या रिपोर्ट इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत अपराध की कोटि में नहीं आती, जब उसे रचने वाले, प्रकाशित करने वाले या परिचालित करने वाले व्यक्ति के पास इस विश्वास के लिए युक्तियुक्त आधार हो कि ऐसा कथन, जनश्रुति या रिपोर्ट सत्य है और वह उसे सद्भावपूर्वक तथा पूर्वोक्त जैसे किसी आशय के बिना रचता है, प्रकाशित करता है या परिचालित करता है ।

* * * * *

THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE ACT, 1950

ARRANGEMENTS OF SECTIONS

PART I

PRELIMINARY

SECTIONS

1. Short title.
2. Definitions.

PART II

ALLOCATION OF SEATS AND DELIMITATION OF CONSTITUENCIES

The House of the People

3. Allocation of seats in the House of the People.
4. Filling of seats in the House of the People and Parliamentary Constituencies.
- 5-6. [*Repealed.*]

The State Legislative Assemblies

7. Total number of seats in Legislative Assemblies and Assembly Constituencies.
- 7A. Total number of seats in the Legislative Assembly of Sikkim and Assembly Constituencies.

The Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order

8. Consolidation of delimitation orders.
9. Power of Election Commission to maintain Delimitation Order up-to-date.
- 9A. Power of Election Commission to determine the constituencies to be reserved for Scheduled Tribes in certain States.
- 9B. Power of Election Commission to determine certain Constituencies to be reserved for Scheduled Tribes in the State of Tripura.

The State Legislative Councils

10. Allocation of seats in the Legislative Councils.
11. Delimitation of Council constituencies.

Provisions as to orders delimiting constituencies

12. Power to alter or amend orders.
13. Procedure as to orders delimiting constituencies:

PART IIA

OFFICERS

- 13A. Chief electoral officers.
- 13AA. District election officers.
- 13B. Electoral registration officers.
- 13C. Assistant electoral registration officers.

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950

धाराओं का क्रम

भाग 1

प्रारम्भिक

धाराएं

1. संक्षिप्त नाम ।
2. परिभाषाएं ।

भाग 2

स्थानों का आवंटन और निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन

लोक सभा

3. लोक सभा में स्थानों का आवंटन ।
4. लोक सभा में स्थानों का भरा जाना और संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र ।
- 5-6. [भिरसित] ।

राज्य विधान सभाएं

7. विधान सभाओं में स्थानों की कुल संख्या तथा सभा निर्वाचन-क्षेत्र ।
- 7क. सिक्किम की विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या और सभा निर्वाचन-क्षेत्र ।

संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश

8. परिसीमन आदेशों का समेकन ।
9. निर्वाचन आयोग की परिसीमन आदेश को अद्यतन बनाए रखने की शक्ति ।
- 9क. निर्वाचन आयोग की कुछ राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाने वाले निर्वाचन-क्षेत्रों का अवधारण करने की शक्ति ।
- 9ख. निर्वाचन आयोग की त्रिपुरा राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाने वाले कुछ निर्वाचन-क्षेत्रों का अवधारण करने की शक्ति ।

राज्य विधान परिषदें

10. विधान परिषदों में के स्थानों का आवंटन ।
11. परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन ।

निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन करने वाले आदेशों के बारे में उपबन्ध

12. आदेशों को परिवर्तित या संशोधित करने की शक्ति ।
13. निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन करने वाले आदेशों के बारे में प्रक्रिया ।

भाग 2क

आफिसर

- 13क. मुख्य निर्वाचन आफिसर ।
- 13कक. जिला निर्वाचन आफिसर ।
- 13ख. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर ।
- 13ग. सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर ।

SECTIONS

13CC. Chief electoral officers, district election officers, etc., deemed to be on deputation to Election Commission.

PART IIB

ELECTORAL ROLLS FOR PARLIAMENTARY CONSTITUENCIES

13D. Electoral rolls for parliamentary constituencies.

PART III

ELECTORAL ROLLS FOR ASSEMBLY CONSTITUENCIES

14. Definitions.

15. Electoral roll for every constituency.

16. Disqualifications for registration in an electoral roll.

17. No person to be registered in more than one constituency.

18. No person to be registered more than once in any constituency.

19. Conditions of registration.

20. Meaning of "ordinarily resident".

21. Preparation and revision of electoral rolls.

22. Correction of entries in electoral rolls.

23. Inclusion of names in electoral rolls.

24. Appeals.

25. Fee for applications and appeals.

25A. Conditions of registration as elector in Sangha constituency in Sikkim.

PART IV

ELECTORAL ROLLS FOR COUNCIL CONSTITUENCIES

26. [*Repealed.*]

27. Preparation of electoral rolls for Council constituencies.

PART IVA

MANNER OF FILLING SEATS IN THE COUNCIL OF STATES TO BE FILLED BY REPRESENTATIVES OF UNION TERRITORIES

27A. Constitution of electoral colleges for the filling of seats in the Council of States allotted to Union territories.

27B—27F. [*Repealed.*]

27G. Termination of membership of electoral college for certain disqualifications.

27H. Manner of filling of seats in the Council of States allotted to Union territories.

27I. [*Repealed.*]

27J. Power of electoral colleges to elect notwithstanding vacancies therein.

27K. [*Repealed.*]

PART V

GENERAL

28. Power to make rules.

29. Staff of local authorities to be made available.

30. Jurisdiction of civil courts barred.

धाराएं

13गग. मुख्य निर्वाचन अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों, आदि का निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझा जाना ।

भाग 2ब

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियां

13घ. संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियां ।

भाग 3

सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियां]

14. परिभाषाएं ।
15. हर निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली ।
16. निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए निरर्हताएं ।
17. एक से अधिक निर्वाचन-क्षेत्र में किसी व्यक्ति का नाम रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा ।
18. किसी निर्वाचन-क्षेत्र में कोई व्यक्ति एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा ।
19. रजिस्ट्रीकरण की शर्तें ।
20. "भामूली तौर से निवासी" का अर्थ ।
21. निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और पुनरीक्षण ।
22. निर्वाचक नामावलियों में की प्रविष्टियों की शुद्धि ।
23. निर्वाचक नामावलियों में नामों का सम्मिलित किया जाना ।
24. अपीलें ।
25. आवेदनों और अपीलों के लिए फीस ।
- 25क. सिम्बिकम के संघ निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकरण की शर्तें ।

भाग 4

परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियां

26. [निरसित] ।
27. परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियों की तैयारी ।

भाग 4क

संघ राज्यक्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले राज्य सभा में के स्थानों को भरने की रीति

- 27क. संघ राज्यक्षेत्रों को आबंटन में मिले राज्य सभा में के स्थानों को भरने के लिए निर्वाचकगणों का गठन ।
- 27ख.-27च. [निरसित ।]
- 27छ. कतिपय निरर्हताओं के लिए निर्वाचकगण की सदस्यता का पर्यबसान ।
- 27ज. संघ राज्यक्षेत्रों को आबंटन में मिले राज्य सभा में के स्थानों को भरने की रीति ।
- 27झ. [निरसित ।]
- 27ञ. निर्वाचकगणों में रिक्तियां होते हुए भी उनकी निर्वाचन करने की शक्ति ।
- 27ट. [निरसित ।]

भाग 5

साधारण

28. नियम बनाने की शक्ति ।
29. स्थानीय प्राधिकारियों के कर्मचारियों का उपलब्ध किया जाना ।
30. सिविल न्यायालयों की अधिकारिता बजित ।

SECTIONS

31. Making false declarations.

32. Breach of official duty in connection with the preparation, etc., of electoral rolls.

THE FIRST SCHEDULE.—ALLOCATION OF SEATS IN THE HOUSE OF THE PEOPLE.

THE SECOND SCHEDULE.—TOTAL NUMBER OF SEATS IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLIES.

THE THIRD SCHEDULE.—ALLOCATION OF SEATS IN THE LEGISLATIVE COUNCILS.

THE FOURTH SCHEDULE.—LOCAL AUTHORITIES FOR PURPOSES OF ELECTIONS TO LEGISLATIVE COUNCILS.

THE FIFTH SCHEDULE.—[Repealed.]

THE SIXTH SCHEDULE.—[Repealed.]

THE SEVENTH SCHEDULE.—[Repealed.]

धाराएं

31. मिथ्या घोषणाएं करना ।
32. निर्वाचक नामावलियों की तैयारी आदि से संसक्त पदीय कर्तव्यों का भंग ।
 - प्रथम अनुसूची—लोक सभा में स्थानों का आवंटन ।
 - द्वितीय अनुसूची—विधान सभाओं में स्थान की कुल संख्या ।
 - तृतीय अनुसूची—विधान परिषदों में के स्थानों का आवंटन ।
 - चतुर्थ अनुसूची—विधान परिषदों के लिए निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए स्थानीय प्राधिकारी ।
 - पंचम अनुसूची—[निरसित ।]
 - षष्ठ अनुसूची—[निरसित ।]
 - सप्तम अनुसूची—[निरसित ।]

THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE ACT, 1950
(43 OF 1950)

[12th May, 1950.]

An Act to provide the allocation of seats in and the delimitation of constituencies for the purpose of election to, the House of the People and the Legislatures of States, the qualifications of voters at such elections, the preparation of electoral rolls, ¹[the manner of filling seats in the Council of States to be filled by representatives of ²[Union territories], and matters connected therewith.

BE it enacted by Parliament as follows:—

PART I
PRELIMINARY

1. **Short title.**—This Act may be called the Representation of the People Act, 1950.
2. **Definitions.**—³*** In this Act, unless the context otherwise requires,—
 - (a) “article” means an article of the Constitution;
 - (b) “Assembly constituency” means a constituency provided ⁴[by law] for the purpose of elections to the Legislative Assembly of a State;
 - (c) “Council constituency” means a constituency provided ⁵[by law] for the purpose of elections to the Legislative Council of a State;
* * * * *
 - (d) “Election Commission” means the Election Commission appointed by the President under article 324;
 - (e) “order” means an order published in the Official Gazette;
 - (f) “parliamentary constituency” means a constituency provided ⁷[by law] for the purpose of elections to the House of the People;
* * * * *
 - (g) “person” does not include a body of persons;
 - (h) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act;
 - ⁸[(i) “State” includes a Union territory;]
 - (j) “State Government”, in relation to a Union territory, means the administrator thereof.
* * * * *

-
1. Ins. by Act 73 of 1950, s. 2.
 2. Subs. by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956, for “Part C States”.
 3. The brackets and figure “(1)” omitted by Act 103 of 1956, s. 65.
 4. Subs. by Act 2 of 1956, s. 2, for “by order made under section 9”.
 5. Subs. by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956, for “by order made under section 11”.
 6. Cl. (cc) ins. by Act 73 of 1950, s. 3 and omitted by Act 103 of 1956, s. 65.
 7. Subs. by Act 2 of 1956, s. 2, for “by section 6 or by order made thereunder”.
 8. Cl. (ff) ins. by Act 67 of 1951, s. 2, was omitted by the North-Eastern Areas (Reorganisation) (Adaptation of Laws on Union Subjects) Order, 1974, s. 3 and Sch. (w.e.f. 21-1-1972).
 9. Subs. by the North-Eastern Areas (Reorganisation) (Adaptation of Laws on Union Subjects) Order, 1974, s. 3 and Sch., for the former cl. (i) (w.e.f. 21-1-1972).
 10. Sub-section (2) omitted by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956.

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950

(1950 का अधिनियम संख्यांक 43)

[12 मई, 1950]

लोक सभा और राज्यों के विधान-मण्डलों में स्थानों के आबंटन और उनके लिए निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन, ऐसे निर्वाचनों से मतदाताओं की ग्रहताओं, निर्वाचक नामावलियों की तैयारी,

1[राज्य सभा में 2[संघ राज्यक्षेत्रों] के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों को भरने की रीति] और तत्संबन्ध विषयों के लिए उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

भाग 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम—यह अधिनियम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 कहा जा सकेगा।
2. परिभाषाएं—*** इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;—
 - (क) “अनुच्छेद” से संविधान का अनुच्छेद अभिप्रेत है;
 - (ख) “सभा निर्वाचन-क्षेत्र” से राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ [विधि द्वारा उपबन्धित निर्वाचन-क्षेत्र अभिप्रेत है;
 - (ग) “परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र” से राज्य की विधान परिषद् के लिए निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ [“विधि द्वारा] उपबन्धित निर्वाचन-क्षेत्र अभिप्रेत है;
 - * * * * *
 - (घ) “निर्वाचन आयोग” से राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 324 के अधीन नियुक्त निर्वाचन आयोग अभिप्रेत है;
 - (ङ) “आदेश” से शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश अभिप्रेत है;
 - (च) “संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र” से लोक सभा के लिए निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ [विधि द्वारा] उपबन्धित निर्वाचन-क्षेत्र अभिप्रेत है;
 - * * * * *
 - (छ) “व्यक्ति” के अंतर्गत व्यक्तियों का निकाय नहीं आता है;
 - (ज) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
 - 3[स] “राज्य” के अंतर्गत कोई भी संघ राज्यक्षेत्र आता है;]
 - (झ) “राज्य सरकार” से किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में उक्तता प्रमाणक अभिप्रेत है।
 - 10*

1. 1950 के अधिनियम सं० 73 की धारा 2 द्वारा अस्तित्वस्थित।
2. विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा “भाग ग राज्यों” के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. 1956 के अधिनियम सं० 103 की धारा 65 द्वारा “(1)” कोष्ठकों और टुक का लोप किया गया।
4. 1956 के अधिनियम सं० 2 की धारा 2 द्वारा “धारा 9 के अधीन किए गए आदेश द्वारा” के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा “धारा 11 के अधीन किए गए आदेश द्वारा” के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. 1956 के अधिनियम सं० 103 की धारा 65 द्वारा खण्ड (ग) का लोप किया गया।
7. 1956 के अधिनियम सं० 2 की धारा 2 द्वारा “धारा 6 के द्वारा या उसके अधीन किए गए आदेश द्वारा” के स्थान पर प्रतिस्थापित।
8. 1951 के अधिनियम सं० 67 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड (च) का पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) (संघ विषयों पर विधि अनुकूलन) आदेश, 1974 द्वारा (21-1-1972 से) लोप किया गया।
9. पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) (संघ विषयों पर विधि अनुकूलन) आदेश, 1974 द्वारा पहले के खण्ड (स) के स्थान पर (21-1-1972 से) प्रतिस्थापित।
10. विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा उपधारा (2) का लोप किया गया।

Representation of the People Act, 1950
(PART II.—Acts of Parliament)

PART II.

ALLOCATION OF SEATS AND DELIMITATION OF CONSTITUENCIES

The House of the People

3. Allocation of seats in the House of the People.—The allocation of seats to the States in the House of the People and the number of seats, if any, to be reserved for the Scheduled Castes and for the Scheduled Tribes of each State shall be as shown in the First Schedule.

4. Filling of seats in the House of the People and parliamentary constituencies.—***

(2) All the seats in the House of the People allotted to the States under section 3 shall be seats to be filled by persons chosen by direct election from parliamentary constituencies in the States.]

(3) Every parliamentary constituency referred to in sub-section (2) shall be a single-member constituency.

(4) Every State to which only one seat is allotted under section 3 shall form one parliamentary constituency.

(5) Save as provided in sub-section (4), the extent of all parliamentary constituencies except the parliamentary constituencies in the Union territory of Arunachal Pradesh shall be as determined by the orders of the Delimitation Commission made under the provisions of the Delimitation Act, 1972 (76 of 1972) and the extent of the parliamentary constituencies in the Union territory of Arunachal Pradesh shall be as determined by the order of the Election Commission under the provisions of the Government of Union Territories Act, 1963 (20 of 1963).]

5. [Parliamentary constituencies.] *Rep. by the Representation of the People (Amendment) Act, 1956 (2 of 1956), s. 4.*

6. [Delimitation of parliamentary constituencies.] *Rep. by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956.*

The State Legislative Assemblies

7. Total number of seats in Legislative Assemblies and Assembly constituencies.—(1) [Subject to the provisions of [sub-sections (1A), (1B), and (1C)] the total number of seats] in the Legislative Assembly of each State specified in the Second Schedule, to be filled by persons chosen by direct election from assembly constituencies, and the number of seats, if any, to be reserved for the Scheduled Castes and for the Scheduled Tribes of the State, shall be as shown in that Schedule:

Provided that for the period referred to in clause (2) of article 371A, the total number of seats allotted to the Legislative Assembly of the State of Nagaland shall be [fifty-two], of which—

(a) [twelve seats] shall be allocated to the Tuensang district and shall be filled by persons chosen by the members of the regional council, referred to in that article, from amongst themselves in such manner as the Governor, after consulting that Council may, by notification in the Official Gazette, specify, and

1. Subs. by Act 47 of 1966, s. 2, for ss. 3 and 4 (w.e.f. 14-12-1966).
2. Sub-section (1) omitted by Act 29 of 1975, s. 11 (w.e.f. 15-8-1975).
3. Subs. by s. 11, *ibid.*, for sub-section (2) (w.e.f. 15-8-1975).
4. Subs. by Act 88 of 1976, s. 2, for sub-section (5).
5. Subs. by Act 47 of 1966, s. 4, for s. 7 (w.e.f. 14-12-1966). Original ss. 8 and 9 were rep. by Act 2 of 1956, s. 5 and the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956, respectively.
6. Subs. by Act 8 of 1980, s. 2, for certain words (w.e.f. 1-9-1979).
7. Subs. by Act 38 of 1992, s. 2, for "Sub-sections (1A) and (1B)" (w.e.f. 5-12-1992).
8. Subs. by Act 61 of 1968, s. 4, for "forty-six".
9. Subs. by s. 4, *ibid.*, for "six seats".

भाग 2

स्थानों का आबंटन और निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन

लोक सभा

1[3. लोक सभा में स्थानों का आबंटन—लोक सभा में राज्यों को स्थानों का आबंटन और हर एक राज्य की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रारक्षित किए जाने वाले स्थानों की, यदि कोई हों, संख्या वह होगी जो प्रथम अनुसूची में दर्शाित है।

4. लोक सभा में स्थानों का भरा जाना और संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र—* * *

४(2) राज्यों को धारा 3 के अधीन आबंटन में मिले लोक सभा में के सभी स्थान ऐसे स्थान होंगे जो राज्यों में के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे।]

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट हर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र एक सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र होगा।

(4) हर राज्य, जिसको धारा 3 के अधीन आबंटन में केवल एक स्थान मिला है, एक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र होगा।

५(5) उपधारा (4) में यथा उपबंधित के सिवाय, अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों को छोड़कर समस्त संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों का विस्तार ऐसा होगा जैसा परिसीमन अधिनियम, 1972 (1972 का 76) के उपबंधों के अधीन परिसीमन आयोग द्वारा किए गए आदेशों द्वारा प्रवर्धित किया गया हो और अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों का विस्तार ऐसा होगा जैसा संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20) के उपबंधों के अधीन निर्वाचन आयोग के आदेश द्वारा प्रवर्धित किया गया हो।]

5. [संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र]—लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1956 (1956 का 2) की धारा 4 द्वारा निरसित।

6. [संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन]—विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा निरसित।

राज्य विधान सभाएं

७[7. विधान सभाओं में स्थानों की कुल संख्या तथा सभा निर्वाचन-क्षेत्र—(1) द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट हर एक राज्य की विधान सभा में ७[उपधारा (1क), उपधारा (1ख) और उपधारा (1ग)] के उपबंधों के अधीन उन स्थानों की कुल संख्या] जो सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे तथा उन स्थानों की, यदि कोई हों, जो राज्य की अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रारक्षित की जानी है, संख्या वह होगी जो उस अनुसूची में दर्शाित है:

परन्तु अनुच्छेद 371क के खण्ड (2) में निर्दिष्ट कालावधि के लिए नागालैण्ड के राज्य की विधान सभा को आबंटित स्थानों की कुल संख्या ७[बावन] होगी, जिनमें से—

(क) ७[बारह स्थान] ट्यून्सांग जिले को आबंटित किए जाएंगे और ऐसे व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे, जो उस अनुच्छेद में निर्दिष्ट प्रादेशिक परिषद् के सदस्यों द्वारा उन्हीं में से ऐसी रीति में, जैसी राज्यपाल उस परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, चुने जाएं, तथा

1. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 2 द्वारा धाराएं 3 और 4 (14-12-1966 से) प्रतिस्थापित।
2. 1975 के अधिनियम सं० 29 की धारा 11 द्वारा उपधारा (1) का (15-8-1975 से) लोप किया गया।
3. पूर्वोक्त की धारा 11 द्वारा उपधारा (2) के स्थान पर (15-8-1975 से) प्रतिस्थापित।
4. 1976 के अधिनियम सं० 88 की धारा 2 द्वारा उपधारा (5) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 2 द्वारा धारा 7 के स्थान पर (14-12-1976 से) प्रतिस्थापित। 1956 के अधिनियम सं० 2 की धारा 5 और विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा मूल धाराएं 8 और 9 क्रमशः निरसित की गई थी।
6. 1980 के अधिनियम सं० 8 की धारा 2 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर (1-9-1979 से) प्रतिस्थापित।
7. 1992 के अधिनियम सं० 38 की धारा 2 द्वारा (5-12-1992 से) "उपधारा (1क) और (1ख)" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
8. 1983 के अधिनियम सं० 61 की धारा 4 द्वारा "छिपलीस" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
9. पूर्वोक्त की धारा 4 द्वारा "छह स्थानों" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(PART II.—Acts of Parliament)

(b) the remaining forty seats shall be filled by persons chosen by direct election from assembly constituencies in the rest of the State.

¹[(1A) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the total number of seats in the Legislative Assembly of the State of Sikkim, to be constituted at any time after the commencement of the Representation of the People (Amendment) Act, 1980 (8 of 1980), to be filled by persons chosen by direct election from assembly constituencies shall be thirty-two, of which—

- (a) twelve seats shall be reserved for Sikkimese of Bhutia Lepcha origin;
- (b) two seats shall be reserved for the Scheduled Castes of that State; and
- (c) one seat shall be reserved for the Sanghas referred to in section 25A.

Explanation.—In this sub-section “Bhutia” includes Chumbipa, Dophapa, Dukpa, Kagatey, Sherpa, Tibetan, Trompa and Yolmo.]

²[(1B) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), in the Legislative Assemblies of the States of Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram and Nagaland, to be constituted at any time after the commencement of the Representation of the People (Third Amendment) Act, 1987 (40 of 1987),—

- (a) thirty-nine seats shall be reserved for the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of the State of Arunachal Pradesh;
- (b) fifty-five seats shall be reserved for the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of the State of Meghalaya;
- (c) thirty-nine seats shall be reserved for the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly of the State of Mizoram; and
- (d) fifty-nine seats shall be reserved for the Scheduled tribes in the Legislative Assembly of the State of Nagaland.]

³[(1C) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), twenty seats shall be reserved for the Scheduled Tribes in the legislative Assembly of the State of Tripura to be constituted at any time after the commencement of the Representation of the People (Amendment) Act, 1992.]

(2) Every Assembly constituency referred to ⁴[in sub-section (1) or sub-section (1A)] shall be a single-member constituency. -

⁵[(3) ⁶[The extent of each Assembly constituency in all the States and Union territories except the assembly constituencies in the State of Sikkim and] in the Union territory of Arunachal Pradesh shall be as determined by the orders of the Delimitation Commission made under the provisions of the Delimitation Act, 1972 (76 of 1972) ¹]; the extent of each Assembly constituency in the State of Sikkim shall be as provided for in the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976, as amended by section 4 of the Representation of the People (Amendment) Act, 1980 (8 of 1980)] and the extent of each Assembly constituency in the Union territory of Arunachal Pradesh shall be as determined by the order of the Election Commission made under the provisions of the Government of Union Territories Act, 1963 (20 of 1963)].

⁷[7A. Total number of seats in the Legislative Assembly of Sikkim and Assembly constituencies.—(1) Notwithstanding anything contained in section 7, in the Legislative Assembly of the State of Sikkim [deemed under the Constitution (Thirty-sixth Amendment) Act, 1975 to be the Legislative Assembly of that State duly constituted], the total number of seats to be filled by persons chosen by direct election from assembly constituencies shall be 32.

1. Ins. by Act 8 of 1980, s. 2 (w.e.f. 1-9-1979).

2. Ins. by Act 40 of 1987, s. 2 (w.e.f. 22-9-1987).

3. Ins. by Act 38 of 1992, s. 2 (w.e.f. 5-12-1992).

4. Subs. by Act 8 of 1980, s. 2, for “in sub-section (1)” (w.e.f. 1-9-1979).

5. Subs. by Act 88 of 1976, s. 3, for sub-section (3).

6. Subs. by Act 8 of 1980, s. 2, for certain words (w.e.f. 1-9-1979).

7. Ins. by Act 10 of 1976, s. 2 and Sch. (w.e.f. 9-9-1975).

(ख) शेष चालीस स्थान ऐसे व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे जो शेष राज्य के सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे।

¹[(1क) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, सिक्किम राज्य की विधान सभा में जो लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1980 (1980 का 8) के प्रारम्भ के पश्चात् किसी समय गठित की जानी है उन स्थानों की कुल संख्या जो सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे, बत्तीस होगी जिसमें से—

(क) बारह स्थान मूटिया-लेप्चा उद्भव के सिक्किमियों के लिए आरक्षित होंगे;

(ख) दो स्थान उस राज्य की अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित होंगे; और

(ग) एक स्थान धारा 25क में निर्दिष्ट संघा के लिए आरक्षित होगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में "मूटिया" के अंतर्गत चुम्बपा, डोप्यापा, दुक्पा, कगाते, शेरपा, तिब्बती, दोमोपा और योल्मो भी हैं।

²[(1ख) उपधारा (1) में, किसी बात के होते हुए भी, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैण्ड राज्यों की विधान सभाओं में, जो लोक प्रतिनिधित्व (तीसरा संशोधन) अधिनियम, 1987 (1987 का 40) के प्रारम्भ के पश्चात् किसी समय गठित की जानी है—

(क) अरुणाचल प्रदेश राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए उनतालीस स्थान आरक्षित होंगे;

(ख) मेघालय राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए पचपन स्थान आरक्षित होंगे;

(ग) मिजोरम राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए उनतालीस स्थान आरक्षित होंगे; और

(घ) नागालैण्ड राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए उनसठ स्थान आरक्षित होंगे।]

³[(1ग) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, त्रिपुरा राज्य की विधान सभा में, जो लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारम्भ के पश्चात् किसी समय गठित की जानी है, अनुसूचित जनजातियों के लिए बीस स्थान आरक्षित होंगे।]

(2) ⁴[उपधारा (1) या उपधारा (1क) में] निर्दिष्ट हर सभा निर्वाचन-क्षेत्र एक-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र होगा।

⁵[(3) ⁶[सिक्किम राज्य और अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र के सभा निर्वाचन-क्षेत्र को छोड़कर समस्त राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के प्रत्येक सभा निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार] ऐसा होगा जैसा परिसीमन अधिनियम, 1972 (1972 का 76) के उपबंधों के अधीन परिसीमन आयोग द्वारा किए गए आदेशों द्वारा अवधारित किया गया हो ⁷[सिक्किम राज्य के प्रत्येक सभा निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार ऐसा होगा जैसा लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1980 (1980 का 8) की धारा 4 द्वारा यथा संशोधित संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 में उपबंधित किया गया हो] और अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र के प्रत्येक सभा निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार ऐसा होगा जैसा संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20) के उपबंधों के अधीन निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए आदेश द्वारा अवधारित किया गया हो।

⁷[7क. सिक्किम की विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या और सभा निर्वाचन-क्षेत्र—(1) धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, सिक्किम राज्य की विधान सभा में [जो संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 के अधीन उस राज्य की सम्यक् रूप से गठित विधान सभा समझी जाती है] सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से सीधे निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या 32 होगी।

1. 1980 के अधिनियम सं० 8 की धारा 2 द्वारा (1-9-1979 से) अंतःस्थापित।

2. 1987 के अधिनियम सं० 40 की धारा 2 द्वारा (22-9-1987 से) अंतःस्थापित।

3. 1992 के अधिनियम सं० 38 की धारा 2 द्वारा (5-12-1992 से) अंतःस्थापित।

4. 1980 के अधिनियम सं० 8 की धारा 2 द्वारा "उपधारा (1) में" के स्थान पर (1-9-1979 से) प्रतिस्थापित।

5. 1976 के अधिनियम सं० 88 की धारा 3 द्वारा उपधारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

6. 1980 के अधिनियम सं० 8 की धारा 2 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर (1-9-1979 से) प्रतिस्थापित।

7. 1976 के अधिनियम सं० 10 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (9-9-1975 से) अंतःस्थापित।

(2) Every Assembly constituency referred to in sub-section (1) shall be a single-member constituency.

(3) In the Legislative Assembly so deemed to be duly constituted, the extent of each constituency and the reservation of seats shall be as provided for immediately before the commencement of the Constitution (Thirty-sixth Amendment) Act, 1975.]

The Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order

8. Consolidation of delimitation orders.—(1) As soon as may be, after all the orders referred to in sub-section (5) of section 4 or in sub-section (3) of section 7 relating to the delimitation of parliamentary and assembly constituencies have been made by the Delimitation Commission or, as the case may be, the Election Commission and published in the Official Gazette, the Election Commission shall, after making such amendments as appear to it to be necessary for bringing up-to-date the description of the extent of the parliamentary and assembly constituencies as given in such orders, consolidate all such orders into one single order to be known as '[the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976] and shall send authentic copies of that Order to the Central Government and to the Government of each State having a Legislative Assembly; and thereupon that Order shall supersede all the orders referred to in sub-section (5) of section 4 or in sub-section (3) of section 7 and shall have the force of law and shall not be called in question in any court.

(2) As soon as may be, after the said Order is received by the Central Government or by the Government of a State, that Government shall cause it to be laid before the House of the People or, as the case may be, the Legislative Assembly of the State.

[(3) The consolidation under sub-section (1) of the orders referred to in sub-section (5) of section 4, or as the case may be, sub-section (3) of section 7 shall not, as provided in sub-section (5) of section 10 of the Delimitation Act, 1972 (76 of 1972), affect the representation in, and the territorial constituencies of, the House of the People or the Legislative Assembly of the State existing on the date of publication in the Gazette of India of any such order or orders as may be relevant.]

9. Power of Election Commission to maintain Delimitation Order up-to-date.—(1) The Election Commission may, from time to time, by notification published in the Gazette of India and in the Official Gazette of the State concerned,—

(a) correct any printing mistake in '[the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1966, or, as the case may be, the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976] or any error arising therein from inadvertent slip or omission;

[(aa) make such amendments in the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976 as appear to it to be necessary or expedient for consolidating with that Order any notification or order relating to delimitation of parliamentary or assembly constituencies (including reservation of seats for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in such constituencies) issued under any Central Act;]

(b) where the boundaries or name of any district or any territorial division mentioned in the Order are or is altered, make such amendments as appear to it to be necessary or expedient for bringing the Order up-to-date.

(2) Every notification under this section shall be laid as soon as may be after it is issued, before the House of the People and the Legislative Assembly to the State concerned.

1. Subs. by Act 88 of 1976, s. 4, for certain words.

2. Ins. by s. 4, *ibid.*

3. Subs. by s. 5, *ibid.*, for certain words.

4. Ins. by Act 21 of 1989, s. 2.

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक सभा निर्वाचन-क्षेत्र एक-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र होगा।

(3) इस प्रकार सम्यक् रूप से गठित समझी गई विधान सभा में प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार और स्थानों का आरक्षण वैसा ही होगा जैसा कि संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व उपबंधित था।]

संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश

8. परिसीमन आदेशों का समेकन—(1) यथास्थिति, परिसीमन आयोग या निर्वाचन आयोग द्वारा संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन से सम्बद्ध धारा 4 की उपधारा (5) में या धारा 7 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट सब आदेश किए जाने और शासकीय राजपत्र में प्रकाशित हो जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र निर्वाचन आयोग, ऐसे संशोधन करने के पश्चात्, जैसे उसको ऐसे आदेशों में दिए हुए संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के विस्तार के वर्णन को अद्यतन बनाने के लिए आवश्यक प्रतीत हों, ऐसे सभी आदेशों को एक एकल आदेश में समेकित करेगा जो [संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 1976] के नाम से ज्ञात होगा और उस आदेश की अधिप्रमाणित प्रतियां केन्द्रीय सरकार को और ऐसे हर एक राज्य की सरकार को, जिसमें विधान सभा हो; भेजेगा, तथा तदुपरि वह आदेश धारा 4 की उपधारा (5) में या धारा 7 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट सब आदेशों को प्रतिष्ठित करेगा और विधि का बल रखेगा तथा किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

(2) उक्त आदेश के केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र वह सरकार उसको, यथास्थिति, लोक सभा के समक्ष या राज्य की विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।

[(3) धारा 4 की उपधारा (5) में, या, यथास्थिति, धारा 7 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट आदेशों का उपधारा (1) के अधीन समेकन, परिसीमन अधिनियम, 1972 (1972 का 76) की धारा 10 की उपधारा (5) में उपबंधित रूप में, किसी ऐसे आदेश या किन्हीं ऐसे आदेशों के, जो सुसंगत हो, भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को विद्यमान लोक सभा में या राज्य की विधान सभा में प्रतिनिधित्व को और प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों को प्रभावित नहीं करेगा।]

9. निर्वाचन आयोग की परिसीमन आदेश को अद्यतन बनाए रखने की शक्ति—(1) निर्वाचन आयोग भारत के राजपत्र में और संपूक्त राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा समय-समय पर—

(क) यथास्थिति,¹ [संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 1966 या संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 1976] में की किसी मुद्रण सम्बन्धी भूल को या अनवधानता से हुई भूल या लोप से उसमें उद्भूत किसी गलती को शुद्ध कर सकेगा;

[(कक) संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 1976 में ऐसे संशोधन कर सकेगा जैसे उसे किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन संसदीय या सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में (जिसके अन्तर्गत ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण भी है) जारी की गई किसी अधिसूचना या आदेश का उक्त आदेश के साथ समेकित करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों;]

(ख) वहां, जहां कि उस आदेश में वर्णित किसी जिले या किसी क्षेत्रीय खण्ड की सीमाएं या नाम परिवर्तित कर दी जाती हैं या कर दिया जाता है, ऐसे संशोधन कर सकेगा जो उस आदेश को अद्यतन बनाने के लिए उसको आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

(2) इस धारा के अधीन हर अधिसूचना अपने निकाले जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र लोक सभा के तथा संपूक्त राज्य की विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी।

1. 1976 के अधिनियम सं० 88 की धारा 4 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1976 के अधिनियम सं० 88 की धारा 4 द्वारा अंतःस्थापित।
3. 1976 के अधिनियम सं० 33 से धारा 5 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. 1939 के अधिनियम सं० 21 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।

(PART II.—Acts of Parliament)

19A. Power of Election Commission to determine the constituencies to be reserved for Scheduled Tribes in certain States.—(1) As soon as may be after the coming into force of the Representation of the People (Second Amendment) Act, 1987 (38 of 1987) the Election Commission shall, having regard to the provisions of the Constitution and the principle specified in clause (d) of sub-section (1) of section 9 of the Delimitation Act, 1972 (76 of 1972), determine the assembly constituencies in the States of Meghalaya, Mizoram and Nagaland in which seats shall be reserved for the Scheduled Tribes.

(2) The Election Commission shall,—

(a) publish its proposals under sub-section (1) with respect to any State in the Official Gazette and also in such other manner as it thinks fit;

(b) specify a date on or after which the proposals will be further considered by it;

(c) consider all objections and suggestions which may have been received by it before the date so specified;

(d) hold, for the purpose of such consideration, if it thinks fit so to do, one or more public sittings at such place or places in such State as it thinks fit;

(e) after considering all objections and suggestions which may have been received by it before the date so specified, determine, by order, the assembly constituency or constituencies in the State in which seats shall be reserved for the Scheduled Tribes and cause such order to be published in the Official Gazette; and, upon such publication, the order shall have the full force of law and shall not be called in question in any court and the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976, or, as the case may be, the Mizoram (Delimitation of Assembly Constituencies) Order, 1986 shall be deemed to have been amended accordingly.

(3) Every order made under sub-section (2) shall, as soon as may be after it is published under that sub-section, be laid before the Legislative Assembly of the State concerned.

Explanation.—For the purposes of this section, “assembly constituency” means,—

(a) in relation to the States of Meghalaya and Nagaland, the assembly constituencies in those States as specified in the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976; and

(b) in relation to the State of Mizoram, the assembly constituencies as specified in the Mizoram (Delimitation of Assembly Constituencies) Order, 1986.]

(भाग 2—संसद के अधिनियम)

19क. निर्वाचन आयोग की कुछ राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाने वाले निर्वाचन-क्षेत्रों का अवधारण करने की शक्ति—(1) निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1987 के प्रवृत्त होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, संविधान के उपबंधों और परिसीमन अधिनियम, 1972 (1972 का 76) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (घ) में विनिर्दिष्ट सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, मेघालय, मिजोरम और नागालैण्ड के राज्यों में उन सभा निर्वाचन-क्षेत्रों को अवधारित करेगा जिनमें अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे।

(2) निर्वाचन आयोग,—

(क) उपधारा (1) के अधीन किसी राज्य के संबंध में अपनी प्रस्थापनाओं को, शासकीय राजपत्र में, तथा ऐसी अन्य रीति से भी जो वह उचित समझे, प्रकाशित करेगा;

(ख) ऐसी तारीख विनिर्दिष्ट करेगा जिसको या जिसके पश्चात् वह प्रस्थापनाओं पर आगे विचार करेगा;

(ग) उन सभी आक्षेपों और सुझावों पर विचार करेगा जो उसे इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पहले प्राप्त हो गए हों;

(घ) इस प्रकार विचार करने के प्रयोजन के लिए, यदि वह ऐसा करना उचित समझे तो, ऐसे राज्य में ऐसे स्थान या स्थानों पर, जिसे या जिन्हें वह उचित समझे, एक या अधिक सार्वजनिक बैठक करेगा;

(ङ) उन सभी आक्षेपों और सुझावों पर, जो उसे इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पहले प्राप्त हो गए हों, विचार करने के पश्चात् आदेश द्वारा, राज्य में उस सभा निर्वाचन-क्षेत्र या उन सभा निर्वाचन-क्षेत्रों को अवधारित करेगा, जिसमें या जिनमें अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे और ऐसे आदेश को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कराएगा; और ऐसे प्रकाशित होने पर, आदेश को विधि का पूर्ण बल प्राप्त होगा और वह किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगा तथा, यथास्थिति, संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 या मिजोरम (सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन) आदेश, 1986 तदनुसार संशोधित किए गए समझे जाएंगे।

(3) उपधारा (2) के अधीन बनाया गया हर आदेश, उस उपधारा के अधीन प्रकाशित किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, सम्बद्ध राज्य की विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "सभा निर्वाचन-क्षेत्र" से,—

(क) मेघालय और नागालैण्ड राज्यों के संबंध में, संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 में यथा विनिर्दिष्ट उन राज्यों के सभा निर्वाचन-क्षेत्र; और

(ख) मिजोरम राज्य के सम्बन्ध में, मिजोरम (सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन) आदेश, 1986 में यथा विनिर्दिष्ट सभा निर्वाचन-क्षेत्र,

अभिप्रेत है।

(PART II.—Acts of Parliament)

1[9B. Power of Election Commission to determine certain constituencies to be reserved for Scheduled Tribes in the State of Tripura.—(1) As soon as may be after the coming into force of the Representation of the People (Amendment) Act, 1992, the Election Commission shall, having regard to the provisions of the Constitution and the principle specified in clause (d) of sub-section (1) of section 9 of the Delimitation Act, 1972 (76 of 1972), determine the three assembly constituencies in the State of Tripura in which the three additional seats for Scheduled Tribes, as increased by sub-section (1C) of section 7, shall be reserved.

(2) The Election Commission shall.—

(a) publish its proposals under sub-section (1) in the Official Gazette and also in such other manner as it thinks fit;

(b) specify a date on or after which the proposals will be further considered by it;

(c) consider all objections and suggestions which may have been received by it before the date so specified;

(d) hold, for the purpose of such consideration, if it thinks fit so to do, one or more public sittings at such place or places in the State as it thinks fit;

(e) after considering all objections and suggestions which may have been received by it before the date so specified, determine, by order, the three assembly constituencies in the State in which the said three additional seats shall be reserved for the Scheduled Tribes and cause such order to be published in the Official Gazette; and upon such publication, the order shall have the full force of law and shall not be called in question in any court and the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976, shall be deemed to have been amended accordingly.

(3) Every order made under sub-section (2) shall as soon as may be after it is published under that sub-section, be laid before the Legislative Assembly of the State of Tripura.]

The State Legislative Councils

10. Allocation of seats in the Legislative Councils.—(1) The allocation of seats in the Legislative Councils of the States having such Councils shall be as shown in the Third Schedule.

(2) In the Legislative Council of each State specified in the first column of the Third Schedule, there shall be the number of seats specified in the second column thereof opposite to that State, and of those seats.—

(a) the numbers specified in the third, fourth and fifth columns shall be the number of seats to be filled by persons elected, respectively, by the electorates referred to in sub-clauses (a), (b) and (c) of clause (3) of article 171;

(b) the number specified in the sixth column shall be the number of seats to be filled by persons elected by the members of the Legislative Assembly of the State from amongst persons who are not members of that Assembly; and

(c) the number specified in the seventh column shall be the number of seats to be filled by persons nominated by the Governor^{2***} of the State in accordance with the provisions of clause (5) of article 171

1. Ins. by Act 38 of 1992, s. 3 (w.e.f. 5-12-1992).

2. The words "or Rajpramukh, as the case may be" omitted by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956.

(भाग 2—संसद के अधिनियम)

19ख. निर्वाचन आयोग की त्रिपुरा राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाने वाले कुछ निर्वाचन-क्षेत्रों का अवधारण करने की शक्ति—(1) निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रवृत्त होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, संविधान के उपबंधों और परिसीमन अधिनियम, 1972 (1972 का 76) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (घ) में विनिर्दिष्ट सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, त्रिपुरा राज्य में उन तीन सभा निर्वाचन-क्षेत्रों को अवधारित करेगा जिनमें अनुसूचित जनजातियों के लिए तीन अतिरिक्त स्थान, जो धारा 7 की उपधारा (1ग) द्वारा बढ़ाए गए हैं, आरक्षित किए जाएंगे।

(2) निर्वाचन आयोग,—

(क) उपधारा (1) के अधीन अपनी प्रस्थापनाओं को शासकीय राजपत्र में तथा ऐसी अन्य रीति से भी जो वह उचित समझे, प्रकाशित करेगा;

(ख) ऐसी तारीख विनिर्दिष्ट करेगा जिसको या जिसके पश्चात् वह प्रस्थापनाओं पर आगे विचार करेगा;

(ग) उन सभी आक्षेपों पर और सुझावों पर विचार करेगा जो उसे इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पहले प्राप्त हो गए हों;

(घ) इस प्रकार विचार करने के प्रयोजन के लिए, यदि वह ऐसा करना उचित समझे तो, उस राज्य में ऐसे स्थान या स्थानों पर, जिसे या जिन्हें वह उचित समझे, एक या अधिक सार्वजनिक बैठक करेगा;

(ङ) उन सभी आक्षेपों और सुझावों पर, जो उसे इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पहले प्राप्त हो गए हों, विचार करने के पश्चात्, आदेश द्वारा, राज्य में उन तीन सभा निर्वाचन-क्षेत्रों को अवधारित करेगा जिनमें अनुसूचित जनजातियों के लिए उक्त तीन अतिरिक्त स्थान आरक्षित किए जाएंगे और ऐसे आदेश को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कराएगा; और ऐसे प्रकाशित होने पर, आदेश को विधि का पूर्ण बल प्राप्त होगा और वह किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगा तथा संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 तदनुसार संशोधित किया गया समझा जाएगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन बनाया गया हर आदेश, उस उपधारा के अधीन प्रकाशित किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, त्रिपुरा राज्य की विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।]

राज्य विधान परिषदें

10. विधान परिषदों में के स्थानों का आर्बंटन—(1) उन राज्यों में, जिनमें विधान परिषदें हैं, ऐसी परिषदों में के स्थानों का आर्बंटन ऐसा होगा जैसा तृतीय अनुसूची में दर्शित है।

(2) तृतीय अनुसूची के प्रथम स्तम्भ में विनिर्दिष्ट हर एक राज्य की विधान परिषद् में स्थानों की संख्या वह होगी जो उसके द्वितीय स्तम्भ में उस राज्य के सामने विनिर्दिष्ट है और उन स्थानों में से—

(क) तृतीय, चतुर्थ और पंचम स्तम्भों में विनिर्दिष्ट संख्याएं उन स्थानों की संख्याएं होंगी जो अनुच्छेद 171 के खंड (3) के उपखंडों (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट निर्वाचक मंडलों द्वारा क्रमशः निर्वाचित व्यक्तियों द्वारा भरे जाने हैं;

(ख) षष्ठ स्तम्भ में विनिर्दिष्ट संख्या उन स्थानों की संख्या होगी जो उस राज की विधान सभा के सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से निर्वाचित व्यक्तियों द्वारा भरे जाने हैं जो उस सभा के सदस्य नहीं हैं; तथा

(ग) सप्तम स्तम्भ में विनिर्दिष्ट संख्या उन स्थानों की संख्या होगी जो राज्य के राज्यपाल ^{2***} द्वारा अनुच्छेद 171 के खण्ड (5) के उपबन्धों के अनुसार नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा भरे जाने हैं।

1. 1992 के अधिनियम सं० 38 की धारा 3 द्वारा (5-12-1992 से) अंतःस्थापित।

2. विधि अनुसूची (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा "या राज प्रमुख, यथास्थिति" शब्दों का लोप किया गया।

(PART II.—Acts of Parliament)

* * * * *

11. Delimitation of Council constituencies.—As soon as may be after the commencement of this Act, the President shall, by order, determine—

- (a) the constituencies into which each State having a Legislative Council shall be divided for the purpose of elections to that Council under each of the sub-clauses (a), (b) and (c) of clause (3) of article 171;
- (b) the extent of each constituency; and
- (c) the number of seats allotted to each constituency.

Provisions as to orders delimiting constituencies

12. Power to alter or amend orders.—²[(1)] The President may, from time to time, after consulting the Election Commission, by order, alter or amend any order made by him under. ⁵**** section 11.

⁴[(2) An order under sub-section (1) may contain provisions for the allocation of any member representing any Council constituency immediately before the making of the order to any constituency delimited a new or altered by the order and for such other incidental and consequential matters as the President may deem necessary.]

13. Procedure as to orders delimiting constituencies.—⁵****

(3) Every order made under ⁶**** section 11 or section 12 shall be laid before Parliament as soon as may be after it is made, and shall be subject to such modifications as Parliament may make on a motion made within twenty days from the date on which the order is so laid.

7[PART IIA

OFFICERS

13A. Chief electoral officers.—(1) There shall be for each State a chief electoral officer who shall be such officer of Government as the Election Commission may, in consultation with that Government, designate or nominate in this behalf.

(2) Subject to the superintendence, direction and control of the Election Commission, the chief electoral officer shall supervise the preparation, revision and correction of all electoral rolls in the State under this Act.

⁸[13AA. District election officers.—(1) For each district in a State, other than a Union territory, the Election Commission shall, in consultation with the Government of the State, designate or nominate a district election officer who shall be an officer of Government:

Provided that the Election Commission may designate or nominate more than one such officer for a district if the Election Commission is satisfied that the functions of the office cannot be performed satisfactorily by one officer.

-
1. Sub-section (3) ins. by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956 and omitted by Act 37 of 1957, s. 12.
 2. S. 12 re-numbered as sub-section (1) of that section by Act 20 of 1960, s. 2.
 3. The words and figures "section 6, section 9, or" omitted by Act 2 of 1956, s. 7.
 4. Ins. by Act 20 of 1960, s. 2.
 5. Sub-sections (1) and (2) omitted by Act 2 of 1956, s. 8.
 6. The words and figures "section 6, section 9," omitted by s. 8, *ibid.*
 7. Part IIA and Part IIB ins. by s. 9, *ibid.*
 8. Ins. by Act 47 of 1966, s. 5 (w.e.f. 14-12-1966).

* * * * *

11. परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों का परिवर्तन—इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राष्ट्रपति—

(क) उन निर्वाचन-क्षेत्रों को जिनमें हर एक राज्य जिसमें विधान परिषद् है, उस परिषद् के लिए अनुच्छेद 171 के खण्ड (3) के उपखण्डों (क), (ख) और (ग) में से हर एक के अधीन निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए विद्यमान किया जाएगा;

(ख) हर एक निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार को, तथा

(ग) हर एक निर्वाचन-क्षेत्र को आबंटन में मिले स्थानों की संख्या को,

आदेश द्वारा व्यवधारित करेगा।

निर्वाचन-क्षेत्रों का परिवर्तन करने वाले आदेशों के बारे में उपबंध

12. आदेशों को परिवर्तित या संशोधित करने की शक्ति—²[(1)] राष्ट्रपति ^{3***} द्वारा 11 के अधीन अपने द्वारा किए गए आदेश को निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात् आदेश द्वारा समय-समय पर परिवर्तित या संशोधित कर सकेगा।

⁴[(2) उपधारा (1) के अधीन के आदेश के किए जाने से अग्रवर्हित पूर्व जो कोई सदस्य किसी परिषद् निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है उस सदस्य का आबंटन उस आदेश द्वारा नए सिरे से परिवर्तित या परिवर्तित किसी निर्वाचन-क्षेत्र को किया जाने के लिए और ऐसे अन्य आनुवंशिक और पारिणामिक विषयों के लिए, जैसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे, उपबन्ध उस आदेश में अन्तर्विष्ट हो सकेंगे।

13. निर्वाचन-क्षेत्रों का परिवर्तन करने वाले आदेशों के बारे में प्रक्रिया —^{5***}

—|*

(3) ^{6***} द्वारा 11 या धारा 12 के अधीन किया गया हर आदेश अपने किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र संसद् के समक्ष रखा जाएगा और ऐसे उपान्तरों के अग्रवर्ती रहेगा जैसे संसद् उस तारीख से, जिसको आदेश ऐसा रखा गया है, बीस दिन के भीतर किए गए प्रस्ताव पर करे।

[भाग 2क

आफिसर

13क मुख्य निर्वाचन आफिसर—(1) हर एक राज्य के लिए एक मुख्य निर्वाचन आफिसर होगा जो सरकार का ऐसा आफिसर होगा जैसा निर्वाचन आयोग उस सरकार के परामर्श के इस निमित्त पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करे।

(2) निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अग्रवर्ती रहते हुए मुख्य निर्वाचन आफिसर राज्य में इस अधिनियम के अधीन वाली सब निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धि का पर्यवेक्षण करेगा।

⁴[13कक. जिला निर्वाचन आफिसर—(1) संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न किसी राज्य में हर एक जिले के लिए निर्वाचन आयोग, उस राज्य की सरकार के परामर्श से एक जिला निर्वाचन आफिसर की पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करेगा, जो सरकारी आफिसर होगा :

परन्तु निर्वाचन आयोग किसी जिले के लिए एक से अधिक ऐसे आफिसर पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट कर सकेगा यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि पद के कृत्यों का एक आफिसर द्वारा समाधानप्रद रूप में पालन नहीं किया जा सकता।

1. विधि अनुसूचन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा अन्तःस्थापित उपधारा (3) का 1957 के अधिनियम सं० 37 की धारा 12 द्वारा लोप किया गया।

2. 1960 के अधिनियम सं० 20 की धारा 2 द्वारा धारा 12 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया।

3. 1956 के अधिनियम सं० 2 की धारा 7 द्वारा "धारा 6, धारा 9 या" शब्दों और अंकों का लोप किया गया।

4. 1960 के अधिनियम सं० 20 की धारा 2 द्वारा अन्तःस्थापित।

5. 1956 के अधिनियम सं० 2 की धारा 8 द्वारा उपधाराओं (1) और (2) का लोप किया गया।

6. पूर्वोक्त की धारा 8 द्वारा "धारा 6, धारा 9" शब्दों और अंकों का लोप किया गया।

7. पूर्वोक्त की धारा 9 द्वारा "भाग 2क और भाग 2ख" अन्तःस्थापित।

8. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 5 द्वारा (14-12-1966 से) अन्तःस्थापित।

(PART II.—Acts of Parliament)

(2) Where more than one district election officer are designated or nominated for a district under the proviso to sub-section (1), the Election Commission shall in the order designating or nominating the district election officers also specify the area in respect of which each such officer shall exercise jurisdiction.

(3) Subject to the superintendence, direction and control of the chief electoral officer, the district election officer shall co-ordinate and supervise all work in the district or in the area within his jurisdiction in connection with the preparation and revision of the electoral rolls for all parliamentary, assembly and council constituencies within the district.

(4) The district election officer shall also perform such other functions as may be entrusted to him by the Election Commission and the chief electoral officer.]

13B. Electoral registration officers.—(1) The electoral roll ¹[for each parliamentary constituency in the State of Jammu and Kashmir or in a Union territory not having a Legislative Assembly], each assembly constituency and each Council constituency] shall be prepared and revised by an electoral registration officer who shall be such officer of Government or of a local authority as the Election Commission may, in consultation with the Government of the State in which the constituency is situated, designate or nominate in this behalf.

(2) An electoral registration officer may, subject to any prescribed restrictions, employ such persons as he thinks fit for the preparation and revision of the electoral roll for the constituency.

13C. Assistant electoral registration officers.—(1) The Election Commission may appoint one or more persons as assistant electoral registration officers to assist any electoral registration officer in the performance of his functions.

(2) Every assistant electoral registration officer shall, subject to the control of the electoral registration officer, be competent to perform all or any of the functions of the electoral registration officer.

²**13CC. Chief Electoral Officers, District Election Officers, etc., deemed to be on deputation to Election Commission.**—The officers referred to in this Part and any other officer or staff employed in connection with the preparation, revision and correction of the electoral rolls for, and the conduct of, all elections shall be deemed to be on deputation to the Election Commission for the period during which they are so employed and such officers and staff shall, during that period, be subject to the control, superintendence and discipline of the Election Commission.]

PART IIB

ELECTORAL ROLLS FOR PARLIAMENTARY CONSTITUENCIES

³**13D. Electoral rolls for parliamentary constituencies.**—(1) The electoral roll for every parliamentary constituency, other than a parliamentary constituency in the State of Jammu and Kashmir or in a Union territory not having a Legislative Assembly, shall consist of the electoral rolls for all the assembly constituencies comprised within that parliamentary constituency; and it shall not be necessary to prepare or revise separately the electoral roll for any such parliamentary constituency:

-
1. Subs. by Act 103 of 1956, s. 65, for certain words.
 2. Subs. by Act 47 of 1966, s. 6, for certain words (w.e.f. 14-12-1966).
 3. Ins. by Act 1 of 1989, s. 2 (w.e.f. 15-3-1989).
 4. Subs. by Act 47 of 1966, s. 7, for s. 13D (w.e.f. 14-12-1966).

(2) जहां कि किसी जिले के लिए उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन एक से अधिक जिला निर्वाचन आफिसर पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट किए जाते हैं, वहां निर्वाचन आयोग जिला निर्वाचन आफिसरों को परामिहित या नामनिर्दिष्ट करने वाले आदेश में उस क्षेत्र को भी त्रिनिर्दिष्ट करेगा जिसको बाबत हर एक ऐसा आफिसर अधिकारिता का प्रयोग करेगा।

(3) मुख्य निर्वाचन आफिसर के प्रबोधन, निदेशन और नियंत्रण के अध्वधीन रहते हुए जिला निर्वाचन आफिसर उस जिले में या अपनी अधिकारिता के भीतर के क्षेत्र में उस जिले के भीतर के सब संसदीय, सभा और परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचन नामावलियों की तैयारी और पुनरीक्षण से संसक्त सब काम का समन्वय और पर्यवेक्षण करेगा।

(4) जिला निर्वाचन आफिसर ऐसे अन्य कृत्यों का भो पालन करेगा, जैसे उसे निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन आफिसर द्वारा न्यस्त किए जाए।

1 उख: निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर — (1) [जम्मू-कश्मीर राज्य में या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र में, जिसमें विधान सभा नहीं है,] हर एक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र, हर एक सभा निर्वाचन-क्षेत्र] और हर एक परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा तैयार और पुनरीक्षित की जाएगी जो सरकार का या किसी स्थानीय प्राधिकारी का वह आफिसर होगा जिसे निर्वाचन आयोग, उस राज्य की सरकार के, जिसके राज्य में वह निर्वाचन-क्षेत्र स्थित है, परामर्श से, इस निमित्त पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करें।

(2) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर किन्हीं विहित निर्बन्धनों के अध्वधीन रहते हुए ऐसे व्यक्तियों को निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली तैयार और पुनरीक्षित करने के लिए नियोजित कर सकेगा जैसे वह ठीक समझे।

1 उग: सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर — (1) निर्वाचन आयोग निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के अपने कृत्यों का पालन करने में उस आफिसर की सहायता करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के रूप में नियुक्त कर सकेगा।

(2) हर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के नियंत्रण के अध्वधीन रहते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के सब या किन्हीं कृत्यों का पालन करने के लिए सक्षम होगा।]

*[1 उग: मुख्य निर्वाचन आफिसरों, जिला निर्वाचन आफिसरों, आदि का निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझा जाना — इस भाग में निर्दिष्ट और सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धि करने, और ऐसे निर्वाचनों का संचालन करने के संबंध में नियोजित कोई अन्य आफिसर या कर्मचारिवृन्द, उस अवधि में जिसके दौरान उन्हें इस प्रकार नियोजित किया जाता है, निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझे जाएंगे और ऐसे आफिसर और कर्मचारिवृन्द, उस अवधि के दौरान, निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, प्रबोधन और अनुशासन के अध्वधीन होंगे।]

भाग 2ख

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियां

*[13घ: संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियां—(1) जम्मू-कश्मीर राज्य में के या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र में के, जिसमें विधान सभा नहीं है, संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से भिन्न हर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली उतने सभा निर्वाचन-क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों से मिलकर गठित होगी जितने उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में समाविष्ट हैं और ऐसे किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली पृथक् तैयार या पुनरीक्षित करना आवश्यक न होगा :

1. 1956 के अधिनियम सं० 103 की धारा 65 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1989 के अधिनियम सं० 1 की धारा 2 द्वारा (15-3-1989 से) अंतःस्थापित।
3. 1989 के अधिनियम सं० 1 की धारा 2 द्वारा (15-3-1989 से) अंतःस्थापित।
4. 1986 के अधिनियम सं० 47 की धारा 7 द्वारा धारा 13घ के स्थान पर (14-12-1986 से) प्रतिस्थापित।

(PART II.—Acts of Parliament)

Provided that for the period referred to in clause (2) of article 371A, it shall be necessary to prepare and revise separately the electoral roll for that part of the parliamentary constituency of Nagaland which comprises the Tuensang district and the provisions of Part III shall apply in relation to the preparation and revision of the electoral roll of the said part as they apply in relation to an assembly constituency.

(2) The provisions of Part III shall apply in relation to every parliamentary constituency in the State of Jammu and Kashmir or in a Union territory not having a Legislative Assembly as they apply in relation to an assembly constituency.]

PART III

1[ELECTORAL ROLLS FOR ASSEMBLY ***** CONSTITUENCIES]

14. Definitions.—In this Part, unless the context otherwise requires,—

(a) “constituency” means an Assembly constituency *****;

(b) “qualifying date”, in relation to the preparation or revision of every electoral roll under this Part, means 1[the 1st day of January] of the year in which it is so prepared or revised:]

1[Provided that “qualifying date”, in relation to the preparation or revision of every electoral roll under this Part in the year 1989, shall be the 1st day of April, 1989.]

15. Electoral roll for every constituency.—For every constituency there shall be an electoral roll which shall be prepared in accordance with the provisions of this Act under the superintendence, direction and control of the Election Commission.

16. Disqualifications for registration in an electoral roll.—(1) A person shall be disqualified for registration in an electoral roll if he—

(a) is not a citizen of India; or

(b) is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(c) is for the time being disqualified from voting under the provisions of any law relating to corrupt ***** practices and other offences in connection with elections.

(2) The name of any person who becomes so disqualified after registration shall forthwith be struck off the electoral roll in which it is included:

1[Provided that the name of any person struck off the electoral roll of a constituency by reason of a disqualification under clause (c) of sub-section (1) shall forthwith be reinstated in that roll if such disqualification is, during the period such roll is in force, removed under any law authorizing such removal.]

1. Subs. by Act 2 of 1956, s. 10, for the heading “REGISTRATION OF PARLIAMENTARY ELECTOR”.

2. Certain words omitted by Act 103 of 1956, s. 65.

3. Subs. by Act 2 of 1956, s. 11; for s. 14.

4. Subs. by Act 58 of 1958, s. 5, for “the 1st day of March” (w.e.f. 1-1-1959).

5. Ins. by Act 21 of 1989, s. 3 (w.e.f. 28-3-1989).

6. The words “and illegal” ins. by Act 73 of 1950, s. 4 and omitted by Act 58 of 1960, s. 3 and Sch. II.

7. Ins. by Act 73 of 1950, s. 4.

परन्तु अनुच्छेद 371क के खंड (2) में निर्दिष्ट कालावधि के लिए नागालैण्ड के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के उस भाग के लिए जो टूपूनसांग जिले में समाविष्ट है, निर्वाचक नामावली पृथक्त: तैयार और पुनरीक्षित करना आवश्यक होगा तथा भाग 3 के उपबन्ध उक्त भाग की निर्वाचक नामावली की तैयारी और पुनरीक्षण के सम्बन्ध में ऐसे लागू होंगे जैसे वे सभा निर्वाचन-क्षेत्र के संबंध में लागू होते हैं।

(2) भाग 3 के उपबन्ध जम्मू-कश्मीर राज्य में के या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र में के, जिसमें विधान सभा नहीं है, हर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के संबंध में ऐसे लागू होंगे जैसे वे सभी निर्वाचन-क्षेत्र के संबंध में लागू होते हैं।]

अध्याय 3

[2***निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावलियां]

14. परिभाषाएं—इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "निर्वाचन-क्षेत्र" से सभा निर्वाचन-क्षेत्र अभिप्रेत है;***

(ख) "अर्हता की तारीख" से इस भाग के अधीन हर निर्वाचक नामावली की तैयारी या पुनरीक्षण के सम्बन्ध में उस वर्ष को [जनवरी का पहला दिन] अभिप्रेत है, जिस वर्ष में वह इस प्रकार तैयार या पुनरीक्षित की जाती है :

[परन्तु वर्ष 1989 में इस भाग के अधीन हर निर्वाचक नामावली की तैयारी या पुनरीक्षण के संबंध में, "अर्हता की तारीख" 1989 की अप्रैल का पहला दिन होगी।]

15. हर निर्वाचक-क्षेत्र के लिए निर्वाचन नामावली—हर निर्वाचन-क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक नामावली होगी जो निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार तैयार की जाएगी।

16. निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए निरर्हताएं—(1) यदि कोई व्यक्ति—

(क) भारत का नागरिक नहीं है; अथवा

(ख) विकृतचित्त है और उसके ऐसा होने की सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान है; अथवा

(ग) निर्वाचनों के संबंध में भ्रष्ट *** आचरणों और अन्य अपराधों से संबंधित किसी विधि उपबन्धों के अधीन मतदान करने के लिए तत्समय निरर्हत है,

तो वह निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए निरर्हत होगा।

(2) रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् जो कोई व्यक्ति ऐसे निरर्हत हो जाता है, उसका नाम उस निर्वाचक नामावली में से तत्काल काट दिया जाएगा जिसमें वह दर्ज है :

[परन्तु किसी निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में से जिस व्यक्ति का नाम उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन निरर्हता के कारण काटा गया है यदि ऐसी निरर्हता उस कालावधि के दौरान, जिसमें ऐसी नामावली प्रवृत्त रहती है, किसी ऐसी विधि के अधीन हटा दी जाती है जो ऐसा हटाना प्राधिकृत करती है तो उस व्यक्ति का नाम तत्काल उसमें पुनः स्थापित कर दिया जाएगा।]

1. 1956 के अधिनियम सं० 2 की धारा 10 द्वारा "संसदीय निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण" शीर्षक के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. 1956 के अधिनियम सं० 103 की धारा 65 द्वारा कुछ शब्दों का लोप किया गया।

3. 1956 के अधिनियम सं० 2 की धारा 11 द्वारा धारा 14 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

4. 1958 के अधिनियम सं० 58 की धारा 5 द्वारा "मार्च के प्रथम दिन" के स्थान पर (1-1-1959 से) प्रतिस्थापित।

5. 1989 के अधिनियम सं० 21 की धारा 3 द्वारा (28-3-1989 से) संतःस्थापित।

6. 1950 के अधिनियम सं० 73 की धारा 4 द्वारा "और अर्हता" शब्दःस्थापित शब्दों का 1960 के अधिनियम सं० 58 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा लोप किया गया।

7. 1950 के अधिनियम सं० 73 की धारा 4 द्वारा संतःस्थापित।

(PART II.—Acts of Parliament)

17. No person to be registered in more than one constituency.—No person shall be entitled to be registered in the electoral roll for more than one constituency ^{1***}

18. No person to be registered more than once in any constituency.—No person shall be entitled to be registered in the electoral roll for any constituency more than once.

²[19. Conditions of registration.—Subject to the foregoing provisions of this Part, every person who—

(a) is not less than ³[eighteen years] of age on the qualifying date, and

(b) is ordinarily resident in a constituency,

shall be entitled to be registered in the electoral roll for that constituency.]

20. Meaning of “ordinarily resident”.— ⁴[(1) A person shall not be deemed to be ordinarily resident in a constituency on the ground only that he owns, or is in possession of, a dwelling house therein.

(1A) A person absenting himself temporarily from his place of ordinary residence shall not by reason thereof cease to be ordinarily resident therein.

(1B) A member of Parliament or of the Legislature of a State shall not during the term of his office cease to be ordinarily resident in the constituency in the electoral roll of which he is registered as an elector at the time of his election as such member, by reason of his absence from that constituency in connection with his duties as such member.]

(2) A person who is a patient in any establishment maintained wholly or mainly for the reception and treatment of persons suffering from mental illness or mental defectiveness, or who is detained in prison or other legal custody at any place, shall not by reason thereof be deemed to be ordinarily resident therein.

⁵[(3) Any person having a service qualification shall be deemed to be ordinarily resident on any date in the constituency in which, but for his having such service qualification, he would have been ordinarily resident on that date.]

(4) Any person holding any office in India declared⁶ by the President in consultation with the Election Commission to be an office to which the provisions of this sub-section apply, ^{7***} shall

1. The words “in the same State” ins. by Act 2 of 1956, s. 12 and omitted by Act 58 of 1958, s. 6.
2. Subs. by Act 58 of 1958, s. 7, for s. 19.
3. Subs. by Act 21 of 1989, s. 4, for “twenty-one years” (w.e.f. 28-3-1989).
4. Subs. by Act 58 of 1958, s. 8, for sub-section (1).
5. Subs. by Act 47 of 1966, s. 8, for sub-section (3) (w.e.f. 14-12-1966).
6. The following offices have been declared by the President by Notification No. S.O. 959, dated the 18th April, 1960:—
 - (1) The President of India.
 - (2) The Vice-President of India.
 - (3) Governors of States.
 - (4) Cabinet Ministers of the Union or of any State.
 - (5) The Deputy Chairman and Members of the Planning Commission.
 - (6) The Ministers of State of the Union or of any State.
 - (7) Deputy Ministers of the Union or of any State.
 - (8) The Speaker of the House of the People or of any State Legislative Assembly.
 - (9) The Chairman of any State Legislative Council.
 - (10) Lieutenant Governors of Union territories.
 - (11) The Deputy Speaker of the House of the People or of any State Legislative Assembly.
 - (12) The Deputy Chairman of the Council of States or of any State Legislative Council.
 - (13) Parliamentary Secretaries of the Union or of any State.
7. Certain words omitted by Act 47 of 1966, s. 8 (w.e.f. 14-12-1966).

17. एक से अधिक निर्वाचन-क्षेत्र में किसी व्यक्ति का नाम रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा—एक से अधिक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए ¹*** निर्वाचक नामावली में कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार न होगा।

18. किसी निर्वाचन-क्षेत्र में कोई व्यक्ति एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा—किसी निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में कोई व्यक्ति एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार न होगा।

²[19. रजिस्ट्रीकरण की शर्तें—इस भाग के पूर्वगामी उपबन्धों के अध्याधीन यह है कि हर व्यक्ति जो—

(क) अर्हता की तारीख को ³[18 वर्ष] से कम आयु का नहीं है; तथा

(ख) किसी निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है,

उस निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए हकदार होगा।]

20. "मामूली तौर से निवासी" का अर्थ—⁴[(1) किसी व्यक्ति की बाबत केवल इस कारण कि वह निर्वाचन-क्षेत्र में किसी निवास गृह पर स्वामित्व या कब्जा रखता है यह न समझा जाएगा कि वह उस निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है।

(1क) अपने मामूली निवास-स्थान में अपने आपको अस्थायी रूप से अनुपस्थित करने वाले व्यक्ति की बाबत केवल इसी कारण यह न समझा जाएगा कि वह वहाँ का मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है।

(1ख) संसद् का या किसी राज्य के विधान-मंडल का जो सदस्य ऐसे सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन के समय जिस निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है उसकी बाबत इस कारण कि वह ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के संबंध में उस निर्वाचन-क्षेत्र से अनुपस्थित रहा है यह न समझा जाएगा कि वह अपनी पदावधि के दौरान उस निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है।]

(2) जो व्यक्ति मानसिक रोग या मनोवैकल्य से पीड़ित व्यक्तियों के रखने और चिकित्सा के लिए पूर्णतः या मुख्यतः पोषित किसी स्थापन में चिकित्साधीन है या जो किसी स्थान में कारागार में या अन्य विधिक अभिरक्षा में निरुद्ध है, उसके बारे में केवल इसी कारण यह न समझा जाएगा कि वह वहाँ मामूली तौर से निवासी है।

⁵[(3) किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में, जो सेवा अर्हता रखता है, यह समझा जाएगा कि वह किसी तारीख को उस निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है, जिसमें, यदि उसकी ऐसी सेवा अर्हता न होती तो, वह उस तारीख को मामूली तौर से निवासी होता।]

(4) जो कोई व्यक्ति भारत में ऐसा पद धारण किए हुए है जिसे राष्ट्रपति ने, निर्वाचन आयोग के परामर्श से ऐसा पद वोषित कर दिया है जिसे इस अधिनियम के उद्देश्य लागू हैं ⁷*** उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह

1. 1956 के अधिनियम सं० 2 की धारा 12 द्वारा "उसी राज्य में अन्तःस्थापित" शब्दों का 1958 के अधिनियम सं० 59 की धारा 6 द्वारा लोप किया गया।

2. 1958 के अधिनियम सं० 58 की धारा 7 द्वारा धारा 19 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

3. 1989 के अधिनियम सं० 21 की धारा 4 द्वारा (28-3-1989 से) "21 वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

4. 1958 के अधिनियम सं० 58 धारा 8 द्वारा उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

5. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 8 द्वारा उपधारा (3) के स्थान पर (14-12-1966 से) प्रतिस्थापित।

6. राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित पदों की प्रबन्धसूचना सं० कानूनी प्रावधान, 959, तारीख 18 अप्रैल, 1960 द्वारा प्रेषित किया गया:—

(1) भारत का राष्ट्रपति।

(2) भारत का उप राष्ट्रपति।

(3) राज्यों के राज्यपाल।

(4) संघ या किसी राज्य के मंत्रिमंडल के मंत्री।

(5) योजना आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्य।

(6) संघ या किसी राज्य के राज्य मंत्री।

(7) संघ या किसी राज्य के उपमंत्री।

(8) लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा का अध्यक्ष।

(9) किसी राज्य विधान परिषद् का सभापति।

(10) संघ राज्यक्षेत्रों के उप राज्यपाल।

(11) लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा का उपाध्यक्ष।

(12) राज्य सभा या किसी राज्य विधान परिषद् का उप सभापति।

(13) संघ या किसी राज्य के संसदीय सचिव।

7. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 8 द्वारा कुछ शब्दों का (14-12-1966 से) लोप किया गया।

Representation of the People Act, 1950

(PART II.—Acts of Parliament)

be deemed to be ordinarily resident ^{1***} on any date in the constituency in which, but for the holding of any such office ^{2***}, he would have been ordinarily resident ^{3***} on that date.

(5) The statement of any such person as is referred to in sub-section (3) or sub-section (4) made in the prescribed form and verified in the prescribed manner, that ⁴[but for his having the service qualification] or but for his holding any such office ^{5***} as is referred to in sub-section (4) he would have been ordinarily resident in a specified place ^{1***} on any date, shall, in the absence of evidence to the contrary, be ⁴[accepted as correct].

(6) The wife of any such person as is referred to in sub-section (3) or sub-section (4) shall if she be ordinarily residing with such person ^{6***} be deemed to be ordinarily resident on ^{7***} in the constituency specified by such person under sub-section (5).

⁸[(7) If in any case a question arises as to where a person is ordinarily resident at any relevant time, the question shall be determined with reference to all the facts of the case and to such rules as may be made in this behalf by the Central Government in consultation with the Election Commission.

(8) In sub-sections (3) and (5) "service qualification" means—

- (a) being a member of the armed forces of the Union; or
- (b) being a member of a force to which the provisions of the Army Act, 1950 (46 of 1950), have been made applicable whether with or without modifications; or
- (c) being a member of an armed police force of a State, who is serving outside that State; or
- (d) being a person who is employed under the Government of India, in a post outside India.

⁹[21. **Preparation and revision of electoral rolls.**—(1) The electoral roll for each constituency shall be prepared in the prescribed manner by reference to the qualifying date and shall come into force immediately upon its final publication, in accordance with the rules made under this Act.]

¹⁰[(2) The said electoral roll—

(a) shall, unless otherwise directed by the Election Commission for reasons to be recorded in writing, be revised in the prescribed manner by reference to the qualifying date—

(i) before each general election to the House of the People or to the Legislative Assembly of a State; and

(ii) before each bye-election to fill a casual vacancy in a seat allotted to the constituency; and

1. The words "during any period or" omitted by Act 2 of 1956, s. 14.
2. The words "or employment" omitted by Act 47 of 1966, s. 8 (w.e.f. 14-12-1966).
3. The words "during that period or" omitted by Act 2 of 1956, s. 14.
4. Subs. by Act. 47 of 1966, s. 8, for certain words (w.e.f. 14-12-1966).
5. Certain words omitted by s. 8, *ibid.* (w.e.f. 14-12-1966).
6. The words "during any period" omitted by Act 2 of 1956, s. 14.
7. The words "during that period" omitted by s. 14, *ibid.*
8. Ins. by Act 47 of 1966, s. 8 (w.e.f. 14-12-1966). Original sub-section (7) was omitted by Act 2 of 1956, s. 14.
9. Subs. by Act 2 of 1956, s. 15, for ss. 21 to 25.
10. Subs. by Act 47 of 1966, s. 9, for sub-section (2) (w.e.f. 14-12-1966).

किसी तारीख को^{1****} उस निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है जिसमें, यदि वह कोई ऐसा पद धारण^{2****} न किए होता तो वह, उस तारीख को^{3****} मामूली तौर से निवासी होता।

(5) ऐसे किसी व्यक्ति का, जिसके प्रति उपधारा (3) या उपधारा (4) में निर्देश किया गया है, विहित प्ररूप में किए गए और विहित रीति में सत्यापित, इस कथन की बाबत कि "[यदि मेरी सेवा अर्हता] न होती या मैं किसी ऐसे पद को धारण^{4****} न किए होता, जैसा उपधारा (4) में निर्दिष्ट है, तो मैं एक विनिर्दिष्ट स्थान में किसी तारीख को^{1****} मामूली तौर से निवासी होता, तत्प्रतिकूल साक्ष्य के अभाव में यह [स्वीकार किया जाएगा कि वह शुद्ध है]।

(6) यदि ऐसे किसी व्यक्ति^{5****} की पत्नी, जैसे व्यक्ति के प्रति उपधारा (3) या उपधारा (4) में निर्देश किया गया है, उसके साथ मामूली तौर से^{7****} निवास करती हो, तो ऐसी पत्नी के बारे में यह समझा जाएगा कि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट किए गए निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है।

8[(7) यदि किसी मामले में यह प्रश्न पैदा होता है कि कोई व्यक्ति किसी सुसंगत समय पर वहां का मामूली तौर से निवासी है तो वह प्रश्न मामले के सब तरफों के और ऐसे नियमों के, जैसे केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग के परामर्श से इस निमित्त बनाए जाएं, प्रति निर्देश से अवधारित किया जाएगा।

(8) उपधाराओं (3) और (5) में "सेवा अर्हता" से—

(क) संघ के सशस्त्र बलों का सदस्य होना, अथवा

(ख) ऐसे बल का सदस्य होना, जिसको सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) के उपबन्ध उपान्तरों सहित या रहित लागू कर दिए गए हैं, अथवा

(ग) किसी राज्य के सशस्त्र पुलिस बल का ऐसा सदस्य होना जो उस राज्य के बाहर सेवा कर रहा है, अथवा

(घ) ऐसा व्यक्ति होना, जो भारत सरकार के अधीन भारत के बाहर किसी पद पर नियोजित है, अभिप्रेत है।]

9[21. निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और पुनरीक्षण—(1) हर एक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली अर्हता की तारीख के प्रति निर्देश से और विहित रीति में तैयार की जाएगी और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अपने अंतिम प्रकाशन पर तुरन्त प्रवृत्त हो जाएगी।

10[(2) उक्त निर्वाचक नामावली का—

(क) विहित रीति में पुनरीक्षण तब के सिवाय जबकि उन कारणों से, जो लेखन द्वारा अभिलिखित किए जाएंगे, निर्वाचन आयोग अन्यथा निदेश दे—

(i) लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा के हर एक साधारण निर्वाचन से पहले, तथा

(ii) निर्वाचन-क्षेत्र को आर्बिट्रल स्थान में आकस्मिक रिक्ति भरने के लिए हर एक उपनिर्वाचन से पहले,

अर्हता की तारीख के प्रति निर्देश से किया जाएगा; तथा

-
1. 1956 के अधिनियम सं० 2 की धारा 14 द्वारा "किसी कालावधि के दौरान या" शब्दों का लोप किया गया।
 2. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 8 द्वारा "या नियोजन" शब्दों का (14-12-1966 से) लोप किया गया।
 3. 1956 के अधिनियम सं० 2 की धारा 14 द्वारा "उस कालावधि के दौरान या" शब्दों का लोप किया गया।
 4. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 8 द्वारा कुछ शब्दों को (14-12-1966 से) प्रतिस्थापित किया गया।
 5. पूर्वोक्त की धारा 8 द्वारा कुछ शब्दों का (14-12-1966 से) लोप किया गया।
 6. पूर्वोक्त की धारा 14 द्वारा "किसी कालावधि के दौरान" शब्दों का लोप किया गया।
 7. पूर्वोक्त की धारा 14 द्वारा "उस कालावधि के दौरान" शब्दों का लोप किया गया।
 8. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 8 द्वारा (14-12-1966 से) प्रस्तुत-स्थापित मूल उपधारा (7) 1956 के अधिनियम सं० 2 की धारा 14 द्वारा लोप की गई थी।
 9. 1956 के अधिनियम सं० 2 की धारा 14 द्वारा 21 से 25 तक धाराओं के स्थान पर प्रतिस्थापित।
 10. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 9 द्वारा उपधारा (2) के स्थान पर (14-12-1966 से) प्रतिस्थापित।

(b) shall be revised in any year in the prescribed manner by reference to the qualifying date if such revision has been directed by the Election Commission:

Provided that if the electoral roll is not revised as aforesaid, the validity or continued operation of the said electoral roll shall not thereby be affected.]

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), the Election Commission may at any time, for reasons to be recorded, direct a special revision of the electoral roll for any constituency or part of a constituency in such manner as it may think fit:

Provided that subject to the other provisions of this Act, the electoral roll for the constituency, as in force at the time of the issue of any such direction, shall continue to be in force until the completion of the special revision so directed.

¹[22. **Correction of entries in electoral rolls.**—If the electoral registration officer for a constituency, on application made to him or on his own motion, is satisfied after such inquiry as he thinks fit, that any entry in the electoral roll of the constituency—

(a) is erroneous or defective in any particular,

(b) should be transposed to another place in the roll on the ground that the person concerned has changed his place of ordinary residence within the constituency, or

(c) should be deleted on the ground that the person concerned is dead or has ceased to be ordinarily resident in the constituency or is otherwise not entitled to be registered in that roll,

the electoral registration officer shall, subject to such general or special directions, if any, as may be given by the Election Commission in this behalf, amend, transpose or delete the entry:

Provided that before taking any action on any ground under clause (a) or clause (b) or action under clause (c) on the ground that the person concerned has ceased to be ordinarily resident in the constituency or that he is otherwise not entitled to be registered in the electoral roll of that constituency, the electoral registration officer shall give the person concerned a reasonable opportunity of being heard in respect of the action proposed to be taken in relation to him.]

²[23. **Inclusion of names in electoral rolls.**—(1) Any person whose name is not included in the electoral roll of a constituency may apply to the electoral registration officer for the inclusion of his name in that roll.

(2) The electoral registration officer shall, if satisfied that the applicant is entitled to be registered in the electoral roll, direct his name to be included therein:

Provided that if the applicant is registered in the electoral roll of any other constituency, the electoral registration officer shall inform the electoral registration officer of that other constituency and that officer shall, on receipt of the information, strike off the applicant's name from that roll.

(3) No amendment, transposition or deletion of any entry shall be made under section 22 and no direction for the inclusion of a name in the electoral roll of a constituency shall be given under this section, after the last date for making nominations for an election in that constituency or in the parliamentary constituency within which that constituency is comprised and before the completion of that election.]

1. Subs. by Act 58 of 1958, s. 9, for s. 22.

2. Subs. by Act 47 of 1966, s. 10, for s. 23 (w.e.f. 14-12-1966).

(भाग 2—संसद् के अधिनियम)

(ख) विहित रीति में किसी वर्ष में पुनरीक्षण अर्हता की तारीख के प्रति निर्देश से किया जाएगा यदि ऐसा पुनरीक्षण निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया गया है :

परन्तु यदि निर्वाचक नामावली का यथापूर्वोक्त पुनरीक्षण न किया गया हो तो उससे उक्त निर्वाचक नामावली की विधिमाम्यता या निरन्तर प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(3) उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निर्वाचन आयोग किसी भी निर्वाचन-क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र के भाग के लिए निर्वाचक नामावली के ऐसी रीति में, जिसे वह ठीक समझे विशेष पुनरीक्षण के लिए निर्देश, उन कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, किसी भी समय दे सकेगा :

परन्तु उक्त निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली अपने उस रूप में, जिसमें वह किसी ऐसे निर्देश के निकाले जाने के समय प्रवृत्त है, इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्वधीन रहते हुए तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक ऐसे निर्देश किया गया विशेष पुनरीक्षण समाप्त न हो जाए।

[22. निर्वाचक नामावलियों में की प्रविष्टियों को शुद्धि—यदि किसी निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर का समाधान अपने से आवेदन किए जाने पर या स्वप्रेरणा पर, ऐसी जांच के पश्चात् जैसी वह ठीक समझता है, हो जाता है कि उस निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में कोई प्रविष्टि—

(क) किसी विधि में गलत है या त्रुटिपूर्ण है,

(ख) इस आधार पर कि सम्पूक्त व्यक्ति ने उस निर्वाचन-क्षेत्र के अन्दर अपना मामूली निवास-स्थान बदल दिया है नामावली में अन्यत्र रख दी जानी चाहिए, अथवा

(ग) इस आधार पर कि सम्पूक्त व्यक्ति मर गया है या उस निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है या उस नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अन्यथा हकदार नहीं है, निकाल दी जानी चाहिए,

तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर, ऐसे किन्हीं साधारण या विशेष निर्देशों के, यदि कोई हों, जैसे निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त दिए जाएं, अध्वधीन रहते हुए उस प्रविष्टि को संशोधित कर सकेगा, अन्यत्र रख सकेगा या निकाल सकेगा :

परन्तु खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन किसी आधार पर कोई कार्यवाही या खण्ड (ग) के अधीन इस आधार पर कि सम्पूक्त व्यक्ति उस निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है या वह उस निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अन्यथा हकदार नहीं है कोई कार्यवाही करने से पूर्व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर सम्पूक्त व्यक्ति को उस व्यक्ति के संबंध में की जाने के लिए प्रस्थापित कार्यवाही के बारे में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा।]

[23. निर्वाचक नामावलियों में नामों का सम्मिलित किया जाना—(1) कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम किसी निर्वाचन-क्षेत्रे नामावली में सम्मिलित नहीं है, उस नामावली में अपना नाम सम्मिलित कराने के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर को आवेदन कर सकेगा।

(2) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर का यदि यह समाधान हो जाता है कि आवेदक उस निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए हकदार है तो वह यह निर्देश देगा कि उसका नाम उसमें सम्मिलित किया जाए :

परन्तु यदि आवेदक किसी अन्य निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत है तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर उस अन्य निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर को इतिहा देगा और वह आफिसर ऐसी इत्तिला प्राप्त होने पर उस नामावली में से आवेदक के नाम को काट देगा।

(3) किसी निर्वाचन-क्षेत्र में या उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में, जिसमें वह निर्वाचन-क्षेत्र समाविष्ट है, निर्वाचन के लिए नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख के पश्चात् और उस निर्वाचन की समाप्ति से पूर्व धारा 22 के अधीन कोई भी प्रविष्टि न तो संशोधित की जाएगी, न अन्वय रखी जाएगी और न निकाली जाएगी और न इस धारा के अधीन किसी निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में किसी नाम को सम्मिलित करने के लिए कोई निर्देश ही दिया जाएगा।

1. 1958 के अधिनियम सं० 58 की धारा 9 द्वारा धारा 22 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 10 द्वारा धारा 23 के स्थान पर (14-12-1966 से) प्रतिस्थापित।

¹[24. Appeals.—An appeal shall lie within such time and in such manner as may be prescribed—

(a) to the chief electoral officer, from any order of the electoral registration officer under section 22 or section 23 ^{2***}.

**

*

*

*

*

25. Fee for applications and appeals.—Every application under section 22 or section 23 and every appeal under section 24 shall be accompanied by the prescribed fee which shall, in no case, be refunded.]

³[25A. Conditions of registration as elector in Sangha constituency in Sikkim.—Notwithstanding anything contained in sections 15 and 19, for the Sangha constituency in the State of Sikkim, only the Sanghas belonging to monasteries, recognised for the purpose of the elections held in Sikkim in April, 1974, for forming the Assembly for Sikkim, shall be entitled to be registered in the electoral roll, and the said electoral roll shall, subject to the provisions of sections 21 to 25, be prepared or revised in such manner as may be directed by the Election Commission, in consultation with the Government of Sikkim.]

PART IV

[ELECTORAL ROLLS FOR COUNCIL CONSTITUENCIES]

26. [Preparation of electoral rolls for Assembly constituencies.] *Rep. by the Representation of the People (Amendment) Act, 1956 (2 of 1956), s. 17.*

27. Preparation of electoral roll for Council constituencies.—(1) In this section, “local authorities’ constituency”, “graduates’ constituency” and “teachers’ constituency” mean a constituency for the purpose of elections to a Legislative Council under sub-clause (a), sub-clause (b) and sub-clause (c), respectively, of clause (3) of article 171.

⁵[(2) For the purpose of elections to the Legislative Council of a State in any local authorities’ constituency—

(a) the electorate shall consist of members of such local authorities exercising jurisdiction in any place or area within the limits of that constituency as are specified in relation to that State in the Fourth Schedule;

(b) every member of each such local authority within a local authorities’ constituency shall be entitled to be registered in the electoral roll for that constituency;

(c) the electoral registration officer for every local authorities’ constituency shall maintain in his office in the prescribed manner and form the electoral roll for that constituency corrected up-to-date;

(d) in order to enable the electoral registration officer to maintain the electoral roll corrected up-to-date, the chief executive officer of every local authority (by whatever designation such officer may be known) shall immediately inform the electoral registration officer about every change in the membership of that local authority; and the electoral registration officer shall, on receipt of the information, strike off from the electoral roll the names of persons who have ceased to be, and include therein the names of persons who have become members of that local authority; and

1. Ins. by Act 40 of 1961, s. 3 (w.e.f. 20-9-1961). Former s. 24 ins. by Act 60 of 1956, s. 2 and was omitted by Act 58 of 1958, s. 10.

2. The word “and” and cl. (b) omitted by Act 47 of 1966, s. 11 (w.e.f. 14-12-1966).

3. Ins. by Act 10 of 1976, s. 2 and Sch. (w.e.f. 9-9-1975).

4. Subs. by Act 2 of 1956, s. 16, for the former heading.

5. Subs. by s. 18, *ibid.*, for sub-section (2).

1[24. अपीलें—यथाविहित समय के अन्दर और रीति में, अपील—

(क) किसी ऐसे आदेश के खिलाफ जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर ने धारा 22 या धारा 23 के अधीन किया है, मुख्य निर्वाचन आफिसर को होगी * * * *

* * * * *

25. आवेदनों और अपीलों के लिए फीस—धारा 22 या धारा 23 के अधीन हर आवेदन और धारा 24 के अधीन हर अपील के साथ विहित फीस होगी जो किसी भी दशा में वापस नहीं की जाएगी।]

2[25क. सिक्किम के संघ निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकरण की शर्तें—धारा 15 और 19 में किसी बात के होते हुए भी, सिक्किम राज्य में संघ निर्वाचन-क्षेत्र के लिए, मठों के केवल वे संघ, निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने के हकदार होंगे, जिन्हें सिक्किम की समा बनाने के लिए अप्रैल, 1974 में सिक्किम में किए गए निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए मान्यता दी गई थी और उक्त निर्वाचक नामावली को, धारा 21 से 25 तक की धाराओं के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसी रीति से तैयार किया जाएगा या पुनरीक्षित किया जाएगा, जो सिक्किम सरकार के परामर्श से निर्वाचन आयोग द्वारा निदिष्ट की जाए।]

भाग 4

4[परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियां]

26. [सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियों की तैयारी]—लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1956 (1956 का 2) की धारा 17 द्वारा निरसित।

27. परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियों की तैयारी—(1) इस धारा में "स्थानीय प्राधिकारी", "निर्वाचन-क्षेत्र", "स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र" और "शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र" से विधान परिषद् के लिए अनुच्छेद 171 के खंड 3 के क्रमशः उपखंड (क), उपखंड (ख) और उपखंड (ग) के अधीन निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए निर्वाचन-क्षेत्र अभिप्रेत हैं।

2[(2) किसी स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र में राज्य की विधान परिषद् के लिए निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए—

(क) निर्वाचन मंडल उम क्षेत्र की सीमाओं के भीतर के किसी स्थान या क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले ऐसे स्थानीय प्राधिकारियों के मददगार बनेगा जैसे उम राज्य के सम्बन्ध में चतुर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं,

(ख) स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र के भीतर के हर एक ऐसे स्थानीय प्राधिकारी का हर सदस्य उम निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए हकदार होगा,

(ग) हर स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर उस निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली अद्यतन शोधित करके विहित रीति और प्ररूप में अपने कार्यालय में बनाए रखेगा,

(घ) निर्वाचक नामावली को अद्यतन शोधित करके बनाए रखने के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर को समर्थ बनाने के लिए हर स्थानीय प्राधिकारी का मुख्य कार्यपालक आफिसर (चाहे ऐसा आफिसर किसी भी पदाभिधान से ज्ञात क्यों न हों) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर को उम स्थानीय प्राधिकारी की सदस्यता में के हर परिवर्तन की बाबत तुरन्त इतिला देगा और निर्वाचक-रजिस्ट्रीकरण आफिसर उस इतिला के प्राप्त होने पर, निर्वाचक नामावली से उन व्यक्तियों के नाम काट देगा जो उस स्थानीय प्राधिकारी के सदस्य नहीं रहे और उन व्यक्तियों के नाम उसमें सम्मिलित कर लेगा जो उस स्थानीय प्राधिकारी के सदस्य हो गए हैं, तथा

1. 1961 के अधिनियम सं. 40 की धारा 3 द्वारा (20-9-1961) से अन्तःस्थापित। पूर्ववर्ती धारा 24 1956 के अधिनियम सं. 60 की धारा 2 द्वारा अन्तःस्थापित और 1958 के अधिनियम सं. 58 की धारा 10 द्वारा लोप किया गया था।

2. 1966 के अधिनियम सं. 47 की धारा 11 द्वारा शब्द "और" और खण्ड (ख) का (14-2-1966 से) लोप किया गया।

3. 1976 के अधिनियम सं. 10 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (9-9-1975 से) अन्तःस्थापित।

4. 1956 के अधिनियम सं. 2 की धारा 16 द्वारा पूर्ववर्ती शोधक के स्थान पर प्रतिस्थापित।

5. पूर्ववर्ती की धारा 18 द्वारा उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(PART II.—Acts of Parliament)

(e) the provisions of sections 15, 16, 18, 22 and 23 shall apply in relation to local authorities, constituencies as they apply in relation to assembly constituencies.]

(3) For the purpose of elections to the Legislative Council of a State in the graduates' constituencies and the teachers' constituencies, the State Government concerned may, with the concurrence of the Election Commission, by notification in the Official Gazette, specify—

(a) the qualifications which shall be deemed to be equivalent to that of a graduate of a university² in the territory of India, and

(b) the educational institutions within the State not lower in standard than that of a secondary school.

¹(4) The provisions of sections 15, 16, 18, 21, 22 and 23 shall apply in relation to graduates' constituencies and teachers' constituencies as they apply in relation to assembly constituencies.]

(5) Subject to the foregoing provisions of this section,—

2* * * *

³[(a)] every person who ⁴[is] ordinarily resident in a graduates' constituency and has, for at least three years ⁵[before the qualifying date], been either a graduate of a university in the territory of India or in possession of any of the qualifications specified under clause (a) of sub-section (3) by the State Government concerned, shall be entitled to be registered in the electoral roll for that constituency; and

⁶[(b)] every person who ⁴[is] ordinarily resident in a teachers' constituency, and has, within the six years immediately ⁵[before the qualifying date] for a total period of at least three years, been engaged in teaching in any of the educational institutions specified under clause (b) of sub-section (3) by the State Government concerned shall be entitled to be registered in the electoral roll for that constituency.

⁷(6) For the purposes of sub-sections (4) and (5) the qualifying date shall be the 1st day of November of the year in which the preparation or revision of the electoral roll is commenced.]

⁸[PART IVAMANNER OF FILLING SEATS IN THE COUNCIL OF STATES TO BE FILLED BY REPRESENTATIVES OF
⁹[UNION TERRITORIES]

27A. Constitution of electoral colleges for the filling of seats in the Council of States allotted to Union territories.—(1) ¹⁰[For the purpose of filling any seat] or seats in the Council of States allotted to any ⁹[Union territory] ^{11***} in the Fourth Schedule to the Constitution there shall be an electoral college for ¹²[each such territory] ^{13***}.

13* * * * *
14* * * * *

-
1. Subs. by Act 2 of 1956, s. 18, for sub-section (4).
 2. Cl. (a) omitted by s. 18, *ibid.*
 3. Cl. (b) re-lettered as cl. (a) by s. 18, *ibid.*
 4. Subs. by Act 40 of 1961, s. 4, for "on the qualifying date was" (w.e.f. 20-9-1961).
 5. Subs. by s. 4, *ibid.*, for "before that date" (w.e.f. 20-9-1961).
 6. Cl. (c) re-lettered as cl. (b) by Act 2 of 1956, s. 18.
 7. Subs. by Act 40 of 1961, s. 4, for sub-section (6) (w.e.f. 20-9-1961).
 8. Part IVA ins. by Act 73 of 1950, s. 8.
 9. Subs. by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956, for "Part C States".
 10. Subs. by Act 29 of 1975, s. 11 (w.e.f. 15-8-1975).
 11. The words "or group of such States" omitted by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956.
 12. Subs. *ibid.*, for "each such State".
 13. The words "or group of States" and proviso omitted by Act 2 of 1956, s. 19.
 14. Sub-section (2) omitted by Act 20 of 1963, s. 57 and Sch. II.

(ड) धारा 15, 16, 18, 22 और 23 के उपबंध स्थानीय अधिकारी निर्वाचन-क्षेत्रों के सम्बन्ध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे सभी निर्वाचन-क्षेत्रों के सम्बन्ध में लागू होते हैं ।

(3) स्नातक निर्वाचन-क्षेत्रों और शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्रों में किसी राज्य की विधान परिषद् के लिए निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए सम्पूक्त राज्य सरकार, निर्वाचन आयोग की सहमति से, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा—

(क) वे अर्हताएं, जो भारत के राज्यक्षेत्र में के विश्वविद्यालय के स्नातक के समतुल्य समझी जाएंगी, तथा

(ख) राज्य के भीतर की वे शैक्षणिक संस्थाएं, जो माध्यमिक विद्यालय के स्तर से नीचे की नहीं हैं, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।

[(4) धारा 15, 16, 18, 21, 22 और 23 के उपबंध स्नातक निर्वाचन-क्षेत्रों और शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्रों के सम्बन्ध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे अभा निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में लागू होते हैं ।

(5) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए यह है कि—

* * * * *

[(क)] हर व्यक्ति, जो किसी स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी ⁹[हि] और ⁹[अर्हता की तारीख से पहले] कम से कम तीन वर्ष तक या तो भारत के राज्यांत्र में के किसी विश्वविद्यालय का स्नातक या या सम्पूक्त राज्य सरकार द्वारा उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन विनिर्दिष्ट अर्हताओं में से कोई अर्हता रखता था, उस निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए हकदार होगा, तथा

⁹[(ख) हर व्यक्ति, जो किसी शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी ⁹[हि] और ⁹[अर्हता की तारीख से] अव्यवहित ⁹[पूर्व] छह वर्ष के भीतर कम से कम तीन वर्ष की कुल कालावधि के लिए सम्पूक्त राज्य सरकार द्वारा उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट शैक्षणिक संस्थाओं में से किसी में शिक्षा देने में लगा रहा हो, उस निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए हकदार होगा ।

[(6) उपधारा (4) और उपधारा (5) के प्रयोजनों के लिए अर्हता की तारीख उस वर्ष के नवम्बर के पहले दिन की तारीख होगी जिसमें निर्वाचक नामावली की तैयारी या पुनरीक्षण प्रारम्भ किए जाएं ।]

⁹[भाग 4क

⁹[संघ राज्यक्षेत्रों] के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले राज्य सभा में के स्थानों को भरने की रीति

27क. संघ राज्यक्षेत्रों को आबंटन में मिले राज्य सभा में के स्थानों को भरने के लिए निर्वाचकगणों का गठन—
(1) किसी ⁹[संघ राज्यक्षेत्र] ¹⁰*** को संविधान की चतुर्थ अनुसूची में आबंटन में मिले राज्य सभा के ¹¹[किसी स्थान] या किन्हीं स्थानों ¹¹[को भरने के प्रयोजन के] लिए ¹²[हर एक ऐसे राज्य क्षेत्र] ¹³*** के लिए एक निर्वाचकगण होगा ।

13* * * * *
14* * * * *

1. 1956 के अधिनियम सं० 2 की धारा 18 द्वारा उपधारा (4) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. पूर्वोक्त की धारा 18 द्वारा खण्ड (क) का लोप किया गया ।
3. पूर्वोक्त की धारा 18 द्वारा खण्ड (ख) को खण्ड (क) के रूप में पुनःप्रसारित किया गया ।
4. 1961 के अधिनियम सं० 40 की धारा 4 द्वारा "अर्हता की तारीख कोष" के स्थान पर (20-9-1961 से) प्रतिस्थापित ।
5. पूर्वोक्त की धारा 4 द्वारा "उस तारीख से पहले" के स्थान पर (20-9-1961 से) प्रतिस्थापित ।
6. 1956 के अधिनियम सं० 2 की धारा 18 द्वारा खण्ड (ग) को खण्ड (ख) के रूप में पुनःप्रसारित किया गया ।
7. 1961 के अधिनियम सं० 40 की धारा 4 द्वारा उपधारा (6) के स्थान पर (20-9-1961 से) प्रतिस्थापित ।
8. 1950 के अधिनियम सं० 73 की धारा 8 द्वारा भाग 4क प्रन्तःस्थापित ।
9. विधि अनुकूलन (सं० 2) अधिनियम, 1956 द्वारा "भाग ग राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
10. पूर्वोक्त द्वारा "या ऐसे राज्यों का समूह" शब्दों का लोप किया गया ।
11. 1975 के अधिनियम सं० 29 की धारा 11 द्वारा (15-8-1975 से) प्रतिस्थापित ।
12. पूर्वोक्त द्वारा "ऐसा प्रत्येक राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
13. 1956 के अधिनियम सं० 2 की धारा 19 द्वारा "या राज्यों का समूह" शब्दों और परन्तुक का लोप किया गया ।
14. 1963 के अधिनियम सं० 20 की धारा 57 और द्वितीय अनुसूची द्वारा उपधारा (2) का लोप किया गया ।

(PART II.—Acts of Parliament)

¹[(3) The electoral college for the Union territory of Delhi shall consist of the elected members of the Legislative Assembly constituted for that territory under the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991.]

²[(4) ³The electoral college for the Union territory of ⁴*** Pondicherry] shall consist of the elected members of the Legislative Assembly constituted for that territory under the Government of Union Territories Act, 1963 (20 of 1963.)

* * * * *

27B. [Electoral college constituencies.] Rep. by the Territorial Council Act, 1956 (103 of 1956), s. 65.

27C. [Delimitation of electoral college constituencies.] Rep. by s. 65, *ibid.*

27D. [Power to alter or amend orders.] Rep. by s. 65, *ibid.*

27E. [Procedure as to orders delimiting constituencies.] Rep. by the Representation of the People (Amendment) Act, 1956 (2 of 1956), s. 21.

27F. [Electoral rolls for Council of States constituencies.] Rep. by s. 22, *ibid.*

27G. Termination of membership of electoral college for certain disqualifications.—If a person who is a member of an electoral college becomes subject to any disqualification for membership of Parliament under the provisions of any law relating to corrupt and illegal practices and other offences in connection with elections to Parliament, he shall thereupon cease to be such member of the electoral college.

27H. Manner of filling of seats in the Council of States allotted to Union territories.—⁷* * * The seat or seats in the Council of States allotted to any ⁸[Union territory] ⁹* * * in the Fourth Schedule to the Constitution shall be filled by a person or persons elected by the members of the electoral college for ¹⁰[that territory] ¹¹* * * in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote:

¹²[Provided that the person who immediately before the commencement of the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, is filling the seat allotted to the Part C States of Manipur and Tripura shall, as from such commencement, be deemed to have been duly elected to fill the seat allotted to the Union territory of Tripura.]

27I. [Special provisions for the filling of the seats in the Council of States allotted to the States of Ajmer and Coorg and the States of Manipur and Tripura.] Rep. by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956.

27J. Powers of electoral colleges to elect notwithstanding vacancies therein.—No election by the members of an electoral college ¹³* * * under this Act shall be called in question on the ground merely of the existence of any vacancy in the membership of such college ¹³* * *.

27K. [Electoral colleges for certain States for which Legislative Assemblies have been constituted.] Rep. by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956.]

1. Subs. by Act 1 of 1992, s. 55 for sub-section (3) (w.e.f. 2-10-1993).

2. Subs. by Act 20 of 1963, s. 57 and Sch. II, for sub-section (4).

3. Subs. by Act 69 of 1986, s. 7, for certain words (w.e.f. 20-2-1987).

4. The word "Mizoram" omitted by Act 34 of 1986, s. 7 (w.e.f. 20-2-1987)

5. Sub-section (5) omitted by Act 29 of 1975, s. 11 (w.e.f. 15-8-1975).

6. Sub-section (6) omitted by Act 32 of 1954, s. 7.

7. Certain words omitted by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956.

8. Subs., *ibid.*, for "Part C States".

9. The words "or group of such States" omitted. *ibid.*

10. Subs., *ibid.*, for "such State".

11. The words "or group of States" omitted by Act 2 of 1956, s. 23.

12. Ins. by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956.

13. Certain words omitted by Act 49 of 1951, s. 44 and Sch. V.

(भाग 2—संसद के अधिनियम)

1[(3) दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र के लिए निर्वाचकगण उस राज्यक्षेत्र के लिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 के अधीन गठित विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनेगा।]

2[(4) * * * पांडिचेरी मंत्र राज्यक्षेत्र के लिए निर्वाचकगण] उम विधान सभा के निर्वाचन सदस्यों से मिलकर बनेगा जो संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 के अधीन उम राज्यक्षेत्र के लिए गठित की गई हो।

3* * * * *
6* * * * *

27छ. [निर्वाचकगण निर्वाचन-क्षेत्र¹]—क्षेत्रीय परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 103) द्वारा निरमित।

27ग. [निर्वाचकगण निर्वाचन-क्षेत्र परिसोमन।]—पूर्वोक्त की धारा 65 द्वारा निरमित।

27घ. [आदेश का परिवर्तन और संशोधन करने की शक्ति]—पूर्वोक्त की धारा 65 द्वारा निरमित।

27ङ. [निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमित आदेशों की प्रक्रिया।]—लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1956 (1956 का 2) की धारा 21 द्वारा निरमित।

27च. [राज्य सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली।]—पूर्वोक्त की धारा 22 द्वारा निरमित।

27छ. फतिपय निरहंताओं के लिए निर्वाचकगण की सदस्यता का पर्यवसान—यदि वह व्यक्ति, जो किसी निर्वाचकगण का सदस्य है, संसद की सदस्यता के लिए किसी निरहंता के अध्यक्षीन ऐसी किसी विधि के उपबन्धों के अधीन हो जाए जो संसद के निर्वाचनों में सम्बद्ध भ्रष्ट और अवैध आचरणों और अन्य धाराओं के सम्बन्ध में है तो वह ऐसा होने पर उम राज्य निर्वाचकगण का सदस्य नहीं रह जाएगा।

27ज. संघ राज्यक्षेत्रों को आबंटन में मिले राज्य सभा में के स्थानों को भरने की रीति—किसी [संघ राज्यक्षेत्र²] को संवैधान की³ चतुर्थ अनुसूची में आबंटन में मिले राज्य सभा में के स्थान या स्थानों को⁴ [उस राज्य क्षेत्र]⁵ के लिए निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा आनुपाति; प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणय मन द्वारा निर्वाचित व्यक्ति या व्यक्तियों से भरा जाएगा।

12[परन्तु जो व्यक्ति संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, 1953 के प्रारम्भ के अव्यवहितपूर्व मणिपुर और त्रिपुरा के भाग ग राज्यों को आबंटन में मिले स्थान को धारण किए हुए है उस व्यक्ति की बाबत यह समझा जाएगा कि वह त्रिपुरा के संघ राज्यक्षेत्रों के आबंटन में मिले स्थान को ऐसे प्रारम्भ में ही भरने के लिए मध्यक रूप में निर्वाचित हुआ है।]

27झ. [राज्य सभा के लिए अजमेर और कुर्ग राज्यों और मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों के स्थान भरने के लिए विशेष उपबन्ध]—विधि अनुकूलन (संशु 2) आदेश, 1956 द्वारा निरमित।

27ञ. निर्वाचकगणों में रिक्तियां होते हुए भी उनका निर्वाचन करने की शक्ति—किसी निर्वाचकगण¹³ के सदस्यों द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई भी निर्वाचन तबे गण की सदस्यता में किसी रिक्ति के विद्यमान होने के आधार पर ही प्रश्नगत न किया जाएगा।

27ड. [कुछ राज्यों के लिए जिनके लिए विधान सभाएं बनाई गई हैं, निर्वाचक गण]—विधि अनुकूलन (सं 2) आदेश, 1956 द्वारा निरमित।

1. 1992 के अधिनियम सं 1 की धारा 55 द्वारा (2-10-1993 से) उपधारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1963 के अधिनियम सं 20 की धारा 57 और द्वितीय अनुसूची द्वारा उपधारा (4) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. 1986 के अधिनियम सं 69 की धारा 7 द्वारा (20-2-1987 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. 1986 के अधिनियम सं 34 की धारा 7 द्वारा (20-2-1987 से) "मिजोरम" शब्द लोप किया गया।
5. 1975 के अधिनियम सं 29 की धारा 11 द्वारा उपधारा (5) का (15-8-1975 से) लोप किया गया।
6. 1954 के अधिनियम सं 32 की धारा 7 द्वारा उपधारा (6) का लोप किया गया।
7. विधि अनुकूलन (सं 2) आदेश, 1956 द्वारा "भाग ग राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
8. पूर्वोक्त द्वारा "या ऐसे राज्यों का समूह" शब्दों का लोप किया गया।
9. विधि अनुकूलन (सं 2) आदेश, 1956 द्वारा कुछ शब्दों का लोप किया गया।
10. विधि अनुकूलन (सं 2) आदेश, 1956 द्वारा "ऐसा राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
11. 1956 के अधिनियम सं 2 की धारा 23 द्वारा "या राज्यों का समूह" शब्दों का लोप किया गया।
12. विधि अनुकूलन (सं 2) आदेश, 1956 द्वारा अन्तःस्थापित।
13. 1951 के अधिनियम सं 49 की धारा 44 और पांचवीं अनुसूची द्वारा कुछ शब्दों का लोप किया गया।

(PART II.—Acts of Parliament)

PART V

GENERAL

28. Power to make rules.—(1) The Central Government may, after consulting the Election Commission, by notification in the Official Gazette, make rules¹ for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

²[(a) the determination of ordinary residence under sub-section (7) of section 20;

(aa) the particulars to be entered in the electoral rolls;]

(b) the preliminary publication of electoral rolls³ * * *;

(c) the manner in which and the time within which claims and objections as to entries in electoral rolls may be preferred;

* * * * *

(e) the manner in which notices of claims or objections shall be published;

(f) the place, date and time at which claims or objections shall be heard and the manner in which claims or objections shall be heard and disposed of;

(g) the final publication of electoral rolls;

⁴[(h) the revision and correction of electoral rolls and inclusion of names therein;]

(i) any other matter required to be prescribed by this Act.

⁵[(3) Every rule made by the Central Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.]

29. Staff of local authorities to be made available.—Every local authority in a State shall, when so requested by the chief electoral officer of the State, make available to any electoral registration officer such staff as may be necessary for the performance of any duties in connection with the preparation and revision of electoral rolls.]

30. Jurisdiction of civil courts barred.—No civil court shall have jurisdiction—

(a) to entertain or adjudicate upon any question whether any person is or is not entitled to be registered in an electoral roll for a constituency; or

1. See the Registration of Electors Rules, 1960, in Volume II, *infra*.

2. Subs. by Act 47 of 1966, s. 12, for cl. (a) (w.e.f. 14-12-1966).

3. Certain words omitted by Act 73 of 1950, s. 9.

4. Cl. (d) omitted by Act 20 of 1960, s. 3.

5. Subs. by Act 2 of 1956, s. 24, for cl. (h).

6. Subs. by Act 88 of 1976, s. 6, for sub-section (3).

7. Subs. by Act 2 of 1956, s. 25, for s. 29.

भाग 5

साधारण

28. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम¹ निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात् शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

(2) विशिष्ट और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सब विषयों के लिए या उनमें से किन्हीं के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात्:—

१[(क) मामूली तौर से निवास की धारा 20 की उपधारा (7) के अधीन प्रवधारण;

(कक) निर्वाचक नामावलियों में प्रविष्ट की जाने वाली विशिष्टियाँ];

(ख) निर्वाचक नामावलियों 3*** का प्रारम्भिक प्रकाशन;

(ग) वह रीति जिसमें और वह समय जिसके भीतर निर्वाचक नामावलियों में की प्रविष्टियों की बाबत दावे और आक्षेप किए जा सकेंगे;

** * * * *

(ङ) वह रीति जिसमें दावों या आक्षेपों की सूचनाएं प्रकाशित की जाएंगी;

(च) वह स्थान, तारीख और समय, जिसमें या जिस पर दावे या आक्षेप सुने जाएंगे और वह रीति जिसमें दावे या आक्षेप सुने और निपटाए जाएंगे;

(छ) निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन;

१[(ज) निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण और शुद्धि तथा उसके अन्दर नामों को सम्मिलित करना;]

(झ) कोई भी ऐसी अन्य बात जो इस अधिनियम द्वारा विहित किए जाने के लिए अपेक्षित है।

१[(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथा शीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभाव होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।]

१[29. स्थानीय प्राधिकारियों के कर्मचारीवृन्द का उपलब्ध किया जाना—राज्य में का हर स्थानीय प्राधिकारी राज्य के मुख्य निर्वाचन आफिसर द्वारा ऐसे अपेक्षित किए जाने पर किसी भी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर को ऐसा कर्म-चारिवृन्द उपलब्ध करेगा जैसा निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और पुनरीक्षण से संसक्त किन्हीं कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक है।]

30. सिविल न्यायालयों की अधिकारिता वर्जित—किसी भी सिविल न्यायालय को--

(क) कोई ऐसा प्रश्न कि कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए हकदार है या नहीं ग्रहण करने या न्यायनिर्णीत करने को, अथवा

1. प्रांशे चिह्न 2 में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 देखिए।
2. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 12 द्वारा खण्ड (क) के स्थान पर (14-12-1966 से) प्रतिस्थापित।
3. 1950 के अधिनियम सं० 73 की धारा 9 द्वारा कुछ शब्दों का लोप किया गया।
4. 1960 के अधिनियम सं० 20 की धारा 3 द्वारा खण्ड (घ) का लोप किया गया।
5. 1956 के अधिनियम सं० 2 की धारा 24 द्वारा खण्ड (ज) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. 1976 के अधिनियम सं० 88 की धारा 6 द्वारा उपधारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
7. 1956 के अधिनियम सं० 2 की धारा 25 द्वारा धारा 29 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(PART II.—Acts of Parliament)

(b) to question the legality of any action taken by or under the authority of an electoral registration officer, or of any decision given by any authority appointed under this Act for the revision of any such roll.

31. Making false declarations.—If any person makes in connection with—

(a) the preparation, revision or correction of an electoral roll, or

(b) the inclusion or exclusion of any entry in or from an electoral roll,

a statement or declaration in writing which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.]

32. Breach of official duty in connection with the preparation, etc., of electoral rolls.—(1) If any electoral registration officer, assistant electoral registration officer or other person required by or under this Act to perform any official duty in connection with the preparation, revision or correction of an electoral roll or the inclusion or exclusion of any entry in or from that roll, is without reasonable cause, guilty of any act or omission in breach of such official duty, he shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees.

(2) No suit or other legal proceeding shall lie against any such officer or other person for damages in respect of any such act or omission as aforesaid.

(3) No court shall take cognizance of any offence punishable under sub-section (1) unless there is a complaint made by order of, or under authority from, the Election Commission or the chief electoral officer of the State concerned.]

THE FIRST SCHEDULE

(See section 3)

Allocation of Seats in the House of the People

Name of the State/Union territory	Number of seats in the House as constituted on 1-1-1973			Number of seats in the House as subsequently constituted		
	Total	Reserved for the Scheduled Castes	Reserved for the Scheduled Tribes	Total	Reserved for the Scheduled Castes	Reserved for the Scheduled Tribes
1	2	3	4	5	6	7
I. STATES :						
1. Andhra Pradesh	41	6	2	42	6	2
2. Arunachal Pradesh	1	..	1	2]
3. Assam	14	1	2	14	1	2
4. Bihar	53	7	5	54	8	5

1. Ins. by Act 58 of 1958, s. 11.

2. Subs. by Act 20 of 1960, s. 4, for s. 31.

3. Subs. by Act 88 of 1976, s. 7, for the First and Second Schedules

4. Ins. by Act 69 of 1986, s. 8 (w.e.f. 20-2-1987).

5. Renumbered by s. 8, *ibid.* (w.e.f. 20-2-1987).

(भाग 2—संसद् के अधिनियम)

(ख) किसी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के प्राधिकार के द्वारा या अधीन की गई किसी कार्यवाही की या ऐसी किसी नामावली के पुनरीक्षण के लिए इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी विनिश्चय की वैधता को प्रश्नगत करने की,

अधिकारिता न होगी।

¹[31. मिथ्या घोषणाएं करना—यदि कोई व्यक्ति—

(क) किसी निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण या शुद्धि के, अथवा

(ख) किसी प्रविष्टि के किसी निर्वाचक नामावली में सम्मिलित या उसमें अपवर्जित किए जाने के संबंध में,

ऐसा कथन या ऐसी घोषणा लिखित रूप में करेगा जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान है या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा।]

32. निर्वाचक नामावलियों की तैयारी आदि से संसद के पदों के कर्तव्यों का भंग—(1) यदि कोई निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर या अन्य व्यक्ति जो किसी निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण या शुद्धि से संसद या किसी प्रविष्टि को उस निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करने या उससे अपवर्जित करने से संसद किसी पदीय कर्तव्य के पालन के लिए इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, ऐसे पदीय कर्तव्य के भंग में किसी कार्य या कार्यलोप का दोषी व्यक्ति हेतुक के बिना होगा, तो वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(2) पूर्वोक्त जैसे किसी कार्य या कार्यलोप की बाबत नुकसानी के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही ऐसे किसी आफिसर या अन्य व्यक्ति के खिलाफ न होगी।

(3) जब तक कि निर्वाचन आयोग या सम्पूक्त राज्य के मुख्य निर्वाचन आफिसर के आदेश द्वारा या प्राधिकार के अधीन परिवर्तन किया गया हो, कोई भी न्यायालय उपधारा (1) के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान न करेगा।]

²[प्रथम अनुसूची

(धारा 3 देखिए)

लोक सभा के स्थानों का आबंटन

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	1-1-1973 की यथागठित सदन में स्थानों की संख्या			तत्पश्चात् यथागठित सदन में स्थानों की संख्या		
	कुल	अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित	अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित	कुल	अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित	अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित
1	2	3	4	5	6	7
I. राज्य :						
1. आन्ध्र प्रदेश	41	6	2	42	6	2
³ [2.] अरुणाचल प्रदेश	1	..	1	2	..	1
⁶ [3.] असम	14	1	2	14	1	2
⁹ [4.] बिहार	53	7	5	54	8	5

1. 1958 के अधिनियम सं० 58 की धारा 11 द्वारा अंतःस्थापित।
2. 1960 के अधिनियम सं० 20 की धारा 4 द्वारा धारा 31 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. 1976 के अधिनियम सं० 88 की धारा 7 द्वारा प्रथम अनुसूची और द्वितीय अनुसूची के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. 1986 के अधिनियम सं० 69 की धारा 8 द्वारा (20-2-1987 से) अंतःस्थापित।
5. 1986 के अधिनियम सं० 69 की धारा 8 द्वारा (20-2-1987 से) पुनः संख्यांकित।

Representation of the People Act, 1950

(PART II.—Acts of Parliament)

1	2	3	4	5	6	7
¶5. Goa	2]
¶6.] Gujarat	24	2	3	26	2	4
¶7.] Haryana	9	2	..	10	2	..
¶8.] Himachal Pradesh	4	1	..	4	1	..
¶9.] Jammu and Kashmir	6	6
¶10.] Karnataka	27	4	..	28	4	..
¶11.] Kerala	19	2	..	20	2	..
¶12.] Madhya Pradesh	37	5	8	40	¶6]	¶9]
¶13.] Maharashtra	45	3	3	48	3	¶4]
¶14.] Manipur	2	..	1	2	..	1
¶15.] Meghalaya	2	..	2	2
¶16.] Mizoram	1	..	1	1	..	1]
¶17.] Nagaland	1	1
¶18.] Orissa	20	3	5	21	3	5
¶19.] Punjab	13	3	..	13	3	..
¶20.] Rajasthan	23	4	3	25	4	3
¶21.] Sikkim	1
¶22.] Tamil Nadu	39	7	..	39	7	..
¶23.] Tripura	2	..	1	2	..	1
¶24.] Uttar Pradesh	85	18	..	85	18	..
¶25.] West Bengal	40	8	2	42	8	2
II. UNION TERRITORIES :						
1. Andaman and Nicobar Islands	1	1
¶2.] Chandigarh	1	1
¶3.] Dadra and Nagar Haveli	1	..	1	1	..	1
¶4.] Delhi	7	1	..	7	1	..
¶5.] Daman and Diu	1	1
6. Lakshadweep	1	..	1	1	..	1
¶7.] Pondicherry	1	1
TOTAL	522	77	41	543	79	41

1. Ins. by Act 18 of 1987, s. 8 (w.e.f. 30-5-1987).

2. Renumbered by s. 8, *ibid.* (w.e.f. 30-5-1987).

3. Sub. by Notifn. No. S.O. 3567, dated 16-10-1979, for "5".

4. Subs. *ibid.* for "8".

5. Subs. by Notifn. No. S.O. 35(E), dated 21-1-1978, for "3".

6. Ins. by Act 34 of 1936, s. 8 (w.e.f. 20-2-1987).

7. Renumbered by s. 8, *ibid.* (w.e.f. 20-2-1987).

8. Entry relating to Arunachal Pradesh omitted by Act 69 of 1986, s. 8 (w.e.f. 20-2-1987).

9. Renumbered by s. 8, *ibid.* (w.e.f. 20-3-1987).

10. Subs. by Act 18 of 1987, s. 12, for the entry relating to Goa, Daman and Diu (w.e.f. 30-5-1987).

11. Entry relating to Mizoram omitted by Act 34 of 1986, s. 8 (w.e.f. 20-2-1987).

12. Renumbered by s. 8, *ibid.* (w.e.f. 20-2-1987).

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950
(भाग 2—संसद् के अधिनियम)

50

1	2	3	4	5	6	7
1[5.] गोवा	2
2[6.] गुजरात	24	2	3	26	2	4
2[7.] हरियाणा	9	2	..	10	2	..
2[8.] हिमाचल प्रदेश	4	1	..	4	1	..
2[9.] जम्मू-कश्मीर	6	6
2[10.] कर्नाटक	27	4	..	28	4	..
2[11.] केरल	19	2	..	20	2	..
2[12.] मध्य प्रदेश	37	5	8	40	3[6]	4[9]
2[13.] महाराष्ट्र	45	3	3	48	3	5[4]
2[14.] मणिपुर	2	..	1	2	..	1
2[15.] मेघालय	2	..	2	2
2[16.] मिजोरम	1	..	1	1	..	1]
2[17.] नागालैंड	1	1
2[18.] उड़ीसा	20	3	5	21	3	5
2[19.] पंजाब	13	3	..	13	3	..
2[20.] राजस्थान	23	4	3	25	4	3
2[21.] सिक्किम	1
2[22.] तमिलनाडु	39	7	..	39	7	..
2[23.] त्रिपुरा	2	..	1	2
2[24.] उत्तर प्रदेश	85	18	..	85	18	..
2[25.] पश्चिमी बंगाल	40	8	2	42	8	2
II. संघ राज्यक्षेत्र						
1. अण्डमान और निकोबार द्वीप	1	--	--	1	--	--
5*	*	*	*		*	
2[2.] चण्डीगढ़	1	--	--	1	--	--
2[3.] दादरा और नागर हवेली	1	--	1	1	--	--
2[4.] दिल्ली	7	1	--	7	1	1
2[5.] दमण और दीव	1	--	--	1	--	--
6. लक्षद्वीप	1	--	1	1	--	--
11*	*	*	*		*	1
2[7.] पाण्डिचेरी	1	--	--	1	--	--
जोड़	522	77	41	543	79	41

- 1987 के अधिनियम सं० 18 की धारा 8 द्वारा (30-5-1987 से) अंतःस्थापित।
- 1987 के अधिनियम सं० 18 की धारा 8 द्वारा (30-5-1987 से) पुनःसंख्यांकित।
- अधिसूचना सं० का० भा० 3567, तारीख 16-10-1979 द्वारा "5" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
- अधिसूचना सं० का० भा० 3567, तारीख 16-10-1979 द्वारा "8" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
- अधिसूचना सं० का० भा० 35 (भा०), तारीख 21-1-1978 द्वारा "3" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
- 1986 के अधिनियम सं० 34 की धारा 8 द्वारा (20-2-1987 से) अंतःस्थापित।
- 1986 के अधिनियम सं० 34 की धारा 8 द्वारा (20-2-1987 से) पुनःसंख्यांकित।
- 1986 के अधिनियम सं० 69 की धारा 8 द्वारा (20-2-1987 से) अरुणाचल प्रदेश संबंधी प्रविष्टि का लोप किया गया।
- 1986 के अधिनियम सं० 69 की धारा 8 द्वारा (20-2-1987 से) पुनःसंख्यांकित।
- 1987 के अधिनियम सं० 18 की धारा 12 द्वारा (30-5-1987 से) गोवा, दमण और दीव संबंधी प्रविष्टि प्रतिस्थापित।
- 1986 के अधिनियम सं० 34 की धारा 8 द्वारा (20-2-1987 से) मिजोरम संबंधी प्रविष्टि का लोप किया गया।
- 1986 के अधिनियम सं० 34 की धारा 8 द्वारा (20-2-1987 से) पुनःसंख्यांकित।

Representation of the People Act, 1950

(PART II.—Acts of Parliament)

THE SECOND SCHEDULE

(See sections 7 and 7A)

Total number of Seats in the Legislative Assemblies

Name of the State/Union territory	Number of seats in the Legislative Assembly as constituted on 1-1-1973			Number of seats in the Legislative Assembly as subsequently constituted		
	Total	Reserved for the Scheduled Castes	Reserved for the Scheduled Tribes	Total	Reserved for the Scheduled Castes	Reserved for the Scheduled Tribes
1	2	3	4	5	6	7
I. STATES :						
1. Andhra Pradesh	287	40	11	294	39	15
†2. Arunachal Pradesh	60	..	59]
3. Assam	114	8	10	126	8	16
4. Bihar	318	45	29	324	48	28
†5. Goa	30	40	1	..]
6. Gujarat	168	11	22	182	13	26
7. Haryana	81	15	..	90	17	..
8. Himachal Pradesh	68	16	3	68	16	3
9. Jammu and Kashmir*	75	6	..	*76	6	..
10. Karnataka	216	29	2	224	33	2
11. Kerala	133	11	2	140	13	1
12. Madhya Pradesh	296	39	61	320	44	75
13. Maharashtra	270	15	16	288	18	22
14. Manipur	60	1	19	60	1	19
15. Meghalaya	60	..	50	60	..	55†*
†16. Mizoram	30	40	..	39]
17. Nagaland	52	60	..	59
18. Orissa	140	22	34	147	22	34
19. Punjab	104	23	..	117	29	..
20. Rajasthan	184	31	21	200	33	24
21. Sikkim	32	2	12**
22. Tamil Nadu	234	42	2	234	42	3
23. Tripura	60	6	19	60	7	17
24. Uttar Pradesh	425	89	..	425	92	1
25. West Bengal	280	55	16	294	59	17

1. Ins. by Act 69 of 1986, s. 10 (w.e.f. 20-2-1987).

2. Ins. by Act 18 of 1987, s. 12 (w.e.f. 30-5-1987).

* Under the Constitution of Jammu and Kashmir, the number of seats in the Legislative Assembly of that State excluding the 24 seats earmarked for Pakistan occupied territory is 76 out of which 6 seats have been reserved for the Scheduled Castes in pursuance of the Jammu and Kashmir Representation of the People Act, 1957.

3. Ins. by Act 34 of 1986, s. 10 (w.e.f. 29-2-1987).

** Reserved 1 seat for Sanghas and 12 seats for Bhujia Lepcha origin.

†* Now 55 seats, see s. 7 (1B) of this Act as ins. by Act 40 of 1987, s. 2 (w.e.f. 22.9.1987).

द्वितीय अनुसूची

(धारा 7 और 7क देखिए)

विधान सभाओं में स्थानों की कुल संख्या

राज्य/मंच राज्यसेवा का नाम	1-1-1974 को यथागठित विधान सभा में स्थानों की संख्या			संशुद्धित यथागठित विधान सभा में स्थानों की संख्या		
	कुल	संयुक्त जातियों के लिए प्रांशित	संयुक्त प्रजातियों के लिए प्रांशित	कुल	संयुक्त जातियों के लिए प्रांशित	संयुक्त प्रजातियों के लिए प्रांशित
1	2	3	4	5	6	7
I. राज्य :						
1. पच्छिम प्रदेश	287	40	11	294	39	15
2. [2.] छत्तीसगढ़ प्रदेश	--	--	--	60	--	59
3. असम	114	8	10	126	8	16
4. बिहार	318	45	29	324	48	28
5. [5.] गोवा	30	--	--	40	1	--
6. गुजरात	168	11	22	182	13	26
7. हरियाणा	81	15	--	90	17	--
8. हिमाचल प्रदेश	68	16	3	68	16	3
9. जम्मू-कश्मीर ¹	75	6	--	76	6	--
10. कर्नाटक	216	29	2	224	33	2
11. केरल	133	11	2	140	13	1
12. मध्य प्रदेश	296	39	61	320	44	75
13. महाराष्ट्र	270	15	16	288	18	22
14. मणिपुर	60	1	19	60	1	19
15. मेघालय	60	--	50	60	--	55**
16. [16.] मिज़ोरम	30	--	--	40	--	39]
17. नागालैंड	52	--	--	60	--	59
18. उड़ीसा	140	22	34	147	22	34
19. पंजाब	104	23	--	117	29	--
20. राजस्थान	184	31	21	200	33	24
21. सिक्किम	--	--	--	322	2	12**
22. तमिलनाडु	234	42	2	234	42	3
23. त्रिपुरा	60	6	19	60	7	17
24. उत्तर प्रदेश	425	8	--	425	92	1
25. पश्चिमी बंगाल	280	5	16	294	59	17

1. 1986 के अधिनियम सं० 69 की धारा 10 द्वारा (20-2-1987 से) अंतःस्थापित।

2. 1987 के अधिनियम सं० 18 की धारा 12 द्वारा (30-5-1987 से) अंतःस्थापित।

* जम्मू-कश्मीर के संविधान के प्राचीन उस राज्य की विधान सभा में स्थानों की संख्या पाकिस्तान के कश्मीर क्षेत्र के लिए नियत 24 स्थानों का अपवर्जन करके 76 है जिनमें से 6 स्थान जम्मू-कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1957 के अनुसरण में संयुक्त जातियों के लिए प्रांशित हैं।

3. 1986 के अधिनियम सं० 34 की धारा 10 द्वारा (20-2-1987 से) अंतःस्थापित।

**संकों के लिए 1 प्रांशित तथा 12 जूतिय सेपरा के लिए प्रांशित।

+*अब 55 सीटें, देखिए 1987 के अधिनियम सं० 40 की धारा 2 द्वारा (22-9-1987 से) अंतःस्थापित इसी अधिनियम की धारा 7 (1ख)।

(PART II.—Acts of Parliament)

1	2	3	4	5	6	7
II. UNION TERRITORIES :						
1*	*	*	*	*		*
2*	*	*	*	*		*
3*	*	*	*	*		*
4. Pondicherry	30	5		30	5	..]

THE THIRD SCHEDULE

(See section 10)

Allocation of Seats in the Legislative Councils

Name of State	Total number of seats	Number to be elected or nominated under article 171(3)				
		Sub-clause (a)	Sub-clause (b)	Sub-clause (c)	Sub-clause (d)	Sub-clause (e)
1	2	3	4	5	6	7
1*	*		*		*	*
2. Bihar	96	34	8	8	34	12
3*	*	*		*		*
4[3.] Madhya Pradesh	90	31	8	8	31	12
5*	*	*		*		*
6[5.] Maharashtra	78	22	7	7	30	12]
7[6.] 11[Karnataka]	75	25	7	7	25	11]
8*	*	*		*		*
8. Uttar Pradesh	108	39	9	9	39	12
13*	*	*		*		*

1. Entry relating to Arunachal Pradesh omitted by Act 69 of 1986, s. 10 (w.e.f. 20-2-1987).
2. Entry relating to Goa, Daman and Diu omitted by Act 18 of 1987, s. 12 (w.e.f. 30-5-1987).
3. Entry relating to Mizoram omitted by Act 34 of 1986, s. 8 (w.e.f. 20-2-1987).
4. Subs. by Act 37 of 1957, s. 12, for the Third Schedule.
5. Entry relating to Andhra Pradesh omitted by Act 34 of 1985, s. 5 (w.e.f. 1-6-1985).
6. Entry relating to Bombay omitted by Act 11 of 1960, s. 21 (w.e.f. 1-5-1960).
7. Renumbered by s. 21, *ibid.* (w.e.f. 1-5-1960).
8. Entry relating to Tamil Nadu omitted by Act 40 of 1986, s. 5 (w.e.f. 1-11-1986).
9. Ins. by Act 11 of 1960, s. 21 (w.e.f. 1-5-1960).
10. Subs. by Act 31 of 1987, s. 2.
11. Subs. by the Mysore State (Alteration of Name) (Adaptation of Laws on Union Subjects) Order, 1974, s. 3 and Sch., for "Mysore" (w.e.f. 1-11-1973).
12. Entry relating to Punjab omitted by Act 46 of 1969, s. 5 (w.e.f. 7-1-1970).
13. Entry relating to West Bengal omitted by Act 20 of 1969, s. 5 (w.e.f. 1-8-1969).

1	2	3	4	5	6	7
II. संघ राज्यक्षेत्र						
1*	*	*	*	*	*	*
2*	*	*	*	*	*	*
3*	*	*	*	*	*	*
4. पांडिचेरी		30	5	--	30	5

तृतीय अनुसूची

(धारा 10 के लिए)

विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन

राज्य का नाम	स्थानों की कुल संख्या	अनुच्छेद 171 (3) के अधीन निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले स्थानों की संख्या				
		उपखंड (क)	उपखंड (ख)	उपखंड (ग)	उपखंड (घ)	उपखंड (ङ)
1	2	3	4	5	6	7
5	*	*	*	*	*	*
2. बिहार	96	34	8	8	34	12
6*	*	*	*	*	*	*
7[3.] मध्य प्रदेश	90	31	8	8	31	12
8*	*	*	*	*	*	*
9[5.] महाराष्ट्र	78	22	7	7	30	12
10[6.] कर्नाटक	75	25	7	7	25	11]
12*	*	*	*	*	*	*
8. उत्तर प्रदेश	108	39	9	9	39	12
13*	*	*	*	*	*	*

1. 1986 के अधिनियम सं० 69 की धारा 10 द्वारा (20-2-1987 से) असम प्रदेस संबंधी प्रविष्टि का लोप किया गया।
2. 1987 के अधिनियम सं० 18 की धारा 12 द्वारा (30-5-1987 से) गोवा, दमण और दीव संबंधी प्रविष्टि का लोप किया गया।
3. 1986 के अधिनियम सं० 34 की धारा 8 द्वारा (20-2-1987 से) मिजोरम संबंधी प्रविष्टि का लोप किया गया।
4. 1957 के अधिनियम सं० 37 की धारा 12 द्वारा अनुसूची 3 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. 1985 के अधिनियम सं० 34 की धारा 5 द्वारा (1-6-1985 से) छत्तिसगढ़ प्रदेश संबंधी प्रविष्टि सं० 1 का लोप किया गया।
6. 1960 के अधिनियम सं० 11 की धारा 21 द्वारा (1-5-1960 से) मृगई संबंधी प्रविष्टि 3 का लोप किया गया।
7. 1960 के अधिनियम सं० 11 की धारा 21 द्वारा (1-5-1960 से) पुनः संशोधित।
8. 1986 के अधिनियम सं० 40 की धारा 5 द्वारा (1-11-1986 से) तमिलनाडु संबंधी प्रविष्टि का लोप किया गया।
9. 1960 के अधिनियम सं० 11 की धारा 21 द्वारा (1-5-1960 से) अंतःस्थापित।
10. 1987 के अधिनियम सं० 31 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
11. मेसूर राज्य (नाम परिवर्तन) (संघ विधियों पर विधि अनुसूचन) अधिनियम, 1974 द्वारा "मेसूर" के स्थान पर (1-11-1973 से) प्रतिस्थापित।
12. 1969 के अधिनियम सं० 46 की धारा 5 द्वारा पंजाब संबंधी प्रविष्टि का (7-1-1970 से) लोप किया गया।
13. 1969 के अधिनियम सं० 20 की धारा 5 द्वारा पश्चिमी बंगाल संबंधी प्रविष्टि का (1-8-1969 से) लोप किया गया।

Representation of the People Act, 1950

(PART II.—Acts of Parliament)

THE FOURTH SCHEDULE

[See section 27(2)]

Local Authorities for purposes of Elections to Legislative Councils

1*	*	*	*
BIHAR			
1. Municipalities.		4. Notified Area Committees.	
2. District Boards.		⁴ 5. Zila Parishads.	
3. Cantonment Boards.		6. Panchayat Samitis.]	
**	*	*	*
⁴ [MADHYA PRADESH			
⁴ 1. Municipalities.		4. Cantonment Boards.	
2. Janapada Sabhas.		5. Notified Area Committees.	
3. Mandal Panchayats.		6. Town Area Committees.]]	
**	*	*	*
⁷ [MAHARASHTRA			
⁴ 1. Municipalities.			
2. Cantonment Boards.			
9*	*	*	*
4. Zilla Parishad.]			
⁴ ¹⁰ [KARNATAKA]			
1. Municipalities.		¹² 4. Notified Area Committees.]	
¹¹ 2. Mandal Panchayats.]		¹³ 5. Zilla Parishads.]]	
3. Cantonment Boards.			
14*	*	*	*

1. The heading "Andhra Pradesh" and the entries relating thereto omitted by Act 34 of 1985, s. 5 (w.e.f. 1-6-1985).
2. Ins. by Act 2 of 1963, s. 2. Original item 5 was omitted by Act 2 of 1956, s. 26.
3. The heading "Bombay" (that is, Maharashtra) and the entries relating thereto omitted by Act 40 of 1961, s. 6 (w.e.f. 20-9-1961).
4. Ins. by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956.
5. Subs. by Act 37 of 1957, s. 12, for the former entries.
6. The heading "Tamil Nadu" and the entries relating thereto omitted by the Tamil Nadu Legislative Council (Abolition) Act, 1986 (40 of 1986), s. 5 (w.e.f. 1-11-1986).
7. Ins. by Act 40 of 1961, s. 6 (w.e.f. 20-9-1961).
8. Subs. by Act 2 of 1963, s. 2, for the former entries.
9. Entry "3. Town Committees." omitted by Act 21 of 1989, s. 5.
10. Subs. by the Mysore State (Alteration of Name) (Adaptation of Laws on Union Subjects) Order, 1974, s. 3 and Sch., for "Mysore" (w.e.f. 1-11-1973).
11. Subs. by Act 31 of 1987, s. 3, for "2. Taluk Development Boards."
12. Ins. by Act 37 of 1957, s. 12.
13. Subs. by Act 31 of 1987, s. 3, for "5. Town Panchayats."
14. Entry relating to Punjab omitted by Act 16 of 1969, s. 5 (w.e.f. 7-1-1970).

(भाग 2--संसद् के अधिनियम)

चतुर्थ अनुसूची

[धारा 27(2) देखिए]

विधान परिषदों के लिए निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए स्थानीय प्राधिकारी

1* * * * *

बिहार

1. नगरपालिकाएं।
2. जिला बोर्डें।
3. छावनी बोर्डें।

3*

*

*

4. अधिसूचित क्षेत्र समितियां।
5. जिला परिषदें।
6. पंचायत समितियां।]

*

*

*

4[मध्य प्रदेश

1. नगरपालिकाएं।
2. जनपद सभाएं।
3. मंडल पंचायतें।

6*

*

*

4. छावनी बोर्डें।
5. अधिसूचित क्षेत्र समितियां।
6. नगर क्षेत्र समितियां।]

*

*

*

7[महाराष्ट्र

1. नगरपालिकाएं।
2. छावनी बोर्डें।

6*

*

*

- 9* * *
4. जिला परिषद्]

9*

*

*

4[कर्नाटक

1. नगरपालिकाएं।
2. मंडल पंचायतें।
3. छावनी बोर्डें।

11[

14 *

*

*

- 14 4. अधिसूचित क्षेत्र समितियां।
- 15[5. जिला परिषद्]]

15[

*

*

*

1. 1985 के अधिनियम सं० 34 की धारा 5 द्वारा (1-6-1985 से) 'मध्य प्रदेश' शीर्षक और उसके नीचे की प्रविष्टियों का लोप किया गया।
2. 1963 के अधिनियम सं० 2 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित; 1956 के अधिनियम सं० 2 की धारा 26 द्वारा मूल मद 5 का लोप किया गया था।
3. 1961 के अधिनियम सं० 40 की धारा 6 द्वारा "बंबई" (मराठ, महाराष्ट्र) और उन शीर्षक के नीचे की प्रविष्टियों का (20-9-1961 से) लोप किया गया।
4. विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा अंतःस्थापित।
5. 1957 के अधिनियम सं० 37 की धारा 12 द्वारा पहले की प्रविष्टियों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. तमिलनाडु विधान परिषद् (उत्सादन) अधिनियम, 1986 (1986 का 40) की धारा 5 द्वारा (1-11-1986 से) "तमिलनाडु" शीर्षक और उसके नीचे की प्रविष्टियों का लोप किया गया।
7. 1961 के अधिनियम सं० 40 की धारा 6 द्वारा (20-9-1961 से) अंतःस्थापित।
8. 1963 के अधिनियम सं० 2 की धारा 2 द्वारा पहले की प्रविष्टियों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
9. 1989 के अधिनियम सं० 21 द्वारा "3. नगर समितियां।" प्रविष्टि का लोप किया गया।
10. मैसूर राज्य (नाम परिवर्तन) (मंच विषयों पर विधि अनुकूलन) आदेश, 1974 द्वारा "मैसूर" के स्थान पर (1-11-1973 से) प्रतिस्थापित।
11. 1987 के अधिनियम सं० 31 की धारा 3 द्वारा "2. तानुक विहान बोर्डें" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
12. 1957 के अधिनियम सं० 37 की धारा 12 द्वारा अंतःस्थापित।
13. 1987 के अधिनियम सं० 31 की धारा 3 द्वारा "5. नगर पंचायत" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
14. 1969 के अधिनियम सं० 46 की धारा 5 द्वारा पंजाब की अंतः प्रविष्टि का (7-1-1970 से) लोप किया गया।

Representation of the People Act, 1950
(PART II.—Acts of Parliament)

UTTAR PRADESH

1. Municipalities.

5. Notified Area Committees.

¹[2. Zilla Parishads including Antarim Zilla Parishads.]

²[6. Kshetra Samitis.]

3. Cantonment Boards.

4. Town Area Committees.

3*

*

*

*

*

4*

*

*

*

*

[THE FIFTH SCHEDULE.] *Rep. by the Government of Union Territories Act, 1963 (20 of 1963), s. 57 and the Second Schedule.*

[THE SIXTH SCHEDULE.] *Rep. by the Representation of the People (Amendment) Act, 1956 (2 of 1956), s. 27.*

[THE SEVENTH SCHEDULE.] *Rep. by s. 27, ibid.*

1. Subs. by Act 20 of 1960, s. 5, for "2. District Boards." (w.e.f. 1-2-1960).

2. Ins. by Act 2 of 1963, s. 2.

3. The heading "West Bengal" and the entries relating thereto omitted by Act 20 of 1969, s. 5 (w.e.f. 1-8-1969).

4. The heading "Mysore" and the entries relating thereto omitted by the Adaptation of Laws (No 2) Order, 1956.

उत्तर प्रदेश

1. नगरपालिकाएँ।				4. नगर क्षेत्र समितियाँ।			
2. जिला परिषदें जिनके अन्तर्गत अन्तरिम जिला परिषदें आती हैं।]				5. अधिसूचित क्षेत्र समितियाँ।			
3. छावनी बोर्ड				6. क्षेत्र समितियाँ।			
**	*	*	*	*	*	*	*
**	*	*	*	*	*	*	*

[पंचम अनुसूची।]—संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20) की धारा 57 और द्वितीय अनुसूची द्वारा निरसित।

[षष्ठम अनुसूची।]—लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1956 (1956 का 2) की धारा 27 द्वारा निरसित।

[साप्तम अनुसूची।]—पूर्वोक्त की धारा 27 द्वारा निरसित।

1. 1960 के अधिनियम सं० 20 की धारा 5 द्वारा "2. जिला बोर्ड" के स्थान पर (1-2-1960 से) प्रतिस्थापित।
2. 1963 के अधिनियम सं० 2 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।
3. 1969 के अधिनियम सं० 20 की धारा 5 द्वारा "पश्चिमी बंगाल" शीर्ष और उसकी वाक्य प्रविष्टियों का (1-3-1969 से) लोप किया गया।
4. विधि अनुसूचन (सं० 2) अधिनियम, 1956 द्वारा "मैसूर" शीर्ष और उसकी वाक्य प्रविष्टियों का लोप किया गया।

THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE ACT, 1951

ARRANGEMENT OF SECTIONS

PART I

PRELIMINARY

SECTIONS

1. Short title.
2. Interpretation.

PART II

QUALIFICATIONS AND DISQUALIFICATIONS

CHAPTER I.—*Qualifications for Membership of Parliament*

3. Qualification for membership of the Council of States.
4. Qualifications for membership of the House of the People.

CHAPTER II.—*Qualifications for Membership of State Legislatures*

5. Qualifications for membership of a Legislative Assembly.
- 5A. Qualifications for membership of Legislative Assembly of Sikkim.
6. Qualifications for membership of a Legislative Council.

CHAPTER III.—*Disqualifications for Membership of Parliament and State Legislatures*

7. Definitions.
8. Disqualification on conviction for certain offences.
- 8A. Disqualification on ground of corrupt practices.
9. Disqualification for dismissal for corruption or disloyalty.
- 9A. Disqualification for Government contracts, etc.
10. Disqualification for office under Government company.
- 10A. Disqualification for failure to lodge account of election expenses.
11. Removal or reduction of period of disqualification.

CHAPTER IV.—*Disqualifications for voting*

- 11A. Disqualification arising out of conviction and corrupt practices.
- 11B. Removal of disqualifications.

PART III

NOTIFICATION OF GENERAL ELECTIONS

12. Notification for biennial election to the Council of States.
- 12A. Notification for election to fill the seat allotted to the State of Sikkim in the Council of States.
13. *[Repealed.]*
14. Notification for general election to the House of the People.

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

धाराओं का क्रम

भाग 1

प्रारम्भिक

धाराएं

1. संक्षिप्त नाम ।
2. निर्वाचन ।

भाग 2

अर्हताएं और निरर्हताएं

अध्याय 1—संसद् की सदस्यता के लिए अर्हताएं

3. राज्य सभा की सदस्यता के लिए अर्हता ।
4. लोक सभा की सदस्यता के लिए अर्हताएं ।

अध्याय 2—राज्य विधान-मंडलों की सदस्यता के लिए अर्हताएं

5. विधान सभा की सदस्यता के लिए अर्हताएं ।
- 5क. सिक्किम की विधान सभा की सदस्यता के लिए अर्हताएं ।
6. विधान परिषद् की सदस्यता के लिए अर्हताएं ।

अध्याय 3—संसद् और राज्य विधान-मंडलों की सदस्यता के लिए निरर्हताएं

7. परिभाषाएं ।
8. कतिपय अपराधों के लिए दोषसिद्धि पर निरर्हता ।
- 8क. भ्रष्ट आचरण के लिए निरर्हता ।
9. भ्रष्टाचार या अभक्ति के लिए पदव्युत्त होने पर निरर्हता ।
- 9क. सरकार के साथ की गई संविदाओं आदि के लिए निरर्हता ।
10. सरकारी कंपनी के अधीन पद के लिए निरर्हता ।
- 10क. निर्वाचित व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफलता के कारण निरर्हता ।
11. निरर्हता की कालावधि को हटाना या कम करना ।

अध्याय 4—मत देने के लिए निरर्हताएं

- 11क. दोषसिद्धि और भ्रष्ट आचरणों से उद्भूत निरर्हता ।
- 11ख. निरर्हताओं को हटाया जाना ।

भाग 3

साधारण निर्वाचनों की अधिसूचना

12. राज्य सभा के द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए अधिसूचना ।
- 12क. राज्य सभा में सिक्किम राज्य को आरंभ में मिनरे स्थान को भरने के लिए निर्वाचन की अधिसूचना ।
13. [निरसित ।]
14. लोक सभा के साधारण निर्वाचन के लिए अधिसूचना ।

SECTIONS

- 14A. Notification for electing the representative of the State of Sikkim to the existing House of the People.
- 15. Notification for general election to a State Legislative Assembly.
- 15A. Notification for certain elections to Legislative Councils.
- 16. Notification for biennial election to a State Legislative Council.

PART IV

ADMINISTRATIVE MACHINERY FOR THE CONDUCT OF ELECTIONS

- 19. Definition.
- 19A. Delegation of functions of Election Commission.
- 20. General duties of chief electoral officers.
- 20A. General duties of district election officer.
- 21. Returning officers.
- 22. Assistant returning officers.
- 23. Returning officer to include assistant returning officers performing the functions of the returning officer.
- 24. General duty of the returning officer.
- 25. Provision of polling stations for constituencies.
- 26. Appointment of presiding officers for polling stations.
- 27. General duty of the presiding officer.
- 28. Duties of a polling officer.
- 28A. Returning officer, presiding officer, etc., deemed to be on deputation to Election Commission.
- 29. Special provisions in the case of certain elections.

PART IVA

REGISTRATION OF POLITICAL PARTIES

- 29A. Registration with the commission of associations and bodies as political parties.

PART V

CONDUCT OF ELECTIONS

CHAPTER I.—*Nomination of Candidates*

- 30. Appointment of dates for nominations, etc.
- 31. Public notice of election.
- 32. Nomination of candidates for election.
- 33. Presentation of nomination paper and requirement for a valid nomination.
- 34. Deposits.
- 35. Notice of nominations and the time and place for their scrutiny.
- 36. Scrutiny of nominations.
- 37. Withdrawal of candidature.
- 38. Publication of list of contesting candidates.
- 39. Nomination of candidates at other elections.

CHAPTER II.—*Candidates and their Agents*

- 40. Election agents.
- 41. Disqualification for being an election agent.
- 42. Revocation of the appointment, or death, of an election agent.
- 43-44. [*Repealed.*]

धाराएं

- 14क. विद्यमान लोक सभा में सिक्किम राज्य के प्रतिनिधि का निर्वाचन करने के लिए अधिसूचना।
15. राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन के लिए अधिसूचना।
- 15क. विधान परिषदों के कतिपय निर्वाचनों के लिए अधिसूचना।
16. राज्य विधान परिषद् के द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए अधिसूचना।

भाग 4

निर्वाचनों के संचालन के लिए प्रशासनिक मशीनरी

19. परिभाषा।
- 19क. निर्वाचन आयोग के कृत्यों का प्रत्यायोजन।
20. मुख्य निर्वाचन आफिसरों के साधारण कर्तव्य।
- 20क. जिला निर्वाचन आफिसर के साधारण कर्तव्य।
21. रिटनिंग आफिसर।
22. सहायक रिटनिंग आफिसर।
23. रिटनिंग आफिसर के अन्तर्गत रिटनिंग आफिसर के कृत्यों का पालन करने वाले सहायक रिटनिंग आफिसर आएंगे।
24. रिटनिंग आफिसर का साधारण कर्तव्य।
25. निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए मतदान केन्द्रों का उपबन्ध।
26. मतदान केन्द्रों के लिए पीठासीन आफिसरों की नियुक्ति।
27. पीठासीन आफिसर का साधारण कर्तव्य।
28. मतदान आफिसर के कर्तव्य।
- 28क. रिटनिंग आफिसर पीठासीन आफिसर आदि को निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझना।
29. कतिपय निर्वाचनों की दशा में विशेष उपबन्ध।

भाग 4 क

राजनैतिक दलों का रजिस्ट्रीकरण

- 29क. संगमों और निकायों का राजनैतिक दलों के रूप में आयोग के पास रजिस्ट्रीकरण।

भाग 5

निर्वाचनों का संचालन

अध्याय 1—अभ्यर्थियों का नामनिर्देशन

30. नामनिर्देशनों आदि के लिए तारीखें नियत करना।
31. निर्वाचन की लोक सूचना।
32. निर्वाचन अभ्यर्थियों का नामनिर्देशन।
33. नामनिर्देशन-पत्र का उपस्थित किया जाना और त्रिधिमाम्य नामनिर्देशन के लिए अपेक्षाएं।
34. निक्षेप।
35. नामनिर्देशनों की सूचना और उनकी संवीक्षा के लिए समय और स्थान।
36. नामनिर्देशनों की संवीक्षा।
37. अभ्यर्थिता वापस लेना।
38. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन।
39. अन्य निर्वाचनों में अभ्यर्थियों का नामनिर्देशन।

अध्याय 2—अभिकर्ता और उनके अभिकर्ता

40. निर्वाचन अभिकर्ता।
41. निर्वाचन अभिकर्ता होने के लिए निरर्हता।
42. निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण या उसकी मृत्यु।
- 43.-44. [निरसित।]

SECTIONS

45. Functions of election agents.
46. Appointment of polling agents.
47. Appointment of counting agents.
48. Revocation of the appointment or death, of a polling agent or counting agent.
49. Functions of polling agents and counting agents.
50. Attendance of a contesting candidate or his election agent at polling stations, and performance by him of the functions of a polling agent or counting agent.
51. Non-attendance of polling or counting agents.

CHAPTER III.—*General Procedure at Elections*

52. Death of candidate before poll.
53. Procedure in contested and uncontested elections.
54. [*Repealed.*]
55. Eligibility of members of Scheduled Castes or Scheduled Tribes to hold seats not reserved for those castes or tribes.
- 55A. [*Repealed.*]

CHAPTER IV.—*The Poll*

56. Fixing time for poll.
57. Adjournment of poll in emergencies.
58. Fresh poll in the case of destruction, etc., of ballot boxes.
- 58A. Adjournment of poll or countermanding of election on the ground of booth capturing.
59. Manner of voting at elections.
60. Special procedure for voting by certain classes of persons.
61. Special procedure for preventing personation of electors.
- 61A. Voting machines at elections.
62. Right to vote.
63. [*Repealed.*]

CHAPTER V.—*Counting of Votes*

64. Counting of votes.
- 64A. Destruction, loss, etc., of ballot papers at the time of counting.
65. Equality of votes.
66. Declaration of results.
67. Report of the result.
- 67A. Date of election of candidate.

CHAPTER VI.—*Multiple Elections*

68. Vacation of seats when elected to both Houses of Parliament.
69. Vacation of seats by persons already members of one House on election to other House of Parliament.
70. Election to more than one seat in either House of Parliament or in the House or either House of the Legislature of a State.

CHAPTER VII.—*Publication of Election Results and Nominations*

71. Publication of results of elections to the Council of States and of names of persons nominated by the President.

धाराएं

45. निर्वाचन अभिकर्ताओं के कृत्य।
46. मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति।
47. गणन अभिकर्ताओं की नियुक्ति।
48. मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण या उसकी मृत्यु।
49. मतदान अभिकर्ताओं और गणन अभिकर्ताओं के कृत्य।
50. निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की मतदान केन्द्रों में हाजिरी और मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के कृत्यों का उसके द्वारा पालन।
51. मतदान या गणन अभिकर्ताओं की गैर हाजिरी।

अध्याय 3—निर्वाचनों में साधारण प्रक्रिया

52. मतदान के पूर्व अभ्यर्थी की मृत्यु।
53. सविरोध और अविरोध निर्वाचनों में प्रक्रिया।
54. [निरसित।]
55. अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए जो स्थान आरक्षित नहीं हैं उन्हें धारण करने की उन जातियों या जनजातियों के सदस्यों की पात्रता।
- 55क. [निरसित।]

अध्याय 4—मतदान

56. मतदान के लिए समय नियत करना।
57. आपात में मतदान का स्थगन।
58. मतपेटियों के विनष्ट होने आदि की दशा में नया मतदान।
- 58क. त्रुटियों के बलान् ग्रहण के कारण मतदान का स्थगित या निर्वाचन का प्रत्यादिष्ट किया जाना।
59. निर्वाचनों में मत देने की रीति।
60. भ्रूठ वर्गों के व्यक्तियों द्वारा मत दिए जाने के लिए विशिष्ट प्रक्रिया।
61. निर्वाचनों के प्रतिस्वयं का निवारण करने के लिए विशेष प्रक्रिया।
- 61क. निर्वाचनों में मतदान मशीनें।
62. मत देने का अधिकार।
63. [निरसित।]

अध्याय 5—मतों की गणना

64. मतों की गणना।
- 64क. गणना के समय मतपत्रों का विनाश, हानि, आदि।
65. मत बराबर होना।
66. निर्वाचन परिणामों की घोषणा।
67. निर्वाचन परिणामों की रिपोर्ट।
- 67क. अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख।

अध्याय 6—बहुस्थानिक निर्वाचन

68. संसद् के दोनों सदनों के लिए निर्वाचित हो जाने पर स्थानों का रिक्त हो जाना।
69. जो व्यक्ति संसद् के एक सदन के सदस्य पहले से ही हैं, दूसरे सदन के लिए उनके निर्वाचन हो जाने पर उनके स्थान का रिक्त हो जाना।
70. संसद् के दोनों सदनों में से किसी में, या राज्य के विधान-मंडल के सदन या दोनों सदनों में से किसी में से एक से अधिक स्थान के लिए निर्वाचन।

अध्याय 7—निर्वाचन परिणामों और नामनिर्देशनों का प्रकाशन

71. राज्य सभा के निर्वाचन परिणामों का और राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के नामों का प्रकाशन।

(PART II.—Acts of Parliament)

SECTIONS

72. [*Repealed.*]
 73. Publication of results of general elections to the House of the People and the State Legislative Assemblies.
 73A. Special provisions as to certain elections.
 74. Publication of results of elections to the State Legislative Councils and of names of persons nominated to such Councils.

CHAPTER VIII.—*Election Expenses*

76. Application of Chapter.
 77. Account of election expenses and maximum thereof.
 78. Lodging of account with the district election officer.

PART VI

DISPUTES REGARDING ELECTIONS

CHAPTER I.—*Interpretation*

79. Definitions.

CHAPTER II.—*Presentation of Election Petitions to Election Commission*

80. Election petitions.
 80A. High Court to try election petitions.
 81. Presentation of petitions.
 82. Parties to the petition.
 83. Contents of petition.
 84. Relief that may be claimed by the petitioner.
 85. [*Repealed.*]

CHAPTER III.—*Trial of Election Petitions*

86. Trial of election petitions.
 87. Procedure before the High Court.
 93. Documentary evidence.
 94. Secrecy of voting not to be infringed.
 95. Answering of criminating questions and certificate of indemnity.
 96. Expenses of witnesses.
 97. Recrimination when seat claimed.
 98. Decision of the High Court.
 99. Other orders to be made by the High Court.
 100. Grounds for declaring election to be void.
 101. Grounds for which a candidate other than the returned candidate may be declared to have been elected.
 102. Procedure in case of an equality of votes.
 103. Communication of orders of the High Court.
 104. [*Repealed.*]
 105. [*Repealed.*]
 106. Transmission of order to the appropriate authority, etc., and its publication.
 107. Effect of orders of the High Court.

धाराएं

72. [निरसित।]
73. लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचनों के परिणामों का प्रकाशन।
73क. कुछ निर्वाचनों के बारे में विशेष उपबन्ध।
74. राज्य विधान परिषदों के लिए निर्वाचन का परिणामों और ऐसी परिषदों के लिए नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के नामों का प्रकाशन।

अध्याय 8—निर्वाचन व्यय

76. अध्याय का लागू होना।
77. निर्वाचन व्ययों का लेखा और उनकी अधिकतम मात्रा।
78. लेखे का जिला निर्वाचन आफिसर के पास दाखिल किया जाना।

भाग 6

निर्वाचन की बाबत विचार

अध्याय 1—निर्वाचन

79. परिभाषाएं।

अध्याय 2—निर्वाचन अजियों का निर्वाचन आयोग को उपस्थित किया जाना

80. निर्वाचन अजियां।
80क. उच्च न्यायालय द्वारा निर्वाचन अजियों का विचारण।
81. अजियों का उपस्थित किया जाना।
82. अजों के पक्षकार।
83. अजों की अन्तर्वस्तु।
84. वह अनुतोष जिसका दावा अजोंदार कर सकेगा।
85. [निरसित।]

अध्याय 3—निर्वाचन अजियों का विचारण

86. निर्वाचन अजियों का विचारण।
87. उच्च न्यायालय के समक्ष प्रक्रिया।
93. दस्तावेजी साक्ष्य।
94. मतदान की गोपनीयता का अतिलंघन न किया जाना।
95. अपराध में फंसाने वाले प्रश्नों का उत्तर देना और परिव्राण का प्रमाणपत्र।
96. साक्षियों के व्यय।
97. स्थान के लिए दावा किए जाने पर प्रत्यारोप।
98. उच्च न्यायालय का विनिश्चय।
99. उच्च न्यायालय द्वारा किए जाने वाले अन्य आदेश।
100. निर्वाचन को शून्य घोषित करने के आधार।
101. निर्वाचन अभ्यर्थी से भिन्न अभ्यर्थी जिन आधारों पर निर्वाचन घोषित किया जा सकेगा वे आधार।
102. मतों के बराबर होने की दशा में प्रक्रिया।
103. उच्च न्यायालय के आदेशों की संसूचना।
104. [निरसित।]
105. [निरसित।]
106. आदेश का मनुचित प्राधिकारी आदि को पारेषण और उसका प्रकाशन।
107. उच्च न्यायालय के आदेशों का प्रभाव।

Representation of the People Act, 1951

(PART II.—Acts of Parliament)

CHAPTER IV.—*Withdrawal and Abatement of Election Petitions*

SECTIONS

- 108. [*Repealed.*]
- 109. Withdrawal of election petitions.
- 110. Procedure for withdrawal of election petitions.
- 111. Report of withdrawal by the High Court to the Election Commission.
- 112. Abatement of election petitions.
- 116. Abatement or substitution on death of respondent.

CHAPTER IVA.—*Appeals*

- 116A. Appeals to Supreme Court.
- 116B. Stay of operation of order of High Court.
- 116C. Procedure in appeal.

CHAPTER V.—*Costs and Security for Costs*

- 117. Security for costs.
- 118. Security for costs from a respondent.
- 119. Costs.
- 121. Payment of costs out of security deposits and return of such deposits.
- 122. Execution of orders as to costs.

PART VII

CORRUPT PRACTICES AND ELECTORAL OFFENCES

CHAPTER I.—*Corrupt Practices*

- 123. Corrupt practices.

CHAPTER III.—*Electoral Offences*

- 125. Promoting enmity between classes in connection with election.
- 126. Prohibition of public meetings on the day preceding the election day and on the election day.
- 127. Disturbances at election meetings.
- 127A. Restrictions on the printing of pamphlets, posters, etc.
- 128. Maintenance of secrecy of voting.
- 129. Officers, etc., at elections not to act for candidates or to influence voting.
- 130. Prohibition of canvassing in or near polling stations.
- 131. Penalty for disorderly conduct in or near polling stations.
- 132. Penalty for misconduct at the polling station.
- 132A. Penalty for failure to observe procedure for voting.
- 133. Penalty for illegal hiring or procuring of conveyances at elections.
- 134. Breaches of official duty in connection with elections.
- 134A. Penalty for Government servants for acting as election agent, polling agent or counting agent.

अध्याय 4—निर्वाचन अजियों का प्रत्याहरण और उपशमन

घाटाएं

108. [निरसित।]
109. निर्वाचन अजियों का प्रत्याहरण।
110. निर्वाचन अजियों के प्रत्याहरण के लिए प्रक्रिया।
111. उच्च न्यायालय द्वारा निर्वाचन आयोग को प्रत्याहरण की रिपोर्टें।
112. निर्वाचन अजियों का उपशमन।
116. प्रत्यर्थी की मृत्यु पर उपशमन या प्रतिस्थापन।

अध्याय 4क—अपीलें

- 116क. उच्चतम न्यायालय में अपीलें।
- 116ख. उच्च न्यायालय के आदेश के प्रवर्तन का रोका जाना।
- 116ग. अपील में प्रक्रिया।

अध्याय 5—खर्च और खर्चों के लिए प्रतिभूति

117. खर्चों के लिए प्रतिभूति।
118. प्रत्यर्थी से खर्चों के लिए प्रतिभूति।
119. खर्चें।
121. प्रतिभूति निक्षेपों में से खर्चों का संदाय और ऐसे निक्षेपों की वापसी।
122. खर्च संबंधी आदेशों का निष्पादन।

भाग 7

घ्रष्ट आचरण और निर्वाचन अपराध

अध्याय 1—घ्रष्ट आचरण

123. घ्रष्ट आचरण।

अध्याय 3—निर्वाचन अपराध

125. निर्वाचन के संबंध में वर्गों के बीच शत्रुता संप्रवर्तित करना।
126. निर्वाचन से पूर्ववर्ती दिन और निर्वाचन के दिन मार्वाजनिक मभाओं का प्रतिषेध।
127. निर्वाचन सभाओं में उपद्रव।
- 127क. पुस्तिकाओं, पोस्टरों आदि के मुद्रण पर निर्बन्धन।
128. मतदान की गोपनीयता को बनाए रखना।
129. निर्वाचनों में आफिसर आदि अर्घ्यार्थियों के लिए कार्य न करेंगे और न मत दिए जाने में कोई असर हलेंगे।
130. मतदान केन्द्रों में या उनके निकट मत संयाचना का प्रतिषेध।
131. मतदान केन्द्रों में या उनके निकट विच्छुंखल आचरण के लिए शास्ति।
132. मतदान केन्द्र में अवचार के लिए शास्ति।
- 132क. मत देने के लिए प्रक्रिया का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति।
133. निर्वाचनों में प्रवहणों के अवघ रूप से भाड़े पर लेने या उपाप्त करने के लिए शास्ति।
134. निर्वाचनों से संसक्त पदीय कर्तव्य के भंग।
- 134क. निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने वाले सरकारी सेवकों के लिए शास्ति।

SECTIONS

- 135. Removal of ballot papers from polling station to be an offence.
- 135A. Offence of booth capturing
- 136. Other offences and penalties therefor.
- 137-138. [*Repealed.*]

PART VIII

DISQUALIFICATIONS

CHAPTER I.—*Disqualifications for Membership*

- 139—140A. [*Repealed.*]

CHAPTER II.—*Disqualifications for Voting*

- 141—144. [*Repealed.*]

CHAPTER III.—*Other Disqualifications*

- 145. [*Repealed.*]

CHAPTER IV.—*Powers of Election Commission in connection with inquiries as to Disqualifications of Members*

- 146. Powers of Election Commission.
- 146A. Statements made by persons to the Election Commission.
- 146B. Procedure to be followed by the Election Commission.
- 146C. Protection of action taken in good faith.

PART IX

BYE-ELECTIONS

- 147. Casual vacancies in the Council of States.
- 148. [*Repealed.*]
- 149. Casual vacancies in the House of the People.
- 150. Casual vacancies in the State Legislative Assemblies.
- 151. Casual vacancies in the State Legislative Councils

PART X

MISCELLANEOUS

- 152. List of members of the State Legislative Assemblies and electoral colleges to be maintained by the returning officers concerned.
- 153. Extension of time for completion of election.
- 154. Term of office of members of the Council of States.
- 155. Commencement of the term of office of members of the Council of States.
- 156. Term of office of members of State Legislative Councils.
- 157. Commencement of the term of office of members of the Legislative Councils.
- 158. Return or forfeiture of candidate's deposit.
- 159. Staff of every local authority to be made available for election work.
- 160. Requisitioning of premises, vehicles, etc., for election purposes.

अध्याय 8—निर्वाचन अजियों का प्रत्याहरण और उपगमन

धाराएं

135. मतदान केन्द्र से मतपत्रों को हटाना अपराध होगा।
135क. बूथ के बलात् ग्रहण का अपराध।
136. अन्य अपराध और उनके लिए शास्तियां।
137-138. [निरसित।]

भाग 8

निरहंताएं

अध्याय 1—सदस्यता के लिए निरहंताएं

- 139-140क. [निरसित।]

अध्याय 2—मतदान के लिए निरहंताएं

- 141-144. [निरसित।]

अध्याय 3—अन्य निरहंताएं

145. [निरसित।]

अध्याय 4—सदस्यों की निरहंताओं की जांच के संबंध में निर्वाचन आयोग की शक्तियां

146. निर्वाचन आयोग की शक्तियां।
146क. निर्वाचन आयोग के समक्ष व्यक्तियों द्वारा किए गए कथन।
146ब. निर्वाचन आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया।
146ग. सद्भावपूर्वक किए गए अभिकार्य का परित्राण।

भाग 9

उपनिर्वाचन

147. राज्य सभा में हुई आकस्मिक रिक्तियां।
148. [निरसित।]
149. लोक सभा में हुई आकस्मिक रिक्तियां।
150. राज्य विधान सभाओं में हुई आकस्मिक रिक्तियां।
151. राज्य विधान परिषदों में हुई आकस्मिक रिक्तियां।

भाग 10

प्रकीर्ण

152. राज्य विधान सभाओं और निर्वाचकगणों के सदस्यों की सूची संपूक्त रिटर्निंग आफिसर रखेंगे।
153. निर्वाचन को पूरा करने के लिए समय का विग्रहण।
154. राज्य सभा के सदस्यों की पदावधि।
155. राज्य सभा के सदस्यों की पदावधि का प्रारम्भ।
156. राज्य विधान परिषदों के सदस्यों की पदावधि।
157. विधान परिषदों के सदस्यों की पदावधि का प्रारम्भ।
158. अभ्यर्थी के निरोप की वापसी या समपहरण।
159. हर स्थानीय प्राधिकरण का कर्मचारिवृन्द निर्वाचन के काम के लिए उपलब्ध किया जाएगा।
160. परिसर, यानों आदि का निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए अधिग्रहण।

Representation of the People Act, 1951

(PART II.—Acts of Parliament)

SECTIONS

161. Payment of compensation.
162. Power to obtain information.
163. Powers of entry into and inspection of premises, etc.
164. Eviction from requisitioned premises.
165. Release of premises from requisition.
166. Delegation of functions of the State Government with regard to requisitioning.
167. Penalty for contravention of any order regarding requisitioning.
168. [*Repealed.*]

PART XI

GENERAL

169. Power to make rules.
170. Jurisdiction of civil courts barred.
171. [*Repealed.*]

धाराएं

161. प्रतिकर का संदाय ।
162. जानकारी अभिप्राप्त करने की शक्ति ।
163. किसी परिसर, आदि में प्रवेश करने और उनके निरीक्षण की शक्तियां ।
164. अधिगृहीत परिसर से बेदखली ।
165. अधिग्रहण से परिसर की निर्मुक्ति ।
166. अधिग्रहण की बाबत राज्य सरकार के कृत्यों का प्रत्यायोजन ।
167. अधिग्रहण संबंधी किसी आदेश के उल्लंघन के लिए शास्ति ।
168. [निरसित]

भाग 11

साधारण

169. नियम बनाने की शक्ति ।
170. सिविल न्यायालयों की अधिकारिता वर्जित ।
171. [निरसित]

THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE ACT, 1951

(43 OF 1951)

[17th July, 1951.]

An Act to provide for the conduct of elections to the Houses of Parliament and to the House or Houses of the Legislature of each State, the qualifications and disqualifications for membership of those Houses, the corrupt **** practices and other offences at or in connection with such elections and the decision of doubts and disputes arising out of or in connection with such elections.

BE it enacted by Parliament as follows:—

PART I

PRELIMINARY

1. **Short title.**—This Act may be called the Representation of the People Act, 1951.
2. **Interpretation.**—(1) In this Act, unless the context otherwise requires,—
 - (a) each of the expressions defined in section 2 or sub-section (1) of section 27 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), but not defined in this Act, shall have the same meaning as in that Act;
 - (b) “appropriate authority” means, in relation to an election to the House of the People or the Council of States ****, the Central Government, and in relation to an election to the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State, the State Government;
 - [(bb) “chief electoral officer” means the officer appointed under section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950);]
 - (c) “corrupt practice” means any of the practices specified in section 123 ****;
 - [(cc) “district election officer” means the officer designated or nominated under section 13AA of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950);]
 - (d) “election” means an election to fill a seat or seats in either House of Parliament or in the House or either House of the Legislature of a State other than the State of Jammu and Kashmir ****;
 - [(e) “elector” in relation to a constituency means a person whose name is entered in the electoral roll of that constituency for the time being in force and who is not subject to any of the disqualifications mentioned in section 16 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950);]

-
1. The words “and illegal” omitted by Act 27 of 1956, s. 2.
 2. Certain words omitted by Act 103 of 1956, s. 66.
 3. Ins. by Act 27 of 1956, s. 3.
 4. The words and figures “or section 124” omitted by s. 3, *ibid.*
 5. Ins. by Act 47 of 1966, s. 15 (w.e.f. 14-12-1966).
 6. Certain words omitted by Act 58 of 1958, s. 14.
 7. Subs. by Act 27 of 1956, s. 3, for cl. (e).

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

(1951 का अधिनियम संख्यांक 43)

[17 जुलाई, 1951]

संसद् के सदनों और हर एक राज्य के विधान-मंडल के सदन या सदनों के लिए निर्वाचनों के संचालन के लिए, उन सदनों की सदस्यता के लिए अर्हताओं और निरर्हताओं के लिए ऐसे निर्वाचनों में या उनसे संसत्/अष्ट^{1***} प्राचरणों और अन्य अपराधों के, और ऐसे निर्वाचनों से उद्भूत या संसत् शंकाओं और विवादों के लिए उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

भाग 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम—यह अधिनियम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 कहा जा सकेगा।

2. निर्वाचन—(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) उस हर एक पद का, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 2 में या धारा 27 की उपधारा (1) में परिभाषित है किन्तु इस अधिनियम में परिभाषित नहीं है, वही अर्थ होगा जो इस अधिनियम में है;

(ख) “समुचित प्राधिकारी” से लोक सभा या राज्य सभा^{2***} के निर्वाचन के संबंध में केन्द्रीय सरकार और राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् के निर्वाचन के संबंध में राज्य सरकार अभिप्रेत है;

³[(खख) “मुख्य निर्वाचन आफिसर” से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13क के अधीन नियुक्त आफिसर अभिप्रेत है;]

(ग) “अष्ट प्राचरण” से धारा 123^{4***} में विनिर्दिष्ट प्राचरणों में से कोई भी प्राचरण अभिप्रेत है;

⁵[(गग) “जिला निर्वाचन आफिसर” से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13कक के अधीन पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट आफिसर अभिप्रेत है;]

(घ) “निर्वाचन” से संसद् के दोनों सदनों से किसी में के या जम्मू-कश्मीर^{6***} राज्य से भिन्न किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या दोनों सदनों में से किसी सदन के स्थान या स्थानों को भरने के लिए निर्वाचन अभिप्रेत है;

⁷[(ङ) “निर्वाचक” से किसी निर्वाचन-क्षेत्र के संबंध में वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका नाम उस निर्वाचन-क्षेत्र के लिए तत्समय प्रवृत्त निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट है और जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 16 में वर्णित निरर्हताओं में से किसी के अध्यधीन नहीं है।

1. 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 2 द्वारा “और अन्वेष” शब्दों का लोप किया गया।
2. 1956 के अधिनियम सं० 103 की धारा 66 द्वारा कुछ शब्दों का लोप किया गया।
3. 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 3 द्वारा अन्तःस्थापित।
4. पूर्वोक्त की धारा 3 द्वारा “या धारा 124” शब्दों और अंकों का लोप किया गया।
5. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 15 द्वारा (14-12-1966 से) अन्तःस्थापित।
6. 1958 के अधिनियम सं० 58 की धारा 14 द्वारा कुछ शब्दों का लोप किया गया।
7. 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 3 द्वारा खंड (ङ) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

Representation of the People Act, 1951

(PART II.—Acts of Parliament)

¹[(f) “political party” means an association or a body of individual citizens of India registered with the Election Commission as a political party under section 29A;]

(g) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act;

²[(h) “public holiday” means any day which is a public holiday for the purposes of section 25 of the Negotiable Instruments Act, 1881 (26 of 1881);]

** * * *

** * * *

³[(i) “sign” in relation to a person who is unable to write his name means authenticate in such manner as may be prescribed.

** * * *

** * * *

(2) For the purposes of this Act, **** a Parliamentary constituency, an Assembly constituency, a Council constituency, a local authorities’ constituency, a graduates’ constituency and a teachers’ constituency shall each be treated as a constituency of a different class.

(3) Any requirement under this Act that a notification, order, rule, declaration, notice or list issued or made by any authority shall be published in the Official Gazette, shall, unless otherwise expressly provided in this Act, be construed as a requirement that the notification, order, rule, declaration, notice or list shall—

(a) where it is issued or made by the Central Government, be published in the Gazette of India;

(b) where it is issued or made by a State Government, be published in the Official Gazette of the State; and

(c) where it is issued or made by any other authority, be published in the Gazette of India if it relates to an election to, or membership of, either House of Parliament **** and in the Official Gazette of the State if it relates to an election to, or membership of, the House or either House of the Legislature of a State.

(4) Where, under any of the provisions of this Act, anything is to be prescribed, different provisions may be made for different cases or classes of cases.

-
1. Cl. (f) which was omitted by Act 27 of 1956 s. 3 and ins. by Act 1 of 1989, s. 3 (w.e.f. 15-6-1989).
 2. Ins. by Act 47 of 1966, s. 15 (w.e.f. 14-12-1966).
 3. Cls. (h) and (i) omitted by Act 27, of 1956 s. 3.
 4. Cl. (f) re-lettered as cl. (h) by s. 3, *ibid.* and omitted by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956.
 5. Cls. (k) and (l) re-lettered as cls. (j) and (k) by Act 27 of 1956, s. 3.
 6. Cl. (j) ins. by 3, *ibid.* and omitted by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956.
 7. Cl. (k) omitted by Act 47 of 1966, s. 15 (w.e.f. 14-12-1966).
 8. Certain words omitted by Act 103 of 1956, s. 66.

(भाग 2--संसद् के अधिनियम)

1[(च) "राजनैतिक दल" से भारत के व्यक्ति नागरिकों का ऐसा संगम या निकाय अभिप्रेत है जो धारा 29क के अधीन राजनैतिक दल के रूप में निर्वाचन आयोग के पास रजिस्ट्रीकृत है;]

(छ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

2[(ज) "लोक प्रवकाश दिन" से कोई ऐसा दिन अभिप्रेत है जो परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1981 (1981 का 26) की धारा 25 के प्रयोजनों के लिए लोक प्रवकाश दिन है;]

** * * * *

3(झ) "हस्ताक्षर करने" से ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जो अपना नाम लिखने में असमर्थ है, ऐसी रीति में अधिसूचना प्रकाशित करना अभिप्रेत है जैसी विहित की जाए।

* * * * *

(2) **** संमतीय निर्वाचन-क्षेत्र, सभा निर्वाचन-क्षेत्र, परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र, स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र और शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र में से हर एक इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विभिन्न वर्ग का निर्वाचन-क्षेत्र समझा जाएगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन ऐसी किसी अपेक्षा का, कि किसी प्राधिकारी द्वारा निकाली गई या बनाई गई अधिसूचना, आदेश, नियम, घोषणा, सूचना या सूची को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किया जाए, अर्थात् जब तक कि इस अधिनियम में अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबन्धित न हो, ऐसे लगाया जाएगा मानो यह अपेक्षा है कि वह अधिसूचना, आदेश, नियम, घोषणा, सूचना या सूची—

(क) जहां कि वह केन्द्रीय सरकार द्वारा निकाली गई या बनाई गई है, वहां भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए;

(ख) जहां कि वह राज्य सरकार द्वारा निकाली गई या बनाई गई है वहां राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित की जाए; तथा

(ग) जहां कि वह किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा निकाली गई या बनाई गई है, वहां यदि वह संसद् के दोनों सदनों में से किसी के लिए निर्वाचन या उसकी सदस्यता के संबंध में है, तो भारत के राजपत्र में और यदि वह किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या दोनों में से किसी सदन के लिए निर्वाचन या उसकी सदस्यता के संबंध में है, तो उस राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित की जाए।

(4) जहां कि इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी के अधीन कोई बात विहित की जाती है वहां विभिन्न मामलों या मामलों के वर्गों के लिए विभिन्न उपबन्ध किए जा सकेंगे।

1. शब्द (ब), जिसका 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 3 द्वारा लोप किया गया था और 1989 के अधिनियम सं० 1 की धारा 3 द्वारा (15-6-1989 से) अंतःस्थापित।
2. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 15 द्वारा (14-12-1966 से) अंतःस्थापित।
3. 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 3 द्वारा (ज) और (झ) शब्दों का लोप किया गया।
4. पूर्वोक्त की धारा 3 द्वारा शब्द (म) की शब्द (ज) के रूप में पुनःप्रारंभित और विधि अनुसूचन (सं० 2) प्रादेश, 1956 द्वारा लोप किया गया।
5. 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 3 द्वारा (ट) और (ठ) शब्दों को (म) और (ट) के रूप में पुनःप्रारंभित किया गया।
6. पूर्वोक्त की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित शब्द (म) का विधि अनुसूचन (सं० 2) प्रादेश, 1956 द्वारा लोप किया गया।
7. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 15 द्वारा शब्द (ट) का (14-12-1966 से) लोप किया गया।
8. 1956 के अधिनियम सं० 103 की धारा 68 द्वारा कुछ शब्दों का लोप किया गया।

1*

*

*

*

*

²[(5) Any reference in this Act to a law which is not in force in the State of Jammu and Kashmir shall, in relation to that State, be construed as a reference to the corresponding law, if any, in force in that State.]

*

*

*

*

PART II

³[QUALIFICATIONS AND DISQUALIFICATIONS]

CHAPTER I.—Qualifications for Membership of Parliament

⁴[3. Qualification for membership of the Council of States.—A person shall not be qualified to be chosen as a representative of any State ^{5***} or Union territory in the Council of States unless he is an elector for a Parliamentary constituency in that State or territory.]

4. Qualifications for membership of the House of the People.—A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the House of the People ^{6***}, unless—

(a) in the case of a seat reserved for the Scheduled Castes in any State, he is a member of any of the Scheduled Castes, whether of that State or of any other State, and is an elector for any Parliamentary constituency;

(b) in the case of a seat reserved for the Scheduled Tribes in any State (other than those in the autonomous districts of Assam), he is a member of any of the Scheduled Tribes, whether of that State or of any other State (excluding the tribal areas of Assam), and is an elector for any Parliamentary constituency;

(c) in the case of a seat reserved for the Scheduled Tribes in the autonomous districts of Assam, he is a member of any of those Scheduled Tribes and is an elector for the Parliamentary constituency in which such seat is reserved or for any other Parliamentary constituency comprising any such autonomous district; ^{7***}

⁸[(cc) in the case of the seat reserved for the Scheduled Tribes in the Union territory of ⁹[Lakshadweep], he is a member of any of those Scheduled Tribes and is an elector for the Parliamentary constituency of that Union territory; ^{10***}]

¹¹[(ccc) in the case of the seat allotted to the State of Sikkim, he is an elector for the Parliamentary constituency for Sikkim;]

(d) in the case of any other seat, he is an elector for any Parliamentary constituency.

1. Sub-sections (5) and (7) omitted and sub-section (6) renumbered as sub-section (5) by Act 27 of 1956, s. 3.

2. Subs. by Act 47 of 1966, s. 15, for sub-section (5).

3. Subs. by s. 16, *ibid.*, for the previous heading (w.e.f. 14-12-1966).

4. Subs. by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956, for s. 3.

5. The words and brackets "(other than the State of Jammu and Kashmir)" omitted by Act 47 of 1966, s. 17 (w.e.f. 14-12-1966).

6. Certain words omitted by Act 29 of 1975, s. 12 (w.e.f. 15-8-1975).

7. The word "and" omitted by Act 47 of 1966, s. 18 (w.e.f. 14-12-1966).

8. Ins. by s. 18, *ibid.* (w.e.f. 14-12-1966).

9. Subs. by the Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands (Alteration of Name) Adaptation of Laws Order, 1974 (w.e.f. 1-11-1973).

10. The word "and" omitted by Act 10 of 1976, s. 2 and Sch. (w.e.f. 9-9-1975).

11. Ins. by s. 2 and Sch., *ibid.* (w.e.f. 9-9-1975).

1* * * * *
2 [(5) इस अधिनियम में किसी ऐसी विधि के प्रति जो जम्मू-कश्मीर राज्य में प्रवृत्त नहीं है, किसी निर्देश का अर्थ उस राज्य के संबंध में यह लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में प्रवृत्त तत्समान विधि के, यदि कोई है, प्रति निर्देश है।]
1* * * * *

भाग 2

[अर्हताएं और निरर्हताएं]

अध्याय 1—संसद् की सदस्यता के लिए अर्हताएं

3 [3. राज्य सभा की सदस्यता के लिए अर्हता—राज्य सभा में, किसी राज्य 8000 या संघ राज्यक्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति तब तक अर्हित न होगा जब तक कि वह उस राज्य या राज्यक्षेत्र में के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो।]

4. लोक सभा की सदस्यता के लिए अर्हताएं—लोक सभा 6000 में किसी स्थान की भरने के लिए चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति तब तक अर्हित न होगा जब तक कि—

(क) अनुसूचित जातियों के लिए किसी राज्य में आरक्षित स्थान की दशा में, वह उस राज्य की या किसी अन्य राज्य की अनुसूचित जातियों में से किसी का सदस्य न हो और किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो;

(ख) आसाम के स्वशासी जिलों में की अनुसूचित जनजातियों से भिन्न अनुसूचित जनजातियों के लिए किसी राज्य में आरक्षित स्थान की दशा में वह (आसाम के जनजाति क्षेत्रों का अपवर्जन करके) उस राज्य की या किसी अन्य राज्य की अनुसूचित जनजातियों में से किसी का सदस्य न हो और किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो;

(ग) आसाम के स्वशासी जिलों में की अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थान की दशा में, वह उन अनुसूचित जनजातियों में से किसी का सदस्य न हो और उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए जिसमें ऐसा स्थान आरक्षित है या किसी ऐसे स्वशासी जिले को समाविष्ट करने वाले अन्य संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो; 7***

8 [(गग) [लक्षद्वीप] के संघ राज्यक्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थान की दशा में, वह उन अनुसूचित जनजातियों में से किसी का सदस्य न हो और उस संघ राज्यक्षेत्र के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो; 10***]

11 [(गगग) सिक्किम राज्य को आर्बंटन में मिले स्थान की दशा में, वह सिक्किम के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो, तथा]

(घ) किसी अन्य स्थान की दशा में, वह किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो।

1. 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 3 द्वारा (5) और (7) उपधाराओं का लोप किया गया और उपधारा (6) की उपधारा (5) के रूप में पुनर्संघांकित किया गया।
2. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 15 द्वारा उपधारा (5) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. पूर्वोक्त की धारा 16 द्वारा पहले के शीर्षक के स्थान पर (14-12-1966 से) प्रतिस्थापित।
4. विधि अनुसूचन (सं० 2) अधिनियम, 1956 द्वारा धारा 3 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 17 द्वारा "(जम्मू-कश्मीर राज्य से भिन्न)" शब्दों और कोष्ठकों का लोप किया गया।
6. 1975 के अधिनियम सं० 29 की धारा 12 द्वारा कुछ शब्दों का (15-8-1975 से) लोप किया गया।
7. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 18 द्वारा "और" शब्दों का (14-12-1966 से) लोप किया गया।
8. पूर्वोक्त की धारा 18 द्वारा (14-12-1966 से) अन्तःस्थापित।
9. लक्षद्वीप (मिनिकाय और ममीनदोबी द्वीप समूह नाम परिवर्तन) विधि अनुसूचन अधिनियम, 1974 द्वारा (1-11-1973 से) प्रतिस्थापित।
10. 1976 के अधिनियम सं० 10 की धारा 3 द्वारा और अनुसूचो द्वारा "और" शब्द का (9-9-1975 से) लोप किया गया।
11. पूर्वोक्त की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (9-9-1975 से) अन्तःस्थापित।

(PART II.—Acts of Parliament)

CHAPTER II.—Qualifications for Membership of State Legislatures

5. Qualifications for membership of a Legislative Assembly.—A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the Legislative Assembly of a State unless—

(a) in the case of a seat reserved for the Scheduled Castes or for the Scheduled Tribes of that State, he is a member of any of those castes or of those tribes, as the case may be, and is an elector for any Assembly constituency in that State;

(b) in the case of a seat reserved for an autonomous district of Assam, ^{1***} he is a member of a ¹[Scheduled Tribe of any autonomous district] and is an elector for the Assembly constituency in which such seat or any other seat is reserved for that district; and

(c) in the case of any other seat, he is an elector for any Assembly constituency in that State:

¹[Provided that for the period referred to in clause (2) of article 371A, a person shall not be qualified to be chosen to fill any seat allocated to the Tuensang district in the Legislative Assembly of Nagaland unless he is a member of the regional council referred to in that article.]

5A. Qualifications for membership of Legislative Assembly of Sikkim.—¹[(1)] Notwithstanding anything contained in section 5, a person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the Legislative Assembly of Sikkim (deemed to be the Legislative Assembly of that State duly constituted under the Constitution) unless—

(a) in the case of a seat reserved for Sikkimese of Bhutia-Lepcha origin, he is a person either of Bhutia or Lepcha origin and is an elector for any Assembly constituency in the State other than the constituency reserved for the Sanghas;

(b) in the case of a seat reserved for Sikkimese of Nepali origin, he is a person of Nepali origin and is an elector for any Assembly constituency in the State;

(c) in the case of a seat reserved for Scheduled Castes, he is a member of any of the castes specified in the Representation of Sikkim Subjects Act, 1974 and is an elector for any Assembly constituency in the State; and

(d) in the case of a seat reserved for Sanghas, he is an elector of the Sangha constituency.]

¹[(2) Notwithstanding anything contained in section 5, a person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the Legislative Assembly of the State of Sikkim, to be constituted at any time after the commencement to the Representation of the People (Amendment) Act, 1980 (8 of 1980), unless—

(a) in the case of a seat reserved for Sikkimese of Bhutia-Lepcha origin, he is a person either of Bhutia or Lepcha origin and is an elector for any Assembly constituency in the State other than the constituency reserved for the Sanghas;

(b) in the case of a seat reserved for Scheduled Castes, he is a member of any of those castes in the State of Sikkim and is an elector for any Assembly constituency in the State;

(c) in the case of a seat reserved for Sanghas, he is an elector of the Sangha constituency; and

(d) in the case of any other seat, he is an elector for any Assembly constituency in the State.

Explanation.—In this sub-section “Bhutia” includes Chumbipa, Dophapa, Dukpa, Kagatey, Sherpa, Tibetan, Tromopa and Yolmo.]

1. Certain words omitted by the North-Eastern Areas (Reorganisation) (Adaptation of Laws on Union Subjects) Order, 1974 (w.e.f. 21-1-1974).
2. Subs. by Act 47 of 1966, s. 19, for “Scheduled Tribe of that district” (w.e.f. 14-12-1966).
3. Ins. by Act 27 of 1962, s. 11.
4. Ins. by Act 10 of 1976, s. 2 and Sch. (w.e.f. 9-9-1975).
5. S. 5A renumbered as sub-section (1) of that section by Act 8 of 1980, s. 3 (w.e.f. 1-9-1979).
6. Ins. by s. 3, *ibid.*, (w.e.f. 1-9-1979).

अध्याय 2—राज्य विधान-मंडलों की सदस्यता के लिए अर्हताएं

5. विधान सभा की सदस्यता के लिए अर्हताएं—किसी राज्य की विधान सभा में के स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति तब तक अर्हित न होगा जब तक कि—

(क) उन राज्य की अनुसूचित जातियों के लिए या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थान की दशा में, वह, यथास्थिति, उन जातियों में से या उन जनजातियों में से किसी का सदस्य न हो और उन राज्य में के हिां नया निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो;

(ख) ग्रामाम 1*** के किसी स्वशासी जिले के लिए आरक्षित स्थान की दशा में, वह [किसी स्वशासी जिले की अनुसूचित जनजाति] का सदस्य न हो और उन सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए, जिसमें उन जिले के लिए ऐसा स्थान या कोई अन्य स्थान आरक्षित है निर्वाचक न हो, तथा

(ग) किसी अन्य स्थान की दशा में, वह उस राज्य में के किसी सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो :

परन्तु अनुच्छेद 371 के खण्ड (2) में निर्दिष्ट कालावधि के लिए कोई व्यक्ति तब तक नागालैण्ड की विधान सभा में द्यूतसांग जिले को आबंटित किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह उस अनुच्छेद में निर्दिष्ट प्रादेशिक परिषद् का सदस्य न हो।]

5क. सिक्किम की विधान सभा की सदस्यता के लिए अर्हताएं—⁵[(1)] धारा 5 में किसी बात के होते हुए भी, सिक्किम की विधान सभा में (जो संविधान के अधीन उस राज्य को सम्यक् रूप में गठित विधान सभा समझी जाती है) स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह—

(क) भूटिया-लेप्चा उद्भव के सिक्किमियों के लिए आरक्षित स्थान की दशा में, या तो भूटिया या लेप्चा उद्भव का व्यक्ति न हो और राज्य में किसी ऐसी सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए, जो संघों के लिए आरक्षित निर्वाचन-क्षेत्र से भिन्न है, निर्वाचक न हो;

(ख) नेपाली उद्भव के सिक्किमियों के लिए आरक्षित स्थान की दशा में, नेपाली उद्भव का व्यक्ति न हो और राज्य में किसी सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो;

(ग) अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थान की दशा में, रिप्रजेंटेशन ग्राफ सिक्किम सबजेक्टस ऐक्ट, 1974 में विनिर्दिष्ट जातियों में से किसी जाति का सदस्य न हो और राज्य में किसी सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो; तथा

(घ) संघों के लिए आरक्षित स्थान की दशा में संघ निर्वाचन-क्षेत्र का निर्वाचक न हो।]

5[(2)] धारा 5 में किसी बात के होते हुए भी, सिक्किम राज्य की विधान सभा में, जो लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1980 के प्रारम्भ के पश्चात् किसी भी समय गठित की जाती है, स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह—

(क) भूटिया-लेप्चा उद्भव के सिक्किमियों के लिए आरक्षित स्थान की दशा में, या तो भूटिया या लेप्चा उद्भव का व्यक्ति न हो और राज्य में किसी ऐसी सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए, जो संघों के लिए आरक्षित निर्वाचन-क्षेत्र से भिन्न है, निर्वाचक न हो;

(ख) अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थान की दशा में, सिक्किम राज्य में उन जातियों में से किसी का सदस्य न हो और राज्य में किसी सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो;

(ग) संघों के लिए आरक्षित स्थान की दशा में, संघ निर्वाचन-क्षेत्र का निर्वाचक न हो;

(घ) किसी अन्य स्थान की दशा में, राज्य में के किसी सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में, "भूटिया" के अन्तर्गत चूमिपा, डोप्यापा, दकपा, कगाते, शोरपा, तिब्बती, टोमोपा और योल्पो भी हैं।

1. पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) (संघ विधियों पर विधि अनुसूचन) अधिनियम, 1974 द्वारा कुछ शब्दों का (21-1-1972 से) लोप किया गया।
2. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 19 द्वारा "उस जिले की अनुसूचित जाति" के स्थान पर (14-12-1966 से) प्रतिस्थापित।
3. 1962 के अधिनियम सं० 27 की धारा 11 द्वारा अन्तःस्थापित।
4. 1976 के अधिनियम सं० 10 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (9-9-1975 से) अन्तःस्थापित।
5. 1980 के अधिनियम सं० 8 की धारा 3 द्वारा धारा 5 क की उसकी उपधारा (1) के रूप में (1-9-1979 से) पुनःसंस्थापित किया गया।
6. 1980 के अधिनियम सं० 8 की धारा 3 द्वारा (1-9-1979 से) अन्तःस्थापित।

6. **Qualifications for membership of a Legislative Council.**—(1) A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the Legislative Council of a State to be filled by election unless he is an elector for any Assembly constituency in that State.

(2) A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the Legislative Council of a State to be filled by nomination by the Governor¹ unless he is ordinarily resident in the State.

²[CHAPTER III.—Disqualifications for Membership of Parliament and State Legislatures

7. **Definitions.**—In this Chapter,—

(a) “appropriate Government” means in relation to any disqualification for being chosen as or for being a member of either House of Parliament, the Central Government, and in relation to any disqualification for being chosen as or for being a member of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State, the State Government;

(b) “disqualified” means disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State.

8. **Disqualification on conviction for certain offences.**—³(1) A person convicted of an offence punishable under—

(a) section 153A (offence of promoting enmity between different groups on ground of religion, race, place of birth, residence, language, etc., and doing acts prejudicial to maintenance of harmony) or section 171E (offence of bribery) or section 171F (offence of undue influence or personation at an election) or sub-section (1) or sub-section (2) of section 376 or section 376A or section 376B or section 376C or section 376D (offences relating to rape) or section 498A (offence of cruelty towards a woman by husband or relative of a husband) or sub-section (2) or sub-section (3) of section 505 (offence of making statement creating or promoting enmity, hatred or ill-will between classes or offence relating to such statement in any place of worship or in any assembly engaged in the performance of religious worship or religious ceremonies) of the Indian Penal Code (45 of 1860), or

(b) the Protection of Civil Rights Act, 1955 (22 of 1955), which provides for punishment for the preaching and practice of “untouchability”, and for the enforcement of any disability arising therefrom; or

(c) section 11 (offence of importing or exporting prohibited goods) of the Customs Act, 1962 (52 of 1962); or

(d) sections 10 to 12 (offence of being a member of an association declared unlawful, offence relating to dealing with funds of an unlawful association or offence relating to contravention of an order made in respect of a notified place) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967); or

(e) the Foreign Exchange (Regulation) Act, 1973 (46 of 1973); or

(f) the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985); or

(g) section 3 (offence of committing terrorist acts) or section 4 (offence of committing disruptive activities) of the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, 1987 (28 of 1987); or

1. Certain words omitted by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956.

2. Subs. by Act 47 of 1966, s. 20, for Chapter III (w.e.f. 14-12-1966). Previous Chapter IV (ss. 110 and 111) was rep. by Act 103 of 1956, s. 66.

3. Subs. by Act 1 of 1989, s. 4, for sub-sections (1) and (2) (w.e.f. 15-3-1989).

6. विधान परिषद् की सदस्यता के लिए उर्हताएं—(1) किसी राज्य की विधान परिषद् में के उस स्थान को भरने के लिए, जो निर्वाचन द्वारा भरा जाता है, चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति तब तक अर्हित न होगा जब तक कि वह उस राज्य में के किसी सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो।

(2) किसी राज्य की विधान-परिषद् में के उस स्थान को भरने के लिए, जो राज्यपाल 1*** द्वारा नामनिर्देशन द्वारा भरा जाता है, चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति तब तक अर्हित न होगा जब तक कि वह उस राज्य में मामूली तौर से निवासी न हो।

अध्याय 3—संसद् और राज्य विधान-मंडलों की सदस्यता के लिए निरर्हताएं

7. परिभाषाएं—इस अध्याय में—

(क) “समुचित सरकार” में संसद् के दोनों सदनों में से किसी का सदस्य चुने जाने या सदस्य होने या रहने के लिए किसी निरर्हता के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार तथा किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने या सदस्य होने या रहने के लिए किसी निरर्हता के सम्बन्ध में वह राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(ख) “निरर्हित” से संसद् के दोनों सदनों से किसी का या किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने या रहने के लिए निरर्हित अभिप्रेत है।

8. कतिपय अपराधों के लिए दोषसिद्धि पर निरर्हता—³[(1) निम्नलिखित के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए सिद्धोप ठहराया गया व्यक्ति ऐसी दोषसिद्धि को तारीख से छह वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित होगा, अर्थात्:—

(क) भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 153क (धर्म, मूलवंश, जन्म-स्थान, निवास-स्थान, भाषा, इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करने का अपराध) या धारा 171क (रिश्त का अपराध) या धारा 171च (निर्वाचनों में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण का अपराध) या धारा 376 की उपधारा (1) या उपधारा (2) या धारा 376क या धारा 376ख या धारा 376ग या धारा 376घ (वलात्संग से संबंधित अपराध), या धारा 498क (किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करने का अपराध), या धारा 505 की उपधारा (2) या उपधारा (3) या (विभिन्न वर्गों में शत्रुता, घृणा या वैमनस्य पैदा या संप्रवर्तित करने वाले कथन अथवा किसी पूजा के स्थान में या किसी जमाव में, जो धार्मिक पूजा या धार्मिक कर्म करने में लगा हुआ हो, ऐसा कथन करने से संबंधित अपराध);

(ख) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का 22) जो “अस्पृश्यता” का प्रचार और आचरण करने और उससे उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करने के लिए दंड का उपबंध करता है; या

(ग) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) (प्रतिषिद्ध माल का आयात या निर्यात करने का अपराध); या

(घ) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 10 से धारा 12 तक (विधिविरुद्ध घोषित किए गए किसी संगम का सदस्य होने का अपराध, किसी विधिविरुद्ध संगम की निधियों के बरतने से संबंधित अपराध या किसी अधिसूचित स्थान के संबंध में किए गए आदेश के उल्लंघन से संबंधित अपराध); या

(ङ) विदेशी मुद्रा (विनियमन) अधिनियम, 1973 (1973 का 46); या

(च) स्वापक ओषधि और मत्त-प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61); या

(छ) आतंकवाद और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 (1987 का 28) की धारा 3 (आतंकवादी कार्य करने का अपराध) या धारा 4 (विध्वंसकारी क्रियाकलाप करने का अपराध); या

1. विधि अनुसूचन (सं० 2) अध्याय, 1956 द्वारा कुछ शब्दों का लोप किया गया।

2. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 20 द्वारा अध्याय 3 के स्थान पर (14-12-1966 से) प्रतिस्थापित। पूर्ववर्ती अध्याय 4 (110 और 111 धाराएं) का 1956 के अधिनियम सं० 103 का धारा 66 द्वारा निरस्त किया गया था।

3. 1989 के अधिनियम सं० 1 की धारा 4 द्वारा (15-3-1989 से) उपधारा (1) और (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(PART II.—Acts of Parliament)

(h) section 7 (offence of contravention of the provisions of sections 3 to 6) of the Religious Institutions (Prevention of Misuse) Act, 1988 (41 of 1988); or

(i) section 125 (offence of promoting enmity between classes in connection with the election) or section 135 (offence of removal of ballot papers from polling stations) or section 135A (offence of booth capturing) or clause (a) of sub-section (2) of section 136 (offence of fraudulently defacing or fraudulently destroying any nomination paper) of this Act, [or]¹

¹[(j) section 6 (offence of conversion of a Place of worship) of the Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991.]

shall be disqualified for a period of six years from the date of such conviction.

(2) A person convicted for the contravention of—

(a) any law providing for the prevention of hoarding or profiteering; or

(b) any law relating to the adulteration of food or drugs; or

(c) any provisions of the Dowry Prohibition Act, 1961 (28 of 1961); or

(d) any provisions of the Commission of Sati (Prevention) Act, 1987 (3 of 1988),

and sentenced to imprisonment for not less than six months, shall be disqualified from the date of such conviction and shall continue to be disqualified for a further period of six years since his release.

(3) A person convicted of any offence and sentenced to imprisonment for not less than two years [other than any offence referred to in sub-section (1) or sub-section (2)] shall be disqualified from the date of such conviction and shall continue to be disqualified for a further period of six years since his release.]

²[(4)] Notwithstanding anything ³[in sub-section (1), sub-section (2) or sub-section (3)] a disqualification under either sub-section shall not, in the case of a person who on the date of the conviction is a member of Parliament or the Legislature of a State, take effect until three months have elapsed from that date or, if within that period an appeal or application for revision is brought in respect of the conviction or the sentence, until that appeal or application is disposed of by the court.

Explanation.—In this section—

(a) “law providing for the prevention of hoarding or profiteering” means any law, or any order, rule or notification having the force of law, providing for—

(i) the regulation of production or manufacture of any essential commodity;

(ii) the control of price at which any essential commodity may be bought or sold;

(iii) the regulation of acquisition, possession, storage, transport, distribution, disposal, use or consumption of any essential commodity;

(iv) the prohibition of the withholding from sale of any essential commodity ordinarily kept for sale;

(b) “drug” has the meaning assigned to it in the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940);

(c) “essential commodity” has the meaning assigned to it in the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955):

1. Ins. by Act 42 of 1991, s. 8 (w.e.f. 18-9-1991).

2. Sub-section (3) renumbered as sub-section (4) by Act 1 of 1989, s. 4 (w.e.f. 15-3-1989).

3. Subs. by s. 4, *ibid.*, for “in sub-section (1) and sub-section (2)” (w.e.f. 15-3-1989).

(भाग 2—संसद के अधिनियम)

(ज) धार्मिक संस्था (दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1988 की धारा 7 (धारा 3 से धारा 6 तक के उपबंधों के उल्लंघन का अपराध); या

(झ) इस अधिनियम की धारा 125 (निर्वाचन के संबंध में वर्गों के बीच शत्रुता संप्रवर्तित करने का अपराध) या धारा 135 (मतदान केन्द्रों से मतपत्रों को हटाने का अपराध) या धारा 135क (बूथों के बलात् ग्रहण का अपराध) या धारा 136 की उपधारा (2) का खंड (क) (किसी नामनिर्देशन को कपटपूर्वक विरूपित करने या कपटपूर्वक नष्ट करने का अपराध); ¹[या]

¹[(ब) उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 की धारा 6 (किसी उपासना स्थल के संपरिवर्तन का अपराध).]

(2) कोई व्यक्ति जो,—

(क) जमाखोरी या मुनाफाखोरी का निवारण करने का उपबंध करने वाली किसी विधि; या

(ख) खाद्य या औषधि के अपमिश्रण से संबंधित किसी विधि; या

(ग) दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) के किन्हीं उपबंधों; या

(घ) सती (निवारण) अधिनियम, 1987 (1987 का 3) के किन्हीं उपबंधों,

के उल्लंघन के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और छह मास से अन्वून के कारावास से दंडादिष्ट किया गया है, वह ऐसी दोषसिद्धि की तारीख से निरर्हित होगा और अपने छोड़े जाने से छह वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए निरर्हित बना रहेगा।

(3) कोई व्यक्ति जो [उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी अपराध से भिन्न] किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और दो वर्ष से अन्वून के कारावास से दंडादिष्ट किया गया है, ऐसी दोषसिद्धि की तारीख से निरर्हित होगा और उसे छोड़े जाने से छह वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए निरर्हित बना रहेगा।]

²[(4)] ³[उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में] किसी बात के होते हुए भी, दोनों उपधाराओं में से किसी के अधीन निरर्हित उस व्यक्ति की दशा में जो दोषसिद्धि की तारीख के संसद का या राज्य के विधान-मंडल का सदस्य है, तब तक प्रभावशील नहीं होगी जब तक उस तारीख से तीन मास न बीत गए हों, अथवा, यदि उस कालावधि के भीतर उस दोषसिद्धि या दंडादेश की भावत अपील या पुनरीक्षण के लिए आवेदन किया गया है तो जब तक न्यायालय द्वारा उस अपील या आवेदन का निपटारा न हो गया हो।

स्पष्टीकरण—इस धारा में—

(क) "जमाखोरी या मुनाफाखोरी के निवारण के लिए उपबंध करने वाली विधि" से कोई ऐसी विधि या विधि का बल रखने वाला कोई ऐसा आदेश, नियम या अधिसूचना अभिप्रेत है जो निम्नलिखित के लिए उपबंध करती है—

(i) किसी आवश्यक वस्तु के उत्पादन या विनिर्माण का विनियमन,

(ii) उस कीमत का नियंत्रण जिस पर कोई आवश्यक वस्तु खरीदी या बेची जा सके,

(iii) किसी आवश्यक वस्तु के अर्जन, कब्जे, भंडारकरण, परिवहन, वितरण, व्ययन, उपयोग या उपभोग का विनियमन,

(iv) किसी ऐसी आवश्यक वस्तु के विचारण का प्रतिषेध, जो मासुली तौर पर विक्रय के लिए रखा जाता है;

(ख) "औषधि" का वह अर्थ है जो उसे औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) में समनुदिष्ट है:

(ग) "आवश्यक वस्तु" का अर्थ है जो उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) में समनुदिष्ट है;

1. 1991 के अधिनियम सं० 42 की धारा 8 द्वारा (18-9-1991 से) संशोधित।

2. 1989 के अधिनियम सं० 1 की धारा 4 द्वारा (15-3-1989 से) उपधारा (3), उपधारा (4) के रूप में पुनःसंरचित।

3. 1989 के अधिनियम सं० 1 की धारा 4 द्वारा (15-3-1989 से) "उपधारा (1) और उपधारा (2)" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(d) "food" has the meaning assigned to it in the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954).

¹8A. Disqualification on ground of corrupt practices.—(1) The case of every person found guilty of a corrupt practice by an order under section 99 shall be submitted, as soon as may be, after such order takes effect, by such authority as the Central Government may specify in this behalf, to the President for determination of the question as to whether such person shall be disqualified and if so, for what period:

Provided that the period for which any person may be disqualified under this sub-section shall in no case exceed six years from the date on which the order made in relation to him under section 99 takes effect.

(2) Any person who stands disqualified under section 8A of this Act as it stood immediately before the commencement of the Election Laws (Amendment) Act, 1975 (40 of 1975), may, if the period of such disqualification has not expired, submit a petition to the President for the removal of such disqualification for the unexpired portion of the said period.

(3) Before giving his decision on any question mentioned in sub-section (1) or on any petition submitted under sub-section (2), the President shall obtain the opinion of the Election Commission on such question or petition and shall act according to such opinion.]

9. Disqualification for dismissal for corruption or disloyalty.—(1) A person who having held an office under the Government of India or under the Government of any State has been dismissed for corruption or for disloyalty to the State shall be disqualified for a period of five years from the date of such dismissal.

(2) For the purposes of sub-section (1), a certificate issued by the Election Commission to the effect that a person having held office under the Government of India or under the Government of a State, has or has not been dismissed for corruption or for disloyalty to the State shall be conclusive proof of that fact:

Provided that no certificate to the effect that a person has been dismissed for corruption or for disloyalty to the State shall be issued unless an opportunity of being heard has been given to the said person.

9A. Disqualification for Government contracts, etc.—A person shall be disqualified if, and for so long as, there subsists a contract entered into by him in the course of his trade or business with the appropriate Government for the supply of goods to, or for the execution of any works undertaken by, that Government.

Explanation.—For the purposes of this section, where a contract has been fully performed by the person by whom it has been entered into with the appropriate Government, the contract shall be deemed not to subsist by reason only of the fact that the Government has not performed its part of the contract either wholly or in part.

10. Disqualification for office under Government company.—A person shall be disqualified if, and for so long as, he is a managing agent, manager or secretary of any company or corporation (other than a co-operative society) in the capital of which the appropriate Government has not less than twenty-five per cent. share.

10A. Disqualification for failure to lodge account of election expenses.—If the Election Commission is satisfied that a person—

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act, and

(भाग 2—संसद के अधिनियम)

(घ) "खाद्य" का वह अर्थ है जो उसे खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) में समनुदिष्ट है।

18क. भ्रष्ट आचरण के लिए निरर्हता—(1) धारा 99 के अधीन किसी आदेश द्वारा भ्रष्ट आचरण के दोषी ठहराए गए प्रत्येक व्यक्ति का मामला, उस आदेश के प्रभावशील होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, इस प्रश्न का अवधारण करने के लिए राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाएगा कि क्या ऐसा व्यक्ति निरर्हित किया जाए और यदि किया जाए तो कितनी कालावधि के लिए :

परन्तु वह कालावधि जिसके लिए कोई व्यक्ति इस उपधारा के अधीन निरर्हित किया जा सकेगा, किसी भी दशा में उस तारीख से छह वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसको धारा 99 के अधीन उसके संबंध में किया गया आदेश प्रभावशील होता है।

(2) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम की धारा 8क के अधीन, जैसी कि वह निर्वाचन विधि (संगोघन) अधिनियम, 1975 (1975 का 40) के आरम्भ के ठीक पहले थी, निरर्हित हो गया है, यदि ऐसी निरर्हता की कालावधि समाप्त नहीं हो गई है तो, उक्त कालावधि के शेष भाग के लिए ऐसी निरर्हता के हटाए जाने के लिए राष्ट्रपति को अर्जी प्रस्तुत कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) में वर्णित किसी प्रश्न या उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत की गई किसी अर्जी पर विनिश्चय देने से पूर्व राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से किसी ऐसे प्रश्न और अर्जी पर राय लेगा और उस राय के अनुसार कार्य करेगा।]

9. भ्रष्टाचार या अभक्ति के लिए पदच्युत होने पर निरर्हता—(1) वह व्यक्ति, जो भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य की सरकार के अधीन पद धारण करते हुए भ्रष्टाचार के कारण या राज्य के प्रति अभक्ति के कारण पदच्युत किया गया है, ऐसी पदच्युति की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निकाला गया इस भाव का प्रमाणपत्र कि कोई व्यक्ति भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन पद धारण करते हुए भ्रष्टाचार के कारण या राज्य के प्रति अभक्ति के कारण पदच्युत किया गया था या नहीं, उस तथ्य का निश्चायक सबूत होगा :

परन्तु इस भाव का कोई भी प्रमाणपत्र कि कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति अभक्ति के कारण पदच्युत किया गया है, तब तक नहीं निकाला जाएगा जब तक कि उक्त व्यक्ति को मुने जाने का अवसर न दे दिया गया हो।

9क. सरकार के साथ की गई संविदाओं का विचार के लिए निरर्हता—कोई भी व्यक्ति निरर्हित होगा, यदि और जब तक कोई ऐसी संविदा विद्यमान है जो उसने समुचित सरकार के साथ अपने व्यापार या कारवार के अनुक्रम में उस सरकार को भाल का प्रदाय करने के लिए या उस सरकार द्वारा उपक्रांत किन्हीं संकर्मों के निष्पादन के लिए की है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां कि कोई संविदा उस व्यक्ति द्वारा, जिसके द्वारा वह समुचित सरकार के साथ की गई थी, पूर्णतया निष्पादित कर दी गई है, वहां उस संविदा के बारे में केशल इस तथ्य के कारण कि सरकार ने उस संविदा के अपने भाग का पूर्णतः या भागतः पालन नहीं किया है यह नहीं समझा जाएगा कि वह विद्यमान है।

10. सरकारी कम्पनी के अधीन पद के लिए निरर्हता—कोई भी व्यक्ति निरर्हित होगा यदि और जब तक वह (सहकारी सोसाइटी से भिन्न) किसी ऐसी कंपनी या निगम का जिसकी पूंजी में समुचित सरकार का पच्चीस प्रतिशत से अन्यून अंश है, प्रबंध अभिकर्ता, प्रबंधक या सचिव है।

10क. निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफलता के कारण निरर्हता—यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

1. 1975 के अधिनियम सं० 40 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.

11. Removal or reduction of period of disqualification.—The Election Commission may, for reasons to be recorded, remove any disqualification under this Chapter [(except under section 8A)] or reduce the period of any such disqualification.

CHAPTER IV.—Disqualifications for Voting

11A. Disqualification arising out of conviction and corrupt practices.—¹[(1)] If any person, after the commencement of this Act,—

is convicted of an offence punishable under section 171E or section 171F of the Indian Penal Code (45 of 1860), or under section 125 or section 135 or clause (a) of sub-section (2) of section 136 of this Act,

* * * * *

he shall, for a period of six years from the date of the conviction or from the date on which the order takes effect, be disqualified for voting at any election.

²[(2) Any person disqualified by a decision of the President under sub-section (1) of section 8A for any period shall be disqualified for the same period for voting at any election.

(3) The decision of the President on a petition submitted by any person under sub-section (2) of section 8A in respect of any disqualification for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State shall, so far as may be, apply in respect of the disqualification for voting at any election incurred by him under clause (b) of sub-section (1) of section 11A of this Act as it stood immediately before the commencement of the Election Laws (Amendment) Act, 1975 (40 of 1975), as if such decision were a decision in respect of the said disqualification for voting also.]

11B. Removal of disqualifications.—The Election Commission may, for reasons to be recorded, remove ³[any disqualification under sub-section (1) of section 11A].]

⁴[PART III

NOTIFICATION OF GENERAL ELECTIONS

12. Notification for biennial election to the Council of States.—For the purpose of filling the seats of members of the Council of States retiring on the expiration of their term of office the President shall by one or more notifications published in the Gazette of India on such date or dates as may be recommended by the Election Commission, call upon the elected members of the Legislative Assembly or as the case may be, the members of the electoral college, of each State concerned to elect members in accordance with the provisions of this Act and of the rules and orders made thereunder:

Provided that no notification under this section shall be issued more than three months prior to the date on which the term of office of the retiring members is due to expire.

1. Ins. by Act 40 of 1975, s. 3.

2. S. 11A renumbered as sub-section (1) of that section by s. 4, *ibid.*

3. The brackets and letter "(a)" omitted by Act 38 of 1978, s. 3 and the Second Schedule.

4. The word "or" omitted by s. 3 and, the Second Schedule, *ibid.*

5. Cl. (b) omitted by Act 40 of 1975, s. 4.

6. Ins. by s. 4, *ibid.*

7. Subs. by s. 5, *ibid.*, for certain words.

8. Subs. by Act 27 of 1956, s. 7, for Part III (ss. 12 to 18).

(भाग 2—संसद् के अधिनियम)

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या व्यायोजित्व नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरहृत घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहृत होगा।

11. निरहृता की कालावधि को हटाना या कम करना—निर्वाचन आयोग उन कारणों के लिए, जो अभिलिखित किए जाएंगे इस अध्याय के अधीन 1[(सिवाय धारा 8क) के अधीन,] की किसी निरहृता को हटा सकेगा या ऐसी किसी निरहृता की कालावधि को कम कर सकेगा।

अध्याय 4—मत देने के लिए निरहृताएं

11क. दोषसिद्धि और भ्रष्ट आचरणों से उद्भूत निरहृता—2[(1)] यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात्—

3*** भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 171ड या धारा 171च अथवा इस अधिनियम की धारा 125 या धारा 135 के अधीन या धारा 136 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन दंडनीय किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया है, 4***

5* * * * *

तो वह दोषसिद्धि की तारीख से या उस तारीख से जिसको वह आदेश प्रभावशील होता है, छह वर्ष की कालावधि के लिए, किसी भी निर्वाचन में मत देने से निरहृत होगा।

6[(2) धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रपति के किसी आदेश द्वारा किसी कालावधि के लिए निरहृत व्यक्ति, किसी निर्वाचन में मत देने से उसी कालावधि के लिए निरहृत होगा।

(3) किसी व्यक्ति द्वारा संसद् के किसी सदन का या किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने या रहने के लिए किसी निरहृता की बावत धारा 8क की उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत की गई किसी अर्जी पर राष्ट्रपति का विनिश्चय, जहां तक हो सके इस अधिनियम की धारा 11क की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन, जैसा कि वह निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का 40) के प्रारम्भ के ठीक पहले था, किसी निर्वाचन में मत देने के लिए उक्त द्वारा उगत निरहृता को बावत, उसी प्रकार लागू होगा मानो ऐसा विनिश्चय मत देने के लिए उक्त निरहृता की बावत विनिश्चय हो।]

11ख. निरहृताओं का हटाया जाना—निर्वाचन आयोग उन कारणों के लिए, जो अभिलिखित किए जाएंगे, 7[धारा 11क की उपधारा (1) के अधीन किसी निरहृता] को हटा सकेगा।

8[भाग 3

साधारण निर्वाचनों की अधिसूचना

12. राज्य सभा के द्विवाषिक निर्वाचन के लिए अधिसूचना—राज्य सभा के उन सदस्यों के स्थानों को भरने के प्रयोजन के लिए, जो अपनी पदावधि के अवसान के पश्चात् निवृत्त हो जाते हैं, राष्ट्रपति ऐसी तारीख या तारीखों को, जिसकी सिफारिश निर्वाचन आयोग द्वारा की जाए, भारत के राजपत्र में प्रकाशित एक या अधिक अधिसूचनाओं द्वारा हर एक संपूक्त राज्य को, यथास्थिति, विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से या निर्वाचकगण के सदस्यों से अपेक्षा करेगा कि वे इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबंधों के अनुसार सदस्य निर्वाचित करें:

परन्तु इन धारा के अधीन कोई भी अधिसूचना उस तारीख से तीन मास से अधिक पूर्व न निकाली जाएगी जिस तारीख को निवृत्त होने वाले सदस्यों की पदावधि का अवसान होना है।

1. 1975 के अधिनियम सं० 40 की धारा 3 द्वारा अस्त:स्थापित।
2. पूर्वोक्त की धारा 4 द्वारा 11क की उसकी उपधारा (1) के रूप में पुन:संशोधित किया गया।
3. 1978 के अधिनियम सं० 38 की धारा 3 और द्वितीय अनुसूची द्वारा "(क)" अक्षर और कोष्ठकों का लोप किया गया।
4. पूर्वोक्त की धारा 3 और द्वितीय अनुसूची द्वारा "या" शब्द का लोप किया गया।
5. 1975 के अधिनियम सं० 40 की धारा 4 द्वारा खण्ड (ख) का लोप किया गया।
6. 1975 के अधिनियम सं० 40 की धारा 4 द्वारा अस्त:स्थापित।
7. पूर्वोक्त की धारा 5 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
8. 1956 के अधिनियम सं० 29 की धारा 7 द्वारा भाग 3 (12 से 18 तक धाराएं) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

¹[12A. Notification for election to fill the seat allotted to the State of Sikkim in the Council of States.—For the purpose of filling for the first time the seat allotted to the State of Sikkim by the Constitution (Thirty-sixth Amendment) Act, 1975 in the Council of States, the President shall, by a notification published in the Gazette of India, on such date as may be recommended by Election Commission, call upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of Sikkim to elect a member in accordance with the provisions of this Act and of the rules and orders made thereunder and the election so held shall for all purposes and intent be deemed to have been held under section 12.]

13. [Notification for reconstitution of electoral colleges for certain Union territories.] Rep. by the Territorial Councils Act, 1956 (103 of 1956), s. 66.

14. Notification for general election to the House of the People.—(1) A general election shall be held for the purpose of constituting a new House of the People on the expiration of the duration of the existing House or on its dissolution:

(2) For the said purpose the President shall, by one or more notifications published in the Gazette of India on such date or dates as may be recommended by the Election Commission, call upon all parliamentary constituencies to elect members in accordance with the provisions of this Act and of the rules and orders made thereunder :

Provided that where a general election is held otherwise than on the dissolution of the existing House of the People, no such notification shall be issued at any time earlier than six months prior to the date on which the duration of that House would expire under the provisions of clause (2) of article 83.

¹[14 A. Notification for electing the representative of the State of Sikkim to the existing House of the People.—For the purpose of electing a representative of the State of Sikkim to the House of the People, specified in clause (e) of article 371F of the Constitution, the Election Commission shall call upon the members of the Legislative Assembly of the State of Sikkim to elect the representative in accordance with such of the provisions of this Act, and the rules and orders made thereunder, as are applicable to the election of the members of the Council of States.]

15. Notification for general election to a State Legislative Assembly.—(1) A general election shall be held for the purpose of constituting a new Legislative Assembly on the expiration of the duration of the existing Assembly or on its dissolution.

(2) For the said purpose, ²[the Governor or Administrator, as the case may be], ³**** shall by one or more notifications published in the Official Gazette of the State on such date or dates as may be recommended by the Election Commission, call upon all Assembly constituencies in the State to elect members in accordance with the provisions of this Act and of the rules and orders made thereunder:

Provided that where a general election is held otherwise than on the dissolution of the existing Legislative Assembly, no such notification shall be issued at any time earlier than six months prior to the date on which the duration of that Assembly would expire under the provisions of clause (1) of article 172 ⁴**** ⁵[or under the provisions of section 5 of the Government of Union Territories Act, 1963 (20 of 1963), as the case may be.]

¹[15A. Notification for certain elections to Legislative Councils.—For the purpose of constituting the Legislative Council of the State of Madhya Pradesh under the States Reorganisation Act,

1. Ins. by Act 10 of 1976, s. 2 and Sch. (w.e.f. 9-9-1975).

2. Subs. by Act 20 of 1963, s. 57 and the Second Schedule for "the Governor".

3. Certain words omitted by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956.

4. Ins. by Act 20 of 1963, s. 57 and the Second Schedule.

5. Ins. by Act 37 of 1957, s. 13.

¹[12क. राज्य सभा में सिक्किम राज्य को आवंटन में मिले स्थान को भरने के लिए निर्वाचन की अधिसूचना—राज्य सभा में सिक्किम राज्य को संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा आवंटन में मिले स्थान को प्रथम बार भरने के प्रयोजन के लिए राष्ट्रपति, भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा ऐसी तारीख को, जिसकी सिफारिश निर्वाचन आयोग द्वारा की जाए, सिक्किम राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से अपेक्षा करेगा कि वे इस अधिनियम के और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा आदेशों के उपबंधों के अनुसरण में एक सदस्य को निर्वाचित करें और इस प्रकार में किया गया निर्वाचन सभी प्रयोजनों और आशय के लिए धारा 12 के अधीन किया गया निर्वाचन समझा जाएगा।]

13. कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए निर्वाचकगण के पुनर्गठन की अधिसूचना—त्रेतीय परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 103) की धारा 66 द्वारा निरस्त।

14. लोक सभा के साधारण निर्वाचन के लिए अधिसूचना—(1) नई लोक सभा गठित करने के प्रयोजन के लिए साधारण निर्वाचन वर्तमान सदन की अस्तित्वावधि के अवसान पर या उसके विघटन पर किया जाएगा।

(2) उक्त प्रयोजन के लिए राष्ट्रपति ऐसी तारीख या तारीखों को, जिसकी सिफारिश निर्वाचन आयोग द्वारा की जाए, भारत के राजपत्र में प्रकाशित एक या अधिक अधिसूचनाओं द्वारा सब संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों से अपेक्षा करेगा कि वे इस अधिनियम के और तदधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबंधों के अनुसार सदस्य निर्वाचित करें:

परन्तु जहाँ कि वर्तमान लोक सभा के विघटन पर होने से अन्यथा साधारण निर्वाचन होता है वहाँ ऐसी कोई अधिसूचना उस तारीख से, जिसको सदन की अस्तित्वावधि का अवसान अनुच्छेद 83 के खंड (2) के उपबंधों के अधीन होता, पूर्व के छह मास के पहले न निकाली जाएगी।

¹[14क. विद्यमान लोक सभा में सिक्किम राज्य के प्रतिनिधि का निर्वाचन करने के लिए अधिसूचना—लोक सभा में सिक्किम राज्य के प्रतिनिधि का निर्वाचन करने के प्रयोजन के लिए, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 371च के खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट है, निर्वाचन आयोग सिक्किम राज्य की विधान सभा के सदस्यों से अपेक्षा करेगा कि वे इस अधिनियम के और उसके अधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के ऐसे उपबंधों के अनुसरण में, जो राज्य सभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए लागू हैं, प्रतिनिधि निर्वाचित करें।]

15. राज्य की विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए अधिसूचना—(1) नई विधान सभा गठित करने के प्रयोजन के लिए, साधारण निर्वाचन वर्तमान सभा की अस्तित्वावधि के अवसान पर या उसके विघटन पर किया जाएगा।

(2) उक्त प्रयोजन के लिए ²[यथास्थिति, राज्यपाल या प्रशासक]^{3***} ऐसी तारीख या तारीखों को, जिसकी सिफारिश निर्वाचन आयोग द्वारा की जाए, राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित एक या अधिक अधिसूचनाओं द्वारा राज्य में के सब सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से अपेक्षा करेगा कि वे इस अधिनियम के और तदधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबंधों के अनुसार सदस्य निर्वाचित करें:

परन्तु जहाँ कि वर्तमान विधान सभा के विघटन पर होने से अन्यथा साधारण निर्वाचन होता है वहाँ ऐसी कोई अधिसूचना उस तारीख से, जिसको सभा की अस्तित्वावधि का अवसान ⁴[यथास्थिति] अनुच्छेद 172 के खंड (1) ^{3***} उपबंधों के अधीन ⁴[या संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20) की धारा 5 के उपबंधों के अधीन होता, पूर्व के छह मास से पहले न निकाली जाएगी।]

⁵[15क. विधान परिषदों के कतिपय निर्वाचनों के लिए अधिसूचना—राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का 37) के अधीन मध्य प्रदेश राज्य की विधान परिषद् के गठन और विधान परिषद् अधिनियम, 1957 (1957 का 37)

1. 1976 के अधिनियम सं० 10 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (9-9-1975 से) अस्त-स्थायित।
2. 1963 के अधिनियम सं० 20 की धारा 57 और द्वितीय अनुसूची द्वारा "राज्यपाल" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. विधि अनुकूलन (सं० 2) अधिनियम, 1956 द्वारा कुछ शब्दों का लोप किया गया।
4. 1963 के अधिनियम सं० 20 की धारा 57 द्वारा द्वितीय अनुसूची द्वारा अस्त-स्थायित।
5. 1957 के अधिनियम सं० 37 की धारा 13 द्वारा अस्त-स्थायित।

1956 (37 of 1956) and constituting the Legislative Council of the State of Andhra Pradesh under the Legislative Councils Act, 1957 (37 of 1957), the Governor of each of the aforesaid States shall, by one or more notifications published in the Official Gazette of the State on such date or dates as may be recommended by the Election Commission, call upon the members of the Legislative Assembly of the State and all the Council constituencies to elect members in accordance with the provisions of this Act and of the rules and orders made thereunder.]

16. Notification for biennial election to a State Legislative Council.—For the purpose of filling the seats of members of the Legislative Council of a State retiring on the expiration of their term of office, the Governor ^{1***} shall, by one or more notifications published in the Official Gazette of the State on such date or dates as may be recommended by the Election Commission call upon the members of the Legislative Assembly of the State and all the Council constituencies concerned to elect members in accordance with the provisions of this Act and of the rules and orders made thereunder:

Provided that no notification under this section shall be issued more than three months prior to the date on which the term of office of the retiring members is due to expire.]

PART IV

ADMINISTRATIVE MACHINERY FOR THE CONDUCT OF ELECTIONS

19. Definition.—In this Part and in Part V, unless the context otherwise requires, “constituency” means ^{2***} a Parliamentary constituency or an Assembly constituency or a Council constituency.

***19A. Delegation of functions of Election Commission.**—The functions of the Election Commission under the Constitution, the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950) and this Act or under the rules made thereunder may, subject to such general or special directions, if any, as may be given by the Election Commission in this behalf, be performed also by a Deputy Election Commissioner or by the Secretary to the Election Commission.]

***20. General duties of chief electoral officers.**—Subject to the superintendence, direction and control of the Election Commission, the chief electoral officer of each State shall supervise the conduct of all elections in the State under this Act.

***20A. General duties of district election officer.**—(1) Subject to the superintendence, direction and control of the chief electoral officer, the district election officer shall co-ordinate and supervise all work in the district or in the area within his jurisdiction in connection with the conduct of all elections to Parliament and the Legislature of the State.

(2) The district election officer shall also perform such other functions as may be entrusted to him by the Election Commission and the chief electoral officer.]

21. Returning officers.—For every constituency, for every election to fill a seat or seats in the Council of States and for every election by the members of the Legislative Assembly of a State to fill a seat or seats in the Legislative Council of the State, the Election Commission shall, in consultation with the Government of the State, designate or nominate a returning officer who shall be [an officer of Government or of a local authority]:

-
1. Certain words omitted by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956.
 2. Certain words omitted by Act 103 of 1956, s. 66.
 3. Ins. by Act 47 of 1966, s. 21 (w.e.f. 14-12-1966).
 4. Subs. by Act 27 of 1956, s. 9, for ss. 20 and 21.
 5. Ins. by Act 47 of 1966, s. 22 (w.e.f. 14-12-1966).
 6. Subs. by s. 23, *ibid.*, for “an officer of Government”.

के अग्रीम आंध्र प्रदेश राज्य की विधान परिषद् के गठन के प्रयोजन के लिए पूर्वोक्त राज्यों में से हर एक का राज्यपाल, ऐसी तारीख या तारीखों को, जिनकी सिफारिश निर्वाचन आयोग द्वारा की जाए, राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित एक या अधिक अधिसूचनाओं द्वारा, राज्य की विधान सभा के सदस्यों से और सब परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों से अपेक्षा करेगा कि वे इस अधिनियम के और तदधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबंधों के अनुसार सदस्य निर्वाचित करें।]

16. राज्य विधान परिषद् के द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए अधिसूचना—राज्य की विधान परिषद् के उन सदस्यों के स्थानों को भरने के प्रयोजन के लिए, जो अपनी पदावधि के अवसान के पश्चात् निवृत्त हो रहे हैं, राज्यपाल^{1***} ऐसी तारीख या तारीखों को, जिनकी सिफारिश निर्वाचन आयोग द्वारा की जाए, राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित एक या अधिक अधिसूचनाओं द्वारा राज्य की विधान सभा के सदस्यों से और संपूर्ण सब परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों से अपेक्षा करेगा कि वे इस अधिनियम के और तदधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबंधों के अनुसार सदस्य निर्वाचित कर:

परन्तु इस धारा के अग्रीम कोई भी अधिसूचना उस तारीख से तीन मास से अधिक पूर्व न निकाली जाएगी जिसे तारीख को निवृत्त होने वाले सदस्यों की पदावधि का अवसान होना है।]

भाग 4

निर्वाचनों के संचालन के लिए प्रशासनिक मशीनरी

19. परिभाषा—इस भाग में और भाग 5 में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "निर्वाचन-क्षेत्र" से^{2***} संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र या सभा निर्वाचन-क्षेत्र या परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र अभिप्रेत है।

³[19क. निर्वाचन आयोग के कृत्यों का प्रत्ययोजन—संविधान के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) के और इस अधिनियम के या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन, निर्वाचन आयोग के कृत्यों का, उपनिर्वाचन आयुक्त द्वारा या निर्वाचन आयोग के सचिव द्वारा भी ऐसे साधारण या विशेष निदेशों के अध्यधीन, यदि कोई हो, जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त दिए जाएं, पालन किया जा सकेगा।]

⁴[20. मुख्य निर्वाचन आफिसरों के साधारण कर्तव्य—निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए हर एक राज्य का मुख्य निर्वाचन आफिसर उस राज्य में इस अधिनियम के अधीन के सब निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण करेगा।]

⁵[20क. जिला निर्वाचन आफिसर के साधारण कर्तव्य—(1) मुख्य निर्वाचन आफिसर के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, जिला निर्वाचन आफिसर उस जिले में या अपनी अधिकारिता के भीतर के क्षेत्र में संसद् और राज्य के विधान-मण्डल के सब निर्वाचनों के संचालन के संसंग में सब काम का समन्वय और पर्यवेक्षण करेगा।]

(2) जिला निर्वाचन आफिसर ऐसे अन्य कृत्यों का भी पालन करेगा जो उसे निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन आफिसर द्वारा व्यस्त किए जाएं।]

21. रिटर्निंग आफिसर—निर्वाचन आयोग, हर निर्वाचन-क्षेत्र के लिए राज्य सभा में के स्थान या स्थानों को भरने के लिए हर निर्वाचन के लिए और राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा राज्य की विधान परिषद् में के स्थान या स्थानों को भरने के लिए हर निर्वाचन के लिए, राज्य की सरकार के परामर्श से, एक रिटर्निंग आफिसर पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करेगा जो [सरकार का या स्थानीय प्राधिकारी का आफिसर] ही होगा :

1. विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा कुछ शब्दों का लोप किया गया।
2. 1956 के अधिनियम सं० 103 की धारा 66 द्वारा कुछ शब्दों का लोप किया गया।
3. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 21 द्वारा (14-12-1966 से) घन्टा:स्थापित।
4. 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 9 द्वारा 20 और 21 धाराओं के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 22 द्वारा (14-12-1966 से) घन्टा:स्थापित।
6. पूर्वोक्त की धारा 23 द्वारा "सरकार का आफिसर" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(PART II.—Acts of Parliament)

Provided that nothing in this section shall prevent the Election Commission from designating or nominating the same person to be the returning officer for more than one constituency.]

22. Assistant returning officers.—(1) The Election Commission may appoint one or more persons to assist any returning officer in the performance of his functions:

Provided that every such person shall be ¹[an officer of Government or of a local authority].

(2) Every assistant returning officer shall, subject to the control of the returning officer, be competent to perform all or any of the functions of the returning officer:

Provided that no assistant returning officer shall perform any of the functions of the returning officer which relate ²**** to the scrutiny of nominations ³**** unless the returning officer is unavoidably prevented from performing the said function.

23. Returning officer to include assistant returning officers performing the functions of the returning officer.—References in this Act to the returning officer shall, unless the context otherwise requires, be deemed to include an assistant returning officer performing any function which he is authorized to perform under sub-section (2) of section 22.

24. General duty of the returning officer.—It shall be the general duty of the returning officer at any election to do all such acts and things as may be necessary for effectually conducting the election in the manner provided by this Act and rules or orders made thereunder.

25. Provision of polling stations for constituencies.—The district election officer shall, with the previous approval of the Election Commission, provide a sufficient number of polling stations for every constituency the whole or greater part of which lies within his jurisdiction, and shall publish, in such manner as the Election Commission may direct, a list showing the polling stations so provided and the polling areas or groups of voters for which they have respectively been provided.]

26. Appointment of presiding officers for polling stations.—(1) The ⁴[district election officer shall appoint a presiding officer for each polling station and such polling officer or officers as he thinks necessary, but he shall not appoint any person who has been employed by or on behalf of, or has been otherwise working for, a candidate in or about the election:

Provided that if a polling officer is absent from the polling station, the presiding officer may appoint any person who is present at the polling station other than a person who has been employed by or on behalf of, or has been otherwise working for, a candidate in or about the election, to be the polling officer during the absence of the former officer, and inform the ⁵[district election officer] accordingly:

⁶[Provided further that nothing in this sub-section shall prevent the ⁴[district election officer] from appointing the same person to be the presiding officer for more than one polling station in the same premises.]

(2) A polling officer shall, if so directed by the presiding officer, perform all or any of the functions of a presiding officer under this Act or any rules or orders made thereunder.

1. Subs. by Act 47 of 1966, s. 24, for "an officer of Government".

2. Certain words omitted by Act 27 of 1956, s. 10.

3. The words "or to the counting of votes" omitted by s. 10, *ibid.*

4. Subs. by Act 47 of 1966, s. 25, for s. 25 (w.e.f. 14-12-1966).

5. Subs. by s. 26, *ibid.*, for "returning officer" (w.e.f. 14-12-1966).

6. Ins. by Act 27 of 1956, s. 12.

परन्तु एक निर्वाचन-क्षेत्र से अधिक के लिए उसी व्यक्ति को रिटनिंग आफिसर पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करने से निर्वाचन आयोग को इस धारा की कोई बात निवारित न करेगी।]

22. सहायक रिटनिंग आफिसर—(1) निर्वाचन आयोग किसी रिटनिंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा:

परन्तु हर ऐसा व्यक्ति [सरकार का या स्थानीय प्राधिकारी का आफिसर] ही होगा।

(2) हर सहायक रिटनिंग आफिसर, रिटनिंग आफिसर के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, रिटनिंग आफिसर के सब कृत्यों या उनमें से किसी का भी पालन करने के लिए सक्षम होगा:

परन्तु रिटनिंग आफिसर के जो कृत्य ^{2****} नामनिर्देशनों की संवीक्षा ^{3****} से सम्बद्ध हैं उनमें से किसी को कोई सहायक रिटनिंग आफिसर तब तक न करेगा जब तक कि रिटनिंग आफिसर उक्त कृत्य को करने से अपरिवर्जनीयतः निवारित न हो जाए।

23. रिटनिंग आफिसर के अन्तर्गत रिटनिंग आफिसर के कृत्यों का पालन करने वाले सहायक रिटनिंग आफिसर आंग्रे—इस अधिनियम में रिटनिंग आफिसर के प्रति निर्देशों के अन्तर्गत, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उस किसी कृत्य का पालन करने वाला सहायक रिटनिंग आफिसर आता है जिस कृत्य का पालन करने के लिए वह धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत है, यह समझा जाएगा।

24. रिटनिंग आफिसर का साधारण कर्तव्य—किसी भी निर्वाचन में रिटनिंग आफिसर का यह साधारण कर्तव्य होगा कि वह वे सब कार्य और बातें करें जो इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों द्वारा उपबन्धित रीति में निर्वाचन का प्रभावी रूप से संचालन करने के लिए आवश्यक हों।

[25. निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए मतदान केन्द्रों का उपबन्ध—जिला निर्वाचन आफिसर, निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन से, हर ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र के लिए पर्याप्त संख्या में मतदान केन्द्रों का उपबन्ध करेगा जो सम्पूर्ण या जिसका अधिक भाग उसकी अधिकारिता के भीतर है, और ऐसे उपबन्धित मतदान केन्द्रों को और उन मतदान क्षेत्रों को या मतदाताओं के समूहों को, जिनके लिए वे क्रमशः उपबन्धित किए गए हैं, दक्षित करने वाली सूची ऐसी रीति में, जैसी निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे, प्रकाशित करेगा।

26. मतदान केन्द्रों के लिए पीठासीन आफिसरों की नियुक्ति—(1) [जिला निर्वाचन आफिसर] हर एक मतदान केन्द्र के लिए एक पीठासीन आफिसर और ऐसे मतदान आफिसर या ऐसे मतदान आफिसरों को, जैसे वह आवश्यक समझे, नियुक्त करेगा, किन्तु वह किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगा जो निर्वाचन में या निर्वाचन की बाबत किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया गया है या अन्यथा उसके लिए काम करता रहा है:

परन्तु यदि मतदान केन्द्र से मतदान आफिसर अनुपस्थित है तो पीठासीन आफिसर उस व्यक्ति से भिन्न, जो निर्वाचन में या निर्वाचन की बाबत किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया गया है या अन्यथा उसके लिए काम करता रहा है, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मतदान केन्द्र में उपस्थित है, पूर्व कथित आफिसर की अनुपस्थिति के दौरान मतदान आफिसर होने के लिए नियुक्त कर सकेगा और जिला निर्वाचन आफिसर को तदनुसार इतिला देगा:

[परन्तु यह और भी कि इस उपधारा की कोई भी बात जिला निर्वाचन आफिसर को एक ही व्यक्ति को एक ही परिसर में के एक से अधिक मतदान केन्द्रों के लिए पीठासीन आफिसर नियुक्त करने से निवारित न करेगी।]

(2) यदि मतदान आफिसर पीठासीन आफिसर द्वारा ऐसा करने के लिए निर्दिष्ट किया जाए तो वह इस अधिनियम के या तदधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या किए गए आदेशों के अधीन पीठासीन आफिसर के सब या, किन्हीं कृत्यों का पालन करेगा।

1. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 24 द्वारा "सरकार का आफिसर" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 10 द्वारा कुछ शब्दों का लोप किया गया।
3. पूर्वोक्त की धारा 10 द्वारा "या मतगणना से" शब्दों का लोप किया गया।
4. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 25 द्वारा धारा 25 के स्थान पर (14-12-1966 में) प्रतिस्थापित।
5. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 26 द्वारा "रिटनिंग आफिसर" के स्थान पर (14-12-1966 में) प्रतिस्थापित।
6. 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 12 द्वारा अन्तःस्थापित।

(PART II.—Acts of Parliament)

(3) If the presiding officer, owing to illness or other unavoidable cause, is obliged to absent himself from the polling station, his functions shall be performed by such polling officer as has been previously authorised by the [district election officer] to perform such functions during any such absence.

(4) References in this Act to the presiding officer shall, unless the context otherwise requires, be deemed to include any person performing any function which he is authorised to perform under sub-section (2) or sub-section (3), as the case may be.

²[(5) Any reference to a district election officer in section 25 and in this section shall, in relation to a constituency in a Union territory, be construed as a reference to the returning officer for that constituency.]

27. **General duty of the presiding officer.**—It shall be the general duty of the presiding officer at a polling station to keep order thereat and to see that the poll is fairly taken.

28. **Duties of a polling officer.**—It shall be the duty of the polling officers at a polling station to assist the presiding officer for such station in the performance of his functions.

³[28A. **Returning officer, presiding officer, etc., deemed to be on deputation to Election Commission.**—The returning officer, assistant returning officer, presiding officer, polling officer and any other officer appointed under this Part, and any police officer designated for the time being by the State Government, for the conduct of any election shall be deemed to be on deputation to the Election Commission for the period commencing on and from the date of the notification calling for such election and ending with the date of declaration of the results of such election and accordingly, such officers shall, during that period, be subject to the control, superintendence and discipline of the Election Commission.]

29. **Special provisions in the case of certain elections.**—(1) The returning officer for an election * * * to fill a seat or seats in the Council of States or for an election by the members of the Legislative Assembly of a State to fill a seat or seats in the Legislative Council of the State shall, with the previous approval of the Election Commission, fix the place at which the poll will be taken for such election and shall notify the place so fixed in such manner as the Election Commission may direct.

(2) The returning officer shall preside over such election at the place so fixed and shall appoint such polling officer or officers to assist him as he thinks necessary but he shall not appoint any person who has been employed by or on behalf of, or has been otherwise working for, a candidate in or about the election.

⁶[PART IVA

REGISTRATION OF POLITICAL PARTIES

29A. **Registration with the Election Commission of associations and bodies as political parties.**—(1) Any association or body of individual citizens of India calling itself a political party and intending to avail itself of the provisions of this Part shall make an application to the Election Commission for its registration as a political party for the purposes of this Act.

(2) Every such application shall be made,—

(a) if the association or body is in existence at the commencement of the Representation of the People (Amendment) Act, 1988 (1 of 1989), within sixty days next following such commencement;

1. Subs. by Act 47 of 1966, s. 26, for "returning officer" (w.e.f. 14-12-1966).

2. Ins. by s. 26, *ibid.* (w.e.f. 14-12-1966).

3. Ins. by Act 1 of 1989, s. 5 (w.e.f. 15-3-1989).

4. Certain words omitted by Act 27 of 1956, s. 13.

5. Ins. by Act 1 of 1989, s. 6 (w.e.f. 15-6-1989).

(3) यदि पीठासीन आफिसर रुग्णता या अन्य अपरिवर्जनीय हेतुक के कारण मतदान केन्द्र से स्वयं अनुपस्थित रहने के लिए बाध्य हो जाए तो उसके कृत्यों का पालन ऐसे मतदान आफिसर द्वारा किया जाएगा जिसे [जिला निर्वाचन आफिसर] ने किसी ऐसी अनुपस्थिति के दौरान ऐसे कृत्यों के पालन के लिए पहले से ही प्राधिकृत किया है।

(4) इस अधिनियम में पीठासीन आफिसर के प्रति निर्देशों के अन्तर्गत, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उस किसी कृत्य का पालन करने वाला कोई व्यक्ति आता है जिस कृत्य का पालन करने के लिए वह, यथा-स्थिति, उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन प्राधिकृत है, यह समझा जाएगा।

[(5) किसी संघ राज्यक्षेत्र में के निर्वाचन-क्षेत्र के संबंध में धारा 25 में और इस धारा में जिला निर्वाचन आफिसर के प्रति किसी भी निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह उस निर्वाचन-क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर के प्रति निदेश है।]

27. पीठासीन आफिसर का साधारण कर्तव्य—मतदान केन्द्र में व्यवस्था बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना कि मतदान ऋजुता से हो मतदान केन्द्र में के पीठासीन आफिसर का साधारण कर्तव्य होगा।

28. मतदान आफिसर के कर्तव्य—मतदान केन्द्र के मतदान आफिसरों का यह कर्तव्य होगा कि वे ऐसे केन्द्र के पीठासीन आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करें।

[28क. रिटर्निंग आफिसर, पीठासीन आफिसर आदि को निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझना—किसी निर्वाचन के संचालन के लिए रिटर्निंग आफिसर, सहायक रिटर्निंग आफिसर, पीठासीन आफिसर, मतदान आफिसर और इस भाग के अधीन नियुक्त कोई अन्य आफिसर, और किसी राज्य सरकार द्वारा तत्समय पदाभिहित कोई पुलिस आफिसर, उस अवधि के लिए, जो ऐसे निर्वाचन की अपेक्षा करने वाली अधिसूचना की तारीख से प्रारंभ होती है और ऐसे निर्वाचन के परिणामों के घोषित किए जाने की तारीख को समाप्त होती है, निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझे जाएंगे और तदनुसार ऐसे आफिसर उस अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन होंगे।

29. कतिपय निर्वाचनों की दशा में विशेष उपबन्ध—(1) राज्य सभा में के स्थान या स्थानों को भरने के लिए निर्वाचन के लिए, या राज्य की विधान परिषद् में के स्थान या स्थानों को भरने के लिए राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचन के लिए **** रिटर्निंग आफिसर निर्वाचन आयोग के पूर्वानुमोदन से वह स्थान नियत करेगा जहां कि ऐसे निर्वाचन के लिए मतदान होगा और ऐसे नियत स्थान को ऐसी रीति में अधिसूचित करेगा जैसी निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे।

(2) रिटर्निंग आफिसर ऐसे नियत स्थान में ऐसे निर्वाचन में पीठासीन होगा और अपनी सहायता के लिए ऐसा या ऐसे मतदान आफिसर नियुक्त करेगा जैसे वह आवश्यक समझे, किन्तु वह किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगा जो निर्वाचन में या निर्वाचन की बाबत अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया गया है या अन्यथा उसके लिए काम करता रहा है।

[भाग 4क

राजनैतिक दलों का रजिस्ट्रीकरण

29क. संगमों और निकायों का राजनैतिक दलों के रूप में आयोग के पास रजिस्ट्रीकरण—(1) भारत के व्यष्टिक नागरिकों का कोई संगम या निकाय, जो स्वयं को राजनैतिक दल कहता है और जो इस भाग के उपबंधों का लाभ उठाना चाहता है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राजनैतिक दल के रूप में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने के लिए निर्वाचन आयोग को आवेदन करेगा।

(2) ऐसा प्रत्येक आवेदन,—

(क) यदि संगम या निकाय लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1988 के प्रारंभ पर विद्यमान है तो ऐसे प्रारंभ के ठीक आगामी साठ दिन के भीतर किया जाएगा ;

1. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 26 द्वारा "रिटर्निंग आफिसर" के स्थान पर (14-12-1966 से) प्रतिस्थापित।
2. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 26 द्वारा (14-12-1966 से) अन्तःस्थापित।
3. 1989 के अधिनियम सं० 1 की धारा 5 द्वारा (15-3-1989 से) अन्तःस्थापित।
4. 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 13 द्वारा कुछ शब्दों का लोप किया गया।
5. 1989 के अधिनियम सं० 1 की धारा 6 द्वारा (15-6-1989 से) अन्तःस्थापित।

(PART II.—Acts of Parliament)

(b) if the association or body is formed after such commencement, within thirty days next following the date of its formation.

(3) Every application under sub-section (1) shall be signed by the chief executive officer of the association or body (whether such chief executive officer is known as Secretary or by any other designation) and presented to the Secretary to the Commission or sent to such Secretary by registered post.

(4) Every such application shall contain the following particulars, namely:—

(a) the name of the association or body;

(b) the State in which its head office is situate;

(c) the address to which letters and other communications meant for it should be sent;

(d) the names of its president, secretary, treasurer and other office-bearers;

(e) the numerical strength of its members, and if there are categories of its members, the numerical strength in each category;

(f) whether it has any local units; if so, at what levels;

(g) whether it is represented by any member or members in either House of Parliament or of any State Legislature; if so, the number of such member or members.

(5) The application under sub-section (1) shall be accompanied by a copy of the memorandum or rules and regulations of the association or body, by whatever name called, and such memorandum or rules and regulations shall contain a specific provision that the association or body shall bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and to the principles of socialism, secularism and democracy, and would uphold the sovereignty, unity and integrity of India.

(6) The Commission may call for such other particulars as it may deem fit from the association or body.

(7) After considering all the particulars as aforesaid in its possession and any other necessary and relevant factors and after giving the representatives of the association or body reasonable opportunity of being heard, the Commission shall decide either to register the association or body as a political party for the purposes of this Part, or not so to register it; and the Commission shall communicate its decision to the association or body:

Provided that no association or body shall be registered as a political party under this sub-section unless the memorandum or rules and regulations of such association or body conform to the provisions of sub-section (5).

(8) The decision of the Commission shall be final.

(9) After an association or body has been registered as a political party as aforesaid, any change in its name, head office, office-bearers, address or in any other material matters shall be communicated to the Commission without delay.]

PART V

CONDUCT OF ELECTIONS

CHAPTER I.—*Nomination of Candidates*

[30. **Appointment of dates for nominations, etc.**—As soon as the notification calling upon a constituency to elect a member or members is issued, the Election Commission shall, by notification in the Official Gazette, appoint—

(a) the last date for making nominations, which shall be the ²[seventh day] after the date of publication of the first mentioned notification or, if that day is a public holiday, the next succeeding day which is not a public holiday;

1. Subs. by Act 27 of 1956, s. 14, for s. 30.

2. Subs. by Act 40 of 1961, s. 7, for "tenth day" (w.e.f. 20-9-1961).

(ख) यदि संगम या निकाय ऐसे प्रारंभ के पश्चात् बनाया जाता है तो उसके बनाए जाने की तारीख के ठीक आगामी तीस दिन के भीतर किया जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन पर संगम या निकाय के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के (चाहे ऐसा मुख्य कार्यपालक अधिकारी सचिव के रूप में जाना जाता है या किसी अन्य पदाभिधान से जाना जाता है) हस्ताक्षर होंगे और वह आयोग के सचिव को पेश किया जाएगा या ऐसे सचिव को रजिस्ट्री डाक से भेजा जाएगा।

(4) ऐसे प्रत्येक आवेदन में निम्नलिखित विशिष्टियाँ होंगी, अर्थात् :—

- (क) संगम या निकाय का नाम;
- (ख) वह राज्य जिसमें उसका प्रधान कार्यालय स्थित है;
- (ग) वह पता जिस पर उसके लिए आशयित पत्र और अन्य संसूचनाएं भेजी जाएं;
- (घ) उसके अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के नाम;
- (ङ) उसके सदस्यों की संख्या और यदि उसके सदस्यों के प्रवर्ग हैं तो प्रत्येक प्रवर्ग की संख्या;
- (च) क्या उसके कोई स्थानीय एकक हैं, यदि हैं, तो किन स्तरों पर हैं;
- (छ) क्या संसद् के या किसी राज्य विधान-मंडल के किसी सदन में किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों द्वारा उसका प्रतिनिधित्व किया जाता है; यदि किया जाता है तो ऐसे सदस्य या सदस्यों की संख्या।

(5) उपधारा (1) के अधीन आवेदन के साथ संगम या निकाय के, ज्ञापन या नियमों और विनियमों की चाहे वह जिस नाम से ज्ञात हों, एक प्रति होगी और ऐसे ज्ञापन या नियमों और विनियमों में यह विनिर्दिष्ट उपबंध होगा कि वह संगम या निकाय विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति तथा समाजवाद, पंचनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा और भारत को प्रभुत्व, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा।

(6) आयोग संगम या निकाय से ऐसी अन्य विशिष्टियाँ मांगा सकेगा जैसी वह ठीक समझे।

(7) आयोग अपने कब्जे में की यथापूर्वोक्त सभी विशिष्टियों और कोई अन्य आवश्यक और सुसंगत बातों पर विचार करने के पश्चात् और संगम या निकाय के प्रतिनिधियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् या तो उस संगम या निकाय को इस भाग के प्रयोजनों के लिए राजनैतिक दल के रूप में रजिस्ट्रीकृत करने का, या जो इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत न करने का, विनिश्चय करेगा; और आयोग अपना विनिश्चय ऐसे संगम या निकाय को संसूचित करेगा :

परंतु कोई संगम या निकाय इस उपधारा के अधीन राजनैतिक दल के रूप में तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे संगम या निकाय का ज्ञापन या नियम और विनियम उपधारा (5) के उपबन्धों के अनुरूप नहीं है।

(8) आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा।

(9) किसी संगम या निकाय के यथापूर्वोक्त राजनैतिक दल के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के पश्चात् उसके नाम, प्रधान कार्यालय, पदाधिकारियों, पते या किन्हीं अन्य तात्विक विषयों में कोई तब्दीली आयोग को अविलंब संसूचित की जाएगी।

भाग 5

निर्वाचनों का संचालन

अध्याय 1—अभ्यर्थियों का नामनिर्देशन

1[30. नामनिर्देशनों आदि के लिए तारीखें नियत करना—जैसे ही सदस्य या सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए निर्वाचन-क्षेत्र से अपेक्षा करने वाली अधिसूचना निकाली जाए वैसे ही निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा—

(क) नामनिर्देशन करने के लिए अंतिम तारीख जो प्रथम वर्णित अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् वाले श[सातवें दिन] की होगी या यदि वह दिन लोक अवकाश दिन है तो निकटतम उत्तरवर्ती ऐसे दिन की होगी जो लोक अवकाश दिन नहीं है;

1. 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 14 द्वारा धारा 30 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. 1961 के अधिनियम सं० 40 की धारा 7 द्वारा "दसवें दिन" के स्थान पर (20-9-1961 से) प्रतिस्थापित।

(PART II.—Acts of Parliament)

(b) the date for the scrutiny of nominations, which shall be ¹[the day immediately following] the last date for making nominations or, if that day is a public holiday, the next succeeding day which is not a public holiday;

(c) the last date for the withdrawal of candidatures, which shall be ²[the second day] after the date for the scrutiny of nominations or, if that day is a public holiday, the next succeeding day which is not a public holiday;

(d) the date or dates on which a poll shall, if necessary, be taken, which or the first of which shall be a date not earlier than the twentieth day after the last date for the withdrawal of candidatures; and

(e) the date before which the election shall be completed.

3* * * *

31. Public notice of election.—On the issue of a notification under section 30, the returning officer ^{4***} shall give public notice of the intended election in such form and manner as may be prescribed, inviting nominations of candidates for such election and specifying the place at which the nomination papers are to be delivered.

32. Nomination of candidates for election.—Any person may be nominated as a candidate for election to fill a seat ^{5***} if he is qualified to be chosen to fill that seat under the provisions of the Constitution and this Act ^{6***} ⁷[or under the provisions of the Government of Union Territories Act, 1963 (20 of 1963), as the case may be].

33. Presentation of nomination paper and requirements for a valid nomination.—(1) On or before the date appointed under clause (a) of section 30 each candidate shall, either in person or by his proposer, between the hours of eleven o'clock in the forenoon and three o'clock in the afternoon deliver to the returning officer at the place specified in this behalf in the notice issued under section 31 a nomination paper completed in the prescribed form and signed by the candidate and by an elector of the constituency as proposer :

⁸[Provided that no nomination paper shall be delivered to the returning officer on a day which is a public holiday:]

⁹[Provided further that in the case of a local authorities' constituency, graduates' constituency or teachers' constituency, the reference to "an elector of the constituency as proposer" shall be construed as a reference to "ten per cent. of the electors of the constituency or ten such electors, whichever is less, as proposers".]

-
1. Subs. by Act 47 of 1966, s. 27, for "the second day after" (w.e.f. 14-12-1966).
 2. Subs. by s. 27, *ibid.* for "the third day" (w.e.f. 14-12-1966).
 3. *Explanation* omitted by s. 27, *ibid.* (w.e.f. 14-12-1966).
 4. The words "for the constituency" omitted by s. 28, *ibid.* (w.e.f. 14-12-1966).
 5. The words "in any constituency" omitted by Act 27 of 1956, s. 15.
 6. Certain words ins. by s. 15, *ibid.*, and omitted by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956.
 7. Ins. by Act 20 of 1963, s. 57 and Second Schedule.
 8. Subs. by Act 27 of 1956, s. 16, for s. 33.
 9. Ins. by Act 47 of 1966, s. 29 (w.e.f. 14-12-1966).
 10. Ins. by Act 1 of 1989, s. 7 (w.e.f. 1-4-1989).

(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख जो नामनिर्देशन करने के लिए नियत अंतिम तारीख के [उच्च-वहित आगामी दिन] की होगी या यदि वह दिन लोक अवकाश दिन है तो निकटतम उत्तरवर्ती ऐसे दिन की होगी जो लोक अवकाश दिन नहीं है ;

(ग) अभ्यर्थिता वापस लेने के लिए नियत अंतिम तारीख, जो नामनिर्देशनों की संवीक्षा के लिए नियत तारीख के पश्चात् [दूसरे दिन] की होगी या यदि वह दिन लोक अवकाश दिन है तो निकटतम उत्तरवर्ती ऐसे दिन की होगी जो अवकाश दिन नहीं है ;

(घ) वह तारीख या व तारीखें जिसको या जिनको यदि आवश्यक हो तो मतदान होगा और जो तारीख या जिन तारीखों में से पहली तारीख अभ्यर्थिताएं वापस लेने के लिए नियत अंतिम तारीख के पश्चात् बीसवें दिन से पूर्वतर न होने वाली तारीख होगी; तथा

(ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा।

3*

*

*

*

*

31. निर्वाचन की लोक सूचना—¹*** रिटनिंग आफिसर धारा 30 के अधीन अधिसूचना के निकाले जाने पर ऐसे निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन आमंत्रित करने हुए, और वह स्थान जहां नामनिर्देशन-पत्र परिदत्त किए जाने हैं, विनिर्दिष्ट करते हुए आशयित निर्वाचन की लोक सूचना ऐसे प्ररूप और रीति में देगा जैसा या जैसे विहित किया या की जाए।

32. निर्वाचन अभ्यर्थियों का नामनिर्देशन—यदि कोई व्यक्ति ²*** किसी स्थान को भरने के लिए चने जाने के लिए ³[यथास्थिति] संविधान और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन ⁴*** [या संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1953 (1963 का 20)] के उपबन्धों के अधीन अहित है तो वह उस स्थान को भरने के लिए निर्वाचन अध्वरों के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा।

⁵[33. नामनिर्देशन-पत्र का उपस्थित किया जाना और विधिमन्थ नामनिर्देशन के लिए अपेक्षाएँ—(1) हर एक अभ्यर्थी विहित प्ररूप में पूरित और अपने द्वारा तथा निर्वाचन-क्षेत्र में के एक निर्वाचक द्वारा प्रस्थापक के रूप में हस्ताक्षरित नामनिर्देशन-पत्र रिटनिंग आफिसर को उस स्थान पर जो धारा 31 के अधीन निकाली गई सूचना में इस निमित्त विनिर्दिष्ट है धारा 30 के खंड (क) के अधीन नियत तारीख को या के ओर पूर्व पूर्वाह्न ग्यारह बजे और अपराह्न तीन बजे के बीच या तो स्वयं या अपने प्रस्थापक द्वारा परिदत्त करेगा :

⁶[परन्तु कोई भी नामनिर्देशन-पत्र रिटनिंग आफिसर को ऐसे दिन परिदत्त नहीं किया जाएगा जो लोक अवकाश दिन हो :]

⁷[परन्तु यह और कि स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र, स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र या शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र की दशा में "निर्वाचन-क्षेत्र में के एक निर्वाचक द्वारा प्रस्थापक के रूप में" के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह "निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचकों के दस प्रतिशत द्वारा या ऐसे दस निर्वाचकों द्वारा इनमें से जो भी कम हों, प्रस्थापकों के रूप में" के प्रति निदेश है।]

1. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 27 द्वारा "दूसरे दिन के पश्चात्" के स्थान पर (14-12-1966 से) प्रतिस्थापित।
2. पूर्वोक्त की धारा 27 द्वारा "दूसरे दिन" के स्थान पर (14-12-1966 से) प्रतिस्थापित।
3. पूर्वोक्त की धारा 27 द्वारा स्पष्टीकरण का (14-12-1966 से) लोप किया गया।
4. पूर्वोक्त की धारा 28 द्वारा "निर्वाचन-क्षेत्र के लिए" शब्दों का (14-12-1966 से) लोप किया गया।
5. 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 15 द्वारा "किसी निर्वाचन-क्षेत्र में" शब्दों का लोप किया गया।
6. 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 15 द्वारा अन्तःस्थापित कृष् शब्दों का विधि अनुसूचन (सं० 2) प्रादेश, 1956 द्वारा लोप किया गया।
7. 1963 के अधिनियम सं० 20 की धारा 57 और दूसरी अनुसूची द्वारा अन्तःस्थापित।
8. 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 16 द्वारा धारा 33 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
9. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 29 द्वारा (14-12-1966 से) अन्तःस्थापित।
10. 1989 के अधिनियम सं० 1 की धारा 7 द्वारा (1-4-1989 से) अन्तःस्थापित।

(PART II.—Acts of Parliament)

¹[(1A) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), for election to the Legislative Assembly of Sikkim (deemed to be the Legislative Assembly of that State duly constituted under the Constitution), the nomination paper to be delivered to the returning officer shall be in such form and manner as may be prescribed:

Provided that the said nomination paper shall be subscribed by the candidate as assenting to the nomination, and—

(a) in the case of a seat reserved for Sikkimese of Bhutia-Lepcha origin, also by at least twenty electors of the constituency as proposers and twenty electors of the constituency as seconders;

(b) in the case of a seat reserved for Sanghas, also by at least twenty electors of the constituency as proposers and at least twenty electors of the constituency as seconders;

(c) in the case of a seat reserved for Sikkimese of Nepali origin, by an elector of the constituency as proposer:

Provided further that no nomination paper shall be delivered to the returning officer on a day which is a public holiday.]

(2) In a constituency where any seat is reserved, a candidate shall not be deemed to be qualified to be chosen to fill that seat unless his nomination paper contains a declaration by him specifying the particular caste or tribe of which he is a member and the area in relation to which that caste or tribe is a Scheduled Caste or, as the case may be, a Scheduled Tribe of the State.

(3) Where the candidate is a person who, having held any office referred to in ²[section 9] has been dismissed and a period of five years has not elapsed since the dismissal, such person shall not be deemed to be duly nominated as a candidate unless his nomination paper is accompanied by a certificate issued in the prescribed manner by the Election Commission to the effect that he has not been dismissed for corruption or disloyalty to the State.

(4) On the presentation of a nomination paper, the returning officer shall satisfy himself that the names and electoral roll numbers of the candidate and his proposer as entered in the nomination paper are the same as those entered in the electoral rolls:

³[Provided that no misnomer or inaccurate description or clerical, technical or printing error in regard to the name of the candidate or his proposer or any other person, or in regard to any place, mentioned in the electoral roll or the nomination paper and no clerical, technical or printing error in regard to the electoral roll numbers of any such person in the electoral roll or the nomination paper, shall affect the full operation of the electoral roll or the nomination paper with respect to such person or place in any case where the description in regard to the name of the person or place is such as to be commonly understood; and the returning officer shall permit any such misnomer or inaccurate description or clerical, technical or printing error to be corrected and where necessary, direct that any such misnomer, inaccurate description, clerical, technical or printing error in the electoral roll or in the nomination paper shall be overlooked.]

1. Ins. by Act 10 of 1976, s. 2 and Sch. (w.e.f. 9-9-1975).

2. Subs. by Act 38 of 1978, s. 3 and Second Schedule, for "clause (f) of section 7".

3. Subs. by Act 47 of 1966, s. 29, for the proviso (w.e.f. 14-12-1966).

1[(1क) उपखंड (1) में किसी बात के होते हुए भी सिविकम विधान सभा के (जो संविधान के अधीन उस राज्य की सम्यक् रूप से गठित विधान सभा समझी जाती है) निर्वाचन के लिए रिटनिंग आफिसर को परिचय दिया जाने वाला नामनिर्देशन-पत्र ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से होगा जिन्हें विहित किया जाए :

परन्तु उक्त नामनिर्देशन-पत्र अभ्यर्थी द्वारा यह दर्शाने के लिए हस्ताक्षरित किया जाएगा कि उसने नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति दे दी है अथवा—

(क) भूटिया-लप्चा उद्भव के सिविकमियों के लिए आरक्षित स्थान की दशा में प्रस्थापकों के रूप में उस निर्वाचन-क्षेत्र के कम से कम बीस निर्वाचकों द्वारा और समर्थकों के रूप में उस निर्वाचन-क्षेत्र के बीस निर्वाचकों द्वारा भी ;

(ख) संघों के लिए आरक्षित स्थान की दशा में प्रस्थापकों के रूप में उस निर्वाचन-क्षेत्र के कम से कम बीस निर्वाचकों द्वारा और समर्थकों के रूप में उस निर्वाचन-क्षेत्र के कम से कम बीस निर्वाचकों द्वारा भी ;

(ग) नेपाली उद्भव के सिविकमियों के लिए आरक्षित स्थान की दशा में प्रस्थापक के रूप में उस निर्वाचन-क्षेत्र के एक निर्वाचक द्वारा,

हस्ताक्षरित किया जाएगा :

परन्तु यह और कि रिटनिंग आफिसर को कोई नामनिर्देशन-पत्र ऐसे दिन परिचय नहीं किया जाएगा जो लोक अवकाश दिन है।]

(2) जिस निर्वाचन-क्षेत्र में कोई स्थान आरक्षित है उसमें कोई अभ्यर्थी उस स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित न समझा जाएगा जब तक कि उसके अपने नामनिर्देशन-पत्र में वह विशिष्ट जाति या जनजाति जिसका वह सदस्य है और वह क्षेत्र जिसके संबंध में वह जाति या जनजाति उस राज्य की, यथास्थिति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति है विनिर्दिष्ट करने वाली उसके द्वारा की गई घोषणा अन्तर्विष्ट न हो।

(3) जहां कि अभ्यर्थी [धारा 9] में निर्दिष्ट किसी पद को धारण करने वाला ऐसा व्यक्ति है जो पदच्युत कर दिया गया है और पदच्युति से पांच वर्ष की कालावधि बीती नहीं है वहां जब तक कि विहित रीति में निर्वाचन आयोग द्वारा किया गया यह प्रमाणपत्र कि वह भ्रष्ट आचरण या राज्य के प्रति अशक्ति के लिए पदच्युत नहीं किया गया है उसके नामनिर्देशन-पत्र के साथ न हो तो ऐसा व्यक्ति अभ्यर्थी के रूप में सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट हुआ न समझा जाएगा।

(4) नामनिर्देशन-पत्र के उपस्थित किए जाने पर रिटनिंग आफिसर अपना यह समाधान करेगा कि नामनिर्देशन-पत्र में यथाप्रविष्ट अभ्यर्थी और उसके प्रस्थापक के नाम और निर्वाचक नामावली संख्यांक वे ही हैं जो निर्वाचक नामावलियों में प्रविष्ट हैं :

3[परन्तु निर्वाचक नामावली या नामनिर्देशन-पत्र में वर्णित अभ्यर्थी या उसके प्रस्थापक या किसी अन्य व्यक्ति के नाम के बारे में या किसी स्थान के बारे में किसी गलत नाम या अशुद्ध वर्णन अथवा लेखन संबंधी तकनीकी या मुद्रण संबंधी भूल का और निर्वाचक नामावली में या नामनिर्देशन-पत्र में ऐसे किसी व्यक्ति के निर्वाचक नामावली संख्यांक के बारे में लेखन संबंधी तकनीकी या मुद्रण संबंधी भूल का प्रभाव ऐसे व्यक्ति या स्थान की वास्तविक निर्वाचक नामावली या नामनिर्देशन-पत्र के दूर प्रवर्तन पर किसी ऐसी दशा में नहीं पड़ेगा जिसमें उस व्यक्ति या स्थान के नाम के बारे में वर्णन ऐसा है जो सामान्यतः समझा जा सकने वाला है और रिटनिंग आफिसर ऐसे किसी गलत नाम या अशुद्ध वर्णन अथवा लेखन संबंधी तकनीकी या मुद्रण संबंधी भूल को शुद्ध किए जाने की अनुज्ञा देगा और जहां कि आवश्यक हो वहां यह निदेश देगा कि निर्वाचक नामावली में या नामनिर्देशन-पत्र में ऐसे किसी गलत नाम, अशुद्ध वर्णन, लेखन संबंधी तकनीकी या मुद्रण संबंधी भूल की अनुवेक्षा की जाए।]

1. 1976 के अधिनियम सं० 10 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (9-9-1975 से) प्रस्तुतस्थापित।

2. 1978 के अधिनियम सं० 38 की धारा 3 और दूसरी अनुसूची द्वारा "धारा 7 के खण्ड (घ)" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

3. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 29 द्वारा परन्तु क के स्थान पर (14-12-1966 से) प्रतिस्थापित।

(PART II.—Acts of Parliament)

(5) Where the candidate is an elector of a different constituency, a copy of the electoral roll of that constituency or of the relevant part thereof or a certified copy of the relevant entries in such roll shall, unless it has been filed along with the nomination paper, be produced before the returning officer at the time of scrutiny.

¹[(6) Nothing in this section shall prevent any candidate from being nominated by more than one nomination paper:

Provided that not more than four nomination papers shall be presented by or on behalf of any candidate or accepted by the returning officer for election in the same constituency.]

34. Deposits.—²[(1) A candidate shall not be deemed to be duly nominated for election from a constituency unless he deposits or causes to be deposited—

(a) in the case of an election from a Parliamentary constituency, a sum of five hundred rupees or where the candidate is a member of a Scheduled Caste or Scheduled Tribe, a sum of two hundred and fifty rupees; ³[and]

(b) in the case of an election from an Assembly or Council constituency, a sum of two hundred and fifty rupees or where the candidate is a member of a Scheduled Caste or Scheduled Tribe, a sum of one hundred and twenty-five rupees: ⁴****

* * * * *

Provided that where a candidate has been nominated by more than one nomination paper for election in the same constituency, not more than one deposit shall be required of him under this sub-section.]

(2) Any sum required to be deposited under sub-section (1) shall not be deemed to have been deposited under that sub-section unless at the time of delivery of the nomination paper ⁵[under sub-section (1) or, as the case may be, sub-section (1A) of section 33] the candidate has either deposited or caused to be deposited that sum with the returning officer in cash or enclosed with the nomination paper a receipt showing that the said sum has been deposited by him or on his behalf in the Reserve Bank of India or in a Government Treasury.

35. Notice of nominations and the time and place for their scrutiny.—The returning officer shall, on receiving, the nomination paper ⁶[under sub-section (1) or, as the case may be, sub-section (1A)] of section 33, inform the person or persons delivering the same of the date, time and place fixed for the scrutiny of nominations and shall enter on the nomination paper its serial number, and shall sign thereon a certificate stating the date on which and the hour at which the nomination paper has been delivered to him; and shall, as soon as may be thereafter, cause to be affixed in some conspicuous place in his office a notice of the nomination containing descriptions similar to those contained in the nomination paper, both of the candidate and of ⁷[the proposer].

36. Scrutiny of nominations.—(1) On the date fixed for the scrutiny of nominations under section 30, the candidates, their election agents, one proposer ⁸**** of each candidate, and one other person duly authorised in writing by each candidate, but no other person, may attend at such time and place as the returning officer may appoint; and the returning officer shall give them all reason-

1. Subs. by Act 40 of 1961, s. 8, for sub-section (6) (w.e.f. 20-9-1961).

2. Subs. by Act 27 of 1956, s. 17, for sub-section (1).

3. Ins. by Act 58 of 1958, s. 18.

4. The word "and" and cl. (c) omitted by s. 18, *ibid.*

5. Subs. by Act 10 of 1976, s. 2 and Sch., for certain words (w.e.f. 9-9-1975).

6. Subs. by Act 27 of 1956, s. 18, for certain words.

7. The words "and one seconder" omitted by s. 19, *ibid.*

(5) जहां कि अभ्यर्थी किसी भिन्न निर्वाचन-क्षेत्र का निर्वाचक है, वहां उस निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की या उसके सुसंगत भाग की एक प्रति या ऐसी नामावली में की सुसंगत प्रविष्टियों की एक प्रमाणित प्रति, जब तक कि वह नामनिर्देशन-पत्र के साथ फाइल न कर दी गई हो, संबीक्षा के समय रिटनिंग आफिसर के समक्ष पेश की जाएगी।

¹ [(6) इस धारा की कोई भी बात किसी अभ्यर्थी को एक से अधिक नामनिर्देशन-पत्र द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने से निवारित न करेगी :

परन्तु एक ही निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन के लिए चार से अधिक नामनिर्देशन-पत्र किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से न तो उपस्थित किए जाएंगे और न रिटनिंग आफिसर द्वारा प्रतिगृहीत किए जाएंगे।]

34. निक्षेप—²[(1) जब तक कि अभ्यर्थी—

(क) किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन की दशा में पांच सौ रुपए की राशि या जहां कि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है वहां ढाई सौ रुपए की राशि, ³[तथा]

(ख) किसी सभा या परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन की दशा में ढाई सौ रुपए की राशि या जहां कि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है वहां सवा सौ रुपए की राशि, ***

4*

*

*

*

*

निक्षिप्त न कर दे या निक्षिप्त न करा दे, वह किसी निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन के लिए सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट हुआ न संबीक्षा जाएगा :

परन्तु जहां कि अभ्यर्थी एक ही निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन के लिए एक से अधिक नामनिर्देशन-पत्र द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया है, वहां इस उपधारा के अधीन उससे एक से अधिक निक्षेप की अपेक्षा न की जाएगी।]

(2) उपधारा (1) के अधीन निक्षेप के लिए अपेक्षित कोई राशि उस उपधारा के अधीन निक्षिप्त की गई नहीं समझी जाएगी जब तक कि धारा 33 की, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (1क) के अधीन नामनिर्देशन-पत्रों के परिदान के समय अभ्यर्थी ने रिटनिंग आफिसर के पास या तो नकदी में उसे निक्षिप्त नहीं कर दिया है या निक्षिप्त नहीं करवा दिया है या निर्देशन-पत्र के साथ यह दर्शित करने वाली रसीद कि उक्त राशि रिजर्व बैंक आफ इंडिया या सरकारी खजाने में उसके द्वारा या उसकी ओर से निक्षिप्त कर दी गई है, नहीं लगा दी है।

35. नामनिर्देशनों की सूचना और उनकी संबीक्षा के लिए समय और स्थान—रिटनिंग आफिसर धारा 33 ⁴यथास्थिति, की उपधारा (1) या उपधारा (1क) के अधीन नामनिर्देशन-पत्र की प्राप्ति पर उसे परिदत्त करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को नामनिर्देशनों की संबीक्षा के लिए नियत तारीख, समय और स्थान की इत्तिला देगा और नामनिर्देशन-पत्र पर उसका क्रम संख्यांक प्रविष्ट करेगा और उस पर वह तारीख जिसको और वह समय जिस पर उसे नामनिर्देशन-पत्र परिदत्त किया गया है कथित करने वाला प्रमाणपत्र हस्ताक्षरित करेगा और तत्पश्चात् यथाशक्य शीघ्र नामनिर्देशन की ऐसी सूचना जिनमें अभ्यर्थी और ⁵[प्रस्थापक] दोनों के वैसे ही वर्णन अन्तर्विष्ट हों जैसे वे नामनिर्देशन-पत्र में हैं अपने कार्यालय में किसी सहजदृश्य स्थान में लगवाएगा।

36. नामनिर्देशनों की संबीक्षा—(1) धारा 30 के अधीन नामनिर्देशनों की संबीक्षा के लिए नियत तारीख को अभ्यर्थी, उनके निर्वाचन अभिवर्ता, हर एक अभ्यर्थी का एक प्रस्थापक ⁶***और हर एक अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप में सम्यक् रूप से प्राधिष्ठित एक दूसरा व्यक्ति, न कि कोई भी अन्य व्यक्ति, ऐसे समय और स्थान में जैसा रिटनिंग

1. 1961 के अधिनियम सं० 40 की धारा 8 द्वारा उपधारा (6) के स्थान पर (20-9-1961 से) प्रतिस्थापित।

2. 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 17 द्वारा उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

3. 1958 के अधिनियम सं० 58 की धारा 18 द्वारा अन्तःस्थापित।

4. पूर्वोक्त की धारा 18 द्वारा "और" शब्द और छण्ड (ग) का लोप किया गया।

5. 1976 के अधिनियम सं० 10 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर (9-9-1975 से) प्रतिस्थापित।

6. 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 18 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

7. पूर्वोक्त की धारा 19 द्वारा "और एक समर्थक" शब्दों का लोप किया गया।

able facilities for examining the nomination papers of all candidates which have been delivered within the time and in the manner laid down in section 33.

(2) The returning officer shall then examine the nomination papers and shall decide all objections which may be made to any nomination and may, either on such objection or on his own motion, after such summary inquiry, if any, as he thinks necessary, ¹[reject] any nomination on any of the following grounds:—

²[(a) ³[that on the date fixed for the scrutiny of nominations the candidate] either is not qualified or is disqualified for being chosen to fill the seat under any of the following provisions that may be applicable, namely:—

Articles 84, 102, 173 and 191, * * *

⁴[Part II of this Act, and sections 4 and 14 of the Government of Union Territories Act, 1963 (20 of 1963)] * * *; or

(b) that there has been a failure to comply with any of the provisions of section 33 or section 34; or

(c) that the signature of the candidate or the proposer on the nomination paper is not genuine.]

(3) Nothing contained in ⁵[clause (b) or clause (c)] of sub-section (2) shall be deemed to authorise the ⁶[rejection] of the nomination of any candidate on the ground of any irregularity in respect of a nomination paper, if the candidate has been duly nominated by means of another nomination paper in respect of which no irregularity has been committed.

(4) The returning officer shall not reject any nomination paper on the ground of any * * * defect which is not of a substantial character.

(5) The returning officer shall hold the scrutiny on the date appointed in this behalf under clause (b) of section 30 and shall not allow any adjournment of the proceedings except when such proceedings are interrupted or obstructed by riot or open violence or by causes beyond his control:

Provided that in case ¹⁰[an objection is raised by the returning officer or is made by any other person] the candidate concerned may be allowed time to rebut it not later than the next day but one following the date fixed for scrutiny, and the returning officer shall record his decision on the date to which the proceedings have been adjourned.

1. Subs. by Act 27 of 1956, s. 19, for "refuse".
2. Subs. by s. 19, *ibid.*, for cls. (a) to (e).
3. Subs. by Act 40 of 1961, s. 9, for "that the candidate" (w.e.f. 20-9-1961).
4. The word "and" ins. by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956 and omitted by Act 20 of 1963, s. 57 and the First Schedule.
5. Subs. by Act 20 of 1963, s. 57 and the Second Schedule, for certain words.
6. Certain words omitted by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956.
7. Subs. by Act 27 of 1956, s. 19, for "clause (c), clause (d) or clause (e)".
8. Subs. by s. 19, *ibid.*, for "refusal".
9. The word "technical" omitted by s. 19, *ibid.*
10. Subs. by Act 40 of 1961, s. 9, for "an objection is made" (w.e.f. 20-9-1961).

आफिसर नियत करे हाज़िर हो सकेंगे और रिटनिंग आफिसर तब अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन-पत्रों की जो उसे धारा 33 में अधिकतम समय के भीतर और रीति में प्रदत्त किए गए हैं, परीक्षा करने के लिए उन्हें सब युक्तियुक्त सुविधाएं देगा।

(2) रिटनिंग आफिसर तब नामनिर्देशन-पत्रों की परीक्षा करेगा और उन सब आक्षेपों का विनिश्चय करेगा जो किसी नामनिर्देशन की बाबत किए जाएं और ऐसी संक्षिप्त जांच के पश्चात् यदि कोई हो, जैसी वह आवश्यक समझे किसी नामनिर्देशन को ऐसे आक्षेप पर या स्वपेरेणा से निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार पर, अर्थात्:—

१ (क) उस आधार पर ³ [कि अभ्यर्थी नामनिर्देशनों की संवीक्षा के लिए नियत की गई तारीख] को निम्नलिखित उपबन्धों, अर्थात्:—

अनुच्छेद 84, 102, 173 और 191 4***

५ [इस अधिनियम के भाग 12 और संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20) की धाराओं 4 और 14 6*** में से जा भी लागू होती हो उसके अधीन उस स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए या तो अहित नहीं है या निरहित है, अथवा

(ख) इस आधार पर कि धारा 33 या धारा 34 के उपबन्धों में से किसी का अनवर्तन करने में अक्षमता हुई है, अथवा

(ग) इस आधार पर नामनिर्देशन-पत्र पर अभ्यर्थी का या प्रस्थापक का हस्ताक्षर अशुद्ध नहीं है, [रद्द] कर सकेगा।

(3) यदि अभ्यर्थी किसी ऐसे अन्य नामनिर्देशन-पत्र द्वारा जिसके बारे में कोई अनियमितता नहीं की गई है सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट कर दिया गया है तो उपधारा (2) के [खंड (ख) या खंड (ग)] में अन्तर्निहित किसी भी बात के बारे में यह न समझा जाएगा कि वह किसी अभ्यर्थी के नामनिर्देशन-पत्र में किसी अनियमितता के आधार पर ⁸ [प्रतिक्षेपित] करने के लिए प्राधिकृत करती है।

(4) रिटनिंग आफिसर किसी नामनिर्देशन-पत्र को ऐसी किसी 9*** त्रुटि के आधार पर जो सारधान् रूप की नहीं है, प्रतिक्षेपित न करेगा।

(5) रिटनिंग आफिसर धारा 30 के खंड (ख) के अधीन इस निमित्त नियत तारीख को संवीक्षा करेगा और कार्यवाहियों का कोई स्थगन उस दशा के विवाय अनुज्ञात न करेगा जिसमें ऐसी कार्यवाहियों में बलबे या खुली हिंसा से या उसके नियंत्रण के बाहर वाले कारणों से विघ्न या बाधा हुई है:

परन्तु उस दशा में जिसमें ¹⁰ [आक्षेप रिटनिंग आफिसर द्वारा उठाया जाता है या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है] संपूर्ण अभ्यर्थी को संवीक्षा के लिए नियत तारीख से एक दिन छोड़कर अगले दिन तक का न कि उसके पश्चात् का समय उसका खंडन करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा और रिटनिंग आफिसर अपना विनिश्चय उस तारीख को, जिस तक कार्यवाहियां स्थगित की गई हैं; अभिलिखित करेगा।

1. 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 19 द्वारा "प्रतिक्षेपित" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 19 द्वारा (क) से (ग) तक के खंडों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. 1961 के अधिनियम सं० 40 की धारा 9 द्वारा "कि अभ्यर्थी" के स्थान पर (20-9-1961 से) प्रतिस्थापित।
4. विधि अनुसूचन (सं० 2) अधिनियम, 1956 द्वारा मन्तःस्थापित "और" शब्द का 1963 के अधिनियम सं० 20 की धारा 57 और दूसरी अनुसूची द्वारा लोप किया गया।
5. 1963 के अधिनियम सं० 20 की धारा 57 और दूसरी अनुसूची द्वारा पहले के शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. विधि अनुसूचन (सं० 2) अधिनियम, 1956 द्वारा कुछ शब्दों का लोप किया गया।
7. 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 19 द्वारा "खण्ड (ग), खण्ड (घ) या खण्ड (ङ)" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
8. पूर्वोक्त की धारा 19 द्वारा "नामजूरी" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
9. पूर्वोक्त की धारा 19 द्वारा "प्राथमिक" शब्द का लोप किया गया।
10. 1961 के अधिनियम सं० 40 की धारा 9 द्वारा "कोई प्राप्ति की गई है" के स्थान पर (20-9-1961 से) प्रतिस्थापित।

Representation of the People Act, 1951

(PART II.—Acts of Parliament)

(6) The returning officer shall endorse on each nomination paper his decision accepting or rejecting the same and, if the nomination paper is rejected, shall record in writing a brief statement of his reasons for such rejection.

¹[(7) For the purposes of this section, a certified copy of an entry in the electoral roll for the time being in force of a constituency shall be conclusive evidence of the fact that the person referred to in that entry is an elector for that constituency, unless it is proved that he is subject to a disqualification mentioned in section 16 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950).

(8) Immediately after all the nomination papers have been scrutinized and decisions accepting or rejecting the same have been recorded, the returning officer shall prepare a list of validly nominated candidates, that is to say, candidates whose nominations have been found valid, and affix it to his notice board.]

37. Withdrawal of candidature.—(1) Any candidate may withdraw his candidature by a notice in writing which shall contain such particulars as may be prescribed and shall be subscribed by him and delivered before three o'clock in the afternoon on the day fixed under clause (c) of section 30 to the returning officer either by such candidate in person or by his proposer, ^{2***} or election agent who has been authorised in this behalf in writing by such candidate.

* * * * *

(2) No person who has given a notice of withdrawal of his candidature under sub-section (1) shall be allowed to cancel the notice.

³[(3) The returning officer shall, on being satisfied as to the genuineness of a notice of withdrawal and the identity of the person delivering it under sub-section (1), cause the notice to be affixed in some conspicuous place in his office.]

[38. Publication of list of contesting candidates.—(1) Immediately after the expiry of the period within which candidatures may be withdrawn under sub-section (1) of section 37, the returning officer shall prepare and publish in such form and manner as may be prescribed a list of contesting candidates, that is to say, candidates who were included in the list of validly nominated candidates and who have not withdrawn their candidature within the said period.

(2) The said list shall contain the names in alphabetical order and the addresses of the contesting candidates as given in the nomination papers together with such other particulars as may be prescribed.]

[39. Nomination of candidates at other elections.—(1) As soon as the notification calling upon the elected members or the members of the Legislative Assembly of a State or the members of the electoral college of a ⁴[Union territory] to elect a member or members is issued, the Election Commission shall, by notification in the Official Gazette, appoint—

(a) the last date for making nominations, which shall be the ⁵[seventh day] after the date of publication of the first-mentioned notification or, if that day is a public holiday, the next succeeding day which is not a public holiday;

1. Subs. by Act 27 of 1956, s. 19, for sub-section (7).

2. The word "seconded" and the proviso omitted by s. 20, *ibid.*

3. Subs. by Act 40 of 1961, s. 10, for sub-section (3) (w.e.f. 20-9-1961).

4. Subs. by Act 27 of 1956, s. 21, for s. 38.

5. Subs. by s. 22, *ibid.*, for s. 39.

6. Subs. by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956, for "Part C State".

7. Subs. by Act 40 of 1961, s. 11, for "tenth day" (w.e.f. 20-9-1961).

(6) रिटनिंग आफिसर हर ए- नामनिर्देशन-पत्र पर उसे प्रतिगृहीत करने या प्रतिक्षेपित करने का अपना विनिश्चय पृष्ठांकित करेगा और यदि नामनिर्देशन-पत्र प्रतिक्षेपित किया गया है तो ऐसे प्रतिक्षेपण के लिए अपने कारणों का संक्षिप्त कथन लिखित रूप में अभिलिखित करेगा।

1[(7) जब तक कि यह साबित न कर दिया जाए कि वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 16 में वर्णित निरहंता के अध्यक्षीन है, किसी निर्वाचन-क्षेत्र को तत्समय प्रकृत निर्वाचक नामावली में की प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति इस धारा के प्रयोजनों के लिए इस तथ्य का निश्चायक साध्य होगी कि वह व्यक्ति, जो उस प्रविष्टि में निर्दिष्ट किया गया है, उस निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक है।

(8) रिटनिंग आफिसर सब नामनिर्देशन-पत्रों की संवीक्षा के लिए किए जाने और उनके प्रतिगृहीत या प्रतिक्षेपित किए जाने के विनिश्चयों के अभिलिखित किए जाने के अव्यवहित पश्चात् विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की अर्थात् उन अभ्यर्थियों की, जिनके नामनिर्देशन विधिमान्य ठहराए गए हैं, सूची तैयार करेगा और उसे अपने सूचनाफलक पर लगावाएगा।]

37. अभ्यथिता वापस लेना—(1) कोई भी अभ्यर्थी अपनी अभ्यथिता ऐसी लिखित सूचना द्वारा वापस ले सकेगा जिसमें ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी जैसी विहित की जाएं और जो स्वयं उस द्वारा हस्ताक्षरित होंगी और रिटनिंग आफिसर को या तो स्वयं ऐसे अभ्यर्थी द्वारा या उसके प्रस्थापक द्वारा **** या ऐसे निर्वाचन अधिकारी द्वारा जो ऐसे अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप में इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है धारा 30 के खण्ड (ग) के अधीन नियत दिन को अपराह्न तीन बजे से पहले परिदत्त कर दी जाएंगी।

* * * * *

(2) जिस व्यक्ति ने अपनी अभ्यथिता वापस लेने की सूचना उपधारा (1) के अधीन दी है उसे उक्त सूचना को रद्द करने के लिए अनुज्ञात न किया जाएगा।

3[(3) रिटनिंग आफिसर अभ्यथिता वापस लेने की सूचना के असली होने के बारे में और उपधारा (1) के अधीन उसे परिदत्त करने वाले व्यक्ति की अनन्यता के बारे में अपना समाधान हो जाने पर उस सूचना को अपने कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान में लगावाएगा।]

38. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन—(1) रिटनिंग आफिसर उक्त कालावधि के जितके भीतर धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन अभ्यथिताएं वापस ली जा सकेंगी, अवसान के अव्यवहित पश्चात् निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की अर्थात् उन अभ्यर्थियों की, जो विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची के अन्तर्गत थे और जिन्होंने उक्त कालावधि के भीतर अपनी अभ्यथिता वापस नहीं ली है, सूची ऐसे प्ररूप और रीति में जैसी विहित की जाए, तैयार करेगा और प्रकाशित करेगा।

(2) उक्त सूची में विरोधी अभ्यर्थियों के नाम वर्णक्रम से और पते ऐसे जैसे वे नामनिर्देशन-पत्रों में दिए हुए हैं ऐसी अन्य विशिष्टियों सहित, जैसी विहित की जाएं, अन्तर्विष्ट होंगी।]

39. अन्य निर्वाचनों में अभ्यर्थियों का नामनिर्देशन—(1) जैसे ही किसी राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से या सदस्यों से या किसी [संघ राज्यक्षेत्र] के निर्वाचकगण के सदस्यों से सदस्य या सदस्यों का निर्वाचन करने के लिए अपेक्षा करने वाली अधिसूचना निकाली जाए वैसे ही निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में सूचना द्वारा—

(क) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख, जो प्रथम वर्णित अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के परवात् वाले [सातवें दिन] की होगी या यदि वह दिन लोक अवकाश दिन है तो निकटतम उत्तरवर्ती ऐसे दिन की होगी जो लोक अवकाश दिन नहीं है ;

1. 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 19 द्वारा उपधारा (7) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. पूर्वोक्त की धारा 20 द्वारा "समर्थक" शब्द और परलुक् का लोप किया गया।
3. 1961 के अधिनियम सं० 40 की धारा 10 द्वारा उपधारा (3) के स्थान पर (20-9-1961 से) प्रतिस्थापित।
4. 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 21 द्वारा धारा 38 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. पूर्वोक्त की धारा 22 द्वारा धारा 39 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. विधि अनुसूचन (सं० 2) प्रादेश, 1956 द्वारा "भाग ग राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
7. 1961 के अधिनियम सं० 40 की धारा 11 द्वारा "दसवें दिन" के स्थान पर (20-9-1961 से) प्रतिस्थापित।

Representation of the People Act, 1951

(PART II.—Acts of Parliament)

(b) the date for the scrutiny of nominations, which shall be ¹[the day immediately following] the last date for making nominations or, if that day is a public holiday, the next succeeding day which is not a public holiday;

(c) the last date for the withdrawal of candidatures, which shall be ²[the second day] after the date for the scrutiny of nominations or, if that day is a public holiday, the next succeeding day which is not a public holiday;

(d) the date or dates on which a poll shall, if necessary, be taken, which or the first of which shall be a date not earlier than the seventh day after the last date for the withdrawal of candidatures; and

(e) the date before which the election shall be completed.

** * * * *

(2) The provisions of sections 31 to 38, excluding sub-sections (2) and (5) of section 33 and ⁴[clause (a) of sub-section (1) of section 34], shall apply in relation to any such election as they apply in relation to an election in any constituency:

Provided that—

(a) any references in the said provisions to the electoral roll of the constituency shall, unless the context otherwise requires, be construed, in the case of an election by the members or the elected members of the Legislative Assembly of the State, as references to the list of members or elected members, as the case may be, of that Assembly maintained under sub-section (1) of section 152, and in the case of an election by the members of the electoral college of a ⁴[Union territory], as references to the list of members of such electoral college maintained under sub-section (2) of that section;

⁶[(aa) the reference in the opening paragraph of sub-section (1) of section 33 to “an elector of the constituency as proposer” shall be construed as a reference to “ten per cent. of the elected members or of the members of the Legislative Assembly of a State or of the members of the electoral college of a Union territory, as the case may be, or ten members concerned, whichever is less, as proposers”:

Provided that where as a result of the calculation of the percentage referred to in this clause, the number of members arrived at is a fraction and if the fraction so arrived at is more than one-half it shall be counted as one, and if the fraction so arrived at is less than one-half it shall be ignored;]

⁷[(ab)] in the case of an election to the Legislative Council of a State by the members of the Legislative Assembly of that State, clause (a) of sub-section (2) of section 36 shall be construed as including a reference to sub-clause (d) of clause (3) of article 171;]

1. Subs. by Act 47 of 1966, s. 30, for “the second day after” (w.e.f. 14-12-1966).

2. Subs. by s. 30, *ibid.*, for “the third day” (w.e.f. 14-12-1966).

3. Explanation omitted by s. 30, *ibid.* (w.e.f. 14-12-1966).

4. Subs. by Act 58 of 1958, s. 19, for “section 34”.

5. Subs. by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956, for “Part C State”.

6. Ins. by Act 1 of 1989, s. 8 (w.e.f. 1-4-1989).

7. Ins. by Act 47 of 1966, s. 30 (w.e.f. 14-12-1966).

8. Cl. (aa) relettered as cl. (ab) by Act 1 of 1989, s. 8 (w.e.f. 1-4-1989).

(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख जो नामनिर्देशन करने के लिए नियत अन्तिम तारीख के [अव्यवहित आगामी दिन] की होगी या यदि वह दिन लोक अवकाश दिन है तो निकटतम उत्तरवर्ती ऐसे दिन की होगी जो लोक अवकाश दिन नहीं है;

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने के लिए नियत अन्तिम तारीख जो नामनिर्देशनों की संवीक्षा के लिए नियत तारीख के पश्चात् [दूसरे दिन] की होगी या यदि वह दिन लोक अवकाश दिन है, तो निकटतम उत्तरवर्ती ऐसे दिन की होगी जो लोक अवकाश दिन नहीं है;

(घ) वह तारीख या वे तारीखें जिसको या जिनको यदि आवश्यक हो तो मतदान होगा और जो तारीख या जिन तारीखों में से पहली तारीख अभ्यर्थिताएं वापस लेने के लिए नियत अन्तिम तारीख के पश्चात् सातवें दिन के पूर्वतर न होने वाली तारीख होगी; तथा

(ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर लिया जाएगा,

नियत करेगा।

* * * * *

(2) धारा 33 की उपधारा (2) और (5) और [धारा 34 की उपधारा (1) के खंड (क)] का अन्वयन करके धारा 31 से लेकर धारा 38 तक के उपबन्ध किसी ऐसे निर्वाचन के संबंध में ऐसे लागू हों जैसे वे किसी निर्वाचन क्षेत्र में के निर्वाचन के संबंध में लागू होते हैं:

परन्तु—

(क) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के प्रति जो कोई निर्देश उक्त उपबन्धों में है उनका अर्थ यह लगाया जाएगा कि वे राज्य की विधान सभा के सदस्यों या निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचन की दशा में उस सभा के, यथास्थिति, सदस्यों या निर्वाचित सदस्यों की उस सूची के प्रति निर्देश हैं जो धारा 152 की उपधारा (1) के अधीन रखी जाती हैं, और किसी [संघ राज्यक्षेत्र] के निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा निर्वाचन की दशा में ऐसे निर्वाचकगण के सदस्यों की उस सूची के प्रति निर्देश हैं जो उस धारा की उपधारा (2) के अधीन रखी जाती हैं;

[कक] धारा 33 की उपधारा (1) के प्रारम्भिक पैरा में "निर्वाचन-क्षेत्र में के एक निर्वाचक द्वारा प्रस्थापक के रूप में" के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह "यथास्थिति, निर्वाचित सदस्यों के या किसी राज्य की विधान सभा के सदस्यों के या संघ राज्यक्षेत्र के निर्वाचकगण के सदस्यों के दस प्रतिशत द्वारा या संबंधित दस सदस्यों द्वारा, इनमें से जो भी कम हो, प्रस्थापकों के रूप में" के प्रति निर्देश है:

परन्तु जहां इस खंड में निर्दिष्ट प्रतिशतता की गणना के परिणामस्वरूप प्राप्त सदस्य संख्या में कोई भिन्न आती है और यदि इस प्रकार प्राप्त भिन्न आधे से अधिक है तो उसे एक गिना जाएगा और यदि इस प्रकार प्राप्त भिन्न आधी से कम है तो उसकी उपेक्षा की जाएगी।]

[कख] [क] किसी राज्य की विधान परिषद् के उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचन की दशा में धारा 36 की उपधारा (2) के खंड (क) का, अर्थ यह लगाया जाएगा कि उसके अन्तर्गत अनुच्छेद 171 के खण्ड (3) के उपखण्ड (घ) के प्रति निर्देश आता है;]

1. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 30 द्वारा "दूसरे दिन" के स्थान पर (14-12-1966 से) प्रतिस्थापित।
2. पूर्वोक्त की धारा 30 द्वारा "तीसरे दिन" के स्थान पर (14-12-1966 से) प्रतिस्थापित।
3. पूर्वोक्त की धारा 30 द्वारा स्पष्टीकरण का (14-12-1966 से) जोड़ दिया गया।
4. 1958 के अधिनियम सं० 58 की धारा 19 द्वारा "धारा 34" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. विधि धनुकूलन (सं० 2) अधिनियम, 1956 द्वारा "भाग ग राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. 1989 के अधिनियम सं० 1 की धारा 8 द्वारा (1-4-1989 में) संशोधित।
7. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 30 द्वारा (14-12-1966 से) संशोधित।
8. 1989 के अधिनियम सं० 1 की धारा 8 द्वारा (1-4-1989 से) खंड (कक), (कख) के रूप में पुनः संख्यांकित।

(PART II.—Acts of Parliament)

(b) any references in the said provisions to section 30 shall be construed as references to sub-section (1) of this section; and

(c) at the time of presenting the nomination paper, the returning officer may require the person presenting the same to produce either a copy of the electoral roll, or part of the electoral roll, in which the name of the candidate is included or a certified copy of the relevant entries in such roll.]

CHAPTER II.—*Candidates and their agents*

¹[40. **Election agents.**—A candidate at an election may appoint in the prescribed manner any one person other than himself to be his election agent and when any such appointment is made, notice of the appointment shall be given in the prescribed manner to the returning officer.]

²[41. **Disqualification for being an election agent.**—Any person who is for the time being disqualified under the Constitution or under this Act for being a member of either House of Parliament or the House or either House of the Legislature of a State or for voting at elections, shall, so long as the disqualification subsists, also be disqualified for being an election agent at any election.]

42. **Revocation of the appointment, or death, of an election agent.**—(1) Any revocation of the appointment of an election agent, ³*** shall be signed by the candidate, and shall operate from the date on which it is lodged with the returning officer.

⁴[(2) In the event of such a revocation or of the death of an election agent whether that event occurs before or during the election, or after the election but before the account of the candidate's election expenses has been lodged in accordance with the provisions of section 78, the candidate may appoint in the prescribed manner another person to be his election agent and when such appointment is made notice of the appointment shall be given in the prescribed manner to the returning officer.]

43. [Effect of default in appointment of election agent under section 42.] *Rep. by the Representation of the People (Second Amendment) Act, 1956 (27 of 1956), s. 25.*

44. [Duty of the election agent to keep accounts.] *Rep. by s. 25. ibid.*

⁵[45. **Functions of election agents.**—An election agent may perform such functions in connection with the election as are authorised by or under this Act to be performed by an election agent.]

⁶[46. **Appointment of polling agents.**—A contesting candidate or his election agent may appoint in the prescribed manner such number of agents and relief agents as may be prescribed to act as polling agents of such candidate at each polling station provided under section 25 or at the place fixed under sub-section (1) of section 29 for the poll.]

1. Subs. by Act 27 of 1956, s. 23, for s. 40.

2. Subs. by Act 47 of 1966, s. 31, for s. 41 (w.e.f. 14-12-1966).

3. Certain words omitted by Act 27 of 1956, s. 24.

4. Subs. by s. 24, *ibid.*, for sub-section (2).

5. Subs. by s. 26, *ibid.*, for s. 45.

6. Subs. by s. 27, *ibid.*, for s. 46.

(ख) धारा 30 के प्रति जो कोई निर्देश उक्त उपबन्धों में है उनका अर्थ यह लगाया जाएगा कि वे इस धारा की उपधारा (1) के प्रति निर्देश हैं, तथा

(ग) रिटनिंग आफिसर नामनिर्देशन-पत्र के उपस्थित किए जाने के समय उसे पेश करने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह निर्वाचक नामावली की या निर्वाचक नामावली के उस भाग की जिसमें अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित है एक प्रति अथवा ऐसी निर्वाचक नामावली में की सुसंगत प्रविष्टियों की एक प्रमाणित प्रति उपस्थित करे।]

अध्याय 2—अभ्यर्थी और उनके अभिकर्ता

[40. निर्वाचन अभिकर्ता—निर्वाचन में अभ्यर्थी अपने से भिन्न किसी एक व्यक्ति को अपना निर्वाचन अभिकर्ता होने के लिए विहित रीति में नियुक्त कर सकेगा और जबकि ऐसी कोई नियुक्ति को जाए तब उस नियुक्ति की सूचना रिटनिंग आफिसर को विहित रीति में दी जाएगी।]

[41. निर्वाचन अभिकर्ता होने के लिए निरर्हता—कोई भी व्यक्ति, जो संविधान के अधीन या इस अधिनियम के अधीन संसद् के दोनों सदनों में से किसी का या किसी राज्य के विधान-मण्डल के सदन का या दोनों सदनों में से किसी का सदस्य होने या रहने के लिए, या निर्वाचनों में मत देने के लिए तत्समय निरहित है, तब तक जब तक कि निरर्हता विद्यमान है, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन-अभिकर्ता होने के लिए भी निरहित होगा।]

42. निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण या उसकी मृत्यु—(1) निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति का कोई भी प्रतिसंहरण अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और उस तारीख से प्रवर्तित होगा जिस तारीख को वह रिटनिंग आफिसर के पास दाखिल किया जाए।

(2) ऐसे प्रतिसंहरण की या निर्वाचन अभिकर्ता की मृत्यु की दशा में चाहे वह घटना निर्वाचन के पूर्व या दौरान या निर्वाचन के पश्चात् किन्तु अभ्यर्थी के निर्वाचन व्ययों के लेखाओं की धारा 78 के उपबन्धों के अनुसार दाखिल किए जाने के पूर्व हुई हो, अभ्यर्थी किसी अन्य व्यक्ति को अपना निर्वाचन अभिकर्ता, विहित रीति में नियुक्त कर सकेगा और जबकि ऐसी नियुक्ति ही जाए, तब उस नियुक्ति की सूचना रिटनिंग आफिसर को विहित रीति में दी जाएगी।]

43. [धारा 42 के अन्तर्गत निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति की त्रुटि पर प्रभाव]—लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1956 (1956 का 27) की धारा 25 द्वारा निरसित।

44. [निर्वाचन अभिकर्ता का लेखा रखने का कृत्य]—लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1956 (1956 का 27) की धारा 25 द्वारा निरसित।

[45. निर्वाचन अभिकर्ताओं के कृत्य—निर्वाचन अभिकर्ता निर्वाचन के संबंध में ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगा जैसे निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा किए जाने के लिए इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्राधिकृत हैं।]

[46. मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति—निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता इतनी संख्या में अभिकर्ता और अवमुक्ति अभिकर्ता विहित रीति में नियुक्त कर सकेगा जितनी धारा 25 के अधीन उपबन्धित हर एक मतदान केन्द्र में या मतदान के लिए धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन नियत स्थान में ऐसे अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करने के लिए विहित की जाए।]

1. 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 23 द्वारा धारा 40 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 31 द्वारा धारा 41 के स्थान पर (14-12-1966 से) प्रतिस्थापित।
3. 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 24 द्वारा कुछ शब्दों का लोप किया गया।
4. पूर्वोक्त की धारा 24 द्वारा उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. पूर्वोक्त की धारा 26 द्वारा धारा 45 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. पूर्वोक्त की धारा 27 द्वारा धारा 46 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(PART II.—Acts of Parliament)

47. Appointment of counting agents.—A contesting candidate or his election agent may appoint in the prescribed manner one or more persons, but not exceeding such number as may be prescribed, to be present as his counting agent or agents at the counting of votes, and when any such appointment is made notice of the appointment shall be given in the prescribed manner to the returning officer.]

48. Revocation of the appointment or death of a polling agent or counting agent.—(1) Any revocation of the appointment of a polling agent shall be signed by the candidate or his election agent and shall operate from the date on which it is lodged with such officer as may be prescribed, and in the event of such a revocation or of the death of a polling agent before the close of the poll, the candidate or his election agent may appoint in the prescribed manner another polling agent at any time before the poll is closed and shall forthwith give notice of such appointment in the prescribed manner to such officer as may be prescribed.

(2) Any revocation of the appointment of a counting agent shall be signed by the candidate or his election agent and shall operate from the date on which it is lodged with the returning officer, and in the event of such revocation or of the death of a counting agent before the commencement of the counting of votes, the candidate or his election agent may appoint in the prescribed manner another counting agent at any time before the counting of votes is commenced and shall forthwith give notice of such appointment in the prescribed manner to the returning officer.

49. Functions of polling agents and counting agents.—(1) A polling agent may perform such functions in connection with the poll as are authorised by or under this Act, to be performed by a polling agent.

(2) A counting agent may perform such functions in connection with the counting of votes as are authorised by or under this Act to be performed by a counting agent.

50. Attendance of a contesting candidate or his election agent at polling stations, and performance by him of the functions of a polling agent or counting agent.—(1) At every election where a poll is taken, each ²[contesting candidate] at such election and his election agent shall have a right to be present at any polling station provided under section 25 for the taking of the poll or at the place fixed under sub-section (1) of section 29 for the poll.

(2) A ²[contesting candidate] or his election agent may himself do any act or thing which any polling agent or the counting agent of such ²[contesting candidate] if appointed, would have been authorised by or under this Act to do, or may assist any polling agent or the counting agent of such ²[contesting candidate] in doing any such act or thing.

51. Non-attendance of polling or counting agents.—Where any act or thing is required or authorised by or under this Act to be done in the presence of the polling or counting agents, the non-attendance of any such agent or agents at the time and place appointed for the purpose shall not, if the act or thing is otherwise duly done, invalidate the act or thing done.

CHAPTER III.—*General Procedure at Elections*

52. Death of candidate before the poll.—If a candidate, set up by a recognised political party,—

(a) dies at any time after 11 A.M. on the last date for making nominations and his nomination is found valid on scrutiny under section 36; or

(b) whose nomination has been found valid on scrutiny under section 36 and who has not withdrawn his candidature under section 37, dies,

and in either case, a report of his death is received at any time before the publication of the list of contesting candidates under section 38; or

1. Subs. by Act 27 of 1956, s. 28, for s. 47.

2. Subs. by Act 58 of 1958, s. 20, for "candidate".

3. Subs. by Act 2 of 1992, s. 2, for s. 52 (w.e.f. 4-1-1992).

(भाग 2—संसद के अधिनियम)

147. गणन अभिकर्ताओं की नियुक्ति—निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता एक या अधिक किन्तु ऐसी संख्या से अनधिक, जैसी विहित की जाए, व्यक्तियों को अपने गणन अभिकर्ताओं या अभिकर्ताओं के रूप में मतों की गणना के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए विहित रीति में नियुक्त कर सकेगा और जबकि ऐसी कोई नियुक्ति की जाए तब उस नियुक्ति की सूचना रिटर्निंग आफिसर को विहित रीति में दी जाएगी।

48. मतदान अभिकर्ताओं या गणन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण या उसकी मृत्यु—(1) मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का कोई भी प्रतिसंहरण अभ्यर्थी द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा, और उस तारीख से प्रवर्तित होगा जिस तारीख को वह ऐसे आफिसर के पास, जैसा विहित किया जाए, दाखिल किया गया है और मतदान के बंद होने से पूर्व ऐसे प्रतिसंहरण की या मतदान अभिकर्ता की मृत्यु की दशा में, अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतदान बन्द होने से पूर्व किसी भी समय दूसरा मतदान अभिकर्ता विहित रीति में नियुक्त कर सकेगा और ऐसी नियुक्ति की सूचना विहित रीति में ऐसे आफिसर को तत्क्षण देगा जैसा विहित किया जाए।

(2) गणन अभिकर्ता की नियुक्ति का कोई भी प्रतिसंहरण अभ्यर्थी द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और उस तारीख से प्रवर्तित होगा जिस तारीख को वह रिटर्निंग आफिसर के पास दाखिल किया गया है और मतों की गणना के प्रारम्भ होने से पूर्व ऐसे प्रतिसंहरण की या गणन अभिकर्ता की मृत्यु की दशा में अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतों की गणना के प्रारम्भ होने से पूर्व किसी भी समय दूसरा गणन अभिकर्ता विहित रीति में नियुक्त कर सकेगा और ऐसी नियुक्ति की सूचना रिटर्निंग आफिसर को विहित रीति में तत्क्षण देगा।

49. मतदान अभिकर्ताओं और गणन अभिकर्ताओं के कृत्य—(1) मतदान अभिकर्ता मतदान से संसक्त ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगा जैसा मतदान अभिकर्ता द्वारा पालन किया जाना इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्राधिकृत है।

(2) गणन अभिकर्ता मतों की गणना से संसक्त ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगा जैसा गणन अभिकर्ता द्वारा पालन किया जाना इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्राधिकृत है।

50. निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की मतदान केन्द्रों में हाजिरी और मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के कृत्यों का उसके द्वारा पालन—(1) हर ऐसे निर्वाचन में, जिसमें मतदान होता है ऐसे निर्वाचन में के हर एक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी और उसके निर्वाचन अभिकर्ता का यह अधिकार होगा कि वह मतदान के लिए धारा 25 के अधीन उपबन्धित किसी भी मतदान केन्द्र में या मतदान के लिए धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन नियत किसी भी स्थान में उपस्थित रहे।

(2) निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता स्वयं वह कार्य या बात कर सकेगा जिसे यदि ऐसे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का कोई मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता नियुक्त किया गया होता तो वह उसे करने के लिए इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्राधिकृत होता या ऐसे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के किसी भी मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता की किसी ऐसे कार्य या बात करने में सहायता कर सकेगा।

51. मतदान या गणन अभिकर्ताओं की गैरहाजिरी—जहां कि कोई कार्य या बात मतदान या गणन अभिकर्ता की उपस्थिति में किए जाने के लिए इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित या प्राधिकृत है, वहां उस प्रयोजन के लिए नियत समय और स्थान पर किसी ऐसे अभिकर्ता या अभिकर्ताओं की गैरहाजिरी उस किए गए कार्य या बात को, यदि वह कार्य या बात अन्यथा सम्यक रूप से की गई, अविधिमान्य नहीं करेगी।

अध्याय 3—निर्वाचनों में साधारण प्रक्रिया

52. मतदान के पूर्व अभ्यर्थी की मृत्यु—यदि वह अभ्यर्थी, जिसे किसी मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया है,—

(क) नामनिर्देशन करने की अंतिम तारीख को पूर्वान्ति 11 बजे के पश्चात् किसी समय पर मर जाता है और उसका नामनिर्देशन धारा 36 के अधीन संवीक्षा पर विधिमान्य ठहराया गया है; या

(ख) जिसका नामनिर्देशन धारा 36 के अधीन संवीक्षा पर विधिमान्य ठहराया गया है और जिसने धारा 37 के अधीन अपनी अम्यधिता वापस नहीं ली है, मर जाता है,

और दोनों में से किसी दशा में, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची के धारा 38 के अधीन प्रकाशन से पूर्व किसी समय उसकी मृत्यु की रिपोर्ट प्राप्त हो जाती है; या

1. 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 28 द्वारा धारा 47 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1958 के अधिनियम सं० 58 की धारा 20 द्वारा "अभ्यर्थी" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. 1992 के अधिनियम सं० 2 की धारा 2 द्वारा (4-1-1992 से) धारा 52 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(PART II.—Acts of Parliament)

(c) dies as a contesting candidate and a report of his death is received before the commencement of the poll.

the returning officer shall, upon being satisfied about the fact of the death of the candidate, by order, countermand the poll and report the fact to the Election Commission and also to the appropriate authority and all proceedings with reference to the election shall be commenced anew in all respects as if for a new election :

Provided that no order for countermanding a poll should be made in a case referred to in clause (a) except after the scrutiny of all the nominations including the nomination of the deceased candidate :

Provided further that no further nomination shall be necessary in the case of a person who was a contesting candidate at the time of the countermanding of the poll :

Provided also that no person who has given a notice of withdrawal of his candidature under sub-section (1) of section 37 before the countermanding of the poll shall be ineligible for being nominated as a candidate for the election after such countermanding.

Explanation.—For the purposes of this section, “recognised political party” means a political party recognised by the Election Commission under the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968.]

53. Procedure in contested and uncontested elections.—¹[(1) If the number of contesting candidates is more than the number of seats to be filled, a poll shall be taken.]

(2) If the number of such candidates is equal to the number of seats to be filled, the returning officer shall forthwith declare all such candidates to be duly elected to fill those seats.

(3) If the number of such candidates is less than the number of seats to be filled, the returning officer shall forthwith declare all such candidates to be elected and the ²[Election Commission] shall, by notification in the Official Gazette call upon the constituency or the elected members or the members of the State Legislative Assembly or the members of the electoral college concerned ^{3***}, as the case may be, to elect a person or persons to fill the remaining seat or seats ^{4***} :

Provided that where the constituency or the elected members or the members of the State Legislative Assembly or the members of the electoral college ^{3***} having already been called upon under this sub-section, has or have failed to elect a person or the requisite number of persons, as the case may be, to fill the vacancy or vacancies, the ²[Election Commission] shall not be bound to call again upon the constituency, or such members to elect a person or persons ⁵[until it is satisfied that if called upon again, there will be no such failure on the part of the constituency of such members].

54. [Special procedure at elections in constituencies where seats are reserved for Scheduled Caste or Scheduled Tribes.] Rep. by the Representation of the People (Amendment) Act, 1961 (40 of 1961), s. 12 (w.e.f. 20-9-1961).

55. Eligibility of members of Scheduled Castes or Scheduled Tribes to hold seats not reserved for those castes or tribes.—For the avoidance of doubt it is hereby declared that a member of the Scheduled Castes or of the Scheduled Tribes shall not be disqualified to hold a seat not reserved for members of those castes or tribes, if he is otherwise qualified to hold such seats under the Constitution and this Act ⁶[or under the Government of Union Territory Act, 1963 (20 of 1963), as the case may be.]

1. Subs. by Act 27 of 1956, s. 30, for sub-section (1).

2. Subs. by s. 30, *ibid.*, for “appropriate authority”.

3. Certain words omitted by Act 49 of 1951, s. 44 and the Fifth Schedule.

4. Certain words omitted by Act 27 of 1956, s. 30.

5. Subs. by s. 30, *ibid.*, for “until such date as the Election Commission may specify in this behalf”.

6. Ins. by Act 20 of 1963, s. 57 and the Second Schedule. The words “or under the Government of Part C States Act, 1951 (49 of 1951), as the case may be” ins. by Act 27 of 1956, s. 32, and omitted by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956.

(भाग 2—संसद के अधिनियम)

(ग) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के रूप में मर जाता है और मतदान के प्रारम्भ होने के पूर्व उसकी मृत्यु की रिपोर्ट प्राप्त हो जाती है,

तो रिटर्निंग आफिसर, उस अभ्यर्थी की मृत्यु के तथ्य के संबंध में अपना समाधान हो जाने पर, आदेश द्वारा, मतदान को प्रत्यादिष्ट कर देगा और इस तथ्य की रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को और समुचित प्राधिकारी को भी कर देगा और उस निर्वाचन के बारे में सभी कार्यवाहियाँ सब बातों में नए सिरे से ऐसे प्रारम्भ की जाएंगी मानो वे नए निर्वाचन के लिए हों :

परन्तु खंड (क) में निर्दिष्ट मामले में मतदान को प्रत्यादिष्ट करने का कोई आदेश सभी नामनिर्देशनों की, जिनके अंतर्गत मृत अभ्यर्थी का नामनिर्देशन भी है, संवीक्षा के पश्चात् किया जाना चाहिए अन्यथा नहीं :

परन्तु यह और कि उस व्यक्ति के लिए जो मतदान के प्रत्यादिष्ट किए जाने के समय निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी था कोई अतिरिक्त नामनिर्देशन आवश्यक न होगा :

परन्तु यह भी कि जिस व्यक्ति ने मतदान के प्रत्यादिष्ट किए जाने के पूर्व अपनी अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन दे दी है, वह ऐसे प्रत्यादिष्ट किए जाने के पश्चात् निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशन किए जाने के लिए अपात्र न होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल" से निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के अधीन निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है।

53. सविरोध और अविरोध निर्वाचनों में प्रक्रिया—¹[(1) यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अधिक है, तो मतदान होगा।]

(2) यदि ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या भरे जाने वाले स्थानों की संख्या के बराबर है, तो रिटर्निंग आफिसर तत्क्षण ऐसे सभी अभ्यर्थियों को उन स्थानों को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित कर देगा।

(3) यदि ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से कम है, तो रिटर्निंग आफिसर तत्क्षण ऐसे सभी अभ्यर्थियों को निर्वाचित घोषित कर देगा और ²[निर्वाचन आयोग] यथास्थिति, सम्पूक्त निर्वाचन-क्षेत्र से या निर्वाचित सदस्यों से या राज्य की विधान सभा के सदस्यों से या निर्वाचकगण के सदस्यों से³***: शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अपेक्षा करेगा कि वे शेष स्थान या स्थानों को भरने के लिए व्यक्ति या व्यक्तियों को निर्वाचित करें⁴*** :

परन्तु जहां कि निर्वाचन-क्षेत्र या निर्वाचित सदस्यों या राज्य विधान सभा के सदस्यों या निर्वाचकगण के सदस्यों से³*** इस उपधारा के अधीन पहले ही ऐसी अपेक्षा की जा चुकी है और वह या वे रिक्ति या रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित संख्या में, यथास्थिति, व्यक्ति या व्यक्तियों को निर्वाचित करने में असफल रहा है या रहे हैं, वहां ²[निर्वाचन आयोग] व्यक्ति या व्यक्तियों को निर्वाचित करने के लिए निर्वाचित क्षेत्र से या ऐसे सदस्यों से पुनः अपेक्षा करने के लिए तब तक आबद्ध न होगा ⁵[जब तक कि उसका समाधान नहीं हो जाता कि यदि उससे या उनसे पुनः अपेक्षा की गई तो ऐसा निर्वाचन-क्षेत्र या ऐसे सदस्य ऐसे असफल न रहेगा या न रहेंगे]।

54. [अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए जहां स्थान आरक्षित है वहां निर्वाचन के लिए निर्वाचन-क्षेत्रों में विशेष प्रक्रिया]—लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1961 (1961 का 40) की धारा 2 द्वारा (20-9-1961 से) निरसित।

55. अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए जो स्थान आरक्षित नहीं हैं उन्हें धारण करने की उन जातियों या जनजातियों के सदस्यों की पात्रता—शंका के परिवर्जन के लिए एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि अनुसूचित जातियों का या अनुसूचित जनजातियों का कोई सदस्य किसी ऐसे स्थान को जो उन जातियों या जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित नहीं हैं धारण करने के लिए निरहित नहीं होगा यदि वह ⁶[यथास्थिति] संविधान और इस अधिनियम के ⁶[या संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 49)] के अधीन उस स्थान को धारण करने के लिए अन्यथा अहित है।

1. 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 30 द्वारा उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. पूर्वोक्त की धारा 30 द्वारा "समुचित प्राधिकारी" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

3. 1951 के अधिनियम सं० 49 की धारा 44 और पांचवीं अनुसूची द्वारा कुछ शब्दों का लोप किया गया।

4. 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 30 द्वारा कुछ शब्दों का लोप किया गया।

5. पूर्वोक्त की धारा 30 द्वारा "जब तक कि निर्वाचन आयोग इस निमित्त ऐसी तारीख विनिर्दिष्ट करे" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

6. 1963 के अधिनियम सं० 20 की धारा 57 और दूसरी अनुसूची द्वारा अंतःस्थापित। 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 32 द्वारा "या भाग ग राज्यों की सरकार अधिनियम, 1951 (1951 का 49) के अधीन जैसी भी स्थिति हो" अंतःस्थापित शब्दों का विधि अनुकुलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा लोप किया गया।

¹55A. [Retirement from contest at elections in Parliamentary and Assembly constituencies.]
Rep. by the Representation of the People (Amendment) Act, 1958 (58 of 1958), s. 22.

CHAPTER IV.—The Poll

56. Fixing time for poll.—The ²[Election Commission] shall fix the hours during which the poll will be taken; and the hours so fixed shall be published in such manner as may be prescribed:

Provided that the total period allotted on any one day for polling at an election in ³[a Parliamentary or Assembly constituency] shall not be less than eight hours.

57. Adjournment of poll in emergencies.—(1) If at an election the proceedings at any polling station provided under section 25 or at the place fixed under sub-section (1) of section 29 for the poll are interrupted or obstructed by any riot or open violence, or if at an election it is not possible to take the poll at any polling station or such place on account of any natural calamity, or any other sufficient cause, the presiding officer for such polling station or the returning officer presiding over such place, as the case may be, shall announce an adjournment of the poll to a date to be notified later, and where the poll is so adjourned by a presiding officer, he shall forthwith inform the returning officer concerned.

(2) Whenever a poll is adjourned under sub-section (1), the returning officer shall immediately report the circumstances to the appropriate authority and the Election Commission, and shall, as soon as may be, with the previous approval of the Election Commission, appoint the day on which the poll shall recommence, and fix the polling station or place at which, and the hours during which, the poll will be taken, and shall not count the votes cast at such election until such adjourned poll shall have been completed.

(3) In every such case as aforesaid, the returning officer shall notify in such manner as the Election Commission may direct the date, place and hours of polling fixed under sub-section (2).

⁴58. Fresh poll in the case of destruction, etc., of ballot boxes.—(1) If at any election,—

(a) any ballot box used at a polling station or at a place fixed for the poll is unlawfully taken out of the custody of the presiding officer or the returning officer, or is accidentally or intentionally destroyed or lost, or is damaged or tampered with, to such an extent, that the result of the poll at that polling station or place cannot be ascertained; or

⁵[(^{aa}) any voting machine develops a mechanical failure during the course of the recording of votes; or]

(b) any such error or irregularity in procedure as is likely to vitiate the poll is committed at a polling station or at a place fixed for the poll,

the returning officer shall forthwith report the matter to the Election Commission.

(2) Thereupon the Election Commission shall, after taking all material circumstances into account, either—

(a) declare the poll at that polling station or place to be void, appoint a day, and fix the hours, for taking a fresh poll at that polling station or place and notify the day so appointed and the hours so fixed in such manner as it may deem fit, or

(b) if satisfied that the result of a fresh poll at that polling station or place will not, in any way, affect the result of the election or that ⁶[the mechanical failure of the voting machine or] the error or irregularity in procedure is not material, issue such directions to

1. Ins. by Act 27 of 1956, s. 33.

2. Subs. by s. 34, *ibid.*, for "appropriate authority".

3. Subs. by Act 58 of 1958, s. 23, for "a constituency".

4. Subs. by Act 40 of 1961, s. 13, for s. 58 (w.e.f. 20-9-1961).

5. Ins. by Act 1 of 1989, s. 9 (w.e.f. 15-3-1989).

155क. [संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में निर्वाचन लड़ने से निवृत्त होना] लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1958(1958 का 58) की धारा 22 द्वारा निरसित।

अध्याय 4—मतदान

56. मतदान के लिए समय नियत करना--[निर्वाचन आयोग] ऐसा समय नियत करेगा जिसके दौरान मतदान होगा और ऐसा नियत समय ऐसी रीति में प्रकाशित किया जाएगा जैसा विहित किया जाए:

परन्तु [संसदीय या सभा के निर्वाचन-क्षेत्र] में निर्वाचन के लिए मतदान के लिए आश्रित कुल कालावधि किसी एक दिन में घाट घंटों से कम की न होगी।

57. आपात में मतदान का स्थगन--(1) यदि निर्वाचन में धारा 25 के अधीन उपबन्धित किसी मतदान केन्द्र में या मतदान के लिए धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन नियत स्थान में कार्यवाहियों में बल्बे या खुली हिंसा के द्वारा विघ्न या बाधा पड़ जाए या यदि निर्वाचन में किसी मतदान केन्द्र या ऐसे स्थान में किसी प्राकृतिक विपत्ति के कारण या किसी अन्य पर्याप्त हेतुक से मतदान होना सम्भव नहीं है, तो यथास्थिति, ऐसे मतदान केन्द्र के लिए पीठासीन आफिसर या ऐसे स्थान में पीठासीन रिटर्निंग आफिसर मतदान की ऐसी तारीख तक के लिए स्थगित किए जाने का आदेश देगा जो तत्पश्चात् अधिसूचित की जाएगी और जहाँ कि मतदान पीठासीन आफिसर द्वारा ऐसे स्थगित किया जाता है, वहाँ वह संयुक्त रिटर्निंग आफिसर को तत्क्षण इत्तिला देगा।

(2) जब कभी मतदान उपधारा (1) के अधीन स्थगित किया जाए तब रिटर्निंग आफिसर परिस्थितियों की रिपोर्ट समुचित प्राधिकारी और निर्वाचन आयोग को अविलम्ब करेगा और वह निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन से यथासंभव शीघ्र वह दिन नियत करेगा जिसको मतदान पुनः प्रारम्भ होगा और वह मतदान केन्द्र या स्थान जहाँ, और वह समय जिसके भीतर मतदान होगा नियत करेगा और ऐसे निर्वाचन में दिए गए मतों की गणना तब तक न करेगा जब तक ऐसा स्थगित मतदान पूरा न हो गया हो।

(3) रिटर्निंग आफिसर यथापूर्वोक्त हर मामले में, मतदान के लिए वह तारीख, स्थान और समय, जो उपधारा (2) के अधीन नियत की गई या किया गया है, ऐसी रीति में अधिसूचित करेगा जैसी निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे।

[58. मतपेटियों के विनष्ट होने प्रादि की वशा में नया मतदान--(1) यदि किसी निर्वाचन में--

(क) मतदान केन्द्र में या मतदान के लिए नियत स्थान में उपयोग में लाई गई कोई मतपेटी पीठासीन आफिसर या रिटर्निंग आफिसर की अभिरक्षा में से विधिविरुद्धतया निकाल ली जाती है या घटनावश या साशय विनष्ट हो जाती है या कर दी जाती है या खो जाती है या खो दी जाती है अथवा इस विस्तार तक उसे नुकसान पहुंचाया जाता है या उसमें गड़बड़ कर दी जाती है कि उस मतदान केन्द्र या स्थान पर के मतदान का परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता, अथवा

[(कक) किसी मतदान मशीन में अभिलिखित करने के अनुक्रम में कोई यांत्रिक विफलता पैदा हो जाती है, अथवा]

(ख) मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान में प्रक्रिया संबंधी ऐसी कोई गलती या अनियमितता की जाती है जिससे यह सम्भाव्य है कि मतदान दूषित हो जाए,

तो रिटर्निंग आफिसर उस मामले की रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को तत्क्षण करेगा।

(2) निर्वाचन आयोग तब सब तात्त्विक परिस्थितियों को ध्यान में रख कर, या तो--

(क) उस मतदान केन्द्र या स्थान में उस मतदान को शून्य घोषित करेगा, उस मतदान केन्द्र या स्थान में नए मतदान के लिए दिन और समय नियत करेगा और ऐसे नियत दिन और नियत समय को ऐसी रीति में अधिसूचित करेगा जैसी वह ठीक समझे, अथवा

(ख) यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस मतदान केन्द्र या स्थान में नए मतदान के परिणाम से निर्वाचन परिणाम किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं होगा या कि [मतदान मशीन की यांत्रिक विफलता या]

1. 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 33 द्वारा अंतःस्थापित।
2. पूर्वोक्त की धारा 34 द्वारा "समुचित प्राधिकारी" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. 1958 के अधिनियम सं० 58 की धारा 23 द्वारा "निर्वाचन-क्षेत्र" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
1. 1961 के अधिनियम सं० 40 की धारा 13 द्वारा धारा 58 के स्थान पर (20-9-1961 से) प्रतिस्थापित।
5. 1989 के अधिनियम सं० 1 की धारा 9 द्वारा (15-3-1989 से) अंतःस्थापित।

(PART II.—Acts of Parliament)

the returning officer as it may deem proper for the further conduct and completion of the election.

(3) The provisions of this Act and of any rules or orders made thereunder shall apply to every such fresh poll as they apply to the original poll.]

[58A. **Adjournment of poll or countermanding of election on the ground of booth capturing.**—

(1) If at any election,—

(a) booth capturing has taken place at a polling station or at a place fixed for the poll (hereafter in this section referred to as a place) in such a manner that the result of the poll at that polling station or place cannot be ascertained; or

(b) booth capturing takes place in any place for counting of votes in such a manner that the result of the counting at that place cannot be ascertained,

the returning officer shall forthwith report the matter to the Election Commission.

(2) The Election Commission shall, on the receipt of a report from the returning officer under sub-section (1) and after taking all material circumstances into account, either—

(a) declare that the poll at that polling station or place be void, appoint a day, and fix the hours, for taking fresh poll at that polling station or place and notify the date so appointed and hours so fixed in such manner as it may deem fit; or

(b) if satisfied that in view of the large number of polling stations or places involved in booth capturing the result of the election is likely to be affected, or that booth capturing had affected counting of votes in such a manner as to affect the result of the election, countermand the election in that constituency.

Explanation.—In this section, “booth capturing” shall have the same meaning as in section 135A.]

59. Manner of voting at elections.—At every election where a poll is taken votes shall be given by ballot in such manner as may be prescribed, and no votes shall be received by proxy.

60. Special procedure for voting by certain classes of persons.—Without prejudice to the generality of the provisions contained in section 59, provision may be made by rules made under this Act for enabling,—

(a) any of the following persons to give his vote by postal ballot, and not in any other manner, at an election in a constituency where a poll is taken, namely:—

[(i) any person to whom the provisions of sub-section (3) of section 20 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950) apply;

(ii) the wife of any such person as is referred to in sub-clause (i) to whom the provisions of sub-section (6) of the said section 20 apply;]

(b) any person subjected to preventive detention under any law for the time being in force to give his vote by postal ballot, and not in any other manner, at an election in a constituency where a poll is taken, subject to the fulfilment of such requirements as may be specified in those rules.

1. Ins. by Act 1 of 1989, s. 10 (w.e.f. 15-3-1989).

2. Subs. by Act 47 of 1966, s. 33, for sub-clauses (i), (iii) and (iv). Sub-clause (ii) was omitted by Act 58 of 1958, s. 24.

प्रक्रिया सम्बन्धी गलती या अनियमितता तात्त्विक नहीं है, तां रिटनिंग आफिसर को उस निर्वाचन के भाग संचालन और पूरा किए जाने के लिए ऐसे निदेश देना जैसे वह उचित समझे।

(3) इस अधिनियम के और तदधीन बनाए गए नियमों या किए गए आदेशों के उपबन्ध हर ऐसे नए मतदान को ऐसे लागू होंगे जैसे वे मूल मतदान को लागू हैं।]

[58क. बूथों के बलात् ग्रहण के कारण मतदान का स्थगित या निर्वाचन का प्रत्यादिष्ट किया जाना—(1) यदि किसी निर्वाचन में,—

(क) किसी मतदान केन्द्र पर या मतदान के लिए नियत स्थान पर (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् स्थान कहा गया है) बूथ का बलात् ग्रहण ऐसी रीति से किया गया है जिससे ऐसे मतदान केन्द्र या स्थान में मतदान का परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है; अथवा

(ख) किसी मतगणना स्थान पर बूथ का बलात् ग्रहण ऐसी रीति से किया जाता है कि उस स्थान पर मतगणना का परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है,

तो रिटनिंग आफिसर उस मामले की रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को तत्क्षण करेगा।

(2) निर्वाचन आयोग रिटनिंग आफिसर से उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर और सब तात्त्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर या तो,—

(क) उस मतदान केन्द्र या स्थान में उस मतदान को, शून्य घोषित करेगा, उस मतदान केन्द्र या स्थान में नए सिरे से मतदान के लिए दिन और समय नियत करेगा और ऐसे नियत दिन और समय को ऐसी रीति में अधिसूचित करेगा, जैसी वह ठीक समझे; अथवा

(ख) यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अधिक संख्या में मतदान केन्द्रों या स्थानों के बलात् ग्रहण को देखते हुए निर्वाचन के परिणाम पर प्रभाव पड़ने की संभाव्यता है या यह कि बूथों के बलात् ग्रहण का मतों की गणना पर ऐसी रीति से प्रभाव पड़ा है जिससे निर्वाचन का परिणाम प्रभावित होगा, तो वह उस निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट करेगा।

स्पष्टीकरण 5—इस धारा में, “बूथों के बलात् ग्रहण” का वही अर्थ है जो धारा 135क में है।]

59. निर्वाचनों में मत देने की रीति—ऐसे हर निर्वाचन में, जिसमें मतदान होता है, मतपत्र द्वारा ऐसी रीति में दिए जाएंगे जैसी विहित की जाए और कोई मत परोक्षी के माध्यम से न लिए जाएंगे।

60. कुछ बगों के व्यक्तियों द्वारा मत दिए जाने के लिए विशिष्ट प्रक्रिया—धारा 59 में अन्तर्दिष्ट उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा—

(क) निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी को निर्वाचन-क्षेत्र में के किसी निर्वाचन में, जिसमें मतदान होता है, डाक-मतपत्र द्वारा, न कि किसी अन्य रीति में अपना मत देने में समर्थ बनाने के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

ध[(i) कोई व्यक्ति जिसको लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 20 की उपधारा (3) के उपबन्ध लागू हैं।

(ii) किसी ऐसे व्यक्ति की, जिसके प्रति उपखण्ड (i) में निर्देश किया गया है, पत्नी जिसको उक्त धारा 20 की उपधारा (6) के उपबन्ध लागू हैं ;]

(ख) ऐसे किसी व्यक्ति की, जो किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन निवारक निरोध के अध्यधीन है, निर्वाचन-क्षेत्र के ऐसे निर्वाचन में, जिसमें मतदान होता है, ऐसी अपेक्षाओं की पूर्ति करने के अध्यधीन रहते हुए, जैसी उन नियमों द्वारा निर्दिष्ट की जाएं, डाक मतपत्र द्वारा, न कि किसी अन्य रीति में, अपना मत देने में समर्थ बनाने के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा।

1. 1989 के अधिनियम नं० 1 की धारा 10 द्वारा (15-3-1989 से) अंतःस्थापित।

2. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 33 द्वारा (i), (iii) और (iv) उपखंडों के स्थान पर प्रतिस्थापित। 1958 के अधिनियम सं० 58 की धारा 24 द्वारा उपखंड (ii) का लोप किया गया था।

¶61. **Special procedure for preventing personation of electors.**—With a view to preventing personation of electors provision may be made by rules made under this Act:—

(a) for the marking with indelible ink of the thumb or any other finger of every elector who applies for a ballot paper or ballot papers for the purpose of voting at a polling station before delivery of such paper or papers to him;

(b) for the production before the presiding officer or a polling officer of a polling station by every such elector as aforesaid of his identity card before the delivery of a ballot paper or ballot papers to him if under rules made in that behalf under the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), electors of the constituency in which the polling station is situated have been supplied with identity cards with or without their respective photographs attached thereto; and

(c) for prohibiting the delivery of any ballot paper to any person for voting at a polling station if at the time such person applies for such paper he has already such a mark on his thumb or any other finger or does not produce on demand his identity card before the presiding officer or a polling officer of the polling station.]

¶61A. **Voting machines at elections.**—Notwithstanding anything contained in this Act or the rules made thereunder, the giving and recording of votes by voting machines in such manner as may be prescribed, may be adopted in such constituency or constituencies as the Election Commission may, having regard to the circumstances of each case, specify.

Explanation.—For the purpose of this section, “voting machine” means any machine or apparatus whether operated electronically or otherwise used for giving or recording of votes and any reference to a ballot box or ballot paper in this Act or the rules made thereunder shall, save as otherwise provided, be construed as including a reference to such voting machine wherever such voting machine is used at any election.]

62. Right to vote.—(1) No person who is not, and except as expressly provided by this Act, every person who is, for the time being entered in the electoral roll of any constituency shall be entitled to vote in that constituency.

(2) No person shall vote at an election in any constituency if he is subject to any of the disqualifications referred to in section 16 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950).

(3) No person shall vote at a general election in more than one constituency of the same class, and if a person votes in more than one such constituency, his votes in all such constituencies shall be void.

(4) No person shall at any election vote in the same constituency more than once, notwithstanding that his name may have been registered in the electoral roll for that constituency more than once, and if he does so vote, all his votes in that constituency shall be void.

1. Subs. by Act 58 of 1958, s. 25, for s. 61.

2. Ins. by Act 1 of 1989, s. 11 (w.e.f. 15-3-1989).

1[61. निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण करने के लिए विशेष प्रक्रिया—इस दृष्टि से कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण किया जा सके—

(क) ऐसे हर निर्वाचक के, जो मतदान केन्द्र में मत देने के प्रयोजन के लिए मतपत्र या मतपत्रों के लिए आवेदन करता है, अंगूठे या किसी दूसरी अंगुली को अमिट स्याही से, उसे ऐसे पत्र या ऐसे पत्रों के परिधान के पूर्व, चिह्नित करने के लिए,

(ख) यदि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) के अधीन उस निमित बनाए गए नियमों के अधीन, उस निर्वाचन-क्षेत्र के, जिसमें मतदान केन्द्र स्थित है, अभ्यर्थियों को अभिज्ञान-पत्र उन पर संलग्न उनके अपने फोटोशाफों के सहित या उनके बिना दिए गए हैं तो यथोपरोक्त ऐसे हर निर्वाचक को मतपत्र या मतपत्रों के परिधान के पूर्व, उसके द्वारा मतदान केन्द्र के पीठासीन आफिसर या मतदान आफिसर के समक्ष अपना अभिज्ञान-पत्र पेश किए जाने के लिए, तथा

(ग) यदि जिस समय ऐसा व्यक्ति ऐसे मतपत्र के लिए आवेदन करता है उस समय उसके अंगूठे या किसी दूसरी अंगुली पर ऐसा चिह्न पहले से ही है या वह मांग पर अपने अभिज्ञान-पत्र को मतदान केन्द्र के पीठासीन आफिसर या मतदान आफिसर के समक्ष पेश नहीं करता तो वैसे किसी व्यक्ति को मतदान केन्द्र में मत देने के लिए किसी मतपत्र के परिधान का प्रतिषेध करने के लिए,

उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा किया जा सकेगा।]

61क. निर्वाचनों में मतदान मशीनें—इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में किसी बात के होते हुए भी मतदान मशीनों से ऐसी रीति से जो विहित की जाए मत देना और अभिलिखित करना ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन-क्षेत्रों में अंगीकार किया जा सकेगा जो निर्वाचन आयोग प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करे।

स्पष्टीकरण :—इस धारा के प्रयोजन के लिए: “मतदान मशीन” से अभिप्रेत है मत देने या अभिलिखित करने के लिए प्रयुक्त कोई मशीन या साधन, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिकी द्वारा या अन्यथा प्रचालित हों और इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में मतपेटी या मतपत्र के प्रति किसी निर्देश का अर्थ, जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय, इस प्रकार लगाया जाएगा मानो उसके अन्तर्गत जहां कहीं ऐसी मतदान मशीन का किसी निर्वाचन में प्रयोग होता है, ऐसी मतदान मशीन के प्रति निर्देश है।]

62. मत देने का अधिकार—(1) कोई भी व्यक्ति जिसका नाम किसी निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में तत्समय प्रविष्ट नहीं है उस निर्वाचन-क्षेत्र में मत देने का हकदार न होगा और हर व्यक्ति जिसका नाम किसी निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में तत्समय प्रविष्ट है इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्टतः उपबन्धित के सिवाय उस निर्वाचन क्षेत्र में मत देने का हकदार होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन में मत न देगा यदि वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 16 में निर्दिष्ट निरक्षरताओं में से किसी के अधीन है।

(3) कोई भी व्यक्ति साधारण निर्वाचन में एक ही वर्ग के एक निर्वाचन-क्षेत्र से अधिक में मत न देगा और यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों में मत दे, तो ऐसे सब निर्वाचन-क्षेत्रों में के उसके मत शून्य होंगे।

(4) कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन में एक ही निर्वाचन-क्षेत्र में एक से अधिक बार इस बात के होते हुए भी मत न देगा कि उसका नाम उस निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत है और यदि वह ऐसे मत दे देता है, तो उस निर्वाचन-क्षेत्र में उसके सब मत शून्य होंगे।

1. 1958 के अधिनियम सं० 58 की धारा 25 द्वारा धारा 61 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. 1989 के अधिनियम सं० 1 की धारा 11 द्वारा (15-3-1989 के) अंतःस्थापित।

(5) No person shall vote at any election if he is confined in a prison, whether under a sentence of imprisonment or transportation or otherwise, or is in the lawful custody of the police:

Provided that nothing in this sub-section shall apply to a person subjected to preventive detention under any law for the time being in force.

63. [*Method of voting.*] *Rep. by the Representation of the People (Amendment) Act, 1961 (40 of 1961), s. 14 (w.e.f. 20-9-1961).*

CHAPTER V.—*Counting of Votes*

64. **Counting of votes.**—At every election where a poll is taken, votes shall be counted by or under the ¹[supervision and direction] of, the returning officer, and each ²[contesting candidate], his ³[election agent and his ⁴counting agents], shall have a right to be present at the time of counting.

⁵64A. **Destruction, loss, etc., of ballot papers at the time of counting.**—(1) If at any time before the counting of votes is completed any ballot papers used at a polling station or at a place fixed for the poll are unlawfully taken out of the custody of the returning officer or are accidentally or intentionally destroyed or lost or are damaged or tampered with, to such an extent that the result of the poll at that polling station or place cannot be ascertained, the returning officer shall forthwith report the matter to the Election Commission.

(2) Thereupon, the Election Commission shall, after taking all material circumstances into account, either—

(a) direct that the counting of votes shall be stopped, declare the poll at that polling station or place to be void, appoint a day, and fix the hours, for taking a fresh poll at that polling station or place and notify the date so appointed and hours so fixed in such manner as it may deem fit, or

(b) if satisfied that the result of a fresh poll at that polling station or place will not, in any way, affect the result of the election, issue such directions to the returning officer as it may deem proper for the resumption and completion of the counting and for the further conduct and completion of the election in relation to which the votes have been counted.

(3) The provisions of this Act and of any rules or orders made thereunder shall apply to every such fresh poll as they apply to the original poll.]

65. **Equality of votes.**—If, after the counting of the votes is completed, an equality of votes is found to exist between any candidates, and the addition of one vote will entitle any of those candidates to be declared elected, the returning officer shall forthwith decide between those candidates by lot, and proceed as if the candidate on whom the lot falls had received an additional vote.

66. **Declaration of results.**—When the counting of the votes has been completed, the returning officer ⁶[shall, in the absence of any direction by the Election Commission to the contrary, forthwith declare] the result of the election in the manner provided by this Act or the rules made thereunder.

67. **Report of the result.**—As soon as may be after the result of an election has been declared, the returning officer shall report the result to the appropriate authority and the Election

1. Subs. by Act 27 of 1956, s. 36, for "supervision".

2. Subs. by Act 58 of 1958 s. 26, for "candidate".

3. Subs. by Act 27 of 1956, s. 36, for "counting agent".

4. Ins. by Act 47 of 1966, s. 34 (w.e.f. 14-12-1966).

5. Subs. by s. 35, *ibid.*, for "shall forthwith declare" (w.e.f. 14-12-1966).

(5) कोई भी व्यक्ति, किसी निर्वाचन में मत नहीं देगा यदि वह कारावास या निर्वासन के दण्डादेश के अधीन या अन्यथा कारावास में परिचुद्ध है या पुलिस की विधिपूर्ण अभिरक्षा में है :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन निवारक निरोध के अध्याधीन व्यक्ति को लागू न होगी ।

63. [मतदान पद्धति]—लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1961 (1961 का 40) की धारा 14 द्वारा (20-9-1961 से) निरसित ।

अध्याय 5—मतों की गणना

64. मतों की गणना—ऐसे हर निर्वाचन में, जिसमें मतदान होता है, मतों की गणना रिटर्निंग आफिसर द्वारा या उसके [पर्यवेक्षण और निदेशन] के अधीन को जाएगी और हर एक [विरोधी अभ्यर्थी] का, उसके निर्वाचन अभिकर्ता का और उसके [गणन अभिकर्ताओं] का यह अधिकार होगा कि वे गणना के समय उपस्थित रहें ।

4[64क. गणना के समय मतपत्रों का चिनाश, हानि, धावि]—(1) यदि मतों की गणना समाप्त होने से पूर्व किसी भी समय किसी मतदान केन्द्र पर या मतदान के लिए नियत स्थान पर उपयोग में लाए गए कोई मतपत्र निर्वाचन आफिसर की अभिरक्षा में से विधिविरुद्धता निकाल लिए जाते हैं अथवा घटनावश या साक्ष्य विनष्ट हो जाते हैं या कर दिए जाते हैं या खो जाते या खो दिए जाते हैं अथवा इस विस्तार तक उनको नुकसान पहुंचाया जाता है या उनमें गड़बड़ कर दी जाती है कि उस मतदान केन्द्र या स्थान पर के मतदान का परिणाम अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता तो रिटर्निंग आफिसर उस मामले की रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को तत्क्षण करेगा ।

(2) निर्वाचन आयोग तब सब तात्त्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, या तो—

(क) निदेश देगा कि मतों की गणना बन्द की जाए, घोषणा करेगा कि उस मतदान केन्द्र या स्थान पर का मतदान शून्य है उस मतदान केन्द्र या स्थान पर नए मतदान के लिए कोई दिन और समय नियत करेगा तथा ऐसी नियत तारीख और ऐसा नियत समय ऐसी रीति में अधिसूचित करेगा जैसी वह ठीक समझे, अथवा

(ख) यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस मतदान केन्द्र या स्थान पर नए मतदान के परिणाम से निर्वाचन परिणाम किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं होगा तो रिटर्निंग आफिसर को गणना के पुनारम्भ और पूरे किए जाने के लिए और उस निर्वाचन के आगे संचालन और पूरे किए जाने के लिए जिसके बारे में मतों की गणना की गई है ऐसे निदेश देगा जैसे वह उचित समझे ।

(3) इस अधिनियम के और तद्धीन बनाए गए नियमों या निकाले गए आदेशों के उपबंध हर ऐसे नए मतदान को ऐसे लागू होंगे जैसे वे मूल मतदान को लागू हैं ।]

65. मत बराबर होना—यदि मतों की गणना के समाप्त होने के पश्चात् यह पता चलता है कि किन्हीं अभ्यर्थियों के बीच मत बराबर हैं और मतों में से एक मत जोड़ दिए जाने से उन अभ्यर्थियों में से कोई निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए हकदार हो जाएगा तो रिटर्निंग आफिसर उन अभ्यर्थियों के बीच लाट द्वारा तत्क्षण विनिश्चय करेगा और ऐसे अग्रसर होगा मानो जिस अभ्यर्थी के हक में लाट निकली है उसे अतिरिक्त मत प्राप्त हो गया है ।

66. निर्वाचन परिणाम की घोषणा—जब मतों की गणना समाप्त हो जाए तब रिटर्निंग आफिसर निर्वाचन परिणाम को [निर्वाचन आयोग के द्वारा तत्प्रतिकूल किसी निदेश के अभाव में तत्क्षण] उस रीति में घोषित करेगा जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा उपबंधित है ।

67. निर्वाचन परिणाम की रिपोर्ट—निर्वाचन के परिणाम के घोषित किए जाने के पश्चात् यथाशक्य निर्वाचन आफिसर उस निर्वाचन परिणाम की रिपोर्ट समूचित प्राधिकारी और निर्वाचन आयोग को और संसद् के या राज्य

1. 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 36 द्वारा "पर्यवेक्षण" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. 1958 के अधिनियम सं० 58 की धारा 26 द्वारा "अभ्यर्थी" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 36 द्वारा "गणन अभिकर्ता" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 34 द्वारा (14-12-1966 से) अन्तःस्थापित ।
5. पूर्वोक्त की धारा 35 द्वारा "तत्क्षण घोषित करेगा" के स्थान पर (14-12-1966 से) प्रतिस्थापित ।

(PART II.—Acts of Parliament)

Commission, and in the case of an election to a House of Parliament or of the Legislature of a State also to the Secretary of that House, and the appropriate authority shall cause to be published in the Official Gazette the declarations containing the names of the elected candidates.

[67A. Date of election of candidate.—For the purposes of this Act, the date on which a candidate is declared by the returning officer under the provisions of section 53.***, *** or section 66, to be elected to a House of Parliament or of the Legislature of a State *** shall be the date of election of that candidate.]

CHAPTER VI.—Multiple Elections

68. Vacation of seats when elected to both Houses of Parliament.—(1) Any person who is chosen a member of both the Houses of the People and the Council of States and who has not taken his seat in either House may, by notice in writing signed by him and delivered to the Secretary to the Election Commission [within ten days from the date, or the later of the dates, on which he is so chosen, intimate] in which of the Houses he wishes to serve, and thereupon, his seat in the House in which he does not wish to serve shall become vacant.

(2) In default of such intimation within the aforesaid period, his seat in the Council of States shall, at the expiration of that period, become vacant.

(3) Any intimation given under sub-section (1) shall be final and irrevocable.

[(4) For the purposes of this section and of section 69, the date on which a person is chosen to be a member of either House of Parliament shall be in the case of an elected member, the date of his election and in the case of a nominated member, the date of first publication in the Gazette of India of his nomination.]

69. Vacation of seats by persons already members of one House on election to other House of Parliament.—(1) If a person who is already a member of the House of the People and has taken his seat in such House is chosen a member of the Council of States, his seat in the House of the People shall, [on the date on which he is so chosen], become vacant.

(2) If a person who is already a member of the Council of States and has taken his seat in such Council is chosen a member of the House of the People, his seat in the Council of States shall, [on the date on which he is so chosen], become vacant.

*70. Election to more than one seat in either House of Parliament or in the House or either House of the Legislature of a State.—If a person is elected to more than one seat in either House of Parliament or in the House or either House of the Legislature of a State, then, unless within the prescribed time he resigns all but one of the seats [by writing under his hand addressed to the Speaker or Chairman, as the case may be, or to such other authority or officer as may be prescribed], all the seats shall become vacant.

CHAPTER VII.—Publication of Election Results and Nominations

*71. Publication of results of elections to the Council of States and of names of persons nominated by the President.—After the elections held in any year in pursuance of the notifications issued under section 12, there shall be notified by the appropriate authority in the Official Gazette

1. Ins. by Act 27 of 1956, s. 37.

2. The word and figures "section 54" omitted by Act 40 of 1961, s. 15 (w.e.f. 20-9-1961).

3. The word, figures and letter "section 55A" omitted by Act 58 of 1958, s. 27.

4. Certain words omitted by Act 193 of 1956, s. 66.

5. Subs. by Act 27 of 1956, s. 38, for certain words.

6. Ins. by s. 38, *ibid.*

7. Subs. by s. 39, *ibid.*, for certain words.

8. Ins. by s. 40, *ibid.*

9. Subs. by s. 41, *ibid.*, for ss. 71 to 75.

* See rule 91 of the Conduct of Election Rules, 1961 (page-76 of Vol.II). In relation to Prohibition relating to membership both of Parliament and of a House of the Legislature of a State, see also the Prohibition of Simultaneous Membership Rules, 1950 published under article 101(2) and 190(2) of the Constitution *vide* Notification No. F.46/50-C, dated 26th January, 1950 in the Gazette of India, Extraordinary, page 678 (Pages 140 of Vol. I).

के विधान-मंडल के किसी सदन के निर्वाचन की दशा में उस सदन के सचिव को भी भेज देगा और समुचित प्राधिकारी निर्वाचित अभ्यर्थियों के नामों को अन्तर्विष्ट रखने वाली घोषणाएं शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कराएगा।

1[67क. अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख—रिटनिंग आफिसर द्वारा जिस तारीख को अभ्यर्थी के बारे में यह घोषणा की जाती है कि वह संसद् या राज्य के विधान-मंडल के **** किसी सदन के लिए धारा 53 **** या धारा 66 के उपबंधों के अधीन निर्वाचन हो गया है, उस तारीख की बाबत इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख है।]

अध्याय 6—बहुस्थानिक निर्वाचन

68. संसद् के दोनों सदनों के लिए निर्वाचित हो जाने पर स्थानों का रिक्त हो जाना—(1) जो कोई व्यक्ति लोक सभा और राज्य सभा दोनों का सदस्य चुन लिया जाता है और जिसने दोनों सदनों में से किसी में अपना स्थान ग्रहण नहीं किया है वह अपने द्वारा हस्ताक्षरित और निर्वाचन आयोग के सचिव को परिदत्त लिखित सूचना द्वारा [उस तारीख के या उन तारीखों के पश्चात् वाली तारीख से दस दिन के भीतर, जिसको या जिनको वह ऐसे चुना गया है, यह प्रज्ञापित कर सकेगा] कि वह दोनों सदनों में से किस में सेवा करना चाहता है और ऐसा करने पर उसका उस सदन में स्थान, जिसमें वह सेवा नहीं करना चाहता, रिक्त हो जाएगा।

(2) पूर्वोक्त कालावधि के भीतर ऐसी प्रज्ञापना के देने में व्यतिक्रम करने पर राज्य सभा में का उसका स्थान उस कालावधि के अवनसान पर रिक्त हो जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दी गई प्रज्ञापना अंतिम और अप्रतिसंहरणीय होगी।

4[(4) जिस तारीख को व्यक्ति संसद् के किसी सदन का सदस्य होने के लिए चुना गया है, इस धारा और धारा 69 के प्रयोजनों के लिए वह तारीख, निर्वाचित सदस्य की दशा में, उसके निर्वाचन की तारीख होगी और नामनिर्दिष्ट सदस्य की दशा में, उसके नामनिर्देशन के भारत के राजपत्र में प्रथम प्रकाशन की तारीख होगी।]

69. जो व्यक्ति संसद् के एक सदन के सदस्य पहले से ही हैं दूसरे सदन के लिए उनके निर्वाचित हो जाने पर उनके स्थानों का रिक्त हो जाना—(1) जो व्यक्ति लोक सभा का पहले से ही सदस्य है और ऐसे सदन में अपना स्थान ग्रहण कर चुका है यदि वह राज्य सभा का सदस्य चुन लिया जाता है तो लोक सभा में उसका स्थान उस तारीख को, जिसको वह ऐसे चुना जाता है, रिक्त हो जाएगा।

(2) जो व्यक्ति राज्य सभा का पहले से ही सदस्य है और ऐसी सभा में अपना स्थान ग्रहण कर चुका है यदि वह लोक सभा का सदस्य चुन लिया जाता है तो राज्य सभा में का उसका स्थान [उस तारीख को, जिसको वह ऐसे चुना जाता है,] रिक्त हो जाएगा।

*70. संसद् के दोनों सदनों में से किसी में या राज्य के विधान-मंडल के सदन या दोनों सदनों में से किसी में के एक से अधिक स्थान के लिए निर्वाचन—यदि कोई व्यक्ति संसद् के दोनों सदनों में से किसी में या राज्य के विधान-मंडल के सदन या दोनों सदनों में से किसी एक से अधिक स्थान के लिए निर्वाचित हो गया है तो जब तक कि वह, [यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति को या ऐसे अन्य प्राधिकारों या आफिसर को, जैसा विहित किया जाए, संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित] लेख द्वारा उन स्थानों में से केवल एक के अतिरिक्त सब के त्यागपत्र विहित समय के अन्दर नहीं दे देता वे सब स्थान रिक्त हो जाएंगे।

अध्याय 7—निर्वाचन परिणामों और नामनिर्देशनों का प्रकाशन

9[71. राज्य सभा के निर्वाचन परिणामों का और राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के नामों का प्रकाशन—धारा 12 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं के अनुसरण में किसी वर्ष में किए गए निर्वाचनों के पश्चात् उन सदस्यों के

1. 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 37 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. 1961 के अधिनियम सं० 40 की धारा 15 द्वारा "धारा 54" शब्द और अंक का (20-9-1961 में) नाश किया गया।
3. 1958 के अधिनियम सं० 55 की धारा 27 द्वारा "धारा 55क" शब्द, अंक और अक्षर का लोप किया गया।
4. 1956 के अधिनियम सं० 103 की धारा 66 द्वारा कुछ शब्दों का लोप किया गया।
5. 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 38 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. पूर्वोक्त की धारा 38 द्वारा अन्तःस्थापित।
7. पूर्वोक्त की धारा 39 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
8. पूर्वोक्त की धारा 40 द्वारा अन्तःस्थापित।
9. पूर्वोक्त की धारा 41 द्वारा 71 से 75 तक की धाराओं के स्थान पर प्रतिस्थापित।

* देखिए निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (जिल्द 2 का पृष्ठ 76)। दोनों, संसद् और किसी राज्य विधान-मंडल की सदस्यता से संबंधित प्रतिषेध के बारे में संविधान के अनुच्छेद 101(2) और अनुच्छेद 190(2) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, पृष्ठ 678 (अंग्रेजी) (जिल्द 1 का पृष्ठ 140) पर प्रकाशित समसामयिक सदस्यता प्रतिषेध नियम, 1950 के लिए तारीख 26 जनवरी, 1950 की अधिसूचना सं० 46/50-सी भी देखिए।

(PART II.—Acts of Parliament)

the names of members elected by the elected members of the Legislative Assemblies of the States and by the members of the electoral colleges for the various ¹[Union territories] at the said elections together with the names of any persons nominated by the President of the Council of States, under sub-clause (a) of clause (1) of article 80 or under any other provisions.

72. [Publication of results of elections for the reconstitution of electoral colleges for certain Union territories.] Rep. by the Territorial Councils Act, 1956 (103 of 1956), s. 66.

73. **Publication of results of general elections to the House of the People and the State Legislative Assemblies.**—Where a general election is held for the purpose of constituting a new House of the People or a new State Legislative Assembly, there shall be notified by ²[the Election Commission] in the Official Gazette, as soon as may be after ³[the results of the elections in all the constituencies] [other than those in which the poll could not be taken for any reason on the date originally fixed under clause (d) of section 30 or for which the time for completion of the election has been extended under the provisions of section 153], have been declared by the returning officer under the provisions of section 53 or, as the case may be, section 66, the names of the members elected for those constituencies]⁴ and upon the issue of such notification that House or Assembly shall be deemed to be duly constituted :

Provided that the issue of such notification shall not be deemed—

⁵(a) to Preclude—

(i) the taking of the poll and the completion of the election in any Parliamentary or Assembly constituency or constituencies in which the poll could not be taken for any reason on the date originally fixed under clause (d) of section 30; or

(ii) the completion of the election in any Parliamentary or Assembly constituency or constituencies for which time has been extended under the provisions of section 153; or]

(b) to affect the duration of the House of the People or the State Legislative Assembly, if any, functioning immediately before the issue of the said notification.

⁶73A. **Special provisions as to certain elections.**—Notwithstanding anything contained in section 73 or in any other provision of this Act, with respect to the general election for the purpose of constituting a new House of the People upon dissolution of the Ninth House of the People,—

(a) the notification under section 73 may be issued without taking into account the Parliamentary constituencies in the State of Jammu and Kashmir; and

(b) the Election Commission may take the steps in relation to elections from the Parliamentary constituencies in the State of Jammu and Kashmir separately and in such manner and no such date or dates as it may deem appropriate.]

74. **Publication of results of elections to the State Legislative Councils and of names of persons nominated to such Councils.**—After the elections held ⁷[in pursuance of the notifications issued under section 15A or] in any year in pursuance of the notifications issued under section 16, there shall be notified by the appropriate authority in the Official Gazette the names of the members elected for the various Council constituencies and by the members of the Legislative Assembly

1. Subs. by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956, for "Part C States".

2. Subs. by Act 40 of 1961, s. 16, for "the appropriate authority" (w.e.f. 20-9-1961).

3. Subs. by Act 10 of 1967, s. 2, for certain words.

4. Certain words omitted by Act 40 of 1961, s. 16 (w.e.f. 20-9-1961).

5. Subs. by Act 10 of 1967, s. 2, for cl. (a).

6. Subs. by Act 31 of 1991, s. 2, for section 73A and 73AA (w.e.f. 18-4-1991).

7. Ins. by Act 37 of 1957, s. 13.

(भाग 2—संसद के अधिनियम)

नाम, जो राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा और विभिन्न 1 [संघ राज्यक्षेत्रों] के लिए निर्वाचकगणों के सदस्यों द्वारा उक्त निर्वाचनों में निर्वाचित किए गए हैं, ऐसे किन्हीं व्यक्तियों के नामों के सहित, जिन्हें राष्ट्रपति ने राज्य सभा के लिए अनुच्छेद 80 के खंड (1) के उपखण्ड (क) के अधीन या किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन नामनिर्दिष्ट किया है, शासकीय राजपत्र में समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे।

72. कतिपय संघ राज्यक्षेत्रों के निर्वाचकगण के पुनर्गठन के लिए निर्वाचनों के परिणामों का प्रकाशन—क्षेत्रीय परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 103) की धारा 66 द्वारा निरसित।

73. लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के लिए साधारण निर्वाचनों के परिणामों का प्रकाशन—जहाँ कि नई लोक सभा या नई राज्य विधान सभा गठित करने के प्रयोजन के लिए साधारण निर्वाचन किया जाता है वहाँ 2 [सभी निर्वाचन-क्षेत्रों में] (जो उन निर्वाचन-क्षेत्रों से भिन्न हों जिनमें धारा 30 के खंड (घ) के अधीन मूलतः नियत तारीख को किसी कारणवश मतदान नहीं हो सका था जिनके लिए निर्वाचन समाप्त होने का समय धारा 153 के उपबंधों के अधीन बढ़ा दिया गया है) यथास्थिति, धारा 53 या धारा 66 के उपबंधों के अधीन रिटर्निंग आफिसर द्वारा परिणामों की घोषणा किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र उन सदस्यों के नाम जो उन निर्वाचन-क्षेत्रों से निर्वाचित हुए हों शासकीय राजपत्र में 2 [निर्वाचन आयोग] द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे] 4*** और ऐसी अधिसूचना के निकलने पर उस लोक सभा या विधान सभा की बाबत यह समझा जाएगा कि वह सम्यक् रूप से गठित हो गई है :

परन्तु ऐसी अधिसूचना के निकाले जाने से यह न समझा जाएगा कि वह—

1 [(क) (i) किसी संसदीय या किसी सभा निर्वाचन-क्षेत्र या निर्वाचन-क्षेत्रों में जिनमें धारा 30 के खंड (घ) के अधीन मूलतः नियत तारीख को किसी कारणवश मतदान नहीं हो सका था, मतदान करने और निर्वाचन की समाप्ति को, अथवा

(ii) किसी संसदीय या किसी सभा निर्वाचन-क्षेत्र या निर्वाचन-क्षेत्रों के, जिनके लिए धारा 153 के उपबंधों के अधीन समय बढ़ा दिया गया है, निर्वाचन की समाप्ति को,

प्रवारित करती है; अथवा]

(ख) उक्त अधिसूचना के निकाले जाने से अव्यवहित पूर्व कृत्य कर रही लोक सभा या राज्य विधान सभा की, यदि कोई हो, अस्तित्वावधि पर प्रभाव डालती है।

6 [73क. कुछ निर्वाचनों के बारे में विशेष उपबंध—इस अधिनियम की धारा 73 में या उसके किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, नवीं लोक सभा के विघटन पर नई लोक सभा का गठन करने के प्रयोजन के लिए साधारण निर्वाचन के संबंध में,—

(क) धारा 73 के अधीन अधिसूचना जम्मू-कश्मीर राज्य के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों को हिसाब में लिए बिना जारी की जा सकेगी; और

(ख) निर्वाचन आयोग जम्मू-कश्मीर राज्य के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों से निर्वाचनों के संबंध में पृथक् रूप से और ऐसी रीति से तथा ऐसी तारीख या तारीखों को, जो वह समुचित समझे, कार्रवाई कर सकेगा।] संघ क

74. राज्य विधान परिषदों के लिए निर्वाचन परिणामों का और ऐसी परिषदों के लिए नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के नामों का प्रकाशन—7 [धारा 15क के अधीन निकाली गई अधिसूचनाओं पर अनुसरण में] या धारा 16 के अधीन निकाली गई अधिसूचनाओं के अनुसरण में किसी वर्ष में किए गए निर्वाचनों के पश्चात् उक्त सदस्यों के नाम, जो विभिन्न परिषद निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए, और राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा उक्त निर्वाचनों में निर्वाचित किए गए

1. विधि अनुसूचन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा "भाग ग राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1961 के अधिनियम सं० 40 की धारा 16 द्वारा "समुचित प्राधिकारी" के स्थान पर (20-9-1961 से) प्रतिस्थापित।
3. 1967 के अधिनियम सं० 10 की धारा 2 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. 1961 के अधिनियम सं० 40 की धारा 16 द्वारा कुछ शब्दों का (20-9-1961 से) लोप किया गया।
5. 1967 के अधिनियम सं० 10 की धारा 2 द्वारा खण्ड (क) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. 1991 के अधिनियम सं० 31 की धारा 2 द्वारा (18-4-1991 से) धारा 73क और 73कक के स्थान पर प्रतिस्थापित।
7. 1957 के अधिनियम सं० 37 की धारा 13 द्वारा संतःस्थापित।

(PART II.—Acts of Parliament)

of the State at the said elections together with the names of any persons nominated by the Governor ^{1***} under sub-clause (e) of clause (3) of article 171.]

CHAPTER VIII.—*Election Expenses*

²[76. **Application of Chapter.**—This Chapter shall apply only to the elections to the House of the People and to the Legislative Assembly of a State.

77. **Account of election expenses and maximum thereof.**—(1) Every candidate at an election shall, either by himself or by his election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him or by his election agent between ³[the date on which he has been nominated] and the date of declaration of the result thereof, both dates inclusive.

⁴[*Explanation 1.*—Notwithstanding any judgment, order or decision of any court to the contrary, any expenditure incurred or authorized in connection with the election of a candidate by a political party or by any other association or body of persons or by any individual (other than the candidate or his election agent) shall not be deemed to be, and shall not ever be deemed to have been, expenditure in connection with the election incurred or authorized by the candidate or by his election agent for the purposes of this sub-section:

Provided that nothing contained in this *Explanation* shall affect—

(a) any judgment, order or decision of the Supreme Court whereby the election of a candidate to the House of the People or to the Legislative Assembly of a State has been declared void or set aside before the commencement of the Representation of the People (Amendment) Ordinance, 1974 (Ord. 13 of 1974);

(b) any judgment, order or decision of a High Court whereby the election of any such candidate has been declared void or set aside before the commencement of the said Ordinance if no appeal has been preferred to the Supreme Court against such judgment, order or decision of the High Court before such commencement and the period of limitation for filing such appeal has expired before such commencement.

5* * * * *

⁶[*Explanation 3.*—For the removal of doubt, it is hereby declared that any expenditure incurred in respect of any arrangements made, facilities provided or any other act or thing done by any person in the service of the Government and belonging to any of the classes mentioned in clause (7) of section 123 in the discharge or purported discharge of his official duty as mentioned in the proviso to that clause shall not be deemed to be expenditure in connection with the election incurred or authorized by a candidate or by his election agent for the purposes of this sub-section.]

(2) The account shall contain such particulars, as may be prescribed.

(3) The total of the said expenditure shall not exceed such amount as may be prescribed.

78. **Lodging of account with the district election officer.**—⁷[(1)] Every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate or, if there are more than one returned candidate at the election and the dates of their election are

1. The words "or Rajpramukh, as the case may be" omitted by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956.

2. Subs. by Act 27 of 1956, s. 42, for ss. 76 to 78.

3. Subs. by Act 40 of 1975, s. 6, for certain words (retrospectively).

4. Ins. by Act 53 of 1974, s. 2 (w.e.f. 19-10-1974).

5. *Explanation 2* omitted by Act 1 of 1989, s. 12 (w.e.f. 15-3-1989).

6. Ins. by Act 40 of 1975, s. 6 (retrospectively).

7. S. 78 renumbered as sub-section (1) of that section by Act 47 of 1966, s. 36.

हैं, किन्हीं ऐसे व्यक्तियों के नामों सहित, जिन्हें राज्यपाल ¹ के अनुच्छेद 171 के खंड (3) के उपखंड (ङ) के अधीन नामनिर्दिष्ट किया है, शासकीय राजपत्रों में सन्चित प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे।]

अध्याय 8—निर्वाचन व्यय

²[76. अध्याय का लागू होना—यह अध्याय केवल लोक सभा के और राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचनों को लागू होगा।]

77. निर्वाचन व्ययों का लेखा और उनकी अधिकतम मात्रा—(1) निर्वाचन में हर अभ्यर्थी निर्वाचन सम्बन्धी उस सब व्यय का जो, ³[उस तारीख के, जिसको यह नामनिर्दिष्ट किया गया है] और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा, की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा।

⁴[स्पष्टीकरण 1—किसी न्यायालय के किसी प्रतिकूल निर्णय, आदेश या विनिश्चय के होते हुए भी यह है कि किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन के सम्बन्ध में किसी राजनैतिक दल द्वारा अथवा व्यक्तियों के किसी अन्य संगम या निकष द्वारा अथवा (अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता से भिन्न) किसी व्यक्ति द्वारा उपगत या प्राधिकृत किए गए किसी व्यय के बारे में इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए यह नहीं समझा जाएगा कि वह निर्वाचन के सम्बन्ध में अभ्यर्थी द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या प्राधिकृत किया गया व्यय है और कभी भी ऐसा था:

परन्तु इस स्पष्टीकरण की कोई बात,—

(क) उच्चतम न्यायालय के किसी ऐसे निर्णय, आदेश या विनिश्चय की जिससे लोक सभा के लिए या किसी राज्य की विधान सभा के लिए किसी अभ्यर्थी का निर्वाचन लोक प्रतिनिधित्व (संसोधन) अध्यादेश, 1974 (1974 का 13) के प्रारम्भ से पूर्व शून्य घोषित किया गया है या अपास्त किया गया है, प्रभावित नहीं करेगी,

(ख) किसी उच्च न्यायालय के किसी ऐसे निर्णय, आदेश या विनिश्चय को, जिससे किसी ऐसे अभ्यर्थी का निर्वाचन, उक्त अध्यादेश के प्रारम्भ से पूर्व शून्य घोषित किया गया है या अपास्त किया गया है, उस दशा में प्रभावित नहीं करेगी जब ऐसे प्रारम्भ से पूर्व उक्त उच्च न्यायालय के ऐसे निर्णय, आदेश या विनिश्चय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय को अपील नहीं की गई है और ऐसी अपील फाइल करने के लिए परिशीला-कात ऐसे प्रारम्भ से पूर्व समाप्त हो गया है।

* * * * *

⁵[स्पष्टीकरण 3—शांकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि सरकार की सेवा में के और धारा 123 के खंड (7) में वर्णित वर्गों में से किसी व्यक्ति द्वारा या उस खंड के परन्तुक में यथावर्णित अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन या तात्पर्यित निर्वहन में किए गए किसी इंतजाम, दी गई किसी सुविधा या किए गए किसी अन्य कार्य या की गई किसी बात की बावत उपगत किसी व्यय के बारे में इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए यह नहीं समझा जाएगा कि वह निर्वाचन के सम्बन्ध में अभ्यर्थी द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या प्राधिकृत किया गया व्यय है।]

(2) लेखे में ऐसी विशिष्टियाँ अन्तर्विष्ट होंगी जैसी विहित की जाएं।

(3) उक्त व्यय का जोड़ उम रकम से अधिक न होगा जो विहित की जाएं।

78. लेखे को जिला निर्वाचन आफिसर के पास दाखिल किया जाना—⁶[(1)] [निर्वाचन में या हर निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से या यदि निर्वाचन में एक से अधिक निर्वाचित अभ्यर्थी हैं, और उनके निर्वाचन की तारीखें भिन्न हैं तो उन तारीखों में से पश्चात्वर्ती तारीख से तीस दिन के अन्दर अपने निर्वाचन

1. विधि अनुकूलन (सं० 2) अध्यादेश, 1956 द्वारा "या राजप्रमुख जैसी भी स्थिति है" शब्दों का लोप किया गया।

2. 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 42 द्वारा 76 से 78 तक की धाराओं के स्थान पर प्रतिस्थापित।

3. 1975 के अधिनियम सं० 40 की धारा 6 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर (भूखलकी रूप में) प्रतिस्थापित।

4. 1974 के अधिनियम सं० 58 की धारा 2 द्वारा (19-10-1974 से) अन्तः स्थापित।

5. 1989 के अधिनियम सं० 1 की धारा 12 द्वारा (15-3-1989 से) स्पष्टीकरण 2 का लोप किया गया।

6. 1975 के अधिनियम सं० 40 की धारा 6 द्वारा (भूखलकी रूप में) अन्तःस्थापित।

7. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 36 द्वारा धारा 78 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया गया।

(PART II.—Acts of Parliament)

different, the later of those two dates, lodge with the ¶[district election officer] an account of his election expenses which shall be a true copy of the account kept by him or by his election agent under section 77.]

¶(2) The reference to the district election officer in sub-section (1) shall, in relation to a constituency in a Union territory, be construed as a reference to the returning officer for that constituency.]

PART VI

DISPUTES REGARDING ELECTIONS

CHAPTER I.—*Interpretation*

79. Definitions.—In this Part and in ¶[Part VII] unless the context otherwise requires,—

¶(a) any reference to a High Court or to the Chief Justice or Judge of a High Court shall, in relation to a Union territory having a Court of the Judicial Commissioner, be construed as a reference to the said Court of the Judicial Commissioner or to the Judicial Commissioner or any Additional Judicial Commissioner, as the case may be;]

¶(b) “candidate” means a person who has been or claims to have been duly nominated as a candidate at any election;]

(c) “costs” means all costs, charges and expenses of, or incidental to, a trial of an election petition;

(d) “electoral right” means the right of a person to stand or not to stand as, or ¶[to withdraw or not to withdraw] from being, a candidate, or to vote or refrain from voting at an election;

¶(e) “High Court” means the High Court within the local limits of whose jurisdiction the election to which the election petition relates has been held;]

(f) “returned candidate” means a candidate whose name has been published under section 67 as duly elected.

CHAPTER II.—*Presentation of Election Petitions to* ¶[High Court]

80. Election petitions.—No election shall be called in question except by an election petition presented in accordance with the provisions of this Part.

¶80A. High Court to try election petitions.—(1) The Court having jurisdiction to try an election petition shall be the High Court.

(2) Such jurisdiction shall be exercised ordinarily by a single Judge of the High Court and the Chief Justice shall, from time to time, assign one or more Judges for that purpose:

Provided that where the High Court consists only of one Judge, he shall try all election petitions presented to that Court.

(3) The High Court in its discretion may, in the interests of justice or convenience, try an election petition, wholly or partly, at a place other than the place of seat of the High Court.]

-
1. Subs. by Act 47 of 1966, s. 36, for “returning officer”.
 2. Ins. by s. 36, *ibid.*
 3. Subs. by s. 37, *ibid.*, for “Parts VII and VIII”.
 4. Ins. by s. 37, *ibid.*, original cl. (a) was omitted by Act 27 of 1956, s. 43.
 5. Subs. by Act 40 of 1975, s. 7, for cl. (b) (retrospectively).
 6. Subs. by Act 47 of 1966, s. 37, for “to withdraw” (w.e.f. 14-12-1966).
 7. Subs. by s. 37, *ibid.*, for cl. (e) (w.e.f. 14-12-1966).
 8. Subs. by s. 39, *ibid.*, for “Election Commission” (w.e.f. 14-12-1966).
 9. Ins. by s. 38, *ibid.*, (w.e.f. 14-12-1966).

व्ययों का लेखा जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अधिकर्ता ने धारा 77 के अधीन रखा है [जिला निर्वाचन आफिसर] के पास दाखिल करेगा।

४[(2) संघ राज्यक्षेत्र के किसी निर्वाचन-क्षेत्र के संबंध में उपधारा (1) में जिला निर्वाचन आफिसर के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह उस निर्वाचन-क्षेत्र के रिटनिंग आफिसर के प्रति निर्देश है।]

भाग 6

निर्वाचनों की बाबत धिवाद

अध्याय 1—निर्वाचन

79. परिभाषाएं—इस भाग में और ४[भाग 7] में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

४[(क) किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, जहाँ न्यायिक प्रायुक्त का न्यायालय है, उच्च न्यायालय के या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के या न्यायाधीश के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह यथास्थिति न्यायिक प्रायुक्त के उक्त न्यायालय के प्रति या न्यायिक प्रायुक्त के प्रति या किसी अपर न्यायिक प्रायुक्त के प्रति निर्देश है;]

४[(ख) "अभ्यर्थी" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में सम्यक्तः नामनिर्दिष्ट किया गया है या सम्यक्तः नामनिर्दिष्ट होने का दावा करता है;]

(ग) "खर्च" से निर्वाचन अर्जी के विचारण के या उससे आनुपूर्वगिह सब खर्च, प्रचार और व्यय अभिप्रेत है;

(घ) "निर्वाचन अधिकार" से किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या न खड़े होने या अभ्यर्थिता ४[वापस लेने या न लेने] या मत देने से विरत रहने का किसी व्यक्ति का अधिकार अभिप्रेत है;

४[(ङ) "उच्च न्यायालय" से वह उच्च न्यायालय अभिप्रेत है जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह निर्वाचन हुआ है जिससे निर्वाचन अर्जी सम्बद्ध है;]

(च) "निर्वाचित अभ्यर्थी" से ऐसा अभ्यर्थी अभिप्रेत है जिसका नाम सम्यक् निर्वाचित के रूप में धारा 67 के अधीन प्रकाशित कर दिया गया है।

अध्याय 2—निर्वाचन अर्जियों का ४[उच्च न्यायालय] को उपस्थित किया जाना

80. निर्वाचन अर्जियां—कोई भी निर्वाचन इस भाग के उपबन्धों के अनुसार उपस्थित की गई निर्वाचन अर्जी द्वारा प्रस्तुत किए जाने के सिवाय प्रस्तुत न किया जाएगा।

४[80क. उच्च न्यायालय द्वारा निर्वाचन अर्जियों का विचारण—(1) उच्च न्यायालय ही निर्वाचन अर्जी का विचारण करने की अधिकारिता रखने वाला न्यायालय होगा।

(2) ऐसी अधिकारिता मामूली तौर पर उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा प्रयुक्त की जाएगी और मुख्य न्यायमूर्ति उस प्रयोजन के लिए समय-समय पर एक या अधिक न्यायाधीश समनुदिष्ट करेगा :

परन्तु जहाँ कि उच्च न्यायालय केवल एक न्यायाधीश द्वारा गठित है, वहाँ वह उस न्यायालय को उपस्थापित सब निर्वाचन अर्जियों का विचारण करेगा।

(3) उच्च न्यायालय न्याय या सुविधा के हितों में किसी निर्वाचन अर्जी का पूर्णतः या भागतः विचारण ऐसे स्थान में जो उच्च न्यायालय की बैठक के स्थान से भिन्न है स्वविवेकानुसार कर सकेगा।]

1. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 36 द्वारा "रिटनिंग आफिसर" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. पूर्वोक्त की धारा 36 द्वारा अन्तःस्थापित।
3. पूर्वोक्त की धारा 37 द्वारा "भाग 7 और 8" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. पूर्वोक्त की धारा 37 द्वारा अन्तःस्थापित 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 43 द्वारा मूल खण्ड (क) का रीप किया गया।
5. 1975 के अधिनियम सं० 40 की धारा 7 द्वारा खण्ड (ख) के स्थान पर (मूलतः रूप में) प्रतिस्थापित।
6. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 37 द्वारा "व.पिस लेने" के स्थान पर (14-12-1966 से) प्रतिस्थापित।
7. पूर्वोक्त की धारा 37 द्वारा खण्ड (ङ) के स्थान पर (14-12-1966 से) प्रतिस्थापित।
8. पूर्वोक्त की धारा 39 द्वारा "निर्वाचन आयोग" के स्थान पर (14-12-1966 से) प्रतिस्थापित।
9. पूर्वोक्त की धारा 38 द्वारा (14-12-1966 से) अन्तःस्थापित।

81. Presentation of petitions.—(1) An election petition calling in question any election may be presented on one or more of the grounds specified in ¹[sub-section (1)] of section 100 and section 101 to the ²[High Court] by any candidate at such election or any elector ³[within forty-five days from, but not earlier than the date of election of the returned candidate or if there are more than one returned candidate at the election and dates of their election are different, the later of those two dates].

Explanation.—In this sub-section, “elector” means a person who was entitled to vote at the election to which the election petition relates, whether he has voted at such election or not.

**

*

*

*

*

⁴(3) Every election petition shall be accompanied by as many copies thereof as there are respondents mentioned in the petition ⁵**** and every such copy shall be attested by the petitioner under his own signature to be a true copy of the petition.]

82. Parties of the petition.—A petitioner shall join as respondents to his petition—

(a) where the petitioner, in addition to claiming declaration that the election of all or any of the returned candidates is void, claims a further declaration that he himself or any other candidate has been duly elected, all the contesting candidates other than the petitioner, and where no such further declaration is claimed, all the returned candidates; and

(b) any other candidate against whom allegations of any corrupt practice are made in the petition.]

83. Contents of petition.—(1) An election petition—

(a) shall contain a concise statement of the material facts on which the petitioner relies;

(b) shall set forth full particulars of any corrupt practice that the petitioner alleges, including as full a statement as possible of the names of the parties alleged to have committed such corrupt practice and the date and place of the commission of each such practice; and

(c) shall be signed by the petitioner and verified in the manner laid down in the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) for the verification of pleadings:

⁶[Provided that where the petitioner alleges any corrupt practice, the petition shall also be accompanied by an affidavit in the prescribed form in support of the allegation of such corrupt practice and the particulars thereof.]

(2) Any schedule or annexure to the petition shall also be signed by the petitioner and verified in the same manner as the petition.]

84. Relief that may be claimed by the petitioner.—A petitioner may, in addition to claiming a declaration that the election of all or any of the returned candidates is void, claim a further declaration that he himself or any other candidate has been duly elected.]

-
1. Subs. by Act 27 of 1956, s. 44, for “sub-sections (1) and (2)”.
 2. Subs. by Act 47 of 1966, s. 39, for “Election Commission” (w.e.f. 14-12-1966).
 3. Subs. by Act 27 of 1956, s. 44, for certain words.
 4. Sub-section (2) omitted by Act 47 of 1966, s. 39 (w.e.f. 14-12-1966).
 5. Ins. by Act 40 of 1961, s. 17 (w.e.f. 20-9-1961).
 6. Certain words omitted by Act 47 of 1966, s. 39 (w.e.f. 14-12-1966).
 7. Subs. by Act 27 of 1956, s. 45, for s. 82.
 8. Subs. by s. 46, *ibid.*, for s. 83.
 9. Ins. by Act 40 of 1961, s. 18 (w.e.f. 20-9-1961).
 10. Subs. by Act 27 of 1956, s. 47, for s. 84.

81. अर्जियों का उपस्थित किया जाना—(1) किसी निर्वाचन को प्रश्नगत करने वाली निर्वाचन अर्जी धारा 100 की उपधारा (1) और धारा 101 में विनिर्दिष्ट आधाराओं में से एक या अधिक पर [उच्च न्यायालय] को ऐसे निर्वाचन में के किसी अभ्यर्थी द्वारा या किसी निर्वाचक द्वारा निर्वाचन अभ्यर्थी के [निर्वाचन की तारीख से या यदि निर्वाचन में एक से अधिक निर्वाचन अभ्यर्थी हैं और निर्वाचन की तारीख भिन्न है तो उन तारीखों में से पश्चात्पूर्वी तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर किंतु उस तारीख से पहले नहीं] उपस्थित की जा सकती।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में "निर्वाचक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो उस निर्वाचन में, जिससे निर्वाचन अर्जी सम्बद्ध है मत देने के लिए हकदार था भले ही उसने ऐसे निर्वाचन में मतदान किया हो या न किया हो।

4*

*

*

*

⁶[(3) हर निर्वाचन अर्जी के साथ उसकी उतनी प्रतियां होंगी जितने प्रत्यर्थी उस अर्जी में वर्णित हैं ^{6***} और अर्जीदार हर ऐसी प्रति को अपने हस्ताक्षर से अनुप्रमाणित करेगा कि वह अर्जी की सही प्रति है।]

⁷[82. अर्जों के पक्षकार—अर्जीदार अपनी अर्जी में प्रत्यर्थी के रूप में—

(क) उस दशा में, जिसमें कि अर्जीदार इस घोषणा के लिए कि सब निर्वाचित अभ्यर्थियों या उनमें से किसी का निर्वाचन शून्य है, दावा करने के अतिरिक्त इस अतिरिक्त घोषणा के लिए भी कि वह स्वयं या कोई अन्य अभ्यर्थी सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गया है दावा करता है, अर्जीदार से भिन्न निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को और उस दशा में, जिसमें कि ऐसी अतिरिक्त घोषणा के लिए दावा नहीं किया गया है सब निर्वाचन अभ्यर्थियों को; तथा

(ख) किसी अन्य अभ्यर्थी को जिसके विरुद्ध किसी भ्रष्ट आचरण के अभिकथन अर्जों में किए गए हैं; संयोजित करेगा।]

⁸[83. अर्जों की अन्तर्वस्तु—(1) निर्वाचन अर्जी—

(क) में उन तात्त्विक तथ्यों का संक्षिप्त कथन अन्तर्विष्ट होगा जिन पर अर्जीदार निर्भर करता है;

(ख) में ऐसे किसी भ्रष्ट आचरण की पूरी विशिष्टियां, जिनका अर्जीदार अभिकथन करता है, उन पक्षकारों के नामों के यथाशक्य पूर्ण कथन के सहित जिनकी वास्तव यह अभिकथन है कि उन्होंने ऐसा भ्रष्ट आचरण किया है और हर एक ऐसा आचरण किए जाने की तारीख और स्थान उपविणत होगा; तथा

(ग) अर्जीदार द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी और उस रीति में सत्यापित की जाएगी जो अभिवचनों के मत्पादन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में अधिकारित है :

⁹[परन्तु जहां कि अर्जीदार किसी भ्रष्ट आचरण का अभिकथन करता है, वहां ऐसे भ्रष्ट आचरण के अभिकथन के और उसकी विशिष्टियों के समर्थन में विहित प्ररूप में एक शपथपत्र भी अर्जों के साथ होगा।]

(2) अर्जी में लगी हुई कोई अनुसूची या उगाबन्ध भी अर्जीदार द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और उसी रीति में सत्यापित किया जाएगा जिस रीति में अर्जी सत्यापित की जाती है।

¹⁰[84. वह अनुलोष जिसका दावा अर्जीदार कर सकेगा—अर्जीदार इस घोषणा का कि सब निर्वाचित अभ्यर्थियों या उनमें से किसी का निर्वाचन शून्य है, दावा करने के अतिरिक्त इस अतिरिक्त घोषणा का भी दावा कर सकेगा कि वह स्वयं या कोई अन्य अभ्यर्थी सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गया है।

1. 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 44 द्वारा "उपधाराओं (1) और (2)" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 39 द्वारा "निर्वाचन आयोग" के स्थान पर (14-12-1966 से) प्रतिस्थापित।
3. 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 44 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 39 द्वारा उपधारा (2) का (14-12-1966 से) लोप किया गया।
5. 1961 के अधिनियम सं० 40 की धारा 17 द्वारा (20-9-1961 से) अन्तःस्थापित।
6. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 39 द्वारा कुछ शब्दों का (14-12-1966 से) लोप किया गया।
7. 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 45 द्वारा धारा 82 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
8. पूर्वोक्त की धारा 46 द्वारा धारा 83 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
9. 1961 के अधिनियम सं० 40 की धारा 18 द्वारा (20-9-1961 से) अन्तःस्थापित।
10. 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 47 द्वारा धारा 84 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

85. [Procedure on receiving petition.] *Rep. by the Representation of the People (Amendment) Act, 1966 (47 of 1966), s. 40.*

CHAPTER III.—*Trial of Election Petitions*

1[86. Trial of election petitions.—(1) The High Court shall dismiss an election petition which does not comply with the provisions of section 81 or section 82 or section 117.

Explanation.—An order of the High Court dismissing an election petition under this sub-section shall be deemed to be an order made under clause (a) of section 98.

(2) As soon as may be after an election petition has been presented to the High Court, it shall be referred to the Judge or one of the Judges who has or have been assigned by the Chief Justice for the trial of election petitions under sub-section (2) of section 80A.

(3) Where more election petitions than one are presented to the High Court in respect of the same election, all of them shall be referred for trial to the same Judge who may, in his discretion, try them separately or in one or more groups.

(4) Any candidate not already a respondent shall, upon application made by him to the High Court within fourteen days from the date of commencement of the trial and subject to any order as to security for costs which may be made by the High Court, be entitled to be joined as a respondent.

Explanation.—For the purposes of this sub-section and of section 97, the trial of a petition shall be deemed to commence on the date fixed for the respondents to appear before the High Court and answer the claim or claims made in the petition.

(5) The High Court may, upon such terms as to costs and otherwise as it may deem fit, allow the particulars of any corrupt practice alleged in the petition to be amended or amplified in such manner as may in its opinion be necessary for ensuring a fair and effective trial of the petition, but shall not allow any amendment of the petition which will have the effect of introducing particulars of a corrupt practice not previously alleged in the petition.

(6) The trial of an election petition shall, so far as is practicable consistently with the interests of justice in respect of the trial, be continued from day to day until its conclusion, unless the High Court finds the adjournment of the trial beyond the following day to be necessary for reasons to be recorded.

(7) Every election petition shall be tried as expeditiously as possible and endeavour shall be made to conclude the trial within six months from the date on which the election petition is presented to the High Court for trial.

87. Procedure before the High Court.—(1) Subject to the provisions of this Act and of any rules made thereunder, every election petition shall be tried by the High Court, as nearly as may be, in accordance with the procedure applicable under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) to the trial of suits:

Provided that the High Court shall have the discretion to refuse, for reasons to be recorded in writing, to examine any witness or witnesses if it is of the opinion that the evidence of such witness or witnesses is not material for the decision of the petition or that the party tendering such witness or witnesses is doing so on frivolous grounds or with a view to delay the proceedings.

(2) The provisions of the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872), shall, subject to the provisions of this Act, be deemed to apply in all respects to the trial of an election petition.]

85. याचिका प्राप्त होने पर प्रक्रिया—लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1966 (1966 का 47) की धारा 40 द्वारा निरस्त।

अध्याय 3—निर्वाचन अर्जियों का विचारण

1[86. निर्वाचन अर्जियों का विचारण—(1) उच्च न्यायालय किसी निर्वाचन अर्जी को खारिज कर देगा जो धारा 81 या धारा 82 या धारा 117 के उपबन्धों का अनुपालन नहीं करती है।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के अधीन निर्वाचन अर्जी को खारिज करने वाला उच्च न्यायालय का आदेश धारा 98 के खंड (क) के अधीन किया गया आदेश समझा जाएगा।

(2) उच्च न्यायालय को निर्वाचन अर्जी उपस्थापित किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र उसे उस न्यायाधीश को या उन न्यायाधीशों में से एक को निर्दिष्ट किया जाएगा जो निर्वाचन अर्जियों के विचारण के लिए मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा धारा 80क की उपधारा (2) के अधीन समनुदिष्ट किया गया है या किए गए हैं।

(3) जहां कि उसी निर्वाचन की बाबत एक से अधिक निर्वाचन अर्जियां उच्च न्यायालय को उपस्थापित की जाती हैं, वहां उनमें से सब उसी न्यायाधीश को विचारण के लिए निर्दिष्ट की जाएंगी जो अपने विवेकानुसार उनको पृथक्-पृथक् या एक या अधिक समूहों में विचारित कर सकेगा।

(4) कोई अर्जियां, जो पहले से ही प्रत्यर्थी न हों, विचारण के प्रारम्भ की तारीख से चौदह दिन के भीतर उच्च न्यायालय से उसके द्वारा आवेदन किए जाने पर और खर्चों के लिए प्रतिभूति के बारे में किसी ऐसे आदेश के अधीन, जो उच्च न्यायालय द्वारा किया जाए, प्रत्यर्थी के रूप में संयोजित किए जाने का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा और धारा 97 के प्रयोजनों के लिए किसी अर्जी का विचारण उस तारीख को प्रारम्भ हुआ समझा जाएगा जो प्रत्यर्थियों के उच्च न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने और अर्जी में किए गए दावे या दावों का उत्तर देने के लिए नियत की गई है।

(5) उच्च न्यायालय खर्चों के बारे में और अन्यथा ऐसे निबंधनों पर, जिन्हें वह ठीक समझे, अर्जी में अभिकथित किसी अष्ट आचरण की विशिष्टियों के ऐसी रीति में संशोधन किए जाने या परिवर्धित किए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा जैसी अर्जी के ऋजु या प्रभावी विचारण को सुनिश्चित करने के लिए उसकी राय में आवश्यक हों, किन्तु अर्जी का कोई ऐसा संशोधन अनुज्ञात नहीं करेगा जिसका प्रभाव अष्ट आचरण की ऐसी विशिष्टियों को, जो अर्जी में पहले से अभिकथित न हों, प्रविष्ट करने का हो।

(6) निर्वाचन अर्जी का विचारण, जहां तक कि वह विचारण के बारे में न्याय के हितों से संगत रहते हुए साध्य हो उसकी समाप्ति तक दिन प्रतिदिन चालू रहेगा जब तक उच्च न्यायालय उन कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे यह निष्कर्ष न निकाले कि विचारण को आशामी दिन से परे स्थगित करना आवश्यक है।

(7) हर निर्वाचन अर्जी यथाशक्य शीघ्रता से विचारित की जाएगी और उस तारीख से, जिसको निर्वाचन अर्जी उच्च न्यायालय को विचारण के लिए उपस्थापित की गई है, छह मास के भीतर विचारण को समाप्त करने का प्रयत्न किया जाएगा।

87. उच्च न्यायालय के समक्ष प्रक्रिया—(1) इस अधिनियम के और तद्धीन बनाए गए किन्हीं भी नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, हर निर्वाचन अर्जी उच्च न्यायालय द्वारा यथाशक्य निकटतम उस प्रक्रिया के अनुसार विचारित की जाएगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन वादों के विचारण को लागू है :

परन्तु उच्च न्यायालय को यह विवेकाधिकार होगा कि वह उन कारणों से जो लेखन द्वारा अभिलिखित किए जाएंगे किसी साक्षी या साक्षियों की परीक्षा करने से इन्कार कर दे, यदि उसकी यह राय हो कि ऐसे साक्षी या साक्षियों का साक्ष्य अर्जी के विनिश्चय के लिए तात्त्विक नहीं है या यह कि ऐसे साक्षी या साक्षियों को पेश करने वाला पक्षकार तुच्छ आधारों पर या कार्यवाहियों को निर्लंबित करने की दृष्टि से ऐसा कर रहा है।

(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) के उपबन्ध इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सब प्रकार निर्वाचन अर्जी के विचारण को लागू होंगे, यह समझा जाएगा।]

93. Documentary evidence.—Notwithstanding anything in any enactment to the contrary, no document shall be inadmissible in evidence at the trial of an election petition on the ground that it is not duly stamped or registered.

94. Secrecy of voting not to be infringed.—No witness or other person shall be required to state for whom he has voted at an election.

95. Answering of criminating questions and certificate of indemnity.—(1) No witness shall be excused from answering any question as to any matter relevant to a matter in issue in the trial of an election petition upon the ground that the answer to such question may criminate or may tend to criminate him, or that it may expose or may tend to expose him to any penalty or forfeiture:

Provided that—

(a) a witness, who answers truly all questions which he is required to answer shall be entitled to receive a certificate of indemnity from ¹[the High Court]; and

(b) an answer given by a witness to a question put by or before ¹[the High Court] shall not, except in the case of any criminal proceeding for perjury in respect of the evidence, be admissible in evidence against in any civil or criminal proceeding.

(2) When a certificate of indemnity has been granted to any witness, it may be pleaded by him in any court and shall be a full and complete defence to or upon any charge under Chapter IXA of the Indian Penal Code (45 of 1860), or Part VII of this Act arising out of the matter to which such certificate relates, but it shall not be deemed to relieve him from any disqualification in connection with an election imposed by this Act or any other law.

96. Expenses of witnesses.—The reasonable expenses incurred by any person in attending to give evidence may be allowed by ¹[the High Court] to such person and shall, unless ¹[the High Court] otherwise directs, be deemed to be part of the costs.

97. Recrimination when seat claimed.—(1) When in an election petition a declaration that any candidate other than the returned candidate has been duly elected is claimed, the returned candidate or any other party may give evidence to prove that the election of such candidate would have been void if he had been the returned candidate and a petition had been presented calling in question his election:

Provided that the returned candidate or such other party, as aforesaid shall not be entitled to give such evidence unless he has, within fourteen days from the date of ²[commencement of the trial], given notice to ¹[the High Court] of his intention to do so and has also given the security and the further security referred to in sections 117 and 118 respectively.

(2) Every notice referred to in sub-section (1) shall be accompanied by the statement and ³particulars required by section 83 in the case of an election petition and shall be signed and verified in like manner.

98. Decision of the High Court.—At the conclusion of the trial of an election petition ¹[the High Court] shall make an order—

(a) dismissing the election petition; or

1. Subs. by Act 47 of 1966, s. 42, for "the Tribunal" (w.e.f. 14-12-1966).

2. Subs. by Act 27 of 1956, s. 52, for "the publication of the election petition under section 90".

3. The words "list of" omitted by s. 52, *ibid.*

93. दस्तावेजी साक्ष्य—किसी अधिनियमिति में कोई प्रतिकूल बात होते हुए भी, कोई भी दस्तावेज निर्वाचन अर्जों के विचारण में साक्ष्य के रूप में इस आधार पर कि वह सम्यक् रूप से स्टाम्पित या रजिस्ट्रीकृत नहीं है ग्राह्य न होगी।

94. मतदान की गोपनीयता का अतिक्रमण न किया जाना—किसी साक्षी या अन्य व्यक्ति से यह कथित करने की अपेक्षा न की जाएगी कि उसने निर्वाचन में किस के लिए मत दिया है।

95. अपराध में फंसाने वाले प्रश्नों का उत्तर देना और परिव्राण का प्रमाणपत्र—(1) कोई साक्षी, निर्वाचन अर्जों के विचारण में विवाद्यक विषय से सुसंगत किसी विषय के बारे में किए गए किसी प्रश्न का उत्तर देने से, इस आधार पर क्षम्य न होगा कि ऐसे प्रश्न का उत्तर ऐसे साक्षी को अपराध में फंसा सकेगा या उसकी प्रवृत्ति अपराध में फंसाने की होगी अथवा वह ऐसे साक्षी को किसी शास्ति या समपहरण के लिए उच्छन्न कर सकेगा या उसकी प्रवृत्ति उच्छन्न करने की हो सकेगी :

परन्तु—

(क) वह साक्षी जो उन सब प्रश्नों का सही उत्तर देता है जिनका उत्तर देने की उससे अपेक्षा की गई है, ¹[उच्च न्यायालय] से परिव्राण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए हकदार होगा, तथा

(ख) ¹[उच्च न्यायालय] के द्वारा या समक्ष किए गए प्रश्न का जो उत्तर साक्षी द्वारा दिया गया है, वह उस साक्ष्य सम्बन्धी शपथ-भंग के लिए दाण्डिक कार्यवाही की दशा में ग्राह्य होने के सिवाय, उसके विरुद्ध किसी सिविल या दाण्डिक कार्यवाही में साक्ष्य में ग्राह्य न होगा।

(2) जबकि किसी साक्षी को परिव्राण प्रमाणपत्र अनुवृत्त कर दिया गया है तब उसका अभिवचन वह किसी न्यायालय में कर सकेगा और ऐसे किसी विषय से उद्भूत होने वाले, जिसके सम्बन्ध में ऐसा प्रमाणपत्र है, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) के अध्याय 9क के अधीन या इस अधिनियम के भाग 7 के अधीन किसी आरोप के विरुद्ध या बाबत सम्पूर्ण प्रतिरक्षा होगी, किन्तु उसकी बाबत यह न समझा जाएगा कि वह निर्वाचन से संसक्त किसी ऐसी निरहंता से, जो इस अधिनियम या किसी अन्य विधि द्वारा अधिरोपित है, उससे अवमुक्त कर देता है।

96. साक्षियों के व्यय—साक्ष्य देने के लिए हाजिर होने में किसी व्यक्ति द्वारा उपगत युक्तियुक्त व्यय ¹[उच्च न्यायालय] ऐसे व्यक्ति को अनुज्ञात कर सकेगा और जब तक कि उच्च न्यायालय अन्यथा निर्दिष्ट न करे वे युक्तियुक्त व्यय खर्च के भाग समझे जाएंगे।

97. स्थान के लिए दावा किए जाने पर प्रत्यारोप—(1) जबकि निर्वाचन अर्जों में इस घोषणा का दावा किया गया है कि निर्वाचित अभ्यर्थी से भिन्न कोई अभ्यर्थी सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गया है तब निर्वाचित अभ्यर्थी या कोई अन्य पक्षकार यह साबित करने के लिए साक्ष्य दे सकेगा कि यदि ऐसा अभ्यर्थी निर्वाचित अभ्यर्थी होता और उसके निर्वाचन को प्रश्नगत करने के लिए अर्जों दी गई होती, तो ऐसे अभ्यर्थी का निर्वाचन शून्य होता :

परन्तु जब तक कि निर्वाचित अभ्यर्थी या यथापूर्वोक्त जैसे अन्य पक्षकार ने अपने ऐसा करने के आशय की सूचना ¹[उच्च न्यायालय] को ²[विचारण प्रारम्भ होने की] तारीख से चौदह दिन के भीतर न दे दी हो और क्रमशः धाराओं 117 और 118 में निर्दिष्ट प्रतिभूति और अतिरिक्त प्रतिभूति भी न दे दी हो, वह ऐसा साक्ष्य देने के लिए हकदार न होगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट हर सूचना के साथ वह कथन और ³*** विशिष्टियाँ होंगी जो निर्वाचन अर्जों की दशा में धारा 83 द्वारा अपेक्षित हैं और वह ऐसी ही रीति में हस्ताक्षरित और सत्यपित होगी।

98. उच्च न्यायालय का विनिश्चय—निर्वाचन अर्जों के विचारण की समाप्ति पर ¹[उच्च न्यायालय]—

(क) निर्वाचन अर्जों को खारिज करने का, अथवा

1. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 42 द्वारा "श्यायाधकरण" के स्थान पर (14-12-1966 से) प्रतिस्थापित।
2. 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 52 द्वारा "धारा 90 के अधीन निर्वाचन याचिका के प्रकाशन की" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. पूर्वोक्त की धारा 52 द्वारा "की सूची" शब्दों का लोप किया गया।

(PART II.—Acts of Parliament)

(b) declaring the election of ¹[all or any of the returned candidates] to be void; or

(c) declaring the election of ¹[all or any of the returned candidates] to be void and the petitioner or any other candidate to have been duly elected. ^{2***}

*
**

*

*

*

*

99. Other orders to be made by the High Court.—(1) At the time of making an order under section 98 ³[the High Court] shall also make an order—

⁴[(a) where any charge is made in the petition of any corrupt practice having been committed at the election, recording—

(i) a finding whether any corrupt practice has or has not been proved to have been committed ^{5***} at the election, and the nature of that corrupt practice; and

(ii) the names of all persons, if any, who have been proved at the trial to have been guilty of any corrupt practice and the nature of that practice; and]

(b) fixing the total amount of costs payable and specifying the persons by and to whom costs shall be paid :

Provided that ⁶[a person who is not a party to the petition shall not be named] in the order under sub-clause (ii) of clause (a) unless—

(a) he has been given notice to appear before ³[the High Court] and to show cause why he should not be so named; and

(b) if he appears in pursuance of the notice, he has been given an opportunity of cross-examining any witness who has already been examined by ³[the High Court] and has given evidence against him, of calling evidence in his defence and of being heard.

⁷[(2) In this section and in section 100, the expression “agent” has the same meaning as in section 123.]

100. Grounds for declaring election to be void. — ⁸[(1) Subject to the provisions of sub-section (2) if ³[the High Court] is of opinion—

(a) that on the date of his election a returned candidate was not qualified, or was disqualified, to be chosen to fill the seat under the Constitution or this Act ⁹[or the Government of Union Territories Act, 1963 (20 of 1963)]; or

(b) that any corrupt practice has been committed by a returned candidate or his election agent or by any other person with the consent of a returned candidate or his election agent; or

1. Subs. by Act 27 of 1956, s. 53, for “the returned candidate”.

2. The word “or” and cl. (d) omitted by s. 53, *ibid.*

3. Subs. by Act 47 of 1966, s. 42, for “the Tribunal” (w.e.f. 14-12-1966).

4. Subs. by Act 27 of 1956, s. 54, for cl. (a).

5. Certain words omitted by Act 58 of 1958, s. 29.

6. Subs. by Act 27 of 1956, s. 54, for “no person shall be named”.

7. Subs. by s. 54, *ibid.*, for sub-section (2).

8. Subs. by s. 55, *ibid.*, for sub-sections (1) and (2).

9. Ins. by Act 20 of 1963, s. 57 and the Second Schedule. The words “or the Government of Part C States Act, 1951 (49 of 1951)” were omitted by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956.

(ख) यह घोषणा करने वाला कि [सब निर्वाचित अभ्यर्थियों का या उनमें से किसी] का निर्वाचन शून्य है, अथवा

(ग) यह घोषणा करने वाला कि [सब निर्वाचित अभ्यर्थियों का या उनमें से किसी] का निर्वाचन शून्य है और अर्जीवार या कोई अन्य अभ्यर्थी सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गया है***

आदेश करेगा।

* * * * *

99. उच्च न्यायालय द्वारा किए जाने वाले अन्य आदेश—(1) धारा 98 के अधीन आदेश करते समय [उच्च न्यायालय]—

[(क) उस दशा में, जिसमें अर्जी में यह आरोप किया गया है कि निर्वाचन में कोई भ्रष्ट आचरण किया गया है—

(i) यह निष्कर्ष अभिलिखित करते हुए कि निर्वाचन में *** किसी भ्रष्ट आचरण का किया जाना साबित हुआ है या साबित नहीं हुआ है और उस भ्रष्ट आचरण की प्रकृति अभिलिखित करते हुए, तथा

(ii) उन सब व्यक्तियों के नाम, यदि कोई हों, जिनकी बाबत विचारण में यह साबित हुआ है कि वे किसी भ्रष्ट आचरण के दोषी हैं और उस आचरण की प्रकृति अभिलिखित करते हुए, तथा]

(ख) संदेय खर्चों की कुल रकम को नियत करते हुए उन व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट करते हुए जिनके द्वारा और जिनको खर्च दिए जाएंगे,

आदेश भी करेगा :

परन्तु जब तक [उस व्यक्ति को, जो अर्जी का पक्षकार नहीं है—]

(क) [उच्च न्यायालय] के समक्ष उपसंज्ञात होने के लिए और यह हेतुक दर्शात करने की कि उसे क्यों न ऐसे नामित किया जाए, सूचना न दे दी गई हो, तथा

(ख) यदि वह सूचना के अनुसरण में उपसंज्ञात होता है, तो उस [उच्च न्यायालय] द्वारा पहले ही जिस साक्षी की परीक्षा की जा चुकी है और जिसने उसके विरुद्ध साक्ष्य दिया है उसकी प्रतिपरीक्षा करने का, अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य पेश करने या कराने का और अपनी सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो, उसे खण्ड (क) के उपखण्ड (ii) के अधीन आदेश में [नामित न किया जाएगा]।

[(2) इस धारा में और धारा 100 में 'अभिकर्ता' पद का वही अर्थ है जो उसका धारा 123 में है।]

100. निर्वाचन को शून्य घोषित करने के आधार—[(1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए, यह कि यदि [उच्च न्यायालय] की यह राय है कि—

(क) निर्वाचित अभ्यर्थी अपने निर्वाचन की तारीख को स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए संविधान या इस अधिनियम के [या संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20)] के अधीन प्रहित नहीं था या निर्वाहित कर दिया गया था, अथवा

(ख) निर्वाचित अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा या निर्वाचित अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई भ्रष्ट आचरण किया गया है, अथवा

1. 1958 के अधिनियम सं० 27 की धारा 53 द्वारा "निर्वाचित अभ्यर्थी" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. पूर्वोक्त की धारा 53 द्वारा "घ" और खंड (घ) का लोप किया गया।
3. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 42 द्वारा "प्रधिकरण" के स्थान पर (14-12-1966 से) प्रतिस्थापित।
4. 1958 के अधिनियम सं० 27 की धारा 54 द्वारा खण्ड (क) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. 1958 के अधिनियम सं० 58 की धारा 29 द्वारा कुछ शब्दों का लोप किया गया।
6. 1958 के अधिनियम सं० 27 की धारा 54 द्वारा "किसी व्यक्ति को नामित न किया जाएगा--" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
7. पूर्वोक्त की धारा 54 द्वारा उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
8. पूर्वोक्त की धारा 55 द्वारा उपधाराओं (1) और (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
9. 1963 के अधिनियम सं० 20 की धारा 57 और दूसरी अनुसूची द्वारा अस्तित्वस्थित। "या संघ ग राज्यों की सरकार अधिनियम, 1951 (1951 का 49)" शब्दों का विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा लोप किया गया था।

(PART II.—Acts of Parliament)

(c) that any nomination has been improperly rejected; or

(d) that the result of the election, in so far as it concerns a returned candidate, has been materially affected—

(i) by the improper acceptance or any nomination, or

(ii) by any corrupt practice committed in the interests of the returned candidate [by an agent other than his election agent], or

(iii) by the improper reception, refusal or rejection of any vote or the reception of any vote which is void, or

(iv) by any non-compliance with the provisions of the Constitution or of this Act or of any rules or orders made under this Act,

[the High Court] shall declare the election of the returned candidate to be void.]

[(2)] If in the opinion of [the High Court], a returned candidate has been guilty by an agent, other than his election agent, of any corrupt practice **** but [the High Court] is satisfied—

(a) that no such corrupt practice was committed at the election by the candidate or his election agent, and every such corrupt practice was committed contrary to the orders, and [without the consent], of the candidate or his election agent;

* * * * *

(c) that the candidate and his election agent took all reasonable means for preventing the commission of corrupt ***** practices at the election; and

(d) that in all other respects the election was free from any corrupt ***** practice on the part of the candidate or any of his agents,

then [the High Court] may decide that the election of the returned candidate is not void.

101. Grounds for which a candidate other than the returned candidate may be declared to have been elected.—If any person who has lodged a petition has, in addition to calling in question the election of the returned candidate, claimed a declaration that he himself or any other candidate has been duly elected and [the High Court] is of opinion—

(a) that in fact the petitioner or such other candidate received a majority of the valid votes; or

(b) that but for the votes obtained by the returned candidate by corrupt ***** practices the petitioner or such other candidate would have obtained a majority of the valid votes,

[the High Court] shall after declaring the election of the returned candidate to be void declare the petitioner or such other candidate, as the case may be, to have been duly elected.

102. Procedure in case of an equality of votes.—If during the trial of an election petition it appears that there is an equality of votes between any candidates at the election and that the

1. Subs. by Act 58 of 1958, s. 30, for certain words.

2. Subs. by Act 47 of 1966, s. 42, for "the Tribunal" (w.e.f. 14-12-1966).

3. Sub-section (3) renumbered as sub-section (2) by Act 27 of 1956, s. 55.

4. The words and figures "specified in section 123" omitted by s. 55, *ibid.*

5. Subs. by s. 55, *ibid.*, for "without the sanction or connivance".

6. Cl. (b) omitted by Act 58 of 1958, s. 30.

7. The words "or illegal" omitted by Act 27 of 1956, s. 55.

8. The words "or illegal" omitted by s. 56, *ibid.*

(ग) कोई नामनिर्देशन अनुचित रूप से प्रतिक्षेपित किया गया है; अथवा

(घ) जहां तक कि निर्वाचन का परिणाम निर्वाचित अभ्यर्थी से सम्बन्धित है, वहां तक निर्वाचन परिणाम—

(i) किसी नामनिर्देशन के अनुचित प्रतिग्रहण से, अथवा

(ii) ऐसे किसी भ्रष्ट आचरण से, जो निर्वाचित अभ्यर्थी के हित में [उसके निर्वाचन अभिकर्ता से भिन्न अभिकर्ता द्वारा] किया गया है; अथवा

(iii) किसी मत के अनुचित तौर पर लिए जाने के इन्कार करने या प्रतिक्षेपित किए जाने के या ऐसे किसी मत के लिए जाने के, जो शून्य हो; कारण से, अथवा

(iv) संविधान के या अधिनियम के या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं नियम या आदेशों के उपबंधों के किसी अनुपालन से, तात्त्विक रूप से प्रभावित हुआ है;

तो ³[उच्च न्यायालय] निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की वास्तविकता यह घोषणा करेगा कि वह शून्य है।]

³[(2) यदि ³[उच्च न्यायालय] की यह राय है कि निर्वाचित अभ्यर्थी अपने निर्वाचन अभिकर्ता से भिन्न अभिकर्ता द्वारा **** किसी भ्रष्ट आचरण का दोषी रहा है किन्तु ³[उच्च न्यायालय] का समाधान हो गया है कि—

(क) अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने निर्वाचन में ऐसा कोई भ्रष्ट आचरण नहीं किया था और हर ऐसा भ्रष्ट आचरण अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के आदेशों के प्रतिकूल था, और उसका ⁶[सम्बन्धित के बिना] किया गया था,

* * * * *

(ग) अभ्यर्थी और उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने निर्वाचन में भ्रष्ट **** आचरण किए जाने का निवारण करने के लिए सब युक्तियुक्त उपाय किए थे; तथा

(घ) निर्वाचन अन्य सब बातों में अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ताओं में से किसी की तरफ से किसी भी भ्रष्ट आचरण से मुक्त था;

तो ³[उच्च न्यायालय] यह विनिश्चय कर सकेगा कि निर्वाचित अभ्यर्थी का निर्वाचन शून्य नहीं है।

101. निर्वाचित अभ्यर्थी से भिन्न अभ्यर्थी जिन आधारों पर निर्वाचित घोषित किया जा सकेगा वे आधार— यदि ऐसे किसी व्यक्ति ने, जिसने अर्जी दाखिल की है निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन को प्रश्नगत करने के अतिरिक्त इस घोषणा के लिए दावा किया है कि वह स्वयं या कोई अन्य अभ्यर्थी सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गया है और ³[उच्च न्यायालय] की यह राय है कि—

(क) अर्जीदार को या ऐसे अन्य अभ्यर्थी को विधिमान्य मतों की बहुसंख्या वास्तव में प्राप्त हुई है; अथवा

(ख) निर्वाचित अभ्यर्थी को भ्रष्ट ****आचरण द्वारा अभिप्राप्त मतों के अभाव में अर्जीदार या ऐसे अन्य अभ्यर्थी को विधिमान्य मतों की बहुसंख्या अभिप्राप्त हुई होती,

तो ³[उच्च न्यायालय] निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन को शून्य घोषित करने के पश्चात् यह घोषणा करेगा कि, यथा-स्थिति, अर्जीदार या ऐसा अन्य अभ्यर्थी सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गया है।

102. मतों के बराबर होने की वशा में प्रक्रिया—यदि निर्वाचन अर्जों के विचारण के दौरान यह प्रतीत होता है कि निर्वाचन में किन्हीं अभ्यर्थियों के बीच मत बराबर हैं और मतों में एक मत के जोड़ देने से उन अभ्यर्थियों में

1. 1958 के अधिनियम सं० 58 की धारा 30 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 42 द्वारा "न्यायाधिकरण" के स्थान पर (14-12-1966 से) प्रतिस्थापित।
3. 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 55 द्वारा उन्वारा (3) की उन्वारा (2) के रूप में पुनः संशोधित किया गया।
4. 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 55 द्वारा "धारा 123 में विनिर्दिष्ट" शब्दों और अंकों का लोप किया गया।
5. पूर्वोक्त की धारा 55 द्वारा "बिना मंजूरी और मोन, नुकूलता" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. 1958 के अधिनियम सं० 58 की धारा 30 द्वारा खंड (ख) का लोप किया गया।
7. 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 55 द्वारा "या अथवा" शब्दों का लोप किया गया।
8. पूर्वोक्त की धारा 56 द्वारा "या अथवा" शब्दों का लोप किया गया।

addition of a vote would entitle any of those candidates to be declared elected, then—

(a) any decision made by the returning officer under the provisions of this Act shall, in so far as it determines the question between those candidates, be effective also for the purposes of the petition; and

(b) in so far as that question is not determined by such a decision ¹[the High Court] shall decide between them by lot and proceed as if the one on whom the lot then falls had received an additional vote.

¶103. **Communication of orders of the High Court.**—The High Court shall, as soon as may be after the conclusion of the trial of an election petition, intimate the substance of the decision to the Election Commission and the Speaker or Chairman, as the case may be, of the House of Parliament or of the State Legislature concerned and, as soon as may be thereafter, shall send to the Election Commission an authenticated copy of the decision.]

104. [*Difference of opinion among the members of the Tribunal.*] *Rep. by the Representation of the People (Second Amendment) Act, 1956 (27 of 1956), s. 57.*

105. [*Orders of the Tribunal to be final and conclusive.*] *Rep. by s. 58, ibid.*

106. **Transmission of order to the appropriate authority, etc., and its publication.**—As soon as may be after the receipt of any order made by ²[the High Court] under section 98 or section 99, the Election Commission shall forward copies of the order to the appropriate authority and, in the case where such order relates to an election ⁴* * * to a House of Parliament or to an election to the House or a House of the Legislature of a State, also to the Speaker or Chairman, as the case may be, of the House concerned and ⁵[shall cause the order to be published—

(a) where the order relates to an election to a House of Parliament, in the Gazette of India as well as in the Official Gazette of the State concerned; and

(b) where the order relates to an election to the House or a House of the Legislature of the State, in the Official Gazette of the State.]

¶107. **Effect of orders of the High Court.**—⁷[(1) Subject to the provisions contained in Chapter IVA relating to the stay of operation of an order of the High Court under section 98 or section 99, every such order shall take effect as soon as it is pronounced by the High Court.]

(2) Where by an order under section 98 the election of a returned candidate is declared to be void, acts and proceedings in which that returned candidate has, before the date thereof, participated as a member of Parliament or as a member of the Legislature of a State shall not be invalidated by reason of that order, nor shall such candidate be subjected to any liability or penalty on the ground of such participation.]

CHAPTER IV.—Withdrawal and Abatement of Election Petitions

108. [*Withdrawal of petitions before appointment of Tribunal.*] *Rep. by the Representation of the People (Amendment) Act, 1966 (47 of 1966), s. 45.*

1. Subs. by Act 47 of 1966, s. 42, for "the Tribunal" (w.e.f. 14-12-1966).

2. Subs. by s. 43, *ibid.*, for s. 103 (w. e. f. 14-12-1966).

3. Subs. by s. 44, *ibid.*, for "the Tribunal" (w.e.f. 14-12-1966).

4. The words and brackets "(other than a primary election)" omitted by Act 27 of 1956, s. 59.

5. Subs. by s. 59, *ibid.*, for certain words.

6. Subs. by s. 60, *ibid.*, for s. 107.

7. Subs. by Act 47 of 1966, s. 44, for sub-section (1) (w.e.f. 14-12-1966).

से कोई निर्वाचित घोषित किए जाने का हकदार हो जाएगा, तो—

(क) रिटर्निंग आफिसर द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किया गया कोई विनिश्चय वहाँ तक, जहाँ तक कि उन अभ्यर्थियों के बीच प्रश्न का अवधारण करता है, उम अर्जी के प्रयोजनों के लिए भी प्रभावी होगा, तथा

(ख) जहाँ तक कि वह प्रश्न ऐसे विनिश्चय द्वारा अवधारित नहीं हुआ है, वहाँ तक कि [उच्च न्यायालय] उनके बीच लाट द्वारा विनिश्चय करेगा और ऐसे अग्रसर होगा मानो जिन किसी के पक्ष में लाट निकल आए उसे एक अतिरिक्त मत प्राप्त हुआ था।

²[103. उच्च न्यायालय के आदेशों की संसूचना—उच्च न्यायालय निर्वाचन अर्जों के विचारण की सभापति के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विनिश्चय के सारांश की प्रजापना निर्वाचन आयोग और, यथास्थिति, संसद् के या सम्पूक्त राज्य विधान मंडल के सदन के अध्यक्ष या सभापति को देगा और तत्पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विनिश्चय की अधिप्रमाणीकृत प्रति निर्वाचन आयोग को भेजेगा।]

104. [न्यायाधिकरण के सदस्यों की राय में भिन्नता]—लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1956 (1956 का 27) की धारा 57 द्वारा निरसित।

105. [न्यायाधिकरण के आदेश अग्रिम और विनिश्चायक होंगे]—पूर्वोक्त की धारा 58 द्वारा निरसित।

106. आदेश का समुचित प्राधिकारी आदि की पारेषण और उसका प्रकाशन—निर्वाचन आयोग, ³[उच्च न्यायालय] द्वारा धारा 98 या धारा 99 के अधीन किए गए किसी आदेश की प्राप्ति के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र आदेश की प्रतियाँ समुचित प्राधिकारी को भेजेगा, और जहाँ कि ऐसा आदेश ⁴संसद् के किसी सदन के लिए निर्वाचन से या किसी राज्य के विधान मंडल के सदन या सदनों में से किसी सदन के लिए निर्वाचन से संबद्ध है, वहाँ, यथास्थिति, सम्पूक्त सदन के अध्यक्ष या सभापति को भी भेजेगा, और ⁵[आदेश को—

(क) जहाँ कि आदेश संसद् के किसी सदन के लिए निर्वाचन से संबद्ध है, वहाँ भारत के राजपत्र में और साथ ही सम्पूक्त राज्य के शासकीय राजपत्र में, तथा

(ख) जहाँ कि आदेश के राज्य विधान-मंडल के सदन या सदनों में से किसी सदन के लिए निर्वाचन से संबद्ध है वहाँ राज्य के शासकीय राजपत्र में,

प्रकाशित कराएगा।]

⁶[107. उच्च न्यायालय के आदेशों का प्रभाव]—⁷[(1) अध्याय 4क में अन्तर्विष्ट उन उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए जो उच्च न्यायालय द्वारा धारा 98 या धारा 99 के अधीन किसी आदेश के प्रवर्तन को रोक देने से सम्बन्धित है, यह है कि हर ऐसा आदेश ज्यों ही उच्च न्यायालय द्वारा प्रभावित किया जाए त्यों ही प्रभावी हो जाएगा।]

(2) जहाँ कि निर्वाचित अभ्यर्थी का निर्वाचन धारा 98 के अधीन आदेश द्वारा गून्ना घोषित कर दिया जाता है जहाँ वे कार्य और कार्यवाही जिनमें उस निर्वाचित अभ्यर्थी ने उसकी तारीख के पूर्व संसद् के सदस्य के रूप में या राज्य विधान-मंडल के सदस्य के रूप में भाग लिया है, उस आदेश के कारण ही अधिमान्य न हों अर्जों और न ऐसा अभ्यर्थी ऐसे भाग लेने के आधार पर ही किसी दायित्व या शास्ति के अध्याधीन किया जाएगा।]

अध्याय 4—निर्वाचन अर्जियों का प्रत्याहरण और उपशमन

108. [न्यायाधिकरण की नियुक्ति से वाचिकाओं का प्रत्याहरण]—लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1966 (1966 का 47) की धारा 45 द्वारा निरमित।

1. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 43 द्वारा "न्यायाधिकरण" के स्थान पर (14-12-1966 से) प्रतिस्थापित।
2. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 43 द्वारा धारा 103 के स्थान पर (14-12-1966 से) प्रतिस्थापित।
3. पूर्वोक्त की धारा 44 द्वारा "न्यायाधिकरण" के स्थान पर (14-12-1966 से) प्रतिस्थापित।
4. 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 59 द्वारा "(प्राथमिक निर्वाचन से निम्न)" शब्दों और कोष्ठकों का जोड़ किया गया।
5. पूर्वोक्त की धारा 59 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. पूर्वोक्त की धारा 60 द्वारा धारा 107 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
7. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 44 द्वारा उपाध्याय (1) के स्थान पर (14-12-1966 से) प्रतिस्थापित।

¶109. **Withdrawal of election petitions.**—(1) An election petition may be withdrawn only by leave of the High Court.

(2) Where an application for withdrawal is made under sub-section (1), notice thereof fixing a date for the hearing of the application shall be given to all other parties to the petition and shall be published in the Official Gazette.

110. **Procedure for withdrawal of election petitions.**—(1) If there are more petitioners than one, no application to withdraw an election petition shall be made except with the consent of all the petitioners.

(2) No application for withdrawal shall be granted if, in the opinion of the High Court, such application has been induced by any bargain or consideration which ought not to be allowed.

(3) If the application is granted—

(a) the petitioner shall be ordered to pay the costs of the respondents thereto incurred or such portion thereof as the High Court may think fit;

(b) the High Court shall direct that the notice of withdrawal shall be published in the Official Gazette and in such other manner as it may specify and thereupon the notice shall be published accordingly;

(c) a person who might himself have been a petitioner may, within fourteen days of such publication, apply to be substituted as petitioner in place of the party withdrawing, and upon compliance with the conditions, if any, as to security, shall be entitled to be so substituted and to continue the proceedings upon such terms as the High Court may deem fit.]

111. **Report of withdrawal by the High Court to the Election Commission.**—When an application for withdrawal is granted by ²[the High Court] and no person has been substituted as petitioner under clause (c) of sub-section (3) of section 110, in place of the party withdrawing, ²[the High Court] shall report the fact to the Election Commission ³[and thereupon the Election Commission shall publish the report in the Official Gazette].

¶112. **Abatement of election petitions.**—(1) An election petition shall abate only on the death of a sole petitioner or of the survivor of several petitioners.

(2) Where an election petition abates under sub-section (1), the High Court shall cause the fact to be published in such manner as it may deem fit.

(3) Any person who might himself have been a petitioner may, within fourteen days of such publication, apply to be substituted as petitioner and upon compliance with the conditions, if any, as to security, shall be entitled to be so substituted and to continue the proceedings upon such terms as the High Court may deem fit.]

116. **Abatement or substitution on death of respondent.**—If before the conclusion of the trial of an election petition, the sole respondent dies or gives notice that he does not intend to oppose the petition or any of the respondents dies or gives such notice and there is no other respondent who is opposing the petition, ⁴[the High Court] shall cause notice of such event to be published in the Official Gazette, and thereupon any person who might have been a petitioner may, within fourteen

1. Subs. by Act 47 of 1966, s. 46, for ss. 109 and 110 (w.e.f. 14-12-1966).

2. Subs. by s. 47, *ibid.*, for "the Tribunal" (w.e.f. 14-12-1966).

3. Ins. by Act 27 of 1956, s. 61.

4. Subs. by Act 47 of 1966, s. 48, for ss. 112 to 115 (w.e.f. 14-12-1966).

5. Subs. by s. 49, *ibid.*, for "the Tribunal" (w.e.f. 14-12-1966).

1[109. निर्वाचन अर्जियों का प्रत्याहरण—(1) निर्वाचन अर्जी का प्रत्याहरण केवल उच्च न्यायालय की इजाजत से ही किया जा सकेगा ।

(2) जहाँ कि उपधारा (1) के अधीन प्रत्याहरण का आवेदन किया गया है, वहाँ उसकी सूचना जिसमें आवेदन की सुनवाई के लिए तारीख नियत हो अर्जी के अन्य सब पक्षकारों को दी जाएगी और शासकीय राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी ।]

110. निर्वाचन अर्जियों के प्रत्याहरण के लिए क्रिया—(1) यदि एक से अधिक अर्जीदार हों, तो निर्वाचन अर्जी के प्रत्याहरण का कोई भी आवेदन सब अर्जीदारों की सम्मति के बिना नहीं किया जाएगा ।

(2) प्रत्याहरण का कोई आवेदन मंजूर नहीं किया जाएगा, यदि उच्च न्यायालय की राय में ऐसा आवेदन किसी ऐसे सीदे या प्रतिफल के द्वारा उत्प्रेरित किया गया है जो अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए ।

(3) यदि आवेदन मंजूर किया जाता है तो—

(क) अर्जीदार को आदेश दिया जाएगा कि वह प्रत्याधियों को तो तब तक उपगत खर्चों का या उनके ऐसे प्रभाग का, जैसा उच्च न्यायालय ठीक समझे, संदाय करे ;

(ख) उच्च न्यायालय निदेश देगा कि प्रत्याहरण की सूचना शासकीय राजपत्र में और ऐसी अन्य रीति में, जैसी वह विनिर्दिष्ट करे, प्रकाशित की जाएगी और तदुपरि सूचना तदनुसार प्रकाशित की जाएगी ;

(ग) कोई व्यक्ति जो स्वयं अर्जीदार हो सकता था, ऐसे प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर प्रत्याहरण करने वाले पक्षकार के स्थान में अर्जीदार के रूप में प्रतिस्थापित किए जाने के लिए आवेदन कर सकेगा और प्रतिभूति के बारे में शर्तों का यदि कोई हो, अनुपालन करने पर ऐसे प्रतिस्थापित किए जाने का और कार्यवाहियों को ऐसे निबन्धनों पर चालू रखने का, जिसे उच्च न्यायालय ठीक समझे, हुकदार होगा ।]

111. उच्च न्यायालय द्वारा निर्वाचन आयोग को प्रत्याहरण की रिपोर्ट—जबकि प्रत्याहरण का आवेदन ²[उच्च न्यायालय] द्वारा मंजूर कर लिया गया है और धारा 110 की उपधारा (3) के खण्ड (ग) के अधीन कोई व्यक्ति प्रत्याहरण करने वाले पक्षकार के स्थान में अर्जीदार के रूप में प्रतिस्थापित नहीं किया गया है, ³[उच्च न्यायालय] इस तथ्य की रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को देगा ⁴[और तदुपरि निर्वाचन आयोग रिपोर्ट को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगा ।]

⁵[112. निर्वाचन अर्जियों का उपशमन—(1) निर्वाचन अर्जी का उपशमन एकमात्र अर्जीदार की या कई अर्जीदारों में से उत्तरजीवी की मृत्यु पर होगा ।

(2) जहाँ कि किसी निर्वाचन अर्जी का उपधारा (1) के अधीन उपशमन हो जाता है वहाँ उच्च न्यायालय उस तथ्य का ऐसी रीति में, जैसी वह ठीक समझे, प्रकाशन करवाएगा ।

(3) कोई व्यक्ति जो स्वयं अर्जीदार हो सकता था, ऐसे प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर अर्जीदार के रूप में प्रतिस्थापित किए जाने के लिए आवेदन कर सकेगा और प्रतिभूति के बारे में शर्तों का, यदि कोई हों, अनुपालन करने पर ऐसे प्रतिस्थापित किए जाने का और कार्यवाहियों को ऐसे निबन्धनों पर चालू रखने का, जैसे उच्च न्यायालय ठीक समझे, हुकदार होगा ।]

116. प्रत्यर्थी की मृत्यु पर उपशमन या प्रतिस्थापन—निर्वाचन अर्जी के परीक्षण की समाप्ति से पूर्व यदि एक मात्र प्रत्यर्थी मर जाता है या यह सूचना देता है कि वह अर्जी का विरोध करने का भाव्य नहीं रखता या प्रत्याधियों में से कोई मर जाता है या ऐसी सूचना देता है और अर्जी का विरोध करने वाला कोई अन्य प्रत्यर्थी नहीं है तो [उच्च न्यायालय] ऐसी घटना की सूचना शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कराएगा और तदुपरि, कोई व्यक्ति, जो अर्जीदार हो सकता था, ऐसे प्रत्यर्थी के स्थान में अर्जी का विरोध करने के लिए प्रतिस्थापित किए जाने के लिए आवेदन ऐसे

1. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 46 द्वारा 109 और 110 धाराओं के स्थान पर (14-12-1966 से) प्रतिस्थापित ।

2. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 47 द्वारा "न्यायाधिकरण" के स्थान पर (14-12-1966 से) प्रतिस्थापित ।

3. 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 61 द्वारा प्रतिस्थापित ।

4. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 48 द्वारा 112 से 115 तक की धाराओं के स्थान पर (14-12-1966 से) प्रतिस्थापित ।

5. पूर्वोक्त की धारा 49 द्वारा "न्यायाधिकरण" के स्थान पर (14-12-1966 से) प्रतिस्थापित ।

(PART II.—Acts of Parliament)

days of such publication, apply to be substituted in place of such respondent to oppose the petition, and shall be entitled to continue the proceedings upon such terms as ¹[the High Court] may think fit.

²[CHAPTER IVA.—*Appeals*

³[116A. **Appeals to Supreme Court.**—(1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, an appeal shall lie to the Supreme Court on any question (whether of law or fact) from every order made by a High Court under section 98 or section 99.

(2) Every appeal under this Chapter shall be preferred within a period of thirty days from the date of the order of the High Court under section 98 or section 99:

Provided that the Supreme Court may entertain an appeal after the expiry of the said period of thirty days if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal within such period.

116B. Stay of operation of order of High Court.—(1) An application may be made to the High Court for stay of operation of an order made by the High Court under section 98 or section 99 before the expiration of the time allowed for appealing therefrom and the High Court may, on sufficient cause being shown and on such terms and conditions as it may think fit, stay the operation of the order; but no application for stay shall be made to the High Court after an appeal has been preferred to the Supreme Court.

(2) Where an appeal has been preferred against an order made under section 98 or section 99, the Supreme Court may, on sufficient cause being shown and on such terms and conditions as it may think fit, stay the operation of the order appealed from.

(3) When the operation of an order is stayed by the High Court or, as the case may be, the Supreme Court, the order shall be deemed never to have taken effect under sub-section (1) of section 107; and a copy of the stay order shall immediately be sent by the High Court or, as the case may be, the Supreme Court, to the Election Commission and the Speaker or Chairman, as the case may be, of the House of Parliament or of the State Legislature concerned.

116C. Procedure in appeal.—(1) Subject to the provisions of this Act and of the rules, if any, made thereunder, every appeal shall be heard and determined by the Supreme Court as nearly as may be in accordance with the procedure applicable to the hearing and determination of an appeal from any final order passed by a High Court in the exercise of its original civil jurisdiction; and all the provisions of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) and the Rules of the Court (including provisions as to the furnishing of security and the execution of any order of the Court) shall, so far as may be, apply in relation to such appeal.

(2) As soon as an appeal is decided, the Supreme Court shall intimate the substance of the decision to the Election Commission and the Speaker or Chairman, as the case may be, of the House of Parliament or of the State Legislature concerned and as soon as may be thereafter shall send to the Election Commission an authenticated copy of the decision; and upon its receipt, the Election Commission shall—

(a) forward copies thereof to the authorities to which copies of the order of the High Court were forwarded under section 160; and

(b) cause the decision to be published in the Gazette or Gazettes in which that order was published under the said section.]]

1. Subs. by Act 47 of 1966, s. 49, for "the Tribunal" (w.e.f. 14-12-1966).

2. Ins. by Act 27 of 1956, s. 62.

3. Subs. by Act 47 of 1966, s. 50, for ss. 116A and 116B (w.e.f. 14-12-1966).

प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर कर सकेगा और ऐसे निबन्धनों पर, जैसे ¹[उच्च न्यायालय] ठीक समझता हो, कार्यवाही को चालू रखने का हकदार होगा।

²[अध्याय 4क—अपीलें

³[116क. उच्चतम न्यायालय में अपीलें—(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी उच्च न्यायालय द्वारा धारा 98 या धारा 99 के अधीन किए गए हर आदेश से किसी भी प्रश्न पर (चाहे वह विधि का हो या तथ्य का) अपील उच्चतम न्यायालय में होगी।

(2) इस अध्याय के अधीन हर अपील उच्च न्यायालय के धारा 98 या धारा 99 के अधीन के आदेश की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर की जाएगी :

परन्तु यदि उच्चतम न्यायालय का समाधान हो जाता है कि ऐसी कालावधि के भीतर अपील प्रस्तुत न करने के लिए अरीनार्थी के पास पर्याप्त हेतुक था तो वह तीस दिन की उक्त कालावधि के अवसान के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा।

116ख. उच्च न्यायालय के आदेश के प्रवर्तन को रोकना—(1) उच्च न्यायालय द्वारा धारा 98 या धारा 99 के अधीन किए गए किसी आदेश के प्रवर्तन को रोकने के लिए आवेदन, उस आदेश से अपील करने के लिए अनुज्ञात समय के अवसान के पूर्व उच्च न्यायालय को किया जा सकेगा और उच्च न्यायालय, पर्याप्त हेतुक के दशित किए जाने पर और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जैसी वह ठीक समझे, उस आदेश के प्रवर्तन को रोक सकेगा; किन्तु उच्चतम न्यायालय को अपील कर देने के पश्चात्, रोकने के लिए कोई भी आवेदन, उच्च न्यायालय को नहीं किया जाएगा।

(2) जहां कि धारा 98 या धारा 99 के अधीन किए गए आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, वहां उच्चतम न्यायालय, पर्याप्त हेतुक दशित किए जाने पर और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जैसी वह ठीक समझे, उस आदेश के प्रवर्तन को, जिसकी अपील की गई है, रोक सकेगा।

(3) जहां किसी आदेश का प्रवर्तन, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा रोकना जाता है, वहां उस आदेश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह धारा 107 की उपधारा (1) के अधीन कभी भी प्रभावी नहीं हुआ; और उस रोक आदेश की एक प्रति, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचन आयोग को और, यथास्थिति, संसद् के या सम्पूक्त राज्य विधान-मण्डल के सदन के अध्यक्ष या सभापति को तुरन्त भेजी जाएगी।

116ग. अपील में प्रक्रिया—(1) इस अधिनियम के और तदधीन बनाए गए नियमों के, यदि कोई हों, उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए हर अपील उच्चतम न्यायालय द्वारा उस प्रक्रिया के यथाशक्य निकटतम अनुसार सुनी और अवधारित की जाएगी जो ऐसी अपील की मुनवाई और अवधारण को लागू होती है जो उच्च न्यायालय द्वारा उसकी मूल सिविल अधिकारिता के प्रयोग में पारित किसी अन्तिम आदेश से की जाए और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के और उस न्यायालय के नियमों के सभी उपबन्ध (जिनके अन्तर्गत प्रतिभूति देने और न्यायालय के किसी आदेश के निष्पादन से सम्बद्ध उपबन्ध आते हैं) ऐसी अपील के संबंध में यावत्शक्य लागू होंगे।

(2) ज्यों ही अपील विनिश्चित की जाए त्यों ही उच्चतम न्यायालय, विनिश्चय का सार, निर्वाचन आयोग को और, यथास्थिति, संसद् के या सम्पूक्त राज्य विधान-मण्डल के सदन के अध्यक्ष या सभापति को प्रज्ञापित करेगा और तत्पश्चात्, यथाशक्यशीघ्र, विनिश्चय की एक अधिप्रमाणीकृत प्रति निर्वाचन आयोग को भेजेगा, और उसकी प्राप्ति पर निर्वाचन आयोग—

(क) उनकी प्रतिधां उन प्राधिकारियों को भेजेगा जिनको उच्च न्यायालय के आदेश की प्रतियां धारा 106 के अधीन भेजी गई थीं; तथा

(ख) उस विनिश्चय को उस राजपत्र में या उन राजपत्रों में प्रकाशित करवाएगा जिसमें या जिनमें वह आदेश उक्त धारा के अधीन प्रकाशित किया गया था।]]

1. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 49 द्वारा "न्यायाधिकरण" के स्थान पर (14-12-1966 से) प्रतिस्थापित।

2. 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 62 द्वारा अन्तःस्थापित।

3. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 50 द्वारा 116क और 116ख धाराएं (14-12-1966 से) प्रतिस्थापित।

117. Security for costs.—(1) At the time of presenting an election petition, the petitioner shall deposit in the High Court in accordance with the Rules of the High Court a sum of two thousand rupees as security for the costs of the petition.

(2) During the course of the trial of an election petition, the High Court may, at any time, call upon the petitioner to give such further security for costs as it may direct.

118. Security for costs from a respondent.—No person shall be entitled to be joined as a respondent under sub-section (4) of section 86 unless he has given such security for costs as the High Court may direct.

119. Costs.—Costs shall be in the discretion of the High Court :

Provided that where a petition is dismissed under clause (a) of section 98, the returned candidate shall be entitled to the costs incurred by him in contesting the petition and accordingly the High Court shall make an order for costs in favour of the returned candidate.]

121. Payment of costs out of security deposits and return of such deposits.—(1) If in any order as to costs under the provisions of this Part there is a direction for payment of costs by any party to any person, such costs shall, if they have not been already paid, be paid in full, or so far as possible, out of the security deposit and the further security deposit, if any, made by such party under this part on an application made in writing in that behalf ²[within a period of one year, from the date of such order] to ³[the High Court] by the person in whose favour the costs have been awarded.

(2) If there is any balance left of any of the said security deposits after payment under sub-section (1) of the costs referred to in that sub-section, such balance, or where no costs have been awarded or no application as aforesaid has been made within the said period of ⁴[one year] the whole of the said security deposits may, on an application made in that behalf in writing to ⁵[the High Court] by the person by whom the deposits have been made, or if such person dies after making such deposits by legal representative of such person, be returned to the said person or to his legal representative, as the case may be.

122. Execution of orders as to costs.—Any order as to costs under the provisions of this Part may be produced before the principal civil court of original jurisdiction within the local limits of whose jurisdiction any person directed by such order to pay any sum of money has a place of residence or business, or where such place is within a presidency-town, before the court of small causes having jurisdiction there, and such court shall execute the order or cause the same to be executed in the same manner and by the same procedure as if it were a decree for the payment of money made by itself in a suit:

Provided that where any such costs or any portion thereof may be recovered by an application made under sub-section (1) of section 121, no application shall lie under this section ⁶[within a period of one year from the date of such order] unless it is for the recovery of the balance of any costs which has been left unrealised after an application has been made under that sub-section owing to the insufficiency of the amount of the security deposits referred to in that sub-section.

1. Subs. by Act 47 of 1966, s. 51, for ss. 117, 118, 119, 119A and 120 (w.e.f. 14-12-1966).

2. Subs. by Act 58 of 1958, s. 34, for certain words.

3. Subs. by Act 47 of 1966, s. 52, for "the Election Commission" (w.e.f. 14-12-1966).

4. Subs. by Act 58 of 1958, s. 34, for "six months".

5. Subs. by s. 35, *ibid.*, for certain words.

अध्याय 5—खर्च और खर्चों के लिए प्रतिभूति

117. खर्चों के लिए प्रतिभूति—(1) निर्वाचन अर्जी के उपस्थापन के समय अर्जीदार उच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार अर्जी के खर्चों के लिए प्रतिभूति के रूप में दो हजार रुपए की राशि का निक्षेप उच्च न्यायालय में करेगा।

(2) निर्वाचन अर्जी के विचारण के दौरान उच्च न्यायालय किसी भी समय अर्जीदार से खर्चों के लिए ऐसी अतिरिक्त प्रतिभूति देने की अपेक्षा कर सकेगा जैसी वह निर्दिष्ट करे।

118. प्रत्यर्थी से खर्चों के लिए प्रतिभूति—जब तक किसी व्यक्ति ने खर्चों के लिए ऐसी प्रतिभूति न दे दी हो, जैसी उच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट की जाए, तब तक वह व्यक्ति धारा 86 की उपधारा (4) के अधीन प्रत्यर्थी के रूप में संयोजित किए जाने का हकदार नहीं होगा।

119. खर्च—खर्चों का अधिनिर्णय उच्च न्यायालय के विवेकाधीन होगा :

परन्तु जहां कि अर्जी धारा 98 के खण्ड (क) के अधीन खारिज की जाती है, वहां निर्वाचित अभ्यर्थी ने अर्जी का प्रतिविरोध करने में जो खर्च उपगत किए हैं उन्हें पाने का वह हकदार होगा और उच्च न्यायालय खर्च का आदेश निर्वाचित अभ्यर्थी के पक्ष में तदनुसार करेगा।]

121. प्रतिभूति निक्षेपों में से खर्चों का संवाय और ऐसे निक्षेपों की वापसी—(1) यदि इस भाग के उपबन्धों के अधीन खर्चों की बाबत किसी आदेश में किसी व्यक्ति को किसी पक्षकार द्वारा खर्चों का संदाय किए जाने के लिए निदेश है तो यदि ऐसे खर्च पहले ही संदत्त कर दिए गए हों तो ऐसे खर्च ऐसे पक्षकार के द्वारा इस भाग के अधीन किए गए प्रतिभूति निक्षेप में से और यदि अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप हो तो उनमें से भी तन्निमित्त उस लिखित आवेदन पर पूर्णतः या भावसाध्य दिए जाएंगे जो उस व्यक्ति ने, जिसके पक्ष में खर्च अधिनिर्णीत किए गए हैं, [ऐसे आदेश की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के भीतर] उच्च न्यायालय से किया है।

(2) यदि उक्त प्रतिभूति निक्षेपों में से किसी में से अतिशेष उपधारा (1) में निर्दिष्ट खर्चों का उस उपधारा के अधीन संदाय करने के पश्चात् बच जाता है, तो ऐसा अतिशेष, या जहां कि खर्च अधिनिर्णीत नहीं किए गए या हैं यथापूर्वोक्त आवेदन [एक वर्ष] की उक्त कालावधि के भीतर नहीं किया गया है वहां उक्त प्रतिभूति निक्षेप पूर्णतः ऐसे आवेदन पर जो उस व्यक्ति द्वारा, जिसने निक्षेप किए हैं, या यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे निक्षेप करने के पश्चात् मर गया है, तो ऐसे व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि द्वारा तन्निमित्त [उच्च न्यायालय] से लिखित रूप में किया गया है, यथास्थिति, उक्त व्यक्ति को या उसके विधिक प्रतिनिधि को वापस कर दिए जाएंगे।

122. खर्चों संबंधी आदेशों का निष्पादन—इस भाग के उपबन्धों के अधीन खर्चों की बाबत कोई आदेश उस आरम्भिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय के समक्ष, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उस व्यक्ति का निवास स्थान या कारवार का स्थान है, जिसमें धन की कोई राशि संदत्त करने के लिए ऐसे आदेश द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, या जहां कि ऐसा स्थान प्रेसिडेंसी नगर के भीतर है वहां उस नगर में अधिकारिता रखने वाले लघुवाद न्यायालय के समक्ष पेश किया जा सकेगा और ऐसा न्यायालय ऐसी रीति में और ऐसी प्रक्रिया द्वारा उस आदेश का निष्पादन करेगा या करायगा मानो वह बाद में धन के संदाय के लिए उसके द्वारा दी गई डिक्री हो :

परन्तु जहां कि कोई ऐसे खर्च या उसका कोई प्रमाण धारा 121 की उपधारा (1) के अधीन किए गए आवेदन पर वसूल किया जा सकता है, वहां जब तक कि कोई आवेदन किन्हीं खर्चों के उस अतिशेष की वसूली के लिए न हों जो उस उपधारा के अधीन किए गए आवेदन के पश्चात् इस कारण अनाप्त रह गया है कि उस उपधारा में निर्दिष्ट प्रतिभूति निक्षेपों की रकम अपर्याप्त है, इस धारा के अधीन कोई आवेदन [ऐसे आदेश की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के भीतर] न होगा।

1. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 51 द्वारा 117, 118, 119, 119क और 120 धारों (14-12-1966 से) प्रतिस्थापित।
2. 1958 के अधिनियम सं० 58 की धारा 34 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 52 द्वारा "निर्वाचन आदेश" के स्थान पर (14-12-1966 से) प्रतिस्थापित।
4. 1958 के अधिनियम सं० 58 की धारा 34 द्वारा "छह मास" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. पूर्वोक्त की धारा 35 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

PART VII

[CORRUPT PRACTICES AND ELECTORAL OFFENCES]

[CHAPTER I.—*Corrupt Practices*]

123. **Corrupt practices.**—The following shall be deemed to be corrupt practices for the purposes of this Act:—

[(1) ‘Bribery’, that is to say—

(A) any gift, offer or promise by a candidate or his agent or by any other person with the consent of a candidate or his election agent of any gratification, to any person whomsoever, with the object, directly or indirectly of inducing—

(a) a person to stand or not to stand as, or [to withdraw or not to withdraw] from being a candidate at an election, or

(b) an elector to vote or refrain from voting at an election, or as a reward to—

(i) a person for having so stood or not stood, or for [having withdrawn or not having withdrawn] his candidature; or

(ii) an elector for having voted or refrained from voting;

(B) the receipt of, or agreement to receive, any gratification, whether as a motive or a reward—

(a) by a person for standing or not standing as, or for [withdrawing or not withdrawing] from being, a candidate; or

(b) by any person whomsoever for himself or any other person for voting or refraining from voting, or inducing or attempting to induce any elector to vote or refrain from voting, or any candidate [to withdraw or not to withdraw] his candidature.

Explanation.—For the purposes of this clause the term “gratification” is not restricted to pecuniary gratifications or gratifications estimable in money and it includes all forms of entertainment and all forms of employment for reward but it does not include the payment of any expenses *bona fide* incurred at, or for the purpose of, any election and duly entered in the account of election expenses referred to in section 78.]

(2) **Undue influence**, that is to say, any direct or indirect interference or attempt to interfere on the part of the candidate or his agent, or of any other person [with the consent of the candidate or his election agent], with the free exercise of any electoral right:

-
1. Subs. by Act 27 of 1956, s. 65, for the heading “CORRUPT AND ILLEGAL PRACTICES AND ELECTORAL OFFENCES”
 2. Subs. by s. 66, *ibid.*, for Chapters I and II (ss. 123 to 125).
 3. Subs. by Act 58 of 1958, s. 36, for cl. (1).
 4. Subs. by Act 47 of 1966, s. 53, for “to withdraw” (w.e.f. 14-12-1966).
 5. Subs. by s. 53, *ibid.*, for “having withdrawn” (w.e.f. 14-12-1966).
 6. Subs. by s. 53, *ibid.*, for “withdrawing” (w.e.f. 14-12-1966).
 7. Ins. by Act 58 of 1958, s. 36.

भाग 7

[भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन अपराध]

[अध्याय 1—भ्रष्ट आचरण]

123. भ्रष्ट आचरण—निम्नलिखित इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भ्रष्ट आचरण समझे जाएंगे—

¹[(1) "रिखत" अर्थात् :—

(क) किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा अथवा किसी अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति को, वञ्चाने जो कोई भी हो, किसी परितोषण का ऐसा दान, प्रस्थापना या वचन, जिसका प्रत्यक्षतः या परतः यह उद्देश्य हो कि—

(क) किसी व्यक्ति को निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या न होने के लिए या अभ्यर्थिता [वापस लेने या न लेने के लिए], अथवा

(ख) किसी निर्वाचक को किसी निर्वाचन में मत देने के या मत देने से विरत रहने के लिए, उत्प्रेरित किया जाए,

अथवा जो—

(i) किसी व्यक्ति के लिए इस बात से कि वह इस प्रकार खड़ा हुआ या नहीं हुआ या उसने अपनी अभ्यर्थिता [वापस ले ली या नहीं ली], अथवा

(ii) किसी निर्वाचक के लिए इस बात के कि उसने मत दिया या मत देने से विरत रहा, इनाम के रूप में हो;

(ख) (क) व्यक्ति द्वारा अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या खड़े न होने या अभ्यर्थिता [वापस लेने या न लेने के लिए;] या

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा, वह चाहे जो कोई हो; स्वयं अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, मतदान करने या मतदान करने से विरत रहने या किसी अभ्यर्थी को अभ्यर्थिता [वापस लेने या न लेने के लिए] उत्प्रेरित करने या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करने के लिए,

जाहे हेतुक के रूप में या इनामवत् कोई परितोषण प्राप्त करना या प्राप्त करने के लिए करार करना।

स्पष्टीकरण—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए "परितोषण" पद धन रूपी परितोषणों या धन में प्राक्कलनीय परितोषणों तक ही निबन्धित नहीं है और इसके अन्तर्गत सब रूप के मनोरंजन और इनाम के लिए सब रूप के नियोज आते हैं किन्तु किसी निर्वाचन में या निर्वाचन के प्रयोजन के लिए सद्भावपूर्वक उपगत और धारा 78 में निर्दिष्ट निर्वाचन व्यर्थों के लेखों में सम्यक् रूप से प्रविष्ट किन्हीं व्यर्थों के संदाय इसके अन्तर्गत नहीं आते हैं।]

(2) असम्यक् असर डालना, अर्थात् किसी निर्वाचन अधिकार के स्वतन्त्र प्रयोग में अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता की या [अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से] किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किया गया कोई प्रत्यक्षतः या परतः हस्तक्षेप या हस्तक्षेप का प्रयत्न :

1. 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 65 द्वारा "भ्रष्ट और अवैध आचरण और निर्वाचन अपराध" शीर्षक के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. पूर्वोक्त की धारा 66 द्वारा अध्याय 1 और 2 (123 से 125 तक की धाराओं) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. 1958 के अधिनियम सं० 58 की धारा 36 द्वारा खंड (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 53 द्वारा "वापस लेने" के स्थान पर (14-12-1966 से) प्रतिस्थापित।
5. पूर्वोक्त की धारा 53 द्वारा "वापस ले ली" के स्थान पर (14-12-1966 से) प्रतिस्थापित।
6. पूर्वोक्त की धारा 53 द्वारा "वापस लेने के लिए" के स्थान पर (14-12-1966 से) प्रतिस्थापित।
7. 1958 के अधिनियम सं० 58 की धारा 36 द्वारा अन्तःस्थापित।

Provided that—

(a) without prejudice to the generality of the provisions of this clause any such person as is referred to therein who—

(i) threatens any candidate or any elector, or any person in whom a candidate or an elector interested, with injury of any kind including social ostracism and ex-communication or expulsion from any caste or community; or

(ii) induces or attempts to induce a candidate or an elector to believe that he, or any person in whom he is interested, will become or will be rendered an object of divine displeasure or spiritual censure,

shall be deemed to interfere with the free exercise of the electoral right of such candidate or elector within the meaning of this clause;

(b) a declaration of public policy, or a promise of public action, or the mere exercise of a legal right without intent to interfere with an electoral right, shall not be deemed to be interference within the meaning of this clause.

¹(3) The appeal by a candidate or his agent or by any other person with the consent of a candidate or his election agent to vote or refrain from voting for any person on the ground of his religion, race, caste, community or language or the use of, or appeal to religious symbols or the use of, or appeal to, national symbols, such as the national flag or the national emblem, for the furtherance of the prospects of the election of that candidate or for prejudicially affecting the election of any candidate :

²[Provided that no symbol allotted under this Act to a candidate shall be deemed to be a religious symbol or a national symbol for the purposes of this clause.]

(3A) The promotion of, or attempt to promote, feelings of enmity or hatred between different classes of the citizens of India on grounds of religion, race, caste, community, or language, by a candidate or his agent or any other person with the consent of a candidate or his election agent for the furtherance of the prospects of the election of that candidate or for prejudicially affecting the election of any candidate.]

³(3B) The propagation of the practice or the commission of *sati* or its glorification by a candidate or his agent or any other person with the consent of the candidate or his election agent for the furtherance of the prospects of the election of that candidate or for prejudicially affecting the election of any candidate.

Explanation.—For the purposes of this clause, “*sati*” and “glorification” in relation to *sati* shall have the meanings respectively assigned to them in the Commission of Sati (Prevention) Act, 1987.]

(4) The publication by a candidate or his agent or by any other person ⁴[with the consent of a candidate or his election agent], of any statement of fact which is false, and which he either believes to be false or does not believe to be true, in relation to the personal character or conduct of any candidate, or in relation to the candidature, or withdrawal, ⁵***of any candidate, being a statement reasonably calculated to prejudice the prospects of that candidate’s election.

(5) The hiring or procuring, whether on payment or otherwise, of any vehicle or vessel by a candidate or his agent or by any other person ⁶[with the consent of a candidate or his election agent], ⁷[or the use of such vehicle or vessel for the free conveyance] of any elector (other than the candidate himself, the members of his family or his agent) to or from any polling station provided under section 25 or a place fixed under sub-section (1) of section 29 for the poll :

1. Subs. by Act 40 of 1961, s. 23, for cl. (3) (w.e.f. 20-9-1961).

2. Ins. by Act 40 of 1975, s. 8 (retrospectively).

3. Ins. by Act 3 of 1988, s. 19 (w.e.f. 21-3-1988).

4. Ins. by Act 58 of 1958, s. 36.

5. The words “or retirement from contest” omitted by s. 36, *ibid*.

6. Ins. by s. 36, *ibid*.

7. Subs. by Act 47 of 1966, s. 53, for “for the conveyance” (w.e.f. 14-12-1966).

परन्तु—

(क) इस खण्ड के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसमें यथानिर्दिष्ट ऐसे किसी व्यक्ति की बाधत जो—

(i) किसी अभ्यर्थी या किसी निर्वाचक या ऐसे किसी व्यक्ति को, जिससे अभ्यर्थी या निर्वाचक हितबद्ध है, किसी प्रकार की क्षति, जिसके अन्तर्गत सामाजिक बहिष्कार और किसी जाति या समुदाय से बाहर करना या निष्कासन आता है, पहुँचाने की धमकी देता है, अथवा

(ii) किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि वह या कोई ऐसा व्यक्ति, जिससे वह हितबद्ध है, दैवी अप्रसाद या आध्यात्मिक परिनिन्दा का भाजन हो जाएगा या बना दिया जाएगा,

यह समझा जाएगा कि वह ऐसे अभ्यर्थी या निर्वाचक के निर्वाचन अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में इस खण्ड के अर्थ के अन्दर हस्तक्षेप करता है;

(ख) लोकनीति की घोषणा या लोक कार्यवाही का वचन या किसी वैध अधिकार या प्रयोगमात्र, जो किसी निर्वाचन अधिकार में हस्तक्षेप करने के आशय के बिना है, इस खंड के अर्थ के अन्दर हस्तक्षेप करना नहीं समझा जाएगा ।

1[(3) किसी व्यक्ति के धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए मत देने या मत देने से विरत रहने की अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपील या उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अपसर करने के लिए या किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए धार्मिक प्रतीकों का उपयोग या उनकी दुहाई या राष्ट्रीय प्रतीक तथा राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय संप्रतीक का उपयोग या दुहाई :

2[परन्तु इस अधिनियम के अधीन किसी अभ्यर्थी को आर्बिट्रि कोई प्रतीक इस खंड के प्रयोजनों के लिए धार्मिक प्रतीक या राष्ट्रीय प्रतीक नहीं समझा जाएगा।]

(3क) किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अपसर करने के लिए या किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए शत्रुता या घृणा की भावनाएं भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर संप्रवर्तन या संप्रवर्तन का प्रयत्न करना ।]

3[(3ख) किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अपसर करने के लिए या किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए सती की प्रथा या उसके कर्म का प्रचार या उसका गौरवान्वयन ।

स्पष्टीकरण—इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए, “सती कर्म” और सती कर्म के संबंध में “गौरवान्वयन” के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो सती (निवारण) अधिनियम, 1987 में हैं ।]

(4) किसी अभ्यर्थी के वैयक्तिक शील या आचरण के सम्बन्ध में या किसी अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता या अभ्यर्थिता वापस लेने के सम्बन्ध में या अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा या 4[अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से] किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे तथ्य के कथन का प्रकाशन जो मिथ्या है और या तो जिसके मिथ्या होने का उसको विश्वास है या जिसके सत्य होने का वह विश्वास नहीं करता है और जो उस अभ्यर्थी के 5*** निर्वाचन की सम्भाव्यताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए युक्तियुक्त रूप से प्रकल्पित कथन है।

(5) धारा 25 के अधीन उपबन्धित किसी मतदान केन्द्र या मतदान के लिए धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन नियत स्थान को या से (स्वयं अभ्यर्थी, उसके कुटुम्ब के सदस्य या उसके अभिकर्ता से मिन) किसी निर्वाचक के 7[मुक्त प्रवहण के लिए किसी यान या जलयान को अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा या 6[अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से] किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संदाय करके या अन्यथा, माड़े पर लेना या उपाप्त करना अथवा 6[ऐसे यान या जलयान का उपयोग करना]:

1. 1961 के अधिनियम सं० 40 की धारा 23 द्वारा खण्ड (3) के स्थान पर (20-9-1961 से) प्रतिस्थापित ।
2. 1975 के अधिनियम सं० 40 की धारा 8 द्वारा (मूलसूची प्रभाव से) अन्तःस्थापित ।
3. 1988 के अधिनियम सं० 3 की धारा 19 द्वारा (21-3-1988 से) अन्तःस्थापित ।
4. 1958 के अधिनियम सं० 58 की धारा 36 द्वारा अन्तःस्थापित ।
5. 1958 के अधिनियम सं० 58 की धारा 36 द्वारा “या निर्वाचन लड़ने से हट जाने” शब्दों का लोप किया गया ।
6. पूर्वोक्त की धारा 36 द्वारा अन्तःस्थापित ।
7. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 53 द्वारा “प्रवहण के लिए” के स्थान पर (14-12-1966 से) प्रतिस्थापित ।

(PART II.—Acts of Parliament)

Provided that the hiring of a vehicle or vessel by an elector or by several electors at their joint costs for the purpose of conveying him or them to and from any such polling station or place fixed for the poll shall not be deemed to be a corrupt practice under this clause if the vehicle or vessel so hired is a vehicle or vessel not propelled by mechanical power:

Provided further that the use of any public transport vehicle or vessel or any tramcar or railway carriage by any elector at his own cost for the purpose of going to or coming from any such polling station or place fixed for the poll shall not be deemed to be a corrupt practice under this clause.

Explanation.—In this clause, the expression “vehicle” means any vehicle used or capable of being used for the purpose of road transport, whether propelled by mechanical power or otherwise and whether used for drawing other vehicles or otherwise.

(6) The incurring or authorizing of expenditure in contravention of section 77.

(7) The obtaining or procuring or abetting or attempting to obtain or procure by a candidate or his agent or, by any other person ¹[with the consent of a candidate or his election agent], any assistance (other than the giving of vote) for the furtherance of the prospects of that candidate’s election, from any person in the service of the Government and belonging to any of the following classes, namely:—

- (a) gazetted officers;
- (b) stipendiary judges and magistrates;
- (c) members of the armed forces of the Union;
- (d) members of the police forces;
- (e) excise officers;

²[(f) revenue officers other than village revenue officers known as lambardars, malguzars, patels, desh mukhs or by any other name, whose duty is to collect land revenue and who are remunerated by a share of, or commission on, the amount of land revenue collected by them but who do not discharge any police functions; and]

(g) such other class of persons in the service of the Government as may be prescribed :

³[Provided that where any person, in the service of the Government and belonging to any of the classes aforesaid, in the discharge or purported discharge of his official duty, makes any arrangements or provides any facilities or does any other act or thing, for, to, or in relation to, any candidate or his agent or any other person acting with the consent of the candidate or his election agent (whether by reason of the office held by the candidate or for any other reason), such arrangements, facilities or act or thing shall not be deemed to be assistance for the furtherance of the prospects of that candidate’s election.]

⁴[(8) Booth capturing by a candidate or his agent or other person.]

1. Ins. by Act 58 of 1958, s. 36.

2. Subs. by s. 36, *ibid.*, for sub-clause (f).

3. Ins. by Act 40 of 1975, s. 8 (retrospectively).

4. Ins. by Act 1 of 1989, s. 13 (w.e.f. 15-3-1989).

परन्तु यदि निर्वाचक या कई निर्वाचकों द्वारा अपने संयुक्त खर्च पर अपने को किसी ऐसे मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान को या से प्रवहित किए जाने के प्रयोजन के लिए यान या जलयान भाड़े पर लिया गया है, तो यदि यान या जलयान यांत्रिक शक्ति से प्रचलित न होने वाला है तो ऐसे यान या जलयान के भाड़े पर लिए जाने की बात यह न समझा जाएगा कि वह भ्रष्ट आचरण है :

परन्तु यह और भी कि किसी ऐसे मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान को जाने या वहां से आने के प्रयोजन के लिए अपने ही खर्च पर किसी निर्वाचक द्वारा किसी लोक परिवहन यान या जलयान या किसी ट्राम या रेलगाड़ी के उपयोग की बात यह न समझा जाएगा कि वह इस खण्ड के अधीन भ्रष्ट आचरण है ।

स्पष्टीकरण—इस खण्ड में "यान" से ऐसा कोई यान अभिप्रेत है जो सड़क परिवहन के लिए उपयोग में लाया जाता है या उपयोग में लाए जाने के योग्य है चाहे वह यांत्रिक शक्ति से या अन्यथा प्रचलित हो और चाहे अन्य यानों को खींचने के लिए या अन्यथा उपयोग में लाया जाता हो ।

(6) धारा 77 के उल्लंघन में ब्यय उपगत करना या प्राधिकृत करना ।

(7) सरकार की सेवा में के और निम्नलिखित वर्गों में से, अर्थात् :—

- (क) राजपत्रित आफिसरों,
- (ख) साम्बलिक न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों,
- (ग) संघ के शस्त्र बलों के सदस्यों,
- (घ) पुलिस बलों के सदस्यों,
- (ङ) उत्पाद-शुल्क आफिसरों,

1[(च) राजस्व आफिसर, जो लम्बरदार, पटेल, देशमुख के रूप में या किसी अन्य नाम से ज्ञात ग्राम राजस्व आफिसरों से भिन्न है, जिनका कर्तव्य भू-राजस्व संगृहीत करना है और जिनको पारिश्रमिक अपने द्वारा संगृहीत भू-राजस्व की रकम के अंश या उस पर कमीशन द्वारा मिलता है किन्तु जो किन्हीं पुलिस कृत्यों का निर्वहन नहीं करते, और]

(छ) सरकार की सेवा में के ऐसे अन्य व्यक्ति वर्ग जैसे विहित किए जाएं,

में से किसी वर्ग में के किसी व्यक्ति से अभ्यर्थी के निर्वाचन को सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए (मत देने से अन्यथा) कोई सहायता अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा या [अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से] किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभिप्राप्त या उपाप्त किया जाना या अभिप्राप्त या उपाप्त करने का दुष्प्रेरण या प्रयत्न करना :

2[परन्तु सरकार की सेवा में का और पूर्वोक्त वर्गों में से किसी वर्ग में का कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता, या उस अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के लिए या उसके सम्बन्ध में अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन या तात्पर्यित निर्वहन में (चाहे अभ्यर्थी द्वारा धारित पद के कारण या किसी अन्य कारणवश) कोई इन्तजाम करता है या कोई सुविधा देता है या कोई अन्य कार्य या बात करता है तो ऐसा इन्तजाम, सुविधा या कार्य या बात उस अभ्यर्थी के निर्वाचन को सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए सहायता नहीं समझी जाएगी ।]

3[(8) अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति द्वारा बूथ का बलात् ग्रहण ।]

1. 1958 के अधिनियम सं० 58 की धारा 36 द्वारा उपखण्ड (घ) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 36 द्वारा अन्तःस्थापित ।
3. 1975 के अधिनियम सं० 40 की धारा 8 द्वारा (भूतलसी प्रभाव से) अन्तःस्थापित ।
4. 1989 के अधिनियम सं० 1 की धारा 13 द्वारा (15-3-1989 से) अन्तःस्थापित ।

(PART II.—Acts of Parliament)

Explanation.—(1) In this section the expression “agent” includes an election agent, a polling agent and any person who is held to have acted as an agent in connection with the election with the consent of the candidate.

(2) For the purposes of clause (7), a person shall be deemed to assist in the furtherance of the prospects of a candidate’s election if he acts as an election agent¹ of that candidate.]

²[(3) For the purposes of clause (7), notwithstanding anything contained in any other law, the publication in the Official Gazette of the appointment, resignation, termination of service, dismissal or removal from service of a person in the service of the Central Government (including a person serving in connection with the administration of a Union territory) or of a State Government shall be conclusive proof—

(i) of such appointment, resignation, termination of service, dismissal or removal from service, as the case may be, and

(ii) where the date of taking effect of such appointment, resignation, termination of service, dismissal or removal from service, as the case may be, is stated in such publication, also of the fact that such person was appointed with effect from the said date, or in the case of resignation, termination of service, dismissal or removal from service such person ceased to be in such service with effect from the said date.]

³[(4) For the purposes of clause (8), “booth capturing” shall have the same meaning as in section 135A.]

CHAPTER III.—*Ectoral Offences*

125. Promoting enmity between classes in connection with election.—Any person who in connection with an election under this Act promotes or attempts to promote on grounds of religion, race, caste, community or language, feelings of enmity or hatred, between different classes of the citizens of India shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.]

126. Prohibition of public meetings on the day preceding the election day and on the election day.—⁴[(1) No person shall convene, hold or attend any public meeting in any polling area during the period of forty-eight hours ending with the hour fixed for the conclusion of the poll for any election in that polling area.]

(2) Any person who contravenes the provisions of sub-section (1) shall be punishable with fine which may extend to two hundred and fifty rupees.

127. Disturbances at election meetings.—(1) Any person who at a public meeting to which this section applies acts, or incites others to act, in a disorderly manner for the purpose of preventing the transaction of the business for which the meeting was called together, ⁵[shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.]

(2) This section applies to any public meeting of a political character held in any constituency between the date of the issue of a notification under this Act calling upon the constituency to elect a member or members and the date on which such election is held.

1. The words “or a polling agent or a counting agent” omitted by Act 47 of 1966, s. 53 (w.e.f. 14-12-1966).

2. Added by Act 40 of 1975, s. 8 (retrospectively).

3. Ins. by Act 1 of 1989, s. 13 (w.e.f. 15-3-1989).

4. Ins. by Act 40 of 1961, s. 24 (w.e.f. 20-9-1961).

5. Subs. by Act 47 of 1966, s. 54, for sub-section (1) (w.e.f. 14-12-1966).

6. Subs. by Act 1 of 1989, s. 14, for certain words (w.e.f. 15-3-1989).

स्पष्टीकरण—(1) निर्वाचन अधिकर्ता, मतदान अधिकर्ता और ऐसा कोई व्यक्ति जिसका बाबत यह उद्घरण जाए कि उसने अभ्यर्थी की सम्पत्ति से निर्वाचन के सम्बन्ध में अधिकर्ता के रूप में कार्य किया है इस धारा में के “अधिकर्ता” पद के अन्तर्गत आते हैं।

(2) यदि किसी व्यक्ति ने अभ्यर्थी के निर्वाचन अधिकर्ता***के रूप में कार्य किया है, तो खण्ड (7) के प्रयोजनों के लिए उस व्यक्ति की बाबत यह समझा जाएगा कि उसने उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अप्रसर करने में सहायता दी है।]

§(3) खण्ड (7) के प्रयोजनों के लिए, किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति को (जिसके अन्तर्गत किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन के सम्बन्ध में सेवा करने वाला व्यक्ति भी है) या किसी राज्य सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति की नियुक्ति, पदत्याग, सेवा के पर्यवसान, पदच्युति या सेवा से हटाए जाने का शासकीय राजपत्र में प्रकाशन—

(i) यथास्थिति, ऐसी नियुक्ति, पदत्याग, सेवा के पर्यवसान, पदच्युति या सेवा से हटाए जाने का निश्चयक सबूत होगा, और

(ii) जहां, यथास्थिति, ऐसी नियुक्ति, पदत्याग, सेवा के पर्यवसान, पदच्युति, या सेवा से हटाए जाने के प्रभावशील होने की तारीख ऐसे प्रकाशन में कथित है वहां इस तथ्य का भी निश्चयक सबूत होगा कि ऐसा व्यक्ति उक्त तारीख से नियुक्त किया गया था या पदत्याग, सेवा के पर्यवसान, पदच्युति या सेवा से हटाए जाने की दशा में ऐसा व्यक्ति उक्त तारीख से ऐसी सेवा में नहीं रहा था।]

§(4) खण्ड (8) के प्रयोजनों के लिए “वृद्ध का बलात् ग्रहण” का वही अर्थ है जो धारा 135B में है।

अध्याय 3—निर्वाचन अपराध

125. निर्वाचन के संबंध में वगों के बीच शत्रुता सम्प्रवर्तित करना—जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन होने वाले निर्वाचन के सम्बन्ध में शत्रुता या घृणा की भावनाएं भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधारों पर संप्रवर्तित करेगा या संप्रवर्तित करने का प्रयत्न करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।]

126. निर्वाचन से पूर्ववर्ती दिन और निर्वाचन के दिन सार्वजनिक सभाओं का प्रतिषेध—[(1) कोई भी व्यक्ति किसी मतदान क्षेत्र में, उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की सम्पत्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान कोई सार्वजनिक सभा न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा।]

(2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, वह जमाने से, जो द्वाइ सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

127. निर्वाचन सभाओं में उपद्रव—(1) जो कोई व्यक्ति ऐसी सार्वजनिक सभा में जिसके सम्बन्ध में यह धारा लागू है, उस कारबार के संव्यवहार को निवारित करने के प्रयोजन के लिए जिसके लिए वह सभा बुलाई गई है, विच्छिन्नत्व से कार्य करेगा या दूसरों को कार्य करने के लिए उद्दीप्त करेगा, [वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।]

(2) यह धारा राजनीतिक प्रकृति की किसी ऐसी सार्वजनिक सभा को लागू है जो सदस्य या सदस्यों का निर्वाचित करने के लिए निर्वाचन-क्षेत्र से अंशकाल करने वाली इस अधिनियम के अधीन निकाली गई अधिसूचना की तारीख के और उस तारीख के बीच, जिस तारीख को ऐसा निर्वाचन होता है, उस निर्वाचन-क्षेत्र में की गई है।

1. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 53 द्वारा “या मतदान अधिकर्ता या गणन अधिकर्ता” शब्दों का (14-12-1966 से) संशोधन किया गया।

2. 1975 के अधिनियम सं० 40 की धारा 8 द्वारा (भूतलजी प्रभाव से) जोड़ा गया।

3. 1989 के अधिनियम सं० 1 की धारा 13 द्वारा (15-3-1989 से) संशोधित।

4. 1961 के अधिनियम सं० 40 की धारा 24 द्वारा (20-9-1961 से) संशोधित।

5. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 54 द्वारा उपधारा (1) के स्थान पर (14-12-1966 से) प्रतिस्थापित।

6. 1989 के अधिनियम सं० 1 की धारा 14 द्वारा (15-3-1989 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(PART II.—Acts of Parliament)

(3) If any police officer reasonably suspects any person of committing an offence under sub-section (1), he may, if requested so to do by the chairman of the meeting, require that person to declare to him immediately his name and address and, if that person refuses or fails so to declare his name and address, or if the police officer reasonably suspects him of giving a false name or address, the police officer may arrest him without warrant.

127A. Restrictions on the printing of pamphlets, posters, etc.—(1) No person shall print or publish, or cause to be printed or published, any election pamphlet or poster which does not bear on its face the names and addresses of the printer and the publisher thereof.

(2) No person shall print or cause to be printed any election pamphlet or poster—

(a) unless a declaration as to the identity of the publisher thereof, signed by him and attested by two persons to whom he is personally known, is delivered by him to the printer in duplicate; and

(b) unless, within a reasonable time after the printing of the document, one copy of the declaration is sent by the printer, together with one copy of the document,—

(i) where it is printed in the capital of the State, to the Chief Electoral Officer; and

(ii) in any other case, to the district magistrate of the district in which it is printed.

(3) For the purposes of this section,—

(a) any process for multiplying copies of a document, other than copying it by hand, shall be deemed to be printing and the expression "printer" shall be construed accordingly; and

(b) "election pamphlet or poster" means any printed pamphlet, hand-bill or other document distributed for the purpose of promoting or prejudicing the election of a candidate or group of candidates or any placard or poster having reference to an election, but does not include any hand-bill, placard or poster merely announcing the date, time, place and other particulars of an election meeting or routine instructions to election agents or workers.

(4) Any person who contravenes any of the provisions of sub-section (1) or sub-section (2) shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to two thousand rupees, or with both.]

128. Maintenance of secrecy of voting.—(1) Every officer, clerk, agent or other person who performs any duty in connection with the recording or counting of votes at an election shall maintain, and aid in maintaining, the secrecy of the voting and shall not (except for some purpose authorized by or under any law) communicate to any person any information calculated to violate such secrecy.

(2) Any person who contravenes the provisions of sub-section (1) shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine or with both.

(3) यदि कोई पुलिस आफिसर किसी व्यक्ति की वास्तविक व्यक्तिगत रूप से संदेह करता है कि उसने उपधारा (1) के अधीन अपराध किये हैं तो यदि समा के समापति द्वारा उससे ऐसा करने की प्रार्थना की जाए तो वह उस व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगा कि वह तुरन्त अपना नाम और पता बताए और यदि वह व्यक्ति अपना नाम और पता बताने से इनकार करता है या बताने में असफल रहता है या यदि पुलिस आफिसर उसकी वास्तविक व्यक्तिगत रूप से संदेह करता है कि उसने मिथ्या नाम या पता दिया है तो पुलिस आफिसर उसे वारन्ट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा।

[127क. पुस्तिकाओं, पोस्टरों आदि के मुद्रण पर निर्बंधन—(1) कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते न हों मुद्रित या प्रकाशित न करेगा और न मुद्रित या प्रकाशित कराएगा।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर को—

(क) उस दशा में के सिवाय न तो मुद्रित करेगा, और न मुद्रित कराएगा जिसमें वह उसके प्रकाशक की अनन्यता के बारे में अपने द्वारा हस्ताक्षरित और ऐसे ही व्यक्तियों द्वारा जो उसे देख जानते हैं अनुमोदित अतिप्रतीक (चोषणा) मुद्रक को परिवर्तित कर देता है तथा

(ख) उस दशा में के सिवाय न तो मुद्रित करेगा और न मुद्रित कराएगा जिसमें कि मुद्रक चोषणा की एक प्रति दस्तावेज की एक प्रति के समहित—

(i) उस दशा में जिसमें कि वह राज्य की राजधानी में मुद्रित की जाती है, मुख्य निर्वाचन आफिसर को, तथा

(ii) किसी अन्य दशा में उस जिले के जिसमें कि वह मुद्रित की जाती है, जिन्हा मजिस्ट्रेट को दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात् व्यक्तिगत समय के भीतर भेज देता है।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) दस्तावेज की अनेकानेक प्रतियां बनाने की किसी ऐसी प्रक्रिया को वावव जो हाथ से नकल करके ऐसी प्रतियां बनाने से भिन्न है, यह समझा जाएगा कि वह मुद्रण है और "मुद्रक" पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा तथा

(ख) "निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर" से किसी अभ्यर्षी या अभ्यर्षियों के समूह के निर्वाचन को सम्प्रतिष्ठित या प्रतिकूलतः प्रभावित करने के प्रयोजन के लिए पब्लिशित कोई मुद्रित पुस्तिका, पर्चा या अन्य दस्तावेज या निर्वाचन के प्रति निर्देश करने वाला कोई पर्चा या पोस्टर अभिप्रेत है, किन्तु किसी निर्वाचन समा की तारीख, समय, स्थान और अन्य विशिष्टियों को केवल आह्वानित करने वाला या निर्वाचन अधिकारियों या कार्यकर्तियों को चर्चा सम्बन्धी अनुदेश देने वाला कोई पर्चा, पर्चा या पोस्टर इसके अन्तर्गत नहीं आता।

(4) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुमनि से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

128. मतदान की गोपनीयता को बनाए रखना—(1) ऐसा हर आफिसर, लिपिक, अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो निर्वाचन में मतों की अभिलिखित करने या उनकी गणना करने से सम्बन्धित किसी कर्तव्य का प्राशन करता है, मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेगा और बनाए रखने में सहायता करेगा और ऐसी गोपनीयता का अतिक्रमण करने के लिए प्रकल्पित कोई जानकारी किसी व्यक्ति को (किसी विधि के द्वारा या अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के लिए संसूचित करने के सिवाय) संसूचित न करेगा।

(2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुमनि से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

Representation of the People Act, 1951

(PART II.—Acts of Parliament)

129. Officers, etc., at elections not to act for candidates or to influence voting.—(1) No person who is ¹[a district election officer or a returning officer], or an assistant returning officer, or a presiding or polling officer at an election, or an officer or clerk appointed by the returning officer or the presiding officer to perform any duty in connection with an election shall in the conduct or the management of the election do any act (other than the giving of vote) for the furtherance of the prospects of the election of a candidate.

(2) No such person as aforesaid, and no member of a police force, shall endeavour—

- (a) to persuade any person to give his vote at an election, or
- (b) to dissuade any person from giving his vote at an election, or
- (c) to influence the voting of any person at an election in any manner.

(3) Any person who contravenes the provisions of sub-section (1) or sub-section (2) shall be punishable with imprisonment which may extend to six months or with fine or with both.

²[(4) An offence punishable under sub-section (3) shall be cognizable.]

130. Prohibition of canvassing in or near polling stations.—(1) No person shall, on the date or dates on which a poll is taken at any polling station, commit any of the following acts within the polling station or in any public or private place within a distance of ³[one hundred metres] of the polling station, namely:—

- (a) canvassing for votes; or
- (b) soliciting the vote of any elector; or
- (c) persuading any elector not to vote for any particular candidate; or
- (d) persuading any elector not to vote at the election; or
- (e) exhibiting any notice or sign (other than an official notice) relating to the election.

(2) Any person who contravenes the provisions of sub-section (1) shall be punishable with fine which may extend to two hundred and fifty rupees.

(3) An offence punishable under this section shall be cognizable.

131. Penalty for disorderly conduct in or near polling stations.—(1) No person shall, on the date or dates on which a poll is taken at any polling station,—

- (a) use or operate within or at the entrance of the polling station, or in any public or private place in the neighbourhood thereof, any apparatus for amplifying or reproducing the human voice, such as a megaphone or a loudspeaker, or
- (b) shout, or otherwise act in a disorderly manner, within or at the entrance of the polling station or in any public or private place in the neighbourhood thereof,

so as to cause annoyance to any person visiting the polling station for the poll, or so as to interfere with the work of the officers and other persons on duty at the polling station.

(2) Any person who contravenes, or wilfully aids or abets the contravention of, the provisions of sub-section (1) shall be punishable with imprisonment which may extend to three months or with fine or with both.

1. Subs. by Act 47 of 1966, s. 55, for "a returning officer" (w.e.f. 14-12-1966).

2. Ins. by s. 55, *ibid.* (w.e.f. 14-12-1966).

3. Subs. by s. 56, *ibid.*, for "one hundred yards" (w.e.f. 14-12-1966).

129. निर्वाचनों में आफिसर भादि अभ्यर्थियों के लिए कार्य न करेंगे और न मत दिए जाने में कोई प्रसर डालेंगे—

(1) जो [कोई जिला निर्वाचन आफिसर या रिटर्निंग आफिसर] या सहायक रिटर्निंग आफिसर है या निर्वाचन में पीठासीन या मतदान आफिसर है या ऐसा आफिसर है या लिपिक है जिसे रिटर्निंग आफिसर या पीठासीन आफिसर ने निर्वाचन से संसक्त किसी कर्तव्य के पालन के लिए नियुक्त किया है वह निर्वाचन के संचालन या प्रबंध में (मत देने से भिन्न) कोई कार्य अभ्यर्थी के निर्वाचन को सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए न करेगा।

(2) यथापूर्वोक्त कोई भी व्यक्ति और पुलिस बल का कोई भी सदस्य—

(क) न तो किसी व्यक्ति को निर्वाचन में अपना मत देने के लिए मनादे का; और न

(ख) किसी व्यक्ति को निर्वाचन में अपना मत न देने के लिए मनाने का; और न

(ग) निर्वाचन में किसी व्यक्ति के मत देने में किसी रीति के अन्तर डानने का,

प्रयास करेगा।

(3) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

[(4) उपधारा (3) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।]

130. मतदान केन्द्रों में या उनके निकट मत संयाचना का प्रतिषेध—(1) कोई भी व्यक्ति उस तारीख को या उन तारीखों को, जिसको या जिनको किसी मतदान केन्द्र में मतदान होता है, मतदान केन्द्र के भीतर या मतदान केन्द्र से [एक सौ मीटर] की दूरी के भीतर किसी लोक स्थान या प्राइवेट स्थान में निम्नलिखित कार्यों से कोई कार्य न करेगा, अर्थात् :—

(क) मतों के लिए संयाचना ;

(ख) किसी निर्वाचक से उनके मत की याचना करना;

(ग) किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मत न देने को किसी निर्वाचक को मनाना;

(घ) निर्वाचन में मत न देने के लिए किसी निर्वाचक को मनाना; और

(ङ) निर्वाचन के संबंध में (शासकीय सूचना से भिन्न) कोई सूचना संकेत प्रदर्शित करना।

(2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा वह जुर्माने से, जो ढाई सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(3) इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

131. मतदान केन्द्रों में या उनके निकट विच्छुल्ल आचरण के लिए शास्ति—(1) कोई भी व्यक्ति उस तारीख या उन तारीखों को जिनको किसी मतदान केन्द्र में मतदान होता है—

(क) मानव ध्वनि के प्रवर्धन या प्रत्युपादन के लिए कोई मेगाफोन या ध्वनि विस्तारक जैसा साधन मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर या उसके पड़ोस में किसी लोक स्थान या प्राइवेट स्थान में ऐसे न तो उपयोग में लाएगा और न चलाएगा; और न

(ख) मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर या उसके पड़ोस में के किसी लोक स्थान या प्राइवेट स्थान में ऐसे चिल्लाएगा या विच्छुल्लता से ऐसा कोई अन्य कार्य करेगा,

कि मतदान के लिए मतदान केन्द्र में आने वाले किसी व्यक्ति को भीष हो या मतदान केन्द्र में कर्तव्याह्वय आफिसरों या अन्य व्यक्तियों के काम में हस्तक्षेप हो।

(2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन में जानबूझकर सहायता देगा या उसका दुष्प्रेरण करेगा वह कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

1. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 55 द्वारा "रिटर्निंग आफिसर" के स्थान पर (14-12-1966 से) प्रतिस्थापित।

2. पूर्वोक्त की धारा 55 द्वारा (14-12-1966 से) प्रस्तुतस्थापित।

3. पूर्वोक्त की धारा 56 द्वारा "एक सौ गज" के स्थान पर (14-12-1966 से) प्रतिस्थापित।

(PART II.—Acts of Parliament)

(3) If the presiding officer of a polling station has reason to believe that any person is committing or has committed an offence punishable under this section, he may direct any police officer to arrest such person; and thereupon the police officer shall arrest him.

(4) Any police officer may take such steps, and use such force, as may be reasonably necessary for preventing any contravention of the provisions of sub-section (1), and may seize any apparatus used for such contravention.

132. Penalty for misconduct at the polling station.—(1) Any person who during the hours fixed for the poll at any polling station misconducts himself or fails to obey the lawful directions of the presiding officer may be removed from the polling station by the presiding officer or by any police officer on duty or by any person authorized in this behalf by such presiding officer.

(2) The powers conferred by sub-section (1) shall not be exercised so as to prevent any elector who is otherwise entitled to vote at a polling station from having an opportunity of voting at that station.

(3) If any person who has been so removed from a polling station re-enters the polling station without the permission of the presiding officer, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine, or with both.

(4) An offence punishable under sub-section (3) shall be cognizable.

[132A. Penalty for failure to observe procedure for voting.—If any elector to whom a ballot paper has been issued, refuses to observe the procedure prescribed for voting the ballot paper issued to him shall be liable for cancellation.]

133. Penalty for illegal hiring or procuring of conveyances at selections.—If any person is guilty of any such corrupt practice as is specified in [clause (5)] of section 123 at or in connection with an election, he shall be punishable with fine which may extend to [one thousand rupees].

134. Breaches of official duty in connection with elections.—(1) If any person to whom this section applies is without reasonable cause guilty of any act or omission in breach of his official duty, he shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees.

[(1A) An offence punishable under sub-section (1) shall be cognizable.]

(2) No suit or other legal proceedings shall lie against any such person for damages in respect of any such act or omission as aforesaid.

(3) The persons to whom this section applies are the * * * [district election officers, returning officers], assistant returning officers, presiding officers, polling officers and any other person appointed to perform any duty in connection with * * * the receipt of nominations or withdrawal of candidatures, or the recording or counting of votes at an election; and the expression "official duty" shall for the purposes of this section be construed accordingly, but shall not include duties imposed otherwise than by or under this Act * * *

1. Ins. by Act 4 of 1986, s. 2 and Sch. (w.e.f. 15-5-1986).

2. Subs. by Act 27 of 1956, s. 68, for "clause (6)".

3. Subs. by Act 47 of 1966, s. 57, for "two hundred and fifty rupees" (w.e.f. 14-12-1966).

4. Ins. by s. 58, *ibid.* (w.e.f. 14-12-1966).

5. Certain words omitted by Act 58 of 1958, s. 37.

6. Subs. by Act 47 of 1966, s. 58, for "returning officers" (w.e.f. 14-12-1966).

7. The words "the preparation of an electoral roll" omitted by Act 58 of 1958, s. 37.

(3) यदि मतदान केन्द्र के पीठासीन आफिसर के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध कर रहा है या कर चुका है, तो वह किसी पुलिस आफिसर को निदेश दे सकेगा कि वह ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करे और पुलिस आफिसर उस पर उसे गिरफ्तार करेगा।

(4) कोई पुलिस आफिसर ऐसे कदम उठा सकेगा और ऐसा बल प्रयोग कर सकेगा जैसे या जैसा उपधारा (1) के उपबन्धों में किसी उल्लंघन का निवारण करने के लिए व्यक्तिगत रूप से आवश्यक है और ऐसे उल्लंघन के लिए उपयोग में लाए गए किसी साधन को अभिगृहीत कर सकेगा।

132. मतदान केन्द्र के अव्यवहार के लिए शास्ति—(1) जो कोई व्यक्ति किसी मतदान केन्द्र में मतदान के लिए नियत घंटों के दौरान स्वयं अव्यवहार करता है या पीठासीन आफिसर के विधिपूर्ण निदेशों के अनुपालन में असफल रहता है, उसे पीठासीन आफिसर या कर्तव्यार्थ कोई पुलिस आफिसर या ऐसे पीठासीन आफिसर द्वारा एतद्विधित प्राधिकृत कोई व्यक्ति मतदान केन्द्र से हटा सकेगा।

(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ ऐसे प्रयुक्त न की जाएंगी जिससे कोई ऐसा निर्वाचक, जो मतदान केन्द्र में मत देने के लिए अन्याया हकदार है, उस केन्द्र में मतदान करने का अवसर पाने से निवारित हो जाए।

(3) यदि कोई व्यक्ति, जो मतदान केन्द्र से ऐसे हटा दिया गया है, पीठासीन आफिसर की अनुज्ञा के बिना मतदान केन्द्र में पुनः प्रवेश करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों में, दण्डनीय होगा।

(4) उपधारा (3) अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

[132क. मतदान करने के लिए प्रक्रिया का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति—यदि कोई व्यक्ति जिसे कोई मतपत्र जारी किया गया है, मतदान करने के लिए विहित प्रक्रिया का अनुपालन करने से इंकार करता है तो, उसको जारी किया गया मतपत्र रद्द किया जा सकेगा।]

133. निर्वाचनों में प्रवेशों के अवधि रूप से भाड़े पर लेने या उपास करने के लिए शास्ति—यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन में या निर्वाचन के संवर्ग में किसी ऐसे भ्रष्ट आचरण का दोषी होगा, जैसा धारा 123 के खंड (5) में विनिर्दिष्ट है, तो वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

134. निर्वाचनों से संसक्त पदीय कर्तव्य के भंग—(1) यदि कोई व्यक्ति, जिसे यह धारा लागू है, अपने पदीय कर्तव्य के भंग में किसी कार्य या लोप का व्यक्तिगत हेतुक के बिना दोषी होगा तो वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

[(1क) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।]

(2) यथापूर्ववत् किसी कार्य या लोप को, वास्तु नुकसानी के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही ऐसे किसी व्यक्ति के खिलाफ न होगी।

(3) वे व्यक्ति, जिन्हें यह धारा लागू है वे हैं: * * * * [जिना निर्वाचन आफिसर, रिटनिंग आफिसर], सहायक रिटनिंग आफिसर, पीठासीन आफिसर, मतदान आफिसर और अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन प्राप्त करने या अभ्यर्थिताएं वापस लेने या निर्वाचन में मतों का अभिलेख करने या गणना करने से संसक्त * * * * किसी कर्तव्य के पालन के लिए नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति, तथा "पदीय कर्तव्य" पदावली का अर्थ इस धारा के प्रयोजनों के लिए तदनुसार लगाया जाएगा किन्तु इसके अन्तर्गत वे कर्तव्य न होंगे जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन * * * * अधिरोपित होने से अन्याया अधिरोपित हैं।

1. 1986 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (15-5-1986 से) संतःस्थापित।
2. 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 68 द्वारा "खंड (6)" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 57 द्वारा "दो सौ पचास रुपए" के स्थान पर (14-12-1966 से) प्रतिस्थापित।
4. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 58 द्वारा, (14-12-1966 से) संतःस्थापित।
5. 1958 के अधिनियम सं० 58 की धारा 37 द्वारा कुछ शब्दों का लोप किया गया।
6. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 58 द्वारा "रिटनिंग आफिसरों" के स्थान पर (14-12-1966 से) प्रतिस्थापित।
7. 1958 के अधिनियम सं० 58 की धारा 37 द्वारा "निर्वाचन नाभावली के तैयार करने" शब्दों का लोप किया गया।

Representation of the People Act, 1951

(PART II.—Acts of Parliament)

[134A. Penalty for Government servants for acting as election agent, polling agent or counting agent.—If any person in the service of the Government acts as an election agent or a polling agent or a counting agent of a candidate at an election, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine, or with both.]

135. Removal of ballot papers from polling station to be an offence.—(1) Any person who at any election fraudulently takes, or attempts to take, a ballot paper out of a polling station, or wilfully aids or abets the doing of any such act, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to five hundred rupees or with both.

(2) If the presiding officer of a polling station has reason to believe that any person is committing or has committed an offence punishable under sub-section (1), such officer may, before such person leaves the polling station, arrest or direct a police officer to arrest such person and may search such person or cause him to be searched by a police officer:

Provided that when it is necessary to cause a woman to be searched, the search shall be made by another woman with strict regard to decency.

(3) Any ballot paper found upon the person arrested on search shall be made over for safe custody to a police officer by the presiding officer, or when the search is made by a police officer, shall be kept by such officer in safe custody.

(4) An offence punishable under sub-section (1) shall be cognizable.

[135A. Offence of booth capturing.—Whoever commits an offence of booth capturing shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to two years and with fine, and where such offence is committed by a person in the service of the Government, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than one year but which may extend to three years and with fine.

*Explanation.—*For the purposes of this section, “booth capturing” includes, among other things, all or any of the following activities, namely:—

(a) seizure of a polling station or a place fixed for the poll by any person or persons making polling authorities surrender the ballot papers or voting machines and doing of any other act which affects the orderly conduct of elections;

(b) taking possession of a polling station or a place fixed for the poll by any person or persons and allowing only his or their own supporters to exercise their right to vote and prevent others from voting;

(c) threatening any elector and preventing him from going to the polling station or a place fixed for the poll to cast his vote;

(d) seizure of a place for counting of votes by any person or persons, making the counting authorities surrender the ballot papers or voting machines and the doing of anything which affects the orderly counting of votes;

(e) doing by any person in the service of Government, of all or any of the aforesaid activities or aiding or conniving at, any such activity in the furtherance of the prospects of the election of a candidate.]

1. Ins. by Act 47 of 1966, s. 59 (w.e.f. 14-12-1966).

2. Ins. by Act 1 of 1989, s. 15 (w.e.f. 15-3-1989).

134क. निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या मपन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने वाले सरकारी सेवकों के लिए शास्ति—यदि सरकार की सेवा में का कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करेगा, तो वह कारावास से, जिसका अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुमनि से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।]

135. मतदान केन्द्र से मतपत्रों को हटाना अपराध होगा—(1) जो कोई व्यक्ति निर्वाचन में मतदान केन्द्र से मतपत्र कपटपूर्वक वाहर ले जाएगा या वाहर ले जाने का प्रयत्न करेगा या ऐसे किसी कार्य के करने में जानबूझकर सहायता देगा या उसका दुष्प्रेरण करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुमनि से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) यदि मतदान केन्द्र के पीठासीन आफिसर के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध कर रहा है या कर चुका है तो ऐसा आफिसर ऐसे व्यक्ति द्वारा मतदान केन्द्र छोड़े जाने से पूर्व ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा या ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आफिसर को निदेश दे सकेगा और ऐसे व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा या पुलिस आफिसर द्वारा उसकी तलाशी करवा सकेगा :

परन्तु जब कभी किसी स्त्री की तलाशी कराई जानी आवश्यक हो, तब वह अन्य स्त्री द्वारा, शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए, ली जाएगी।

(3) गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी लेने पर उसके पास कोई मिला मतपत्र सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाने के लिए पीठासीन आफिसर द्वारा पुलिस आफिसर के हवाले कर दिया जाएगा या जब तलाशी पुलिस आफिसर द्वारा ली गई हो तब उसे ऐसा आफिसर सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

135क. बूथ के बलात् ग्रहण का अपराध—जो कोई बूथ के बलात् ग्रहण का अपराध करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी, और जुमनि से, दण्डनीय होगा और जहाँ ऐसा अपराध सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहाँ वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुमनि से, दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "बूथ का बलात् ग्रहण" के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सभी या उनमें से कोई क्रियाकलाप है, अर्थात् :—

(क) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान का अभिग्रहण करना, मतदान प्राधिकारियों से मतपत्रों या मतदान मशीनों को अध्वपित कराना और ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो निर्वाचनों के व्यवस्थित संचालन को प्रभावित करता है;

(ख) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा किसी मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत किसी स्थान को बाध में लेना और केवल उसके या उनके अपने समर्थकों को ही मत देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने देना और अन्यो को मतदान करने से निवारित करना;

(ग) किसी निर्वाचक को धमकी देना और उसे अपना मत देने के लिए मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान पर जाने से निवारित करना;

(घ) किसी व्यक्तियों या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा मतगणना करने के स्थान का अभिग्रहण करना, मतगणना प्राधिकारियों को मतपत्रों या मतदान मशीनों को अध्वपित कराना और ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो मतों को व्यवस्थित गणना को प्रभावित करता है;

(ङ) सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति द्वारा किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभाव्यताओं को अपसर करने के लिए पूर्वोक्त सभी या किसी क्रियाकलाप का किया जाना या किसी ऐसे क्रियाकलाप में सहायता करना या मौनानुमति देना।]

1. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 59 द्वारा (14-12-1966 से) अन्तःस्थापित।

2. 1989 के अधिनियम सं० 1 की धारा 15 द्वारा (15-3-1989 से) अन्तःस्थापित।

(PART II.—Acts of Parliament)

136. Other offences and penalties therefor.—(1) A person shall be guilty of an electoral offence if at any election he—

- (a) fraudulently defaces or fraudulently destroys any nomination paper; or
- (b) fraudulently defaces, destroys or removes any list, notice or other document affixed by or under the authority of a returning officer; or
- (c) fraudulently defaces or fraudulently destroys any ballot paper or the official mark on any ballot paper or any declaration of identity or official envelop used in connection with voting by postal ballot; or
- (d) without due authority supplies any ballot paper to any person¹ [or receives any ballot paper from any person or is in possession of any ballot paper]; or
- (e) fraudulently puts into any ballot box anything other than the ballot paper which he is authorised by law to put in; or
- (f) without due authority destroys, takes, opens or otherwise interferes with any ballot box or ballot papers then in use for the purposes of the election; or
- (g) fraudulently or without due authority, as the case may be, attempts to do any of the foregoing acts or wilfully aids or abets the doing of any such acts.

(2) Any person guilty of an electoral offence under this section shall,—

(a) if he is a returning officer or an assistant returning officer or a presiding officer at a polling station or any other officer or clerk employed on official duty in connection with the election, be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine or with both;

(b) if he is any other person, be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine or with both.

(3) For the purposes of this section, a person shall be deemed to be on official duty if his duty is to take part in the conduct of an election or part of an election including the counting of votes or to be responsible after an election for the used ballot papers and other documents in connection with such election, but the expression "official duty" shall not include any duty imposed otherwise than by or under this Act * * * .

²[(4) An offence punishable under sub-section (2) shall be cognizable.]

137. [*Prosecution regarding certain offences.*] *Rep. by the Representation of the People (Amendment) Act, 1966 (47 of 1966), s. 61.*

138. [*Amendment of Act 5 of 1898.*] *Rep. by the Repealing and Amending Act, 1957 (36 of 1957), s. 2 and the First Schedule.*

PART VIII

DISQUALIFICATIONS

139—145. [*Chapters I to III.*] *Rep. by the Representation of the People (Amendment) Act, 1966 (47 of 1966), s. 62.*

1. Ins. by Act 27 of 1956, s. 70.

2. Certain words omitted by Act 58 of 1958, s. 38.

3. Subs. by Act 47 of 1966, s. 60, for sub-section (4) (w.e.f. 14-12-1966).

136. अन्य अपराध और उनके लिए शास्तियाँ—(1) यदि किसी निर्वाचन में कोई व्यक्ति—

(क) कोई नामनिर्देशन-पत्र कपटपूर्वक विरूपित करेगा या कपटपूर्वक नष्ट करेगा; अथवा

(ख) रिटनिंग आफिसर के प्राधिकार के द्वारा या अधीन लगाई गई किसी सूची, सूचना या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक विरूपित करेगा, या नष्ट करेगा या हटाएगा, अथवा

(ग) किसी मतपत्र या किसी मतपत्र पर के शासकीय चिह्न या अनन्यता की किसी घोषणा या शासकीय लिफाफे को, जो डाक-मंत्रपत्र द्वारा मत देने के संबंध में उपयोग में लाया गया है, कपटपूर्वक विरूपित करेगा या कपटपूर्वक नष्ट करेगा; अथवा

(घ) सम्यक् प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को कोई मतपत्र देगा [या किसी व्यक्ति से कोई मतपत्र प्राप्त करेगा या सम्यक् प्राधिकार के बिना उसके कब्जे में कोई मतपत्र होगा;] अथवा

(ङ) किसी मतपेटी में उस मतपत्र से भिन्न, जिसे वह उसमें डालने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत है, कोई चीज कपटपूर्वक डालेगा; अथवा

(च) सम्यक् प्राधिकार के बिना किसी मतपेटी या मतपत्रों को, जो निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए तब उपयोग में है, नष्ट करेगा, लेगा, खोलेगा या अन्यथा उसमें हस्तक्षेप करेगा; अथवा

(छ) यथास्थिति, कपटपूर्वक या सम्यक् प्राधिकार के बिना पूर्ववर्ती कार्यों में से कोई कार्य करने का प्रयत्न करेगा या किन्हीं ऐसे कार्यों के करने में जानबूझकर सहायता देगा या उन कार्यों का दुष्प्रेरण करेगा,

तो वह व्यक्ति निर्वाचन अपराध का दोषी होगा।

(2) इस धारा के अधीन निर्वाचन अपराध का दोषी कोई व्यक्ति—

(क) यदि वह रिटनिंग आफिसर या सहायक रिटनिंग आफिसर या मतदातृ केन्द्र में पीठासीन आफिसर या निर्वाचन से संसक्त पदीय कर्तव्य पर नियोजित कोई अन्य आफिसर या लिपिक है तो, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुमनि से, या दोनों से, दण्डनीय होगा;

(ख) यदि वह कोई अन्य व्यक्ति है तो, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुमनि से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति पदीय कर्तव्य पर समझा जाएगा जिसका यह कर्तव्य है कि वह निर्वाचन के जिसके अन्तर्गत मतों की गणना आती है, या निर्वाचन के भाग के संचालन में भाग ले या ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में उपयोग में लाए गए मतपत्रों और अन्य दस्तावेजों के लिए निर्वाचन के पश्चात् उत्तरदायी रहे किन्तु "पदीय कर्तव्य" पद के अन्तर्गत ऐसा कोई कर्तव्य न होगा जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन **** अधिरोपित किए जाने से अन्यथा अधिरोपित है।

[(4) उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।]

137. [कुछ अपराधों के लिए अभियोजन।]—लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1966 (1966 का 47) की धारा 61 द्वारा निरसित।

138. [1898 के अधिनियम 5 का संशोधन।]—निरसन और संशोधन अधिनियम, 1957 (1957 का 36) की धारा 2 और अनुसूची द्वारा निरसित।

भाग 8

निरहंताएं

139—145. [अध्याय 1 से 3 तक] लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1966 (1966 का 47) की धारा 62 द्वारा निरसित।

1. 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 70 द्वारा संशोधित।

2. 1958 के अधिनियम सं० 58 की धारा 38 द्वारा कुछ शब्दों का लोप किया गया।

3. 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 60 द्वारा उपधारा (4) के स्थान पर (14-12-1966 से) प्रतिस्थापित।

¹[CHAPTER IV.—Powers of Election Commission in connection with Inquiries as to Disqualifications of Members

146. Powers of Election Commission.—(1) Where in connection with the tendering of any opinion to the President under article 103 or, as the case may be, under sub-section (4) of section 14 of the Government of Union Territories Act, 1963 (20 of 1963), or to the Governor under article 192, the Election Commission considers it necessary or proper to make an inquiry, and the Commission is satisfied that on the basis of the affidavits filed and the documents produced in such inquiry by the parties concerned of their own accord, it cannot come to a decisive opinion on the matter which is being inquired into, the Commission shall have, for the purposes of such inquiry, the powers of a civil court, while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), in respect of the following matters, namely:—

- (a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
- (b) requiring the discovery and production of any document or other material object producible as evidence;
- (c) receiving evidence on affidavits;
- (d) requisitioning any public record or a copy thereof from any court or office;
- (e) issuing commissions for the examination of witnesses or documents.

(2) The Commission shall also have the power to require any person, subject to any privilege which may be claimed by that person under any law for the time being in force, to furnish information on such points or matters as in the opinion of the Commission may be useful for, or relevant to, the subject-matter of the inquiry.

(3) The Commission shall be deemed to be a civil court and when any such offence, as is described in section 175, section 178, section 179, section 180 or section 228 of the Indian Penal Code (45 of 1860), is committed in the view or presence of the Commission, the Commission may after recording the facts constituting the offence and the statement of the accused as provided for in the Code of Criminal Procedure, 1898² (5 of 1898), forward the case to a magistrate having jurisdiction to try the same and the magistrate to whom any such case is forwarded shall proceed to hear the complaint against the accused as if the case had been forwarded to him under section 482 of the Code of Criminal Procedure, 1898² (5 of 1898).

(4) Any proceeding before the Commission shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of section 193 and section 228 of the Indian Penal Code (45 of 1860).

146A. Statements made by persons to the Election Commission.—No statement made by a person in the course of giving evidence before the Election Commission shall subject him to, or be used against him in, any civil or criminal proceeding except a prosecution for giving false evidence by such statement:

Provided that the statement—

- (a) is made in reply to a question which he is required by the Commission to answer, or
- (b) is relevant to the subject-matter of the inquiry.

146B. Procedure to be followed by the Election Commission.—The Election Commission shall have the power to regulate its own procedure (including the fixing of places and times of its sittings and deciding whether to sit in public or in private).

1. Ins. by Act 17 of 1965, s. 2.

2. See now the corresponding provision of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974).

146. निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ

146. निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ—(1) जहाँ कि, यथास्थिति, अनुच्छेद 103 के अधीन या संघ राज्यक्षेत्र शासन अभिनियम, 1963 (1963 का 20) की धारा 14 की उपधारा (4) के अधीन राष्ट्रपति को या अनुच्छेद 192 के अधीन राज्यपाल को कोई राय निविदित करने के संबंध में निर्वाचन आयोग जांच करना आवश्यक या उचित समझता है, और आयोग का समाधान हो जाता है कि ऐसी जांच में सम्पूक्त पक्षकारों द्वारा स्वयं फाइल किए गए शपथ-पत्र और पेश की गई दस्तावेजों के आधार पर वह उस मामले की, जिसकी जांच की जा रही है, विनिश्चयक राय नहीं बना सकता, वहाँ आयोग को ऐसी जांच के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित मामलों के बारे में, शक्तियाँ:—

- (क) किसी व्यक्ति को समन करने, हाजिर कराने और उसकी शपथ पर परीक्षा करने;
 - (ख) किसी दस्तावेज या साक्ष्य के रूप में पेश किए जाने योग्य किसी भौतिक पदार्थ को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करने;
 - (ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करने;
 - (घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई लोक अभिनेत्र या उसकी प्रति अध्यपेक्षित करने;
 - (ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालने,
- के बारे में, वे शक्तियाँ होंगी जो सिविल न्यायालय की सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन वाद का विचारण करते समय होती हैं।

(2) आयोग को यह शक्ति भी होगी कि वह किसी व्यक्ति से किसी ऐसे विशेषाधिकार के अध्यधीन रहने हुए जिसका दावा उस व्यक्ति द्वारा किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन किया जा सके, ऐसी बातों या मामलों पर, जो आयोग की राय में जांच की विषयवस्तु के लिए उपयोगी या सुसंगत हों, जानकारी लेने की अपेक्षा करे।

(3) आयोग सिविल न्यायालय समझा जाएगा और जबकि कोई ऐसा अपराध, जो भारतीय-दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 175, धारा 178, धारा 179, धारा 180 या धारा 228 में वर्णित है, आयोग के सामने या उपस्थिति में किया जाता है, तब आयोग अपराध को गठित करने वाले तथ्यों को और अभियुक्त के कथन को अभिलिखित करने के पश्चात्, जैसा दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5)² में उपबन्धित है, मामले को उसका विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को भेज देगा और मजिस्ट्रेट, जिसके पास ऐसा मामला भेजा गया हो, अभियुक्त के विरुद्ध परिवाद सुनने के लिए ऐसे अपसर होगा मानो मामला उसके पास दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898² की धारा 482 के अधीन भेजा गया था।

(4) आयोग के समक्ष कोई भी कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ के भीतर न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी।

146क. निर्वाचन आयोग के समक्ष व्यक्तियों द्वारा किए गए कथन—निर्वाचन आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के अनुक्रम में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कथन ऐसे कथन द्वारा, मिथ्या साक्ष्य देने के अभियोजन के सिवाय उसे किसी सिविल या दण्डिक कार्यवाही के अध्यधीन नहीं करेगा और न उसमें उसके विरुद्ध उपयोग में लाया जाएगा:

परन्तु यह तब जबकि कथन—

- (क) ऐसे प्रश्न के उत्तर में दिया गया है जिसका उत्तर देने के लिए वह आयोग द्वारा अपेक्षित है; या
- (ख) जांच की विषयवस्तु से सुसंगत है।

146ख. निर्वाचन आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया—निर्वाचन आयोग को अपनी प्रक्रिया (जिसके अन्तर्गत उसकी अपनी बैठकों के स्थान और समय नियत करना और यह विनिश्चय करना आते हैं कि बैठक लोक हो या प्राइवेट) विनियमित करने की शक्ति होगी।

1. 1965 के अधिनियम सं० 17 की धारा 2 द्वारा प्रस्तावित।

2. धर तत्समान उपबन्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम 2) में देखिए।

(PART II.—Acts of Parliament)

146C. Protection of action taken in good faith.—No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Commission or any person acting under the direction of the Commission in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of the foregoing provisions of this Chapter or of any order made thereunder or in respect of the tendering of any opinion by the Commission to the President or, as the case may be, to the Governor or in respect of the publication, by or under the authority of the Commission of any such opinion, paper or proceedings.

PART IX

BYE-ELECTIONS

147. Casual vacancies in the Council of States.—¹[(1)] When before the expiration of the term of office of a member elected to the Council of States, his seat becomes vacant or is declared vacant or his election to the Council of States is declared void, the Election Commission shall by a notification in the Gazette of India call upon the elected members of the Legislative Assembly or the members of the electoral college concerned ** * *, as the case may be, to elect a person for the purpose of filling the vacancy so caused before such date as may be specified in the notification and the provisions of this Act and of the rules and orders made thereunder shall apply, as far as may be, in relation to the election of a member to fill such vacancy.

²[(2) As soon as may be after the date of commencement of the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, bye-elections shall be held to fill the vacancies existing on that date in the seats allotted to the States of Assam, Orissa and Uttar Pradesh and the Union territories of Delhi, Himachal Pradesh* and Manipur*.]

148. [*Casual vacancies in the electoral colleges for certain Union territories.*] Rep. by the Territorial Councils Act, 1956 (103 of 1956), s. 66.

149. Casual vacancies in the House of the People.—(1) When the seat of a member elected to the House of the People becomes vacant or is declared vacant or his election to the House of the People is declared void, the Election Commission shall, subject to the provisions of sub-section (2), by a notification in the Gazette of India, call upon the Parliamentary constituency concerned to elect a person for the purpose of filling the vacancy so caused before such date as may be specified in the notification, and the provisions of this Act and of the rules and orders made thereunder shall apply, as far as may be, in relation to the election of a member to fill such vacancy.

(2) If the vacancy so caused be a vacancy in a seat reserved in any such constituency for the Scheduled Castes or for any Scheduled Tribes, the notification issued under sub-section (1) shall specify that the person to fill that seat shall belong to the Scheduled Castes or to such Scheduled Tribes, as the case may be.

150. Casual vacancies in the State Legislative Assemblies.—(1) When the seat of a member elected to the Legislative Assembly of a State becomes vacant or is declared vacant or his election to the Legislative Assembly is declared void, the Election Commission shall, subject to the provisions of sub-section (2), by a notification in the Official Gazette, call upon the Assembly constituency concerned to elect a person for the purpose of filling the vacancy so caused before such date as may be specified in the notification, and the provisions of this Act and of the rules and orders made thereunder shall apply, as far as may be, in relation to the election of a member to fill such vacancy.

1. S. 147 renumbered as sub-section (1) of that section by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956.

2. Certain words omitted by Act 49 of 1951, s.44 and the Fifth Sch. the

3. Ins. by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956.

*Now it has become State.

146ग. सद्भावपूर्वक किए गए अभिकार्य का परित्राण--कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसी बात के बारे में जो इस अध्याय के पूर्वगामी उपबन्धों के या तदधीन बनाए गए किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित है अथवा, यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल को आयोग द्वारा कोई राय निवेदित करने के बारे में अथवा किसी ऐसी राय, कागजात या कार्यवाही के आयोग के प्राधिकार के द्वारा या अधीन प्रकाशन के बारे में है, आयोग के या आयोग के निदेश के अन्तर्गत कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं की जाएगी।]

भाग 9

उपनिर्वाचन

147. राज्य सभा में हुई आकस्मिक रिक्तियाँ--¹[(1)] जब कि राज्य सभा के लिए निर्वाचित सदस्य की पदावधि के अवसान से पूर्व उसका स्थान रिक्त हो जाता है या रिक्त घोषित कर दिया जाता है या राज्य सभा के लिए उसका निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाता है तब निर्वाचन आयोग, यथास्थिति, सम्पूक्त विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से या निर्वाचकगण के सदस्यों ²*** से भारत के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अपेक्षा करेगा कि वे ऐसे हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन के लिए ऐसी तारीख से पूर्व, जैसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, एक व्यक्ति निर्वाचित कर दे और इस अधिनियम के और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्ध ऐसी रिक्ति को भरने के लिए सदस्य के निर्वाचन के सम्बन्ध में यावत्शक्य लागू होंगे।

³[(2) संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, 1956 के प्रारम्भ की तारीख के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र उन रिक्तियों को भरने के लिए उप-निर्वाचन किए जाएंगे जो आसाम, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश राज्यों, और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश* और मणिपुर* के संघ राज्यक्षेत्रों को आबंटित स्थानों में उस तारीख को विद्यमान हों।]

148. [कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए निर्वाचकगणों में आकस्मिक रिक्तियाँ]--⁴जैत्रीय परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 103) की धारा 64 द्वारा निरस्त।

149. लोक सभा में हुई आकस्मिक रिक्तियाँ--(1) जब कि लोक सभा के लिए निर्वाचित सदस्य का स्थान रिक्त हो जाता है या रिक्त घोषित कर दिया जाता है या लोक सभा के लिए उसका निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाता है तब निर्वाचन आयोग उपधारा (2) के उपबन्धों के अधधीन रहते हुए सम्पूक्त संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से भारत के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अपेक्षा करेगा कि वह ऐसे हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन के लिए ऐसी तारीख से पूर्व, जैसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, एक व्यक्ति निर्वाचित कर दे और इस अधिनियम और इसके अधधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्ध ऐसी रिक्ति को भरने के लिए सदस्य के निर्वाचन के सम्बन्ध में यावत्शक्य लागू होंगे।

(2) यदि ऐसे हुई रिक्ति ऐसे स्थान की रिक्ति हो, जो किसी ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लिए या किन्हीं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है, तो उपधारा (1) के अधधीन निकाली गई अधिसूचना में यह विनिर्दिष्ट होगा कि उस स्थान को भरने के लिए व्यक्ति, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या ऐसी अनुसूचित जनजातियों का ही होगा।

150. राज्य विधान सभामें में हुई आकस्मिक रिक्तियाँ--(1) जबकि किसी राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचित सदस्य का स्थान रिक्त हो जाता है या रिक्त घोषित कर दिया जाता है या विधान सभा के लिए उसका निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाता है, तब निर्वाचन आयोग उपधारा (2) के उपबन्धों के अधधीन रहते हुए सम्पूक्त सभा निर्वाचन-क्षेत्र से शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अपेक्षा करेगा कि वह ऐसे हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन के लिए ऐसी तारीख से पूर्व, जैसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, एक व्यक्ति निर्वाचित कर दे और इस अधिनियम और इसके अधधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्ध ऐसी रिक्ति को भरने के लिए सदस्य के निर्वाचन के सम्बन्ध में यावत्शक्य लागू होंगे।

1. विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा धारा 147 की उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंशोधित किया गया।

2. 1951 के अधिनियम सं० 49 की धारा 44 और पांचवीं अनुसूची द्वारा कुछ शब्दों का संप किया गया।

3. विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा अन्तःस्थापित।

*अब यह राज्य है।

(PART II.—Acts of Parliament)

(2) If the vacancy so caused be a vacancy in a seat reserved in any such constituency for the Scheduled Castes or for any Scheduled Tribes, the notification issued under sub-section (1) shall specify that the person to fill that seat shall belong to the Scheduled Castes or to such Scheduled Tribes, as the case may be.

151. Casual vacancies in the State Legislative Councils.—When before the expiration of the term of office of a member elected to the Legislative Council of a State, his seat becomes vacant or is declared vacant or his election to the Legislative Council is declared void, the Election Commission shall, by a notification in the Official Gazette, call upon the Council constituency concerned or the members of the Legislative Assembly of the State, as the case may be, to elect a person for the purpose of filling the vacancy so caused, before such date as may be specified in the notification, and the provisions of this Act and of the rules and orders made thereunder shall apply, as far as may be, in relation to the election of a member to fill such vacancy.

PART X

MISCELLANEOUS

152. List of members of the State Legislative Assemblies and electoral colleges to be maintained by the returning officers concerned.—(1) The returning officer for an election by the elected members of the Legislative Assembly of a State to fill a seat or seats in the Council of States or for an election, by the members of the Legislative Assembly of a State to fill a seat or seats in the Legislative Council of the State shall, for the purposes of such election maintain in his office in the prescribed manner and form a list of elected members or a list of members, as the case may be, of that Legislative Assembly.

(2) The returning officer for an election by the members of the electoral college for a [Union territory] **** to fill a seat or seats in the Council of States shall, for the purposes of such election, maintain in his office in the prescribed manner and form a list of members of that electoral college ****.

(3) Copies of the lists referred to in sub-sections (1) and (2) shall be made available for sale.

[153. Extension of time for completion of election.—It shall be competent for the Election Commission for reasons which it considers sufficient, to extend the time for the completion of any election by making necessary amendments in the notification issued by it under section 30 or sub-section (1) of section 39.]

154. Term of office of members of the Council of States.—¹[(1) Subject to the provisions of sub-sections (2) and (2A), the term of office of a member of the Council of States, other than a member chosen to fill a casual vacancy, shall be six years.]

(2) **** Upon the first constitution of the Council of States the President shall, after consultation with the Election Commission, make by order such provision as he thinks fit for curtailing the term of office of some of the members then chosen in order that, as nearly as may be, one-third of the members holding seats of each class shall retire in every second year thereafter.

²[(2A) In order that, as nearly as may be, one-third of the members may retire on the second day of April, 1958, and on the expiration of every second year thereafter, the President shall, as soon as may be after the commencement of the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, after consultation with the Election Commission, make by order such provisions as he thinks fit in regard to the terms of office of the members elected under sub-section (2) of section 147.]

1. Subs. by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956, for "Part C State".

2. The words "or group of such States" omitted by Act 27 of 1956, s. 77.

3. Certain words omitted by Act 49 of 1951, s. 44 and the Fifth Sch.

4. Subs. by Act 27 of 1956, s. 78, for s. 153.

5. Subs. by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956, for sub-section (1).

6. Certain words omitted, *ibid.*

7. Ins., *ibid.*

(भाग 2—संसद के अधिनियम)

(2) यदि ऐसे हुई रिक्ति ऐसे स्थान की रिक्ति हो, जो किसी ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लिए या किन्हीं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है, तो उपधारा (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में यह विनिर्दिष्ट होगा कि उक्त स्थान को भरने के लिए व्यक्ति, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या ऐसी अनुसूचित जनजातियों का ही होगा।

151. राज्य विधान परिषदों में हुई आकस्मिक रिक्तियों—जबकि राज्य की विधान परिषद् के लिए निर्वाचित सदस्य की पदावधि के अन्ततः से पूर्व उसका स्थान रिक्त हो जाता है या रिक्त घोषित कर दिया जाता है या विधान परिषद् के लिए उसका निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाता है, तब निर्वाचन आयोग, यथास्थिति, सम्बन्धित परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों से शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अपेक्षा करेगा कि वे ऐसे हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन के लिए ऐसी तारीख से पूर्व, जैसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, एक व्यक्ति निर्वाचित कर दे और इस अधिनियम के और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्ध ऐसी रिक्ति को भरने के लिए सदस्य के निर्वाचन के संबंध में यावत्शक्य लागू होंगे।

-भाग 10

प्रकरण

152. राज्य विधान सभाओं में और निर्वाचक गणों के सदस्यों की सूची संयुक्त रिटनिंग आफिसर रखेंगे—(1) राज्य सभा में के स्थान या स्थानों को भरने के लिए राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचन के लिए या राज्य की विधान परिषद् में के स्थान या स्थानों को भरने के लिए राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचन के लिए रिटनिंग आफिसर, यथास्थिति, उस विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों की सूची या सदस्यों की सूची ऐसे निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए अपने कार्यालय में विहित रीति और प्ररूप में रखेगा।

(2) राज्य सभा में के स्थान या स्थानों को भरने के लिए [संघ राज्यक्षेत्र] **** के लिए निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा **** निर्वाचन के लिए रिटनिंग आफिसर उस निर्वाचक गण के सदस्यों की सूची ऐसे निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए अपने कार्यालय में विहित रीति और प्ररूप में रखेगा।

(3) उपधाराओं (1) और (2) में विनिर्दिष्ट सूचियों की प्रतियां विक्रय के लिए उपलब्ध की जाएंगी।

153. निर्वाचन को पूरा करने के लिए समय का विस्तारण—निर्वाचन आयोग धारा 30 या धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन अपने द्वारा निकाली गई अधिसूचना में आवश्यक संशोधन करके किसी निर्वाचन को पूरा करने के लिए समय का विस्तार उन कारणों के लिए, जिन्हें वह पर्याप्त समझे, करने के लिए सक्षम होगा।

154. राज्य सभा के सदस्यों की पदावधि—“(1) उपधाराओं (2) और (2क) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुने गए सदस्य से अगले राज्य सभा के सदस्य की पदावधि छह वर्ष की होगी।

(2) **** राज्य सभा के प्रथम गठन पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात् उस समय चुने गए सदस्यों में से कुछ की पदावधि को इस प्रकार कम कर देने के लिए ऐसा उपबन्ध, जिसे वह ठीक समझता हो आदेश द्वारा करेगा कि हर एक वर्ग के स्थानों को धारण करने वाले सदस्यों में से यथाशक्य निकटतम एक तिहाई तत्पश्चात् हर दूसरे वर्ष के अवसान पर निवृत्त हो जाएंगे।

[(2क) इसलिए कि सदस्यों में से यथाशक्य निकटतम एक तिहाई 1958 की अप्रैल के द्वितीय दिन और तत्पश्चात् हर दूसरे वर्ष के अवसान पर निवृत्त हो जाएं, राष्ट्रपति, संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, 1956 के प्रारम्भ के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात् ऐसे उपबन्ध, जैसे वह ठीक समझता हो, धारा 147 की उपधारा (2) के अधीन निर्वाचित सदस्यों की पदावधि के बारे में, आदेश द्वारा करेगा।

1. विधि अनुसूचन (सं० 2) अधिनियम, 1956 द्वारा "भाग ग राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 77 द्वारा "या ऐसे राज्यों का समूह" शब्दों का लोप किया गया।
3. 1951 के अधिनियम सं० 49 की धारा 44 और नौवरी अनुसूची द्वारा कुछ शब्दों का लोप किया गया।
4. 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 78 द्वारा धारा 153 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. विधि अनुसूचन (सं० 2) अधिनियम, 1956 द्वारा उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. पूर्वोक्त धारा कुछ शब्दों का लोप किया गया।
7. पूर्वोक्त धारा अन्तःस्थापित।

(PART II.—Acts of Parliament)

(3) A member chosen to fill a casual vacancy shall be chosen to serve for the remainder of his predecessor's term of office.

155. Commencement of the term of office of members of the Council of States.—(1) The term of office of a member of the Council of States whose name is required to be notified in the Official Gazette under section 71 shall begin on the date of such notification.

(2) The term of office of a member of the Council of States whose name is not required to be notified under section 71 shall begin on the date of publication in the Official Gazette of the declaration containing the name of such person as elected under section 67 or of the notification issued under sub-clause (a) of clause (1) of article 80 or under any other provision announcing the nomination of such person to the Council of States, as the case may be.

156. Term of office of members of State Legislative Councils.—(1) The term of office of a member of the Legislative Council of a State, other than a member chosen to fill a casual vacancy, shall be six years, but upon the first constitution of the Council the Governor ^{1***} shall, after consultation with the Election Commission, make by order such provision as he thinks fit for curtailing the term of office of some of the members then chosen in order that, as nearly as may be, one-third of the members holding seats of each class shall retire in every second year thereafter.

(2) A member chosen to fill a casual vacancy shall be chosen to serve for the remainder of his predecessor's term of office.

157. Commencement of the term of office of members of the Legislative Councils.—(1) The term of office of a member of the Legislative Council of a State whose name is required to be notified in the Official Gazette under ²[section 74] shall begin on the date of such notification.

(2) The term of office of a member of the Legislative Council of a State whose name is not required to be notified under ²[section 74] shall begin on the date of publication in the Official Gazette of the declaration containing the name of such person as elected under section 67 or of the notification issued under sub-clause (e) of clause (3) of article 171, announcing the nomination of such person to the Council, as the case may be.

³158. Return or forfeiture of candidate's deposit.—(1) The deposit made under section 34 or under that section read with sub-section (2) of section 39 shall either be returned to the person making it or his legal representative or be forfeited to the appropriate authority in accordance with the provisions of this section.

(2) Except in cases hereafter mentioned in this section, the deposit shall be returned as soon as practicable after the result of the election is declared.

(3) If the candidate is not shown in the list of contesting candidates, or if he dies before the commencement of the poll, the deposit shall be returned as soon as practicable after the publication of the list or after his death, as the case may be.

(4) Subject to the provisions of sub-section (3), the deposit shall be forfeited if at an election where a poll has been taken, the candidate is not elected and the number of valid votes polled by him does not exceed one-sixth of the total number of valid votes polled by all the candidates or

1. The words "or the Rajpramukh, as the case may be" omitted by the Adaptation of Laws (No. 2) Order, 1956.

2. Subs. by Act 27 of 1956, s. 79, for "section 75".

3. Subs. by Act 58 of 1958, s. 39, for s. 158.

(3) आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुना गया सदस्य अपने पूर्ववर्ती के शेष भाग के लिए सेवा करने के लिए चुना जाएगा।

155. राज्य सभा के सदस्यों की पदावधि का प्रारम्भ--(1) राज्य सभा के ऐसे सदस्य की पदावधि जिसके नाम का शासकीय राजपत्र में धारा 71 के अधीन अधिसूचित किया जाना अपेक्षित है, ऐसी अधिसूचना की तारीख से आरम्भ होगी।

(2) राज्य सभा के ऐसे सदस्य की पदावधि, जिसके नाम का धारा 71 के अधीन अधिसूचित किया जाना अपेक्षित नहीं है, यथास्थिति, निर्वाचित के रूप में ऐसे व्यक्ति के नाम को अन्तर्विष्ट रखने वाली घोषणा के धारा 67 के अधीन शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से या ऐसे व्यक्ति के राज्य सभा के लिए नामनिर्देशन का आख्यापन करने वाली अनुच्छेद 80 के खंड (1) के उपखंड (क) के अधीन या किसी अन्य उपबंध के अधीन निकाली गई अधिसूचना की तारीख से आरम्भ होगी।

156. राज्य विधान परिषदों के सदस्यों की पदावधि--(1) राज्य की विधान परिषद् में आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुने गए सदस्य से भिन्न उस परिषद् के सदस्य की पदावधि छह वर्ष की होगी किन्तु परिषद् के प्रथम गठन पर राज्यपाल¹ निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात् उस समय चुने गए सदस्यों में से कुछ की पदावधि को इस प्रकार कम कर देने के लिए ऐसा उपाय, जैसा वह ठीक समझे, आदेश द्वारा करेगा कि हर एक वर्ष के स्थानों को धारण करने वाले सदस्यों में से यथासंभव निकटतम एक तिहाई तत्पश्चात् हर दूसरे वर्ष के अवसान पर निवृत्त हो जाएं।

(2) आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुना गया सदस्य अपने पूर्ववर्ती की पदावधि के शेष भाग के लिए सेवा करने के लिए चुना जाएगा।

157. विधान परिषदों के सदस्यों की पदावधि का प्रारम्भ--(1) राज्य की विधान परिषद् के ऐसे सदस्य की पदावधि, जिसके नाम का शासकीय राजपत्र में [धारा 74] के अधीन अधिसूचित किया जाना अपेक्षित है, ऐसी अधिसूचना की तारीख से आरम्भ होगी।

(2) राज्य की विधान परिषद् के ऐसे सदस्य की पदावधि, जिसके नाम का [धारा 74] के अधीन अधिसूचित किया जाना अपेक्षित नहीं है, यथास्थिति, निर्वाचित के रूप में ऐसे व्यक्ति के नाम को अन्तर्विष्ट रखने वाली घोषणा के धारा 67 के अधीन शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से या ऐसे व्यक्ति के परिषद् के लिए नामनिर्देशन का आख्यापन करने वाली अनुच्छेद 171 के खण्ड (3) के उपखण्ड (क) के अधीन निकाली गई अधिसूचना की तारीख से आरम्भ होगी।

³[158. अन्धर्या के निक्षेप की वापसी का समपहरण--(1) धारा 34 के अधीन या धारा 39 की उपधारा (2) के साथ पठित उस धारा के अधीन किया गया निक्षेप या तो निक्षेप करने वाले व्यक्ति अथवा उसके विधिक प्रतिनिधि को वापस कर दिया जाएगा या इस धारा के उपबन्धों के अनुसार समुचित प्राधिकारी को समपहृत हो जाएगा।

(2) इस धारा में एतत्पश्चात् वर्णित दशाओं के सिवाय निक्षेप निर्वाचन परिणाम की घोषणा के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से वापस कर दिया जाएगा।

(3) यदि अन्धर्या निर्वाचन लड़ने वाले अन्धर्याओं की सूची में दर्शित नहीं किया गया है या यदि मतदान के प्रारम्भ से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाती है तो निक्षेप, यथास्थिति, सूची के प्रकाशन के पश्चात् या उसकी मृत्यु के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से वापस कर दिया जाएगा।

(4) यदि ऐसे निर्वाचन में, जिसमें मतदान हुआ है, अन्धर्या निर्वाचित नहीं होता और उसे प्राप्त विधिमान्य मतों की संख्या सब अन्धर्याओं को प्राप्त विधिमान्य मतों की कुल संख्या के छोटे भाग से, या निर्वाचन में एक से अधिक सदस्यों के निर्वाचन की दशा में उस संख्या के छोटे भाग से, जो ऐसे पड़े हुए विधिमान्य मतों की कुल संख्या को,

1. विधि अनुसूचन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा "या राजप्रमुख, जैसी भी स्थिति हो" शब्दों का जोष किया गया।

2. 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 79 द्वारा "धारा 75" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

3. 1958 के अधिनियम सं० 58 की धारा 39 द्वारा धारा 158 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(PART II.—Acts of Parliament)

in the case of election of more than one member at the election, one-sixth of the total number of valid votes so polled divided by the number of members to be elected:

Provided that where at an election held in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote, a candidate is not elected, the deposit made by him shall be forfeited if he does not get more than one-sixth of the number of votes prescribed in this behalf as sufficient to secure the return of a candidate.

(5) Notwithstanding anything in sub-sections (2), (3) and (4),—

(a) if at a general election, the candidate is a contesting candidate in more than one parliamentary constituency or in more than one assembly constituency, not more than one of the deposits shall be returned, and the others shall be forfeited;

(b) if the candidate is a contesting candidate at an election in more than one council constituency or at an election in a council constituency and at an election by the members of the State Legislative Assembly to fill seats in the Legislative Council, not more than one of the deposits shall be returned, and the others shall be forfeited.]

159. Staff of every local authority to be made available for election work.—Every local authority in a State shall, when so requested by ^{1***} a Regional Commissioner appointed under clause (4) of article 324 or the Chief Electoral Officer of the State, make available to any returning officer such staff as may be necessary for the performance of any duties in connection with an election.

160. Requisitioning of premises, vehicles, etc., for election purposes.—(1) If it appears to the State Government that in connection with an election held within the State—

(a) any premises are needed or are likely to be needed for the purpose of being used as a polling station or for the storage of ballot boxes after a poll has been taken, or

(b) any vehicle, vessel or animal is needed or is likely to be needed for the purpose of transport of ballot boxes to or from any polling station, or transport of members of the police force for maintaining order during the conduct of such election, or transport of any officer or other person for performance of any duties in connection with such election,

that Government may by order in writing requisition such premises, or such vehicle, vessel or animal, as the case may be, and may make such further orders as may appear to it to be necessary or expedient in connection with the requisitioning:

Provided that no vehicle, vessel or animal which is being lawfully used by a candidate or his agent for any purpose connected with the election of such candidate shall be requisitioned under this sub-section until the completion of the poll at such election.

(2) The requisition shall be effected by an order in writing addressed to the person deemed by the State Government to be the owner or person in possession of the property, and such order shall be served in the prescribed manner on the person to whom it is addressed.

(3) Whenever any property is requisitioned under sub-section (1), the period of such requisition shall not extend beyond the period for which such property is required for any of the purposes mentioned in that sub-section.

(4) In this section—

(a) "premises" means any land, building or part of a building and includes a hut, shed or other structure or any part thereof;

1. The words "the Election Commission or" omitted by Act 27 of 1956, s. 81.

(PART II.—Acts of Parliament)

(b) "vehicle" means any vehicle used or capable of being used for the purpose of road transport, whether propelled by mechanical power or otherwise.

161. Payment of compensation.—(1) Whenever in pursuance of section 160 the State Government requisitions any premises, there shall be paid to the persons interested compensation the amount of which shall be determined by taking into consideration the following, namely:—

(i) the rent payable in respect of the premises or if no rent is so payable, the rent payable for similar premises in the locality;

(ii) if any consequence of the requisition of the premises the person interested is compelled to change his residence or place of business, the reasonable expenses (if any) incidental to such change:

Provided that where any person interested being aggrieved by the amount of compensation so determined makes an application within the prescribed time to the State Government for referring the matter to an arbitrator, the amount of compensation to be paid shall be such as the arbitrator appointed in this behalf by the State Government may determine:

Provided further that where there is any dispute as to the title to receive the compensation or as to the apportionment of the amount of compensation, it shall be referred by the State Government to an arbitrator appointed in this behalf by that Government for determination, and shall be determined in accordance with the decision of such arbitrator.

Explanation.—In this sub-section, the expression "person interested" means the person who was in actual possession of the premises requisitioned under section 160 immediately before the requisition, or where no person was in such actual possession, the owner of such premises.

(2) Whenever in pursuance of section 160 the State Government requisitions any vehicle, vessel or animal, there shall be paid to the owner thereof compensation the amount of which shall be determined by the State Government on the basis of the fares or rates prevailing in the locality for the hire of such vehicle, vessel or animal:

Provided that where the owner of such vehicle, vessel or animal being aggrieved by the amount of compensation so determined makes an application within the prescribed time to the State Government for referring the matter to an arbitrator, the amount of compensation to be paid shall be such as the arbitrator appointed in this behalf by the State Government may determine:

Provided further that where immediately before the requisitioning the vehicle or vessel was by virtue of a hire-purchase agreement in the possession of a person other than the owner, the amount determined under this sub-section as the total compensation payable in respect of the requisition shall be apportioned between that person and the owner in such manner as they may agree upon, and in default of agreement, in such manner as an arbitrator appointed by the State Government in this behalf may decide.

162. Power to obtain information.—The State Government may with a view to requisitioning any property under section 160 or determining the compensation payable under section 161, by order, require any person to furnish to such authority as may be specified in the order such information in his possession relating to such property as may be so specified.

163. Powers of entry into and inspection of premises, etc.—(1) Any person authorized in this behalf by the State Government may enter into any premises and inspect such premises and any vehicle, vessel or animal therein for the purpose of determining whether, and if so in what manner, an order under section 160 should be made in relation to such premises, vehicle, vessel or animal, or with a view to securing compliance with any order made under that section.

(ख) "यान" से ऐसा कोई यान अभिप्रेत है जो सड़क परिवहन के प्रयोजन के लिए उपयोग में आता है या उपयोग में लाए जाने योग्य है भले ही वह यांत्रिक शक्ति से नोदित हो या न हो।

161. प्रतिकर का संवाय—(1) जब कभी राज्य सरकार किसी परिसर को धारा 160 के अनुसरण में अधिगृहीत करे तब हितबद्ध व्यक्तियों को प्रतिकर संदत्त किया जाएगा जिसकी रकम का अवधारण निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) परिसर की वाबत देय भाटक या यदि कोई भाटक ऐसे देय न हो तो उस परिक्षेत्र में वैसे ही परिसर के लिए देय भाटक;

(ii) यदि हितबद्ध व्यक्ति परिसर के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप अपने निवास स्थान या कारवार के स्थान को बदलने के लिए विवण हुआ हो तो ऐसे बदलने से आनुषंगिक युक्तियुक्त व्यय (यदि कोई हो) :

परन्तु जहाँ कि कोई हितबद्ध व्यक्ति ऐसे अवधारित प्रतिकर की रकम से व्यथित होते हुए राज्य सरकार से विहित समय के अन्दर यह आवेदन करता है कि वह मामला मध्यस्थ को निर्देशित कर दिया जाए वहाँ दिए जाने वाले प्रतिकर की रकम ऐसी रकम होगी जैसी राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ अवधारित करे :

परन्तु यह और भी कि जहाँ प्रतिकर पाने के हक की वाबत या प्रतिकर की रकम के प्रभाजन की वाबत कोई विवाद है वहाँ अवधारण के लिए उसे राज्य सरकार अपने द्वारा इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ को निर्दिष्ट करेगी और वह विवाद ऐसे मध्यस्थ के विनिश्चय के अनुसार अवधारित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में "हितबद्ध व्यक्ति" पदावलि से वह व्यक्ति, जो धारा 160 के अधीन अधिगृहीत परिसर पर अधिग्रहण के अव्यवहित पूर्व वास्तविक कब्जा रखता था या जहाँ कि कोई व्यक्ति ऐसा वास्तविक कब्जा नहीं रखता था वहाँ ऐसे परिसर का स्वामी अभिप्रेत है।

(2) जब कभी राज्य सरकार कोई यान, जलयान या जीवजन्तु धारा 160 के अनुसरण में अधिगृहीत करे तब उसके स्वामी को प्रतिकर संदत्त किया जाएगा जिसकी रकम का अवधारण राज्य सरकार ऐसे यान, जलयान या जीवजन्तु को भाड़े पर लेने के लिए उस परिक्षेत्र में प्रचलित भाड़े या दरों के आधार पर करेगी :

परन्तु जहाँ कि ऐसे यान, जलयान या जीवजन्तु का स्वामी ऐसे अवधारित प्रतिकर की रकम से व्यथित होते हुए राज्य सरकार से विहित समय के भीतर यह आवेदन करता है कि वह मामला मध्यस्थ को निर्दिष्ट कर दिया जाए वहाँ दिए जाने वाले प्रतिकर की रकम ऐसी रकम होगी जैसी राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ अवधारित करे :

परन्तु यह और भी कि जहाँ अधिगृहीत किए जाने से अव्यवहित पूर्व यान या जलयान स्वामी से भिन्न व्यक्ति के कब्जे में अवक्य करार के आधार पर था वहाँ अधिग्रहण के दारे में संदेय कुल प्रतिकर के रूप में इस उपधारा के अधीन अवधारित रकम उस व्यक्ति और स्वामी के बीच में ऐसी रीति में, जिसके लिए वे सहमत हो जाएं, और ऐसी सहमति के अभाव में, ऐसी रीति में, जैसी राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ विनिश्चित करे, प्रभाजित की जाएगी।

162. जानकारी अभिप्राप्त करने की शक्ति—राज्य सरकार किसी सम्पत्ति को धारा 160 के अधीन अधिगृहीत करने की या धारा 181 के अधीन संदेय प्रतिकर को अवधारित करने की दृष्टि से किसी व्यक्ति से आदेश द्वारा अपेक्षा कर सकेगी कि वह ऐसी सम्पत्ति सम्बन्धी अपने कब्जे की ऐसी जानकारी, जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे प्राधिकारी को दे जो ऐसे विनिर्दिष्ट किया जाए।

163. किसी परिसर आदि में प्रवेश करने और उनके निरीक्षण की शक्तियाँ—(1) यह अवधारण करने के प्रयोजन के लिए कि क्या किसी परिसर, किसी यान, जलयान या जीवजन्तु के सम्बन्ध में धारा 160 के अधीन आदेश किया जाए और यदि किया जाए तो किस रीति में किया जाए या इस दृष्टि से कि उस धारा के अधीन किए गए किसी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए कोई व्यक्ति, जो राज्य सरकार द्वारा या इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, ऐसे परिसर में प्रवेश कर सकेगा और ऐसे परिसर और उनमें के किसी यान, जलयान या जीवजन्तु का निरीक्षण कर सकेगा।

(PART II.—Acts of Parliament)

(2) In this section the expressions “premises” and “vehicle” have the same meanings as in section 160.

164. Eviction from requisitioned premises.—(1) Any person remaining in possession of any requisitioned premises in contravention of any order made under section 160 may be summarily evicted from the premises by any officer empowered by the State Government in this behalf.

(2) Any officer so empowered may, after giving to any woman not appearing in public reasonable warning and facility to withdraw, remove or open any lock or bolt or break open any door of any building or do any other act necessary for effecting such eviction.

165. Release of premises from requisition.—(1) When any premises requisitioned under section 160 are to be released from requisition, the possession thereof shall be delivered to the person from whom possession was taken at the time when the premises were requisitioned, or if there were no such person, to the person deemed by the State Government to be the owner of such premises, and such delivery of possession shall be a full discharge of the State Government from all liabilities in respect of such delivery, but shall not prejudice any rights in respect of the premises which any other person may be entitled by due process of law to enforce against the person to whom possession of the premises is so delivered.

(2) Where the person to whom possession of any premises requisitioned under section 160 is to be given under sub-section (1) cannot be found or is not readily ascertainable or has no agent or any other person empowered to accept delivery on his behalf, the State Government shall cause a notice declaring that such premises are released from requisition to be affixed on some conspicuous part of such premises and publish the notice in the Official Gazette.

(3) When a notice referred to in sub-section (2) is published in the Official Gazette, the premises specified in such notice shall cease to be subject to requisition on and from the date of such publication and be deemed to have been delivered to the person entitled to possession thereof; and the State Government shall not be liable for any compensation or other claim in respect of such premises for any period after the said date.

166. Delegation of functions of the State Government with regard to requisitioning.—The State Government may, by notification in the Official Gazette, direct that any powers conferred or any duty imposed on that Government by any of the provisions of sections 160 to 165 shall, under such conditions, if any, as may be specified in the direction, be exercised or discharged by such officer or class of officers as may be so specified.

167. Penalty for contravention of any order regarding requisitioning.—If any person contravenes any order made under section 160 or section 162, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine or with both.

168. [*Special provisions with respect to Rulers of former Indian States.*] *Rep. by the Rulers of Indian States (Abolition of Privileges) Act, 1972 (54 of 1972), s. 4 (w.e.f. 9-9-1972).*

PART XI

GENERAL

169. Power to make rules.—(1) The Central Government may, after consulting the Election Commission, by notification in the Official Gazette, make rules¹ for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) the duties of presiding officers and polling officers at polling stations;

1. See the Conduct of Elections Rules, 1961, in Volume II.

(2) इस धारा में "परिसर" तथा "यान" पदों के वही अर्थ हैं जो धारा 160 में हैं।

164. अधिगृहीत परिसर से बेदखली—(1) जो कोई व्यक्ति किसी अधिगृहीत परिसर पर धारा 160 के अधीन किए गए किसी आदेश के उल्लंघन में कब्जा किए रहता है, उसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त कोई आफिसर उस परिसर में से संक्षेपतः बेदखल कर सकेगा।

(2) ऐसे सशक्त कोई आफिसर ऐसी किसी मंत्री को, जो लोक सभ नहीं आती, युक्तियुक्त चेतावनी और हट जाने के लिए सुविधा देकर किसी भवन के किसी ताले या चटखनी को हटा या खोल सकेगा और किसी द्वार को तोड़ सकेगा या ऐसी बेदखली के प्रयोजन के लिए कोई अन्य आवश्यक कार्य कर सकेगा।

165. अधिग्रहण से परिसर की निर्मुक्ति—(1) जब कि धारा 160 के अधीन अधिगृहीत कोई परिसर अधिग्रहण से निर्मुक्त किए जाने हों, तब उनका कब्जा उस व्यक्ति को, जिससे परिसर के अधिगृहीत किए जाने के समय कब्जा लिया गया था, या यदि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था तो उस व्यक्ति को, जिसकी बाबत राज्य सरकार यह समझती है कि वह ऐसे परिसर का स्वामी है परिदत्त किया जाएगा, और कब्जे का ऐसे परिदत्त राज्य सरकार को उन सब दायित्वों में, जो ऐसे परिदत्त के बारे में हैं, पूर्णतः उन्मोचित कर देगा, किन्तु उससे परिसर की बाबत ऐसे किन्हीं अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा जिन्हें कोई अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति के खिलाफ, जिसे परिसर का कब्जा ऐसे परिदत्त किया गया है, विधि की सम्यक् प्रक्रिया प्रवर्तित कराने के लिए हकदार हो।

(2) जहां कि वह व्यक्ति, जिसे धारा 160 के अधीन अधिगृहीत किसी परिसर का कब्जा उपधारा (1) के अधीन दिया जाता है, पाया नहीं जा सकता या जिसका आसानी से अभिनिश्चय नहीं हो पाता या उसकी ओर से परिदत्त प्रतिगृहीत करने के लिए सशक्त कोई अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति नहीं है वहां राज्य सरकार यह घोषणा करने वाली सूचना कि ऐसे परिसर अधिग्रहण से निर्मुक्त कर दिए गए हैं ऐसे परिसर के किसी सहजदृश्य भाग में लगवाएगी और सूचना को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करेगी।

(3) जब कि उपधारा (2) में निर्दिष्ट सूचना शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है तब ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट परिसर ऐसे अधिग्रहण के अधिधीन ऐसे प्रकाशन की तारीख को और से न रहेंगे और उनकी बाबत यह समझा जाएगा कि वे उस व्यक्ति को परिदत्त कर दिए गए हैं, जो उन पर कब्जा रखने का हकदार है, और राज्य सरकार उक्त तारीख के पश्चात् किसी कालावधि के लिए ऐसे परिसर के सम्बन्ध में किसी प्रतिकार या अन्य दावे के लिए दायित्वाधीन न होगी।

166. अधिग्रहण की बाबत राज्य सरकार के कृत्यों का प्रत्यायोजन—राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधि-सूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि उस सरकार पर धारा 160 से लेकर धारा 165 तक के उपबन्धों में से किसी द्वारा प्रदत्त कोई शक्तियां या अधिरोपित कोई कर्तव्य ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, जैसी उस निदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं ऐसे आफिसर या ऐसे वर्ग के आफिसरों द्वारा प्रयुक्त या निर्वहण किए जाएंगे जैसे विनिर्दिष्ट किए जाएं।

167. अधिग्रहण संबंधी किसी आदेश के उल्लंघन के लिए शास्ति—यदि कोई व्यक्ति धारा 160 या धारा 162 के अधीन किए गए आदेश का उल्लंघन करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

168. [भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की बाबत विशेष उपबंध]—देशी राज्य शासक (विशेषाधिकार समाप्ति) अधिनियम, 1972 (1972 का 54) की धारा 4 द्वारा (9-9-1972) से निरसित।

भाग 11

साधारण

169. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम¹, निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात् शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम सब निम्नलिखित बातों का, या उनमें से किसी के लिए, उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) मतदान केन्द्रों में पीठासीन आफिसरों और मतदान आफिसरों के कर्तव्य;

1. निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 जिल्द 2 में देखिए।

(PART II.—Acts of Parliament)

(b) the checking of voters by reference to the electoral roll;

(c) the manner in which votes are to be given both generally and in the case of illiterate voters or voters under physical or other disability;

(d) the manner in which votes are to be given by a presiding officer, polling officer, polling agent or any other person, who being an elector for a constituency is authorised or appointed for duty at a polling station at which he is not entitled to vote;

(e) the procedure to be followed in respect of the tender of vote by a person representing himself to be an elector after another person has voted as such elector;

¹[(ee) the manner of giving and recording of votes by means of voting machines and the procedure as to voting to be followed at polling stations where such machines are used;]

(f) the procedure as to voting to be followed at elections held in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote;

(g) the scrutiny and counting of votes including cases in which a recount of the votes may be made before the declaration of the result of the election;

¹[(gg) the procedure as to counting of votes recorded by means of voting machines;]

(h) the safe custody of ²[ballot boxes, voting machines], ballot papers and other election papers, the period for which such papers shall be preserved and the inspection and production of such papers;

(i) any other matter required to be prescribed by this Act.

³[(3) Every rule made under this Act shall be laid as soon as may be after it is made before each House of Parliament while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or ⁴[in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made.] the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.]

170. Jurisdiction of civil courts barred.—No civil court shall have jurisdiction to question the legality of any action taken or of any decision given by the returning officer or by any other person appointed under this Act in connection with an election.

171. [*Repeal of Act 39 of 1920.*] *Rep. by the Repealing and Amending Act, 1957 (36 of 1957), s. 2 and Sch. I.*

1. Ins. by Act 1 of 1989, s. 16 (w.e.f. 15-3-1989).

2. Subs. by s. 16, *ibid.*, for "ballot boxes" (w.e.f. 15-3-1989).

3. Subs. by Act 40 of 1961, s. 29, for sub-section (3) (w.e.f. 20-9-1961), which was ins. by Act 27 of 1956, s. 82.

4. Subs. by Act 4 of 1986, s. 2 and Sch. (w.e.f. 15-5-1986).

- (ख) निर्वाचक नामावलिओं के प्रति निर्देश से मतदाताओं की जांच-पड़ताल करना;
- (ग) वह रीति जिसमें मत इन दोनों दशाओं में, अर्थात् साधारणतः और निरक्षर मतदाताओं या शारीरिक या अन्य निर्योग्यता से ग्रस्त मतदाताओं की दशाओं में, दिए जाने हैं ;
- (घ) वह रीति जिसमें पीठासीन आफिसर, मतदान आफिसर, मतदान अधिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जो एक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक होते हुए ऐसे मतदान केन्द्र में कर्तव्य के लिए प्राधिकृत या नियुक्त किया गया है, जिसमें वह मत देने का हकदार नहीं है; मत दिए जाने हैं ;
- (ङ) उस व्यक्ति द्वारा मत के निबिदान की बाबत, अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, जो यह ब्यरदेश कि में निर्वाचक हूँ, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा ऐसे निर्वाचक के रूप में मत दिए जाने के पश्चात् करता है ;
- 1[(ङङ) मतदान मशीनों के द्वारा मत देने और अभिलिखित करने की रीति और ऐसे मतदान केन्द्रों पर, जहां ऐसी मशीनों का प्रयोग किया जाता है, अनुसरण की जाने वाली मतदान प्रक्रिया ;]
- (च) वह प्रक्रिया जिसका अनुसरण आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होने वाले निर्वाचनों में मत देने के लिए किया जाना है ;
- (छ) मतों की संवीक्षा और गणना, जिसके अन्तर्गत वे मामले आते हैं, जिनमें निर्वाचन परिणाम की घोषणा के पूर्व मतों की पुनर्गणना की जानी है ;
- 1[(छछ) मतदान मशीनों द्वारा अभिलिखित मतों की गणना की प्रक्रिया ;]
- (ज) 1[मत पेटियों मतदान मशीनों, मतपत्रों की और निर्वाचन के अन्य कागजपत्रों की सुरक्षित अभिरक्षा, वह कालावधि जिस तक ऐसे कागजपत्र परिरक्षित किए जाएंगे और ऐसे कागजपत्रों का निरीक्षण और पेश किया जाना;
- (झ) ऐसी कोई अन्य बात जो इस अधिनियम द्वारा विहित किए जाने के लिए अयोजित है ।

1[(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।]

170. सिविल न्यायालयों की अधिकारिता बर्जित—किसी भी सिविल न्यायालय को यह अधिकारिता न होगी कि वह रिटनिंग आफिसर या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा, जो इस अधिनियम के अधीन नियुक्त है, निर्वाचन के सम्बन्ध में की गई किसी कार्यवाही या किसी विनिश्चय की वैधता को प्रश्नगत करे ।

171. [1920 के अधिनियम 39 का निरसन ।]—निरसन और संशोधन अधिनियम, 1957 (1957 का 36) की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा निरसित ।

1. 1989 के अधिनियम सं० 1 की धारा 16 द्वारा (15-3-1989 से) अंतःस्थापित ।
2. 1989 के अधिनियम सं० 1 की धारा 16 द्वारा (15-3-1989 से) "मत पेटियों को" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
3. 1986 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (15-5-1986 से) उपधारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित वी 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 82 द्वारा अंतःस्थापित और 1961 के अधिनियम सं० 40 की धारा 29 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी ।

EXTRACTS FROM THE STATES REORGANISATION ACT, 1956

(37 OF 1956)

* * * * *

The Legislative Councils

33. Madhya Pradesh Legislative Council.—(1) As from such date as the President may by order appoint, there shall be a Legislative Council for the new State of Madhya Pradesh.

(2) In the said Council there shall be ¹[90] seats of which—

(a) the numbers to be filled by persons elected by the electorates referred to in sub-clauses (a), (b) and (c) of clause (3) of article 171 shall be ²[31, 8 and 8] respectively;

(b) the number to be filled by persons elected by the members of the Legislative Assembly in accordance with the provisions of sub-clause (d) of the said clause shall be ³[31]; and

(c) the number to be filled by persons nominated by the Governor in accordance with the provisions of sub-clause (e) of that clause shall be 12.

(3) As soon as may be after the commencement of ⁴[the Legislative Councils Act, 1957 (37 of 1957)], the President, after consultation with the Election Commission, shall by order determine—

(a) the constituencies into which the said new State shall be divided for the purpose of elections to the Council under each of the sub-clauses (a), (b) and (c) of clause (3) of article 171;

(b) the extent of each constituency; and

(c) the number of seats allotted to each constituency.

(4) As soon as may be after ⁵[such commencement] steps shall be taken to constitute the said Council in accordance with the provisions of this section and the provisions of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), and the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951).

** * * * *

1. Subs. by Act 37 of 1957, s. 6, for "72".
2. Subs. by s. 6, *ibid.*, for "24, 6 and 6".
3. Subs. by s. 6, *ibid.*, for "24".
4. Subs. by s. 6, *ibid.*, for "this Act".
5. Subs. by s. 6, *ibid.*, for "the appointed day".
6. Proviso omitted by s. 6, *ibid.*

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का 37) से उद्धरण

* * * *

विधान परिषदें

33. मध्य प्रदेश विधान परिषद्—(1) ऐसी तारीख से जैसी राष्ट्रपति आदेश द्वारा नियत करे, मध्य प्रदेश के नए राज्य के लिए एक विधान परिषद् होगी।

(2) उक्त परिषद् में 1[90] स्थान होंगे जिनमें से—

(क) अनुच्छेद 171 के खण्ड (3) के उपखण्ड (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट निर्वाचन मण्डलों द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्याएं क्रमशः 3[31, 8 और 8] होंगी :

(ख) उक्त खण्ड के उपखण्ड (घ) के उपबन्धों के अनुसार विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या 3[31] होगी; तथा

(ग) उस खण्ड के उपखण्ड (ङ) के उपबन्धों के अनुसार राज्यपाल द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या 12 होगी।

(3) 4[विधान परिषद् अधिनियम, 1957 (1957 का 37) के प्रारम्भ के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, आदेश द्वारा—

(क) वे निर्वाचन-क्षेत्र, जिनमें अनुच्छेद 171 के खंड (3) के उपखण्ड (क); (ख) और (ग) में से हर एक के अधीन परिषद् के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए उक्त नया राज्य विभाजित किया जाएगा;

(ख) हर एक निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार; तथा

(ग) हर एक निर्वाचन-क्षेत्र को आवंटित स्थानों की संख्या, अवधारित करेगा।

(4) 5[ऐसे प्रारम्भ] के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र इस धारा के उपबन्धों और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) के उपबन्धों के अनुसार उक्त परिषद् गठित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

** * * *

** * * *

1. 1957 के अधिनियम सं० 37 की धारा 6 द्वारा "72" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. पूर्वोक्त की धारा 6 द्वारा "24, 6 और 6" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. पूर्वोक्त की धारा 6 द्वारा "24" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. पूर्वोक्त की धारा 6 द्वारा "इस अधिनियम" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. पूर्वोक्त की धारा 6 द्वारा "नियत दिन" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. पूर्वोक्त की धारा 6 द्वारा परन्तुक का लोप किया गया।

EXTRACTS FROM THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963

(20 OF 1963)

* * * * *

PART I

PRELIMINARY

* * * * *

2. Definitions and interpretation.—(1) In this Act, unless the context otherwise requires,—

* * * * *

{(h) “Union territory” means the Union territory of Pondicherry.]

* * * * *

PART II

LEGISLATIVE ASSEMBLIES

3. Legislative Assemblies for Union territories and their composition.—(1) There shall be a Legislative Assembly for each Union territory.

{(2) The total number of seats in the Legislative Assembly of {the Union territory} to be filled by persons chosen by direct election shall be thirty.]

(3) The Central Government may nominate not more than three persons, not being persons in the service of Government, to be members of the Legislative Assembly of {the Union territory.]

{(4) Seats shall be reserved for the Scheduled Castes in the Legislative Assembly of the Union territory.]

(5) The number of seats reserved for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in the Legislative Assembly {of the Union territory} [under sub-section (4)] shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats in the Assembly as the population of the Scheduled Castes in the Union territory or of the scheduled tribes in the Union territory, as the case may be, in respect of which seats are so reserved, bears to the total population of the Union territory.

{Explanation.—In this sub-section, the expression “population” means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published.

Provided that the reference in this Explanation to the last preceding census of which the relevant figures have been published shall, until the relevant figures for the first census taken after the year 2000 have been published, be construed as a reference to the 1971 census.]

-
1. Subs. by Act 18 of 1987, s. 65 for cl. (h) (w.e.f. 30-5-1987).
 2. Subs. by the State of Himachal Pradesh (Adaptation of Laws on Union Subjects) Order, 1973, for sub-section (2) (w.e.f. 25-1-1971).
 3. Subs. by Act 18 of 1987, s. 65, for “a Union territory” (w.e.f. 30-5-1987).
 4. Subs. by s. 65, *ibid.*, for sub-section (4) (w.e.f. 30-5-1987).
 5. Subs. by Act 86 of 1976, s. 2, for “of the Union territory of Pondicherry” (w.e.f. 30-9-1976).
 6. Subs. by Acts 18 of 1987, 65, for “any Union territory” (w.e.f. 30-5-1987).
 7. Ins. by Act 19 of 1984, s. 2.

संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20) से उद्धरण

* * * * *

भाग 1

प्रारम्भिक

* * * * *

2. परिभाषाएं तथा निर्वाचन—(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

* * * * *

¹[(अ) "संघ राज्यक्षेत्र" से पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है।]

* * * * *

भाग 2

विधान सभाएं

3. संघ राज्यक्षेत्रों के लिए विधान सभाएं तथा उनकी संरचना—(1) प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र के लिए एक विधान सभा होगी।

²[(2) ³[संघ राज्यक्षेत्र] की विधान सभा में ऐसे स्थानों की कुल संख्या जो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जाएंगे, तीस होगी।]

(3) केन्द्रीय सरकार तीन से अधिक ऐसे व्यक्तियों को, जो सरकार को सेवा में नहीं है, ³[संघ राज्यक्षेत्र] की विधान सभा के सदस्यों के रूप में नामनिर्देशित कर सकेगी।

⁴[(4) संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे।]

(5) उपधारा (4) के अधीन ⁵[⁶[संघ राज्यक्षेत्र]] की विधान सभा में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस विधान सभा में स्थानों की समस्त संख्या से यथाशक्य वही होगा, जो, यथास्थिति, उस संघ राज्यक्षेत्र की अनुसूचित जातियों की अथवा उस संघ राज्यक्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों की, जिनके सम्बन्ध में स्थान इस प्रकार आरक्षित हैं, जनसंख्या का अनुपात उस संघ राज्यक्षेत्र की कुल जनसंख्या से है।

⁷[स्पष्टीकरण—इस उपधारा में, "जनसंख्या" पद से ऐसी अंतिम पूर्वगामी जनगणना में, जिसके तत्संबंधी आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं, अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है :

परन्तु इस स्पष्टीकरण में ऐसी अंतिम पूर्वगामी जनगणना के, जिसके तत्संबंधी आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं, प्रति निर्देश का अर्थ तब तक जब तक सन् 2000 के पश्चात् की गई पहली जनगणना के तत्संबंधी आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यह लगाया जाएगा कि वह सन् 1971 की जनगणना के प्रति निर्देश है।]

1. 1987 के अधिनियम सं० 18 की धारा 65 द्वारा (30-5-1987 से) खण्ड (अ) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. हिमाचल प्रदेश राज्य (संघ विषयों पर विधि अनुकूलन) अधिनियम, 1973 द्वारा उपधारा (2) के स्थान पर (25-1-1971 से) प्रतिस्थापित।
3. 1987 के अधिनियम सं० 18 की धारा 65 द्वारा (30-5-1987 से) "किसी संघ राज्यक्षेत्र" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. पूर्वोक्त की धारा 65 द्वारा (30-5-1987 से) उपधारा (4) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. 1976 के अधिनियम सं० 86 की धारा 2 द्वारा (30-9-1976 से) "पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. 1984 के अधिनियम सं० 19 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

(PART II.—Acts of Parliament)

¶(6) Notwithstanding anything in sub-section (4), the reservation of seats for the Scheduled Castes in the Legislative Assembly of the Union territory shall cease to have effect on the same date on which the reservation of seats for the Scheduled Castes in the House of the People shall cease to have effect under article 334:

Provided that nothing in this sub-section shall affect any representation in the Legislative Assembly of the Union territory until the dissolution of the then existing Assembly.]

4. Qualification for membership of Legislative Assembly.—A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the Legislative Assembly of ¶[the Union territory] unless he—

(a) is a citizen of India and makes and subscribes before some person authorised in that behalf by the Election Commission an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the First Schedule;

(b) is not less than twenty-five years of age; and

(c) possesses such other qualifications as may be prescribed in that behalf by or under any law

5. Duration of Legislative Assemblies.—The Legislative Assembly of ¶[the Union territory] unless sooner dissolved, shall continue for five years from the date appointed for its first meeting and no longer, and the expiration of the said period of five years shall operate as a dissolution of the Assembly:

Provided that the said period may, while a Proclamation of Emergency issued under clause (1) of article 352 is in operation, be extended by the President by order for a period not exceeding one year at a time and not extending in any case beyond a period of six months after the Proclamation has ceased to operate.

* * * * *

13. Vacation of seats.—(1) No person shall be a member both of Parliament and of the Legislative Assembly of ¶[the Union territory] and if a person is chosen a member both of Parliament and of such Assembly, then, at the expiration of such period as may be specified in the rules made by the President, that person's seat in Parliament shall become vacant, unless he has previously resigned his seat in the Legislative Assembly of the Union territory.

(2) If a member of the Legislative Assembly of ¶[the Union territory]—

(a) becomes subject to any disqualification mentioned in ¶[section 14 or section 14A] for membership of the Assembly, or

(b) resigns his seat by writing under his hand addressed to the Speaker,

his seat shall thereupon become vacant.

(3) If for a period of sixty days a member of the Legislative Assembly of ¶[the Union territory] is without permission of the Assembly absent from all meetings thereof, the Assembly may declare his seat vacant:

Provided that in computing the said period of sixty days, no account shall be taken of any period during which the Assembly is prorogued or is adjourned for more than four consecutive days.

14. Disqualifications for membership.—(1) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the Legislative Assembly of ¶[the Union territory]—

1. Subs. by Act 18 of 1987, s. 65, for sub-section (6) (w.e.f. 30-5-1987).

2. Subs. by s. 65, *ibid.*, for "a Union territory" (w.e.f. 30-5-1987).

3. Subs. by Act 24 of 1985, s. 2, for "section 14".

3[(6) उपधारा (4) में किसी बात के होते हुए भी संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में अनुसूचित जातियों के लिए स्थान का आरक्षण उस तारीख से समाप्त हो जाएगा जिसको अनुच्छेद 334 के अधीन लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों का आरक्षण समाप्त होगा :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा में तत्समय विद्यमान सभा के विघटन तक कोई प्रभाव नहीं डालेगी ।]

4. विधान सभा की सदस्यता के लिए अर्हताएं—कोई व्यक्ति 3[संघ राज्यक्षेत्र] की विधान सभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित तभी होगा जब—

(क) वह भारत का नागरिक हो और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष, पहली अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार शपथ ले या प्रतिज्ञान करे और उस पर हस्ताक्षर करे ;

(ख) कम से कम पच्चीस वर्ष की आयु का हो, और

(ग) उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं हों, जो इस निमित्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाएं ।

5. विधान सभाओं की अवधि—3[संघ राज्यक्षेत्र] की विधान सभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक चालू रहेगी, इससे अधिक नहीं और पांच वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम उस सभा का विघटन होगा :

परन्तु उक्त अवधि को, जब अनुच्छेद 352 के खण्ड (1) के अधीन जारी की गई आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, राष्ट्रपति आदेश द्वारा किसी ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगा जो एक बार में एक वर्ष से अधिक की नहीं होगी और उद्घोषणा के प्रवृत्त न रह जाने के पश्चात् किसी भी दशा में उसका विस्तार छह मास की अवधि से अधिक नहीं होगा ।

* * * * *

13. स्थानों का रिक्त होना—(1) कोई व्यक्ति संसद् और 3[संघ राज्यक्षेत्र] की विधान सभा, दोनों का सदस्य नहीं होगा और यदि कोई व्यक्ति संसद् और ऐसी विधान सभा, दोनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात् जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए संसद् में ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जाएगा यदि उसने संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के अपने स्थान को पहले ही नहीं त्याग दिया है ।

(2) यदि संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा का सदस्य—

(क) विधान सभा की सदस्यता के लिए 3[धारा 14 या धारा 14क] में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो जाता है, या

(ख) अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग कर देता है,

तो ऐसा होने पर उसका स्थान रिक्त हो जाएगा ।

(3) यदि 3[संघ राज्यक्षेत्र] की विधान सभा का सदस्य साठ दिन की अवधि तक विधान सभा की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो विधान सभा उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगी :

परन्तु साठ दिन की उक्त अवधि की संगणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान विधान सभा सत्रावसित या निरंतर चार से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहती है ।

14. सदस्यता के लिए निरर्हताएं—(1) कोई व्यक्ति 3[संघ राज्यक्षेत्र] की विधान सभा का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा—

1. 1987 के अधिनियम सं० 18 की धारा 65 द्वारा (30-5-1987 से) उपधारा (6) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

2. 1987 के अधिनियम सं० 18 की धारा 65 द्वारा (30-5-1987 से) "किसी संघ राज्यक्षेत्र" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

3. 1985 के अधिनियम सं० 24 की धारा 2 द्वारा "धारा 14" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(PART II.—Acts of Parliament)

(a) if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State or the Government of [the Union territory], other than an office declared by law made by Parliament or by the Legislative Assembly of the Union territory not to disqualify its holder; or

(b) if he is for the time being disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament under the provisions of sub-clause (b), sub-clause (c) or sub-clause (d) of clause (1) of article 102 or of any law made in pursuance of that article.

(2) For the purposes of this section, a person shall not be deemed to hold an office of profit under the Government of India or the Government of any State or the Government of [the Union territory] by reason only that he is a Minister either for the Union or for such State or Union territory.

(3) If any question arises as to whether a member of the Legislative Assembly of [the Union territory] has become disqualified for being such a member under the provisions of sub-section (1), the question shall be referred for the decision of the President and his decision shall be final.

(4) Before giving any decision on any such question, the President shall obtain the opinion of the Election Commission and shall act according to such opinion.

[14A. Disqualification on ground of defection for being a member.—The provisions of the Tenth Schedule to the Constitution shall, subject to the necessary modifications (including modifications for construing references therein to the Legislative Assembly of a State, article 188, article 194 and article 212 as references, respectively, to the Legislative Assembly of [the Union territory], section 11, section 16 and section 37 of this Act), apply to and in relation to the members of the Legislative Assembly of [the Union territory] as they apply to and in relation to the members of the Legislative Assembly of a State, and accordingly,—

(a) the said Tenth Schedule as so modified shall be deemed to form part of this Act; and

(b) a person shall be disqualified for being a member of the Legislative Assembly of [the Union territory] if he is so disqualified under the said Tenth Schedule as so modified.]

39. Assembly constituencies.—For the purpose of elections to the Legislative Assembly of [the Union territory], the Union territory shall be divided into single-member assembly constituencies in accordance with the provisions of this Part in such manner that the population of each of the constituencies shall, so far as practicable, be the same throughout the Union territory.

40. Representation of Pondicherry in the House of the People.—There shall be allotted one seat to the Union territory of Pondicherry in the House of the People and that Union territory shall form one parliamentary constituency.

51. Provision in case of failure of constitutional machinery.—If the President, on receipt of a report from the Administrator of [the Union territory] or otherwise, is satisfied,—

(a) that a situation has arisen in which the administration of the Union territory cannot be carried on in accordance with the provisions of this Act, or

1. Subs. by Act 18 of 1987, s. 65, for "any Union territory" (w.e.f. 30-5-1987).

2. Subs. by s. 65, *ibid.*, for "a Union territory" (w.e.f. 30-5-1987).

3. Ins. by Act 24 of 1985, s. 3.

(क) यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के या [संघ राज्यक्षेत्र] की सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर जिसे धारण करने वाले का निरहित न होना संसद् ने या संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा ने विधि द्वारा घोषित किया है कोई लाभ का पद धारण करता है; अथवा

(ख) यदि वह अनुच्छेद 102 के खण्ड (1) के उपखण्ड (ख), उपखण्ड (ग) या उपखंड (घ) के उपबन्धों के अधीन या उस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाई गई किसी विधि के अधीन संसद् के दोनों सदनों में से किसी के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए तत्समय निरहित है।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति केवल इसलिए भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के या [संघ राज्यक्षेत्र] की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का या ऐसे राज्य का या संघ राज्यक्षेत्र का मंत्री है।

(3) यदि कोई प्रश्न उठता है कि [संघ राज्यक्षेत्र] की विधान सभा का कोई सदस्य ऐसा सदस्य होने के लिए उपधारा (1) के अधीन निरहित हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निविष्ट किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(4) ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पूर्व राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा तथा ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा।

*[14क. सदस्य होने के लिए दल परिवर्तन के आधार पर निरहंता—संविधान की दसवीं अनुसूची के उपबन्ध आवश्यक उपांतरणों के (जिनके अंतर्गत उसमें किसी राज्य की विधान सभा, अनुच्छेद 188, अनुच्छेद 194 और अनुच्छेद 212 के प्रति जो निर्देश हैं उनका क्रमशः संघ राज्यक्षेत्र) की विधान सभा, इस अधिनियम की धारा 11, धारा 16 और धारा 37 के प्रति निर्देश के रूप में अर्थ लगाने के लिए उपांतरण हैं) अधीन रहते हुए [संघ राज्यक्षेत्र] की विधान सभा के सदस्यों को और उनके संबंध में उरी प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी राज्य की विधान सभा के सदस्यों को और उनके संबंध में लागू होते हैं और तदनुसार—

(क) इस प्रकार उपांतरित उक्त दसवीं अनुसूची को इस अधिनियम का भाग समझा जाएगा ; और

(ख) कोई व्यक्ति [संघ राज्यक्षेत्र] की विधान सभा का सदस्य होने के लिए निरहित होगा यदि वह इस प्रकार उपांतरित उक्त दसवीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार निरहित हो जाता है।]

* * * * *

39. सभा निर्वाचन-क्षेत्र—[संघ राज्यक्षेत्र] की विधान सभा के लिए निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए वह संघ राज्यक्षेत्र इस भाग के उपबन्धों के अनुसार एक सदस्य सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि निर्वाचन-क्षेत्रों में प्रत्येक की जनसंख्या, जहां तक संभव हो, समस्त संघ राज्यक्षेत्र में वही होगी।

40. लोक सभा में पांडिचेरी का प्रतिनिधित्व—लोक सभा में, पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र को एक स्थान आवंटित किया जाएगा और वह संघ राज्यक्षेत्र एक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र होगा।

* * * * *

51. सांविधानिक संकट विफल हो जाने की घरा में उपबन्ध—यदि राष्ट्रपति का [संघ राज्यक्षेत्र] के प्रशासक से रिपोर्ट मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि—

(क) ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है; या

1. 1987 के अधिनियम सं० 18 की धारा 65 द्वारा (30-5-1987 से) "किसी संघ राज्यक्षेत्र" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. 1985 के अधिनियम सं० 24 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित।

(PART II.—Acts of Parliament)

(b) that for the proper administration of the Union territory it is necessary or expedient so to do,

the President may, by order, suspend the operation of all or any of the provisions of this Act for such period as he thinks fit and make such incidental and consequential provisions as may appear to him to be necessary or expedient for administering the Union territory in accordance with the provisions of article 239.

[52. Authorisation of expenditure by President.—Where the Legislative Assembly of [the Union territory] is dissolved, or its functioning as such Assembly remains suspended, on account of an order under section 51, it shall be competent for the President to authorise when the House of the People is not in session expenditure from the Consolidated Fund of that Union territory pending the sanction of such expenditure by Parliament].

* * * * *

1. Ins. by Act 1 of 1980, s. 2 (w.e.f. 25-9-1979).

2. Subs. by Act 18 of 1987, s. 65, for "a Union territory" (w.e.f. 30-5-1987).

(ख) संघ राज्यक्षेत्र के उचित प्रशासन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है,

तो राष्ट्रपति आदेश द्वारा इस अधिनियम के सभी उपबंधों का या उनमें से किसी का प्रवर्तन ऐसी अवधि के लिए, जैसा वह ठीक समझे, निलंबित कर सकेगा और ऐसे आनुषंगिक तथा पारिणामिक उपबंध कर सकेगा, जो उसे अनुच्छेद 239 के उपबंधों के अनुसार संघ राज्यक्षेत्र के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

[52. राष्ट्रपति द्वारा व्यय को प्राधिकृत किया जाना—जहाँ धारा 51 के अधीन किसी आदेश के कारण [संघ राज्यक्षेत्र] की विधान सभा विघटित कर दी गई है या ऐसी विधान सभा के रूप में उसके कृत्य निलंबित कर दिए गए हैं वहाँ, जब लोक सभा सत्र में नहीं है तब उस संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से व्यय के लिए संसद् की मजूरी संबन्धित रहने तक ऐसे व्यय को प्राधिकृत करने की राष्ट्रपति की क्षमता होगी।]

* * * *

1. 1980 के अधिनियम सं० 1 की धारा 2 द्वारा (25-9-1979 से) प्रस्तः स्थापित।

2. 1987 के अधिनियम सं० 18 की धारा 65 द्वारा (30-5-1987 से) "किसी संघ राज्य क्षेत्र" के स्थान पर प्रतिस्थापित।।

EXTRACTS FROM THE GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL
TERRITORY OF DELHI ACT, 1991
(1 OF 1992)

* * * * *

PART II

LEGISLATIVE ASSEMBLY

3. Legislative Assembly and its composition.—(1) The total number of seats in the Legislative Assembly to be filled by persons chosen by direct election from territorial constituencies shall be seventy.

(2) For the purpose of elections to the Legislative Assembly, the Capital shall be divided into single-member assembly constituencies in accordance with the provisions of Part III in such manner that the population of each of the constituencies shall, so far as practicable, be the same throughout the Capital.

(3) Seats shall be reserved for the Scheduled Castes in the Legislative Assembly, and the number of seats so reserved shall bear, as nearly as may be, the same proportion to the total number of seats in the Assembly as the population of the Scheduled Castes in the Capital bears to the total population of the Capital and the provisions of article 334 shall apply to such reservation.

Explanation.—In this section, the expression “population” means the population as ascertained in the last preceding census of which the relevant figures have been published :

Provided that where such figures have not been published, then for the purposes of elections for the constitution of the first Legislative Assembly under this Act, the provisional figures of the population of the Capital as published in relation to the 1991 census shall be deemed to be the population of the Capital.

4. Qualifications for membership of Legislative Assembly.—A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the Legislative Assembly unless he—

(a) is a citizen of India and makes and subscribes before some person authorised in that behalf by the Election Commission an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Schedule;

(b) is not less than twenty-five years of age: and

(c) possesses such other qualifications as may be prescribed in that behalf by or under any law made by Parliament.

5. Duration of Legislative Assembly.—The Legislative Assembly, unless sooner dissolved, shall continue for five years from the date appointed for its first meeting and no longer, and the expiration of the said period of five years shall operate as a dissolution of the Assembly :

Provided that the said period may, while a Proclamation of Emergency issued under clause (1) of article 352 is in operation, be extended by the President by order for a period not exceeding one year at a time and not extending in any case beyond a period of six months after the Proclamation has ceased to operate.

* * *

**दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम,
1991 (1992 का 1) से उद्धारण**

* * *

भाग 2

विधान सभा

3. विधान सभा और उसकी संरचना—(1) विधान सभा में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्तियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या सत्तर होगी।

(2) विधान सभा के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए, राजधानी को इस अधिनियम के भाग 3 के उपबंधों के अनुसार एकल-सदस्य सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में ऐसी रीति में विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र की जनसंख्या समस्त राजधानी में यथासाध्य एक ही हो।

(3) विधान सभा में अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य बही होगा जो राजधानी में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अनुपात राजधानी की कुल जनसंख्या से है और ऐसे आरक्षण के संबंध में अनुच्छेद 334 के उपबंध लागू होंगे।

स्पष्टीकरण—इस धारा में "जनसंख्या" पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिर्दिष्ट की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके मुसौदा आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं :

परन्तु जहाँ ऐसे आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए हैं वहाँ इस अधिनियम के अर्थात् प्रथम विधान सभा के गठन के लिए निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ, राजधानी की जनसंख्या के अंतिम आंकड़ों को, जैसे कि वे 1991 की जनगणना के संक्षेप में प्रकाशित हुए हैं, राजधानी की जनसंख्या समझा जाएगा।

4. विधान सभा की सदस्यता के लिए अर्हता—कोई व्यक्ति विधान सभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित तभी होगा जब—

(क) वह भारत का नागरिक है और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रकरण के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है;

(ख) वह कम से कम पच्चीस वर्ष की आयु का है; और

(ग) उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएँ हैं जो इस निमित्त संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अर्थात् विहित की जाएँ।

5. विधान सभा की अवधि—विधान सभा, यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है, तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं और पांच वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम विधान सभा का विघटन होगा :

परन्तु उक्त अवधि को, जब अनुच्छेद 352 के खंड (1) के अर्थात् निकाली गई आपात-उद्घोषणा प्रवर्तन में है, राष्ट्रपति आदेश द्वारा ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगा जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात् किसी भी तथा में उसका विस्तार छत्र मास की अवधि से अधिक नहीं होगा।

(PART II.—Acts of Parliament)

14. Vacation of seats.—(1) No person shall be a member both of Parliament and of the Legislative Assembly and if a person is chosen a member both of Parliament and of such Assembly, then, at the expiration of such period as is specified in or under the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and the rules made by the President under clause (2) of article 101 and clause (2) of article 190, that person's seat in Parliament shall become vacant, unless he has previously resigned his seat in the Legislative Assembly.

(2) If a member of the Legislative Assembly—

(a) becomes subject to any disqualification mentioned in section 15 or section 16 for membership of the Assembly, or

(b) resigns his seat by writing under his hand addressed to the Speaker and his resignation is accepted by the Speaker,

his seat shall thereupon become vacant :

Provided that in the case of any resignation referred to in clause (b), if from the information received or otherwise and after making such inquiry as he thinks fit, the Speaker is satisfied that such resignation is not voluntary or genuine, he shall not accept such resignation.

(3) If for a period of sixty days a member of the Legislative Assembly is without permission of the Assembly absent from all meetings thereof, the Assembly may declare his seat vacant :

Provided that in computing the said period of sixty days, no account shall be taken of any period during which the Assembly is prorogued or is adjourned for more than four consecutive days.

15. Disqualifications for membership.—(1) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the Legislative Assembly—

(a) if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State or the Government of any Union territory other than an office declared by law made by Parliament or by the Legislature of any State or by the Legislative Assembly of the Capital or of any other Union territory not to disqualify its holder; or

(b) if he is for the time being disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament under the provisions of sub-clause (b), sub-clause (c) or sub-clause (d) of clause (1) of article 102 or of any law made in pursuance of that article.

(2) For the purposes of this section, a person shall not be deemed to hold an office of profit under the Government of India or the Government of any State or the Government of any Union territory by reason only that he is a Minister either for the Union or for such State or Union territory.

(3) If any question arises as to whether a member of the Legislative Assembly has become disqualified for being such a member under the provisions of sub-section (1), the question shall be referred for the decision of the President and his decision shall be final.

(4) Before giving any decision on any such question, the President shall obtain the opinion of the Election Commission and shall act according to such opinion.

(भाग 2—संसद के अधिनियम)

14. स्थानों का रिक्त होना—(1) कोई व्यक्ति संसद तथा विधान सभा दोनों का सदस्य नहीं होगा और यदि कोई व्यक्ति संसद तथा ऐसी सभा, दोनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात्, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) और राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 101 के खंड (2) तथा अनुच्छेद 190 के खंड (2) में या उसके अधीन विनिर्दिष्ट की जाए, उस व्यक्ति का संसद में स्थान रिक्त हो जाएगा, जब तक कि उसने विधान सभा में अपने स्थान को पहले ही नहीं त्याग दिया है।

(2) यदि विधान सभा का कोई सदस्य—

(क) सभा की सदस्यता के लिए धारा 15 या धारा 16 में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो जाता है:

(ख) अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग कर देता है और उसका त्यागपत्र अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है,

तो ऐसा होने पर उसका स्थान रिक्त हो जाएगा :

परन्तु खंड (ख) में निर्दिष्ट त्यागपत्र की दशा में, यदि प्राप्त जानकारी से या अन्यथा और ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, यथास्थिति, अध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा त्यागपत्र स्वैच्छिक या असली नहीं है तो वह ऐसे त्यागपत्र को स्वीकार नहीं करेगा।

(3) यदि विधान सभा का सदस्य साठ दिन की अवधि तक सभा की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सभा उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगी :

परन्तु साठ दिन की उक्त अवधि की संगणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सभा सत्रावसित या निरंतर चार से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहती है।

15. सदस्यता के लिए निरर्हता—(1) कोई व्यक्ति विधान सभा का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा,—

(क) यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के या किसी संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़कर जिसके धारण करने वाले का निरर्हित न होना संसद द्वारा या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा या राजधानी या किसी अन्य संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है;

(ख) यदि वह अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (ख), उपखंड (ग) या उपखंड (घ) के उपबंधों के अधीन अथवा उस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य चुने जाने और होने के लिए तत्समय निरर्हित है।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार या किसी संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का या ऐसे राज्य का या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र का मंत्री है।

(3) यदि यह प्रश्न उठता है कि विधान सभा का कोई सदस्य उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन ऐसा सदस्य होने के लिए निरर्हित हो गया है या नहीं, तो वह प्रश्न राष्ट्रपति के विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(4) ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा।

(PART II.—Acts of Parliament)

16. Disqualification on ground of defection.—The provisions of the Tenth Schedule to the Constitution shall, subject to the necessary modifications (including modifications for construing references therein to the Legislative Assembly of a State, article 188, article 194 and article 212 as references, respectively, to the Legislative Assembly, section 12, section 18 and section 37 of this Act), apply to and in relation to the members of the Legislative Assembly as they apply to and in relation to the members of the Legislative Assembly of a State, and accordingly:—

(a) the said Tenth Schedule as so modified shall be deemed to form part of this Act; and

(b) a person shall be disqualified for being a member of the Legislative Assembly if he is so disqualified under the said Tenth Schedule as so modified.

* * * * *

PART II

DELIMITATION OF CONSTITUENCIES

38. Election Commission to delimit constituencies.—(1) The Election Commission shall, in the manner herein provided, distribute the seats assigned to the Legislative Assembly under section 3 to single-member territorial constituencies and delimit them having regard to the following provisions, namely:—

(a) all constituencies shall, as far as practicable, be delimited in such manner that the ratio between the population of each of such constituencies and the total population of the Capital is the same; and

(b) constituencies in which seats are reserved for the Scheduled Castes shall, as far as practicable, be located in areas where the proportion of their population to the total population is comparatively large.

(2) The Election Commission shall—

(a) publish its proposals for the delimitation of constituencies in the Official Gazette and also in such other manner as the Commission may consider fit, together with a notice inviting objections and suggestions in relation to the proposals and specifying a date on or after which the proposals will be further considered by it;

(b) consider all objections and suggestions which may have been received by it before the date so specified;

(c) after considering all objections and suggestions which may have been received by it before the date so specified, determine by one or more orders the delimitation of constituencies and cause such order or orders to be published in the Official Gazette; and upon such publication, the order or orders shall have the full force of law and shall not be called in question in any court.

(भाग 2—संसद के अधिनियम)

16. दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता—संविधान की दसवीं अनुसूची के उपबंध, आवश्यक उपंतरो के अधीन रहते हुए (जिसके अंतर्गत यह उपंतरण भी है कि उसमें राज्य की विधान सभा, अनुच्छेद 188, अनुच्छेद 194 और अनुच्छेद 212 के प्रति निर्देशों का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वे, क्रमशः विधान सभा, और इस अधिनियम की धारा 12, धारा 18 और धारा 37 के प्रति निर्देश है) विधान सभा के सदस्यों को और उनके संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे राज्य की विधान सभा के सदस्यों को और उनके संबंध में लागू होते हैं, और तदनुसार:—

(क) इस प्रकार उपंतरित उक्त दसवीं अनुसूची इस अधिनियम का भाग समझी जाएगी; और

(ख) कोई व्यक्ति विधान सभा का सदस्य होने से निरर्हित होगा यदि वह इस प्रकार उपंतरित उक्त दसवीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार निरर्हित है।

* * *

* * *

*

भाग 3

निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन

38. निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन करना—(1) निर्वाचन आयोग, धारा 3 के अधीन विधान सभा के लिए समनुदिष्ट स्थानों को एक-सदस्यीय प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में, इसमें उपबन्धित रीति से, वितरित करेगा और उनका परिसीमन निम्नलिखित उपबंधों को ध्यान में रखते हुए करेगा, अर्थात्:—

(क) सभी निर्वाचन-क्षेत्रों का, यथासाध्य, ऐसी रीति से परिसीमन किया जाएगा कि राजधानी की कुल जनसंख्या का ऐसे प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र की जनसंख्या से अनुपात एक ही हो; और

(ख) वे निर्वाचन-क्षेत्र जिनमें अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित किए जाते हैं, यथासाध्य, उन क्षेत्रों में अवस्थित होंगे, जहां उनकी जनसंख्या का अनुपात कुल जनसंख्या से अपेक्षाकृत अधिक हो।

(2) निर्वाचन आयोग,—

(क) निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के लिए अपनी प्रस्थापनाएँ, राजपत्र में और ऐसी अन्य रीति से भी, जैसी आयोग ठीक समझे, प्रकाशित करेगा और साथ-साथ एक सूचना भी प्रकाशित करेगा जिसमें प्रस्थापनाओं के संबंध में आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए हों और वह तारीख विनिर्दिष्ट की गई हो जिसकी या जिसके पश्चात् प्रस्थापनाओं पर उसके द्वारा आगे विचार किया जाएगा;

(ख) उन सभी आक्षेपों और सुझावों पर विचार करेगा जो उसे इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पहले प्राप्त हुए हों;

(ग) इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख के पहले उसे प्राप्त हुए सभी आक्षेपों और सुझावों पर विचार करने के पश्चात्, एक या अधिक आदेशों द्वारा, निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन अवधारित करेगा और ऐसे आदेश या आदेशों को राजपत्र में प्रकाशित करवाएगा; और ऐसे प्रकाशन पर वह आदेश या वे आदेश विधि का पूर्ण बल रखेगा या रखेंगे और उसे या उन्हें किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

(PART II.—Acts of Parliament)

39. Power of Election Commission to maintain delimitation orders up-to-date.—The Election Commission may, from time to time, by notification in the Official Gazette,—

(a) correct any printing mistakes in any order made under section 38 or any error arising therein from inadvertent slip or omission; and

(b) where the boundaries or name of any territorial division mentioned in any such order are or is altered, make such amendments as appear to it to be necessary or expedient for bringing such order up-to-date.

40. Elections to the Legislative Assembly.—(1) For the purpose of constituting the Legislative Assembly, a general election will be held as soon as may be, after the delimitation of all the assembly constituencies under section 38.

(2) For the purposes of sub-section (1), the Lieutenant Governor shall, by one or more notifications published in the Official Gazette, call upon all the said assembly constituencies to elect members in accordance with the provisions of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and of the rules and orders made or issued thereunder as applicable under sub-section (3).

(3) The Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the rules and orders made or issued under the said Acts and all other laws for the time being in force relating to elections shall apply with necessary modifications (including modifications for construing references therein to a State, State Government and Governor as including references to the Capital, Government of the Capital and Lieutenant Governor, respectively) to, and in relation to, the general election referred to in sub-section (1).

* * * * *

53. Power of President to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in relation to the transition from the provisions of any law repealed by this Act or in giving effect to the provisions of this Act and in particular in relation to the constitution of the Legislative Assembly, the President may by order do anything not inconsistent with the provisions of the Constitution or of this Act which appear to him to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty:

Provided that no order under this sub-section shall be made after the expiry of three years from the date of constitution of the first Legislative Assembly.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before each House of Parliament.

* * * * *

(भाग 2—संसद के अधिनियम).

39. निर्वाचन आयोग की परिसीमन आदेशों को अद्यतन रखने की शक्ति—निर्वाचन आयोग, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर,—

(क) धारा 38 के अधीन किए गए किसी आदेश में की किसी मुद्दा संबंधी भूल को या अनवधानता से हुई भूल या लोप से उसमें हुई किसी गलती को शुद्ध कर सकेगा;

(ख) वहां, जहां कि उस किसी आदेश में उल्लिखित किसी प्रादेशिक खंड की सीमाएं या नाम परिवर्तित कर दिए जाते हैं, का ऐसे संशोधन कर सकेगा जो उस आदेश को अद्यतन बनाने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

40. विधान सभा के लिए निर्वाचन—(1) धारा 38 के अधीन सभी सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन करने के पश्चात् विद्यमान विधान सभा का गठन करने के प्रयोजन के लिए, यथाशीघ्र साधारण निर्वाचन कराया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, उपराज्यपाल, राजपत्र में प्रकाशित एक या अधिक अधिसूचनाओं द्वारा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) और उसके अधीन बनाए गए नियमों या जारी किए गए आदेशों के, जो उपधारा (3) के अधीन लागू हैं, उपबंधों के अनुसार उक्त सभी सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से सदस्यों के निर्वाचन की अपेक्षा करेगा।

(3) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) और उक्त अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियम या निकाले गए आदेश तथा निर्वाचनों से संबंधित तत्समय प्रवृत्त सभी अन्य विधियां, आवश्यक उपांतरणों सहित (जिनमें उसमें अर्थान्वयन करने के लिए राज्य, राज्य सरकार और राज्यपाल के प्रति निर्देशों को क्रमशः राजधानी, राजधानी की सरकार और उपराज्यपाल के प्रति निर्देश के रूप में सम्मिलित उपांतरण भी हैं) उपधारा (1) में निर्दिष्ट साधारण निर्वाचन को या उसके संबंध में लागू होंगी।

* * * * *

53. कठिनाइयां दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति—(1) यदि इस अधिनियम द्वारा निरसित किसी विधि के उपबंधों के संक्रमण के संबंध में, या इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में तथा विशिष्टतया विधान सभा के गठन के संबंध में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति, ऐसे आदेश द्वारा, जो संविधान के या इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत न हों, कोई भी बात कर सकेगा जो उसे उस कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई आदेश प्रथम विधान सभा के गठन की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

* * * * *

THE JAMMU AND KASHMIR REPRESENTATION OF THE PEOPLE
(SUPPLEMENTARY) ACT, 1968

(3 OF 1968)

[23rd March, 1968.]

An Act to supplement the Jammu and Kashmir Representation of the People Act, 1957.

BE it enacted by Parliament in the Nineteenth Year of the Republic of India as follows:—

1. **Short title and commencement.**—(1) This Act may be called the Jammu and Kashmir Representation of the People (Supplementary) Act, 1968.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 9th day of February, 1968.

2. **Application of sections 116A, 116B and 116C of the Representation of the People Act, 1951 to orders made by the Jammu and Kashmir High Court.**—The provisions of sections 116A, 116B, and 116C of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), shall, so far as may be, apply to every order made by the High Court of Jammu and Kashmir subject to the following modifications, namely:—

(a) references therein to the High Court shall be construed as including references to the High Court of Jammu and Kashmir,

(b) references therein to the State Legislature or to the Speaker or Chairman thereof, shall be construed as including references to the Legislature of the State of Jammu and Kashmir and to the Speaker or Chairman thereof, and

(c) references therein to the provisions of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), shall, in relation to the State of Jammu and Kashmir, be construed as references to the corresponding provisions of the Jammu and Kashmir Representation of the People Act, 1957 (Jammu and Kashmir Act No. IV of 1957).

3. **Repeal and saving.**—(1) The Jammu and Kashmir Representation of the People (Supplementary) Ordinance, 1968 (Ord. 2 of 1968), is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act.

जम्मू-कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व (अनुपूरक) अधिनियम, 1968
(1968 का 3)

[23 मार्च, 1968]

जम्मू-कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1957 को
अनुपूरित करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्नीसवें वर्ष में संघ द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) यह अधिनियम जम्मू-कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व (अनुपूरक) अधिनियम, 1968 कहा जा सकेगा।

(2) यह 1968 की फरवरी के नवें दिन को प्रवृत्त हो गया समझा जाएगा।

2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धाराओं 116क, 116ख और 116ग का जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा किए गए आदेशों को लागू होना—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धाराओं 116क, 116ख और 116ग के उपबन्ध जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा किए गए हर आदेश को निम्नलिखित शर्तों के साथ यावत्क्षय लागू होंगे, अर्थात् :—

(क) उसमें के उच्च न्यायालय के प्रति निर्देशों का अर्थ इस प्रकार लगाया जाएगा कि उनके अन्तर्गत जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के प्रति निर्देश आते हैं,

(ख) उसमें के राज्य विधान-मंडल के प्रति या उसके अध्यक्ष या सभापति के प्रति निर्देशों का अर्थ इस प्रकार लगाया जाएगा कि उनके अन्तर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य के विधान-मंडल के प्रति और उसके अध्यक्ष या सभापति के प्रति निर्देश आते हैं, तथा

(ग) उसमें के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) के उपबन्धों के प्रति निर्देशों का जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में इस प्रकार अर्थ लगाया जाएगा कि वे जम्मू-कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1957 (1957 का जम्मू-कश्मीर अधिनियम सं० 4) के तत्समान उपबन्धों के प्रति निर्देश हैं।

3. निरसन और व्याप्ति—(1) जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन आफ बि पोपुल (सप्लीमेंट) आर्डिनेंस, 1968 (1968 का 2) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी यह है कि उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी।

THE DELIMITATION ACT, 1972

(76 OF 1972)

[30th December, 1972.]

An Act to provide for the readjustment of the allocation of seats in the House of the People to the States, the total number of seats in the Legislative Assembly of each State, the division of each State and each Union territory having a Legislative Assembly and the Union territory of Delhi into territorial constituencies for elections to the House of the People and Legislative Assemblies of the States and Union territories and Metropolitan Council of Delhi and for matters connected therewith.

BE it enacted by Parliament in the Twenty-third Year of the Republic of India as follows :—

1. **Short title.**—This Act may be called the Delimitation Act, 1972.

2. **Definitions.**—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) “article” means an article of the Constitution;

(b) “associate member” means a member nominated under section 5;

(c) “Commission” means the Delimitation Commission constituted under section 3;

(d) “Legislative Assembly” includes the Metropolitan Council of Delhi;

(e) “latest census figures” mean the census figures as ascertained at the census held in 1971;

(f) “Member” means a member of the Commission and includes the Chairman;

(g) “State” includes a Union territory having a Legislative Assembly but does not include the State of Jammu and Kashmir.

3. **Constitution of Delimitation Commission.**—(1) As soon as may be after the commencement of this Act, the Central Government shall constitute a Commission to be called the Delimitation Commission which shall consist of three members as follows:—

(a) two members, each of whom shall be a person who is or has been a Judge of the Supreme Court or of a High Court, to be appointed by the Central Government; and

(b) the Chief Election Commission, *ex officio*.

(2) The Central Government shall nominate one of the members appointed under clause (a) of sub-section (1) to be the Chairman of the Commission.

4. **Duties of the Commission.**—It shall be the duty of the Commission to readjust on the basis of the latest census figures the allocation of seats in the House of the People to the several States, the total number of seats in the Legislative Assembly of each State and the division of each State into territorial constituencies for the purpose of elections to the House of People and to the State Legislative Assembly:

परिसीमन अधिनियम, 1972

(1972 का 76)

[30 दिसम्बर, 1972]

लोक सभा में विभिन्न राज्यों को आबंटित स्थानों का, प्रत्येक राज्य के लिए विधान सभा के कुल स्थानों का, प्रत्येक राज्य को और ऐसे प्रत्येक संघ राज्य-क्षेत्र को जहाँ विधान सभा है तथा दिल्ली संघ राज्यक्षेत्रों को, लोक सभा और राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को विधान सभाओं और

दिल्ली को महानगर परिषद् के निर्वाचन के लिए

प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन का पुनः

समायोजन करने तथा उनसे संबंधित

विषयों का उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में संशुद्ध द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम परिसीमन अधिनियम, 1972 है।

2. परिभाषाएँ—इस अधिनियम में,—जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अनुच्छेद” से संविधान का अनुच्छेद अभिप्रेत है।

(ख) “सहयुक्त सदस्य” से धारा 5 के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य अभिप्रेत हैं;

(ग) “आयोग” से धारा 3 के अधीन गठित परिसीमन आयोग अभिप्रेत है;

(घ) “विधान सभा” के अन्तर्गत दिल्ली की महानगर परिषद् है;

(ङ) “नवीनतम जनगणना के आंकड़ों” से 1971 में हुई जनगणना के समय अभिनिश्चित जनगणना के आंकड़े अभिप्रेत हैं;

(च) “सदस्य” से आयोग का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है;

(छ) “राज्य” के अन्तर्गत ऐसा संघ राज्यक्षेत्र भी है जिसमें विधान सभा है, किन्तु इसके अन्तर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य नहीं है।

3. परिसीमन आयोग का गठन—(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् केन्द्रीय सरकार, यथासंभव शीघ्र परिसीमन आयोग के नाम से एक आयोग का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित तीन सदस्य होंगे :—

(क) दो सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्च-तम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है; और

(ख) मुख्य निर्वाचन आयुक्त, पदेन।

(2) केन्द्रीय सरकार उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन नियुक्त सदस्यों में से किसी सदस्य को आयोग के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगी।

4. आयोग के कर्तव्य—आयोग का कर्तव्य नवीनतम जनगणना के आंकड़ों के आधार पर लोक सभा में विभिन्न राज्यों को स्थानों के आवंटन का, प्रत्येक राज्य के लिए विधान सभा के कुल स्थानों का, तथा लोक सभा और राज्य की विधान सभा के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य की प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन का पुनः समा-योजन करना होगा :

(PART II.—Acts of Parliament)

Provided that where on such readjustment only one seat is allocated in the House of the People to a State, the whole of that State shall form one territorial constituency for the purpose of elections to the House of the People from that State:

Provided further that it shall not be necessary for the Commission to readjust the allocation of seats in the House of the People to any Union territory or the total number of seats in the Legislative Assembly of any of the Union territories of Daman and Diu, Pondicherry and Mizoram or the total number of seats in the Metropolitan Council of the Union territory of Delhi.

5. Associate members.—(1) The Commission shall associate with itself for the purpose of assisting it in its duties in respect of each State, ten persons five of whom shall be members of the House of the People representing that State and five shall be members of the Legislative Assembly of that State:

Provided that where the number of members of the House of the People representing any State is five or less, then all such members shall be the associate members for that State and in the latter case the total number of associate members shall be less than ten by such number as by which the total number of members of the House of the People representing that State is less than five.

(2) The persons to be so associated from each State shall be nominated, in the case of members of the House of the People, by the Speaker of that House, and in the case of members of a Legislative Assembly, by the Speaker of that Assembly, having due regard to the composition of the House or, as the case may be, of the Assembly.

(3) The first nominations to be made under sub-section (2)—

(a) shall be made by the Speakers of the several Legislative Assemblies within one month, and by the Speaker of the House of the People within two months, of the commencement of this Act, and

(b) shall be communicated to the Chief Election Commissioner, and where the nominations are made by the Speaker of a Legislative Assembly, also to the Speaker of the House of the Peoples.

(4) None of the associate members shall have a right to vote or to sign any decision of the Commission.

6. Casual vacancies.—If owing to death or resignation the office of the Chairman or of a member or of an associate member falls vacant, it shall be filled as soon as may be practicable by the Central Government or the Speaker concerned under and in accordance with the provisions of section 2, or, as the case may be, of section 5.

7. Procedure and powers of the Commission.—(1) The Commission shall determine its own procedure and shall in the performance of its functions have all the powers of a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), while trying a suit, in respect of the following matters, namely:—

(a) summoning and enforcing the attendance of witnesses;

(b) requiring the production of any document; and

(c) requisitioning any public record from any court or office.

(2) The Commission shall have power to require any person to furnish any information on such points or matters as in the opinion of the Commission may be useful for, or relevant to, any matter under the consideration of the Commission.

(3) The Commission may authorise any of its members to exercise any of the powers conferred on it by clauses (a) to (c) of sub-section (1) and sub-section (2) and any order made or act done in exercise of any of those powers by the member authorised by the Commission in that behalf shall be deemed to be the order or act, as the case may be, of the Commission.

(4) If there is a difference of opinion among the members, the opinion of the majority shall prevail, and acts and orders of the Commission shall be expressed in terms of the views of the majority.

परन्तु जहाँ ऐसे पुनः समायोजन पर लोक सभा में किसी राज्य के लिए केवल एक स्थान आवंटित किया जाता है, वहाँ उस राज्य से लोक सभा के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए सारा राज्य एक प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र होगा :

परन्तु यह और कि आयोग के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह लोक सभा में किसी संघ राज्यक्षेत्र को स्थानों के आवंटन का या दमण और दीव, पांडिचेरी तथा मिजोरम संघ राज्यक्षेत्रों में से किसी की विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या का अथवा दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र की महानगर परिषद् में स्थानों की कुल संख्या का पुनः समायोजन करे :

5. सहयुक्त सदस्य--(1) आयोग प्रत्येक राज्य के बारे में अपने कार्यों में सहायता देने के प्रयोजन के लिए दस व्यक्तियों को सहयुक्त करेगा, जिनमें से पांच व्यक्ति उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा के सदस्य होंगे और पांच सदस्य उस राज्य की विधान सभा के सदस्य होंगे :

परन्तु जहाँ किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा के सदस्यों की संख्या पांच या उससे कम है, वहाँ ऐसे सभी सदस्य उस राज्य के लिए सहयुक्त सदस्य होंगे और पश्चात् कथित दशा में, सहयुक्त सदस्यों की कुल संख्या दस से उतनी संख्या से कम होगी जितनी से उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली लोक सभा के सदस्यों की कुल संख्या पांच से कम है ।

(2) प्रत्येक राज्य से इस प्रकार सहयुक्त होने वाले व्यक्तियों को, लोक सभा के सदस्यों की दशा में, उस सदन के अध्यक्ष द्वारा, और विधान सभा के सदस्यों की दशा में, उस विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा, यथास्थिति, लोक सभा या विधान सभा के गठन का सम्यक् ध्यान रखते हुए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन किए जाने वाले प्रथम नामनिर्देशन--

(क) इस अधिनियम के प्रारम्भ से एक मास के अन्दर विभिन्न विधान सभाओं के अध्यक्षों द्वारा और दो मास के अन्दर लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा, किए जाएंगे; और

(ख) मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसूचित किए जाएंगे, और जहाँ नामनिर्देशन विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा किए जाते हैं, वहाँ लोक सभा के अध्यक्ष को भी संसूचित किए जाएंगे।

(4) सहयुक्त सदस्यों में से किसी को भी आयोग के किसी विनिश्चय पर मत देने या हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं होगा ।

6. धाकस्मिक रिक्तियाँ--यदि मृत्यु या त्यागपत्र के कारण अध्यक्ष या किसी सदस्य या किसी सहयुक्त सदस्य का पद रिक्त होता है, तो उसकी पूर्ति यथासाध्य शीघ्रता से, यथास्थिति, धारा 3 या धारा 5 के उपबन्धों के अधीन और अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा या संबद्ध अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

7. आयोग की प्रक्रिया और शक्तियाँ--(1) आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं अवधारित करेगा और अपने कृत्यों का पालन करने में उसे किसी वाद का विचारण करते समय निम्नलिखित विषयों के बारे में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी, अर्थात्:--

(क) साक्षियों को सम्मल करने और उनको हाजिर कराने की;

(ख) किसी दस्तावेज का पेश किया जाना अपेक्षित करने की; और

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख को अध्यापना करने की।

(2) आयोग को किसी व्यक्ति से ऐसी बातों या विषयों के बारे में, जो आयोग की राय में उसके विचाराधीन किसी विषय के लिए उपयोगी या उससे सुसंगत हैं, जानकारी देने के लिए अनेका करने की शक्ति होगी।

(3) आयोग अपने सदस्यों में से किसी सदस्य को उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ग) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों में से किसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा, और आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी सदस्य द्वारा उन शक्तियों में से किसी के प्रयोग में दिए गए आदेश या किए गए किसी कार्य के बारे में यह समझा जाएगा कि, यथास्थिति, वह आदेश या कार्य आयोग का है ।

(4) यदि सदस्यों में मतभेद है तो बहुमत माना जाएगा और आयोग के कार्य और आदेश बहुमत के दृष्टिकोण के अनुसार अभिव्यक्त किए जाएंगे।

(PART II.—Acts of Parliament)

(5) The Commission as well as any group of associate members shall have power to act notwithstanding the temporary absence of a member or associate member or the existence of a vacancy in the Commission or in that or any other group of associate members; and no act or proceeding of the Commission or of any group of associate members shall be invalid or called in question on the ground merely of such temporary absence or of the existence of such vacancy.

(6) The Commission shall be deemed to be a civil court for the purposes of sections 480 and 482 of the Code of Criminal Procedure, 1893 (5 of 1898)¹.

Explanation.—For the purposes of enforcing the attendance of witnesses, the local limits of the jurisdiction of the Commission shall be the limits of the territory of India.

8. Readjustment of number of seats.—The Commission shall, on the basis of the latest census figures and having regard to the provisions of articles 81, 170, 330 and 332, and also, in relation to the State of Nagaland clause (2)(i) of article 371A and sub-section (1) of section 11 of the State of Nagaland Act, 1962 (7 of 1962), in relation to the Union territories except Delhi sections 3 and 39 of the Government of Union Territories Act, 1963 (20 of 1963), and in relation to the Union territory of Delhi section 3 and sub-section (1) of section 4 of the Delhi Administration Act, 1966 (19 of 1966), by order determine—

(a) the number of seats in the House of the People to be allocated to each State and the number of seats, if any, to be reserved for the Scheduled Castes and for the Scheduled Tribes of the State; and

(b) the total number of seats to be assigned to the Legislative Assembly of each State and the number of seats, if any, to be reserved for the Scheduled Castes and for the Scheduled Tribes of the State:

Provided that the total number of seats assigned to the Legislative Assembly of any State under clause (b) shall be an integral multiple of the number of seats in the House of the People allocated to that State under clause (a).

9. Delimitation of constituencies.—(1) The Commission shall, in the manner herein provided, then distribute the seats in the House of the People allocated to each State and the seats assigned to the Legislative Assembly of each State to single-member territorial constituencies and delimit them on the basis of the latest census figures, having regard to the provisions of the Constitution and the provisions of the Acts specified in section 8 and also to the following provisions, namely :—

(a) all constituencies shall, as far as practicable, be geographically compact areas, and in delimiting them regard shall be had to physical features, existing boundaries of administrative units, facilities of communication and public convenience;

(b) every assembly constituency shall be so delimited as to fall wholly within one parliamentary constituency;

(c) constituencies in which seats are reserved for the Scheduled Castes shall be distributed in different parts of the State and located, as far as practicable, in those areas where the proportion of their population to the total is comparatively large; and

(d) constituencies in which seats are reserved for the Scheduled Tribes shall, as far as practicable, be located in areas where the proportion of their population to the total is the largest.

(2) The Commission shall—

(a) publish its proposals for the delimitation of constituencies, together with the dissenting proposals, if any, of any associate member who desires publication thereof, in the Gazette of India and in the Official Gazettes of all the States concerned and also in such other manner as it thinks fit;

1. See now the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974).

। (5) इस बात के होते हुए भी कि कोई सदस्य या सहयुक्त सदस्य अस्थायी रूप से, अनुपस्थित है, या आयोग या सहयुक्त सदस्यों के उस या किसी अन्य मण्डली में रिक्ति विद्यमान है, आयोग तथा सहयुक्त सदस्यों की किसी मण्डली को कार्य करने की शक्ति प्राप्त होगी, और आयोग या किसी सहयुक्त सदस्यों की मण्डली का कोई कार्य या कार्य-वाही केवल ऐसी अस्थायी अनुपस्थिति या ऐसी रिक्ति की विद्यमानता के आधार पर अविधिमान्य या प्ररनगत नहीं होगी।

(6) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5)¹ की धारा 480 और 482 के प्रयोजनों के लिए आयोग को एक सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण—साक्षियों को हाजिर कराने के प्रयोजनों के लिए आयोग की अधिकारिता को स्थानीय सीमाएं भारत के राज्यक्षेत्र की सीमाएं होंगी।

8. स्थानों की संख्या का पुनः समायोजन—आयोग नवीनतम जनगणना के आंकड़ों के आधार पर और अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 तथा नागालैंड राज्य के संबंध में, अनुच्छेद 371क के खण्ड (2) (ज) और नागालैंड राज्य अधिनियम, 1962 (1962 का 27) की धारा 11 की उपधारा (1), दिल्ली के सिवाय, संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में, संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 (1963 का 20) की धारा 3 और धारा 39, और दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 (1966 का 19) की धारा 3 और धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों को ध्यात में रखते हुए आदेश द्वारा निम्नलिखित अवधारित करेगा, अर्थात् :—

(क) लोक सभा में प्रत्येक राज्य के लिए आवंटित होने वाले स्थानों की संख्या और उन स्थानों की संख्या, यदि कोई हो, जिन्हें राज्य की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किया जाना है; और

(ख) प्रत्येक राज्य की विधान सभा के लिए स्थानों की कुल संख्या और उन स्थानों की संख्या, यदि कोई हो, जिन्हें राज्य की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किया जाना है :

परन्तु खण्ड (ख) के अधीन किसी राज्य की विधान सभा के लिए स्थानों की कुल संख्या खण्ड (क) के अधीन उस राज्य के लिए लोक सभा में आवंटित स्थानों की संख्या का पूर्णक गुणित होगा।

9. निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन—(1) आयोग प्रत्येक राज्य के लिए लोक सभा में आवंटित स्थानों तथा प्रत्येक राज्य की विधान सभा के लिए स्थानों को इसमें नोचे उपबन्धित रीति से एक सदस्यीय प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में वितरित करेगा, तथा नवीनतम जनगणना के आंकड़ों के आधार पर उनका परिसीमन संविधान के उपबन्धों और धारा 8 में विनिर्दिष्ट अधिनियमों के उपबन्धों और निम्नलिखित उपबन्धों को भी ध्यान में रखते हुए करेगा, अर्थात् :—

(क) सभी निर्वाचन-क्षेत्र यथासाध्य भौगोलिक रूप में संहत क्षेत्र होंगे और उनका परिसीमन करके सत्र उनकी प्राकृतिक विशेषताओं, प्रशासनिक इकाइयों की विद्यमान सीमाओं को, संचार सुविधाओं और सार्वजनिक सुविधा को ध्यान में रखना होगा;

(ख) प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र का परिसीमन इतरांतर किया जाएगा कि वह संपूर्ण रूप से एक ही संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के अन्दर आ जाए;

(ग) उन निर्वाचन-क्षेत्रों को, जिनमें अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित हैं राज्य के विभिन्न भागों में वितरित किया जाएगा और यथा साध्य उन्हें उन क्षेत्रों में अवस्थान दिया जाएगा जिनमें पूरी जनसंख्या से उनकी जनसंख्या का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक है; और

(घ) उन निर्वाचन-क्षेत्रों को जिनमें अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित हैं, यथासाध्य ऐसे क्षेत्र में अवस्थान दिया जाएगा जिनमें पूरी जनसंख्या से उनकी जनसंख्या का अनुपात अधिकतम है।

(2) आयोग—

(क) निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के लिए अपनी प्रस्तावनाओं को किसी ऐसे सहयुक्त सदस्य को, बिसम्मत प्रस्थापनाओं सहित, यदि कोई हों, जो उनका प्रकाशन चाहता है, भारत के राजपत्र में और मन्वद्व राज्यों के राजपत्रों में और ऐसी अन्य रीति से, जो वह उचित समझता है, प्रकाशित करेगा,

1. अब दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1973 का अधिनियम सं० 2) देखिए।

(PART II.—Acts of Parliament)

(b) specify a date on or after which the proposals will be further considered by it;

(c) consider all objections and suggestions which may have been received by it before the date so specified, and for the purpose of such consideration, held one or more public sittings at such place or places in each State as it thinks fit; and

(d) thereafter by one or more orders determine—

(i) the delimitation of parliamentary constituencies, and

(ii) the delimitation of assembly constituencies,

of each State.

10. Publication of orders and their date of operation.—(1) The Commission shall cause each of its orders made under section 8 or section 9 to be published in the Gazette of India and in the Official Gazettes of the States concerned.

(2) Upon publication in the Gazette of India, every such order shall have the force of law and shall not be called in question in any court.

(3) As soon as may be after such publication, every such order shall be laid before the House of the People and the Legislative Assemblies of the States concerned.

(4) Subject to the provisions of sub-section (5), the readjustment of representation of the several territorial constituencies in the House of the People or in the Legislative Assembly of a State and the delimitation of those constituencies provided for in any such order shall apply in relation to every election to the House or to the Assembly, as the case may be, held after the publication in the Gazette of India of that order and shall so apply in supersession of the provisions relating to such representation and delimitation contained in the Representation of the People Act, 1950 (42 of 1950), and the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1966, and any final orders of the Election Commission relating to the delimitation of parliamentary constituencies or, as the case may be, of assembly constituencies of any State made in pursuance of the provisions of any other Acts.

(5) Nothing in this section shall affect the representation in the House of the People or in the Legislative Assembly of a State until the dissolution of the House or of the Assembly, as the case may be, existing on the date of publication in the Gazette of India of the final order or orders of the commission relating to the delimitation of parliamentary constituencies or, as the case may be, of the assembly constituencies of that State and any bye-election to fill any vacancy in such House or in any such Assembly shall be held on the basis of the provisions of the laws and orders superseded by sub-section (4) as if the said provisions had not been superseded.

11. Power to maintain delimitation orders up-to-date.—(1) The Election Commission may, from time to time, by notification in the Gazette of India and in the Official Gazette of the State concerned—

(a) correct any printing mistake in any of the orders made by the Delimitation Commission under section 9 or any error arising therein from an inadvertent slip or omission; and

(b) where the boundaries or name of any district or any territorial division mentioned in any of the said orders are or is altered, make such amendments as appear to it to be necessary or expedient for bringing the orders up-to-date, so, however that the boundaries or areas or extent of any constituency shall not be changed by any such notification.

(2) Every notification under this section shall be laid, as soon as may be after it is issued, before the House of the People and the Legislative Assembly of the State concerned.

(ब) ऐसी तारीख विनिर्दिष्ट करेगा जिसको या जिसके पश्चात् वह प्रश्नानाओं पर आगे विचार करेगा;

(ग) उन सभी आक्षेपों और सुझावों पर विचार करेगा जो उसे इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पहले प्राप्त हो गए हैं, और इस प्रकार विचार करने के प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य में ऐसे स्थान या स्थानों पर, जिन्हें वह उचित समझता है, एक या अधिक सार्वजनिक बैठकें करेगा; और

(घ) तत्पश्चात् एक या अधिक आदेशों द्वारा हर राज्य के—

- (i) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन; और
- (ii) विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन,

अवधारित करेगा।

10. आदेशों का प्रकाशन और उनका प्रवर्तन की तारीख—(1) आयोग द्वारा 8 या 9 के अधीन किए गए अपने हर आदेश को भारत के राजपत्र और संबद्ध राज्यों के राजपत्रों में प्रकाशित कराएगा।

(2) भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने पर ऐसे हर आदेशों को विधि का बल प्राप्त होना और वह किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगा।

(3) ऐसे प्रकाशन के पश्चात् यथासंभव जोर देता हर आदेश लोक सभा और संबद्ध राज्यों की विधान सभाओं के समक्ष रखा जाएगा।

(4) उपधारा (5) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए लोक सभा या किसी राज्य विधान सभा में विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन और ऐसे किसी आदेश में उपबन्धित उन निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन, उस आदेश के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के पश्चात्, होने वाले, यथास्थिति, लोक सभा या विधान सभा के हर निर्वाचन के संबंध में लागू होंगे; और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) और संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1966 में अन्तर्विष्ट तथा किन्हीं अन्य अधिनियमों के उपबन्धों के अनुसरण में, यथास्थिति, संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों या किसी राज्य में विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के संबंध में, किए गए परिसीमन के बारे में निर्वाचन आयोग के किसी अन्तिम आदेश में अन्तर्विष्ट ऐसे प्रतिनिधित्व और परिसीमन से संबंधित उपबन्धों को अतिष्ठित करते हुए उसी प्रकार लागू होंगे।

(5) इस धारा की कोई बात, यथास्थिति, संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों या किसी राज्य के विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में आयोग के, जो अन्तिम आदेश होते हैं, उनके भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को विद्यमान, यथास्थिति, लोक सभा या विधान सभा के प्रतिनिधित्व पर तब तक प्रभाव नहीं डालेगी, जब तक लोक सभा या विधान सभा का विघटन नहीं होता है और ऐसी लोक सभा या विधान सभा की किसी रिक्ति की पूर्ति के लिए कोई उपनिर्वाचन उन विधियों और आदेशों के उपबन्धों के, जिन्हें उपधारा (4) द्वारा अतिष्ठित किया गया है, आधार पर इस प्रकार किया जाएगा मानो उक्त उपबन्धों को अतिष्ठित नहीं किया गया है।

11. परिसीमन आदेशों को अद्यतन बनाए रखने की शक्ति—(1) निर्वाचन आयोग, भारत के राजपत्र में और संबद्ध राज्य के राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा समय-समय पर—

(क) परिसीमन आयोग द्वारा धारा 9 के अधीन किए गए आदेशों में से किसी में मूद्रण संबंधी भूल या अनवधानता से हुई भूल या लोप के कारण उसमें उत्पन्न होने वाली किसी गलती को ठीक कर सकेगा; और

(ख) जहां उक्त आदेशों में से किसी आदेश में वर्णित किसी जिले या किसी प्रादेशिक खण्ड की सीमाओं या उसके नाम में कोई परिवर्तन किए जाते हैं, वहां आदेशों को अद्यतन करने के लिए ऐसे संशोधन कर सकेगा जो उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत होते हैं, किन्तु यह इस प्रकार करेगा कि किसी अधिसूचना से किसी निर्वाचन-क्षेत्र की सीमाओं या क्षेत्रफल या विस्तार में परिवर्तन नहीं होगा।

(2) इस धारा के अधीन हर अधिसूचना को उसके जारी किए जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र लोक सभा या संबद्ध राज्य की विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

THE SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES ORDERS
(AMENDMENT) ACT, 1976
(108 OF 1976)

[18th September, 1976.]

An Act to provide for the inclusion in, and the exclusion from, the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, of certain castes and tribes, for the re-adjustment of representation of parliamentary and assembly constituencies in so far as such readjustment is necessitated by such inclusion or exclusion and for matters connected therewith.

Be it enacted by Parliament in the Twenty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976.

(2) It shall come into force on such date¹ as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) “census authority” means the Registrar General and *ex officio* Census Commissioner for India;

(b) “Commission” means the Election Commission appointed by the President under article 324 of the Constitution;

(c) “Delimitation Act” means the Delimitation Act, 1972 (76 of 1972);

(d) “last census” means the census held in India in 1971;

(e) “Scheduled Castes Order” means the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, made by the President under article 341 of the Constitution;

(f) “Scheduled Tribes Orders” means the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 and the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, made by the President under article 342 of the Constitution;

(g) “State” means a State included in the Scheduled Castes Order and the Scheduled Tribes Orders, and includes the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands.

2*

1. 27-7-1977 : *vide* Notifn. No. S.O. 589 (E), dated the 27th July, 1977, Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(ii), page 2397.

2. Rep. by Act 19 of 1988, s. 2 & 1st Schedule.

अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ आदेश (संशोधन)

अधिनियम, 1976

(1976 का 108)

[18 सितम्बर, 1976]

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में कतिपय जातियों और जनजातियों को सम्मिलित करने और उनसे उन्हें अपवर्जित करने के लिए, जहाँ तक कि ऐसे सम्मिलित या अपवर्जित किए जाने के कारण मंसूचीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन करना आवश्यक हो जाता है वहाँ तक ऐसे पुनः समायोजन के लिए और उनसे संबंधित विषयों के लिए उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएँ—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "जनगणना प्राधिकारी" से भारत का महारजिस्ट्रार और पदेन जनगणना आयुक्त अभिप्रेत है;

(ख) "आयोग" से संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त निर्वाचन आयोग अभिप्रेत है;

(ग) "परिसीमन अधिनियम" से परिसीमन अधिनियम, 1972 (1972 का 76) अभिप्रेत है;

(घ) "अन्तिम जनगणना" से भारत में 1971 में की गई जनगणना अभिप्रेत है;

(ङ) "अनुसूचित जातियाँ आदेश" से संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा किया गया संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950 अभिप्रेत है;

(च) "अनुसूचित जनजातियाँ आदेश" से संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा किए गए संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950 तथा संविधान (अंदाज और निकोबार द्वीप) अनुसूचित जनजातियाँ आदेश, 1959 अभिप्रेत है;

(छ) "राज्य" से ऐसा राज्य अभिप्रेत है जो अनुसूचित जातियाँ आदेश और अनुसूचित जनजातियाँ आदेशों में सम्मिलित हैं और इसके अन्तर्गत अंदाज और निकोबार द्वीप संघ राज्यक्षेत्र भी है।

2

1. 27-7-1977—द्वितीय अधिसूचना से 0 का 0 589 (अ) तारीख 27 जुलाई 1977. भारत का राजपत्र असाधारण भाग-2, खण्ड 3(i) पृष्ठ 2197।
2. 1988 के अधिनियम से 19 की धारा 2 और पत्रिका अनुसूची द्वारा निरसित किया गया।

(PART II.—Acts of Parliament)

5. Determination of population of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.—(1) As soon as may be after the commencement of this Act, the population as at the last census of the Scheduled Castes or, as the case may be, of the Scheduled Tribes, in each State shall be ascertained or estimated by the census authority.

(2) Where by reason of the amendments made by section 3 or section 4—

(a) any locality in a State specified in relation to any caste or tribe in any of the parts of the Schedules to the Orders referred to in the said sections is varied so as to specify a larger area in relation to such caste or tribe, the census authority shall take into account the population figures of the caste or tribe as ascertained in the last census and in any previous census wherein the population figures of the caste or tribe in respect of the increased area had been ascertained and determine the population of that caste or tribe as on the 1st day of April, 1971 by increasing or decreasing such figures by the proportion in which the general population of the State or, as the case may be, the division, district, taluk, tahsil, police station, development block, or other territorial division in relation to which such caste or tribe has been specified by the said amendments has increased or decreased between the previous census aforesaid and the last census;

(b) any caste or tribe which is deemed to be both a Scheduled Caste and Scheduled Tribe in relation to a State or part thereof is varied so as to specify such caste or tribe only as a Scheduled Caste or Scheduled Tribe in relation to that State or part, the census authority shall take into account the population figures of such Scheduled Caste and Scheduled Tribe as ascertained in the last census:

Provided that it shall not be necessary for the census authority to determine the population of any Scheduled Caste or Tribe as on the 1st day of April, 1971, if the population of that caste or tribe was not ascertained at the last census and in any of the previous censuses and is, in the opinion of that authority, numerically small.

Explanation.—Where the population figures of any caste or tribe in respect of any increased area referred to in clause (a) had been ascertained in more than one previous census, the census authority shall take into account, for the purposes of that clause, the population figures of such caste or tribe as ascertained in the previous census which is nearest in point of time to the last census.

(3) The population figures ascertained or determined under sub-section (2) shall be notified by the census authority in the Gazette of India.

(4) The population figures so notified shall be taken to be the relevant population figures as ascertained at the last census and shall supersede any figures previously published; and the figures so notified shall be final and shall not be called in question in any court.

6. Readjustment of constituencies by the Election Commission.—(1) After the population figures have been notified for any State under section 5, it shall be the duty of the Commission to make such amendments as may be necessary in the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976 (without altering the extent of any constituency as given in such Order), having regard to the provisions of articles 81, 170, 330 and 332 of the Constitution, of section 8 of the Delimitation Act, and of this Act, for the purpose of giving proper representation to the Scheduled Castes or, as the case may be, to the Scheduled Tribes of that State on the basis of the number of reserved seats as specified in that Order as hereunder amended by the Commission, and the First Schedule and Second Schedule to the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950) shall be deemed to have been amended accordingly.

5. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अवधारण—(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् यथाशीघ्र प्रत्येक राज्य में, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या जैसी कि वह अन्तिम जनगणना के समय थी, जनगणना प्राधिकारी द्वारा अभिनिश्चित या प्राक्कलित की जाएगी।

(2) जहाँ धारा 3 या धारा 4 द्वारा किए गए संशोधनों के कारण,—

(क) किसी राज्य में किसी परिवेश में, जो उक्त धाराओं में निर्दिष्ट आदेशों की अनुसूचियों के भागों में से किसी भाग में किसी जाति या जनजाति के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट है, इसलिए परिवर्तन किया जाता है कि ऐसी जाति या जनजाति के सम्बन्ध में बड़ा क्षेत्र विनिर्दिष्ट किया जा सके, वहाँ जनगणना प्राधिकारी अन्तिम जनगणना में और किसी पूर्वतन जनगणना में जिसमें वर्धित क्षेत्र के संबंध में उस जाति या जनजाति की जनसंख्या के आंकड़े अभिनिश्चित किए गए थे, यथा अभिनिश्चित उस जाति या जनजाति की जनसंख्या के आंकड़े हिसाब में लेगा और वह ऐसे आंकड़ों में उस अनुपात से जिसमें उस राज्य की या, यथास्थिति, खण्ड, जिले, तालुक, तहसील, पुलिस थाने, विकास खंड या अन्य प्रादेशिक खंड की साधारण जनसंख्या में जिसके संबंध में ऐसी जाति या जनजाति उक्त संशोधनों द्वारा विनिर्दिष्ट की गई है, पूर्वोक्त जनगणना और अन्तिम जनगणना के बीच वृद्धि या कमी हुई है, वृद्धि या कमी करके उस जाति या जनजाति की जनसंख्या का जो 1 अप्रैल, 1971 को थी, अवधारण करेगा;

(ख) किसी जाति या जनजाति में जो किसी राज्य या उसके भाग के संबंध में कोई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों समझी गई है, इसलिए परिवर्तन किया जाता है कि ऐसी जाति या जनजाति को ही उस राज्य या उसके भाग के संबंध में किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया जा सके, वहाँ जनगणना प्राधिकारी अन्तिम जनगणना में यथा अभिनिश्चित ऐसी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आंकड़े हिसाब में लेगा :

परन्तु जनगणना प्राधिकारी के लिए किसी अनुसूचित जाति या जनजाति की जनसंख्या का जो 1 अप्रैल, 1971 को थी, अवधारण करना उस दशा में आवश्यक नहीं होगा जिसमें उक्त जाति या जनजाति की जनसंख्या अन्तिम जनगणना में और पूर्वतन जनगणनाओं में से किसी जनगणना में अभिनिश्चित नहीं की गई थी और उस प्राधिकारी की राय में संख्या में कम है।

स्पष्टीकरण—जहाँ खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी वर्धित क्षेत्र के संबंध में किसी जाति या जनजाति की जनसंख्या के आंकड़े एक से अधिक पूर्वतन जनगणनाओं में अभिनिश्चित किए गए थे वहाँ जनगणना प्राधिकारी, उस खंड के प्रयोजनों के लिए, पूर्वतन जनगणना में यथा अभिनिश्चित ऐसी जाति या जनजाति की ऐसी जनसंख्या के आंकड़े हिसाब में लेगा जो समय की दृष्टि से अन्तिम जनगणना के निकटतम है।

(3) उपधारा (2) के अधीन अभिनिश्चित या अवधारित जनसंख्या के आंकड़े जनगणना प्राधिकारी द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे।

(4) इस प्रकार अधिसूचित जनसंख्या के आंकड़े अन्तिम जनगणना के समय यथा अभिनिश्चित सुसंगत जनसंख्या के आंकड़े माने जाएंगे और पूर्व अप्रकाशित आंकड़ों को अतिरिक्त करेंगे; और इस प्रकार अधिसूचित आंकड़े अन्तिम होंगे और किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किए जाएंगे।

6. निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन-क्षेत्रों का पुनः समायोजन—(1) धारा 5 के अधीन किसी राज्य के संबंध में जनसंख्या के आंकड़ों के अधिसूचित किए जाने के पश्चात् आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह, संविधान के अनुच्छेद 81, 170, 330 और 332 के, परिसीमन अधिनियम की धारा 8 के और इस अधिनियम के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 में (ऐसे आदेश में दिए गए किसी निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार में परिवर्तन किए बिना), ऐसे संशोधन करे जो उस राज्य की, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों को या अनुसूचित जनजातियों को ऐसे आदेश में जो आयोग द्वारा इसके अधीन संशोधित किया जाए, यथा विनिर्दिष्ट आरक्षित स्थानों की संख्या के आधार पर समुचित प्रतिनिधित्व देने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों, और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की प्रथम अनुसूची और द्वितीय अनुसूची के बारे में यह समझा जाएगा कि तदनुसार उक्त संशोधन किया गया है।

(PART II.—Acts of Parliament)

(2) In making any amendments under sub-section (1), the Commission shall, as far as necessary, have regard to the provisions of clauses (c) and (d) of sub-section (1) of section 3 of the Delimitation Act.

(3) The Commission shall—

(a) publish its proposals for the amendments in the Gazette of India and the Official Gazette of the State concerned and also in such other manner as it thinks fit;

(b) specify a date on or after which such proposals will be further considered by it;

(c) consider all objections and suggestions which may have been received by it before the date so specified; and

(d) thereafter make the necessary amendments in the Order.

7. Procedure and Powers of the Commission.—(1) In the discharge of its functions under this Act, the Commission shall determine its own procedure and shall have all the powers of a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), while trying a suit in respect of the following matters, namely:—

(a) summoning and enforcing the attendance of witnesses;

(b) requiring the production of any document; and

(c) requisitioning any public record from any court or office.

(2) The Commission shall have the power to require any person to furnish any information on such points or matters as, in the opinion of the Commission, may be useful for, or relevant to, any matter under the consideration of the Commission.

(3) The Commission shall be deemed to be a civil court for the purposes of sections 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

Explanation.—For the purpose of enforcing the attendance of witnesses, the local limits of the jurisdiction of the Commission shall be the limits of the territory of India.

8. Publication of amendments and their dates of operation.—(1) The Commission shall cause the amendments made by it in the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976 to be published in the Gazette of India and in the Official Gazettes of the States concerned.

(2) Upon publication in the Gazette of India, every such amendment shall have the force of law and shall not be called in question in any court.

(3) As soon as may be after such publication in the Gazette of India, every such amendment shall be laid before the House of the People and the Legislative Assemblies of the States concerned.

(4) Subject to the provisions of sub-section (5), the readjustment of representation of any territorial constituencies in the House of the People or in the Legislative Assembly of a State necessitated by any amendments made by the Commission in the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976 and provided for in that Order as so amended shall apply in relation to every election to the House or, as the case may be, to the Assembly, held after the publication in the Gazette of India under sub-section (1) of such amendments and shall so apply in supersession of the provisions relating to representation contained in the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950).

(5) Nothing contained in the foregoing sub-sections shall affect the representation in the House of the People or in the Legislative Assembly of a State, existing on the date of publication in the Gazette of India under sub-section (1) of the amendments made by the Commission under this Act.

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई संशोधन करने में, आयोग, जहाँ तक आवश्यक हो, परिसीमन अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ग) और खंड (घ) के उपबन्धों का ध्यान में रखेगा।

(3) आयोग—

(क) संशोधनों के लिए अपनी प्रस्थापनाओं को भारत के राजपत्र में, और संबद्ध राज्य के राजपत्र में, और ऐसी अन्य रीति से जो वह उचित समझे, प्रकाशित करेगा;

(ख) वह तारीख विनिर्दिष्ट करेगा जिसको या जिसके पश्चात् वह उन प्रस्थापनाओं पर आगे विचार करेगा;

(ग) उन सभी आक्षेपों और सुझावों पर विचार करेगा जो उसे इन प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व प्राप्त हो गए हैं; और

(घ) तत्पश्चात् आदेश में आवश्यक संशोधन करेगा।

7. आयोग की प्रक्रिया और शक्तियाँ—(1) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में, आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं अवधारित करेगा और उसे निम्नलिखित विषयों को वास्तविकता का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी, अर्थात्—

(क) साक्षियों को समन करना और हाजिर कराना;

(ख) किसी दस्तावेज के पेश किए जाने की अपेक्षा करना; और

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की अध्ययन कराना।

(2) आयोग को किसी व्यक्ति से ऐसी बातों और विषयों के बारे में कोई जानकारी देने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी जो आयोग की राय में, आयोग के विचाराधीन किसी विषय के लिए, उपयोगी या उससे सुसंगत है।

(3) आयोग को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 345 और 346 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण—साक्षियों को हाजिर कराने के प्रयोजन के लिए, आयोग की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं भारत के राज्यक्षेत्र की सीमाएं होंगी।

8. संशोधनों का प्रकाशन और उनके प्रवर्तन की तारीखें—(1) आयोग संसद् और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 में अपने द्वारा किए गए संशोधनों को भारत के राजपत्र में और संबद्ध राज्यों के राजपत्रों में प्रकाशित कराएगा।

(2) भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने पर, प्रत्येक संशोधन को विधि का बल होगा और वह किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

(3) भारत के राजपत्र में ऐसे प्रकाशन के पश्चात्, यथाशीघ्र, ऐसा प्रत्येक संशोधन लोक सभा और संबद्ध राज्यों की विधान सभाओं के समक्ष रखा जाएगा।

(4) उपधारा (5) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा में किन्हीं प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का ऐसा पुनःसमायोजन, जो संसद् और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 में आयोग द्वारा किए गए, किन्हीं संशोधनों के कारण आवश्यक हो गया है और इस प्रकार संशोधित ऐसे आदेश में उपबन्धित है, यथास्थिति, लोक सभा या विधान सभा के ऐसे प्रत्येक निर्वाचन के संबंध में लागू होगा जो ऐसे संशोधनों के उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात् किया जाए और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) में अन्तर्निहित प्रतिनिधित्व संबंधी उपबन्धों को अतिष्ठित करते हुए इस प्रकार लागू होगा।

(5) पूर्वगामी उपधाराओं की कोई भी बात लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा में उस प्रतिनिधित्व पर प्रभाव नहीं डालेगी जो इस अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा किए गए संशोधनों के उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को अस्तित्व में है।

(PART II.—Acts of Parliament)

9. Certain other powers of Election Commission.—(1) The Commission may, from time to time, by notification in the Gazette of India and in the Official Gazette of the State concerned—

(a) correct any printing mistake in the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976 as amended under this Act, or any error occurring therein from any inadvertent slip or omission; and

(b) where the boundaries or the name of any district or any territorial division mentioned in the said Order are or is altered, make such amendments as appear to it to be necessary or expedient for bringing the Order up-to-date.

(2) Every notification under this section shall be laid, as soon as may be after it is issued, before the House of the People and the Legislative Assembly of the State concerned.

10. Validation of acts done previous to the commencement of the Act.—All things done, and all steps taken, before the commencement of this Act by the census authority for the determination of population of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, or by the Commission for the purpose of readjustment of constituencies shall, in so far as they are in conformity with the provisions of this Act, be deemed to have been done or taken under these provisions as if such provisions were in force at the time such things were done or such steps were taken.

1* * * * *

EXTRACTS FROM THE SCHEDULED CASTES AND THE SCHEDULED TRIBES (PREVENTION OF ATROCITIES) ACT, 1989 (33 OF 1989)

* * * * *

2. Definitions.—(1) In this Act, unless the context otherwise requires,—

* * * * *

Chapter II

OFFENCES OF ATROCITIES

3. Punishments for offences of atrocities.—(1) Whoever, not being a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe,—

(i) forces a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe to drink or eat any inedible or obnoxious substance;

(ii) acts with intent to cause injury, insult or annoyance to any member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe by dumping excreta, waste matter, carcasses or any other obnoxious substance in his premises or neighbourhood;

(iii) forcibly removes clothes from the person of a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe or parades him naked or with painted face or body or commits any similar act which is derogatory to human dignity;

9. निर्वाचन आयोग की कतिपय अन्य शक्तियाँ—(1) आयोग, भारत के राजपत्र में और संबद्ध राज्य के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर,—

(क) इस अधिनियम के अधीन क्या संशोधित संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिचीमन आदेश, 1976 में किसी मूद्रण सन्वन्धी मूल को या किसी ऐसी वस्तु को जो प्रतवधानता से हुई भल या तोष के कारण हुई हो, ठीक कर सकता है; और

(ख) जहाँ उक्त आदेश में वर्णित किसी जिले या किसी प्रादेशिक षंठ की सीमाओं में या उसके नाम में परिवर्तन किया जाता है, वहाँ उस आदेश को मरुतन बनाने के लिए ऐसे संशोधन कर सकता है जो उसे आदेश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

(2) इस आण के अधीन प्रत्येक अधिसूचना, जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, लोक सभा और संबद्ध राज्य की विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी।

10. अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किए गए कार्यों का विधान्यकरण—इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के प्रवधारण के लिए जनगणना प्राधिकारी द्वारा, या निर्वाचन-क्षेत्रों के पुनः मणायोजन के प्रयोजन के लिए आयोग द्वारा, की गई सभी शर्तों और कार्यवाहियों जहाँ तक कि वे इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रतुम्भ हैं, इन उपबन्धों के अधीन इस प्रकार की गई समझी जाएंगी मानो ऐसे उपबन्ध, ऐसी शर्तों या कार्यवाही किए जाने के समक प्रभुत हों।

1 * * * *

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) में उदरण

* * * * *

2. परिभाषाएं — (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

* * * * *

अध्याय 2

अत्याचार के अपराध

3. अत्याचार के अपराधों के लिए दंड— (1) कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है,—

(i) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अछाछ या घृणजनक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करेगा;

(ii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के परिसर या फ़ौस में मल-मूत्र, कूड़ा, पशु-शव या कोई अन्य घृणजनक पदार्थ इकट्ठा करके उसे क्षति पहुंचाने, अपमानित करने या क्षुब्ध करने के आशय से कार्य करेगा;

(iii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के शरीर से बलपूर्वक कपड़े उतारेगा या उसे नंगा या उसके चोरी या शरीर को पोतकर घुमाएगा या इसी प्रकार का कोई अन्य ऐसा कार्य करेगा जो मानव के सम्मान के विरुद्ध है;

1. 1988 के अधिनियम से 19 की बाण 2 और प्रथम अनुसूची उण निरूपित किया गया।

(PART II.—Acts of Parliament)

(iv) wrongfully occupies or cultivates any land owned by, or allotted to, or notified by any competent authority to be allotted to, a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe or gets the land allotted to him transferred;

(v) wrongfully dispossesses a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe from his land or premises or interferes with the enjoyment of his rights over any land, premises or water;

(vi) compels or entices a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe to do 'begar' or other similar forms of forced or bonded labour other than any compulsory service for public purposes imposed by Government;

(vii) forces or intimidates a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe not to vote or to vote to a particular candidate or to vote in a manner other than that provided by law;

(viii) institutes false, malicious or vexatious suit or criminal or other legal proceedings against a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ix) gives any false or frivolous information to any public servant and thereby causes such public servant to use his lawful power to the injury or annoyance of a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(x) intentionally insults or intimidates with intent to humiliate a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe in any place within public view;

(xi) assaults or uses force to any woman belonging to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe with intent to dishonour or outrage her modesty;

(xii) being in a position to dominate the will of a woman belonging to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and uses that position to exploit her sexually to which she would not have otherwise agreed;

(xiii) corrupts or fouls the water of any spring, reservoir or any other source ordinarily used by members of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes so as to render it less fit for the purpose for which it is ordinarily used;

(xiv) denies a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe any customary right of passage to a place of public resort or obstructs such member so as to prevent him from using or having access to a place of public resort to which other members of public or any section thereof have a right to use or access to;

(xv) forces or causes a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe to leave his house, village or other place of residence,

shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to five years and with fine.

(2) Whoever, not being a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe,—

(i) gives or fabricates false evidence intending thereby to cause, or knowing it to be likely that he will thereby cause, any member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe to be convicted of an offence which is capital by the law for the time being in force shall be punished with imprisonment for life and with fine; and if an innocent member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe be convicted and executed in consequence of such false or fabricated evidence, the person who gives or fabricates such false evidence, shall be punished with death;

(ii) gives or fabricates false evidence intending thereby to cause, or knowing it to be likely that he will thereby cause, any member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe to be convicted of an offence which is not capital but punishable with imprisonment for a term of seven years or upwards, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to seven years or upwards and with fine;

(iv) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के स्वामित्वाधीन या उसे आबंटित या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे आबंटित किए जाने के लिए अधिसूचित किसी भूमि को सदोष अधिभोग में लेगा या उस पर खेती करेगा या उसे आबंटित भूमि को अंतरित करा लेगा;

(v) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उसकी भूमि या परिसर से सदोष बेकब्जा करेगा या किसी भूमि, परिसर या जल पर उसके अधिकारों के उपभोग में हस्तक्षेप करेगा;

(vi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को 'बेगार' करने के लिए या सरकार द्वारा लोक प्रयोजनों के लिए अधिरोपित किसी अनिवार्य सेवा से भिन्न अन्य समरूप प्रकार के बलात्श्रम या बंधुआ मजदूरी के लिए विवश करेगा या फुसलाएगा;

(vii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को मतदान न करने के लिए या किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने के लिए या विधि द्वारा उपबन्धित से भिन्न रीति से मतदान करने के लिए मजबूर या अभिव्रस्त करेगा;

(viii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के विरुद्ध मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाला वाद या दाहिष्क या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित करेगा;

(ix) किसी लोकसेवक को कोई मिथ्या या तुच्छ जानकारी देगा और उसके द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को क्षति पहुंचाने या क्षुब्ध करने के लिए ऐसे लोकसेवक से उसकी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करेगा;

(x) जनता को दृष्टिगोचर किसी स्थान में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य का अपमान करने के आशय से साशय उसको अपमानित या अभिव्रस्त करेगा;

(xi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला का अनादर करने या उसकी लज्जा भंग करने के आशय से सहमला या बल प्रयोग करेगा;

(xii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की किसी महिला की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में होने पर उसी स्थिति का प्रयोग उसका लैंगिक शोषण करने के लिए, जिसके लिए वह अन्यथा मत नहीं होती, करेगा;

(xiii) किसी स्रोत, जलाशय या किसी अन्य उद्गम के जल को जो आम तौर पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा उपयोग में लाया जाता है, दूषित या गंदा करेगा जिससे कि वह उस प्रयोजन के लिए कम उपयुक्त हो जाए जिसके लिए उसका आमतौर पर प्रयोग किया जाता है;

(xiv) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को सार्वजनिक अभिगम के स्थान के मार्ग के किसी रुद्धिजन्य अधिकार से वंचित करेगा या ऐसे सदस्य को बाधा पहुंचाएगा जिससे कि वह ऐसे सार्वजनिक अभिगम के स्थान का उपयोग करने या वहां पहुंचने से निवारित हो जाए जहां जनता के अन्य सदस्यों या उसके किसी भाग को उपयोग करने का या पहुंचने का अधिकार है;

(xv) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अपना मकान, गांव या अन्य निवास-स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करेगा या करेगा,

वह, कारवास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किंतु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुमनि से, दंडनीय होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है—

(i) मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को किसी ऐसे अपराध के लिए जो तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा मृत्यु दंड से दंडनीय है, दोषसिद्ध करना है या वह यह जानता है कि इससे उसका दोषसिद्ध होना संभाव्य है, वह आजीवन कारवास से और जुमनि से दंडनीय होगा; और यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी निर्दोष सदस्य को ऐसे मिथ्या या गढ़े हुए साक्ष्य के फलस्वरूप दोषसिद्ध किया जाता है और फांसी दी जाती है तो वह व्यक्ति, जो ऐसा मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता है, मृत्यु दंड से दंडनीय होगा;

(ii) मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को ऐसे अपराध के लिए जो मृत्यु दंड से दंडनीय नहीं है किन्तु सात वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारवास से दंडनीय है, दोषसिद्ध करना है या वह यह जानता है कि उससे उसका दोषसिद्ध होना संभाव्य है, वह कारवास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष या उससे अधिक की हो सकेगी और जुमनि से, दंडनीय होगा;

(PART II.—Acts of Parliament)

(iii) commits mischief by fire or any explosive substance intending to cause or knowing it to be likely that he will thereby cause damage to any property belonging to a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to seven years and with fine;

(iv) commits mischief by fire or any explosive substance intending to cause or knowing it to be likely that he will thereby cause destruction of any building which is ordinarily used as a place of worship or as a place for human dwelling or as a place for custody of the property by a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe, shall be punishable with imprisonment for life and with fine;

(v) commits any offence under the Indian Penal Code 45 of 1860 punishable with imprisonment for a term of ten years or more against a person or property on the ground that such person is a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe or such property belongs to such member, shall be punishable with imprisonment for life and with fine;

(vi) knowingly or having reason to believe that an offence has been committed under this Chapter, causes any evidence of the commission of that offence to disappear with the intention of screening the offender from legal punishment, or with that intention gives any information respecting the offence which he knows or believes to be false, shall be punishable with the punishment provided for that offence; or

(vii) being a public servant, commits any offence under this section, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than one year but which may extend to the punishment provided for that offence.

(iii) अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा जिससे उसका आशय अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य की किसी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना है या वह यह जानता है कि उससे ऐसा होना संभाव्य है वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुमनि से, दंडनीय होगा;

(iv) अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि करेगा जिससे उसका आशय किसी ऐसे भवन को जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा साधारणतः पूजा के स्थान के रूप में या मानव आवास के स्थान के रूप में या सम्पत्ति की अभिरक्षण के लिए किसी स्थान के रूप में उपयोग किया जाता है, नष्ट करता है या वह यह जानता है कि उससे ऐसा होना संभाव्य है, वह आजीवन कारावास से और जुमनि से दंडनीय होगा;

(v) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय कोई अपराध किसी व्यक्ति या सम्पत्ति के विरुद्ध इस आधार पर करेगा कि ऐसा व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है या ऐसी सम्पत्ति ऐसे सदस्य की है, वह आजीवन कारावास से, और जुमनि से, दंडनीय होगा;

(vi) यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि इस अध्याय के अधीन कोई अपराध किया गया है, वह अपराध किए जाने के किसी साक्ष्य को, अपराधी को विधिक दंड से बचाने के आशय से गायब करेगा या उस आशय से अपराध के बारे में कोई ऐसी जानकारी देगा जो वह जानता है या विश्वास करता है कि वह मिथ्या है, वह उस अपराध के लिए उपबन्धित दंड से दंडनीय होगा; या

(vii) लोक सेवक होते हुए इस धारा के अधीन कोई अपराध करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो उप अपराध के लिए उपबन्धित दंड तक हो सकेगी, दंडनीय होगा।



भाग 3

संविधान के अधीन नियम और आदेश

PART III

Rules and Orders under the Constitution

PART III
RULES AND ORDERS UNDER THE CONSTITUTION
OFFICERS BEFORE WHOM CANDIDATES MAY MAKE OR SUBSCRIBE
OATH OR AFFIRMATION¹

1. In pursuance of clause (a) of article 84 and clause (a) of article 173 of the Constitution of India and in supersession of its notification No. 3/3/66, dated the 25th April, 1967, the Election Commission² hereby authorises—

(i) the returning officer concerned and all the assistant returning officers subordinate to him.

(ii) all stipendiary presidency magistrates and all stipendiary magistrates of the first class, and

(iii) all district judges and all persons belonging to the judicial service of a State other than district judges,

as the persons] before any one of whom a person having been nominated as a candidate (hereinafter referred to as the candidate) for election to fill a seat in the Council of States, or in the House of the People or in the Legislative Assembly of a State (other than Jammu and Kashmir), or in the Legislative Council of a State (other than Jammu and Kashmir) having a Legislative Council, shall make and subscribe the oath or affirmation in the form set out for the purpose in the Third Schedule to the said Constitution

2. Notwithstanding anything contained in paragraph 1, in pursuance of clause (a) of the said article 84 and clause (a) of the said article 173, the Election Commission hereby also authorises as the person before whom the candidate may make and subscribe the said oath or affirmation,—

(a) where the candidate is confined in a prison, the superintendent of the prison;

(b) where the candidate is under preventive detention, the commandant of the detention camp;

(c) where the candidate is confined to bed in a hospital or elsewhere owing to illness or any other cause, the medical superintendent in charge of the hospital or the medical practitioner attending on him;

(d) where the candidate is out of India, the diplomatic or consular representative of India in the country where the candidate happens to be or any person authorised by such diplomatic or consular representative;

(e) where the candidate is for any other reason unable to appear, or prevented from appearing before the returning officer concerned or any assistant returning officer as aforesaid, any other person nominated by the Election Commission on application made to it in this behalf.

Explanation.—In this notification—

(1) the expression “the returning officer concerned” means—

(a) where a person has been nominated as a candidate for election to fill a seat in the House of the People from a Parliamentary Constituency or a seat in the Legislative Assembly of a State from an Assembly Constituency or a seat in the Legislative Council of a State from a Council Constituency, the returning officer for that constituency;

1. Published with the Election Commission of India Notification No. S.O. 1111, dated the 18th March, 1968, see Gazette of India, Extraordinary, 1968, Part II, Section 3(ii), page 361.

2. Subs. by Notification No. S.O. 3798, dated 25-10-1968, for certain words.

संविधान के अधीन नियम और आदेश

वे अधिकारी जिनके समक्ष अभ्यर्थी शपथ ले सकेंगे या प्रतिज्ञान कर सकेंगे।

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 84 के खंड (क) तथा अनुच्छेद 173 के खण्ड (क) के अनुसरण में तथा अपनी अधिसूचना संख्या 3/3/66, तारीख 25 अप्रैल, 1967 को अधिकान्त करते हुए, निर्वाचन आयोग¹ [एतद्वारा—

- (i) सम्पूक्त रिटनिंग आफिसर तथा उसके अधीनस्थ समस्त सहायक रिटनिंग आफिसरों को,
- (ii) सभी साम्बलिक प्रेजिडेंसी मजिस्ट्रेटों तथा सभी साम्बलिक प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेटों को, और
- (iii) सभी जिला न्यायाधीशों को तथा जिला न्यायाधीशों से भिन्न सभी उन व्यक्तियों को जो किसी राज्य की न्यायिक सेवा के सदस्य हों,

ऐसे व्यक्तियों के रूप में प्राधिकृत करता है] जिनमें से किसी के भी समक्ष कोई व्यक्ति, राज्य सभा में, अथवा लोक सभा में, अथवा (जम्मू-कश्मीर से भिन्न) किसी राज्य की विधान सभा में, अथवा (जम्मू-कश्मीर से भिन्न) किसी राज्य की, जहां विधान परिषद् हो, विधान परिषद् में किसी स्थान को भरने के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में (जिसे इसमें इसके पश्चात् अभ्यर्थी कहा गया है) नामनिर्देशित हो जाने पर, उक्त संविधान की तृतीय अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए हुए प्ररूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा।

2. पैरा 1 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उक्त अनुच्छेद 84 के खण्ड (क) तथा उक्त अनुच्छेद 173 के खण्ड (क) के अनुसरण में निर्वाचन आयोग निम्नलिखित व्यक्तियों को भी ऐसे व्यक्ति के रूप में एतद्वारा प्राधिकृत करता है, जिनके समक्ष अभ्यर्थी उक्त शपथ ले सकता है अथवा प्रतिज्ञान कर सकता है, तथा उक्त पर हस्ताक्षर कर सकता है :—

(क) जहां कि अभ्यर्थी किसी कारागार में परिरक्ष है वहां उस कारागार का अधीनकार;

(ख) जहां कि अभ्यर्थी निवारक निरोध में है वहां उस निरोध-शिबिर का समादेशक;

(ग) जहां कि बीमारी के कारण अथवा किसी अन्य कारण से अभ्यर्थी किसी अस्पताल में या किसी अन्य स्थान पर रोग-शय्या पर पड़ा है वहां उस अस्पताल का भारसाधक चिकित्सा अधीनकार या उसकी परिचर्या करने वाला चिकित्सक;

(घ) जहां कि अभ्यर्थी भारत से बाहर है वहां उस देश में, जिसमें अभ्यर्थी है, भारत का राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि या ऐसे राजनयिक अथवा कौंसलीय प्रतिनिधि द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य कोई व्यक्ति ;

(ङ) जहां कि अभ्यर्थी किसी अन्य कारण से यथा पूर्वोक्त सम्पूक्त रिटनिंग आफिसर अथवा सहायक रिटनिंग आफिसर के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ है अथवा उपस्थित होने से निवारित हो गया है वहां इस निमित्त निर्वाचन आयोग को आवेदन करने पर उसके द्वारा नामनिर्देशित अन्य कोई व्यक्ति ।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना में—

(1) "सम्पूक्त रिटनिंग आफिसर पद से अभिप्रेत है—

(क) जहां कि कोई व्यक्ति लोक सभा में किसी स्थान को भरने के लिए किसी सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र से, अथवा किसी राज्य की विधान सभा में किसी स्थान को भरने के लिए किसी सभा निर्वाचन-क्षेत्र से, अथवा किसी राज्य की विधान परिषद् में किसी स्थान को भरने के लिए किसी परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र से, निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित किया गया हो, वहां उक्त निर्वाचन-क्षेत्र का रिटनिंग आफिसर

1. देखिए भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3(ii), पृष्ठ 361 में प्रकाशित भारत के निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं० का० आ० 1111, तारीख 18 मार्च, 1968।

2. अधिसूचना सं० का० आ० 3798; तारीख 25-10-1968 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

Officers before whom Candidates may make or subscribe Oath or Affirmation
(PART III—Rules and Orders under the Constitution)

(b) where a person has been nominated as a candidate for election to fill a seat in the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of a State, the returning officer for that election;

(c) where a person has been nominated as a candidate for election to fill a seat in the Legislative Council of a State by the members of the Legislative Assembly of that State, the returning officer for that election;

¹[(1A) The expressions "district judge" and "judicial service" shall have the meanings respectively assigned to them in article 236 of the Constitution of India;]

(2) the expressions "parliamentary constituency", "assembly constituency" and "council constituency" shall have the meanings respectively assigned to them in the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950).

वे अधिकारी जिनके समक्ष अभ्यर्थी शपथ ले सकेंगे या प्रतिज्ञान कर सकेंगे

(भाग 1—संविधान के अधीन नियम और आदेश)

(ख) जहां कि कोई व्यक्ति राज्य सभा के किसी स्थान को भरने के लिए किसी राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित किया गया हो, वहां उस निर्वाचन के लिए रिटनिंग आफिसर ;

(ग) जहां कि कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान परिषद् में किसी स्थान को भरने के लिए उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित किया गया हो, वहां उस निर्वाचन के लिए रिटनिंग आफिसर ;

1[(1क) "जिना न्यायाधीश" तथा "न्यायिक सेवा" पदों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 238 में क्रमशः दिए गए हैं :]

(2) "संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र", "सभा निर्वाचन-क्षेत्र" तथा "परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र" पदों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) में क्रमशः दिए गए हैं :

THE PROHIBITION OF SIMULTANEOUS MEMBERSHIP RULES, 1950¹

In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 101 and clause (2) of article 190 of the Constitution of India, the President is pleased to make the following Rules, namely:—

1. These Rules may be called the Prohibition of Simultaneous Membership Rules, 1950.

2. The period at the expiration of which the seat in Parliament of a person who is chosen a member both of Parliament and of a House of Legislature of a State specified in **** the First Schedule to the Constitution of India (hereinafter referred to as "the Constitution") shall become vacant, unless he has previously resigned his seat in the Legislature of such State, shall be fourteen days from the date of publication in the Gazette of India or in the Official Gazette of the State, whichever is later, of the declaration that he has been so chosen.

**

*

*

*

*

*

3. The period at the expiration of which the seat of a person who is chosen a member of the Legislatures of two or more States specified in the First Schedule to the Constitution in the Legislatures of all such States shall become vacant, unless he has previously resigned his seat in the Legislatures of all but one of the States, shall be ten days from the later or, as the case may be, the latest of the dates of publication in the Official Gazettes of such States of the declarations that he has been so chosen.

1. Ministry of Law Notification No. F. 46/50-C, dated the 26th January, 1950.

2. The words "Part A. or Part B of" omitted by Notification No. S.R.O. 2178, dated the 2nd July, 1957.

3. Proviso omitted, *ibid.*

समसामयिक सदस्यता प्रतिषेध नियम, 1950¹

भारत के संविधान के अनुच्छेद 101 के खंड (2) और अनुच्छेद 190 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने अपने प्रसाद से निम्नलिखित नियम बनाए हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम समसामयिक सदस्यता प्रतिषेध नियम, 1950 कहे जा सकेंगे।

2. वह कालावधि जिसके अवसान पर उस व्यक्ति का जा.ससद् के और भारत के संविधान (जिसे इसमें इसके पश्चात् "संविधान" कह कर निर्दिष्ट किया गया है) कि प्रथम अनुसूची में ²***निर्दिष्ट किसी राज्य के विधान-मण्डल के किसी सदन के सदस्य के रूप में चुन लिया गया है, संसद् में स्थान उस दशा के सिवाय जिसमें उसने ऐसे राज्य के विधान-मण्डल में अपना स्थान पहले ही त्याग दिया है, इस घोषणा के कि वह ऐसे चुन लिया गया है भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख या राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में से जो भी तारीख पश्चात्पूर्ती हो, उस तारीख से चौदह दिन की होगी।

* * * * *

3. वह कालावधि, जिसके अवसान पर उस व्यक्ति का स्थान, जो कि संविधान की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दो या अधिक राज्यों के विधान-मण्डलों का सदस्य चुन लिया गया है सब ऐसे राज्यों के विधान-मण्डलों में उस दशा के सिवाय रिक्त हो जाएगा जिसमें कि उसने एक को छोड़कर सब विधान-मण्डलों में के अपने स्थान को पहले ही त्याग दिया है, इस घोषणा के कि वह ऐसे चुन लिया गया है ऐसे राज्यों के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीखों में से पश्चात्पूर्ती या, यथास्थिति, सबसे पश्चात्पूर्ती तारीख से दस दिन की होगी।

1. विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं० एफ० 46/50-सी, तारीख 26 जनवरी, 1950।

2. अधिसूचना सं० का० नि० आ० 2178, तारीख 2 जुलाई, 1957 द्वारा "भाग क या भाग ज में" शब्दों का लोप किया गया।

3. पूर्वोक्त द्वारा परन्तुक का लोप किया गया।

THE CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) ORDER, 1950¹

(C.O. 19)

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 341 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Governors and Rajpramukhs of the States concerned, is pleased to make the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950.

2. Subject to the provisions of this Order, the castes, races or tribes or parts of, or groups within, castes or tribes specified in ²[Parts to [XXII]] of the Schedule to this Order shall, in relation to the States to which those Parts respectively relate, be deemed to be Scheduled Castes so far as regards member thereof resident in the localities specified in relation to them in those Parts of that Schedule.

³[3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, no person who professes a religion different from the Hindu ⁵[, the Sikh or the Buddhist] religion shall be deemed to be a member of a Scheduled Caste.]

⁶4. Any reference in this Order to a State or to a district or other territorial division thereof shall be construed as a reference to the State, district or other territorial division as constituted on the 1st day of May, 1976.

1. Published with the Ministry of Law Notification No. S.R.O. 385, dated the 10th August, 1950, Gazette of India, Extraordinary, 1950, Part II, Section 3, page 163.

2. Subs. by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956.

3. Subs. by Act 18 of 1987, s. 19 and First Sch., for "XXI" (w.e.f. 30-5-1987).

4. Subs. by Act 63 of 1956, s. 3 and First Sch., for paragraph 3.

5. Subs. by Act 15 of 1990, s.2, for "or the Sikh".

6. Subs. by Act 108 of 1976, s. 3 and First Sch., for paragraph 4 (w.e.f. 27-7-1977).

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950¹

(सं० प्रा० 19)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने सम्पुक्त राज्यों के राज्यपालों और राजप्रमुखों से परामर्श करने के पश्चात् अपने प्रसाद से निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात् :—

1. यह आदेश संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 कहा जा सकेगा।

2. इस आदेश के उपबन्धों के अन्वये यह है कि वे जातियां, मूलवंश या जनजातियां या जातियों या जनजातियों के भाग या उनमें के यूथ, जो कि इस आदेश की अनुसूची के ²[भाग 1 से लेकर भाग³ [22]] तक में विनिर्दिष्ट हैं उन राज्यों के संबंध में, जिनसे वे भाग क्रमशः सम्बन्ध हैं, वहां तक कि उनके उन सदस्यों का संबंध है जो उन परिवेशों में निवासी हैं जो उस अनुसूची के उक्त भागों में उनके सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट हैं, अनुसूचित जातियां समझे जाएंगे।

⁴[3. पैरा 2 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो हिन्दू ⁵[, सिक्ख या बौद्ध] धर्म से भिन्न धर्म मानता है अनुसूचित जाति का सदस्य न समझा जाएगा।

⁶[4. इस आदेश में किसी राज्य या उसके किसी जिले या अन्य प्रादेशिक खंड के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह 1 मई 1976 को बचा गठित उस राज्य, जिले या अन्य प्रादेशिक खंड के प्रति निर्देश है।]

-
1. विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० नि० आ० 385, तारीख 10 जगस्त, 1950, भारत का राजपत्र, अमाधारण, 1950, भाग 2, खण्ड 3, पृष्ठ 163 में प्रकाशित।
 2. अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां सूची (उपान्तरण) आदेश, 1956 द्वारा प्रतिस्थापित।
 3. 1987 के अधिनियम सं० 18 की धारा 19 और पहली अनुसूची द्वारा (30-5-1987 से) "21" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
 4. 1956 के अधिनियम सं० 63 की धारा 3 और प्रथम अनुसूची द्वारा पैरा 3 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
 5. 1990 के अधिनियम सं० 15 की धारा 2 द्वारा "या सिक्ख" के स्थान पर प्रतिस्थापित। स्थान पर (27-7-1977 से) प्रतिस्थापित।
 6. 1976 के अधिनियम सं० 108 की धारा 3 और प्रथम अनुसूची द्वारा पैरा 4 के स्थान पर (27-7-1977 से) प्रतिस्थापित।

Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950
(PART I—Rules and Orders under the Constitution)

[THE SCHEDULE

PART I.—*Andhra Pradesh*

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Adi Andhra | 31. Madasi Kuruva, Madari Kuruva |
| 2. Adi Dravida | 32. Madiga |
| 3. Anamuk | 33. Madiga Dasu, Mashteen |
| 4. Aray Mala | 34. Mahar |
| 5. Arundhatiya | 35. Mala |
| 6. Arwa Mala | 36. Mala Dasari |
| 7. Bariki | 37. Mala Dasu |
| 8. Bavuri | 38. Mala Hannai |
| 9. Beda Jangam, Budga Jangam | 39. Malajangam |
| 10. Bindla | 40. Mala Masti |
| 11. Byagara | 41. Mala Sale, Nethani |
| 12. Chachati | 42. Mala Sanyasi |
| 13. Chalavadi | 43. Mang |
| 14. Chamar, Mochi, Muchi | 44. Mang Garodi |
| 15. Chambhar | 45. Manne |
| 16. Chandala | 46. Mashti |
| 17. Dakkal, Dokkalwar | 47. Matangi |
| 18. Dandasi | 48. Mehtar |
| 19. Dhor | 49. Mitha Ayyalvar |
| 20. Dom, Dombara, Paidi, Pano | 50. Mundala |
| 21. Ellamalawar, Yellammalawandlu | 51. Paky, Moti, Thoti |
| 22. Ghasi, Haddi, Relli, Chanchandi | 52. Pambada, Pambanda |
| 23. Godagali | 53. Pamidi |
| 24. Godari | 54. Panchama, Pariah |
| 25. Gosangi | 55. Relli |
| 26. Holey a | 56. Samagara |
| 27. Holey a Dasari | 57. Samban |
| 28. Jaggali | 58. Sapru |
| 29. Jambuvulu | 59. Sindhollu, Chindettu |
| 30. Kokupulvandlu | |

PART II.—*Assam*

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Bansphor | 9. Kaibartta, Jaliya |
| 2. Bhuinmali, Mali | 10. Lalbegi |
| 3. Brittil Bania, Banla | 11. Mahara |
| 4. Bhupi, Dhobi | 12. Mehtar, Bhangi |
| 5. Dugla, Dholi | 13. Muchi, Rishi |
| 6. Hira | 14. Namasudra |
| 7. Jalkeot | 15. Patni |
| 8. Jhalo, Malo, Jhalo-Malo | 16. Sutradhar. |

1. Subs. by Act 108 of 1976. s. 3 and First Sch. for the former Sch. (w.e.f. 27-7-1977).

संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950
(भाग 1—संविधान के अधीन नियम और आदेश)

अनुसूची

भाग 1—ग्राम्य प्रदेश

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. आदि ग्राम्य | 31. मदासि कुखा मदारि कुखा |
| 2. आदि द्विविड | 32. आदिगा |
| 3. अनामुक | 33. आदिगा दासु, माटीन |
| 4. आरे माल | 34. महार |
| 5. अरंधतिय | 35. माझा |
| 6. अरव माल | 36. माला दासरि |
| 7. बारिकी | 37. माला दासु |
| 8. बाबुरी | 38. माला हलाइ |
| 9. बेड जंगम, बुडग जंगम | 39. माला जंगम |
| 10. बिड्ल | 40. माल मस्ति |
| 11. बैगारा | 41. माला सासे, नेटुकानि |
| 12. चचाटि | 42. माला सन्यासी |
| 13. चन्नवादि | 43. मांग |
| 14. चमार, मोची, मुचि | 44. मांग गारोडी |
| 15. चम्भार | 45. मल |
| 16. चंडाल | 46. मष्टि |
| 17. डककल, डोककलवार | 47. मातंगि |
| 18. डंडासि | 48. मेहतर |
| 19. डोर | 49. मितामय्यसुवार |
| 20. डोम, डोम्भार, पैडी, पनो | 50. मुहला |
| 21. एल्लमलवार, येल्समालवाण्डलु | 51. पाकि, मोटि, तोटि |
| 22. घासी, हड्डी, रेल्लि, चचन्डि | 52. पम्बड, पम्बण्ड |
| 23. गोडागल्ली | 53. पामिडी |
| 24. गोडारी | 54. पंचम, पेरिया |
| 25. गोसंगी | 55. रेल्लि |
| 26. होलया | 56. सामगार |
| 27. होलया दासरि | 57. सम्बन |
| 28. जग्गलि | 58. सप्पु |
| 29. जाम्बुबुलु | 59. सिधोल्लु, चिदोल्लु । |
| 30. कोलुपुषवाण्डलु | |

भाग 2—ग्राम्य

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1. बांस फर | 9. कैवर्त, जालिया |
| 2. भुईमाली, माली | 10. लालवेगी |
| 3. वृत्तियाल बनिया, बनिया | 11. माहरा |
| 4. धुपी, धोबी | 12. मेहतर, मंगी |
| 5. डुगला, ठोली | 13. मुचि, ऋषि |
| 6. हिरा | 14. नामशुद्र |
| 7. जालकेवट | 15. पटनी |
| 8. झालो, मालो झालो-मालो | 16. सूजघार । |

1. 1976 के अधिनियम सं. 108 की धारा 3 और प्रथम अनुसूची द्वारा पूर्ववर्ती अनुसूची के स्थान पर (27-7-1977 से) प्रतिस्थापित ।

Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950
(PART III—Rules and Orders under the Constitution)

PART III.—*Bihar*

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Bantar | 12. Ghasi |
| 2. Bauri | 13. Halalkhor |
| 3. Bhogta | 14. Hari, Mehtar, Bhangi |
| 4. Bhuiya | 15. Kanjar |
| 5. Bhumij (excluding North Chotanagpur and South Chotanagpur divisions and Santal Parganas district) | 16. Kurariar |
| 6. Chamar, Mochi | 17. Lalbegi |
| 7. Chaupal | 18. Musahar |
| 8. Dabgar | 19. Nat |
| 9. Dhobi | 20. Pan, Sawasi |
| 10. Dom, Dhangad | 21. Pasi |
| 11. Dusadh, Dhari, Dharhi | 22. Rajwar |
| | 23. Turi |

PART IV.—*Gujarat*

- | | |
|---|---|
| 1. Ager | 13. Halsar, Haslar, Hulasvar, Halasvar |
| 2. Bakad, Bant | 14. Holar, Valhar |
| 3. Bawa-Dedh, Dedh-Sadhu | 15. Holaya, Holer |
| 4. Bhambi, Bhambhi, Asadaru, Asodi, Chamadia, Chamar, Chambhar, Chamgar, Haralayya, Harali, Khalpa, Machigar, Mochigar, Madar, Madig, Mochi, Nalia, Telegu Mochi, Kamati Mochi, Ranigar, Rohidas, Rohit, Samgar | 16. Lingader |
| 5. Bhangi, Mehtar, Olgana, Rukhi, Malkana, Halalkhor, Lalbegi, Balmiki, Korar, Zadmalli | 17. Mahar, Taral, Dhegu Megu |
| 6. Chalvadi, Channayya | 18. Mahyavanshi, Dhed, Dhedh, Vankar, Maru Vankar, Antyaj |
| 7. Chenna Dasar, Holaya Dasar | 19. Mang, Matang, Minimadig |
| 8. Dangashia | 20. Mang-Garudi |
| 9. Dhor, Kakkayya, Kankayya | 21. Meghval, Meghwal, Menghvar |
| 10. Garmatang | 22. Mukri |
| 11. Garoda, Garo | 23. Nadia, Hadi |
| 12. Halleer | 24. Pasi |
| | 25. Senva, Shenva, Chenva, Sedma, Rawat |
| | 26. Shemalia |
| | 27. Thori |
| | 28. Tirgar, Tirbanda |
| | 29. Turi |
| | 30. Turi Barot, Dedh Barot. |

PART V.—*Haryana*

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Ad Dharmi | 9. Chamar, Jatia Chamar, Rehgar, Raigar, Ramdasi, Ravidasi |
| 2. Balmiki, Chura, Bhangi | 10. Chanal |
| 3. Bangali | 11. Dagi |
| 4. Barar, Burar, Berar | 12. Darain |
| 5. Batwal | 13. Deha, Dhaya, Dhea |
| 6. Bauria, Bawaria | 14. Dhanak |
| 7. Bazigar | 15. Dhogri, Dhangri, Siggri |
| 8. Bhanjra | |

भाग 3—बिहार

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. बांतर | 12. पासी |
| 2. बाउरी | 13. हलालखोर |
| 3. भोगता | 14. हाडी, मेहतर, भंगा |
| 4. भुइया | 15. कंजर |
| 5. भूमिज (उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर खंडों तथा तल परगना जिले को छोड़कर) | 16. कुरारिया |
| 6. चमार, मोन्वी | 17. लालबेगी |
| 7. चौपाल | 18. मुसाहर |
| 8. दवगर | 19. नट |
| 9. धोबी | 20. पान, स्वामी |
| 10. डोम, धनगद | 21. पासी |
| 11. दुसाध, घारी, घरही | 22. रजवार |
| | 23. तूरी : |

भाग 4—गुजरात

- | | |
|---|--|
| 1. अगेर | 13. हलसार, हसलार, हुलस्वार, हलस्वार |
| 2. बाकड़, बण्ट | 14. हौलार, वल्हार |
| 3. बावा-डेढ, डेढ-साधु | 15. होलेय, होलेर |
| 4. भाम्बी, भाम्भी, भसादर, भसोदी, चभाडिया चमार, चाम्भार, चभगार, हरसय्या, हरली, खालपा, भचिगार, मोचीगार, मादर, मादिग, मोची, नालिया, तेलगु मोची, कामाटी मोची, राणीगार, रोहिदास, रोहित, सामभार | 16. लिगादार |
| 5. भंगी, महतर, ओलाना, रुखी, भलकाना, हलालखोर, लालबेगी, बाल्मीकी, कोरार, झाडमल्ली | 17. भहार, तराल, धेगु, मेगू |
| 6. चलवादि चभ्रय्य | 18. भहायावंशी, घेढ, घेढ वणवर, भर वणवर, अन्त्यज |
| 7. चेन्ना दासर, होलेय दासर | 19. भांग, भातंग भिणिभादिग |
| 8. डंगभिया | 20. भांग-गारुडी |
| 9. डोर, कककया, कंकय्या | 21. मेघवल, मेघवाल, मेघवार |
| 10. गरभातंग | 22. मुक्री |
| 11. गरोडा, गरो | 23. नाडिया, हाडी |
| 12. हल्लीर | 24. पासी |
| | 25. सेनवा, शोनवा, चैनवा, सेडभा, रावत |
| | 26. सोमलिया |
| | 27. थोरी |
| | 28. तीरगार, तीरघन्द |
| | 29. तुरी |
| | 30. तुरी बरोत, डेढ़ बरोत । |

भाग 5—हरियाणा

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. भाद घर्भी | 9. चभार, जटिया चमार, रेहगड़, रंगड़, रामदासी-रविदासी |
| 2. बाल्मीकी, चूहडा, भंगी | 10. चनाल |
| 3. बंगाली | 11. चागी |
| 4. बराड़, बुराड़, बेराड़ | 12. चरेज |
| 5. बटवाल | 13. डेहा, देया, दस्या, डेया |
| 6. बीरिया, बावरिया | 14. घानक |
| 7. बाजीगर | 15. डोगरी, डांगरी, सिग्गी |
| 8. भण्डा | |

Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950
(PART I—Rules and Orders under the Constitution)

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 16. Dumna, Mahasha, Doom | 27. Pasi |
| 17. Gagra | 28. Perna |
| 18. Gandhila, Gandil Gondola | 29. Pherera |
| 19. Kabirpanthi, Julaha | 30. Sanhai |
| 20. Khatik | 31. Sanhal |
| 21. Kori, Koli | 32. Sansi, Bhedkut, Manesh |
| 22. Marija, Marecha | 33. Sansoi |
| 23. Mazhabi | 34. Sapela |
| 24. Megh | 35. Sarera |
| 25. Nat | 36. Sikligar |
| 26. Od | 37. Sirkiband. |

PART VI.—*Himachal Pradesh*

- | | |
|--|---|
| 1. Ad Dharmi | 28. Hali |
| 2. Badhi, Nagalu | 29. Hes |
| 3. Balmiki, Bhangi, Chuhra, Chura, Chuhre | 30. Jogi |
| 4. Bandhela | 31. Julaha, Julahe, Kabirpanthi, Keer |
| 5. Bangali | 32. Kamoh, Dagoli |
| 6. Banjara | 33. Karoack |
| 7. Bansi | 34. Khatik |
| 8. Barad | 35. Kori, Koli |
| 9. Barar, Burar, Berar | 36. Lohar |
| 10. Batwal | 37. Marija, Marecha |
| 11. Bauria, Bawaria | 38. Mazhabi |
| 12. Bazigar | 39. Megh |
| 13. Bhanjra, Bhanjre | 40. Nat |
| 14. Chamar, Jatia Chamar, Rehgar, Raigar, Ramdasi, Ravidasi, Ramdasia, Mochi | 41. Od |
| 15. Chanal | 42. Pasi |
| 16. Chhimbe, Dhobi | 43. Perna |
| 17. Dagi | 44. Phrera, Pherera |
| 18. Darain | 45. Rehar, Rehara |
| 19. Darai, Daryai | 46. Sanhai |
| 20. Daule, Deole | 47. Sanhal |
| 21. Dhaki, Toori | 48. Sansi, Bhedkut, Manesh |
| 22. Dhanak | 49. Sansoi |
| 23. Dhaogri, Dhuai | 50. Sapela |
| 24. Dhogri, Dhangri, Siggi | 51. Sarde, Sarera, Sarare, Siryare, Sarehde |
| 25. Doom, Doomna, Dumna, Dumne, Mahasha | 52. Sikligar |
| 26. Gagra | 53. Sipi |
| 27. Gandhila, Gandil, Gondola | 54. Sirkiband |
| | 55. Teli |
| | 56. Thathiar, Thathera |

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 16. डुमना, महाशाद, डूम | 27. पासी |
| 17. गगड़ा | 28. पेरना |
| 18. गंधीला गंडील, गोन्दोल | 29. फरेरा |
| 19. कबीरपंथी, जुलाहा | 30. सनहाय |
| 20. खटीक | 31. सनहाल |
| 21. कोरी, कोली | 32. सांसी, भेडकूट, मनेश |
| 22. मरीजा, मरेचा | 33. संसोई |
| 23. मजहबी | 34. सपेला |
| 24. मेघ | 35. सरदेड़ा |
| 25. नट | 36. सिकलीगर |
| 26. ओड़ | 37. सिरकीबन्द । |

भाग 6—हिमाचल प्रदेश

- | | |
|---|--|
| 1. आद धर्मी | 28. हाली |
| 2. बांड़ी, नभालू | 29. हेसी |
| 3. वाल्मीकी, भंगी, चूहड़ा, चूड़ा,
चुहड़े | 30. जोगी |
| 4. बांधेला | 31. जुलाहा, जुलाहे, कबीरपंथी, कीर |
| 5. बंगाली | 32. कमोह, डगोली |
| 6. बंजारा | 33. करोक |
| 7. बांसी | 34. खटीक |
| 8. बरड़ | 35. कोरी, कोली |
| 9. बराड़, बुराड़, बेराड़ | 36. लोहार |
| 10. बटवाल | 37. मरीजा, मरेचा |
| 11. बीरिया बावरिया | 38. मजहबी |
| 12. बाजीगर | 39. मेघ |
| 13. भंजड़ा, भंजड़े | 40. नट |
| 14. चमार, जटिया चमार, रेहगड़, रंगड़,
रामदासी, रविदासी, रामदासिया, मोची | 41. ओड़ |
| 15. चनाल | 42. पासी |
| 16. छिम्बे, घोबी | 43. पेरना |
| 17. दागी | 44. फेडा, फेरेडा |
| 18. दई | 45. रेहाड़, रेहाड़ा |
| 19. दर्राई, दरयाई | 46. सनहाई |
| 20. दाउले, दावले | 47. सनहाल |
| 21. डाकी, तूरी | 48. सांसी, भेडकूट, मनेश |
| 22. धानक | 49. संसोई |
| 23. धामोगरी, धुम्माई | 50. सपेला |
| 24. धोगरी, धांगरी, सिम्बी | 51. सरड़े, सरदेड़ा, सराड़े, सिरयाड़े, सरहड़े |
| 25. डूम, डूमना, डूमने महाशा | 52. सिकलीगर |
| 26. गगड़ा | 53. सिपी |
| 27. गंधीला, गंडील, गोण्डोला | 54. सिरकीबन्द |
| | 55. तेली |
| | 56. ठठियार, ठठेर । |

Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950
(PART III—Rules and Orders under the Constitution)

PART VII.—Karnataka

- | | |
|--|--|
| 1. Adi Andhra | 38. Gosangi |
| 2. Adi Dravida | 39. Halleer |
| 3. Adi Karnataka | 40. Halsar, Haslar, Hulasvar, Halasvar |
| 4. Adiya (in Coorg district) | 41. Handi Jogis |
| 5. Ager | 42. Hasla |
| 6. Ajila | 43. Holar, Valhar |
| 7. Anamuk | 44. Holaya, Holer, Holey |
| 8. Aray Mala | 45. Holey Dasari |
| 9. Arunthathiyar | 46. Jaggali |
| 10. Arwa Mala | 47. Jambuvulu |
| 11. Baira | 48. Kadaiyan |
| 12. Bakad | 49. Kalladi |
| 13. Vant (in Belgaum, Bijapur, Dharwar and North Kanara districts) | 50. Kepmaris |
| 14. Bakuda | 51. Kolupulvandlu |
| 15. Balagai | 52. Koosa |
| 16. Bandi | 53. Koracha |
| 17. Banjara, Lambani | 54. Korama |
| 18. Bathada | 55. Kotegar, Metri |
| 19. Beda Jangam, Budga Jangam | 56. Kudumban |
| 20. Bellara | 57. Kuravan |
| 21. Bhangi, Mehtar, Olgana, Rukhi, Malkana, Halalkhor, Lalbegi, Balmiki, Korar, Zadmali | 58. Lingader |
| 22. Bhambi, Bhambhi, Asadaru, Asodi, Chamadia, Chamar, Chambhar, Chamgar, Haralayya, Harali, Khalpa, Machigar, Mochigar, Madar, Madig, Mochi, Muchi, Telegu Mochi, Kamati Mochi, Ranigar, Rohidas, Rohit, Samgar | 59. Machala |
| 23. Bhovi | 60. Madari |
| 24. Bindla | 61. Madiga |
| 25. Byagara | 62. Mahar, Taral, Dhegu Megu |
| 26. Chakkiliyan | 63. Mahyavanshi, Dhed, Vankar, Maru Vankar |
| 27. Chalavadi, Chalvadi, Channayya | 64. Maila |
| 28. Chandala | 65. Mala |
| 29. Chenna Dasar, Holaya Dasar | 66. Mala Dasari |
| 30. Dakkal, Dokkalwar | 67. Mala Hannai |
| 31. Dakkaliga | 68. Mala Jangam |
| 32. Dhor, Kakkayya, Kankayya | 69. Mala Masti |
| 33. Dom, Dombara, Paidi, Pano | 70. Mala Sale, Netkani |
| 34. Ellamalwar, Yellammalawandlu | 71. Mala Sanyasi |
| 35. Ganti Chores | 72. Mang, Matang, Minimaog |
| 36. Garoda, Garo | 73. Mang Garudi, Mang Garodi |
| 37. Godda | 74. Manne |
| | 75. Masthi |
| | 76. Mavilan |
| | 77. Meghwal, Menghvar |
| | 78. Moge |
| | 79. Mukri |
| | 80. Mundala |

भाग 7—कर्नाटक

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. आदि आन्ध्र | 38. गौसंगी |
| 2. आदि द्रविड़ | 39. हल्लीर |
| 3. आदि कर्नाटक | 40. हुलसार, हुसलार, हुलस्वार, हुलस्व |
| 4. आदीय (कुर्ग जिले में) | 41. हुंदी जोगी |
| 5. आभेर | 42. इस्ला |
| 6. आजिला | 43. होलार, बलहार |
| 7. अनामुक | 44. होलाय, होलेर, होलेय |
| 8. आर्य माला | 45. होलेयदासरी |
| 9. अरुंधियार | 46. जगली |
| 10. आर्वमाला | 47. जम्बुवुल |
| 11. बैरा | 48. कडैयन |
| 12. चाकड़ | 49. कल्लादि |
| 13. बंट (बेलगांव, वीजापुर, धारवाड़ और उत्तरी कनारा जिलों में) | 50. केपमारिस |
| 14. बकुड़ा | 51. कोलुपुलवाण्डल |
| 15. बालगार्ध | 52. कूसा |
| 16. बंडी | 53. कोरच |
| 17. बंजारा, लंबाणी | 54. कोरम |
| 18. बयड़ा | 55. कोटंगार, मैत्री |
| 19. वेड़ जंगम, बुखग जंगम | 56. कुडुम्बन |
| 20. बेल्लारा | 57. कुरवान्ट |
| 21. भंगी, मेहतर, ओलगाना, रुखी, मलकाना हलालखोर, लालबेगी, वाल्मीकि, कोरार, झाडमाली | 58. लिगाडेर |
| 22. भंवी, भंभी, असादरू, आसोदी, चमड़िया, चमार, चम्भार, चामगार, हूरलव्या, हूरली, खलपा, मचिगार, मोचिगार, मादार, मादिग, मोची, मुची, तेलगुमोची, कामटि मोची, राणीगार, रोहिदास रोहित, सामगार | 59. मचला |
| 23. भोवी | 60. मदार्री |
| 24. बिडल | 61. मादिग |
| 25. ब्यागरा | 62. महार, तराल, धेगु मेगु |
| 26. चक्किलियान | 63. माहयावंशी, धेड़, बणकर, मारुवण कर |
| 27. चलावादी, चलवादी, चन्नैया | 64. मैला |
| 28. चांडाल | 65. माल |
| 29. चन्नादासर, होलयादासर | 66. मालदासरी |
| 30. दक्कल, दक्कलवार | 67. माल हुन्नई |
| 31. दक्कलिंगा | 68. मालजंगम |
| 32. डोर, कक्कय्या कक्कय्या | 69. मालमस्ती |
| 33. डोम, डोम्बर, पड़ी, पानो | 70. मालसाले, नेतकानि |
| 34. एल्लमलवार, वेल्लम्मलवाण्डलु | 71. माल सन्यासी |
| 35. गंटी चोर | 72. मांग मातंग, मिनिमादिग, |
| 36. गारोडा, गरो | 73. मांग गारुडी, मांग गारोडी |
| 37. गोडडा | 74. मन्ने |
| | 75. मस्ती |
| | 76. माविलन |
| | 77. मेघवाल, मेंघवार |
| | 78. मोगेर |
| | 79. मुक्की |
| | 80. मुंडल |

Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950
(PART I—Rules and Orders under the Constitution)

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 81. Nadia, Hadi | 92. Raneyar |
| 82. Nalkadaya | 93. Samagara |
| 83. Nalakeyava | 94. Samban |
| 84. Nayadi | 95. Sapari |
| 85. Pale | 96. Sillekyathas |
| 86. Pallan | 97. Sindhollu, Chindollu |
| 87. Pambada | 98. Sudugadu Siddha |
| 88. Panchama | 99. Thoti |
| 89. Panniandi | 100. Tirgar, Tirbanda |
| 90. Paraiyan, Paraya | 101. Valluvan. |
| 91. Paravan | |

PART VIII —Kerala

- | | |
|--|---|
| 1. Adi Andhra | 30. Kavara |
| 2. Adi Dravida | 31. Koosa |
| 3. Adi Karnataka | 32. Kootan, Koodan |
| 4. Ajila | 33. Kudumban |
| 5. Arunthathiyar | 34. Kuravan, Sidhanar |
| 6. Ayyanavar | 35. Maila |
| 7. Baira | 36. Malayan [in the areas comprising the Malabar district as specified by sub-section (2) of section 5 of the States Reorganisation Act, 1956 (37 of 1956)] |
| 8. Bakuda | 37. Mannan |
| 9. Bandi | 38. Mavilan |
| 10. Bathada | 39. Moger |
| 11. Bellara | 40. Mundala |
| 12. Bharatar | 41. Nalakeyava |
| 13. Boyan [excluding the areas comprising the Malabar district as specified by sub-section (2) of section 5 of the States Reorganisation Act, 1956 (37 of 1956)] | 42. Nakadaya |
| 14. Chakkiliyan | 43. Nayadi |
| 15. Chamar, Muchi | 44. Padannan |
| 16. Chandala | 45. Pallan |
| 17. Cheruman | 46. Palluvan |
| 18. Domtan | 47. Pambada |
| 19. Gavara | 48. Panan |
| 20. Godagali | 49. Panchama |
| 21. Godda | 50. Paraiyan, Parayan, Sambavar |
| 22. Gosangi | 51. Paravan |
| 23. Hasla | 52. Pathiyan |
| 24. Holeyá | 53. Perumannan |
| 25. Kadaiyan | 54. Pulayan, Cheramar |
| 26. Kakkalan | 55. Pulaya Vettuvan |
| 27. Kalladi | 56. Puthirai Vannan |
| 28. Kanakkan, Padanna | 57. Kaneva |
| 29. Karimpalan | 58. Samagara |

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 81. नाडिया, हाडी | 92. राणीयार |
| 82. नलकडय | 93. सामगार |
| 83. नलकेयव | 94. सम्बन |
| 84. नायाडि | 95. सपरी |
| 85. पाले | 96. तिल्लेकियथस |
| 86. पल्लन् | 97. सिवोलू, चिदोलू |
| 87. पम्बाडा | 98. मुडुगाडुसिद्ध |
| 88. पंचम | 99. तोटि |
| 89. पन्नियाडि | 100. तीरगार, तीरबंद |
| 90. परदयान, परय्या | 101. वल्लुवन । |
| 91. परवन | |

भाग 8—केरल

- | | |
|---|---|
| 1. आदि आंध्र | 50. कवर |
| 2. आदि द्रविड | 31. कूसा |
| 3. आदि कर्नाटक | 32. कुटन, कुडन |
| 4. आजिला | 33. कुडुम्बन |
| 5. अरुन्धथियान | 34. कुरवन, मिदुतार |
| 6. अय्यमवर | 35. मैला |
| 7. बैरा | 36. मलयन [राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का 37) की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा यथा विनिर्दिष्ट मालाबार जिले में समाविष्ट क्षेत्रों में] |
| 8. बकुडा | 37. मण्णन |
| 9. बंडी | 38. माविलन |
| 10. बथडा | 39. मोगेर |
| 11. बेल्लारग | 40. मुण्डाला |
| 12. भरतर | 41. नलकेयव |
| 13. बोयन [राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का 37) की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा यथा विनिर्दिष्ट मालाबार जिले में समाविष्ट क्षेत्रों को छोड़कर] | 42. नलकडय |
| 14. चविकलियान | 43. नायाडी |
| 15. चभार, मुची | 44. पदसन |
| 16. चांडाल | 45. पल्लन |
| 17. चेरुमन | 46. पल्लुवन |
| 18. डोम्बन | 47. पाम्बाडा |
| 19. गवार | 48. पाणन |
| 20. गोडागली | 49. पंचम |
| 21. गोड्डा | 50. परचन, परयन, सविवर |
| 22. गोसर्गी | 51. परवन |
| 23. हस्ला | 52. पतियन |
| 24. होलेय | 53. पेरुमण्णन |
| 25. कडैयन | 54. पुलयन, चेरमर |
| 26. कक्कलन | 55. पुलय वेटवन |
| 27. कल्लाडी | 56. पुतिरई वण्णन |
| 28. कणककन, पदरन | 57. राणीयार |
| 29. करिम्पालन | 58. सामगार |

Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950
(PART III—Rules and Orders under the Constitution)

- | | |
|-------------|---------------|
| 59. Samban | 64. Valluvan |
| 60. Semman | 65. Vannan |
| 61. Thandan | 66. Velan |
| 62. Thoti | 67. Vetan |
| 63. Vallon | 68. Vettuvan. |

PART IX.—*Madhya Pradesh*

- | | |
|---|--|
| 1. Audhelia | 27. Holiya |
| 2. Bagri, Bagdi | 28. Kanjar |
| 3. Bahna, Bahana | 29. Katia, Patharia |
| 4. Balahi, Balai | 30. Khatik |
| 5. Banchada | 31. Koli, Kori |
| 6. Barahar, Basod | 32. Kotwal (in Bhind, Dhar, Dewas, Guna, Gwalior, Indore, Jhabua, Khargone, Mandsaur, Morena, Rajgarh, Ratlam, Shajapur, Shivpuri, Ujjain and Vidisha districts) |
| 7. Bargunda | 33. Khangar, Kanera, Mirdha |
| 8. Basor, Burud, Bansor, Bansodi, Bansphor, Basar | 34. Kuchbandhia |
| 9. Bedia | 35. Kumhar (in Chhatarpur, Datia, Panna, Rewa, Satna, Shahdol, Sidhi and Tikamgarh districts) |
| 10. Bekdar, Sunkar | 36. Mahar, Mehra, Mehar |
| 11. Bhangi, Mehtar, Balmiki, Lalbegi, Dharkar | 37. Mang, Mang Garodi, Mang Garudi, Dankhani Mang, Mang Mahasi, Madari, Garudi, Radhe Mang |
| 12. Bhanumati | 38. Meghwal |
| 13. Chadar | 39. Moghia |
| 14. Chamar, Chamari, Bairwa, Bhambhi, Jatav, Mochi, Regar, Nona, Rohidas, Ramnami, Satnami, Surjyabanshi, Surjyaramnami, Ahirwar, Chamar Mangan, Raidas | 40. Muskhan |
| 15. Chidar | 41. Nat, Kalbelia, Sapera, Navdigar, Kubutar |
| 16. Chikwa, Chikvi | 42. Pardhi (in Bhind, Dhar, Dewas, Guna, Gwalior, Indore, Jhabua, Khargone, Mandsaur, Morena, Rajgarh, Ratlam, Shajapur, Shivpuri, Ujjain and Vidisha districts) |
| 17. Chitar | 43. Pasi |
| 18. Dahait, Dahayat, Dahat | 44. Rujjhar |
| 19. Dewar | 45. Sansi, Sansia |
| 20. Dhanuh | 46. Silawat |
| 21. Dhed, Dher | 47. Zamral |
| 22. Dhobi (in Bhopal, Raisen and Sehore districts) | |
| 23. Dohor | |
| 24. Dom, Dumar, Dome, Domar, Doris | |
| 25. Ganda, Gandhi | |
| 26. Ghasi, Ghasia | |

PART X.—*Maharashtra*

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Ager | 9. Beda Jangam, Budga Jangam |
| 2. Anamuk | 10. Bedar |
| 3. Aray Mala | 11. Bhambi, Bhambhi, Asadaru, Asodi, Chamadia, Chamar, Chamari, Chamabhar, Chamgar, Haralayya, Harali, Khalpa, Machigar, Mochigar, Madar, Madig, Mochi, Telegu Mochi, Kamati Mochi, Ranigar, Rohidas, Nona, Ramnami, Rohit, Sangar, Samagara, Satnami, Surjyabanshi, Surjyaramnami. |
| 4. Arwa Mala | |
| 5. Bahna, Bahana | |
| 6. Bakad, Bant | |
| 7. Balahi, Balai | |
| 8. Basor, Burud, Bansor, Bansodi | |

- | | |
|-------------|----------------|
| 59. सम्बन | 64. वल्लुवन |
| 60. सेम्मान | 65. वण्णन |
| 61. तण्णाल | 66. वेलन |
| 62. थोटि | 67. वेटन |
| 63. वल्लोन | 68. वेट्टुवन । |

भाग 9—मध्य प्रदेश

- | | |
|---|---|
| 1. श्रीघलिया | 27. हौलिया |
| 2. बागरी, बामड़ी | 28. कण्णर |
| 3. बहना, बाहना | 29. कातिया, पथरिया |
| 4. बलाही, बलाई | 30. खटीक |
| 5. बांछड़ा | 31. कोली, कोरी |
| 6. बरहर, बसोड | 32. कोतवाल (भिड़, धार, देवास, गुना, ग्वालियर, इंदौर, झाबुआ, खरगोन, मंदसौर, मुरैना, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन और विदिशा जिलों में) |
| 7. बरगंडा | 33. खांगर, कनेरा, मिर्घा |
| 8. बघोर, बुइड़, बांसोर, बांसोडी, बांसफोड़, बसार | 34. कुचवंधिया |
| 9. बेड़िया | 35. कुम्हार (छतरपुर, दतिया, न्या, रीवा, सतना, शहडोल, सीधी और टिकमगढ़ जिलों में) |
| 10. बेलदार, सुनकर | 36. महार, मेहरा, मेहर |
| 11. भंगी, मेहतर, बालमीक, लालवेगी, धरवार | 37. मांग, मांग गारोडी, मांग गारुडी, दंखनी मांग, मांग महाशी, मदारी, गारुडी, राधे मांग |
| 12. मानुमती | 38. मेघवाल |
| 13. चहार | 39. मोधिया |
| 14. चमार, चमारी, बेरवा, भांवी, जाटव, मोची, रंगड़, नोना, रोहिदास, रामनामी, सतनामी, सूर्यवंशी, सूर्य-रामनामी, अहिरवार, चमार मंगल, रैवास | 40. मुसखान |
| 15. चिदार | 41. नट, कालवेलिया, सपेरा, नवदिगार, कुवुतर |
| 16. चिचवा, चिकवी | 42. पारधी (भिड़, धार, देवास, गुना, ग्वालियर, इंदौर, झाबुआ, खरगोन, मंदसौर, मुरैना, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन और विदिशा जिलों में) |
| 17. चित्तार | 43. पासी |
| 18. दहाइल, दहायत, दहात | 44. रण्णर |
| 19. देवर | 45. सांसी, सांसिया |
| 20. धानुक | 46. सिलावट |
| 21. धेड, धेड़ | 47. शमराल |
| 22. धोबी (भोपाल, रायसेन और सिहोर जिलों में) | |
| 23. डोहोर | |
| 24. डोम, डुमार, डोमे, डोमर, डोरिस | |
| 25. गांडा, गांडी | |
| 26. घासी, घसिया | |

भाग 10—महाराष्ट्र

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. अणेर | 9. वेडा जंगम, बुडगा जंगम |
| 2. अनामुक | 10. बेडर |
| 3. आरवा माला | 11. भाबी, भंभी, असादरु, असोदी, चमाडिया, चमार, चमारी, चंभार, चाण्णार, हरलया, हरची, खलपा, मचीगार, मोचीगार, मादर, मादिग, मोची, तेलगु मोची, कामाटी मोची, राणीगार, रोहिदास, नोना, रामनामी, रोहित, समगर, सामगार, सतनामी, सूर्यवंशी, सूर्य रामनामी |
| 4. आखामाला | |
| 5. बहना, बाहना | |
| 6. बाकड़, बंट | |
| 7. बलाही, बलाई | |
| 8. बसोर, बुइड़, बांसोर, बांसोडी | |

Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950
(PART I—Rules and Orders under the Constitution)

- | | |
|---|---|
| 12. Bhangi, Mehtar, Olgana, Rukhi, Malkana, Halalkhor, Lalbegi, Balmiki, Korar, Zadmalli | 35. Madgi |
| 13. Bindla | 36. Madiga |
| 14. Byagara | 37. Mahar, Mehra, Taral, Dhegu Megu |
| 15. Chalvadi, Channayya | 38. Mahyavanshi, Dhed, Vankar, Maru Vankar |
| 16. Chenna Dasar, Holaya Dasar, Holeya Dasari | 39. Mala |
| 17. Dakkal, Dokkalwar | 40. Mala Dasari |
| 18. Dhor, Kakkayya, Kankayya, Dohor | 41. Mala Hannai |
| 19. Dom, Dumar | 42. Mala Jangam |
| 20. Ellamalvar, Yellammalawandlu | 43. Mala Masti |
| 21. Ganda, Gandhi | 44. Mala Sale, Netkani |
| 22. Garoda, Garo | 45. Mala Sanyasi |
| 23. Ghasi, Ghasia | 46. Mang, Matang, Minimadig, Dankhni Mang, Mang Mahashi, Madari, Garudi, Radhe Mang |
| 24. Halleer | 47. Mang Garodi, Mang Garudi |
| 25. Halsar, Haslar, Hulasvar, Halasvar | 48. Manne |
| 26. Holar, Valbar | 49. Mashti |
| 27. Holaya, Holer, Holeya, Holiya | 50. Meghval, Menghvar |
| 28. Kaikadi (in Akola, Amravati, Bhandara, Buldana, Nagpur, Wardha and Yavatmal districts and Chandrapur district other than Rajura tahsil) | 51. Mitha Ayyalvar |
| 29. Katia, Patharia | 52. Mukri |
| 30. Khangar, Kanera, Mirdha | 53. Nadia, Hadi |
| 31. Khatik, Chikwa, Chikvi | 54. Pasi |
| 32. Kolupulvandlu | 55. Sansi |
| 33. Kori | 56. Shenva, Chenva, Sedma, Ravat |
| 34. Lingader | 57. Sindhollu, Chindollu |
| | 58. Tirgar, Tirbanda |
| | 59. Turi. |

PART XI—*Manipur*

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. Dhupi, Dhobi | 5. Patni |
| 2. Lois | 6. Sutradhar |
| 3. Muchi, Ravidas | 7. Yaithibi. |
| 4. Namasudra | |

PART XII.—*Meghalaya*

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Bansphor | 9. Kaibartta, Jaliya |
| 2. Bhuinmali, Mali | 10. Lalbegi |
| 3. Brittiat Bania, Bania | 11. Mahara |
| 4. Dhupi, Dhobi | 12. Mehtar, Bhangi |
| 5. Dugla, Dholi | 13. Muchi, Rishi |
| 6. Hira | 14. Namasudra |
| 7. Jalkeot | 15. Patni |
| 8. Jhalo, Malo, Jhalo-Malo | 16. Sutradhar. |

PART XIII.—*Orissa*

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. Adi Andhra | 3. Audhelia |
| 2. Amant, Amat | 4. Badaik |

- | | |
|--|---|
| 12. भंगी, मेहतर, ओलगना, रुखी, मलकाना, हलालखोर, जालबेगी, बाल्मीकि, कोरार, झाड़भासी | 35. मादगी |
| 13. बिदला | 36. मादिगा |
| 14. ब्यागरा | 37. महार, मेहूरा, तराल, घेगु मेगु |
| 15. चलवादि, चन्नैया | 38. माह्यावंशी, घेड़, वणकर, मारुवणकर |
| 16. चेन्नादासर, होलाय दासर, होलय दासरा | 39. माला |
| 17. डकल, डोकलवार | 40. मालादासरी |
| 18. डोर, ककम्या, ककम्या, डोहोर | 41. माल हूँ |
| 19. डोम, डुमार | 42. माला जंगम |
| 20. एल्लमलवार, येल्लम्भलावाण्डलु | 43. माला मस्ती |
| 21. गंदा, गंदी | 44. मालसाले, नैतकानि |
| 22. गरोडा, गरो | 45. माला सन्यासी |
| 23. घासी, घसिया | 46. मांग, मातग, मिनिमादिग, दंखगी मांग, मांग-महाशी, मवारी, गारुडी, राधे मांग |
| 24. हल्लीर | 47. मांग गारोडी, मांग गारुडी |
| 25. हलसार, हसजार, हुस्वार, हलस्वार | 48. मन् |
| 26. होलार, चलहार | 49. मस्ती |
| 27. होलया, होलेर, होलेया होलिया | 50. मेघवाल, मेघवार |
| 28. कौकाडी (अकोला, अमरावती, भंडारा, मुलडावा, नागपुर, वर्धा और यवतमाल जिलों में और राजुरा तहसील को छोड़कर चन्द्रपुर जिले में) | 51. मिठा अम्यलवार |
| 29. कटीया, पठारिया | 52. मुन्नी |
| 30. खंगार, कनेरा, मिरधा | 53. नाडीया, हाडी |
| 31. खाटीक, चिकवा, चिकवी | 54. पासी |
| 32. कोलुपुलवाण्डलु | 55. सांसी |
| 33. कोरी | 56. शोनवा, चैनवा, सेडमा, रावत |
| 34. लिगादार | 57. सिधौलू, चिदौलू |
| | 58. तीरगार, तीरबंद |
| | 59. तुरी । |

भाग 11—मजिपुर

- | | |
|-----------------|-------------|
| 1. धुपीं, घोबी | 5. पाटनी |
| 2. लईज | 6. सूत्रघार |
| 3. मुची, रविदास | 7. येथिबि । |
| 4. नामसूद्र | |

भाग 12—मेघालय

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. बांसफोड | 9. कंबर्त, जालिया |
| 2. भुईमाली, माली | 10. लालबेगी |
| 3. बलियाल बनिया, बनिया | 11. महरा |
| 4. धुपी, घोबी | 12. मेहतर, भंगी |
| 5. डुगसा, बोली | 13. मुची, ऋषि |
| 6. हीरा | 14. नामसूद्र |
| 7. जलकेवट | 15. पाटनी |
| 8. झालो, मालो, झालो-मालो | 16. सूत्रघार । |

भाग 13—उड़ीसा

- | | |
|-----------------|------------|
| 1. आदि भ्रांघ | 3. ओधेलिया |
| 2. अमान्त, अमात | 4. बईक |

Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950
(PART III—Rules and Orders under the Constitution)

- | | |
|----------------------------------|--|
| 5. Bagheti, Baghuti | 49. Kummari |
| 6. Bajikar | 50. Kurunga |
| 7. Bari | 51. Laban |
| 8. Bariki | 52. Laheri |
| 9. Basor, Burud | 53. Madari |
| 10. Bauri | 54. Madiga |
| 11. Bauti | 55. Mahuria |
| 12. Bavuri | 56. Mala, Jhala, Malo, Zala |
| 13. Bedia, Bejia | 57. Mang |
| 14. Beldar | 58. Mangan |
| 15. Bhatā | 59. Mehra, Manar |
| 16. Bhoi | 60. Mehtar, Bhangi |
| 17. Chachati | 61. Mewar |
| 18. Chakā | 62. Mundapotta |
| 19. Chamar, Mesu, Muchi, Satnami | 63. Musahar |
| 20. Chandala | 64. Nagarchi |
| 21. Chandhai Maru | 65. Namasudra |
| 22. Cherua, Chhe in | 66. Paidi |
| 23. Dandasi | 67. Paida |
| 24. Dewar | 68. Pamidi |
| 25. Dhanwar | 69. Pan, Pano |
| 26. Dhoba, Dache | 70. Panchama |
| 27. Dom, Dombo, Duria Dom | 71. Panika |
| 28. Dosadha | 72. Panka |
| 29. Ganda | 73. Pantanti |
| 30. Ghantarghada, Ghantra | 74. Pap |
| 31. Ghasi, Ghasia | 75. Pasi |
| 32. Ghogia | 76. Patial, Patikar, Patantanti, Patua |
| 33. Ghusuria | 77. Rajna |
| 34. Godagali | 78. Relli |
| 35. Godari | 79. Sabakhia |
| 36. Godra | 80. Samasi |
| 37. Gokha | 81. Sanei |
| 38. Gorait, Korait | 82. Sapari |
| 39. Haddi, Hadi, Hari | 83. Sauntia, Santia |
| 40. Irika | 84. Sidhria |
| 41. Jaggali | 85. Sinduria |
| 42. Kandra, Kandara | 86. Siyal |
| 43. Karua | 87. Tamadia |
| 44. Katia | 88. Tamudia |
| 45. Kela | 89. Tanla |
| 46. Khadala | 90. Tiar, Tior |
| 47. Kodalo, Khodalo | 91. Turi |
| 48. Kori | 92. Ujia |
| | 93. Valamiki, Valmiki |

- | | |
|------------------------------|--|
| 5. बाघेटी, बाघुटी | 49. कुम्भारी |
| 6. बाजीकर | 50. कुहंगा |
| 7. बारी | 51. लबाण |
| 8. बारीकी | 52. लाहेरी |
| 9. बासोर, बुरुह | 53. मदारो |
| 10. बाउरी | 54. मादिम |
| 11. बाउटी | 55. महूरिया |
| 12. बाबूरी | 56. माला, झाला, मालो, झाला |
| 13. बेडिया, बेजिया | 57. मांग |
| 14. बेलदार | 58. मांगण |
| 15. भाट | 59. मेहरा, महार |
| 16. भोई | 60. मेहतर, भंगी |
| 17. चवर्दी | 61. मेवार |
| 18. चकली | 62. मूडपोट्टा |
| 19. चमार, मोची, मुची, सतनामी | 63. मूसहर |
| 20. चांडाल | 64. नगारची |
| 21. चंडाई मारु | 65. नामशूद्र |
| 22. चेरम्रा छेलिया | 66. पैडी |
| 23. दंडासी | 67. पण्डा |
| 24. देवर | 68. पामीडी |
| 25. धनवार | 69. पाण, पाणों |
| 26. धोवा, धोबी | 70. पंचम |
| 27. डोम, डोम्बो, डुरिया डोम | 71. पाणिका |
| 28. दोसधा | 72. पंका |
| 29. गंडा | 73. पाणतंति |
| 30. घंटखड़ा, घंटरा | 74. पाप |
| 31. घासी, घसिया | 75. पासी |
| 32. घोगिया | 76. पटियाल, पाटीकर, पावतन्ति, पट्टम्रा |
| 33. घुसुरिया | 77. रजना |
| 34. गोडामाली | 78. रेल्ली |
| 35. गोडारी | 79. सबाखिम्रा |
| 36. गोडरा | 80. समासी |
| 37. गोखा, | 81. सनेई |
| 38. गोरईत, कोराईत | 82. सपरी |
| 39. हाडडी, हाडी, हरी | 83. साँतिया, साँतिया |
| 40. इरीका | 84. सिघरिया |
| 41. जम्मली | 85. सिहूरिया |
| 42. कंडरा, कंडारा | 86. सिवाल |
| 43. कारुम्रा | 87. टमाडिया |
| 44. कटिम्रा | 88. टमुडिया |
| 45. केला | 89. तामला |
| 46. खदाल | 90. तियार, तियोर |
| 47. कोमालो, खोडालो | 91. दूरी |
| 48. कोरी | 92. उजोम्रा |
| | 93. वाल्मीकि, वाल्मीकि |

Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950
(PART III—Rules and Orders under the Constitution)

PART XIV.—*Punjab*

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Ad Dharmi | 19. Kabirpanthi, Julaha |
| 2. Balmiki, Chura, Bhangi | 20. Khatik |
| 3. Bangali | 21. Kori, Koli |
| 4. Barar, Burar, Berar | 22. Marija, Marecha |
| 5. Batwal | 23. Mazhabi |
| 6. Bauria, Bawaria | 24. Megh |
| 7. Bazigar | 25. Nat |
| 8. Bhanjra | 26. Od |
| 9. Chamar, Jatia Chamar, Rehgar, Raigar, Ramdasi, Ravidasi | 27. Pasi |
| 10. Chanal | 28. Perna |
| 11. Dagi | 29. Pherera |
| 12. Darain | 30. Sanhai |
| 13. Deha, Dhaya, Dhea | 31. Sanhal |
| 14. Dhanak | 32. Sansi, Bhedkut, Manesh |
| 15. Dhogri, Dhangri, Siggri | 33. Sansoi |
| 16. Dumna, Mahasha, Doom | 34. Sapela |
| 17. Gagra | 35. Sarera |
| 18. Gandhila, Gandil, Gondola | 36. Sikligar |
| | 37. Sirkiband. |

PART XV.—*Rajasthan*

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Adi Dharmi | 18. Chandal |
| 2. Aheri | 19. Dabgar |
| 3. Badi | 20. Dhanak, Dhanuk |
| 4. Bagri, Bagdi | 21. Dhankia |
| 5. Bairwa, Berwa | 22. Dhobi |
| 6. Bajgar | 23. Dholi |
| 7. Balai | 24. Dome, Dom |
| 8. Bansphor, Bansphod | 25. Gandia |
| 9. Baori | 26. Garanchar, Gancha |
| 10. Bargi, Vargi, Birgi | 27. Garo, Garura, Gurda, Garoda |
| 11. Bawaria | 28. Gavaria |
| 12. Bedia, Beria | 29. Godhi |
| 13. Bhand | 30. Jingar |
| 14. Bhangi, Chura, Mehtar, Olgana, Rukhi, Malkana, Halalkhor, Lalbegi, Balmiki, Valmiki, Korar, Zadmalli | 31. Kalbelia, Sapera |
| 15. Bidakia | 32. Kamad, Kamadia |
| 16. Bola | 33. Kanjar, Kunjar |
| 17. Chamar, Bhambhi, Bambhi, Bhambi, Jatia, Jatav, Jatava, Mochi, Raidas, Rohidas, Regar, Raigar, Ramdasia, Asadaru, Asodi, Chamadia, Chambhar, Chamgar, Haralayya, Harali, Khalpa, Machigai, Mochigar, Madar, Madig, Telugu Mochi, Kamati Mochi, Ranigar, Rohit, Samgar | 34. Kapadia Sansi |
| | 35. Khangar |
| | 36. Khatik |
| | 37. Koli, Kori |
| | 38. Kooch Band, Kuchband |

भाग 14—पंजाब

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. आदि धर्मी | 19. कबीरपंथी, जुलाहा |
| 2. बाल्मीकि, चूड़ा, भंगी | 20. खटीक |
| 3. बंगाली | 21. फोरी, कोली |
| 4. बरड़, दुरड़, बेरड़ | 22. मरीजा, मरेचा |
| 5. बटवाल | 23. मजहबी |
| 6. बौरिया, चावरिया | 24. मेघ |
| 7. बाजीगर | 25. नट |
| 8. भंजड़ा | 26. ओड |
| 9. चमार, जटिया चमार, रेहगड़, रैगड़, रामदासी,
रविदासी | 27. पांसी |
| 10. चनाल | 28. पेरना |
| 11. डागी | 29. फेरेरा |
| 12. दड़ | 30. सनहाई |
| 13. डेहा, डंया, ठआ | 31. सनहाल |
| 14. धानक | 32. सांसी, भेड़कुट, मनेश |
| 15. ढोगरी, डांगरी, सिग्गी | 33. संसोई |
| 16. डूमना, महाशा, डूम | 34. सपेला |
| 17. गगड़ा | 35. सरैड़ा |
| 18. गंडोला, गण्डील, गोण्डोला | 36. सिकलीगर |
| | 37. सिरकीबन्द |

भाग 15—राजस्थान

- | | |
|---|--|
| 1. आदि धर्मी | तेलुगु, मोची, कामटी मोची, राणीगार, रोहित, सामगार |
| 2. अहेरी | 18. चांडाल |
| 3. बादी | 19. दबगर |
| 4. बागरी, बागडी | 20. धानक, धानुक |
| 5. बैरवा, बेरवा | 21. धानकिया |
| 6. बाजगर | 22. घोबी |
| 7. बलाई | 23. डोली |
| 8. बांसफोर, बांसफोड़ | 24. डोम, डूम |
| 9. बावरी | 25. गांडिया |
| 10. वर्गी, वर्गी, विर्गी | 26. गरंचा, गांचा |
| 11. बावरिया | 27. गरो, गरुड़, गुर्डा, गरोडा |
| 12. बेड़िया, बेरिया | 28. गवारिया |
| 13. भांड | 29. गोधी |
| 14. भंगी, चूड़ा, मेहतर, औलगाना, लूखी, मलकाना,
हलालखोर, लालबेगी, बाल्मीकि, बाल्मीकि, कोरार,
झाडमाली | 30. जीनगार |
| 15. विदाकिया | 31. कालबेलिया, सपेरा |
| 16. बोला | 32. कामड़, कामड़िया |
| 17. चमार, भंभी, बंभी, भंबी, जटिया, जाटव, जाटवा,
मोची, रैदास, रोहिदास, रेगड़, रैगड़, रामदासिया,
असादरू, असोदी, चमाडिया, चम्भार, चामगार, हरलया,
हराली, खलपा, मचिगार, मोचीगार, मादर, माविग, | 33. कंजर, कुंजर |
| | 34. कपाड़िया, सांसी |
| | 35. खंगार |
| | 36. खटीक |
| | 37. कोली, कोरी |
| | 38. कुच बन्द, कुचबन्द |

Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950
(PART III—Rules and Orders under the Constitution)

- | | |
|---|----------------------|
| 39. Korla | 49. Pasi |
| 40. Madari, Bazigar | 50. Rawal |
| 41. Mahar, Taral, Dhegumegu | 51. Salvi |
| 42. Mahyavanshi, Dhed, Dheda, Vankar, Maru Vankar | 52. Sansi |
| 43. Majhabi | 53. Santia, Satia |
| 44. Mang, Matang, Minimadig | 54. Sarbhangi |
| 45. Mang Garodi, Mang Garudi | 55. Sargara |
| 46. Megh, Meghval, Meghwal, Menghvar | 56. Singiwala |
| 47. Mehar | 57. Thori, Nayak |
| 48. Nat, Nut | 58. Tirgar, Tirbanda |
| | 59. Turi. |

PART XVI.—*Tamil Nadu*

- | | |
|---|---|
| 1. Adi Andhra | 30. Karimpalan |
| 2. Adi Dravida | 31. Kavara (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district) |
| 3. Adi Karnataka | 32. Koliyan |
| 4. Ajila | 33. Koosa |
| 5. Arunthathiyar | 34. Kootan, Koodan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district) |
| 6. Ayyanavar (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district) | 35. Kudumban |
| 7. Baira | 36. Kuravan, Sidhanar |
| 8. Bakuda | 37. Madari |
| 9. Bandi | 38. Madiga |
| 10. Bellara | 39. Maila |
| 11. Bharatar (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district) | 40. Mala |
| 12. Chakkiliyan | 41. Mannan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district) |
| 13. Chalavadi | 42. Mavilan |
| 14. Chamar, Muchi | 43. Moger |
| 15. Chandala | 44. Mundala |
| 16. Cheruman | 45. Nalakeyava |
| 17. Devendrakulathan | 46. Nayadi |
| 18. Dom, Dombara, Paidi, Pano | 47. Padannan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district) |
| 19. Domban | 48. Pagadai |
| 20. Godagali | 49. Pallan |
| 21. Godda | 50. Palluvan |
| 22. Gosangi | 51. Pambada |
| 23. Holey | 52. Panan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district) |
| 24. Jaggali | 53. Panchama |
| 25. Jambuvulu | 54. Pannadi |
| 26. Kadaiyan | 55. Panniandi |
| 27. Kakkalan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district) | 56. Paraiyan, Parayan, Sambavar |
| 28. Kalladi | |
| 29. Kanakkan, Padanna (in the Nilgiris district) | |

- | | |
|--|---------------------|
| 39. कोरिया | 49. पासी |
| 40. मदारी, बाजीगर | 50. रावल |
| 41. महार, तरास, घेगुमेगु | 51. सालबी |
| 42. माह्यावंशी, डेड़, डेड़ा, वणकर, माह
वणकर | 52. सांसी |
| 43. मजहबी | 53. सांतिया, सतिया |
| 44. मांग, मातंग, मिनिमादिग | 54. सरमंगी |
| 45. मांग, गारोड़ी, मांग, गारुड़ी | 55. सरगड़ा |
| 46. मेघ, मेघवाल, मेघवल, मेघवार | 56. सिगीवाला |
| 47. मेहर | 57. थोरी, नायक |
| 48. नट, नुट | 58. तीरगार, तीरबन्द |
| | 59. तुरी । |

भाग 16—तमिलनाडु

- | | |
|--|--|
| 1. आदि आंध्र | 30. करिम्पालन |
| 2. आदि द्विचडर | 31. काबरा (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली
जिले के शेन्कोट्टा तालुक में) |
| 3. आदि कर्नाटक | 32. कोलियन |
| 4. आजिला | 33. कूसा |
| 5. अरुन्दवियार | 34. कूटन, कूडन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली
जिले के शेन्कोट्टा तालुक में) |
| 6. अय्यनवर (कन्याकुमारी जिले में और तिरु-
नेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में) | 35. कुडुम्बन |
| 7. बैरा | 36. कुरवन, सिद्धनार |
| 8. बकुड़ा | 37. मदारी |
| 9. बण्डी | 38. मादिग |
| 10. बेस्तरा | 39. भैला |
| 11. भरतर (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली
जिले के शेन्कोट्टा तालुक में) | 40. माल |
| 12. बिकलियन | 41. मन्नन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले
के शेन्कोट्टा तालुक में) |
| 13. चलवादि | 42. माविलान |
| 14. चमार, मुची | 43. मोगर |
| 15. चाण्डाल | 44. मुण्डाला |
| 16. चेरुमान | 45. नलकेयव |
| 17. देवेन्द्रकुसयन | 46. नायाड़ी |
| 18. डोम, डोम्बारा, पेड़ी, पानो | 47. पडन्नन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली
जिले के शेन्कोट्टा तालुक में) |
| 19. डोम्बन | 48. पगाडे |
| 20. गोडागली | 49. पल्लन |
| 21. गोड्डा | 50. पल्लुवन |
| 22. गोसंगी | 51. पमवाड़ा |
| 23. होलेय | 52. पानन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले
के शेन्कोट्टा तालुक में) |
| 24. जम्पासी | 53. पंचम |
| 25. जम्बुबुलु | 54. पन्नाड़ी |
| 26. कडम्पन | 55. पन्नियांडी |
| 27. कक्कलन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली
जिले के शेन्कोट्टा तालुक में) | 56. परैयन, परयन, साम्बवर |
| 28. कस्मादि | |
| 29. कनकन, पावन्ना (नीलगिरि जिले में) | |

Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950
(PART III—Rules and Orders under the Constitution)

- | | |
|---|--|
| 57. Paravan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district) | 67. Thoti |
| 58. Pottiyar (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district) | 68. Tiruvalluvar |
| 59. Pulayan, Cheramar | 69. Vallon |
| 60. Pundirai Vannan | 70. Valluvan |
| 61. Raneyar | 71. Vannan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district) |
| 62. Samagara | 72. Vathiriyar |
| 63. Samban | 73. Velan |
| 64. Sagari | 74. Vetan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district) |
| 65. Semman | 75. Vettiyan |
| 66. Thandan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district) | 76. Vettuvan (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district). |

PART XVII.—*Tripura*

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Bagdi | 17. Kanugh |
| 2. Bhimali | 18. Keot |
| 3. Bhunar | 19. Khadit |
| 4. Chamar, Muchi | 20. Kharia |
| 5. Dandasi | 21. Koch |
| 6. Dhenuar | 22. Koir |
| 7. Dhoba | 23. Kol |
| 8. Duan | 24. Kora |
| 9. Ghasi | 25. Kotal |
| 10. Gour | 26. Mahisyadas |
| 11. Gur | 27. Mali |
| 12. Jalia Kaibarta | 28. Mehtor |
| 13. Kabar | 29. Musahar |
| 14. Kalindi | 30. Namasudra |
| 15. Kun | 31. Patni |
| 16. Kanda | 32. Sabar. |

PART XVIII.—*Uttar Pradesh*

- | | |
|-------------|------------------------------------|
| 1. Agriya | 13. Banmanus |
| 2. Badhik | 14. Bansphor |
| 3. Badi | 15. Barwar |
| 4. Baheliya | 16. Basor |
| 5. Baiga | 17. Bawariya |
| 6. Baiswar | 18. Beldar |
| 7. Bijaniya | 19. Beriya |
| 8. Bajgi | 20. Bhantu |
| 9. Balahar | 21. Bhuiya |
| 10. Balai | 22. Bhuyar |
| 11. Balmiki | 23. Boria |
| 12. Bangab | 24. Chamar, Dhusia, Jhusia, Jatava |

- | | |
|--|--|
| 57. पन्न (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में) | 67. थोटि |
| 58. पथियन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में) | 68. तिरुवेल्लुवर |
| 59. पुलयन, चेरमार | 69. वेल्लन |
| 60. पुथिरैवण्णान | 70. वल्लुवन |
| 61. राणीयार | 71. वन्नन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में) |
| 62. राममार | 72. वातिरैयान् |
| 63. सम्भन | 73. वेन्न |
| 64. सपरी | 74. वेटन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में) |
| 65. सम्मन | 75. वेट्टियान |
| 66. तण्डन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में) | 76. वेट्टुवन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)। |

भाग 17—त्रिपुरा

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. वागदी | 17. कनुह |
| 2. भुईमाली | 18. केवत |
| 3. भुनर | 19. खादित |
| 4. चमार, मूची | 20. खारिया |
| 5. दानदासी | 21. कुच |
| 6. धेनुअर | 22. कोयर |
| 7. धोवा | 23. कोल |
| 8. डोम | 24. कोरा |
| 9. घासी | 25. कोटाल |
| 10. गौर | 26. महिष्यदास |
| 11. गुर | 27. माली |
| 12. जेलेया कंबत | 28. मेहतार |
| 13. कहार | 29. मुसहर |
| 14. कालिन्दी | 30. नमीमूह |
| 15. कान | 31. पाटनी |
| 16. कण्वा | 32. सबर। |

भाग 18—उत्तर प्रदेश

- | | |
|--------------|--------------------------------|
| 1. अगरिया | 13. अनुमानुष |
| 2. अधिक | 14. बांसफोड़ |
| 3. दादी | 15. बरवार |
| 4. बहेलिया | 16. बंसोड़ |
| 5. बगा | 17. बावरिया |
| 6. बैसवार | 18. बेलवार |
| 7. बजनिमा | 19. बेरिया |
| 8. बाजगी | 20. भंड़ |
| 9. बलहार | 21. भुईया |
| 10. बलाई | 22. भुईयार |
| 11. बाल्मीकि | 23. बोरिया |
| 12. बंगाली | 24. चमार, घुसिया, मुसिमा, पाटव |

Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950
(PART III—Rules and Orders under the Constitution)

- | | |
|--------------|----------------------------------|
| 25. Chero | 46. Kharwar (excluding Benbansi) |
| 26. Dabgar | 47. Khatik |
| 27. Dhangar | 48. Khorot |
| 28. Dhanuk | 49. Kol |
| 29. Dharkar | 50. Kori |
| 30. Dhobi | 51. Korwa |
| 31. Dom | 52. Lalbegi |
| 32. Domar | 53. Majhwar |
| 33. Dusadh | 54. Mazhabi |
| 34. Gharami | 55. Musahar |
| 35. Ghasiya | 56. Nat |
| 36. Gond | 57. Pankha |
| 37. Gual | 58. Parahiya |
| 38. Habura | 59. Pasi, Tarmali |
| 39. Hari | 60. Patari |
| 40. Hela | 61. Rawat |
| 41. Kalabaz | 62. Saharya |
| 42. Kanjar | 63. Sanaurhiya |
| 43. Kapariya | 64. Sansiya |
| 44. Karwal | 65. Shilpkar |
| 45. Khairaha | 66. Turaiha. |

PART XIX.—*West Bengal*

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Bagdi, Duley | 22. Hari, Mehtar, Mehtor, Bhangi |
| 2. Bahelia | 23. Jalia Kaibartta |
| 3. Baiti | 24. Jhalo Malo, Malo |
| 4. Bantar | 25. Kadar |
| 5. Bauri | 26. Kami (Nepali) |
| 6. Beldar | 27. Kandra |
| 7. Bhogta | 28. Kanjar |
| 8. Bhuimali | 29. Kaora |
| 9. Bhuiya | 30. Karenga, Koranga |
| 10. Bind | 31. Kaur |
| 11. Chamar, Charmakar, Mochi, Muchi, Rabidas, Ruidas, Rishi | 32. Keot, Keyot |
| 12. Chaupal | 33. Khaira |
| 13. Dabgar | 34. Khatik |
| 14. Damai (Nepali) | 35. Koch |
| 15. Dhoba, Dhobi | 36. Konai |
| 16. Doai | 37. Konwar |
| 17. Dom, Dhangad | 38. Kotal |
| 18. Dosadh, Dusadh, Dhari, Dharhi | 39. Kurariar |
| 19. Ghasi | 40. Lalbegi |
| 20. Gonrhi | 41. Lohar |
| 21. Halalhkor | 42. Mahar |
| | 43. Mal |

- | | |
|-------------|--------------------------------|
| 25. चैरो | 46. खरवार (बनबाम्नी को छोड़कर) |
| 26. दबगर | 47. खटीक |
| 27. धंगड़ | 48. खोरोट |
| 28. धानुक | 49. कोल |
| 29. धरकार | 50. कोरी |
| 30. घोबी | 51. कोरवा |
| 31. डोम | 52. लालबेगी |
| 32. डोमर | 53. मक्षवार |
| 33. दुसाध | 54. मजहबी |
| 34. धरामी | 55. मुसहर |
| 35. धसिया | 56. नट |
| 36. गोंड | 57. पंखा |
| 37. ग्वाल | 58. परहिया |
| 38. हबूडा | 59. पासी, तरमाली |
| 39. हरी | 60. पटरी |
| 40. हेला | 61. रावल |
| 41. कलाबाज | 62. सहारया |
| 42. कंजर | 63. मनोरिया |
| 43. कपड़िया | 64. सांसिया |
| 44. करवल | 65. शिल्पकार |
| 45. खराहा | 66. तुरंहा । |

भाग 19—पश्चिमी बंगाल

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. बागड़ी, बुले | 22. हरी, मेहतार, मेहतोर, भंगी |
| 2. बहेलिया | 23. जालिया, कंवतं |
| 3. बायती | 24. जाली माली, माली |
| 4. बंतर | 25. कादर |
| 5. बीरी | 26. कामी (नेपाली) |
| 6. बेलदार | 27. कांदरा |
| 7. भोगता | 28. कंजर |
| 8. भुईमाली | 29. कावरा |
| 9. भुइया | 30. करंगा, कोरंगा |
| 10. बिन्द | 31. कौर |
| 11. चमार, चर्मकार, मोची, मुची, रविदास, रुईदास, ऋषि | 32. केवट, केयोट |
| 12. चौपाल | 33. खैरा |
| 13. दबगर | 34. खटीक |
| 14. दामाई (नेपाली) | 35. कोब |
| 15. घोबा, घोबी | 36. कोनाई |
| 16. दोयाई | 37. कोनवार |
| 17. डोम, धंगड़ | 38. कोटाल |
| 18. दोसाध, दुसाध, धारी, धाखी | 39. कुरारियर |
| 19. घासी | 40. लालबेगी |
| 20. गोनड़ी | 41. लोहार |
| 21. हसासबोर | 42. महार |
| | 43. माल |

Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950
(PART III—Rules and Orders under the Constitution)

- | | |
|-----------------|----------------------------|
| 44. Mallah | 52. Patni |
| 45. Musabar | 53. Pod, Poundra |
| 46. Namasudra | 54. Rajbanshi |
| 47. Nat | 55. Rajwar |
| 48. Nuniya | 56. Sarki (Nepali) |
| 49. Paliya | 57. Sunri (excluding Saha) |
| 50. Pan, Sawasi | 58. Tiyar |
| 51. Pasi | 59. Turi.] |

¹[PART XX.—*Mizoram*

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Bansphor | 9. Kaibartta or Jaliya |
| 2. Bhuinmali or Mali | 10. Lalbegi |
| 3. Brittil-Bania or Bania | 11. Mahara |
| 4. Dhupi or Dhobi | 12. Mehtar or Bhangi |
| 5. Dugla or Dholi | 13. Muchi or Rishi |
| 6. Hira | 14. Namasudra |
| 7. Jalkeot | 15. Patni |
| 8. Jhalo, Malo or Jhalo-Malo | 16. Sutradhar.] |

²[PART XXI.—*Arunachal Pradesh*

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Bansphor | 9. Kaibartta or Jaliya |
| 2. Bhuimali or Mali | 10. Lalbegi |
| 3. Brittil Bania or Bania | 11. Mahara |
| 4. Dhupi or Dhobi | 12. Mehtar or Bhangi |
| 5. Dugla or Dholi | 13. Muchi or Rishi |
| 6. Hira | 14. Namasudra |
| 7. Jalkeot | 15. Patni |
| 8. Jhalo, Malo or Jhalo-Malo | 16. Sutradhar.] |

³[PART XXII.—*Goa*

- | | |
|------------------|-------------------------|
| 1. Bhangi (Hadi) | 4. Mahyavanshi (Vankar) |
| 2. Chambhar | 5. Mang.] |
| 3. Mahar | |

1. Ins. by Act 34 of 1986, s. 13 and First Sch. (w.e.f. 20-2-1987).

2. Ins. by Act 69 of 1986, s. 16 and First Sch. 20-2-1987).

3. Ins. by Act 18 of 1987, s. 19 and First Sch. (w.e.f. 30-5-1987).

- | | |
|----------------|----------------------------|
| 44. मल्लाह | 52. पाटनी |
| 45. मुसहर | 53. पोद, पोन्ना |
| 46. नामशूद्र | 54. राजवंशी |
| 47. नट | 55. राजवार |
| 48. नूनिया | 56. शड़की (नेपाली) |
| 49. पलिया | 57. सुनरी (साहा को छोड़कर) |
| 50. पान, मबामी | 58. तियर |
| 51. पामी | 59. सूरी ।] |

¹[भाग 20—मिजोरम

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. बांसफोर | 9. कैवर्त या जालिया |
| 2. भूइमाली या माली | 10. लालबेगी |
| 3. वृत्तियाल-बनिया या बनिया | 11. महरा |
| 4. धूपी या धोबी | 12. मेहतर या भंगी |
| 5. डूगला या ढोली | 13. मूची या ऋषी |
| 6. हीरा | 14. नामशूद्र |
| 7. जालकेवट | 15. पतनी |
| 8. झालो, मालो या झालो-मालो | 16. सूत्रधार ।] |

²[भाग 21—अरुणाचल प्रदेश

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. बांसफोड़ | 9. कैवर्त या जालिया |
| 2. भूईमाली या माली | 10. लालबेगी |
| 3. ब्रित्तिमाल-बनिया या बनिया | 11. महरा |
| 4. धूपी या धोबी | 12. मेहतर या भंगी |
| 5. डूगला या ढोली | 13. मूची या ऋषि |
| 6. हीरा | 14. नामशूद्र |
| 7. जलकेवट | 15. पटनी |
| 8. झालो, मालो या झालो-मालो | 16. सूत्रधार ।] |

³[भाग 22—गोवा

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1. भंगी (हाडी) | 4. माहया बंशी (बन्कर) |
| 2. चमार | 5. मीग ।] |
| 3. माहर | |

1. 1986 के अधिनियम सं० 34 की धारा 13 और पहली अनुसूची द्वारा (20-2-1987 से) अंतःस्थापित ।
2. 1986 के अधिनियम सं० 69 की धारा 16 और पहली अनुसूची द्वारा (20-2-1987 से) अंतःस्थापित ।
3. 1987 के अधिनियम सं० 19 की धारा 19 और पहली अनुसूची द्वारा (30-5-1987 से) अंतःस्थापित ।

THE CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) ²[(UNION TERRITORIES)] ORDER,
1951
(C. O. 32)

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 341 of the Constitution of India, as amended by the Constitution (First Amendment) Act, 1951, the President is pleased to make the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Scheduled Castes) ²[(Union Territories)] Order, 1951.

2. Subject to the provisions of this Order, the castes, races or tribes or parts of, or groups within, castes or tribes, specified in ³[Parts I to III] of the Schedule to this Order shall, in relation to the ²[(Union territories)] to which those Parts respectively relate, be deemed to be Scheduled Castes so far as regards members thereof resident in the localities specified in relation to them respectively in those Parts of that Schedule.

⁴[3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, no person who professes a religion different from the Hindu, ⁵[the Sikh or the Buddhist] religion shall be deemed to be a member of a Scheduled Caste.]

⁶[4. Any reference in this Order to a Union territory in Part I of the Schedule shall be construed as a reference to the territory constituted as a Union territory, as from the first day of November 1956, any reference to a Union territory in Part II of the Schedule shall be construed as a reference to the territory constituted as a Union territory as from the first day of November, 1966 and any reference to a Union territory in Part III of the Schedule shall be construed as a reference to the territory constituted as a Union territory as from the day appointed under clause (b) of section 2 of the Goa, Daman and Diu Reorganisation Act, 1987.]

²[(THE SCHEDULE]

PART I.—*Delhi*

Throughout the Union territory :—

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Adi-Dharmi | 18. Kabirpanthi |
| 2. Aghia | 19. Kachhandha |
| 3. Aheria | 20. Kanjar or Giarah |
| 4. Balai | 21. Khatik |
| 5. Banjara | 22. Koli |
| 6. Bawaria | 23. Lalbegi |
| 7. Bazigar | 24. Madari |
| 8. Bhangi | 25. Mallah |
| 9. Bhil | 26. Mazhabi |
| 10. Chamar, Chanwar Chamar, Jatava or
Jatav Chamar, Mochi, Ramdasia, Ravi-
dasi, Raidasi, Rehgarh or Raigar | 27. Meghwal |
| 11. Chohra (Sweeper) | 28. Narbut |
| 12. Chuhra (Balmiki) | 29. Nat (Rana) |
| 13. Dhanak or Dhanuk | 30. Pasi |
| 14. Dhobi | 31. Perna |
| 15. Dom | 32. Sansi or Bhedkut |
| 16. Gharrami | 33. Sapera |
| 17. Julaha (Weaver) | 34. Sikligar |
| | 35. Singiwala or Kalhelia |
| | 36. Sirkiband.] |

1. Published with the Ministry of Law Notifn. No. C.O. 32, dated the 20th September, 1951, Gazette of India, Extraordinary 1951, Part II, Section 3, page 1198.

2. Subs. by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956.

3. Subs. by Act 18 of 1987, s. 19 and First Sch. for "Parts I to IV" (w.e.f. 30-5-1987)

4. Subs. by Act 63 of 1956, s. 3 and Sch. II.

5. Subs. by Act 15 of 1990, s. 3, for "or the Sikh".

6. Subs. by Act 18 of 1987, s. 19 and First Sch., for paragraph 4 (w.e.f. 30-5-1987).

संविधान (अनुसूचित जातियाँ) ² [(संघ राज्य क्षेत्र)] आदेश, 1951

(सं० आ० 32)

संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951 द्वारा यथा संशोधित भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने अपने प्रसाद से निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात्:—

1. यह आदेश संविधान (अनुसूचित जातियाँ) ² [(संघ राज्य क्षेत्र)] आदेश, 1951 कहा जा सकेगा।

2. इस आदेश के उपबन्धों के अधीन यह है कि वे जातियाँ, मूलवंश या जनजातियाँ या जातियाँ या जनजातियों के भाग या उनमें के यूथ जो इस आदेश की अनुसूची के ³ [भाग 1 से 3 तक] में विनिर्दिष्ट हैं उन ⁴ [संघ राज्य क्षेत्रों] के सम्बन्ध में, जिनसे वे भाग क्रमशः संबंध हैं, वहाँ तक, जहाँ तक कि उनके उन सदस्यों का सम्बन्ध है, जो उन परिवारों में निवासी हैं, जो उस अनुसूची में उन भागों में क्रमशः उनके संबंध में विनिर्दिष्ट हैं अनुसूचित जातियाँ समझे जाएंगे।

⁴ [3. पैरा 2 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो हिन्दू ⁵, सिक्ख या बौद्ध धर्म से भिन्न धर्म मानता है अनुसूचित जाति का सदस्य न समझा जाएगा।]

⁶ [4. इस आदेश में अनुसूचित के भाग 1 में किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 1 नवम्बर, 1956 से संघ राज्य क्षेत्र के रूप में गठित किसी राज्य क्षेत्र के प्रति निर्देश है, अनुसूची के भाग 2 में किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 1 नवम्बर, 1966 से संघ राज्य क्षेत्र के रूप में गठित किसी राज्य क्षेत्र के प्रति निर्देश है तथा अनुसूची के भाग 3 में किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 की धारा 2 के खंड (ख) के अधीन नियत दिन से संघ राज्य क्षेत्र के रूप में गठित किसी राज्य क्षेत्र के प्रति निर्देश है।]

² [अनुसूची

भाग 1—बिल्सी

सारे संघ राज्य क्षेत्रों में—

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. आदि वर्मी | 18. कबीर पंथी |
| 2. अग्रिया | 19. कछुवा |
| 3. अहेरिया | 20. कंजर या गियारा |
| 4. बलाई | 21. खटीक |
| 5. बंजारा | 22. कोली |
| 6. बावरिया | 23. सालबेगी |
| 7. बाजीगर | 24. मदारी |
| 8. भंगी | 25. मल्लाह |
| 9. भील | 26. मजहबी |
| 10. चमार, चंवरचमार, जटिया या जाटव चमार, मोची, रामदासिया, रविदासी, रैदासी, रेहगड़ या रैगड़ | 27. मेघवाल |
| 11. चोहड़ा (सफाई करने वाले) | 28. नडीवट |
| 12. चूहड़ा (बाल्मीकि) | 29. नट (राणा) |
| 13. धानक या धानुक | 30. पासी |
| 14. धोबी | 31. पेरना |
| 15. डोम | 32. सांसी या भेड़कुट |
| 16. धरामी | 33. सपेरा |
| 17. जुलाहा (बुनने वाले) | 34. सिकलीगर |
| | 35. सिंगीवाला या कालबेलिया |
| | 36. सिरकीबन्द ।] |

1. विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं० संवैधानिक आदेश 32, तारीख 20 सितंबर, 1951 भारत के राजपत्र, असाधारण, 1951, भाग 2, खंड 3, पृष्ठ 1198 में प्रकाशित।
2. अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ सूचियाँ (उपान्तरण) आदेश, 1956 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. 1987 के अधिनियम सं० 18 की धारा 19 और पहली अनुसूची द्वारा (30-5-1987 से) "भाग 1 से 4 तक" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. 1956 के अधिनियम सं० 63 की धारा 3 और दूसरी अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित।
5. 1990 के अधिनियम सं० 15 की धारा 3 द्वारा "या सिक्ख" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. 1987 के अधिनियम सं० 18 की धारा 19 और पहली अनुसूची द्वारा (30-5-1987 से) पैरा 4 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951
(PART III—Rules and Orders under the Constitution)

1[* * * * *
2[* * * * *

³[PART II.]—*Chandigarh*

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Ad Dharmi | 19. Khatik |
| 2. Bangali | 20. Kori or Koli |
| 3. Barar, Burar or Berar | 21. Marija or Marecha |
| 4. Batwal | 22. Mazhabi |
| 5. Bauria or Bawaria | 23. Megh |
| 6. Bazigar | 24. Nat |
| 7. Balmiki, Chura or Bhangi | 25. Od |
| 8. Bhanjra | 26. Pasi |
| 9. Chamar, Jatia Chamar, Rehgar, Raigar, Ramdasi or Ravidasi | 27. Perna |
| 10. Chanal | 28. Pherera |
| 11. Dagi | 29. Sanhai |
| 12. Darain | 30. Sanhal |
| 13. Dhanak | 31. Sansoi |
| 14. Dhogri, Dhangri or Siggri | 32. Sansi, Bhedkut or Manesh |
| 15. Dumna, Mahasha or Doom | 33. Sapela |
| 16. Gagra | 34. Sarera |
| 17. Gandhila or Gandil Gondola | 35. Sikligar |
| 18. Kabirpanthi or Julaha | 36. Sirkiband.] |

⁵[PART III —*Daman and Diu*

Throughout the Union territory :—

- | | |
|------------------|-------------------------|
| 1. Bhangi (Hadi) | 4. Mahyavanshi (Vankar) |
| 2. Chambhar | 5. Mang.] |
| 3. Mahar | |

-
1. Part II relating to Himachal Pradesh omitted by Act 53 of 1970, s. 19 and Sch. II (w.e.f. 25-1-1971).
 2. Parts III and IV relating to Manipur and Tripura respectively omitted by Act 81 of 1971, s. 25(2) and Sch. III (w.e.f. 21-1-1972).
 3. Added by Act 31 of 1966, s. 27 and Sch. IX (w.e.f. 1-11-1966).
 4. Part V re-numbered as Part II by Act 81 of 1971, s. 25(2) and Sch. III (w.e.f. 21-1-1972).
 5. Original Part III relating to Mizoram omitted and Part IV renumbered as Part III by Act 34 of 1986, s. 13 and Second Sch. (w.e.f. 20-2-1987). Original Part III relating to Arunachal Pradesh omitted by Act 69 of 1986, s. 16 and Second Sch. (w.e.f. 20-2-1987) and Part III in respect of Daman and Diu ins. by Act 18 of 1987, s. 19 and First Sch. (w.e.f. 30-5-1987).

1[*	*	*	*	*
2[*	*	*	*	*

³[⁴भाग 2]—चण्डीगढ़

1. आदिधर्नी	19. खटीक
2. बंगाली	20. कोरी या कोली
3. बरड़, बुरड़ या बरड़	21. मरीजा या मरेचा
4. बटवाल	22. मूजहबी
5. बीरिया या वावरिया	23. मेघ
6. बाजीगर	24. नट
7. बास्मीकि, चूहड़ा या भंगी	25. ओड
8. भंजड़ा	26. पासी
9. चमार, जटिया चमार, रेहगड़, रैगड़, रामदास या रविदासी	27. पेरना
10. चनाल	28. फरेरा
11. डागी	29. सनहाई
12. दड़ें	30. सनहाल
13. धानक	31. संतोई
14. डोंगरी, डोंगरी या सिग्गी	32. सांसी, भेडकूट या मनेस
15. डूमना, महाशा या डूम	33. सपेला
16. गगड़ा	34. सरैरा
17. गन्डीला या गन्दील गन्डीला	35. सिकलीगर
18. कबीरपंथी या जुलाहा	36. सिरकीबंद ।]

⁵[भाग 3—दमण और दीव

समस्त संघ राज्य क्षेत्र में:—

1. भंगी (झाडी)	4. महायावंशी (बन्कर)
2. चंभमार	5. मांग ।]
3. माहर	

1. 1970 के अधिनियम सं० 53 की धारा 19 और द्वितीय अनुसूची द्वारा विभाजन प्रयत्न की बाबत भाग 2 का (25-1-1971 से) लोप किया गया ।
2. 1971 के अधिनियम सं० 81 की धारा 25(2) और तृतीय अनुसूची द्वारा मणिपुर और त्रिपुरा की बाबत क्रमशः भाग 3 और भाग 4 का (21-1-1972 से) लोप किया गया ।
3. 1966 के अधिनियम सं० 31 की धारा 27 और नवम् अनुसूची द्वारा- (1-11-1966 से) जोड़ा गया ।
4. 1971 के अधिनियम सं० 81 की धारा 25(2) और तृतीय अनुसूची द्वारा भाग 5 को भाग 2 के रूप में (21-1-1972 से) पुनः संख्यांकित ।
5. 1986 के अधिनियम सं० 34 की धारा 13 और दूसरी अनुसूची द्वारा (20-2-1987 से) मिजोरम संबंधी मूल भाग 3 का लोप किया गया और भाग 4 को भाग 3 के रूप में पुनः संख्यांकित किया गया । 1986 के अधिनियम सं० 69 की धारा 16 और दूसरी अनुसूची द्वारा (20-2-1987 से) अरुणाचल प्रदेश संबंधी मूल भाग 3 का लोप किया गया और 1987 के अधिनियम सं० 18 की धारा 19 और पहली अनुसूची द्वारा (30-5-1987 से) दमण और दीव संबंधी भाग 3 संतःस्थापित ।

THE CONSTITUTION (JAMMU AND KASHMIR) SCHEDULED CASTES

ORDER, 1956

(C. O. 52)

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 341 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Sadar-i-Riyasat of Jammu and Kashmir, is pleased to make the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956.

2. The castes specified in the Schedule to this Order shall, for the purposes of the Constitution, be deemed to be Scheduled Castes in relation to the State of Jammu and Kashmir :

Provided that no person who professes a religion different from the Hindu ²[, the Sikh or the Buddhist] religion

THE SCHEDULE

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Barwala | 8. Gardi |
| 2. Basith | 9. Jolaha |
| 3. Batwal | 10. Megh or Kabirpanthi |
| 4. Chamar or Ramdasia | 11. Ratal |
| 5. Chura | 12. Saryara |
| 6. Dhyar | 13. Watal. |
| 7. Doom or Mahasha | |

1. Published with the Ministry of Law Notifn. No. S.R.O. 3135A, dated the 22nd December, 1956. Gazette of India, Extraordinary, 1956, Part II, Section 3, page 2686A.

2. Subs. by Act 15 of 1990, s.6 for "or the Sikh" (w.e.f. 3.6.1990).

संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956

(सं० आ० 52)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने जम्मू-कश्मीर के मदरे-रियासत में परामर्श करने के पश्चात् अपने प्रसंग में निम्नलिखित आदेश दिया है, अर्थात् :—

1. यह आदेश संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956 रहा जा सकेगा।

2. इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट जातियां, संविधान के प्रयोजनों के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियां समझी जाएंगी :

परन्तु कोई भी व्यक्ति जो हिन्दू², सिक्ख या बौद्ध धर्म से भिन्न धर्म मानता है, अनुसूचित जाति का सदस्य न समझा जाएगा।

अनुसूची

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. धरबोचा | 8. गर्दी |
| 2. धसीट | 9. जालाहा |
| 3. बटवान | 10. मेघ या तर्बोरपंथी |
| 4. चमार या रामशामिया | 11. रतान |
| 5. चूहड़ा | 12. सरयारा |
| 6. ध्यार | 13. बाताल। |
| 7. डोम या महाशा | |

1. विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० नि० आ० 3135क, तारीख 22 दिसम्बर, 1956, भारत के राजपत्र, असाधारण, 1956, भाग 2 खण्ड 3, पृष्ठ 2686क में प्रकाशित।

2. 1990 के अधि० सं० 15 की धारा 6 द्वारा (3-6-1990से) प्रतिस्थापित।

**'THE CONSTITUTION (DADRA AND NAGAR HAVELI) SCHEDULED CASTES
ORDER, 1962
(C. O. 64)**

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 341 of the Constitution of India, the President is pleased to make the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962.

2. The castes, races or tribes, or parts of, or groups within, castes, races or tribes specified in the Schedule to this Order, shall, for the purposes of the Constitution, be deemed to be Scheduled Castes in relation to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli so far as regards members thereof resident in that Union territory.

Provided that no person, who professes religion different from the Hindu ²[, the Sikh or the Buddhist] religion, shall be deemed to be a member of a Scheduled Caste.

THE SCHEDULE

- | | |
|-----------|------------------------|
| 1. Bhangi | 3. Mahar |
| 2. Chamar | 4. Mahayavanshi, Dhed. |

1. Published with the Ministry of Law Notifn. No. G.S.R 300, dat the 30th June, 1962, Gazette of India, Extraordinary, 1962, Part II, Section 3, page 389.

2. Subs. by Act 15 of 1990/s.5, for "or the Sikh" (w.e.f. 3-6-1990).

संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियाँ आदेश, 1962
(सं० आ० 64)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने अपने प्रसाद से निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात् :—

1. यह आदेश संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियाँ आदेश, 1962 कहा जा सकेगा।
2. वे जातियाँ, मूलवंश या जनजातियाँ या जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भाग या उनमें के ग्रुप जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, संविधान के प्रयोजनों के लिए, दादरा और नागर हवेली के संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में वहाँ तक जहाँ तक कि उनके उन सदस्यों का सम्बन्ध है जो उस संघ राज्य क्षेत्र में निवासी हैं, अनुसूचित जातियाँ समझे जाएंगे परन्तु कोई भी व्यक्ति जो हिन्दू², सिक्ख या बौद्ध धर्म से भिन्न धर्म मानता है अनुसूचित जाति का सदस्य न मन्ना समझा जाएगा।

अनुसूची

- | | |
|---------|---------------------|
| 1. मंगी | 3. माहुर |
| 2. चमार | 4. माहयावंशी, ठेठ । |

1. विधि संसद्धान की अधिनियम सं० सा० का० सि० 300, तारीख 30 जून, 1962, भारत के राजपत्र, असाधारण, 1962, भाग 2, खंड 3, पृष्ठ 389 पर प्रकाशित।
2. 1990 के अधिनियम सं० 15 की धारा 5 द्वारा (3.6.1990 से) "या सिक्ख" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

THE CONSTITUTION (PONDICHERRY) SCHEDULED CASTES ORDER, 1964

(C. O. 68)

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 341 of the Constitution of India, the President is pleased to make the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964.

2. The castes, races or tribes or parts of or groups within castes, races or tribes specified in the Schedule to this Order shall, for the purposes of the Constitution, be deemed to be Scheduled Castes in relation to the Union territory of Pondicherry so far as regards members thereof resident in that Union territory :

Provided that no person who professes a religion different from the Hindu ²[, the Sikh or the Buddhist] religion shall be deemed to be a member of a Scheduled Caste.

THE SCHEDULE

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1. Adi Andhra | 9. Pallan |
| 2. Adi Dravida | 10. Parayan, Sambavar |
| 3. Chakkiliyan | 11. Samban |
| 4. Jambuvulu | 12. Thoti |
| 5. Kuravan | 13. Valluvan |
| 6. Madiga | 14. Vetan |
| 7. Mala, Mala Masti | 15. Vettiyan. |
| 8. Paky | |

1. Published with the Ministry of Law Notifn. No G.S.R. 419, dated the 5th March, 1964, Gazette of India, Extraordinary, 1964, Part II, Section 3(i), page 327.

2. Subs. by Act 15 of 1990, s.7 for "or the Sikh" (w.e.f. 3.6.1990)

संविधान (पाण्डिचेरी) अनुसूचित जातियाँ आदेश, 1964

(सं० आ० 68)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने अपने प्रसाद से निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात्:—

1. यह आदेश संविधान (पाण्डिचेरी) अनुसूचित जातियाँ आदेश, 1964 कहा जा सकेगा।
2. वे जातियाँ, मूलवंश या जनजातियाँ या जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भाग या उनमें के ग्रुप जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, संविधान के प्रयोजनों के लिए पाण्डिचेरी के संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में, वहाँ तक जहाँ तक कि उनके उन सदस्यों का सम्बन्ध है, जो उस संघ राज्य क्षेत्र में निवासी हैं, अनुसूचित जातियाँ समझे जाएंगे:

परन्तु कोई भी व्यक्ति जो हिन्दू², सिक्ख या बौद्ध धर्म से भिन्न धर्म मानता है, अनुसूचित जाति का सदस्य नदस्य समझा जाएगा।

अनुसूची

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. आदि आंध्र | 9. पल्लन् |
| 2. आदि द्रविड़ | 10. परयान, सांबवर |
| 3. चक्किलियन | 11. सम्बन |
| 4. जांबुबुलु | 12. थोटी |
| 5. कुरावन | 13. वल्लुवन |
| 6. माडिगा | 14. वेडन् |
| 7. माला, मालामस्ति | 15. वेट्टियन । |
| 8. पाकी | |

1. विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 419, तारीख 5 मार्च, 1964, भारत के राजपत्र, असाधारण, 1964, भाग 2, खण्ड 3(i) पृष्ठ 327 पर प्रकाशित।

2. 1990 के अधिनियम सं० 15 की धारा 7 द्वारा (3.6.1990 से) "या सिक्ख" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

THE CONSTITUTION (SIKKIM) SCHEDULED CASTES ORDER, 1978

(C. O. 110)

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 341 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Governor of the State of Sikkim, is pleased to make the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978.

2. The castes, races or tribes, or parts of, or groups within, castes, races or tribes specified in the Schedule to this Order, shall, for the purposes of the Constitution, be deemed to be Scheduled Castes in relation to the State of Sikkim so far as regards members thereof resident in that State.

Provided that no person, who professes a religion different from the Hindu², the Sikh or the Buddhist] religion shall be deemed to be a member of a Scheduled Caste.

THE SCHEDULE

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1. Damai (Nepali) | 3. Majhi (Nepali) |
| 2. Kami (Nepali), Lohar (Nepali) | 4. Sarki (Nepali). |

1. Published with the Ministry of Law, Justice and Company Affairs Notifn. No. G.S.R. 334(E), dated the 22nd June, 1978, Gazette of India, Extraordinary, 1978, Part II, Section 3(i), page 545(a).

2. Subs. by Act 15 of 1990. s.7 for "or the Sikh" (w.e.f. 3.6.1990)

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
(सं० घा० 110)

राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिक्किम राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात्:—

1. इस आदेश का नाम संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978 है।
2. इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट जातियाँ, वंश या जनजातियाँ या जातियों, बंसों या जनजातियों के भाग या समूहों को, संविधान के प्रयोजनों के लिए, सिक्किम राज्य के संबंध में, जहाँ तक उस राज्य में निवासी उसके सदस्यों का सम्बन्ध है अनुसूचित जाति समझा जाएगा।

परन्तु कोई भी व्यक्ति जो हिन्दू², सिक्ख या बौद्ध धर्म से भिन्न धर्म मानता है; अनुसूचित जाति का सदस्य न का समझा जाएगा।

अनुसूची

1. दमाई (नेपाली)
2. काम्प्री (नेपाली); लोहार (नेपाली)
3. भाक्की (नेपाली)
4. सरकी (नेपाली)।

1. विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 334(अ), तारीख 22 जून, 1978, भारत के राजपत्र, असाधारण, 1978, भाग 2, खण्ड 3(i), पृष्ठ 545(अ) में प्रकाशित।
2. 1990 के अधिनियम सं० 15 की धारा 1 द्वारा (3.6.1990 से) 'सिक्ख' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

THE CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) ORDER, 1950

(C. O. 22)

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 342 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Governors and Rajpramukhs of the States concerned, is pleased to make the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950.

2. The Tribes or tribal communities, or parts of, or groups within, tribes or tribal communities, specified in ²[Parts I to ³[XIX]] of the Schedule to this Order shall, in relation to the States to which those Parts respectively relate, be deemed to be Scheduled Tribes so far as regards members thereof residents in the localities specified in relation to them respectively in those Parts of that Schedule.

⁴[3. Any reference in this Order to State or to a district or other territorial division thereof shall be construed as a reference to the State, district or other territorial division as constituted on the 1st day of May, 1976.]

-
1. Published with the Ministry of Law Notifn. No. S.R.O. 510, dated the 6th September, 1950, Gazette of India, Extraordinary, 1950, Part II, Section 3, page 597.
 2. Subs. by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956.
 3. Subs. by Act 18 of 1987, s. 19 and Second Sch. for "XVIII" (w.e.f. 30-5-1987).
 4. Subs. by Act 108 of 1976, s. 4 and Second Sch. Chapter I, for Paragraph 3 (w.e.f. 27-7-1977).

संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950

(सं० आ० 22)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने सम्पूक्त राज्यों के राज्यपालों और राजप्रमुखों से परामर्श करने के पश्चात् अपने प्रसाद से निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात् :—

1. यह आदेश संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950 कहा जा सकेगा।

2. वे जनजातियाँ या जनजाति समुदाय या जनजातियों या जनजाति समुदायों के भाग या उनमें के यूथ जो इस आदेश की अनुसूची के ²[भाग 1 से लेकर भाग ³[19]] तक में विनिर्दिष्ट हैं, उन राज्यों के संबंध में जिनसे वे भाग क्रमशः सम्बद्ध हैं, वहाँ तक, जहाँ तक कि उनके उन सदस्यों का संबंध है, जो उन परिश्रेतों में निवासी हैं।

⁴[3. इस आदेश में किसी राज्य अथवा किसी जिले या अन्य प्रादेशिक खण्ड के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह 1 मई, 1976 को यथा गठित राज्य, जिले या अन्य प्रादेशिक खण्ड के प्रति निर्देश है।]

-
1. विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० नि० आ० 510, तारीख 6 सितम्बर, 1950, भारत के राजपत्र, असाधारण, 1950, भाग 2, खण्ड 3, पृष्ठ 597 पर प्रकाशित।
 2. अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ सूचियाँ (उपांतरण) आदेश, 1956 द्वारा प्रतिस्थापित।
 3. 1987 के अधिनियम सं० 18 की धारा 19 और दूसरी अनुसूची द्वारा (30-5-1987 से) "18" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
 4. 1976 के अधिनियम सं० 108 की धारा 4 और द्वितीय अनुसूची, अध्याय 1 के द्वारा पैरा 3 के स्थान पर (27-7-1977 से) प्रतिस्थापित।

Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950
(PART III—Rules and Orders under the Constitution)

THE SCHEDULE

PART I.—*Andhra Pradesh*

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Andh 2. Bagata 3. Bhil 4. Chenchu, Chenchwar 5. Gadabas 6. Gond. Naikpod, Rajgond 7. Goudu (in the Agency tracts) 8. Hill Reddis 9. Jatapus 10. Kammara 11. Kattunayakan 12. Kolam, Mannervaru 13. Konda Dhoras 14. Konda Kapus 15. Kondareddis 16. Kondhs, Kodi, Kodhu, Desaya Kondhs, Dongria Kondhs, Kuttiya Kondhs, Tikiria Kondhs, Yenity Kondhs 17. Kotia, Benth Oriya, Bartika, Dhulia, Dulia, Holva, Paiko, Putiya, Sanrona, Sidhopaiko 18. Koya, Goud, Rajah, Rasha Koya, Lingadhari Koya (ordinary), Kottu Koya, Bhine Koya, Rajkoya | <ol style="list-style-type: none"> 19. Kulia 20. Malis (excluding Adilabad, Hyderabad, Karimnagar, Khammam, Mahbubnagar, Medak, Nalgonda, Nizamabad and Warangal districts) 21. Manna Dhora 22. Mukha Dhora, Nooka Dhora 23. Nayaks (in the Agency tracts) 24. Pardhan 25. Porja, Parangiperja 26. Reddi Dhoras 27. Rona, Rena 28. Savaras, Kapu Savaras, Maliya Savaras, Khutto Savaras 29. Sugalis, Lambadis 30. Thoti (in Adilabad, Hyderabad, Karimnagar, Khammam, Mahbubnagar, Medak, Nalgonda, Nizamabad and Warangal districts) 31. Valmiki (in the Agency tracts) 32. Yenadis 33. Yerukulas. |
|--|---|

PART II.—*Assam*

I. In the autonomous Districts :—

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Chakma 2. Dimasa, Kachari 3. Garo 4. Hajong 5. Hmar 6. Khasi, Jaintia, Synteng, Pnar, War, Bhoi, Lynggam 7. Any Kuki tribes including :— <ol style="list-style-type: none"> (i) Biате, Biete (ii) Changsan (iii) Chongloi (iv) DOUNgel (v) Gamalhou (vi) Gangte (vii) Guite (viii) Hanneng (ix) Haokip, Haupt | <ol style="list-style-type: none"> (x) Haolai (xi) Hengna (xii) Hongsung (xiii) Hrangkhwal, Rangkhoh (xiv) Jongbe (xv) Khawchung (xvi) Khawathlang, Khothalong (xvii) Khelma (xviii) Kholhou (xix) Kipgen (xx) Kuki (xxi) Lengthang (xxii) Lhangum (xxiii) Lhoujem (xxiv) Lhouvun (xxv) Lupheng (xxvi) Mangjel |
|--|---|

1[अनुसूची

भाग 1—प्रान्ध प्रदेश

- | | |
|--|---|
| 1. आंध्र | 19. कुनिया |
| 2. बगटा | 20. मालि (आदिलाबाद, हैदराबाद, करीम नगर, खम्मम, महबूबनगर, मेदक, नलगोंडा, निजामाबाद और बरंगल जिलों को छोड़कर) |
| 3. भील | 21. मध्या दोरा |
| 4. चेंचु, चेंचुवार | 22. मुख्या दोरा, नूका दोरा |
| 5. गडवा | 23. नायक (अधिकरण भूखण्डों में) |
| 6. गोंड, नायकपोड, राजगोंड | 24. परघाण |
| 7. गोड़ (अधिकरण भूखण्डों में) | 25. पुर्जा, पेरंगीपेर्जा |
| 8. हिल रे.हं | 26. रेड्डि दीरा |
| 9. जातपू | 27. रोणा, रेष्णा |
| 10. कम्मरा | 28. सवार, कापू सवार, मानियम सवार, खुट्टा सवार. |
| 11. कटुनायकन | 29. सुगाली, लम्बाडी |
| 12. कोलम, मन्नरबलू | 30. तोटि, (आदिलाबाद, हैदराबाद, करीमनगर, खम्मम, महबूबनगर, मेदक, नलगोंडा, निजामाबाद और बरंगल जिलों में) |
| 13. कोंड धोरा | 31. बाल्मीकी (अधिकरण भूखण्डों में) |
| 14. कोंड कापु | 32. चेनन्दी |
| 15. कोंडारेड्डि | 33. येरुकुला । |
| 16. कोंध, कोडि, कोधु, देमेय कोंध, डोंगरिया कोंध, कुट्टिया कोंडु, टिकरिया कोंध, येनिटी कोंध | |
| 17. कोटिया, वेंयो ओरिया, बारतिका, घुलिया, डुलिया, होल्वा, पैको पुटिया, सन्रोण, सिघापैको | |
| 18. कोया, गौड, राजा, राम कोया, लिंगघारी कोया (साधारण), कोट्टू कोया, भिण कोया, राज कोया | |

भाग 2—असम

1. स्वशासी जिलों में :—

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. चाक्मा | (x) होलाई |
| 2. डिमासा, कछारी | (xi) हेंगना |
| 3. गारो | (xii) होंग मुंघ |
| 4. हाजोंग | (xiii) हांगरख्वाल, रांगखल |
| 5. ह्यार | (xiv) जोंगबे |
| 6. खासी, जयन्तिया, मिन्तोंग, प्जार, बार, भोई, लिंगनागम | (xv) खौचुंग |
| 7. निम्नलिखित के सहित कोई कूकी जनजातियाँ :— | (xvi) ख्वागलांग, खोयालंग |
| (i) बियाते, बियेते | (xvii) खेल्मा |
| (ii) चांगसान | (xviii) खोल्लू |
| (iii) चंगलोई | (xix) किप्पोन |
| (iv) दौंगेल | (xx) कुर्का |
| (v) गमल्लो | (xxi) लेंयांग |
| (vi) गांगटे | (xxii) ल्हांगुम |
| (vii) गुइले | (xxiii) ल्हूजेम |
| (viii) हान्नेग | (xxiv) ल्हूबुन |
| (ix) हौकिप या हौपित | (xxv) लुफिंग |
| | (xxvi) मांजेल |

Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950
(PART III—Rules and Orders under the Constitution)

- | | |
|-----------------|------------------------------|
| (xxvii) Misao | (xxxvi) Uibuh |
| (xxviii) Riang | (xxxvii) Vaiphei |
| (xxix) Sairhem | 8. Lakher |
| (xxx) Selnam | 9. Man (Tai speaking) |
| (xxxi) Singson | 10. Any Mizo (Lushai) tribes |
| (xxxii) Sitlhou | 11. Mikir |
| (xxxiii) Sukte | 12. Any Naga tribes |
| (xxxiv) Thado | 13. Pawi |
| (xxxv) Thanggeu | 14. Syntheng. |

II. In the State of Assam excluding the autonomous districts :—

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Barmans in Cachar | 6. Lalung |
| 2. Boro, Borokachari | 7. Mech |
| 3. Deori | 8. Miri |
| 4. Hojai | 9. Rabha. |
| 5. Kachari, Sonwal | |

PART III.—Bihar

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Asur | 16. Kharia |
| 2. Baiga | 17. Kharwar |
| 3. Banjara | 18. Khond |
| 4. Bathudi | 19. Kisan |
| 5. Bedia | 20. Kora |
| 6. Bhumij (in North Chotanagpur and South Chotanagpur divisions and Santal Parganas districts) | 21. Korwa |
| 7. Binjha | 22. Lohara, Lohra |
| 8. Birbor | 23. Mahli |
| 9. Birjia | 24. Mal Paharia |
| 10. Chero | 25. Munda |
| 11. Chik Baraik | 26. Oraon |
| 12. Gond | 27. Parhaiya |
| 13. Gorait | 28. Santal |
| 14. Ho | 29. Sauria Paharia |
| 15. Karmali | 30. Savar. |

PART IV.—Gujarat

- | | |
|---|--|
| 1. Barda | 8. Dhanka, Tadvi, Tetaria, Valvi |
| 2. Bavacha, Bamcha | 9. Dhodia |
| 3. Bharwad (in the Nesses of the forests of Alech, Barada and Gir) | 10. Dubla, Talavia, Halpati |
| 4. Bhil, Bhil Garasia, Dholi Bhil, Dungri Bhil, Dungri Garasia, Mewasi Bhil, Rawal Bhil, Tadvi Bhil, Bhagalia, Bhilala, Pawra, Vasava, Vasave | 11. Gamit, Gamta, Gavit, Mavchi, Padvi |
| 5. Charan (in the Nesses of the forests of Alech, Barada and Gir) | 12. Gond, Rajgond |
| 6. Chaudhri (in Surat and Valsad districts) | 13. Kathodi, Katkari, Dhor Kathodi, Dhor Katkari, Son Kathodi, Son Katkari |
| 7. Chodhara | 14. Kokna, Kokni, Kukna |
| | 15. Koli (in Kutch district) |
| | 16. Koli Dhor, Tekre Koli, Kolcha, Kolgha |

(भाग III—संविधान के अधीन नियम और आदेश)

(xxvii) मिसाऊ	(xxxvi) उईबूह
(xxviii) रिआंग	(xxxvii) व्हाइफे
(xxix) सैरहम	8. लाखेर
(xxx) सेलनाम	9. (ताई बोलने वाली) मान
(xxxi) सिगूसन	10. कोई मिजा (सुगाई) जनजातियाँ
(xxxii) सितल्हो	11. मिकिर
(xxxiii) सुक्ते	12. कोई नागा जनजातियाँ
(xxxiv) याडो	13. पाबी
(xxxv) थांगजेन	14. सितेंग ।

2. स्वशासी जिलों को छोड़कर असम राज्य में :—

1. कछार में बर्मन	6. लालुग
2. बड़ो, बड़ो कछारी	7. मेच
3. ड्योरी	8. मिरो
4. होजाई	9. राभा ।
5. कछारी, सोनबाल	

भाग 3—बिहार

1. असुर	16. खरिया
2. बेगा	17. खरवार
3. बनजारा	18. खोंड
4. बठुडी	19. किसान
5. बेदिया	20. कोरा
6. भूमिज (उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर खण्डों और सयाल परगना जिले में)	21. कोरवा
7. बिन्निया	22. लोहार, लोहरा
8. बिरहोर	23. माहलो
9. विराजया	24. माल पहरिया
10. चैरो	25. मुन्डा
11. चिक बराइक	26. उराब
12. गोंड	27. परहया
13. गोरान	28. सयाल
14. हो	29. सोरिया पहाड़िया
15. करमालो	30. सावर ।

भाग 4—गजरात

1. बर्डा	8. धनक, तडबी, तैतारिया, बलबी
2. बावचा, बामचा	9. धोंडिया
3. भरवाड़ (अलेच्छ, गीर, बराडा के जंगलों के नुसों में)	10. दुबला, तलाविया; हचपति
4. भील, भील गरासिया, घोली भील, डूगरी भील, डूगरी गरासिया, मेवासी भील, राबल भील, सडबी भील, भगालिया, भिलाला, पावड़ा, बसावा, बसावे ।	11. गमित, गम्ता, गविट, मसो, पदबी
5. चारण (अलेच्छ, बराडा और गीर के जंगलों के नुसों में)	12. गोड, राजगोंड
6. चौधरी (सूरत और बलसाद जिलों में)	13. कयोडी, कटकारी, डोर कयोडी, डोर कटकारी, सोन कयोडी, सोन कटकारी
7. चौधरा	14. कोकणा, कोकणी, कुबणा
	15. कोली (कच्छ जिले में)
	16. कोली डोर, टो हरे कोली, कोल्पा, कोल्पा

Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950
(PART III—Rules and Orders under Constitution)

- | | |
|--|--|
| 17. Kunbi (in the Dangs district) | 23. Pomla |
| 18. Naikda, Nayaka, Cholivala Nayaka, Kapada Nayaka, Mota Nayaka, Nana Nayaka | 24. Rabari (in the Nesses of the forests of Alech, Barada and Gir) |
| 19. Padhar | 25. Rathawa |
| 20. Paradhi (in Kutch district) | 26. Siddi (in Amreli, Bhavnagar, Jamnagar, Junagadh, Rajkot and Surendranagar districts) |
| 21. Pardhi, Advichincher, Phanse Pardhi (excluding Amreli, Bhavnagar, Jamnagar, Junagadh, Kutch, Rajkot and Surendranagar districts) | 27. Vaghri (in Kutch district) |
| 22. Patelia | 28. Varli |
| | 29. Vitolia, Kotwalia, Barodia. |

PART V.—Himachal Pradesh

- | | |
|--|---|
| 1. Bhot, Bodh | the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966)] |
| 2. Gaddi [excluding the territories specified in sub-section (1) of section 5 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), other than the Lahaul and Spiti district] | 4. Jad, Lamba, Khampa |
| 3. Gujjar [excluding the territories specified in sub-section (1) of section 5 of | 5. Kanaura, Kinnara |
| | 6. Lahaula |
| | 7. Pangwala |
| | 8. Swangla. |

PART VI.—Karnataka

- | | |
|---|---|
| 1. Adiyani | 20. Kattunayakan |
| 2. Barda | 21. Kokna, Kokni, Kukna |
| 3. Bavacha, Bamcha | 22. Koli Dhor, Tokre Koli, Kolcha, Kolgha |
| 4. Bhil, Bhil Garasia, Dholi Bhil, Dungri Bhil, Dungri Garasia, Mewasi Bhil, Rawal Bhil, Tadvi Bhil, Bhagalia, Bhilala, Pawra, Vasava, Vasave | 23. Konda Kapus |
| 5. Chenchu, Chenchwar | 24. Koraga |
| 6. Chodhara | 25. Kota |
| 7. Dubla, Talavia, Halpati | 26. Koya, Bhine Koya, Rajkova |
| 8. Gumit, Gamta, Gavit, Mavchi, Padvi, Valvi | 27. Kudiya, Melakudi |
| 9. Goud, Naikpod, Rajgond | 28. Kuruba (in Coorg district) |
| 10. Gowdalu | 29. Kurumanas |
| 11. Hakkipikki | 30. Maha Malasar |
| 12. Hasalaru | 31. Malaikudi |
| 13. Irular | 32. Malasar |
| 14. Iruliga | 33. Malayekandi |
| 15. Jenu Kuruba | 34. Maleru |
| 16. Kadu Kuruba | 35. Maratha (in Coorg District) |
| 17. Kammara (in South Kanara district and Kollegal taluk of Mysore district) | 36. Marati (in South Kanara district) |
| 18. Kanivan, Kanyan (in Kollegal taluk of Mysore district) | 37. Meda |
| 19. Kathodi, Katkari, Dhor Kathodi, Dhor Katkari, Son Kathodi, Son Katkari | 38. Naikda, Nayaka, Chollivala Nayaka, Kapadia Nayaka, Mota Nayaka, Nana Nayaka, ¹ [Naik, Nayak, Beda Bedar and Valmiki] |
| | 39. Palliyan |
| | 40. Paniyan |
| | 41. Pardhi, Advichincher, Phanse Pardhi |
| | 42. Patelia |
| | 43. Rathawa |

1. Ins. by Act 39 of 1991, s. 2 (w.e.f. 19-4-1991).

- | | |
|--|--|
| 17. कुम्भी (झांस जिले में) | 23. पोमसा |
| 18. नायकडा, नायक, चोलीवाला नायक, कपाडिया नायक, मोटा नायक, नानानायक | 24. रवारी (अलेच्छ, बराडा और गीर के जंगलों के क्षेत्रों में) |
| 19. पाधर | 25. रायवा |
| 20. पराधी (कच्छ जिले में) | 26. सिद्दी (अमरेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, राजकोट और सुरेन्द्रनगर जिलों में) |
| 21. पधी, अदविचिन्चेर, फानसे पधी (अमरेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़ कच्छ, राजकोट और सुरेन्द्रनगर जिलों को छोड़कर) | 27. वाधेरी (कच्छ जिले में) |
| 22. पटेलिया | 28. वारली |
| | 29. विटोलिया, फोटवासिया, बरोडिया । |

भाग 5—हिमाचल प्रदेश

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. भोट, बोड़ | 4. जाव, लाम्बा, खम्पा |
| 2. गद्दी [पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट साहील और स्पीति जिले से भिन्न राज्यक्षेत्रों को छोड़कर] | 5. कनीरा, किसारा |
| 3. गुज्जर [पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों को छोड़कर] | 6. साहीला |
| | 7. पंगवाला |
| | 8. स्वांगला |

भाग 6—कर्नाटक

- | | |
|--|---|
| 1. अदियन | 20. काट्टूनायकन |
| 2. बर्बा | 21. कोकण, कोकणी, कुम्प्या |
| 3. बबन्ना, बम्बा | 22. कोली दोर, टोकरे कोली, कोल्चा, कोल्घा |
| 4. भील, भील गरासिया, धोली भील, डुंगरी भील, डुंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तड़वी भील, भगालिया, भिलावा, पवरा, वासब, वासवे | 23. कोडा कापूस |
| 5. चेंपू, चेंपवार | 24. कोरग |
| 6. चोघारा | 25. कोटा |
| 7. दुबला, तासाविया, हलपति | 26. कोया, भिने कोया, राजकोया |
| 8. गामिट, गमटा, गाविट, मावचि, पदवी, वाल्वी | 27. कुडिया, मेलकुडी |
| 9. गोंड, नायकपोंड, राजगोंड | 28. कुरुब (कुर्ग जिले में) |
| 10. गोडलू | 29. कुरुमान |
| 11. हक्कीपिक्की | 30. महा मालासार |
| 12. हासालाक | 31. मलाई कुडी |
| 13. इरुलर | 32. मालासार |
| 14. इरुसिगा | 33. मालायेकान्डी |
| 15. जेनु कुरवा | 34. मालेरु |
| 16. काडू कुरवा | 35. मराठा (कुर्ग जिले में) |
| 17. कम्भार (दक्षिण कनारा जिला और मैसूर जिले के कोल्सेगल तालुक में) | 36. मराठी (दक्षिण कनारा जिले में) |
| 18. कनियान, कन्यान (मैसूर जिले के कोल्सेगल तालुक में) | 37. मेडा |
| 19. कापोडी काटकारी, डोर कथोडी, डोर काटकारी, डोन कथोडी, सोन काटकारी | 38. नायकडा, नायक, चोलीवाला नायक, कपाडिया नायक, मोटा नायक, नाना नायक, नईक, नायक, बेडा, बेडर और बाल्मीकि] |
| | 39. पल्लियान |
| | 40. पानियान |
| | 41. पार्धी, अदविचिन्चेर, फनसे पार्धी |
| | 42. पटेलिया |
| | 43. रायावा |

Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950
(PART III—Rules and Orders under Constitution)

- | | |
|--------------|--------------------------------|
| 44. Sholaga | 47. Varli |
| 45. Soligaru | 48. Vitolia, Kotwalia, Barodia |
| 46. Toda | 49. Yerava. |

PART VII.—*Kerala*

- | | |
|--|--|
| 1. Adiyam | 19. Maha Malasar |
| 2. Arandan | 20. Malai Arayan |
| 3. Eravallan | 21. Malai Pandaram |
| 4. Hill Pulaya | 22. Malai Vedan |
| 5. Irular, Irulan | 23. Malakkuravan |
| 6. Kadar | 24. Malasar |
| 7. Kammara [in the areas comprising the Malabar district as specified by sub-section (2) of section 5 of the States Reorganisation Act, 1956 (37 of 1956)] | 25. Malayan [excluding the areas comprising the Malabar district as specified by sub-section (2) of section 5 of the States Reorganisation Act, 1956 (37 of 1956)] |
| 8. Kanikaran, Kanikkar | 26. Malayarayar |
| 9. Kattunayakan | 27. Mannan |
| 10. Kochu Velan | 28. Marati (in Hosdrug and Kasaragod taluks of Cannanore district) |
| 11. Konda Kapus | 29. Muthuvan, Mudugar, Muduvan |
| 12. Kondareddis | 30. Palleyan |
| 13. Koraga | 31. Palliyan |
| 14. Kota | 32. Palliyar |
| 15. Kudiya, Melakudi | 33. Paniyan |
| 16. Kurichchan | 34. Ulladan |
| 17. Kurumans | 35. Uraly. |
| 18. Kurumbas | |

PART VIII.—*Madhya Pradesh*

- | | |
|---|--|
| 1. Agariya | Bhimma, Bhuta, Koliabhuta, Koliabhuti, Bhar, Bisonhorn Maria, Chota Maria, Dandami Maria, Dhuru, Dhurwa, Dhoba, Dhulia, Dorla, Gaiki, Gatta, Gatti, Gaita, Gond Gowari, Hill Maria, Kandra, Kalanga, Khatola, Koitar, Koya, Khirwar, Khirwara, Kucha Maria, Kuchaki Maria, Madia, Maria, Mana, Mannewar, Moghya, Mogia, Monghya, Mudia, Muria, Nagarchi, Nagwanshi, Ojha, Raj, Sonjhari Jhareka, Thatia, Thotya, Wade Maria, Vade Maria, Daroi |
| 2. Andh | |
| 3. Baiga | |
| 4. Bhaina | |
| 5. Bharia Bhumia, Bhuinhar Bhumia, Bhumiya, Bharia, Paliha, Pando | |
| 6. Bhattra | |
| 7. Bhil, Bhilala, Barela, Patelia | |
| 8. Bhil Mina | |
| 9. Bhunjia | |
| 10. Biar, Biyar | 17. Halba, Halbi |
| 11. Binjhar | 18. Kamar |
| 12. Birhul, Birhor | 19. Karku |
| 13. Damor, Damaria | 20. Kawar, Kanwar, Kaur, Cherwa, Rathia, Tanwar, Chhatri |
| 14. Dhanwar | 21. Keer (in Bhopal, Raisen and Sehore districts) |
| 15. Gadaba, Gadba | 22. Khairwar, Kondar |
| 16. Gond; Arakh, Arrakh, Agaria, Asur, Badi Maria, Bada Maria, Bhatola, | 23. Kharia |

44. जोलगा
45. सोलीगाऊ
46. तोडा

47. वरली
48. विटोलिया, कोतवालिया, बारोडिया
49. यरावा।

भाग 7—केरल

1. धाडियन
2. धरांछन्
3. धरावालन्
4. हिल पुलया
5. इरुशर, इरुलन
6. कावर
7. कमार [राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का 37) की धारा 5 की उपधारा (2) में यथाविविदिष्ट मालाबार जिले के क्षेत्रों में]
8. कणिकारन् काणिकर
9. काट्टुनायकन्
10. कोच्चुवेलन
11. कोनडा कापूस
12. कोडरेडि
13. कोरग
14. कोटा
15. कुडिया, मेलाकुडी
16. कुरिच्चियन
17. कुरुमन्
18. कुरुम्बा

19. महामालासार
20. मलैधरयन
21. मलय पडारम्
22. मलवेडन
23. मलकुर्वन
24. मालासार
25. मलयन [राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का 37) की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा यथा विविदिष्ट मालाबार जिले में समाविष्ट क्षेत्रों में]
26. मलययय
27. मनान्
28. माराटि (कन्नोर जिले के होंसडुग और काक्षरगोड तालुक में)
29. मुतुवन, मुदुगर मुदुवन
30. पल्लेयान
31. पल्लियान
32. पल्लियार
33. पाणियन्
34. उल्लाडन
35. उरालि।

भाग 8—मध्य प्रदेश

1. अगरिया
2. अंध
3. बैगा
4. भैना
5. भारिया, भूमिभा, भुईहार, भूमियां, भूमिभा, भारिया, पालिहा, पांडो
6. भतरा
7. भील, भिलाला, बरेला, पटलिया
8. भील मीना
9. भनजिया
10. बिभार, बीभार
11. बिभवार
12. बिरभुल, बिरहोर
13. दमोर, दामरिया
14. धनवार
15. गडावा, गडवा
16. गोंड, भरख, भारख, भगरिया, भसुर, बड़ी भारिया,

- बड़ा भारिया, भटोला, भीमा, भुता, कोइलाभुता, कोलियाभुती, भार, बिसोनहानं भारिया, छोट भारिया, दंडामी भारिया, धुरू, धुरवा, घोवा, धुलिया, डोरला, गायकी, गट्टा, गट्टी, गंटा, गोंड गोवारी, हिल भारिया, कंडरा, कलंगा, खटोला, कोइतर, कोया, खिरवार, खिरवारा, कुचा भारिया, कुचाकी भारिया, माडिया, भारिया, भाना, भनवार, मोध्या, भोगिया, भोंघ्या, मुडिया, मुरिया, नगारची; नागवंशी, ओझा, राज, सोन्कारी झरेका, धाटिया, थोटया, वाडेभारिया, वडेभारिया, डरोई
17. हलवा, हलबी
18. कमार
19. कारकू
20. कवर, कंवर, कौर, चेरवा, राठिया, तनवर, छत्री
21. कीर (भोपाल, रायसेन और सिहोर जिलों में)
22. खैरवार, कोंदर
23. खरिया

Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950
(PART III—Rules and Orders under Constitution)

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 24. Kondh, Khond, Kandh 25. Kol 26. Kolam 27. Kokru, Bopchi, Mouasi, Nihal, Nahul Bondhi, Bondeya 28. Korwa, Kodaku 29. Majhi 30. Majhwar 31. Mawasi 32. Mina (in Sironj sub-division of Vidisha district) 33. Munda 34. Nagesia, Nagasia 35. Oraon, Dhanka, Dhangad 36. Panika (in Chhatarpur, Datia, Panna, Rewa, Satna, Shahdol, Sidhi and Tikamgarh districts) 37. Pao 38. Pardhan, Pathari, Saroti 39. Pardhi (in Bhopal, Raisen and Schore districts) 40. Pardhi; Bahelia, Bahellia, Chita Pardhi, | <ul style="list-style-type: none"> Langoli Pardhi, Phans Pardhi, Shikari, Takankar, Takia [in (1) Bastar, Chhindwara, Mandra, Raigarh, Seoni and Surguja districts, (2) Baihar tahsil of Balaghat district, (3) Betul and Bhainsdehi tahsils of Betul district, (4) Bilaspur and Katghora tahsils of Bilaspur district, (5) Durg and Balod tahsils of Drug district, (6) Chowki, Manpur and Mohala Revenue Inspectors' Circles of Rajnandgaon district, (7) Murwara, Patan and Sihora tahsils of Jabalpur district, (8) Hoshangabad and Sohagpur tahsils of Hoshangabad district and Narsimhapur district, (9) Harsud tahsil of Khandwa district, (10) Bindra-Nawagarh, Dhamtari and Mahasamund tahsils of Raipur district] 41. Parja 42. Sahariya, Saharia, Seharia, Sehria, Sosia, Sor 43. Saonta, Saunta 44. Saur 45. Sawar, Sawara 46. Sonr. |
|--|---|

PART IX.—*Maharashtra*

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Andh 2. Baiga 3. Barda 4. Bavacha, Bamcha 5. Bhaina 6. Bharia Bhumia, Bhuinhar Bhumia, Pando 7. Bhattra 8. Bhil, Bhil Garasia, Dholi Bhil, Dungri Bhil, Dungri Garasia, Mewasi Bhil, Rawal Bhil, Tadvi Bhil, Bhagalia, Bhilala Pawra, Vasava, Vasave 9. Bhunjia 10. Binjhwar 11. Birhul, Birhor 12. Chodhara (excluding Akola, Amravati, Bhandara, Buldana, Chandrapur, Nagpur, Wardha, Yavatmal, Aurangabad, Bhir, Nanded, Osmanabad and Parbhani districts) 13. Dhanka, Tadvi, Tetaria, Valvi 14. Dhanwar 15. Dhodia 16. Dubla, Talavia, Halpati 17. Gamit, Gamta, Gavit, Mavchi, Padvi | <ul style="list-style-type: none"> 18. Gond, Rajgond, Arakh, Arrakh, Agaria, Asur, Badi Maria, Bada Maria, Bhatola, Bhimma, Bhuta, Koilabhuta, Koilabhuti, Bhar, Bisonhorn Maria, Chota Maria, Dandami Maria, Dhuru, Dhurwa, Dhoba, Dhulia, Dorla, Kaiki, Gatta, Gatti, Gaita, Gond Gowari, Hill Maria, Kandra, Kalanga, Khatola, Koitar, Koya, Khirwar, Khirwara, Kucha Maria, Kuchaki Maria, Madia, Maria, Mana, Mannewar, Moghya, Mogia, Monghya, Mudia, Muria, Nagarchi, Naikpod, Nagwanshi, Ojha, Raj, Sonjhari Jhareka, Thatia, Thotya, Wade Maria, Vade Maria 19. Halba, Halbi 20. Kamar 21. Kathodi, Katkari, Dhor Kathodi, Dhor Kathkari, Son Kathodi, Son Katkari 22. Kawar, Kanwar, Kaur, Cherwa, Rathia, Tanwar, Chattri 23. Khairwar 24. Kharia 25. Kokna, Kokni, Kukna 26. Kol |
|--|---|

(भाग 3—संविधान के अधीन नियम और आदेश)

24. कोंघ, खोंड, कांघ
25. कोल
26. कौलम
27. कोरकू, बोपची, मवासी, निहाल, नावुसे, बोंधी, बोंडिया
28. कोरवा, कोडाकू
29. भांशी
30. मझवार
31. मवासी
32. मीना (बिदिशा जिले के सिरोंच उपखंड में)
33. मुंडा
34. नगोसिया, नागासिया
35. उरांव, धानका, धनगढ़
36. पनिका (छतरपुर, दतिया, पन्ना, रीवां, सतना, शाहडोल, सीधो और टीकमगढ़ जिलों में)
37. पाव
38. परधान, पथारी सरोती
39. पारधी (भोपाल, रायसेन तथा सिहोर जिलों में)
40. पारधी, बहेलिया, बहेलिया, चिता पारधी लंगोली

पारधी, फांस पारधी, शिकारी, टकनकर टाकिया [(1) बस्तर, छिंदवाड़ा, मंडला, रायगढ़, सिबनां और मरगुजा जिलों में, (2) बालाघाट जिले की बेरह तहसील में, (3) बैतूल जिले के बैतूल और भैंसदेही तहसीलों में, (4) बिलासपुर जिले की बिलासपुर और कटघोरा तहसीलों में, (5) दुर्ग जिले की दुर्ग और बलोड तहसीलों में, (6) राजनन्द गांव जिले के चौकी मानपुर और मोहला राजस्व निरीक्षकों के क्षेत्रों में, (7) जबलपुर जिले के मुरवारा, पाटन और सिहोर तहसीलों में, (8) होशंगाबाद जिले की होशंगाबाद और सुहागपुर तहसीलों और नरसिंहपुर जिले में, (9) खण्डवा जिले की हरसुद तहसील में, (10) रायपुर जिले की विन्ना नवगढ़, घमतरी और महासमुन्द तहसीलों में]

41. परजा
42. सहारिया, सहरिया, सेहरिया, सहरिया, सोसिया, सोर
43. साबोता, सीता
44. सौर
45. सावर, सवरा
46. सोनर।

भाग 9—महाराष्ट्र

1. अन्ध
2. बैगा
3. बडां
4. बावचा, बामचा
5. भैना
6. भारिमा भूमिमा, भुईहार-भूमिमा, पान्डों
7. भतरा
8. भील, भील गरासिया, घोली भील, डुंगरी भील, डुंगरी गरासिया, मवासी भील, रावल भील, तडवी भील, भगालिया, भिलाला, पावरा, वसावा, वसांवे
9. भुंजिया
10. बिसवार
11. बिरहुल, बिरहोर
12. चौधरा (अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलढाना, चन्द्रपुर, नागपुर, वर्धा, यवतमाल, औरंगाबाद, भीर, नान्देड, उस्मानाबाद और परभणी जिलों को छोड़कर)
13. धाणका, तडवी, तैतारिया, वलवी
14. धनवार
15. घोडिया
16. दुबला, तलानिया, हलपति
17. गमित, गामता, गावीत, भावचि, पडवि

18. गोंड, राजगोड, भरख, भारखा भारिया असुर, बड़ी भारिया, बडा भारिया, भटोला, भीमा, भुता, कोईलाभुता, कोईलाभुती, भार, विसहानं, भारिया, छोटा भारिया, दंडामि भारिया, घुह, घरवा, घोबा, घुलिया, डोरला, कैकी, गट्टा, गट्टी गंटा, गोंड गोवारी, हिल भारिया, कंडरा, कलगा, खटोला, कोइतर, कोया, खिरवार, खिरवारा, कुचा भारिका, कुचाकी भारिया, माडिया भारिया, माना, मन्नेवार, मोषया, मगिया, मौषया, मुषिया, मुरिया, नगारधी, नायकपाड, नागवंशी, ओसा, राज, सोन्कारी मरेका, थाटिया, थोटया, वाडे-भारिया, वडेभारिया

19. हलवा, हलवी
20. कमार
21. काथोडि, कातकारी, डोर काथोडी, डोर कातकारी सोन काथोडी, सोन कातकारी
22. कवर, कंवर, कौर, चेरवा, राठिया, तनरवर, छत्री
23. खरवार
24. खडिया
25. फोकणा, कोकणी, कुकणा
26. कोल

Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950
(PART III—Rules and Orders under the Constitution)

- | | |
|--|--|
| 27. Kolam, Mannervarlu | Bahellia, Chita Pardhi, Shikari, Takan-
kar, Takia |
| 28. Koli Dhor; Tokre Koli, Kolcha, Kolkha | |
| 29. Koli Mahadev, Dongar Koli | 39. Parja |
| 30. Koli Malhar | 40. Patelia |
| 31. Kondh, Khond, Kandh | 41. Pomla |
| 32. Korku, Bopchi, Mouasi, Nihal, Nahul,
Bondhi, Bondeya | 42. Rathawa |
| 33. Koya, Bhine Koya, Rajkoya | 43. Sawar, Sawara |
| 34. Nagesia, Nagasia | 44. Thakur; Thakar, Ka Thakur, Ka
Thakar, Ma Thakur, Ma Thakar |
| 35. Naikda, Nayaka, Cholivala Nayaka,
Kapadia Nayaka, Mota Nayaka, Nana
Nayaka | 45. Thoti (in Aurangabad, Bhir, Nanded,
Osmanabad and Parbhani districts and
Rajura tahsil of Chandrapur district) |
| 36. Oraon, Dhangad | 46. Varli |
| 37. Pardhan, Pathari, Saroti | 47. Vitolia. Kotwalia. Barodia. |
| 38. Pardhi, Advichincher, Phaus Pardhi
Phanse Pardhi. Langoli Pardhi. Bahelia. | |

PART X.—*Manipur*

- | | |
|---------------|------------------------------|
| 1. Aimol | 16. Maring |
| 2. Anal | 17. Any Mizo (Lushai) tribes |
| 3. Angami | 18. Monsang |
| 4. Chiru | 19. Moyon |
| 5. Chothe | 20. Paite |
| 6. Gangte | 21. Purum |
| 7. Hmar | 22. Ralte |
| 8. Kabui | 23. Sema |
| 9. Kacha Naga | 24. Simte |
| 10. Koirao | 25. Suhte |
| 11. Koireng | 26. Tangkhul |
| 12. Kom | 27. Thadou |
| 13. Lamgang | 28. Vaiphui |
| 14. Mao | 29. Zou. |
| 15. Maram | |

PART XI.—*Meghalaya*

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Chakma | (vi) Gangte |
| 2. Dimasa, Kachari | (vii) Guite |
| 3. Garo | (viii) Hanneng |
| 4. Hajong | (ix) Haokip. Haupt |
| 5. Hmar | (x) Haolai |
| 6. Khasi, Jaintia, Synteng, Pnar, War,
Bhoi, Lyngngam | (xi) Hengna |
| 7. Any Kuki tribes including.— | (xii) Hongsungh |
| (i) Biate, Biete | (xiii) Hrangkhwal. Rangkhoh |
| (ii) Changsan | (xiv) Jonghe |
| (iii) Chongloi | (xv) Khawchung |
| (iv) Doungel | (xvi) Khawathilang, Khothalong |
| (v) Gamalhou | (xvii) Khelma |
| | (xviii) Kholhou |

- | | |
|---|--|
| 27. कोलाम, मन्नेवरलू | पारधी, बहेलिया, वहेल्लिया, चित्तापारधी, |
| 28. कोली डोर, टोकरे कोली, कोलना, कोलघा | शिकारी टाकनकार, टाकिया |
| 29. कोली महादेव, डोंगर कोली
कोली मल्हार | 39. मरजा |
| 31. कांध, खोंड, कांध | 40. पटेरलिया |
| 32. कौरकू, बोंपची, मौवासी, निहाल, नाहुल, बांधा,
बोडेया | 41. पामेला |
| 33. कोया, भिन्ने कोया, राजकोया | 42. राथवा |
| 34. नगेमिया, नगासिया, | 43. सावर, सावरा |
| 35. नायकडा नायक, चालीवाला नायक, कपाडिया
नायक, मोटा नायक, नाना नायक | 44. ठाकुर, ठाकर, म-ठाकर, का-ठाकर
मा-ठाकुर, मा-ठाकार |
| 36. अरांव, धनगड | 45. थोटी (औरंगाबाद, बीड, नान्देड, उस्मानाबाद,
और परभणी जिलों और चन्द्रपुर जिले की राजपुरा
तहसील में) |
| 37. परधान, पथारी, सराती | 46. वारली |
| 38. पारधी, अडविचिचेर, फेम पारधी, क्मोली | 47. त्रिटोलिया, कानवालिया, वरांडिया। |

भाग 10—मणिपुर

- | | |
|---------------|-------------------------------|
| 1. भायमोल | 16. मैरिंग |
| 2. एनाल | 17. कोई मीजा (लुशाई) जनजातिया |
| 3. अंगामी | 18. मोन्संगे |
| 4. चिरु | 19. बोयोन |
| 5. चीथे | 20. पाइटे |
| 6. गगत | 21. पुरुम |
| 7. हमार | 22. रास्टे |
| 8. कावुई | 23. सेमा |
| 9. कच्चा नागा | 24. सिम्टे |
| 10. कोईराओ | 25. मुहटे |
| 11. कोथरग | 26. तंगखुल |
| 12. कोम | 27. थोडा |
| 13. लममम | 28. व्हाइफ |
| 14. माओ | 29. जाओ। |
| 15. मराम | |

भाग 11—मेघालय

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. चाकमा | (vi) गंगत |
| 2. डिमासा, कठारि | () गुइत |
| 3. गारो | (vii) हूथंग |
| 4. हाजंग | (ix) होकिप, हीपत |
| 5. हमार | (x) होलाई |
| 6. खासी, जैन्तिया, सिन्तंग, प्लार, वाय, भोई, लिगाम | (xi) हंगना |
| 7. कोई कुकी जनजातियां जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित
भी हैं: - | (xii) हांगसुंध |
| (i) त्रियात, विपेने | (xiii) हांगखवाय, रण्वात |
| (ii) चंगसान | (xiv) जंथे |
| (iii) चंगलोई | (xv) ख्वाचंग |
| (iv) दौंगाल | (xvi) ख्वात्संग, खातालंग |
| (v) गमन्ही | (xvii) खेन्मा |
| | (xviii) थोल्ह |

Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950
(PART III—Rules and Orders under the Constitution)

- | | |
|-----------------|------------------------------|
| (xix) Kipgen | (xxxiv) Thado |
| (xx) Kuki | (xxxv) Thanggeu |
| (xxi) Lengthang | (xxxvi) Uibuh |
| (xxii) Lhangum | (xxxvii) Vaiphei |
| (xxiii) Lhoujem | 8. Lakher |
| (xxiv) Lhourvun | 9. Man (Tai speaking) |
| (xxv) Lumpheng | 10. Any Mizo (Lushai) tribes |
| (xxvi) Mangjel | 11. Mikir |
| (xxvii) Misao | 12. Any Naga tribes |
| (xxviii) Riang | 13. Pawi |
| (xxix) Sairhem | 14. Synteng |
| (xxx) Selnam | [15. Boro Kacharis |
| (xxxi) Singson | 16. Koch |
| (xxxii) Sitlhou | 17. Raba, Rava]. |
| (xxxiii) Sukte | |

PART XII.—Orissā

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Bagata | 29. Kharia, Kharian |
| 2. Baiga | 30. Kharwar |
| 3. Banjara, Banjari | 31. Khond, Kond, Kandha, Nanguli Kandha, Sitha Kandha |
| 4. Bathudi | 32. Kisan |
| 5. Bhattada, Dhotada | 33. Kol |
| 6. Bhuiya, Bhuyan | 34. Kolah Loharas, Kol Loharas |
| 7. Bhumia | 35. Kolha |
| 8. Bhumij | 36. Koli, Malhar |
| 9. Bhunjia | 37. Kondadora |
| 10. Binjhal | 38. Kora |
| 11. Binjhia, Binjhoa | 39. Korua |
| 12. Birhor | 40. Kotia |
| 13. Bondo Poraja | 41. Koya |
| 14. Chenchu | 42. Kulis |
| 15. Dal | 43. Lodha |
| 16. Desua Bhumij | 44. Madia |
| 17. Dharua | 45. Mahali |
| 18. Didayi | 46. Mankidi |
| 19. Gadaba | 47. Mankirdia |
| 20. Gandia | 48. Matya |
| 21. Ghara | 49. Mirdhas |
| 22. Gond, Gondo | 50. Munda, Munda Lohara, Munda Mahalis |
| 23. Ho | 51. Mundari |
| 24. Holva | 52. Omanatya |
| 25. Jatapu | 53. Oraon |
| 26. Juang | 54. Parenga |
| 27. Kandha Gauda | |
| 28. Kavar | |

- (xix) कियगेन
- (xx) कूकी
- (xxi) लेंयांग
- (xxii) लांगम
- (xxiii) ल्हूजेम
- (xxiv) ल्हूबुन
- (xxv) लुफंग
- (xxvi) मंजेल
- (xxvii) मिसाऊ
- (xxviii) रियांग
- (xxix) सैरहेम
- (xxx) सैल्नाम
- (xxxi) सिगूसन
- (xxxii) सितल्हौ
- (xxxiii) सुनते

- (xxxiv) धामे
- (xxxv) यांगजेन
- (xxxvi) उद्बू
- (xxxvii) व्हाइफे
- 8. लाखेर
- 9. मान (साई बोलने वाली)
- 10. कोई मीजो (लुशाई) जनजातियाँ
- 11. मिकिर
- 12. कोई नागा जनजातियाँ
- 13. पावी
- 14. सितेंग
- ¹[15. वोंरां कचरिस
- 16. कोच
- 17. नावा, रावा] ।

भाग 12—उड़ीसा

- 1. बायूता
- 2. बड़गा
- 3. बनजारा, नणजारी
- 4. नयुड़ी
- 5. भौत्तड़ा, धोत्तड़ा
- 6. भुइयाँ, भूयाँ
- 7. भूमिआ
- 8. भमिज
- 9. भुनूजिया
- 10. बिक्षाल
- 11. विभिआ, बिमोआ
- 12. बीरहोर
- 13. बोंडुपरजा
- 14. चेन्बू
- 15. दाल
- 16. देसुआ भूमिज
- 17. धारुआ
- 18. दिदर्या
- 19. गदबा
- 20. गोंडिया
- 21. घरा
- 22. गोंड, गोंडी
- 23. हौ
- 24. होलबा
- 25. जातपू
- 26. जुमरा
- 27. कंधगीर
- 28. कावार

- 29. खरिआ, खरिआन
- 30. खरवार
- 31. खोंड, कोंड, कन्ध, नांगुर्वा कन्धा, सिना कन्धा
- 32. किसान
- 33. कोल
- 34. कोल्हा लोहार, कोल-लोहार
- 35. कोल्हा
- 36. कोली, मल्हार
- 37. कोन्डादोरा
- 38. कोरा
- 39. कोरुआ
- 40. कुटिया
- 41. कोया
- 42. कुली
- 43. लोवा
- 44. मादिआ
- 45. गाहालि
- 46. मांकिडी
- 47. मांकिरडिआ
- 48. माटिया
- 49. मिर्घा
- 50. मुंडा, मुंडालोहरा, मुंडा-महाली
- 51. मुंडारी
- 52. ओमनात्या
- 53. उराआं
- 54. परेंगा

Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950
(PART III—Rules and Orders under the Constitution)

- | | |
|------------|---------------------------------|
| 55. Paroja | 59. Saora, Savar, Saura, Sahara |
| 56. Pentia | 60. Shabar, Lodha |
| 57. Rajuar | 61. Sounti |
| 58. Santal | 62. Tharua. |

PART XIII.—Rajasthan

- | | |
|--|---|
| 1. Bhil, Bhil Garasia, Dholi Bhil, Dungri Bhil, Dungri Garasia, Mewasi Bhil, Rawal Bhil, Tadvi Bhil, Bhagalila, Bhilala, Pawra, Vasava, Vasave | 7. Kokna, Kokni, Kukna |
| 2. Bhil Mina | 8. Koli Dhor, Tokre Koli, Kolcha, Kolgha |
| 3. Damor, Damaria | 9. Mina |
| 4. Dhanka, Tadvi, Tetaria, Valvi | 10. Naikda, Nayaka, Chholivala Nayaka, Kapadia Nayaka, Mota Nayaka, Nana Nayaka |
| 5. Garasia (excluding Rajput Garasia) | 11. Patelia |
| 6. Kathodi, Katkari, Dhor Kathodi, Dhor Katkari, Son Kathodi, Son Katkari | 12. Seharia, Sehria, Sahariya. |

PART XIV.—Tamil Nadu

- | | |
|---|---|
| 1. Adiyar | 18. Kurumans |
| 2. Aranadan | 19. Maha Malasar |
| 3. Eravallan | 20. Malai Arayan |
| 4. Irular | 21. Malai Pandaram |
| 5. Kadar | 22. Malai Vedan |
| 6. Kammara (excluding Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district) | 23. Malakkuravan |
| 7. Kanikaran, Kanikkar (in Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district) | 24. Malasar |
| 8. Kanjyan, Kanyan | 25. Malayali (in Dharmapuri, North Arcot, Pudukottai, Salem, South Arcot and Tiruchirapali districts) |
| 9. Kattunayakan | 26. Malayekandi |
| 10. Kochu Velan | 27. Mannan |
| 11. Konda Kapus | 28. Mudugar, Muduvan |
| 12. Kondareddis | 29. Muthuvan |
| 13. Koraga | 30. Palleyan |
| 14. Kota (excluding Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district) | 31. Palliyan |
| 15. Kudiyar, Melakudi | 32. Palliyar |
| 16. Kurichchan | 33. Paniyan |
| 17. Kurumbas (in the Nilgiris district) | 34. Sholaga |
| | 35. Toda (excluding Kanyakumari district and Shenkottah taluk of Tirunelveli district) |
| | 36. Uraly. |

PART XV.—Tripura

- | | |
|------------|--|
| 1. Bhil | 7. Jamatia |
| 2. Bhutia | 8. Khasia |
| 3. Chaimal | 9. Kuki, including the following sub-tribes :— |
| 4. Chakma | (i) Balte |
| 5. Garoo | (ii) Belalhut |
| 6. Halam | (iii) Chhalya |

- | | |
|-------------|----------------------------|
| 55. परोजा | 59. सवोरा, सवर, सारा, सहरा |
| 56. पेंटिया | 60. शबर, लोधा |
| 57. राजुआर | 61. माउन्ती |
| 58. मानाव | 62. थारुआ । |

भाग 13—राजस्थान

- | | |
|---|--|
| 1. भील, भील गरासिया, धोली भील, डुंगरी भील,
डुंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तडवी
भील, भगालिया, भलाला, पावरा वसवा, वसावे, | 7. कोकना, कोवनी, कुर्वणा |
| 2. भील मीना | 8. कोली द्वार, टोकरे कोली, कोलचा, कोलघा |
| 3. डामोर, डामरिया | 9. मीना |
| 4. घाणका, तडवी, तैतारिया, वलवी | 10. नायकडा नायक, चोलिवाला
नायक, कपाडिया नायक,
भोटा नायक, नाना नायक |
| 5. गरासिया (राजपूत गरासिया से भिन्न) | 11. पटलिया |
| 6. काथोडी, कातकरी, दोर काथोडी, दोर कानकरी,
सोन काथोडी, सोन कानकरी | 12. सेहारिया, मेहरिया, महारिया । |

भाग 14—तमिलनाडु

- | | |
|--|---|
| 1. अडियन | 18. कुरुमान्म |
| 2. अरनाडन | 19. महा मल्लेसर |
| 3. एरवल्लन | 20. मलै अरैयन |
| 4. इरुलर | 21. मालै पंडाराम |
| 5. काडर | 22. मालै वेडन |
| 6. कम्भारा (कन्याकुमारी जिला और तिरुनेलवेली
जिले के शेन्कोट्टा तालुक को छोड़कर) | 23. मलक्कुरवन |
| 7. कनिकरण, कनिकर (कन्याकुमारी जिले में और
[तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में]) | 24. मल्लेसर |
| 8. कनियन, कन्यन | 25. मल्ल्याली (धर्मपुरी उत्तरी अर्काट, पुडुकोट्टाई,
सलेम, दक्षिणी अर्काट और तिरुचिरापल्ली जिलों में) |
| 9. काट्टुनायककन | 26. मलयकंडी |
| 10. कोचुबेलन | 27. भाघन |
| 11. कोन्डा कपूस | 28. मूडुगर, मूडुवन |
| 12. कोन्डारेडु | 29. मुव्वन |
| 13. कोरागा | 30. पल्लेयन |
| 14. कोटा (कन्याकुमारी जिले में और
तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा
तालुक को छोड़कर) | 31. पल्लियन |
| 15. कुडिया, मेला कुडी | 32. पल्लयर |
| 16. कुरिच्छन | 33. पनियन |
| 17. कृंवर (नीलगिरि जिले में) | 34. शोलागा |
| | 35. टोडा (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली
जिले के शेन्कोट्टा तालुक को छोड़कर) |
| | 36. उरली । |

भाग 15—त्रिपुरा

- | | |
|-----------|--|
| 1. भील | 7. जमातिया |
| 2. भुटिया | 8. खसिया |
| 3. चमल | 9. कुकी, जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित उग्र जनजातियां
भी हैं :— |
| 4. चक्मा | (i) बाल्ले |
| 5. गारो | (ii) वेसलहन |
| 6. हलाम | (iii) छाल्य |

Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950
(PART III—Rules and Orders under the Constitution)

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> (iv) Fun (v) Hajango (vi) Jangtei (vii) Khareng (viii) Khephong (ix) Kuntei (x) Laifang (xi) Lentei (xii) Mizel (xiii) Namte (xiv) Paitu, Paite (xv) Rangchan | <ul style="list-style-type: none"> (xvi) Rangkhole (xvii) Thangluya 10. Lepcha 11. Lushai 12. Mag 13. Munda, Kaur 14. Noatia 15. Orang 16. Riang 17. Santal 18. Tripura, Tripuri, Tippera 19. Uchai. |
|--|--|

PART XVI.—*West Bengal*

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Asur 2. Baiga 3. Badia, Bediya 4. Bhumij 5. Bhutia, Sherpa, Toto, Dukpa, Kagatay, Tibetan, Yolmo 6. Birhor 7. Birjia 8. Chakma 9. Chero 10. Chik Baraik 11. Garo 12. Gond 13. Gorait 14. Hajang 15. Ho 16. Karmali 17. Kharwar 18. Khond 19. Kisan | <ul style="list-style-type: none"> 20. Kora 21. Korwa 22. Lepcha 23. Lodha, Kheria, Kharia 24. Lohara, Lohra 25. Magh 26. Mahali 27. Mahli 28. Mal Pahariya 29. Mech 30. Mru 31. Munda 32. Nagesia 33. Oraon 34. Parhaiya 35. Rabha 36. Santal 37. Sauria Paharia 38. Savar. |
|---|---|

PART XVII.—*Mizoram*

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Chakma 2. Dimasa (Kachari) 3. Garo 4. Hajong 5. Hmar 6. Khasi and Jaintia, (including Khasi, Synteng or Pnar, War, Bhoi or Lynggam) | <ul style="list-style-type: none"> 7. Any Kuki tribes, including,— <ul style="list-style-type: none"> (i) Baite or Biete (ii) Changsan (iii) Chongloi (iv) Doungel (v) Gamalhou |
|---|--|

(iv) फुन	(xvi) रांघोन
(v) हज्रांगो	(xvii) थंग्नुगा
(vi) जंगते	10. लेप्चा
(vii) खरेंग	11. नगार्ई
(viii) केफंग	12. गग
(ix) कुन्नेई	13. मुन्डा, कौर
(x) लाइफंग	14. नोआतिया
(xi) लेनतेई	15. ओरांग
(xii) मिजेन	16. गियांग
(xiii) नमते	17. मन्थान
(xiv) पाईतु; पाइते	18. त्रिपुरा, त्रिपुरी, टोपरा
(xv) रंगचान	19. उबई ।

भाग 16—पश्चिमी बंगाल

1. अमुर	20. कोड़ा
2. बेगा	21. कोरवा
3. बेदिमा, बिदिमा	22. लेप्चा
4. भूमिज	23. लोधा, खेड़िया, खाड़िया
5. भूटिया जेरगा, टोयो दुक्पा, कगते, तिब्बती, गोनमो	24. लोहारा, लोहरा
6. बिरहोड़	25. मध
7. बिरजिया	26. माहली
8. चाकमा	27. महली
9. चेरी	28. गाल पहाड़िया
10. चिक चारैऊ	29. मेच
11. गारो	30. झू
12. गोंड	31. मुंडा
13. गोड़त	32. नागेमिया
14. हाजंग	33. ओरांव
15. ही	34. पाईया
16. चरमाली	35. राभा
17. खाड़वार	36. संथाल
18. खोंड	37. सौरिया पहाड़िया
19. किसान	38. साबर

¹[भाग 17—मिजोरम

1. चाकमा	7. कोई कुकी जनजातियाँ, जिनके अन्तर्गत निम्न-लिखित भी हैं :—
2. डिमासा (कछारी)	(i) बियाते या बियते
3. गारो	(ii) चंगसान
4. हाजंग	(iii) चंगलोई
5. हमार	(iv) दोगेल
6. खासी और जैन्तिया (जिनके अन्तर्गत खासी, सिल्लेंग या प्जार, वार, भोई या लिंगाम हैं)	(v) गमल्हो

Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950
(PART III—Rules and Orders under Constitution)

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| (vi) Gangte | (xxvi) Mangjel |
| (vii) Guite | (xxvii) Missao |
| (viii) Hanneng | (xxviii) Riang |
| (ix) Haokip or Haupt | (xxix) Sairhem |
| (x) Haolai | (xxx) Selnam |
| (xi) Hengna | (xxxii) Singson |
| (xii) Hongsungh | (xxxiii) Sitlhou |
| (xiii) Hrangkhwal or Rangkhoh | (xxxiv) Sakte |
| (xiv) Jongbe | (xxxv) Thado |
| (xv) Khawchung | (xxxvi) Thangngeu |
| (xvi) Khawathlang or Khothalong | (xxxvii) Uibuh |
| (xvii) Khelma | (xxxviii) Vaiphei |
| (xviii) Kholhou | 8. Lakher |
| (xix) Kipgen | 9. Man (Tai-Speaking) |
| (xx) Kuki | 10. Any Mizo (Lushai) tribes |
| (xxi) Lengthang | 11. Mikir |
| (xxii) Lhangum | 12. Any Naga tribes |
| (xxiii) Lhoujem | 13. Pawi |
| (xxiv) Lhouvun | 14. Synteng.] |
| (xxv) Lupheng | |

¹PART XVIII.—*Arunachal Pradesh*

All tribes in the State including :—

- | | |
|------------|---------------------|
| 1. Abor | 7. Khowa |
| 2. Aka | 8. Mishmi |
| 3. Apatani | 9. Momba |
| 4. Dafla | 10. Any Naga tribes |
| 5. Galong | 11. Sherdukpen |
| 6. Khampti | 12. Singpho.] |

²PART XIX.—*Goa*

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. Dhodia | 4. Siddi (Nayaka) |
| 2. Dubla (Halpati) | 5. Varli.] |
| 3. Naikda (Talavia) | |

1. Ins. by Act 69 of 1986, s. 17 and Third Sch. (w.e.f. 20-2-1987).

2. Ins. by Act 18 of 1987, s. 19 and Second Sch. (w.e.f. 30-5-1987).

(vi) गंगते	(xxvi) मंजेल
(vii) गुडते	(xxvii) भिसाऊ
(viii) हैन्नंग	(xxviii) रियांग
(ix) होकिप या ह्पित	(xxix) सैरहेम
(x) होलाई	(xxx) गैलाम
(xi) हेगना	(xxxi) दिगशन
(xii) होनमुंघ	(xxxii) सितल्हो
(xiii) ह्वाग्बोवाल या रंग्बोल	(xxxiii) सुक्त
(xiv) जंघे	(xxxiv) थादो
(xv) खर्वाचंग	(xxxv) थांग्यू
(xvi) खवोत्लंग या खोलांग	(xxxvi) उड्यू
(xvii) खेलमा	(xxxvii) व्हाइफे
(xviii) खोलुहु	8. लाखरे
(xix) किपभोन	9. मान (ताई बोलने वाली)
(xx) कूकी	10. कोई भीजो (लुणाई) जनजातियाँ
(xxi) लेंथांग	11. भिकिर
(xxii) ल्हांगम	12. कोई नागा जनजातियाँ
(xxiii) ल्हाजम	13. पावी
(xxiv) ल्होबुन	14. सितंग ।
(xxv) लुफेंग	

¹[भाग 18—अरुणाचल प्रदेश

निम्नलिखित सहित राज्य की सब जनजातियाँ :—

- | | |
|-------------|------------------------|
| 1. अंबोर | 7. खोवा |
| 2. आवन | 8. भिगमी |
| 3. अप्तर्ना | 9. भोम्बा |
| 4. डाफला | 10. कोई नागा जनजातियाँ |
| 5. गालंग | 11. शेरडूपेन |
| 6. खाम्पती | 12. सितपो ।] |

²[भाग 19—गोवा

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. डोडिया | 4. सिट्टो (नायका) |
| 2. दुबला (हलपटी) | 5. बरली ।] |
| 3. नायकडा (तलविया) | |

1. 1986 के अधिनियम सं० 69 की धारा 17 और तीसरी अनुसूची द्वारा (20-2-1987 से) अंतःस्थापित ।

2. 1987 के अधिनियम सं० 18 की धारा 19 और दूसरी अनुसूची द्वारा (30-5-1987 से) अंतःस्थापित ।

'THE CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) ²[(UNION TERRITORIES)] ORDER, 1951
(C.O. 33)

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 342 of the Constitution of India, as amended by the Constitution (First Amendment) Act, 1951, the President is pleased to make the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Scheduled Tribes) ²[(Union Territories)] Order, 1951.

2. The tribes or tribal communities, or parts of, or groups within, tribes or tribal communities, specified in ³[Parts I and II] of the Schedule to this Order, shall, in relation to the ²[Union territories] to which those parts respectively relate, be deemed to be Scheduled Tribes so far as regards members thereof resident in the localities specified in relation to them respectively in those parts of that Schedule.

³[3. Any reference in this Order to a Union territory in Part I of the Schedule shall be construed as a reference to that territory constituted as a Union territory as from the 1st day of November 1956 ⁴[and any reference to a Union territory in Part II of the Schedule shall be construed as a reference to the territory constituted as a Union territory as from the day appointed under clause (b) of section 2 of the Goa, Daman and Diu Reorganisation Act, 1987].

²[(THE SCHEDULE)]

* * * * *

¹[PART I.—*Lakshadweep*]

Throughout the Union territory :—

Inhabitants of the Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands who, and both of whose parents, were born in those islands.

⁴[PART II.—*Daman and Diu*]

Throughout the Union territory :—

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. Dhodia | 4. Siddi (Nayaka) |
| 2. Dubla (Halpati) | 5. Varli.] |
| 3. Naikda (Talavia) | |

1. Published with the Ministry of Law Notifn. No. S.R.O. 1427B, dated the 20th September, 1951, Gazette of India, Extraordinary, 1951, Part II, Section 3, page 1198G.

2. Subs. by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes List (Modification) Order, 1956.

3. Subs. by Act 18 of 1987, s. 19 and Second Sch. (w.e.f. 30-5-1987).

4. Ins. by *ibid.* (w.e.f. 30-5-1987).

5. Entry relating to Himachal Pradesh omitted by Act 53 of 1970, s. 20 and the Fourth Sch. (w.e.f. 21-1-1971).

6. Parts II and III relating to Manipur and Tripura respectively omitted by Act 81 of 1971, s. 26(2) and Sch. V (w.e.f. 21-1-1972).

7. Subs. by the Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands (Alteration of Name) Adaptation of Laws Order, 1974, for "PART I.—*The Laccadive, Minicoy and Amindivi Island*" (w.t.f. 1-11-1973).

¹संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) ²[(संघ राज्यक्षेत्र)] आदेश, 1951

(सं० घ्रा० 33)

संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951 द्वारा यथासंशोधित भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने अपने प्रयाद से निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात् :—

1. यह आदेश संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) ³[(संघ राज्यक्षेत्र)] आदेश, 1951 कहा जा सकेगा।
2. वे जनजातियाँ या जनजाति समुदाय या जनजातियाँ या जनजाति समुदायों के भाग या उनमें के यूथ, जो इस आदेश की अनुसूची के ³[भाग 1 और 2] में विनिर्दिष्ट हैं उन ²[संघ राज्यक्षेत्रों] के सम्बन्ध में, जिनसे वे भाग क्रमशः सम्बद्ध हैं, वहाँ तक, जहाँ तक कि उनके उन सदस्यों का सम्बन्ध है जो उन परिश्रेतों के निवासी हैं जो उस अनुसूची में उन भागों में क्रमशः उनके सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट हैं, अनुसूचित जनजातियाँ समझे जाएंगे।

³[3. इस आदेश में अनुसूची के भाग 1 में संघ राज्यक्षेत्र के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि यह 1 नवम्बर, 1956 को संघ राज्यक्षेत्र के रूप में गठित किसी राज्यक्षेत्र के प्रति निर्देश है, ⁴[और अनुसूची के भाग 2 में किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 की धारा 2 के खण्ड (ख) के अधीन नियत दिन से संघ राज्यक्षेत्र के रूप में गठित राज्यक्षेत्र के प्रति निर्देश है]।

²[अनुसूची]

b*	*	*	*	*	*
6*	*	*	*	*	*

⁷[भाग 1—सकन्द्रीप]

समस्त संघ राज्यक्षेत्र में—

सककादीव, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीप के वे निवासी जो भीर जिनके माता-पिता दोनों ही, उन द्वीपों में जन्में हैं।

⁴[भाग 2—दमण और दीव]

संपूर्ण संघ राज्यक्षेत्र में :—

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. ढोढिया | 4. सिद्दी (नायका) |
| 2. दुधना (हल्पतो) | 5. धरसी।] |
| 3. नायकडा (तलाविया) | |

1. विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० वि० आ० 1427 ख, तारीख 20 सितम्बर, 1951, भारत के राजपत्र, असाधारण, 1951, भाग 2, खण्ड 3, पृष्ठ 1198 की पर प्रकाशित।
2. अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ सूचियाँ (उपान्तरण) आदेश, 1956 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. 1987 के अधिनियम सं० 18 की धारा 19 और दूसरी अनुसूची द्वारा (30-5-1987 से) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. 1987 के अधिनियम सं० 18 की धारा 19 और दूसरी अनुसूची द्वारा (30-5-1987 से) अंतःस्थापित।
5. 1970 के अधिनियम सं० 53 की धारा 20 और तृतीय अनुसूची द्वारा हिमाचल प्रदेश की वास्तव प्रविष्टि का (21-1-1971 से) सौंप किया गया।
6. 1971 के अधिनियम सं० 81 की धारा 26(2) और पांचवीं अनुसूची द्वारा मणिपुर और त्रिपुरा की वास्तव क्रमशः भाग 2 और भाग 3 का (21-1-1972 से) सौंप किया गया।
7. सकन्द्रीप, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीप समूह (नाम परिवर्तन) विधि अनुसूचन आदेश, 1974 द्वारा "भाग 1—सकन्द्रीप, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीप समूह" के स्थान पर (1-11-1973 से) प्रतिस्थापित।

THE CONSTITUTION (ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS)
SCHEDULED TRIBES ORDER, 1959
(C.O. 58)

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 342 of the Constitution of India, the President is pleased to make the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959.

2. The tribes or tribal communities, or parts of, or groups within, tribes or tribal communities, specified in the Schedule to this Order, shall, for the purpose of the Constitution, be deemed to be Scheduled Tribes in relation to the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands so far as regards members thereof resident in that Union territory].

THE SCHEDULE

- | | |
|---|----------------|
| 1. Andamanese, Chariar, Chari, Kora,
Tabo, Bo, Yere, Kede, Bea, Balawa,
Bojigiyab, Juwai, Kol | 4. Onges |
| 2. Jarawas | 5. Sentinelese |
| 3. Nicobarese | 6. Shom Pens.] |

1. Published with the Ministry of Law Notifn. No. G.S.R. 405, dated the 31st March, 1959, Gazette of India, Extraordinary, 1959, Part II, Section 3(i), page 151.

2. Subs. by Act 108 of 1976, s. 4, Second Sch., Chapter II, for certain words (w.e.f. 27-7-1977).

3. Subs. by s. 4, Second Sch., Chapter II, *ibid.*, for the Schedule (w.e.f. 27-7-1977).

संविधान (अण्डमान और निकोबार द्वीप) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1959

(सं० आ० 58)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने अपने प्रकाश में निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात् :—

1. यह आदेश संविधान (अण्डमान और निकोबार द्वीप) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1959 कहा जा सकेगा।

2. वे जनजातियां या जनजाति समुदाय, या जनजातियों या जनजाति समुदायों के भाग या उनमें के यूथ जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, अण्डमान और निकोबार द्वीपों के संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में संविधान के प्रयोजनों के लिए वहां तक जहां तक कि उनके उन सदस्यों का सम्बन्ध है ²[संघ राज्यक्षेत्र में निवासी] हैं, अनुसूचित जनजातियां समझे जाएंगे।

³अनुसूची

- | | |
|---|---------------|
| 1. अण्डमान निवासी, चारियर, चारी, कोरा, टाबो, बो, येरे,
केडा, बीया, बालाबा, बोजिगियाब, जुवाई, कोल | 4. अंगे |
| 2. जरावा | 5. सेंटिनेली |
| 3. निकोबार निवासी | 6. शोम पेन ।] |

1. विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 405, तारीख 31 मार्च, 1959, भारत के राजपत्र, असाधारण, 1959, भाग 2, खण्ड 3(i), पृष्ठ 151 पर प्रकाशित।

2. 1976 के अधिनियम सं० 108 की धारा 4, द्वितीय अनुसूची, अध्याय 2 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर (27-7-1977 से) प्रतिस्थापित।

3. पूर्वोक्त की धारा 4, द्वितीय अनुसूची, अध्याय 2 द्वारा अनुसूची के स्थान पर (27-7-1977 से) प्रतिस्थापित।

**THE CONSTITUTION (DADRA AND NAGAR HAVELI) SCHEDULED TRIBES
ORDER, 1962
(C.O. 65)**

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 342 of the Constitution of India, the President is pleased to make the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962.

2. The tribes or tribal communities, or parts of, or groups within, tribes or tribal communities, specified in the Schedule to this Order, shall, for the purposes of the Constitution, be deemed to be Scheduled Tribes in relation to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli so far as regards members thereof resident in that Union territory.

THE SCHEDULE

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. Dhodia | 5. Koli Dhor including Kolgha |
| 2. Dubla including Halpati | 6. Naikda or Nayaka |
| 3. Kathodi | 7. Varli. |
| 4. Kokna | |

1. Published with the Ministry of Law Notifn. No. G.S.R. 891, dated the 30th June, 1962, Gazette of India, Extraordinary, 1962, Part II, Section 3(i), page 389.

संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1962

(सं० प्रा० 65)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने अपने प्रसाद से निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात् :—

1. यह आदेश संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1962 कहा जा सकेगा ।

2. वे जनजातियां या जनजाति समुदाय या जनजातियों या जनजाति समुदायों के भाग या उनमें के वृष जो इन आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, संविधान के प्रयोजनों के लिए दादरा और नागर हवेली के संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में वहां तक कि उनके उन सदस्यों का संबंध है जो उस संघ राज्यक्षेत्र में निवासी हैं, अनुसूचित जनजातियां समझे जाएंगे ।

अनुसूची

1. घोडिया
2. दुबला जिनके अन्तर्गत हत्तपनि आते हैं
3. कायोडी
4. कोकना
5. कोली दोर जिनके अन्तर्गत कोलधा आते हैं
6. नायकडा या नायक
7. बरली ।

1. विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 891, तारीख 30 जन. 1962, भारत के राजपत्र, असाधारण, 1962, भाग 2, खंड 3(i), पृष्ठ 389 में प्रकाशित ।

'THE CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) (UTTAR PRADESH) ORDER, 1967
(C.O. 78)

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 342 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Governor of the State of Uttar Pradesh, is pleased to make the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967.

2. The tribes or tribal communities, or parts of, or groups within, tribes or tribal communities, specified in the Schedule to this Order, shall, for the purposes of the Constitution of India, be deemed to be Scheduled Tribes in relation to the State of Uttar Pradesh so far as regards members thereof resident in that State.

THE SCHEDULE

- | | |
|------------|-----------|
| 1. Bhotia | 4. Raji |
| 2. Buksa | 5. Tharu. |
| 3. Jansari | |

संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967

(सं. प्रा. 78)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात्, अपने प्रसाद से निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात् :—

1. यह आदेश संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 कहा जा सकेगा।
2. वे जनजातियाँ या जनजाति समुदाय, या जनजातियों या जनजाति समुदायों के भाग या उनमें के यूप, जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं भारत के संविधान के प्रयोजनों के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में वहाँ तक जहाँ तक कि उनके सदस्यों का सम्बन्ध है जो उस राज्य में निवासी हैं, अनुसूचित जनजातियाँ समझे जाएंगे।

अनुसूची

1. भोटिया
2. बुक्सा
3. जौनसरी
4. राजी
5. थारू।

1. विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 960, ता.दि. 24 जून, 1967, भारत के राजपत्र, असाधारण, 1967, भाग 2, खंड 3(i), पृष्ठ 311 में प्रकाशित।

THE CONSTITUTION (NAGALAND) SCHEDULED TRIBES ORDER, 1970

(C.O. 88)

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 342 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Governor of the State of Nagaland, is pleased to make the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.

2. The tribes or tribal communities, or parts of, or groups within, tribes or tribal communities, specified in the Schedule to this Order, shall, for the purposes of the Constitution, be deemed to be Scheduled Tribes in relation to the State of Nagaland so far as regards members thereof resident in that State.

THE SCHEDULE

- | | |
|------------|----------|
| 1. Naga | 4. Mikir |
| 2. Kuki | 5. Garo. |
| 3. Kachari | |

संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1970

(सं० सा० 88)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने नागालैंड राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात्, अपने प्रसाद में निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात् :—

1. यह आदेश संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1970 कहा जा सकेगा।
2. वे जनजातियां या जनजाति समुदाय, या जनजातियां या जनजाति समुदायों के भाग या उनमें के यूथ, जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, संविधान के प्रयोजनों के लिए, नागालैंड राज्य के संबंध में, वहां तक, जहां तक कि उसके उन सदस्यों का संबंध है जो उस राज्य में निवासी हैं, अनुसूचित जनजातियां समझे जाएंगे।

अनुसूची

1. नागा
2. कुकी
3. कछारी
4. मिकिर
5. गारो।

1. विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 1099, तारीख 23 जुलाई, 1970 भारत के राजपत्र, असाधारण, 1970. भाग 2, खण्ड 3(i), पृष्ठ 641 में प्रकाशित।

'THE CONSTITUTION (SIKKIM) SCHEDULED TRIBES ORDER, 1978

(C.O. 111)

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 342 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Governor of the State of Sikkim, is pleased to make the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978.

2. The tribes or tribal communities, or parts of, or groups within, tribes or tribal communities, specified in the Schedule to this Order, shall, for the purposes of the Constitution, be deemed to be Scheduled Tribes in relation to the State of Sikkim so far as regards members thereof resident in that State.

THE SCHEDULE

1. Bhutia (including Chumbipa, Dophapa, Dukpa, Kagatey, Sherpa, Tibetan, Tromopa, Yolmo)

2. Lepcha.

1 Published with the Ministry of Law, Justice and Company Affairs Notifn. No G.S.R. 995(E), dated the 22nd June, 1978, Gazette of India, Extraordinary 1978, Part II, Section 3(i), page 546.

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
(सं० प्रा० 111)

राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिक्किम राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का नाम संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978 है।
2. इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट जनजातियाँ या जनजातीय समुदायों या जनजातियाँ या जनजातीय समुदायों के लोगों या समूहों को संविधान के प्रयोजनों के लिए, सिक्किम राज्य के संबंध में, जहां तक उस राज्य में निवासी उनके सदस्यों का संबंध है, अनुसूचित जनजाति समझा जाएगा।

अनुसूची

1. भूटिया (चुम्बिया, दोपयाया, हुकपा, कगाते शेखा, तिन्बितन, ट्रोमोपा, योलमो सहित)
2. सेपपा

1. विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय की अधिवृत्त सं० सा० का० नि० 335(अ), तारीख 22 जून, 1978, भारत के राजपत्र, असाधारण, 1978, भाग 2, खण्ड 3(i), पृष्ठ 546 में प्रकाशित।

THE CONSTITUTION (JAMMU AND KASHMIR)

SCHEDULED TRIBES ORDER 1989

(C. O. 142)

In exercise of the powers conferred by clause (I) of article 342 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Government of the State of Jammu and Kashmir, is pleased to make the following Order, namely: —

1. This Order may be called the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989.

2. The tribes or tribal communities, or parts of, or groups within, tribes or tribal communities, specified in the Schedule to this Order shall, for the purposes of the Constitution, be deemed to be Scheduled Tribes in relation to the State of Jammu and Kashmir so far as regards members thereof resident in that State.

THE SCHEDULE

1. Balti
2. Beda
3. Bot, Boto
4. Brokpa, Drokpa, Dard, Shin
5. Changpa
6. Garra
7. Mon
8. Purigpa
- ¹9. Gujjar
10. Bakarwal]
- ²11. Gaddi
12. Sippi]

1. Ins. by the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Act, 1991 (36 of 1991), s. 2(a) (w.e.f. 19-4-1991).
2. Ins. by *ibid.*, s. 2(b) (w.e.f. 20-8-1991).

संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1989

(सं० आ० 142)

राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू-कश्मीर राज्य के राज्यपाल से परमर्श करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात्:—


1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1989 है।

2. इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट जनजाति या जनजातियों समुदायों अथवा जनजातियों या जनजाति समुदायों के भूगोल या उनमें के यूथों को, संविधान के प्रयोजनों के लिए, जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में, जहां कि उनके उन सदस्यों का संबंध है जो उस राज्य के निवासी हैं, अनुसूचित जनजातियां समझा जाएगा।

अनुसूची

1. बाल्टी
2. बेडा
3. बोट, बोटे
4. बोकपा, झोकपा, दर्द, शिन
5. चंगपा
6. गरु
7. मोन
8. पुरिगपा
- 1⁹. गूजर
10. बकरवाल]
- 2¹¹. गड़दी
12. सिप्पी]

1. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991 (1991 का 36) की धारा 2(क) द्वारा (19-4-1991 से) अंतःस्थापित।
2. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991 (1991 का 36) की धारा 2(ख) द्वारा (20-8-1991 से) अंतःस्थापित।



भाग 4

निरहताओं को हटाने संबंधी विधि

PART IV

Law relating to removal of disqualification

PART-IV

LAW RELATING TO REMOVAL OF DISQUALIFICATION THE PARLIAMENT (PREVENTION OF DISQUALIFICATION) ACT, 1959

(10 OF 1959)

[4th April, 1959]

An Act to declare that certain offices of profit under the Government shall not disqualify the holders thereof for being chosen as, or for being, members of Parliament.

BE it enacted by Parliament in the Tenth Year of the Republic of India as follows :—

1. **Short title**—This Act may be called the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959.

2. **Definitions**.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) “compensatory allowance” means any sum of money payable to the holder of an office by way of daily allowance [such allowance not exceeding the amount of daily allowance to which a member of Parliament is entitled under the Salaries and Allowances of Members of Parliament Act, 1954 (30 of 1954)], any conveyance allowance, house rent allowance or travelling allowance for the purpose of enabling him to recoup any expenditure incurred by him in performing the functions, of that office;

(b) “statutory body” means any corporation, committee, commission, council, board or other body of persons, whether incorporated or not, established by or under any law for the time being in force;

(c) “non-statutory body” means any body of persons other than a statutory body.

3. **Certain offices of profit not to disqualify**.—It is hereby declared that none of the following offices in so far as it is an office of profit under the Government of India or the Government of any State, shall disqualify the holder thereof for being chosen as, or for being, a member of Parliament, namely:—

(a) any office held by a Minister, Minister of State or Deputy Minister for the Union or for any State, whether *ex officio* or by name;

[(aa) the office of a Leader of the Opposition in Parliament;]

(b) the office of Chief Whip, Deputy Chief Whip or Whip in Parliament or of a Parliamentary Secretary;

(c) the office of member of any force raised or maintained under the National Cadet Corps Act, 1948 (31 of 1948), the Territorial Army Act, 1948 (56 of 1948), or the Reserve and Auxiliary Air Forces Act, 1952 (62 of 1952);

(d) the office of a member of a Home Guard constituted under any law for the time being in force in any State;

(e) the office of sheriff in the city of Bombay, Calcutta or Madras;

(f) the office of chairman or member of the syndicate, senate, executive committee, council or court of a university or any other body connected with a university;

(g) the office of a member of any delegation or mission sent outside India by the Government for any special purpose;

1. Ins. by Act 33 of 1977, s. 12 (w.e.f. 1-11-1977).

निरहताओं को हटाने सम्बन्धी विधि

संसद् (निरहता निवारण) अधिनियम, 1959

(1959 का अधिनियम संख्यांक 10)

[4 अप्रैल, 1959]

यह घोषित करने के लिए कि सरकार के अधीन के कतिपय लाभ के पद उनके धारकों को संसद् सदस्य चुने जाने या संसद् सदस्य होने या रहने के लिए निरहृत न करेंगे
अधिनियम

भारत गणराज्य के दसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम—यह अधिनियम संसद् (निरहता निवारण) अधिनियम, 1959 कहा जा सकेगा ।
2. परिभाषाएँ—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "प्रतिकरात्मक भत्ता" से धन की वह राशि अभिप्रेत है जो किसी पद के धारक को, उस पद के कृत्यों के पालन में उसके द्वारा उपगत किसी व्यय की प्रतिपूर्ति करने के लिए उन्हे समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए दैनिक भत्ते [जो भत्ता उस दैनिक भत्ते की रकम से अधिक न होगा जिसके लिए कोई संसद् सदस्य, सैलेरीज एण्ड अलाउन्समेंट्स आफ मैम्बर्स आफ पार्लियामेंट ऐक्ट, 1954 (1954 का 30) के अधीन हकवार है], किसी प्रवहण भत्ते, गृह भाटक भत्त या यात्रा भत्ते के रूप में संदेय है;

(ख) "कानूनी निकाय" से किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के द्वारा या अधीन स्थापित कोई निगम, समिति, आयोग, परिषद्, बोर्ड या व्यक्तियों का अन्य निकाय अभिप्रेत है, चाहे वह नियमित हो या न हो;

(ग) "अकानूनी निकाय" ऐसे व्यक्तियों का कोई ऐसा निकाय अभिप्रेत है जो कानूनी निकाय से भिन्न हो ।

3. कतिपय लाभ के पद निरहृत न करेंगे—एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित पदों में से कोई भी पद, उसके धारक को संसद् सदस्य चुने जाने या संसद् सदस्य होने या रहने के लिए वहां तक निरहृत न करेगा जहां तक कि वह भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद है, अर्थात् :—

(क) संघ के या किसी राज्य के मंत्री, राज्य मंत्री या उपमंत्री द्वारा, चाहे पदेन या नाम से, धृत कोई पद; 1[(कक) संसद् में विपक्षी नेता का पद;]

(ख) संसद् में मुख्य सचिव, उपमुख्य सचिव या सचिव का पद या संसदीय सचिव का पद;

(ग) राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 (1948 का 31), टैरीटोरियल आर्मी ऐक्ट, 1948 (1948 का 56) या रिजर्व एण्ड आग्निजरी एयर फोर्स ऐक्ट, 1952 (1952 का 62) के अधीन समुत्थापित या बनाए रखे गए किसी बल के सदस्य का पद;

(घ) किसी राज्य में किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन गठित होमगार्ड के सदस्य का पद;

(ङ) मुम्बई, कलकत्ता या मद्रास के नगर में शेरिफ का पद;

(च) विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से संसक्त किसी अन्य निकाय की मिडीकेट, मिनेट, कार्यपालिका समिति, परिषद या कोर्ट के अध्यक्ष या सदस्य का पद;

(छ) सरकार द्वारा किसी विशेष प्रयोजन के लिए भारत के बाहर भेजे गए किसी प्रत्यायोग या मिशन के सदस्य पद;

1. 1977 के अधिनियम सं० 33 की धारा 1(1) द्वारा (1-11-1977 से) अन्तःस्थापित ।

Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959
(PART III.—Law Relating to Removal of Disqualification)

(h) the office of chairman or member of a committee (whether consisting of one or more members), set up temporarily for the purpose of advising the Government or any other authority in respect of any matter of public importance or for the purpose of making an inquiry into, or collecting statistics in respect of, any such matter, if the holder of such office is not entitled to any remuneration other than compensatory allowance;

(i) the office of chairman, director or member of any statutory or non-statutory body other than any such body as is referred to in clause (h), if the holder of such office is not entitled to any remuneration other than compensatory allowance, but excluding (i) the office of chairman of any statutory or non-statutory body specified in Part I of the Schedule, ¹, (ii) the office of chairman or secretary of any statutory or non-statutory body specified in Part II of the Schedule and (iii) the office of deputy chairman of the non-statutory body specified in Part III of the Schedule;

(j) the office of village revenue officer, whether called a lambardar, malguzar, patel, deshमुख or by any other name, whose duty is to collect land revenue and who is remunerated by a share of, or commission on, the amount of land revenue collected by him, but who does not discharge any police functions.

²[Explanation 1].—For the purposes of this section, the office of chairman or secretary shall include every office of that description by whatever name called.

³[Explanation 2.—In clause (aa), the expression “Leader of the Opposition” shall have the meaning assigned to it in the Salary and Allowances of Leaders of Opposition in Parliament Act, 1977 (33 of 1977).]

4. **Temporary suspension of disqualification in certain cases**—If a person being a member of Parliament who immediately before the commencement of this Act held an office of profit declared by any law repealed by this Act not to disqualify the holder thereof for being such member, becomes so disqualified by reason of any of the provisions contained in this Act, such office shall not, if held by such person for any period not extending beyond a period of six months from the commencement of this Act disqualify him for being a member of Parliament.

5. **Repeals**—The Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1950 (19 of 1950), the Parliament Prevention of Disqualification Act, 1951 (68 of 1951), the Prevention of Disqualification Act, 1953 (1 of 1954), and any provision in any other enactment which is inconsistent with this Act are hereby repealed.

THE SCHEDULE

[See section 3(i)]

PART I

BODIES UNDER THE CENTRAL GOVERNMENT

Air-India International Corporation established under section 3 of the Air Corporations Act, 1953 (27 of 1953).

Air Transport Council constituted under section 30 of the Air Corporations Act, 1953 (27 of 1953).

Board of Directors of the Export Risks Insurance Corporation ** Limited.**

Board of Directors of the Heavy Electricals ** Limited.**

Board of Directors of the Hindustan Cables ** Limited.**

Board of Directors of the Hindustan Insecticides ** Limited.**

Board of Directors of the Hindustan Machine Tools ** Limited.**

Board of Directors of the Hindustan Shipyard Limited.

1. Subs. by Act 20 of 1992, s. 2 for certain words and letters.

2. Explanation numbered as Explanation 1 thereof by Act 33 of 1977, s. 12 (w.e.f. 1-11-1977).

3. Ins. by s. 12, *ibid.* (w.e.f. 1-11-1977).

4. The brackets and word “(Private)” omitted by Act 58 of 1960, s. 3 and the Second Schedule.

(ज) लोक महसुब के किसी मामले के बारे में सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी को सलाह देने के प्रयोजन के लिए या ऐसे किसी मामले को जांच करने या उसके बारे में मांड्यिकां संगृहीत करने के प्रयोजन के लिए अस्थायी रूप से बनाई गई (चाहे एक या अधिक सदस्यों से मिलकर बनी) समिति के अध्यक्ष या सचिव का पद, यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकरारमक भत्ते से भिन्न किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं है;

(घ) किसी ऐसे निकाय से, जैसा कि खंड (ज) में निर्दिष्ट है, भिन्न किसी कानूनी या अकानूनी निकाय के अध्यक्ष, निवेशक या सदस्य का पद, यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकरारमक भत्ते से भिन्न किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं है, किन्तु (i) अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट किसी कानूनी या अकानूनी निकाय के अध्यक्ष का पद, (ii) अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट किसी कानूनी या अकानूनी निकाय के अध्यक्ष या सचिव का पद और (iii) अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट अकानूनी निकाय के उपाध्यक्ष का पद।

(ञ) चाहे नंबरदार, मालगुजार, पटेल, देशमुख या किसी अन्य नाम से कहे जाने वाले ऐसे ग्राम राजस्व प्राधिकार का पद जिसका कर्तव्य भू-राजस्व संगृहीत करना है और जिसको पारिश्रमिक उसके द्वारा संगृहीत भू-राजस्व की रकम के अंश या उस पर कमीशन द्वारा मिलता है, किन्तु जो दिव्हीं मुलिनम कुर्यों का निर्वाहन नहीं करता।

2[स्पष्टीकरण 1]—इस धारा के प्रयोजनों के लिए अध्यक्ष या सचिव के पद के अन्तर्गत उस प्रकार की हर पद प्राणा चाहे वह किसी भी नाम से कहा जाए।

3[स्पष्टीकरण 2—खंड (कक) में "विपक्षी नेता" पद का वही अर्थ होगा जो उसका संगद् में विपक्षी नेता वेत्तन और भत्ता अधिनियम, 1977 (1977 का 33) में है।]

4. कतिपय वशाओं में निरर्हता का अस्थायी निरन्धन—यदि संसद् सदस्य होते हुए कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से अख्यवहित पूर्व ऐसा लाभ का पद धारण करता था जिसे इस अधिनियम द्वारा निरमित किसी विधि द्वारा ऐसा सदस्य होने के लिए उसके धारक को निरर्हित न करने वाला घोषित किया गया था, इस अधिनियम में अन्तर्निष्ठ उपबन्धों में से किसी के कारण ऐसे निरर्हित हो जाता है तो ऐसा पद उसको संसद् सदस्य रहने के लिए निरर्हित न करेगा यदि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ से छह मास की कालावधि से प्रागे विस्तृत न होने वाली किसी कालावधि के लिए धृत है।

5. निरसन—पालियामेंट (प्रीवेशन आफ डिसक्वालिफिकेशन) ऐक्ट, 1950 (1950 का 19), पालियामेंट (प्रीवेशन आफ डिसक्वालिफिकेशन ऐक्ट, 1951 (1951 का 68), प्रीवेशन आफ डिसक्वालिफिकेशन ऐक्ट, 1953 (1954 का 1) और किसी अन्य अधिनियमिति में का कोई उपबन्ध, जो इस अधिनियम से असंगत है, एतद्द्वारा निरमित किए जाते हैं।

अनुसूची

[धारा 3(म) देखिए]

भाग 1

केन्द्रीय सरकार के अधीन निकाय

वायु निगम अधिनियम, 1953 (1953 का 27) की धारा 3 के अधीन स्थापित एयर इंडिया इंटरनेशनल कारपोरेशन।

वायु निगम अधिनियम, 1953 (1953 का 27) की धारा 30 के अधीन गठित एयर ट्रांसपोर्ट काउंसिल।

एक्सपोर्ट रिस्क इश्योर्स कारपोरेशन **** लिमिटेड का निदेशक बोर्ड।

हैवी इलेक्ट्रिकल्स **** लिमिटेड का निदेशक बोर्ड।

हिन्दुस्तान केवल्स **** लिमिटेड का निदेशक बोर्ड।

हिन्दुस्तान इसेक्ट्रीशाल्स **** लिमिटेड का निदेशक बोर्ड।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स **** लिमिटेड का निदेशक बोर्ड।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का निदेशक बोर्ड।

1. 1992 के अधिनियम सं० 20 की धारा 2 द्वारा कुछ शब्दों और अक्षरों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. 1977 के अधिनियम सं० 33 की धारा 12 द्वारा स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में (1-11-1977 से) संख्यांकित किया गया।

3. पूर्वोक्त की धारा 12 द्वारा (1-11-1977 से) अन्न: स्थापित।

4. 1960 के अधिनियम सं० 59 की धारा 3 और द्वितीय अनुसूची द्वारा "(प्राइवेट)" शब्द और कोष्ठकों का जोप किया गया।

Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959
(PART IV —Law Relating to Removal of Disqualification)

Board of Directors of the ¹[Hindustan Chemicals and Fertilizers Limited].
 Board of Directors of the National Coal Development Corporation (Private) Limited.
 Board of Directors of the National ²[Industrial] Development Corporation ^{3***} Limited.
 Board of Directors of the National Instruments ^{3/7 ***} Limited.
 Board of Directors of the National Small Industries Corporation ^{3***} Limited.
 Board of Directors of the Neyveli Lignite Corporation (Private) Limited.
 Board of Directors of the Sindri Fertilizers and Chemicals ^{3***} Limited.
 Board of Directors of the State Trading Corporation of India ^{3***} Limited.

Central Warehousing Corporation established under section 17 of the Agricultural Produce (Development and Warehousing) Corporations Act, 1956 (28 of 1956).

Coal Board established under section 4 of the Coal Mines (Conservation and Safety) Act, 1952 (12 of 1952).

Coal Mines Labour Housing Board constituted under section 6 of the Coal Mines Labour Welfare Fund Act, 1947 (32 of 1947).

Commissioners for the Port of Calcutta.

Committee for the allotment of land in the township of Gandhidham.

Company Law Advisory Commission constituted under section 410 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956).

Cotton Textiles Fund Committee constituted under the Textile Funds Ordinance, 1944 (Ord. 34 of 1944).

Dock Labour Board, Bombay, established under the Bombay Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1956, made under the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948).

Dock Labour Board, Calcutta, established under the Calcutta Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1956, made under the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948).

Dock Labour Board, Madras, established under the Madras Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1956, made under the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948).

Forward Markets Commission established under section 3 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952).

Indian Airlines Corporation established under section 3 of the Air Corporations Act, 1953 (27 of 1953).

Industrial Finance Corporation of India established under section 3 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 (15 of 1948).

Licensing Committee constituted under rule 10 of the Registration and Licensing of Industrial Undertakings Rules, 1952, made under the Industries (Development and Regulation) Act.

Mining Boards constituted under section 12 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952).

1. Subs. by Act 58 of 1960, s. 3 and the Second Schedule, for "Nangal Fertilizers and Chemicals (Private) Limited"

2. Ins. by s. 3 and the Second Schedule, *ibid.*

3. The brackets and word "(Private)" omitted by s. 9, and the Second Schedule; *ibid.*

(भाग 4—निरर्हताओं को हटाने संबंधी विधि)

- 1 [हिन्दुस्तान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड] का निदेशक बोर्ड ।
 नेशनल कोल डेवलपमेंट कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड का निदेशक बोर्ड ।
 नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का निदेशक बोर्ड ।
 नेशनल इस्ट्रूमेंट्स 3*** लिमिटेड का निदेशक बोर्ड ।
 नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन 3*** लिमिटेड का निदेशक बोर्ड ।
 नेचुरेल लिग्नाइट कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड का निदेशक बोर्ड ।
 सिन्धी फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स 3*** लिमिटेड का निदेशक बोर्ड ।
 स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया 3*** लिमिटेड का निदेशक बोर्ड ।

एच.एल.एस प्रोड्यूस (डेवलपमेंट एंड वेयरहाउसिंग) कारपोरेशन ऐक्ट, 1956 (1956 का 28) की धारा 17 के अधीन स्थापित सेंट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन ।

कोल माइंस (कंजरवेशन एंड सेफ्टी) ऐक्ट, 1952 (1952 का 12) की धारा 4 के अधीन स्थापित कोल बोर्ड ।

कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1947 (1947 का 32) की धारा 6 के अधीन गठित कोल माइंस लेबर हाउसिंग बोर्ड ।

कलकत्ते के पत्तन के कामगार ।

गंगोघाम नगर में भूमि के ग्राबंटन के लिए समिति ।

कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 410 के अधीन गठित कंपनी ला एडवाइजरी कमीशन ।

टेक्सटाइल फंड्स आर्डिनेंस, 1944 (1944 का 34) के अधीन गठित काटन टेक्सटाइल फंड कमेटी ।

डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) के अधीन बनाई गई वाम्बे डाक वर्कर्स (रेगुलेशन आफ एम्प्लायमेंट) स्कीम, 1956 के अधीन स्थापित डाक लेबर बोर्ड, वाम्बे ।

डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) के अधीन बनाई गई कलकत्ता डाक वर्कर्स (रेगुलेशन आफ एम्प्लायमेंट) स्कीम, 1956 के अधीन स्थापित डाक लेबर बोर्ड, कलकत्ता ।

डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) के अधीन बनाई गई मद्रास डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1956 के अधीन स्थापित डाक लेबर बोर्ड, मद्रास ।

फारवर्ड कांटेक्ट्स (रेगुलेशन) ऐक्ट, 1952 (1952 का 74) की धारा 3 के अधीन स्थापित फारवर्ड मार्केट्स कमीशन ।

यायु निगम अधिनियम, 1953 (1953 का 27) की धारा 3 के अधीन स्थापित इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन ।

औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 15) की धारा 3 के अधीन स्थापित इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन आफ इंडिया ।

इंडस्ट्रीज (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) ऐक्ट, 1951 (1951 का 65) के अधीन बनाए गए रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग आफ इंडस्ट्रियल अडरटैकिंग्स रूल्स, 1952 के नियम 10 के अधीन गठित लाइसेंसिंग कमेटी ।

खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 12 के अधीन गठित माइनिंग बोर्ड ।

1. 1960 के अधिनियम सं० 58 की धारा 3 और द्वितीय अनुसूची द्वारा "नंगल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. पूर्वोक्त की धारा 3 और द्वितीय अनुसूची द्वारा अन्तःस्थापित ।
3. पूर्वोक्त की धारा 3 और द्वितीय अनुसूची द्वारा "(प्राइवेट)" शब्द और कोष्ठकों का लोप किया गया ।

Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959
(PART III.—Law Relating to Removal of Disqualification)

National Co-operative Development and Warehousing Board established under section 3 of the Agricultural Produce (Development and Warehousing) Corporations Act, 1956 (28 of 1956).

Rehabilitation Finance Administration constituted under section 3 of the Rehabilitation Finance Administration Act, 1948 (12 of 1948).

Tariff Commission established under section 3 of the Tariff Commission Act, 1951 (50 of 1951).

Trustees of the Port of Bombay.

Trustees of the Port of Madras.

Trustees or Commissioners of any major port as defined in the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), other than the Port of Calcutta, Bombay or Madras.

BODIES UNDER STATE GOVERNMENTS

Andhra Pradesh

Agricultural Improvement Fund Committee constituted under section 3 of the Hyderabad Agricultural Improvement Act, 1952.

Co-operative Agricultural and Marketing Development Fund Committee.

Livestock Purchasing Committee.

Assam

Adhi Conciliation Boards constituted under section 2A of the Assam Adhiars Protection and Regulation Act, 1948.

Assam Evacuee Property Management Committee constituted under section 12 of the Assam Evacuee Property Act, 1951.

Assam Text Book Committee.

Bihar

Mining Board for Coal Mines.

Text Book and Education Literature Committee.

Bombay

Allocation Committee (Allopathic) under the Employees' State Insurance Scheme.

Allocation Committee (Ayurvedic) under the Employees' State Insurance Scheme.

Board to conduct over-all supervision of the business and affairs of the *Narsingiriji Mills*, Sholapur.

Bombay Housing Board constituted under section 3 of the Bombay Housing Board Act, 1948.

Bombay State Electricity Board constituted under section 5 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (54 of 1948).

Bombay State Electricity Consultative Council constituted under section 16 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (54 of 1948).

Medical Service Committee under the Employees' State Insurance Scheme.

Pharmaceutical Committee under the Employees' State Insurance Scheme.

Regional Transport Authority for Ahmedabad, Aurangabad, Bombay, Nagpur, Poona, Rajkot and Thana constituted under section 44 of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939).

Saurashtra Housing Board constituted under section 3 of the Saurashtra Housing Board Act, 1954.

State Transport Authority constituted under section 44 of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939).

Vidarbha Housing Board constituted under section 3 of the Madhya Pradesh Housing Act, 1950.

Kerala

Board of Examiners appointed under rule 8 of the Travancore-Cochin Boiler Attendants Rules, 1954.

Panel of Assessors constituted under rule 63 of the Travancore-Cochin Boiler Attendants Rules, 1954.

Panel of Assessors constituted under the Travancore-Cochin Economiser Rules, 1956.

एग्रिकल्चरल प्रोड्यूस (डेवलपमेंट एंड वेयरहाउसिंग) कार्पोरेशन ऐक्ट, 1956 (1956 का 28) की धारा 3 के अधीन स्थापित नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट एंड वेयरहाउसिंग बोर्ड ।

रिहैबिलिटेशन फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1948 (1948 का 12) की धारा 3 के अधीन गठित रिहैबिलिटेशन फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन ।

टीरिफ कमीशन ऐक्ट, 1951 (1951 का 50) की धारा 3 के अधीन स्थापित टीरिफ कमीशन ।

बाम्बे के पत्तन के ट्रस्टीज ।

मद्रास के पत्तन के ट्रस्टीज ।

कलकत्ता, मुम्बई या मद्रास पत्तन से भिन्न, इंडियन पोर्ट्स ऐक्ट, 1908 (1908 का 15) में यथापरिभाषित किसी महापत्तन के ट्रस्टीज या कमीशनर ।

राज्य सरकारों के अधीन निकाय

आंध्र प्रदेश

हैदराबाद एग्रिकल्चरल इंप्रूवमेंट ऐक्ट, 1952 की धारा 3 के अधीन गठित एग्रिकल्चरल इंप्रूवमेंट फंड कमेटी ।
को-ऑपरेटिव एग्रिकल्चरल एंड मार्केटिंग डेवलपमेंट फंड कमेटी ।

लाइव स्टॉक परचेजिंग कमेटी ।

आसाम

आसाम अध्यायस प्रोटेक्शन एण्ड रेगुलेशन ऐक्ट, 1948 की धारा 2क के अधीन गठित अधिकांशसिलियेशन बोर्ड्स ।

आसाम इवैकुई प्रापर्टी ऐक्ट, 1951 की धारा 12 के अधीन गठित आसाम इवैकुई प्रापर्टी मॅनेजमेंट कमेटी ।

आसाम टेक्स्ट बुक कमेटी ।

बिहार

माइनिंग बोर्ड फार कोल माइंस ।

टेक्स्ट बुक एंड एजुकेशनल लिटरेचर कमेटी ।

मुम्बई

एम्प्लॉईज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के अधीन एलोकेशन कमेटी (एलोकेशन) ।

एम्प्लॉईज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के अधीन एलोकेशन कमेटी (आयुर्वेदिक) ।

नरसिंगगिरिजी मिल्स, शोलापुर के कारवार और कामकाज के सर्वोपरि पर्यवेक्षण के संचालन के लिए बोर्ड ।

बाम्बे हाउसिंग बोर्ड ऐक्ट, 1948 की धारा 3 के अधीन गठित बाम्बे हाउसिंग बोर्ड ।

इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाय) ऐक्ट, 1948 (1948 का 54) की धारा 5 के अधीन गठित बाम्बे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ।

इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाय) ऐक्ट, 1948 (1948 का 54) की धारा 16 के अधीन गठित बाम्बे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कन्सल्टेटिव काउंसिल ।

एम्प्लॉईज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के अधीन मेडिकल सर्विस कमेटी ।

एम्प्लॉईज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के अधीन फार्मैस्यूटिकल कमेटी ।

मोटर वेहिकल ऐक्ट, 1939 (1939 का 4) की धारा 44 के अधीन गठित अहमदाबाद, अरंगाबाद, मुम्बई, नागपुर, पुणे, राजकोट और थाणा के लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ।

सौराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड ऐक्ट, 1954 की धारा 3 के अधीन गठित सौराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड ।

मोटर वेहिकल ऐक्ट, 1939 (1939 का 4) की धारा 44 के अधीन गठित स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ।

मध्य प्रदेश हाउसिंग ऐक्ट, 1950 की धारा 3 के अधीन गठित विदर्भ हाउसिंग बोर्ड ।

केरल

ट्रावनकोर-कोचीन वायलर अटेंडेंट्स रूल्स, 1954 के नियम 8 के अधीन नियुक्त बोर्ड आफ एग्जामिनर्स ।

ट्रावनकोर-कोचीन वायलर अटेंडेंट्स रूल्स, 1954 के नियम 63 के अधीन गठित पेनल आफ असेसर्स ।

ट्रावनकोर-कोचीन इकोनोमाइज़र रूल्स, 1956 के अधीन गठित पेनल आफ असेसर्स ।

Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959
(PART IV.—Law Relating to Removal of Disqualification)

Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Housing Board constituted under section 3 of the Madhya Pradesh Housing Board Act, 1950.

Mahakoshal Housing Board.

[*Tamil Nadu*]

Committee to select Books for Study for S.S.L.C. Examination.

Landing and Shipping Fees Committees for Minor Ports.

Local Committee constituted under regulation 10A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950.

Madras Board of Transport.

[*Tamil Nadu Electricity Board*] constituted under section 5 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (54 of 1948).

Madras State Electricity Consultative Council constituted under section 16 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (54 of 1948).

Port Conservancy Boards.

Port Trust Boards of Minor Ports.

State Board of Communications.

Text Books Committee.

[*Karnataka*]

Board of Management, Mysore Iron and Steel Works, Bhadravathi.

Board of Management of Industrial Concerns.

Orissa

Appeal Committee under the Board of Secondary Education.

Orissa Board of Communications and Transport.

Regional Transport Authority constituted under section 44 of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939).

State Transport Authority constituted under section 44 of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939).

Punjab

Punjab State National Workers (Relief and Rehabilitation) Board.

Rajasthan

City Improvement Trust, Kota, constituted under the City of Kota Improvement Act, 1946.

Excise Appellate Board, Ajmer.

Rajasthan State Electricity Board constituted under section 5 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (54 of 1948).

Urban Improvement Board, Jaipur.

Uttar Pradesh

Government Cement Factory Board.

Local Committees for Agra, Kanpur, Lucknow and Saharanpur appointed under section 25 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948).

-
1. Subs. by the Madras State (Alteration of Name) (Adaptation of Laws on Union Subjects) Order, 1970, for "Madras" (w.e.f. 14-1-1969).
 2. Subs. *ibid*, for "Madras State Electricity Board".
 3. Subs. by the Mysore State (Alteration of Name) (Adaptation of Laws on Union Subjects) Order, 1974, for "Mysore" (w.e.f. 1-11-1973).

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ऐक्ट, 1950 की धारा 3 के अधीन गठित मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड।
महाकीर्णस हाउसिंग बोर्ड।

¹[समितनाड]

एस० एस० एम० सी० परीसा के लिए अध्ययन के लिए पुस्तक बचन करने वाली कमेटी।
छोटे पत्तनों के लिए लेंडिंग एण्ड क्रिपिय फीस कमेटी।
एम्प्लाइज स्टेट इन्श्योरेंस (जनरल) रेगुलेशन, 1950 के विनियम 10क के अधीन गठित सोकन कमेटी।
मद्रास बोर्ड आफ ट्रांसपोर्ट।

इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाय) ऐक्ट, 1948 (1948 का 54) की धारा 5 के अधीन गठित ²[समितनाड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड]।

इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाय) ऐक्ट 1948 (1948 का 54) की धारा 16 के अधीन गठित समितनाड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कम्पलेंटेटिव काउंसिल।

पोर्ट कंजर्वेंसी बोर्ड्स।

छोटे पत्तनों के पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड्स।

स्टेट बोर्ड आफ कम्युनिकेशनस।

टेक्स्ट बुक्स कमेटी।

³[क्याबिक]

बोर्ड आफ मैनेजमेंट, मैसूर आइरन एण्ड स्टीन वर्क, मद्रास।

बोर्ड आफ मैनेजमेंट आफ इण्डस्ट्रियल कम्पन्स।

उड़ीसा

बोर्ड आफ सेक्रेटरी एनुकेशन के अधीन गठीत कमेटी।

उड़ीसा बोर्ड आफ कम्युनिकेशनस एण्ड ट्रांसपोर्ट।

मोटर वेहिकल्स ऐक्ट, 1939 (1939 का 4) की धारा 44 के अधीन गठित रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी।

मोटर वेहिकल्स ऐक्ट, 1939 (1939 का 4) की धारा 44 के अधीन गठित स्टेट ट्रांसपोर्ट अथारिटी।

पंजाब

पंजाब स्टेट नेशनल कार्स (रिलीफ एण्ड रिहैबिलिटेशन) बोर्ड।

राजस्थान

मिटी आफ कोटा इन्फ्रामेंट ऐक्ट, 1946 के अधीन गठित मिटी इन्फ्रामेंट ट्रस्ट, कोटा।

एम्प्लाइज अपीलेट बोर्ड, जयमेर।

इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाय) ऐक्ट, 1948 (1948 का 54) की धारा 5 के अधीन गठित राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड।

अरवली इन्फ्रामेंट बोर्ड, जयपुर।

उत्तर प्रदेश

गवर्नमेंट सीमेंट फॅक्ट्री बोर्ड।

कनौची राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 25 के अधीन विमुक्त आगरा, कानपुर, मखनऊ और सहारनपुर के लिए स्वानीय समितियां।

1. मद्रास राज्य (गवर्नमेंट) (अधिनियमों पर विधि अनुकूलन) आदेश, 1970 द्वारा "मद्रास" शब्द के स्थान पर (14-1-1969 के) प्रतिस्थापित।
2. पूर्वोक्त राज्य "मद्रास स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. मैसूर राज्य (गवर्नमेंट) (अधिनियमों पर विधि अनुकूलन) आदेश, 1974 द्वारा "मैसूर" शब्द के स्थान पर (1-11-1973 के) प्रतिस्थापित।

Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959
(PART III.—Law Relating to Removal of Disqualification)

Sub-Committee to select books for Educational Expansion Department.

U.P. Sugar and Power Alcohol and Labour Housing Board constituted under section 10 of the U.P. Sugar and Power Alcohol Industries Labour Welfare and Development Fund Act, 1950.

West Bengal

Licensing Board constituted under the regulations made under rule 45 of the Indian Electricity Rules, 1956.

West Bengal Housing Board constituted under the West Bengal Development Corporation Act, 1954.

BODIES IN UNION TERRITORIES

Delhi Development Authority constituted under section 3 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957).

Delhi Electricity Power Control Board constituted under section 5 of the Bombay Electricity (Special Powers) Act, 1946, as applied to Delhi.

Delhi State Electricity Council constituted under section 16 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (54 of 1948).

PART II

BODIES UNDER THE CENTRAL GOVERNMENT

Advisory Committee for the Air-India International Corporation appointed under section 41 of the Air Corporations Act, 1953 (27 of 1953).

Advisory Committee for the Indian Airlines Corporation appointed under section 41 of the Air Corporations Act, 1953 (27 of 1953).

Central Silk Board constituted under section 4 of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948).

Coffee Board constituted under section 4 of the Coffee Act, 1942 (7 of 1942).

Coir Board constituted under section 4 of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953).

Development Council for Acids and Fertilizers established under section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951).

Development Council for Alkalis and Allied Industries established under section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951).

Development Council for Bicycles established under section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951).

Development Council for Drugs, Dyes and Intermediates established under section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951).

Development Council for Food Processing Industries established under section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951).

Development Council for Heavy Electrical Engineering Industries established under section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951).

Development Council for Internal Combustion Engines and Power Driven Pumps established under section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951).

Development Council for Light Electrical Engineering Industries established under section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951).

Development Council for Machine Tools established under section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951).

Development Council for Non-ferrous Metals including alloys established under section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951).

शिक्षा विस्तार विभाग के लिए पुस्तक चयन करने वाली उपसमिति।

यू० पी० शूगर एण्ड पावर अल्कोहल इण्डस्ट्रीज लेबर वेल्फेयर एण्ड डेवलपमेंट फंड ऐक्ट, 1950 की धारा 10 के अधीन गठित यू० पी० शूगर एण्ड पावर अल्कोहल एण्ड लेबर हाउसिंग बोर्ड।

पश्चिमी बंगाल

इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी क्लस, 1956 के नियम 45 के अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन गठित लाइसेंसिंग बोर्ड।

वेस्ट बंगाल डेवलपमेंट कारपोरेशन ऐक्ट, 1954 के अधीन गठित वेस्ट बंगाल हाउसिंग बोर्ड।

संघ राज्यक्षेत्रों में के निकाय

दिल्ली डेवलपमेंट ऐक्ट, 1957 (1957 का 61) की धारा 3 के अधीन गठित दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी।

दिल्ली को यथा लागू बाम्बे इलेक्ट्रिसिटी (स्पेशल पावर्स) ऐक्ट, 1946 की धारा 5 के अधीन गठित दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी पावर कंट्रोल बोर्ड।

इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाय) ऐक्ट, 1948 (1948 का 54) की धारा 16 के अधीन गठित दिल्ली स्टेट इलेक्ट्रिसिटी काउंसिल।

भाग 2

केन्द्रीय सरकार के अधीन निकाय

वायु निगम अधिनियम, 1953 (1953 का 27) की धारा 41 के अधीन नियुक्त एयर इण्डिया इन्टरनेशनल कारपोरेशन के लिए एडवाइजरी कमेटी।

वायु निगम अधिनियम, 1953 (1953 का 27) की धारा 41 के अधीन नियुक्त इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिए एडवाइजरी कमेटी।

सेंट्रल मिल्क बोर्ड ऐक्ट, 1948 (1948 का 61) की धारा 4 के अधीन गठित सेंट्रल मिल्क बोर्ड।

काफी ऐक्ट, 1942 (1942 का 7) की धारा 4 के अधीन गठित काफी बोर्ड।

क्वायर इंडस्ट्री ऐक्ट, 1953 (1953 का 45) की धारा 4 के अधीन गठित क्वायर बोर्ड।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार एसिड्स एण्ड फर्टिलाइजर्स।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार अल्कलीज एण्ड अलाईड इण्डस्ट्रीज।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार बाइसिकिल्स।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार ड्रग्स, ड्राइम एण्ड इन्टरमीडिएट्स।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार फूड प्रोसेसिंग इण्डस्ट्रीज।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार हेवी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार इन्टरनल कमर्शचन एंजिन्स एण्ड पावर ड्रिवन पम्पूस।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार लाइट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार मशीन टूल्स।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार नान-फेरस मेटल्स इन्क्लूडिंग एलाइज।

Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959
(PART IV.—Law Relating to Removal of Disqualification)

Development Council for Oil-based and Plastic Industries established under section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951).

Development Council for Sugar Industry established under section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951).

Development Council for Textiles made of artificial silk including artificial silk yarn established under section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951).

Development Council for textiles made of wool including woollen yarn, hosiery, carpets and druggets established under section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951).

Durgah Committee, Ajmer, constituted under section 4 of the Durgah Khawaja Saheb Act, 1955 (36 of 1955).

Indian Central Arecanut Committee.

Indian Central Coconut Committee constituted under section 4 of the Indian Coconut Committee Act, 1944 (10 of 1944).

Indian Central Cotton Committee constituted under section 4 of the Indian Cotton Cess Act, 1923 (14 of 1923).

Indian Central Jute Committee.

Indian Central Oilseeds Committee constituted under section 4 of the Indian Oilseeds Committee Act, 1946 (9 of 1946).

Indian Central Sugarcane Committee.

Indian Central Tobacco Committee.

Indian Lac Cess Committee constituted under section 4 of the Indian Lac Cess Act, 1930 (24 of 1930).

Rubber Board constituted under section 4 of the Rubber Act, 1947 (24 of 1947).

Tea Board constituted under section 4 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953).

BODIES UNDER STATE GOVERNMENTS

Andhra Pradesh

Market Committee constituted under section 4 of the Hyderabad Agricultural Market Act No. II of 1339F.

Market Committee constituted under section 4A of the Madras Commercial Crops Markets Act, 1933.

Bihar

Bihar State Board of Religious Trusts.

Bihar Subai Majlis Awqaf.

Bodh Gaya Temple Advisory Committee constituted under section 15 of the Bodh Gaya Temple Act, 1949.

Bodh Gaya Temple Management Committee constituted under section 3 of the Bodh Gaya Temple Act, 1949.

Kerala

Administration Committee for Coir Purchase Scheme.

Malabar Market Committee constituted under section 4A of the Madras Commercial Crops Markets Act, 1933.

Tapioca Market Expansion Board.

¹[*Tamil Nadu*]

Area Committee for Hindu Religious and Charitable Endowments constituted under section 12 of the Madras Hindu Religious and Charitable Endowments Act, 1951.

Madras State Waqf Board constituted under section 9 of the Waqf Act, 1954 (29 of 1954).

Punjab

State Marketing Board constituted under section 3 of the Patiala Agricultural Produce Markets Act, 2004.

²[PART III]

BODY UNDER THE CENTRAL GOVERNMENT

Planning Commission.]

1. Subs. by the Madras State (Alteration of Name) (Adaptation of Laws on Union Subjects) Order, 1970 for "Madras" (w.e.f. 14-1-1969).

2. Part III added by Act 20 of 1992, s. 3.

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार आयल-वेल्ड एण्ड प्लास्टिक इन्डस्ट्रीज ।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार गृह इन्डस्ट्री ।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार टैक्सटाइल्स मेड आफ आर्टिफिशियल सिल्क इन्क्लूडिंग आर्टिफिशियल सिल्क यार्न ।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 के अधीन स्थापित डेवलपमेंट काउन्सिल फार टेक्सटाइल्स मेड आफ वूल इन्क्लूडिंग वूलन यार्न, होजरी, कार्पेट्स एण्ड ड्रगट्स ।

दरगाह स्वाभा साहिब ऐक्ट, 1955 (1955 का 36) की धारा 4 के अधीन गठित दरगाह कमेटी, अजमेर ।
इण्डियन सेंट्रल अरिफानट कमेटी ।

इण्डियन कोकोनट कमेटी ऐक्ट, 1944 (1944 का 10) की धारा 4 के अधीन गठित इण्डियन सेंट्रल कोकोनट कमेटी ।

इण्डियन काटन सेलस ऐक्ट, 1923 (1923 का 14) की धारा 4 के अधीन गठित इण्डियन सेंट्रल काटन कमेटी, इण्डियन सेंट्रल जूट कमेटी ।

इण्डियन प्रायल सीड्स कमेटी ऐक्ट, 1946 (1946 का 9) की धारा 4 के अधीन गठित इण्डियन सेंट्रल प्रायल सीड्स कमेटी ।

इण्डियन सेंट्रल म्यूरकेन कमेटी ।

इण्डियन सेंट्रल टोबैको कमेटी ।

इण्डियन लेक सेस ऐक्ट, 1930 (1930 का 24) की धारा 4 के अधीन गठित इण्डियन लेक सेस कमेटी ।

रबर ऐक्ट, 1947 (1947 का 24) की धारा 4 के अधीन गठित रबर बोर्ड ।

टी ऐक्ट, 1953 (1953 का 29) की धारा 4 के अधीन गठित टी बोर्ड ।

राज्य सरकारों के अधीन विनियम

मध्य प्रदेश

1339 एक० के द्वारा बाव एग्रीकल्चरल मार्केट ऐक्ट नं० 2 की धारा 4 के अधीन गठित मार्केट कमेटी ।

मद्रास कर्मागियल क्रान्त मार्केट्स ऐक्ट, 1933 की धारा 4क के अधीन गठित मार्केट कमेटी ।

बिहार

बिहार स्टेट बोर्ड आफ रिजिस्टर्ड इस्ट्रस ।

बिहार सुबाई नवमित्त बीकफ ।

बीड नवा टेम्पल ऐक्ट, 1949 की धारा 18 के अधीन गठित बीड नवा टेम्पल एडवाइजरी कमेटी ।

बीड नवा टेम्पल ऐक्ट, 1949 की धारा 3 के अधीन गठित बीड नवा टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी ।

केरल

स्वाधर परचेज स्कीम के लिए एग्जिनिस्ट्रुक्शन कमेटी ।

मद्रास कर्मागियल क्रान्त मार्केट्स ऐक्ट, 1933 की धारा 4क के अधीन गठित मालावार मार्केट कमेटी ।

टपीजीका मार्केट एक्सचेंज बोर्ड ।

1 [समिचनम्]

मद्रास हिन्दू रिजिजस एण्ड चैरिटेबल एण्डाउमेण्ट्स ऐक्ट, 1951 की धारा 12 के अधीन गठित हिन्दू रिजिजस एण्ड चैरिटेबल एण्डाउमेण्ट्स के लिए एरिया कमेटी ।

वकफ ऐक्ट, 1954 की धारा 9 के अधीन गठित मद्रास स्टेट वकफ बोर्ड ।

पंजाब

पटियाला एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स ऐक्ट, 2004 की धारा 3 के अधीन गठित स्टेट मार्केटिंग बोर्ड ।

2 | भाग 3

केन्द्रीय सरकार के अधीन निकाय

नेतृता आयोग ।

1. मद्रास राज्य (नाम परिवर्तन) (संघ विधियों पर विधि अनुसूचन) अधिनियम, 1970 द्वारा "मद्रास" शब्द के स्थान पर (14-1-1969 से) प्रविष्टकामि ।

1952 के अधिनियम सं० 20 की धारा 3 द्वारा भाग 3 जोड़ा गया ।

**ACTS OF THE STATE LEGISLATURES RELATING TO REMOVAL OF
DISQUALIFICATIONS**

1. The Andhra Pradesh Payment of Salaries and Pension and Removal of Disqualifications Act, 1953 (English Version).
2. The Arunachal Pradesh Legislature Members (Prevention of Disqualifications) Act, 1977 (English Version).
3. The Assam State Legislature Members (Removal of Disqualifications) Act, 1950 (English Version).
4. The Bihar Legislature (Removal of Disqualifications) Act, 1950 (English/Hindi Version).
बिहार विधान-मंडल (अनर्हताओं का हटाना) अधिनियम, 1950।
5. The Goa, Daman and Diu Members of Legislative Assembly (Removal of Disqualification) Act, 1982 (English Version).
6. The Gujarat Legislative Assembly Members (Removal of Disqualifications) Act, 1960 (English Version).
7. हरियाणा राज्य विधान-मंडल (निरहता-निवारण) अधिनियम, 1974 (हिन्दी पाठ)।
8. The Himachal Pradesh Legislative Assembly Members (Removal of Disqualifications) Act, 1971 (English Version).
11. The Legislative Assembly (Removal of Disqualifications) Act, 1951 (English Version). 1962
12. The Legislative Assembly (Removal of Disqualifications) Amendment Act, 1979 (English Version).
13. The Madhya Pradesh Vidhan Mandal Sadasya Nirharta Nivaran Adhiniyam, 1967 (English/Hindi Version).
मध्य प्रदेश विधान-मंडल सदस्य निरहता निवारण अधिनियम, 1967।
14. The Maharashtra Legislature Members (Removal of Disqualifications) Act, 1956 (English Version).
15. The Manipur Legislature (Removal of Disqualifications) Act, 1972 (English Version).
16. The Prevention of Disqualification (Members of the Legislative Assembly of Meghalaya) Act, 1972 (English Version).
17. The Mizoram Union Territory Legislature Members (Removal of Disqualification) Act, 1975 (English Version).
18. The Nagaland State Legislature Members (Removal of Disqualification) Act, 1964 (English Version).
19. The Orissa Offices of Profit (Removal of Disqualifications) Act, 1951 (English Version).
20. The Punjab State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1952 (English Version).
21. The Parliamentary Secretary (Payment of Special Allowance and Prevention of Disqualification) Act, 1971—Relating to Union Territory of Pondicherry (English Version).
22. The Rajasthan Legislative Assembly Members (Removal of Disqualification) Act, 1956 (Hindi/English Version).
राजस्थान विधान सभा सदस्य (निरहता-निवारण) अधिनियम, 1956।

Acts of the State Legislatures relating to removal of disqualifications
(PART IV —Law Relating to Removal of Disqualification)

23. The Sikkim Legislative Assembly Members Removal of Disqualifications Act, 1978 (English Version).
24. The Tamil Nadu Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1967 (English Version).
25. The Tripura State Legislature Members (Removal of Disqualifications) Act, 1972 (English Version).
26. उत्तर प्रदेश राज्य विधान-संसद (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 (हिन्दी पाठ)।
27. The West Bengal Legislature (Removal of Disqualifications) Act, 1952 (English Version).

THE ANDHRA PRADESH PAYMENT OF SALARIES AND PENSION AND REMOVAL OF DISQUALIFICATIONS ACT, 1953.

ACT II OF 1954

An Act to provide for the salaries and allowances of Ministers, Deputy Ministers, the Chief Whip in the Assembly, the Speaker, the Deputy Speaker, Parliamentary Secretaries and members of the Andhra Pradesh Legislative Assembly and the Chairmen of the Planning and Development Committees and the Leader of the Opposition in the Andhra Pradesh Legislative Assembly and the Whips in the Legislative Assembly ¹[and also to provide for the pension of persons served as members of the Legislative Assembly and Legislative Council]

WHEREAS it is expedient to provide by an Act of the Legislature for the salaries and allowances of Ministers, Deputy Ministers, the Chief Whip in the Assembly, the Speaker, Deputy Speaker, Parliamentary Secretaries and members of the Andhra Pradesh Legislative Assembly and the Chairmen of the Planning and Development Committees, and the Leader of the Opposition in Andhra Pradesh Legislative Assembly and also the Whips in the Legislative Assembly ¹[and for the pension of persons served as members of the Legislative Assembly and Legislative Council].

AND WHEREAS it is necessary to remove the disqualification imposed on holders of certain offices for being chosen as, and for being, members of the said Legislative Assembly; it is hereby enacted as follows :—

1. **Short title and commencement**—(1) This Act may be called the Andhra Pradesh Payment of ²[Salaries and Pension] and Removal of Disqualifications Act, 1953.

(2) It shall be deemed to have come into force on 4th January, 1954.

* * * * *

10. **Removal of certain disqualifications**—No person shall be disqualified for being chosen as, or for being, a member of the Andhra Pradesh Legislative Assembly on the ground only that he holds any of the offices specified in the Schedule to this Act.

1. Added by—Andhra Act 28 of 1985 and came into force with effect from 31-10-1984.

2. Subs. by *ibid.* and came into force with effect from 31-10-1984 and published in Andhra Pradesh Gazette, Part IV-B of Extraordinary No. 47, dated 8-11-1985.

**THE ARUNACHAL PRADESH LEGISLATURE MEMBERS
(PREVENTION OF DISQUALIFICATIONS) ACT, 1977**

ACT No. 4 of 1977

An Act to provide for the prevention of certain disqualifications for being chosen as, and for being, a member of the Arunachal Pradesh Legislative Assembly.

Preamble —WHEREAS it is expedient to provide in accordance with the provisions of section 14(i)(a) of the Government of Union Territories Act, 1963 (20 of 1963) that the holders of the offices hereinafter mentioned shall not be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the Arunachal Pradesh Legislative Assembly.

It is hereby enacted by the Legislative Assembly of Arunachal Pradesh in the Twenty-eighth Year of the Republic of India as follows :—

1. **Short title, extent and commencement** —(i) This Act may be called the Arunachal Pradesh Legislature Members (Prevention of Disqualifications) Act, 1977.

(ii) It extends to the whole of Arunachal Pradesh.

(iii) It shall come into force at once.

2. **Removal of certain disqualifications for membership**—A person shall not be disqualified for being chosen as, or for being, a member of the Arunachal Pradesh Legislative Assembly by reason of the fact that he holds any of the offices being offices of profit specified in the Schedule appended hereto.

THE SCHEDULE

(See section 2)

1. Goanbura, whether called by this or any other title.

2. Any office held in the Territorial Army or National Cadet Corps or Auxiliary Air Force or Air Defence Reserve.

3. The office of Chairman, Vice-Chairman or members of any committee, society, board or authority appointed by the Government of India or the Government of any State or Union territory specified in the First Schedule to the Constitution of India.

Explanation 1—“Committee” means any Committee, Commission, Council or any other body of one or more persons, whether statutory or not, set up by the Government of India or the Government of any State.

Explanation 2.—“Board” or “authority” means any corporation, company, society or any other body of one or more persons whether incorporated or not, established, registered or formed by or under any Central law or law of any State for the time being in force or exercising powers and functions under any such law.

4. Any office under the Government, which is not a whole-time office remunerated either by salary or fees.

5. The office of part-time Professor, Lecturer, Instructor or Teacher in Government educational institutions.

6. Medical practitioner rendering part-time service to Government.

7. Any office in the Home guard which is not whole-time and is not remunerated by salary or fees.

8. The office of Village Volunteer, in the SSB Organisation.

9. Any office held by a Minister or State or Deputy Minister for the Union or any State specified in the First Schedule to the Constitution of India.

THE ASSAM STATE LEGISLATURE MEMBERS (REMOVAL OF DISQUALIFICATIONS) ACT, 1950

ASSAM ACT XIII OF 1950

[30th March, 1950]

An Act to provide for the removal of certain disqualifications for being chosen as and for being a member of the Assam Legislative Assembly.

Preamble —Whereas it is expedient to provide in accordance with the provisions of article 191(1)(a) of the Constitution that the holders of the offices hereinafter mentioned shall not be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the Assam Legislative Assembly;

It is hereby enacted as follows :—

1. **Short title and commencement** —(1) This Act may be called the Assam State Legislature Members (Removal of Disqualifications) Act, 1950.

(2) It extends to the whole of Assam:

(3) It shall come into force on the date on which the Assam State Legislature Members (Removal of Disqualifications) Ordinance, 1950 (Assam Ordinance No. II of 1950), ceases to operate.

2. **Removal of certain disqualifications** —A person shall not be disqualified for being chosen as, or for being, a member of the Assam Legislative Assembly by reason of the fact that he holds any of the offices specified in the Schedule appended hereto ¹[in so far as it is an office of profit under the State Government].

SCHEDULE

1. The office of the Parliamentary Secretary to the Government of Assam.
2. The office of Government Pleaders or Public Prosecutor.
3. The office of part-time Professor, Lecturer, Instructor or Teacher in Government educational institution.
4. Medical practitioner rendering part-time service to Government.
5. Gaonburha, Chowkidar whether called by this or any other title.
- ²6. The office of the ³[Minister of State and] Deputy Minister to the Government of Assam].
- ⁴[6A. Any office held by a Minister, Minister of State, Deputy Minister or Parliamentary Secretary for the State of Assam.]
7. The office of Chairman ⁶[and Director of the Assam State Warehousing Corporation and of Public Sector Corporations like Major Industries Development Corporation and Small Industries Development Corporation, etc., and Chairman]. Vice-Chairman, or members of any Committee, Board or Authority appointed by the Government of India or the Government of any State specified in the First Schedule to the Constitution of India.
8. Any office under the Government which is not a whole time office remunerated either by salary or fees.
9. The office of the Chief Executive Member and the other Executive Members of a District Council in an Autonomous District and of the members nominated to such a District Council by the Governor.]
- ⁷[10. Any office held in the Territorial Army or National Cadet Corps].
- ⁸[11. Any office held in the Auxiliary Air Force or Air Defence Reserve].

1. Added by Assam Act VIII of 1970.

2. Inserted by Assam Act XXIII of 1950.

3. Inserted by Assam Act VI of 1967.

4. Inserted by Assam Act VIII of 1970.

5. Inserted by Assam Act VIII of 1952.

6. Added by Assam Act X of 1974.

7. Inserted by Assam Act XIV of 1954, s. 2.

8. Inserted by Assam Act XVIII of 1957.

THE BIHAR LEGISLATURE (REMOVAL OF DISQUALIFICATIONS) ACT, 1950

(BIHAR ACT No. 16 OF 1950)

An Act to provide that holders of certain offices shall not be disqualified for being chosen as, or for being, members of the Bihar Legislative Assembly or the Bihar Legislative Council.

WHEREAS it is expedient to provide that holders of certain offices shall not be disqualified for being chosen as, or for being, members of the Bihar Legislative Assembly or the Bihar Legislative Council;

It is hereby enacted as follows :—

1. Short title—This Act may be called the Bihar Legislature (Removal of Disqualifications) Act, 1950.

2. Removal of disqualifications for membership—A person shall not be ¹[and shall be deemed never to have been] disqualified for being chosen as, or for being, a member of the Bihar Legislative Assembly or the Bihar Legislative Council by reason only of the fact that he holds any of the offices, being offices of profit, mentioned in the Schedule.

3. Repeal of Bihar Ordinance 1 of 1950—The Bihar Legislature (Removal of Disqualifications) Ordinance, 1950 (Bihar Ordinance No. 1 of 1950) is hereby repealed.

THE SCHEDULE

²[(1) The offices of the State Minister and the Deputy Minister.]

(2) The office of Parliamentary Secretary.

³[(3)] Any office in the Territorial Army constituted under the Territorial Army Act, 1948.

⁴[(4) Any office in the National Cadet Corps constituted under the National Cadet Corps Act, 1948 (31 of 1948).]

⁵[(5) The office of the Chairman or member of any Committee or body appointed by the Central or a State Government or by a servant of the Government; Provided that the Chairman or any member of such Committee or body does not receive any remuneration other than compensatory allowance.]

⁶[Explanation—For the purpose of this item “Compensatory allowance” shall mean—

(i) the travelling allowance, daily allowance or any allowance in the shape of honorarium, which may be paid to the holder of the office for the purpose of reimbursing the personal expenditure incurred by him in attending the meetings of the committee or body or performing any other functions as the holder of the said office; and

-
1. Ins. by the Bihar Legislature (Removal of Disqualifications) (Amendment) Act, 1956 (Bihar Act 33 of 1956), s. 2.
 2. Subs. by the Bihar Legislature (Removal of Disqualifications) (Amendment) Act, 1975 (Bihar Act 25 of 1975).
 3. Cl. (2) renumbered as (3), *ibid.*
 4. Ins. by the Bihar Legislature (Removal of Disqualifications) (Amendment) Act, 1953 (Bihar Act 34 of 1953) s. 2. The said section also prescribes that the clauses and explanation shall be deemed always to have been added in the main Act.
 5. Subs. by the Bihar Legislature (Removal of Disqualifications) (Amendment) Act, 1970 (Bihar Act 1 of 1971), s. 2.
 6. Subs. by the Bihar Legislature (Removal of Disqualifications) (Amendment) Act, 1974 (Bihar Act 10 of 1975), s. 2 and shall be deemed always to have been substituted.

बिहार विधान-मंडल (अनर्हताओं का हटाना) अधिनियम, 1950

(1950 का बिहार अधिनियम सं० 16)

यह उपबंध करने के लिए अधिनियम के कुछ पदों के धारक बिहार विधान सभा या बिहार विधान परिषद् के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए या सदस्य बने रहने के लिए अनर्ह न होंगे ।

चूंकि यह उपबंध करना इष्टकर है कि कुछ पदों के धारक बिहार विधान सभा या बिहार विधान परिषद् के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए या सदस्य बने रहने के लिए अनर्ह न होंगे ।

अतः एतद्द्वारा निम्नरूपेण अधिनियमित किया जाता है :—

1. संक्षिप्त नाम—यह अधिनियम बिहार विधान-मंडल (अनर्हताओं का हटाना) अधिनियम, 1950 कहलाया जा सकेगा ।

2. सदस्यता के लिए अनर्हताओं का हटाया जाना—केवल इस तथ्य के आधार पर कि वह अनुसूची में वर्णित लाभ के पद होने वाले पदों में से किसी को धारण करता है कोई व्यक्ति बिहार विधान सभा या बिहार विधान परिषद् के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए या सदस्य बने रहने के लिए अनर्ह न होगा [और कभी भी अनर्ह न हुआ समझा जाएगा] ।

3. 1950 के बिहार अध्यादेश 1 का निरस्त—बिहार विधान-मंडल (अनर्हताओं का हटाना) अध्यादेश, 1950 (1950 का बिहार अध्यादेश 1) एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

अनुसूची

2[(1) राज्य मंत्री या उपमंत्री के पद ; और]

(2) मंसदीय सचिव का पद ।

3[(3)] प्रादेशिक सेना अधिनियम, 1948 के अधीन गठित प्रादेशिक सेना में कोई पद ।

4[(4) राष्ट्रीय छात्र सैनिक गुल्म अधिनियम, 1948 (1948 का 31) के अधीन गठित राष्ट्रीय छात्र सैनिक गुल्म में कोई पद ।]

5[(5) केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा अथवा सरकार के सेवक द्वारा नियुक्त किसी समिति या निकाय के अध्यक्ष या सदस्य का पद : बशर्ते कि ऐसी समिति या निकाय का अध्यक्ष या कोई सदस्य प्रतिकरात्मक भत्ता के सिवाय अन्य कोई पारिश्रमिक न लेता हो ।]

6[स्पष्टीकरण—इस खण्ड के प्रयोजनार्थ "प्रतिकरात्मक भत्ता" से अभिप्रेत होगा :—

(i) पदधारी को समिति या निकाय की बैठक में उपस्थित होने अथवा उक्त पदधारी के रूप में कोई अन्य कृत्य संपादित करने में उसके द्वारा किए गए व्यक्तिगत व्यय की प्रतिपूर्ति के प्रयोजनार्थ दिया जाने वाला यात्रा-भत्ता, दैनिक भत्ता या भानदेय के रूप में दिया जाने वाला भत्ता ; और

1. बिहार विधान-मंडल (अनर्हताओं का हटाना) (संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित ।
2. बिहार विधान-मंडल (अनर्हताओं का हटाना) (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का बिहार अधिनियम 25) द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. बिहार विधान-मंडल (अनर्हताओं का हटाना) (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का बिहार अधिनियम 25) द्वारा चंड (2) को चंड (3) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।
4. बिहार विधान-मंडल (अनर्हताओं का हटाना) (संशोधन) अधिनियम, 1953 (1953 का बिहार अधिनियम 34) की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित । उक्त धारा यह भी विहित करती है कि चंड और व्याख्या के बारे में यह समझा जाएगा कि वे मूल अधिनियम में सदा जुड़े हुए थे ।
5. बिहार विधान-मंडल (अनर्हताओं का हटाना) (संशोधन) अधिनियम, 1970 (1971 का बिहार अधिनियम 1) की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित ।
6. बिहार विधान-मंडल (अनर्हताओं का हटाना) (संशोधन) अधिनियम, 1974 (1975 का बिहार अधिनियम 10) की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित और सदा से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा ।

Bihar Legislature (Removal of Disqualifications) Act, 1950

(PART IV ---Law Relating to Removal of Disqualification)

(ii) the allotment of quarter and the provision for conveyance, and such other facilities, privileges and amenities to the holder of the office or cash payment in lieu thereof as the State Government, the Board or the managing authority of the committee or the body, as the case may be, may, by order made in this behalf, on such terms and conditions as may be mentioned therein, from time to time, determine.]

¹[(6) Any office under an insurer the management of whose controlled business has vested in the Central Government.

Explanation.—For the purpose of this clause, the expression “controlled business” and the word “insurer” shall have the meanings respectively assigned to them in the Life Insurance (Emergency Provisions) Act, 1956 (9 of 1956).

(7) The office of an agent or other like office under the Central Government or the State Government for the purpose of effecting sales of, or collecting subscriptions towards, National Plan Certificates for such Commission as the Central Government may have fixed in that behalf or without such commission.

Explanation.—For the purpose of the clause, a National Plan Certificate include :—

- (i) 12 years' National Savings Certificate;
- (ii) 10 years' National Plan Certificate; and
- (iii) any other savings certificate or Government Securities notified as such by the Central Government.]

²[(8) The office of a member in the Auxiliary Air Force or the Air Defence Reserve raised and maintained under the Reserve and Auxiliary Air Forces Act, 1952 (62 of 1952).]

³[(9) The office of the acting Chairman under clause (1) of Article 184 of the Constitution of India, and

(10) The office of the acting Speaker under clause (1) of Article 180 of the Constitution of India.]

1. Added by the Bihar Legislature (Removal of Disqualifications) (Amendment) Act, 1956 (Bihar Act 33 of 1956), s. 3.

2. Added by the Bihar Legislature (Removal of Disqualifications) (Amendment) Act, 1957 (Bihar Act 2 of 1957), s. 2 and shall be deemed always to have been substituted.

3. Subs. by the Bihar Legislature (Removal of Disqualifications) (Amendment) Act, 1975 (Bihar Act 25 of 1975), s. 2 and shall be deemed always to have been substituted.

(भाग 4—निरर्हताओं को हटाने संबंधी विधि)

(ii) पदधारी को क्वार्टर का आबंटन और उसके लिए सवारी तथा ऐसी अन्य सुविधाओं, विशेषाधिकारों तथा सुख-साधनों, अथवा उनके बदले में नगद भुगतान का उपबंध जैसा कि, यथा-स्थिति, राज्य सरकार बोर्ड, अथवा समिति या निकाय का प्रबन्ध-प्राधिकारी, इस निमित्त दिए गए आदेश द्वारा, उसमें यथा उल्लिखित निबंधनों और शर्तों पर, समय-समय पर अवधारित करे।]

¹[(6) ऐसे किसी बीमाकर्ता के अधीन कोई पद जिसके नियंत्रित कारबार का प्रबंध केन्द्रीय निहित हो गया है।

व्याख्या—इस खंड के प्रयोजन के लिए “नियंत्रित कारबार” पद और “बीमाकर्ता” शब्द का वही अर्थ होगा जो अर्थ कि क्रमशः उनका जीवन बीमा (आपात उपबंध) अधिनियम, 1956 (1956 का 9) में है।

(7) ऐसे कमीशन पर, जैसा कि केन्द्रीय सरकार ने उस निमित्त नियत किया हो या ऐसे कमीशन के बिना राष्ट्रीय योजना प्रमाणपत्रों का विक्रय प्रभावी करने या उनके निमित्त अंशदान संग्रहीत करने के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन अधिकर्ता का पद या अन्य तद्रूप पद।

व्याख्या—इस खंड के प्रयोजन के लिए :—

(i) 12 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र,

(ii) 10 वर्षीय राष्ट्रीय योजना प्रमाणपत्र, और

(iii) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित कोई अन्य बचत प्रमाणपत्र या सरकारी प्रतिभूतियां,

राष्ट्रीय योजना प्रमाणपत्र के अन्तर्गत हैं।]

²[(8) रिजर्व और सहायक विमान बल अधिनियम, 1952 (1952 का 62) के अधीन खड़े किए गए और बनाए रखे गए सहायक बल या विमान प्रतिरक्षा रिजर्व बल में सदस्य का पद।]

³[(9) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 184 के खंड (1) के अधीन कार्यकारी सभापति का पद, तथा (10) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 180 के खंड (1) के अधीन कार्यकारी अध्यक्ष का पद।]

1. बिहार विधान-मंडल (अनर्हताओं का हटाना) (संशोधन) अधिनियम, 1956 (1956 का बिहार अधिनियम 33) की धारा 3 द्वारा जोड़ा गया।
2. बिहार विधान-मंडल (अनर्हताओं का हटाना) (संशोधन) अधिनियम, 1957 (1957 का बिहार अधिनियम 2) की धारा 2 द्वारा जोड़ा गया और सदा से जोड़ा गया समझा जाएगा।
3. बिहार विधान-मंडल (अनर्हताओं का हटाना) (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1975 का बिहार अधिनियम 25) की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित और सदा से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा।

THE GOA, DAMAN AND DIU MEMBERS OF LEGISLATIVE ASSEMBLY
(REMOVAL OF DISQUALIFICATION) ACT, 1982

No. 1 of 1982

19th February, 1982

An Act to provide for the removal of certain disqualifications for being chosen as, and for being, a member of the Legislative Assembly of Goa, Daman and Diu.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Goa, Daman and Diu in the Thirty-second Year of the Republic of India as follows:—

1. **Short title and commencement**—(1) This Act may be called the Goa, Daman and Diu Members of Legislative Assembly (Removal of Disqualification) Act, 1982.

(2) It shall come into force at once.

2. **Removal of certain disqualifications**—A person shall not be disqualified for being chosen as, or for being, a member of the Legislative Assembly of Goa, Daman and Diu merely by reason of the fact that he holds any of the offices specified in the Schedule appended to this Act.

[SCHEDULE

1. The office of a member of a Home Guard constituted under any law for the time being in force in any State;
2. Any office in connection with the affairs of the Goa University or any committee, council or body connected with the Goa University;
3. The office of Chairman, Economic Development Corporation, Goa, Daman and Diu;
4. The office of Chairman, Kadamba Transport Corporation Limited;
5. The office of Chairman, Goa, Daman and Diu Housing Board;
6. The office of Chairman, Goa, Daman and Diu Tourism Development Corporation Limited;
7. The office of Chairman, Goa, Handicrafts Rural and Small Scale Industries Corporation Limited;
8. The office of Chairman, Goa, Daman and Diu Industrial Development Corporation;
9. The office of Chairman, Director or member of a statutory or non-statutory body or committee or corporation constituted by the Government of Goa, Daman and Diu:

Provided that the Chairman, Director or member of any of the aforesaid committees or bodies or corporations is not entitled to any remuneration other than compensatory allowance.

Explanation.—For the purpose of the aforesaid entries—

(i) “compensatory allowance” means any sum of money payable to the holder of an office by way of daily allowance [such allowance not exceeding the amount of daily allowance to which a member of the Legislative Assembly is entitled under the Goa, Daman and Diu Salary, Allowances and Pension of the Members of the Legislative Assembly Act, 1964 (2 of 1965)], any conveyance allowance, house-rent allowance or travelling allowance for the purpose of enabling him to recoup any expenditure incurred by him in performing the functions of that office;

(ii) “statutory body” means any corporation, committee, commission, council, board or other body of persons, whether incorporated or not, established by or under any law for the time being in force;

(iii) “non-statutory body” means any body of persons other than a statutory body.]

1. Subs. by the Goa, Daman and Diu Members of Legislative Assembly (Removal of Disqualification) Amendment Act, 1985 (Act No. 11 of 1985), s. 2.

THE GUJARAT LEGISLATIVE ASSEMBLY MEMBERS (REMOVAL OF
DISQUALIFICATIONS) ACT 1960

GUJARAT ACT No. I of 1960¹

Amended by Guj. 23 of 1962.

[22nd September, 1960]

An Act to provide for the removal of certain disqualifications for being chosen, as and for being a member of the Gujarat Legislative Assembly.

WHEREAS by the Constitution provision has been made for declaring by Act of the State Legislature any office of profit under the Government of India or the Government of any State specified in the First Schedule to the said Constitution not to disqualify its holder for being chosen as, and for being, a member of a State Legislature;

AND WHEREAS it is expedient to make such declaration; It is hereby enacted in the Eleventh Year of the Republic of India as below:—

1. **Short title and commencement**—(1) This Act may be called the Gujarat Legislative Assembly Members (Removal of Disqualifications) Act, 1960.

(2) It shall come into force on the 1st day of May, 1960.

*2. **Removal of certain disqualifications**—A person shall not be disqualified for being chosen as, or for being a member of the Gujarat Legislative Assembly merely by reason of the fact that he holds any of the offices specified in the Schedule appended hereto.

3. **Repeal of Gujarat Ordinance No. V of 1960**—The Gujarat Legislative Assembly Members (Removal of Disqualifications) Ordinance, 1960 is hereby repealed.

THE SCHEDULE

(See section 2)

1. The office of Parliamentary Secretary to a Minister of the Government of Gujarat.
2. The office of part-time professor or lecturer in a Government College.
3. Any office in the National Cadet Corps, the Territorial Army, the Air Defence Reserve and the Auxiliary Air Force.
4. Any office in the Home Guards.
5. Any office in a village defence party (by whatever name called) constituted by or under the authority of the State Government.
6. The office of a member of the Advisory Board constituted under the Bombay Wild Animals and Wild Birds Protection Act, 1951 or any corresponding law in force in any part of the State of Gujarat.
7. The office of Secretary of the District or Regional Development Boards constituted by the State Government (by whatever name called):

Provided that the holder of such office does not hold any other office of profit under the State Government.

8. Any office under an insurer the management of whose controlled business has vested in the Central Government under the Life Insurance (Emergency Provisions) Act, 1956.

Explanation.—For the purpose of this entry, the expression “controlled business” and “insurer” shall have the meanings assigned to them in the Life Insurance (Emergency Provisions) Act, 1956.

1. For Statement of Objects and Reasons, see Gujarat Government Gazette, 1960, Part V, page 13). Please see section 34 of the Gujarat Slum Area (Improvement, Clearance and Redevelopment) Act, 1973.

9. The office of an Honorary Medical Officer or Honorary Assistant Medical Officer in a hospital under Government management.

10. The office of Chairman or member of the Labour Welfare Board constituted under the Bombay Labour Welfare Fund Act, 1953.

11. The office of Chairman or member of any Committee or body appointed by the Central or State Government :

[Provided that the Chairman or any Member of such Committee or body does not receive any remuneration other than compensatory allowance nor does he receive any facilities other than such facilities (including furnished office, staff, vehicle and free residential accommodation) as are deemed by Government to be essential for the efficient performance of his duties as such Chairman or Member.]

Explanation.—For the purpose of this entry, “Compensatory allowance” shall mean the travelling allowance, the daily allowance or such other allowance which is paid to the holder of the office for the purpose of meeting his personal expenditure in attending the meetings of the Committee or body or in performing any other functions as the holder of the said office.

12. The office of an examiner for any examination held by the Central or State Government or by the Union Public Service Commission or the Gujarat Public Service Commission.

13. The following offices held under the Employees’ State Insurance Act 1948 to provide medical benefit to insured persons under the said Act, that is to say—

(a) the office of an Insurance Medical Practitioner.

(b) the office of a part-time medical officer or specialist in a hospital, dispensary, nursing home, maternity home or other institution established by the Employees’ State Insurance Corporation or the State Government, and

(c) the office of a medical practitioner appointed to provide medical benefit to insured persons in any private hospital, dispensary, nursing home or maternity home or other institution recognised for the purpose by the Employees’ State Insurance Corporation or the State Government.

²[14.] The office of a member of the Gujarat Industrial Development Corporation nominated under clause (b), (c) or (d) of sub-section (1) of section 4 of the Gujarat Industrial Development Act, 1962 (Guj XXIII of 1962), by reason only of his holding such office.]

⁴15. The office of Chairman or Member of the Gujarat Tribal Development Corporation constituted under the Gujarat Tribal Development Corporation Act, 1972.

16. The office of Chairman or Member of the Gujarat State Social Welfare Advisory Board.

17. The office of Chairman or Member of the Gujarat Backward Classes Board.

18. The office of Chairman or Member of Gujarat Minorities Board.

19. The office of Chairman or Member of the Gujarat Scheduled Castes Economic Development Corporation Limited.

20. The office of Chairman or Member of the Gujarat State Scheduled Castes Welfare Advisory Board.

1. Subs. by Gujarat Act 17 of 1984, s. 2.

2. Entry 13A was ins. by Gujarat Act 23 of 1962, s. 59

3. Entry 13A renumbered as entry 14 by s. 2, *ibid.*

4. Ins. by s. 2, *ibid.*

21. The office of Chairmarr or Member of the Gujarat Women's Economic Development Corporation.

22. The office of Chairmtn or Member of the Gujarat Landless Labourers and Halpati Housing Board.

23. The office of the Executive Chairman and of the Additional Executive Chairman of the High Level Committee for effective implementation of the 20 point Economic Programme.]

¹[24. The office of Government Chief Whip.]

²[25. The office of Chairman of the Film Development Corporation of Gujarat Limited.]

1. Ins. by Gujarat Act 3 of 1985, s. 2.

2. Ins. by Gujarat Act 2 of 1986, s. 2 (w.e.f. 19-10-1985).

विधायी विभाग

2 मई, 1945

हरियाणा स्टेट लेजिस्लेचर (प्रिबेशन ऑफ डिस्कवालीफिकेशन) ऐक्ट, 1974 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल के तिथि 23 अप्रैल, 1975 के प्राधिकार के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :—

हरियाणा राज्य विधान-मण्डल (निरर्हता-निवारण) अधिनियम, 1974

(1974 का हरियाणा अधिनियम सं० 41)

सरकार के अधीन कतिपय ऐसे लाभ-पद, जिनके धारक हरियाणा राज्य विधान-मण्डल के सदस्य के रूप में निर्वाचित किए जाते या सदस्य बने रहने के लिए निरर्हत नहीं होंगे, घोषित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के पचीसवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम—यह अधिनियम हरियाणा राज्य विधान-मण्डल (निरर्हता-निवारण) अधिनियम, 1974 कहा जा सकता है ।

2. परिभाषाएँ—इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “प्रतिकरात्मक भत्ता” से अभिप्रेत है, किसी पद के धारक को उस पद के कृत्यों के निर्वहन में उसके द्वारा किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति करने में उसे समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए दैनिह भत्ता, कोई सवारी भत्ता, मकान-किराया भत्ता या यात्रा-भत्ते के रूप में संदेय कोई धन राशि;

(ख) “अ कानूनी नि काय” से अभिप्रेत है किसी कानूनी नि काय से भिन्न कोई व्यक्ति-नि काय;

(ग) “कानूनी-नि काय” से अभिप्रेत है तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगम, समिति, आयोग, परिषद्, बोर्ड अथवा अन्य व्यक्ति-नि काय चाहे वह निगमित हो अथवा नहीं ।

3. कतिपय लाभ-पदों द्वारा निरर्हत न किया जाना—(1) इस अधिनियम द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित में से कोई भी पद जहां तक वह भारत सरकार या हरियाणा राज्य सरकार के अधीन लाभ-पद है अपने धारक को हरियाणा राज्य विधान-मण्डल के सदस्य के रूप में निर्वाचित किए जाने या बने रहने के लिए निरर्हत नहीं करेगा, अर्थात:—

(क) लम्बरदार;

(ख) सब-रजिस्ट्रार, चाहे विभागीय हो अथवा अवैतनिक विपत्र प्रमाणक (नोटरी) शपथ आयुक्त कोई पासकीय रिस्लीबर जो पूर्णकालिक वैतनिक सरकारी कर्मचारी न हो या कोई अन्य व्यक्ति जो किसी ऐसे बीमा-कर्ता के अधीन सेवा करता हो जिनके नियंत्रित कारवार का प्रबन्ध जीवन-बीमा (आपात उपबन्ध) अधिनियम, 1956 (1956 का संसद् अधिनियम 9) के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गया है;

(ग) राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 50), प्रादेशिक सेना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 31), अथवा रिजर्व और सहायक वायुसेना अधिनियम, 1952 (1952 का संसद् अधिनियम 62), अथवा हरियाणा गृह-रक्षी दल अधिनियम, 1974 (1974 का हरियाणा अधिनियम 31) के अधीन, यथास्थिति, बनाए गए, रखे गए अथवा गठित किसी बल का सदस्य;

(घ) रिजर्व-प्रधिकारी सेना में अधिकारी;

(भाग 4—निरहताओं को हटाने संबंधी विधि)

1[(ड) किसी कानूनी या कानूनी निधाय का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रवान, उप-प्रधान, निदेशक या सदस्य, चाहे वह निर्वाचित हो अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार या उसके किसी अधिकारी द्वारा नामजद या नियुक्त किया गया हो, चाहे जिस अपने कर्तव्यों के पालन के दौरान प्रतिष्ठित रहते रहित कोई पारिस्थितिक मिलता हो या नहीं];

(च) संसदीय सचिव या संसदीय अवर सचिव;

(छ) राज्य सरकार के किसी विभाग में उस सरकार का अर्थात्तनिक सलाहकार;

(ज) पंजाब नगर सुधार अधिनियम, 1922 (1922 का पंजाब अधिनियम 4) के अर्धीन गठित किसी सुधार न्याय का अध्यक्ष तथा पंजाब कृषि उप-मंडी अधिनियम, 1961 (1961 का पंजाब अधिनियम 23) की धारा 3 के अर्धीन गठित हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड का अध्यक्ष;

(झ) हरियाणा राज्य लघु सिंचाई (बलरूप) निगम लिमिटेड का अध्यक्ष तथा हरियाणा कृषि-उद्योग-निगम लिमिटेड का अध्यक्ष; तथा

(ञ) हरियाणा राज्य योजना बोर्ड या हरियाणा खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड या हरियाणा हरिजन कल्याण निगम या हरियाणा राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष या प्रतिस्थानी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या कोई सदस्य;

2[(ट) किसी न्यायालय, अधिवक्ता, अथवा अन्य प्राधिकरण के सामने राज्य सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध किसी विनिष्ट वाद, मामले या अन्य कार्यवाही का संचालन करने के लिए, अथवा जांच आयोग की सहायता के लिए या जांच आयोग अधिनियम, 1952, या उस समय लागू किसी अन्य विधि के अर्धीन नियुक्त जांच आयोग के सामने किन्हीं पक्षधारों की सहायता के लिए या उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा, नियुक्त कोई अधिकारी।]

(2) इस अधिनियम द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित में से कोई भी पद, जहां तक वह भारत सरकार, हरियाणा राज्य सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अर्धीन लाभ का पद है उसके धारक को हरियाणा राज्य विधान-मण्डल के सदस्य के रूप में निर्वाचित किए जाने या सदस्य बने रहने के लिए निरहित नहीं करेगा :—

(क) मंत्री;

(ख) राज्यमंत्री;

(ग) उपमंत्री ।

4. निरसन—पंजाब राज्य विधान-मंडल (निरहता-निवारण) अधिनियम, 1952, जहां तक वह हरियाणा राज्य को लागू है, एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

1. 1981 के हरियाणा अधिनियम सं० 4 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. 1980 के हरियाणा अधिनियम सं० 24 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित ।

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY MEMBERS (REMOVAL OF DISQUALIFICATIONS) ACT, 1971

(ACT No. 7 OF 1971)

An Act to declare certain offices of profit under the Government of India, or the Government of any State specified in the First Schedule to the Constitution not to disqualify their holders for being chosen as, or for being, members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Twenty-second Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title and commencement—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly Members (Removal of Disqualifications) Act, 1971.

(2) It shall come into force at once.

2. Definitions—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) “compensatory allowance” means such sum of money as the Government may determine as being payable to the holder of an office by way of travelling allowance, daily allowance, sitting allowance, conveyance allowance or house rent allowance for the purpose of **** performing the functions of that office;

(b) “statutory body” means any corporation, committee, commission, council, board or other body of persons, whether incorporated or not, established by or under any law for the time being in force;

(c) “non-statutory body” means any body of persons other than a statutory body.

3. Prevention of disqualifications for membership of the Legislative Assembly of Himachal Pradesh—A person shall not be disqualified for being chosen as, and or being, a member of the Himachal Pradesh Legislative Assembly by reason only of the fact that he holds any of the following offices of profit under the Government of India or the Government of any State:—

(a) the office of a Deputy Minister or Minister of State,

(b) any office held by a Minister, Member of State, or Deputy Minister, whether *ex-officio* or by name;

(c) the office of the Speaker or the Deputy Speaker of the Himachal Pradesh Legislative Assembly or of Parliament or of the Legislative Assembly of any other State;

(d) the office of the Chief Parliamentary Secretary or Parliamentary Secretary;

(e) the office of the Chief Whip, Deputy Chief Whip or Whip in any Legislative Assembly or in Parliament;

(f) the office of village revenue officer whether called a lamberdar, malguzar, patel, deshमुख or by any other name, whose duty is to collect land revenue and who is remunerated by a share of or commission on, the amount of land revenue collected by him, but who does not discharge any police functions;

(g) any office of the National Cadet Corps, the Territorial Army, the Air Defence Reserve and the Auxiliary Air Force under any law for the time being in force;

(h) the office of a member or a Home Guard constituted under any law for the time being in force in any State;

(i) the office of Chairman or member of the Syndicate, Senate, Executive Committee, Council or Court of a University or any other body connected with a University;

(j) the office of the Vice-Chancellor of any University;

1. Published in the Extraordinary Gazette of Himachal Pradesh on 18-5-1971.

2. Omitted by H. P. Act No. 15 of 1981.

(PART IV—Law Relating to Removal of Disqualification)

(k) the office of a member of any delegation or mission sent outside India by the Government of India or the Government of any State or sent outside the State of Himachal Pradesh by the Government of the said State for any special purpose;

(l) the office of chairman or member of a committee (whether consisting of one or more members) set up temporarily for the purpose of advising the Government or any other authority in respect of any matter of public importance or for the purpose of making an inquiry into, or collecting statistics in respect of, any such matter if the holder of such office is not entitled to any remuneration other than compensatory allowance;

(m) the office of chairman or vice-chairman, director or member of any statutory or non-statutory body other than any such body as is referred to in clause (l) if the holder of such office is not entitled to any remuneration other than compensatory allowance;

(n) the office of any honorary medical officer or honorary assistant medical officer in a hospital under Government management;

(o) a person drawing his service pension, political pension or grant, mansab, charitable grant or commutation sum of compensation in respect of a jagir, inam or other grant;

(p) the office of an agent or other like office for the purpose of effecting sales of or collecting subscriptions towards National Plan Certificates or any other savings certificates or Government securities notified as such by the Central Government for such commission as the Central Government may have fixed in that behalf or without such commission;

(q) the office of an examiner for any examination held by the Central or State Government or by the Union Public Service Commission or any State Public Service Commission;

(r) the office of Sarpanch or member of a Panchayat under any law for the time being in force;

[(s) notwithstanding anything contained in clauses (l) and (m) of this section, the office of the Chairman, Vice-Chairman, or Member of Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes appointed by the Government of India or the office of the Deputy Chairman of the Himachal Pradesh State Planning Board Constituted by the State Government.]

4. Determination of question arising after the commencement of the Act—Any question arising after the commencement of this Act as to any office being an office of profit under the Government of India or the Government of any State shall be determined as if the provisions of this Act had been in force at all material dates.

5. Repeal and Saving—The Himachal Pradesh Legislative Assembly Members (Removal of Disqualifications) Ordinance, 1971 is hereby repealed.

Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the aforesaid Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under this Act as if this Act had commenced on the 25th January, 1971.

1. Ins. by H. P. Act No. 8 of 1979 and subsequently amended by Act No. 26 of 1979 and Act No. 7 of 1981.

THE JAMMU AND KASHMIR STATE LEGISLATURE (PREVENTION OF
DISQUALIFICATION) ACT, 1962

J. & K. ACT No. XVI OF 1962

[18th July, 1962]

An Act to declare that certain offices of profit under the Government shall not disqualify the holders thereof for being chosen as, or for being, members of the Jammu and Kashmir State Legislature.

BE it enacted by the Jammu and Kashmir State Legislature in the Thirteenth Year of the Republic of India as follows :—

1. **Short title**—This Act may be called the Jammu and Kashmir State Lagislature (Prevention of Disqualification) Act, 1962.

2. **Definitions**—In this Act, unless the context otherwise requires:—

(a) 'compensatory allowance' means any sum of money payable to the holder of an office by way of daily allowance (such allowance not exceeding the amount of daily allowance to which a member of the Jammu and Kashmir State Legislature is entitled under the Salaries and allowances of Members of Jammu and Kashmir State Legislature Act, 1960), any conveyance allowance, house-rent allowance or travelling allowance for the purpose of enabling him to recoup any expenditure incurred by him in performing the functions of that office;

(b) 'statutory body' means any corporation, committee, commission, council, board or other body of persons, whether incorporated or not, established by or under any law for the time being in force ;

(c) 'non-statutory body' means any body of persons other than a statutory body.

3. **Certain offices of profit not to disqualify**—It is hereby declared that none of the following offices, in so far as it is an office of profit under the Government of Jammu and Kashmir or the Government of India, shall disqualify the holder thereof for being chosen as, or for being, a member of the Jammu and Kashmir State Legislature, namely :—

✓(a) any office held by a Minister, Minister of State or Deputy Minister whether *ex-officio* or by name;

(b) the office of Chief Whip, Deputy Chief Whip or Whip in either House of the Jammu and Kashmir State Legislature;

(c) the office of a Chief Parliamentary Secretary or a Parliamentary Secretary or a Parliamentary Under Secretary;

(d) the office of Chairman or member of the syndicate, senate, executive committee, council or court of the University of Jammu and Kashmir or any other body connected with the said University;

²{(dd) the office of Chairman or member of a Committee, Commission or Board set up by the Government whether under a statute or by executive order, for or in connection with the—

(i) prevention of corruption,

(ii) development of the State in planned manner,

(iii) land reforms];

(e) the office of a member of any delegation or mission sent outside India by the Government for any special purpose;

1. Now The Universities of Jammu and Kashmir.

2. Clause (dd) ins. by J. & K. Act II of 1963.

(PART IV.—Law Relating to Removal of Disqualification)

(f) the office of Chairman or member of a committee, (whether consisting of one or more members), set up temporarily for the purpose of advising the Government or any other authority in respect of any matter of public importance or for the purpose of making an inquiry into, or collecting statistics in respect of, any such matter, if the holder of such office is not entitled to any remuneration other than compensatory allowance;

(g) the office of Chairman, Director or member of any statutory or non-statutory body other than any such body as is referred to in [clause (dd)] or clause (f) if the holder of such office is not entitled to any remuneration other than compensatory allowance.

Explanation.—For the purposes of this section, the office of Chairman or Secretary shall include every office of that description by whatever name called.

4. **Repeal** —The Jammu and Kashmir Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1957 is hereby repealed.

THE KARNATAKA LEGISLATURE (PREVENTION OF DISQUALIFICATION) ACT, 1956

ACT NO.4 OF 1957

An Act to declare certain offices of profit not to disqualify their holders for being chosen as, or for being, members of the Mysore Legislative Assembly and the Mysore Legislative Council.

WHEREAS it is expedient to declare that certain offices should not, under certain conditions, disqualify or be deemed to have disqualified, the holder thereof for being chosen as, or for being, members of the Mysore Legislative Assembly and the Mysore Legislative Council.

BE it enacted by the Mysore State Legislature in the Seventh Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title—This Act may be called the Mysore Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1956.

2. Definitions—In this Act, unless the context otherwise requires :—

(a) “Committee” means any Committee, Commission, Council, Board or any other body of one or more persons, whether statutory or not, set up by the Government of India or the Government of any State;

(b) “compensatory allowance” means such sum of money as the Central Government, or the Government of any State, as the case may be, may determine as being payable to the Chairman or any other member of a Committee by way of travelling allowance, daily allowance, sitting fee, conveyance allowance or house rent allowance for the purpose of enabling the Chairman or other member to recoup any expenditure incurred by him in attending any meeting of a Committee or performing any other function as a member of a Committee;

(c) “Statutory body” means any corporation, board, company, society or any other body of one or more persons, whether incorporated or not, established, registered or formed by or under any Central Law or the law of any State for the time being in force or exercising power and functions under any such law.

3. Removal of certain disqualifications—It is hereby declared that the following offices shall not disqualify and shall be deemed never to have disqualified, the holders thereof for being chosen as, or for being, members of the Mysore Legislative Assembly or the Mysore Legislative Council :—

(a) the office of a Deputy Minister, a Parliamentary Secretary *the Leaders of the Opposition or the Government Chief Whips.

(b) the offices held in the National Cadet Corps raised and maintained under the National Cadet Corps Act, 1948 (Central Act 31 of 1948) in the Territorial Army raised and maintained under the Territorial Army Act, 1948 (Central Act 56 of 1948), and in the Auxiliary Air Force and the Air Defence Reserve under the Reserve and Auxiliary Air Forces Act, 1952 (Central Act 62 of 1952);

[(bb) the office of a member of the Home Guards constituted under the Mysore Home Guards Act, 1962 (Mysore 35 of 1962);]

[(bb) (sic.) the office of a member of a Village Defence Party constituted under the Village Defence Parties Act, 1964. (Mysore 34 of 1964);]

*As amended in Karnataka Act No. 72 of 1976.

(c) the office of the Secretaries of the District Development Boards constituted by the State Government (by whatever name called) ;

* (cc) the offices of the Adhyaksha and Upadhyaksha of the Zilla Parishads constituted under the Karnataka Zilla Parishads, Taluk Panchayat Samithis, Mandal Panchayats and Nyaya Panchayats Act, 1983 (Karnataka Act 20 of 1985):

Provided that the holders of such office do not hold any other office of profit under the State Government;

(d) the office of the Chairman or Member of a Committee;

Provided that the holder of any such office is not in receipt of or entitled any remuneration other than the compensatory allowance.

*Amended in Karnataka Ordinance No. 2 of 1989 and published in Karnataka Special Gazette dated 30th January 1989.

THE LEGISLATIVE ASSEMBLY (REMOVAL OF DISQUALIFICATIONS)

ACT, 1951* (Act 15 of 1951)

Preamble:—Whereas, pursuant to sub-clause (a) of clause (1) of Article 191 of the Constitution of India read with Article 238 thereof, it is expedient to declare certain offices as offices which will not disqualify the holders thereof being chosen as, and for being, members of the (Legislative Assembly of the State of Kerala).

It is hereby enacted as follows:—

1. Short title and commencement—(1) This Act may be called the Legislative Assembly (Removal of Disqualifications) Act, 1951.

(2) It shall come into force at once.

2. Removal of certain disqualifications for membership— A person shall not be disqualified for being chosen as and for being, a member of the Legislative Assembly of the State of Kerala by reason only—

(i) that he is in receipt of the salaries or allowances to which he is entitled under the law for the time being in force relating to the payment of salaries and allowances to members of the Legislative Assembly of the State of Kerala or of travelling and daily allowances while serving as a member of any Committee or Board constituted by the Government of India or the Government of any State specified in the First Schedule to the Constitution of India; or

(ii) that he holds under the Government of India or the Government of any State specified in the First Schedule to the Constitution of India an office which is not remunerated either by salary or by fees payable out of the Consolidated Fund of India or of any such State; or

(iii) that he is a member of the Committee constituted to translate the Constitution of India into Malayalam; or

(iv) that he holds an office in any educational institution other than a Government institution; or

(v) that he holds an office in the National Cadet Corps raised and maintained under the National Cadet Corps Act, 1948 (Central Act XXXI of 1948), or in the Territorial Army raised and maintained under the Territorial Army Act, 1948 (Central Act LVI of 1948); or

(vi) that he is a member of the Air Defence Reserve or the Auxiliary Air Force raised under the Reserve and Auxiliary Air Forces Act, 1952 (62 of 1952).

(vii) that he holds the office of Chairman or member of the Kerala State Law Commission; or

(viii) that he is the Chairman or the Vice-Chairman or a member of the State Planning Board constituted by the Government or a member of the Backward Classes Reservation Commission constituted by the Government.

3. Removal of certain other disqualifications for membership—A person shall not be deemed to be or to have been disqualified for being a member of the Legislative Assembly of the State of Kerala by reason only that such person had prior to the commencement of this Act held under the State Government an office which was not a whole time office or that he had held an office in any educational institution other than a Government institution.

THE LEGISLATIVE ASSEMBLY (REMOVAL OF DISQUALIFICATIONS)

AMENDMENT ACT, 1979

(Act 4 of 1979)

An Act further to amend the Legislative Assembly (Removal of Disqualifications) Act, 1951

Preamble.—WHEREAS it is expedient further to amend the Legislative Assembly (Removal of Disqualifications) Act, 1951, for the purpose hereinafter appearing;

BE it enacted in the Thirtieth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title. This Act may be called the Legislative Assembly (Removal of Disqualifications) Amendment Act, 1979

2. Amendment of section 2.—Section 2 of the Legislative Assembly (Removal of Disqualifications) Act, 1951 (15 of 1951) (hereinafter referred to as the principal Act), shall be renumbered as sub-section (1) thereof, and, after sub-section (1) as so renumbered, the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(2) No person shall be disqualified or deemed ever to have been disqualified for being chosen as, and for being, a member of the Legislative Assembly of the State of Kerala by reason only—

(i) that he holds or has held the office of the Chairman of a Government Company.

Explanation.—For the purposes of this clause, “Government Company” means a company in which not less than fifty-one per cent. of the paid up share capital is held by the Government of Kerala or jointly by the Central Government and the Government of Kerala, and includes a company which is a subsidiary of any such company; or

(ii) that he holds or has held the office of the Chairman of a Corporation established or constituted by or under any Central or State Act and owned or controlled by the Government of Kerala”

3. Repeal and Savings.—(1) The Legislative Assembly (Removal of Disqualifications) Amendment Ordinance, 1978 (30 of 1978), is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the Principal Act as amended by this Act as if this Act had come into force on the 29th day of December, 1978.

**THE MADHYA PRADESH VIDHAN MANDAL SADASYA NIRHARTA
NIVARAN ADHINIYAM, 1967**

(No. 16 OF 1967)

[14th July 1967]

An Act to declare certain offices of the profit not to disqualify their holders for being chosen as or for being members of the State Legislature [Received the assent of the Governor on the 14th July, 1967 assent first published in the Madhya Pradesh Gazette, Extraordinary, on the 17th July, 1967.]

BE it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Eighteenth Year of the Republic of India as follows :—

1. **Short title**—This Act may be called the Madhya Pradesh Vidhan Mandal Sadasya Nirharta Nivaran Adhiniyam, 1967.

2. **Definitions.**—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) “Committee” means any committee, council, board or any other body of persons whether a statutory body or not set up by the Central Government or any State Government;

(b) “Statutory body” means any corporation, board, company, society or any other body of persons, whether incorporated or not, established, registered or formed by or under any law for the time being in force or exercising powers and functions under any such law.

3. **Prevention of disqualification**—(1) A person shall not be disqualified for being chosen as, or for being, a member of the Madhya Pradesh Legislative Assembly or the Madhya Pradesh Legislative Council by reason only of the fact that he holds any of the offices of profit under Government specified in the Schedule.

(2) Subject to the provisions of sub-section (1) no person holding the office of the Chairman or member of any Committee, shall be disqualified at any time for being chosen as, or for being, a member of the Madhya Pradesh Legislative Council by reason only of the fact that he holds such office :

Provided that the holder of any such office is not in receipt of any fee, allowances or remuneration other than travelling or daily allowances, not exceeding—

(i) the travelling allowance and daily allowance admissible to a first grade officer, serving under the State Government if such holder is not a member of the said Legislative Assembly or the Legislative Council; and

(ii) the travelling allowance and daily allowance admissible to a member of the House of the People or a member of the State Legislative Assembly, the State Legislative Council according as the office held is under the control of the Central Government, or the State Government, if such holder is a member of the said Legislative Assembly or Legislative Council.

Explanation.—For the purposes of this sub-section, the expression “Chairman” shall include ‘President’.

4. **Repeal**—The Madhya Pradesh Legislative Assembly Prevention of Disqualification Act, 1956 (1 of 1957) hereby repealed.

THE SCHEDULE

List of offices of profit under Government

[Vide section 3(1)]

1. Speaker and Deputy Speaker of the State Legislative Assembly.
2. Chairman and Deputy Chairman of the State Legislative Assembly.

मध्य प्रदेश विधान-मंडल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम, 1967

(क्रमांक 16 सन् 1967)

[14 जुलाई 1967]

दिनांक 14 जुलाई, 1967 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्य प्रदेश राजपत्र" असाधारण में दिनांक 17 जुलाई, 1967 को प्रथम बार प्रकाशित की गई।

कतिपय लाभ के पदों को उनके धारकों को राज्य विधान-मंडल के सदस्य चुने जाने या होने के लिए निरर्हित न बनाने वाले श्रेणों को धारण करने के हेतु

अधिनियम

भारत गणराज्य के अठारहवें वर्ष में मध्य प्रदेश विधान-मंडल द्वारा इसे निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाए।

1. संक्षिप्त नाम—यह अधिनियम मध्य प्रदेश विधान-मंडल सदस्य निरर्हता निवारण अधिनियम 1967 कहा जा सकेगा।

2. परिभाषाएँ—इस अधिनियम में, जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "समिति" से अभिप्रेत है केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोई भी समिति, परिषद्, बोर्ड या व्यक्तियों का कोई अन्य निकाय चाहे वह कानूनी निकाय हो या न हो;

(ख) "कानूनी निकाय" से अभिप्रेत है तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किया गया, रजिस्ट्रीकृत किया गया या बनाया गया या किसी भी ऐसी विधि के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाला तथा कृत्य करने वाला कोई भी निगम, बोर्ड, कम्पनी, सोसाइटी या व्यक्तियों का कोई अन्य निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो।

3. निरर्हता निवारण—(1) कोई भी व्यक्ति मध्य प्रदेश विधान सभा या मध्य प्रदेश विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने या उसका सदस्य होने के लिए केवल इस तथ्य के कारण ही निरर्हित नहीं होगा कि वह सरकार के अधीन लाभ के पदों में से, जो कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, कोई भी पद धारण करता है।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो किसी समिति के सभापति या सदस्य का पद धारण करता हो, किसी भी समय मध्य प्रदेश विधान सभा या मध्य प्रदेश विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने या होने के लिए केवल इस तथ्य के कारण निरर्हित नहीं होगा कि वह ऐसे पद को धारण करता है :

परन्तु किसी ऐसे पद के धारक को निम्नलिखित से अनधिक यात्रा भत्ते या दैनिक भत्ते से भिन्न कोई फीस, भत्ता या पारिश्रमिक नहीं मिलता हो—

(एक) यदि ऐसा धारक उक्त विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य न हो तो राज्य सरकार के अधीन सेवा करने वाले प्रथम श्रेणी के आफिसर के लिए स्वोकार्य यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता, और

(दो) यदि ऐसा धारक उक्त विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य हो, तो लोक सभा के सदस्य या राज्य विधान सभा या राज्य विधान परिषद् के सदस्य के लिए धारण किए गए पद के केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन होने की दशा के अनुसार, स्वोकार्य यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति "सभापति" के अन्तर्गत अभिव्यक्ति "अध्यक्ष" आएगी।

4. निरसन—मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेम्बली प्रिवेन्शन ऑफ डिमक्वालीफिकेशन निरसन ऐक्ट, 1956 (क्रमांक 1 सन् 1957) एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

अनुसूची

सरकार के अधीन लाभ के पदों की सूची

[धारा 3(1) देखिए]

1. राज्य विधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष।
2. राज्य विधान परिषद् का सभापति और उपसभापति।

3. Minister of State.
4. Deputy Minister.
5. Parliamentary Secretary.
6. Advocate General.
7. Government Pleader.
8. Public Prosecutor defined as in the Code of Criminal Procedure, 1898 (5 of 1898).
9. Any person appointed as, or performing the functions of a *Petal* under the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (20 of 1959) or a *Manjhi* or a *Chalki* in Bastar District.
10. Official Receiver appointed under the Provincial Insolvency Act, 1920 (5 of 1920).
11. *Sarpanch* of an irrigation panchayat as defined in the rules made under section 62 of the Madhya Pradesh Irrigation Act, 1931 (III of 1931).
12. Any office in the National Cadet Corps or the Territorial Army.
13. Any office in the Auxilliary Air Force or the Air Defence Reserve raised under the Reserved and Auxilliary Air Forces Act, 1952 (62 of 1952).
14. Member of the Naval, Military, Air Forces or any other armed forces of the Union during the period, the Proclamation of Emergency by the President of India, dated the 26th October, 1962, force and six remains in months thereafter.
15. Any office under an insurer the management of whose controlled business is vested in the Central Government under the Life Insurance (Emergency Provisions) Act, 1956 (9 of 1956).
Explanation.—For the purpose of item 15 “insurer” and “controlled business” shall have the meanings respectively assigned to them in the Life Insurance (Emergency Provisions) Act, 1956 (9 of 1956).
16. The office of the Leader of opposition in the Madhya Pradesh Legislative Assembly.
Explanation.—For the purpose of item 16, the Leader of the opposition shall have the meaning assigned to it in the Madhya Pradesh Vidhan Mandal Virodhi Dal Ka Neta (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1980.
17. Chairman and Vice-Chairman or President and Vice-President or Managing Director or Director of a Statutory Body, or a member of any committee by whatever name any of the aforesaid office is called.
Explanation.—For the purpose of item 17, the office mentioned therein shall included any other office held jointly with the office or any office held jointly with the office mentioned in item 17 in the statutory body.
18. Secretary of the Madhya Pradesh Khadi and Village Industries Board.

(भाग 4—निर्हताओं को हटाने संबंधी विधि)

3. राज्य मंत्री ।
 4. उप-मंत्री ।
 5. संसदीय सचिव ।
 6. महाधिवक्ता ।
 7. सरकारी प्लीडर ।
 8. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (क्रमांक 5 सन् 1898) में यथापरिभाषित लोक अभियोजक ।
 9. मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) के अधीन पटेल के रूप में नियुक्त या उसके कृत्यों का पालन करने वाला, या बस्तर जिले में मांझी या चाकी के रूप में नियुक्त या उसके कृत्यों का पालन करने वाला, कोई भी व्यक्ति ।
 10. प्राविन्शियल इन्साल्वेंसी ऐक्ट, 1920 (क्रमांक 5 सन् 1920) के अधीन नियुक्त किया गया राजकीय रिसेवर ।
 11. मध्य प्रदेश इरीगेशन ऐक्ट, 1931 (क्रमांक 3 सन् 1931) की धारा 62 के अधीन बनाए गए नियमों में यथापरिभाषित सिंचाई पंचायत का सरपंच ।
 12. नेशनल केडिट कोर या प्रादेशिक सेना में का कोई भी पद ।
 13. रिजर्व्ड एण्ड ब्राक्जीलरी ऐयर फोर्स ऐक्ट, 1952 (क्रमांक 62 सन् 1952) के अधीन स्थापित की गई ब्राक्जीलरी ऐयर फोर्स या ऐयर डिफेंस रिजर्व में का कोई भी पद ।
 14. भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात की उद्घोषणा दिनांक 26 अक्तूबर, सन् 1962 के प्रवृत्त रहने की कालावधि के दौरान और उसके पश्चात् छः मास के दौरान संघ को नौ-सेना, स्थल सेना, वायु सेना या किन्हीं अन्य सशस्त्र दलों का सदस्य ।
 15. ऐसे बीमाकर्ता के अधीन, जिसके कि नियंत्रित कारवार का प्रबंध लाइफ इन्श्योरेंस (इमर्जेन्सी प्रावी-जन्स) ऐक्ट, 1956 (क्रमांक 9 सन् 1956) के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो, कोई भी पद ।
- स्पष्टीकरण—मद 15 के प्रयोजन के लिए "बीमाकर्ता" तथा "नियंत्रित कारवार" के वही अर्थ होंगे जो कि लाइफ इन्श्योरेंस (इमर्जेन्सी प्रावीजन्स) ऐक्ट, 1956 (क्रमांक 9 सन् 1956) में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित किए गए हैं ।
16. मध्य प्रदेश विधान सभा में विरोधी दल के नेता का पद ।
- स्पष्टीकरण—मद 16 के प्रयोजन के लिए विरोधी दल के नेता का वही अर्थ होगा जो कि उसे मध्य प्रदेश विधान-मंडल विरोधी दल का नेता (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980 में दिया गया है ।
- 17. किसी कानूनी निकाय का सभापति तथा उप-सभापति या अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष या प्रबन्ध संचालक या संचालक या किसी समिति का कोई सदस्य, भले ही पूर्वोक्त पदों में से कोई पद किसी भी नाम से ज्ञात हो ।

स्पष्टीकरण—मद 17 के प्रयोजन के लिए, उस पद के, जो इसमें वर्णित है, अन्तर्गत आया किसी कानूनी निकाय में उस पद के साथ संयुक्ततः धारित कोई अन्य पद या किसी पद के साथ संयुक्ततः धारित मद 17 में वर्णित पद ।
- 18. मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का सचिव ।

¹[THE MAHARASHTRA LEGISLATURE MEMBERS (REMOVAL OF DISQUALIFICATION ACT, 1956]

(ACT No. LII OF 1956)

[12th December, 1956]

An Act to provide for the removal of certain disqualifications for being chosen as, and for being, a member of, ²[the Maharashtra Legislative Assembly and the Maharashtra Legislative Council].

WHEREAS by the Constitution of India provision has been made for declaring by Act of the State Legislature any office of profit under the Government of India or the Government of any State specified in the First Schedule to the said Constitution not to disqualify its holder for being chosen as, and for being, a member of a State Legislature;

AND WHEREAS it is expedient to make such declaration; It is hereby enacted in the Seventh Year of the Republic of India as follows :—

1. **Short title and commencement**— ³[(1) This Act may be called the Maharashtra Legislature Members (Removal of Disqualifications) Act, 1956.]

(2) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of November, 1956.

2. **Removal of certain disqualifications**—A person shall not be disqualified for being chosen as, or for being, a member of, the ⁴[Maharashtra Legislative Assembly] or the ⁶[Maharashtra Legislative Council] merely by reason of the fact that he holds any of the offices specified in Schedule I appended hereto.

3. **Temporary provisions**—For the removal of doubt, it is hereby declared that a person deemed to have been elected or chosen as a member of the Bombay Legislature under section 28 or section 34 of the States Reorganisation Act, 1956 (37 of 1956) shall not be deemed to be disqualified for being elected or chosen as, or for being, a member of the said Legislature merely by reason of the fact that he holds an office declared, by any of the Acts specified in Schedule II or any other law in force immediately before the 1st day of November, 1956, to be an office of profit which shall not disqualify the holder for being elected or chosen as, or for being, a member of a State Legislature.

2. **Repeal**—The Bombay Legislature Members (Removal of Disqualifications) Act, 1951 (Bom. XXV of 1951) is hereby repealed.

SCHEDULE I*

(See section 2)

1. The office of the Parliamentary Secretaries to the Ministers of the ⁶[Government of Maharashtra].
2. The office of part-time professors or lecturers in a Government college.
3. Any office in the National Cadet Corps, the Territorial Army, the Air Defence Reserve and the Auxiliary Air Force.

*See also section 6(4) of Mah. 37 of 1961.

1. For Statement of Objects and Reasons, see Bombay Government Gazette, 1956, Part V, pages 345-346.
2. These words were substituted for the words "the Bombay Legislative Assembly and the Bombay Legislative Council" by Mah. 15 of 1980, Schedule.
3. Sub-section (1) was substituted, *ibid.*
4. These words were substituted for the words "Bombay Legislative Assembly" by the Maharashtra Adaptation of Laws (State and Concurrent Subjects) Order, 1960.
5. These words are substituted for the words "Bombay Legislative Council", *ibid.*
6. These words were substituted for the words "Government of Bombay" by the Maharashtra Adaptation of Laws (State and Concurrent Subjects) Order, 1960.

4. Any office in the Home Guards.

5. Any office in a village defence party (by whatever name called) constituted by or under the authority of the State Government.

* * * * *

7. The office of the Secretaries of the District of Regional Development Boards constituted by the State Government (by whatever name called) :

Provided that the holders of such office do not hold any other office of profit under the State Government.

8. Any office under an insurer the management of whose controlled business has vested in the Central Government under the Life Insurance [Emergency Provisions Act, 1956 (9 of 1956)].

Explanation.—For the purpose of this entry the expressions “controlled business” and “insurer” shall have the meanings assigned to them in the Life Insurance (Emergency Provisions) Act, 1956 (9 of 1956).

9. The office of an Honorary Medical Officer or Honorary Assistant Medical Officer in a hospital under Government management.

²[9A. The office of Chairman or member of the committee of any co-operative society (which is registered or deemed to be registered under any law for the time being in force relating to the registration of co-operative societies) to which appointment is made by the State Government, or the office of liquidator or joint liquidator to which appointment is made by the Registrar of Co-operative Societies, or the office of nominee of the Registrar whether appointed individually or to a board of nominees.]

10. The office of the Chairman or member of the ³[Labour Welfare Board] constituted under the Bombay Labour Welfare Fund Act, 1953 (Bom. XL of 1953).

⁴[10A. The office of a member of the Maharashtra Industrial Development Corporation nominated under clause (b), (c) or (d) of sub-section (1) of section 4 of the Maharashtra Industrial Development Act, 1961 (Mah. III of 1961), by reason only of his holding such office.]

⁵[10AA. The office of a member of the Maharashtra Industrial Development Corporation nominated under clause (d), (e), (f), (g) or (h) in section 4 of the Maharashtra Industrial Development Act, 1961 (Mah. III of 1961), by reason only of his holding such office.]

⁶[10B. The office of a member (including the Chairman, Vice-Chairman, member-secretary) of the Maharashtra State Khadi and Village Industries Board, or of the Maharashtra State Khadi and Village Industries Council constituted under the Bombay Khadi and Village Industries Act, 1960 (Bom. XIX of 1960) or the office of a member of any committee constituted under that Act.]

11. The office of the Chairman or member of any committee or body appointed by the Central or State Government :

Provided that the Chairman or any member or such committee or body does not receive any remuneration other than the compensatory allowance.

1. Entry 6 was omitted by Mah. 2 of 1964, s. 3

2. Entry 9A was deemed always to have been inserted by Mah. 23 of 1963, s. 3.

3. These words were substituted for the words “Bombay Labour Welfare Board” by the Maharashtra Adaptation of Laws (State and Concurrent Subjects) Order 1960.

4. Entry 10A was inserted by Mah. 3 of 1962, s. 69.

5. Substituted by Mah. 44 of 1981.

6. Entry 10B was inserted by Mah. 28 of 1965, s. 39.

(PART IV —Law Relating to Removal of Disqualification)

Explanation.—For the purpose of this entry, “compensatory allowance” shall mean the travelling allowance, the daily allowance or such other allowances which is paid to the holder of the office for the purpose of meeting the personal expenditure in attending the meeting of the committee or body or in performing any other functions as the holder of the said office.

¹[12. The office of an examiner for any examination held by the Central or State Government or by the Union Public Service Commission or the ²[Maharashtra Public Service Commission.]

13. The following offices held under the Employees’ State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) to provide medical benefit to insured persons under the said Act. that is to say,—

(a) the office of an Insurance Medical Practitioner,

(b) the office of a part-time medical officer or specialist in a hospital, dispensary, nursing home, maternity home or other institution established by the Employees’ State Insurance Corporation or the State Government, and

(c) the office of a medical practitioner appointed to provide medical benefit to insured persons in any private hospital, dispensary, nursing home or maternity home or other institution recognised for the purpose by the Employees’ State Insurance Corporation or the State Government.]

³[14. The office of the Chairman or member of the Maharashtra State Police Commission appointed by the State Government.]

⁴[15 The office of a member of the Maharashtra Housing and Area Development Authority (including the President and the Vice-President thereof) constituted under the Maharashtra Housing and Area Development Act, 1976 (Mah. XXVIII of 1977), or a member of any of the Housing and Area Development Boards (including the Chairman and the Vice-Chairman thereof) established under that Act, or a member of any *Panchayat* (including the *Sarpanch* and *Upa-sarpanch* thereof) established under that Act, by reason only of his holding such office.]

⁵[16. The office of the member (including the Chairman or Vice-Chairman) of the Authority constituted under the Bombay Metropolitan Region Development Authority Act, 1974 (Mah. IV of 1975) or of any of its committees or Boards constituted under that Act.]

⁶[17. The office of the Chairman or a member of the Maharashtra State Law Commission constituted by the State Government]

⁷[18. The office of a member (including the Chairman and the Vice-Chairman) of the Maharashtra State Road Transport Corporation constituted under the Road Transport Corporation Act, 1950 (LXIV of 1950) or of any of its committees constituted under that Act.]

⁸[19. The office of the Chairman, Vice-Chairman or any other member of the Board of Directors (by whatever name called) of any other Corporation, owned or controlled by the State Government, which is not mentioned in any of the above entries in this Schedule and to which appointment is made by the State Government.

1. Entries 12 and 13 were added by Bom. 52 of 1958, s. 2.

2. These words were substituted for the words “Bombay Public Service Commission” by the Maharashtra Adaptation of Laws (State and Concurrent Subjects) Order, 1960.

3. Entry 14 was added by Mah. 15 of 1962, s. 2.

4. Entry 15 was substituted by Mah. 28 of 1977, s. 192.

5. Entry 16 was inserted by Mah. 4 of 1975, s. 10(2).

6. Entry 17 was inserted by Mah. 7 of 1978, s. 2.

7. Entry 18 was added by Mah. 23 of 1980, s. 2.

8. Entry 19 was added by Mah. 38 of 1981, s. 2.

Explanation.—For the purpose of this entry,—

(1) the expression “a corporation” means any body corporate and shall include a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) in its application to the State of Maharashtra, or any body constituted under any law for the time being in force;

(2) the expression “a corporation controlled by the State Government” shall include a corporation in which not less than twenty-five per cent. of the paid up share capital is held by the State Government.]

SCHEDULE II

(See section 3)

(1) The Hyderabad Legislative Assembly (Prevention of Disqualification) Act, 1955 (Hyderabad Act XVIII of 1955).

(2) The Madhya Pradesh Offices of Profit (Removal of Disqualifications) Act, 1950 (Madhya Pradesh Act VII of 1950)

(3) The Saurashtra Legislative Assembly (Prevention of Disqualification) Act, 1950 (Saurashtra Act VI of 1950).

(4) Section 28(5) of the States Reorganisation Act, 1956 (37 of 1956).

**THE MANIPUR LEGISLATURE (REMOVAL OF DISQUALIFICATIONS)
ACT, 1972**

(MANIPUR ACT NO. 1 OF 1973)

An Act to declare in accordance with the provisions contained in sub-clause (a) of clause (1) of article 191 of the Constitution of India that the holders of certain offices of profit under the Government of India or the Government of any State specified in the First Schedule to the Constitution of India shall not be disqualified for being chosen as, and for being, members of the Manipur Legislative Assembly.

It is hereby enacted by the Legislature of Manipur in the Twenty-third Year of the Republic of India as follows :—

1. **Short title and commencement**—(1) This Act may be called the Manipur Legislature (Removal of Disqualifications) Act, 1972.

(2) It shall come into force at once.

2. **Removal of certain disqualification for membership**—(1) It is hereby declared that a person shall not be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the Manipur Legislative Assembly by reason only of the fact that he holds any of the following offices of profit under the Government of India or the Government of any State specified in the First Schedule to the Constitution of India, namely:—

(a) an office of the Parliamentary Secretary or Deputy-Chairman of the State Planning Board, Manipur or the Chairman of the Hill Areas Committee of the Manipur Legislative Assembly;

(b) an office which is not a whole time office remunerated either by salary or by fees;

(c) the office of a Minister of State or of a Deputy Minister;

(d) the office of the Speaker or the Deputy Speaker of the Manipur Legislative Assembly;

(e) the office of the Chief Whip or Deputy Chief Whip or Whip in Parliament or in the Manipur Legislative Assembly;

(f) Chairman of the District Council, Manipur;

(g) Chairman of the Manipur State Pay Commission;

(h) Chairman or Vice-Chairman, Manipur Khadi and Village Industries Board, Imphal.

(2) Notwithstanding any judgment or order of any Court or Tribunal, the aforesaid offices from clauses (c) to (h) shall not disqualify or shall be deemed never to have disqualified the holders thereof for being chosen as, or for being, members of the Manipur Legislative Assembly as if this Act had been in force on 6th day of February, 1973.

**THE PREVENTION OF DISQUALIFICATION (MEMBERS OF THE
LEGISLATIVE ASSEMBLY OF MEGHALAYA) ACT, 1972**

(ACT 3 OF 1972)

[23rd April, 1972]

An Act to declare certain offices of profit not to disqualify their holders for being chosen as, and for being, members of the Legislative Assembly of Meghalaya.

BE it enacted by the Legislature of Meghalaya in the Twenty-third year of the Republic of India as follows :—

1. Short title and commencement—(1) This Act may be called the Prevention of Disqualification (Members of the Legislative Assembly of Meghalaya) Act, 1972.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 21st day of January, 1972.

2. Removal of disqualification in certain cases—A person shall not be disqualified or shall not be deemed ever to have been disqualified for being chosen as, or for being, a member of the Legislative Assembly of Meghalaya by reason of the fact that he holds any of the offices specified in the Schedule in so far as it is an office of profit under the State Government.

3. Repeal of Meghalaya State Ordinances 1 and 5 of 1972—The prevention of disqualification (Members of the Legislative Assembly of the State of Meghalaya) Ordinance, 1972 and the Prevention of Disqualification (Members of the Legislative Assembly of the State of Meghalaya) (Amendment) Ordinance, 1972 are hereby repealed.

THE SCHEDULE

(See Section 2)

1. Any office held by a Minister, Minister of State, Deputy Minister or Parliamentary Secretary for Meghalaya.

1A. The Office of the Leader of the Opposition.

2. The Office of the Minister of State or the Deputy Minister to the Government of Meghalaya.

3. The Office of the Parliamentary Secretary to the Government of Meghalaya.

4. The Office of Government Pleader or Public Prosecutor.

5. The Office of the part-time Professor, Lecturer, Instructor or Teacher in Government Educational Institution of which term shall include Additional Government Pleader, Government Advocate, Additional Public Prosecutor, Assistant Government Pleader, Assistant Public Prosecutor and any other advocate or Pleader specially appointed by the Government to conduct State cases before any Court or Tribunal.

6. Medical practitioner rendering part-time service to Government.

7. The Office of the Chairman, Vice-Chairman, or member of any Committee, Board or authority appointed by the Government of India or Government of any State specified in the First Schedule to the Constitution of India.

Explanation 1.—“Committee” means any Committee, Commission, Council or any other body of one or more persons, whether statutory or not, set up by the Government of India or the Government of any State.

Explanation 2.—“Board or Authority” means any Corporation, Company Society or any other body of one or more persons whether incorporated or not, established, registered or formed by or under any Central Law or Law of any State for the time being in force or exercising powers and functions under any such law.

Prevention of Disqualification (Members of the Legislative Assembly of Meghalaya) Act, 1972
(PART IV—Law Relating to Removal of Disqualification)

7A. The office, whether whole-time or not of the Chairman, Vice-Chairman, Deputy Chairman or member of the State Planning Board or of the State Level Public Grievances Committee or any other Board or Committee constituted by the State Government of Meghalaya.

8. Any office under the Government which is not a whole-time office remunerated either by salary or fees.

9. The office of Chairman, Chief Executive Member or other Executive Member or ordinary member of a District Council in an Autonomous District or any member nominated to such a District Council by the Governor.

10. Any office held in the Territorial Army or National Cadet Corps.

11. The office of the Speaker or Deputy Speaker of the Legislative Assembly of Meghalaya.

12. The office of the Chairman or Vice-Chairman of the Municipal Board.

13. Any office in a Village Defence Party (by whatever name called) constituted by or under the authority of the State Government.

14. The office of Chairman or Member of the Committee or any Co-operative Society (which is registered or deemed to be registered under any law for the time being in force relating to the registration of Co-operative Societies) to which appointment is made by the State Government, or the office of Liquidator or Joint Liquidator to which appointment is made by the Registrar of Co-operative Societies or the office of nominee of the Registrar whether appointed individually or to a Board of nominees.

15. The office of Chief Whip, Deputy Chief Whip or Whip of the Ruling or Opposition Party or group.

16. The office of a Chairman or Deputy Chairman of any Board or Committee or any office, which a member of the Meghalaya Legislative Assembly holding it enjoys the facilities, privileges or status of a Minister or a Minister of State, as the case may be.

Note:—The Act is as it stands amended up to 31-12-1985 last amended vide Meghalaya Act No. 10 of 1985.

**THE MIZORAM UNION TERRITORY LEGISLATURE MEMBERS'
(REMOVAL OF DISQUALIFICATIONS) ACT, 1975**

[27th December 1975]

An Act to provide for the removal of certain disqualifications for being chosen as and for being a member of the Mizoram Legislative Assembly.

Preamble—Whereas it is expedient to provide in accordance with the provisions of Article 191 (1) (a) of the Constitution of India that the holders of the officers hereinafter mentioned shall not be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the Mizoram Legislative Assembly :

It is hereby enacted in the twenty-fifth (25th) Year of the Republic of India as follows:—

1. **Short title, extent and commencement**—This Act may be called the Mizoram Union Territory Legislature Members' (Removal of Disqualification) Act, 1975.

(2) It extends to the whole of Mizoram.

(3) It shall be deemed to have come into force on the 10th May, 1972.

2. **Removal of certain disqualifications**—A person shall not be and shall be deemed never to have been disqualified or being chosen as or for being, a member of the Mizoram Legislative by reason of the fact that he holds any of the offices specified in the Schedule appended hereto.

SCHEDULE

1. Any office held by a Minister of State or Deputy Minister for the Union or for any State specified in the First Schedule to the Constitution of India.

2. The office of the Parliamentary Secretary to the Government of India or to the Government of Mizoram.

3. The office of the Chief Whip, Deputy Chief Whip or Whip in Parliament or in the Mizoram Legislative Assembly.

4. The [office of the Chief Executive Member, Executive Member, Chairman], Vice-Chairman or Member of any Autonomous District Councils and the President, Vice-President or member of any Village Council constituted in Mizoram under any existing law or Regulation.

5. The office of the Government Pleader or Public Prosecutor.

6. The office of the part-time, Professor, Lecturer, Instructor or Teacher in Government Educational Insututions.

7. Medical Practitioner rendering part-time service to Government.

8. The office of Chairman, Vice-Chairman, or Member of any Committee, Board or Authority appointed by the Government of India or the Government of any State or Union territory specified in the First Schedule to the Constitution of India.

9. Any office under the Government which is not a whole-time office remunerated either by salary or fees.

10. Any office held in the Territorial Army or National Cadet Corps.

11. Any office held in Auxiliary Air Force or Air Defence Reserve.

1. Subs. by the Mizoram Union Territory Legislature Members' (Removal of Disqualification) Amendment Act, 1986 (Mizoram Act No. 5 of 1986), s. 2.

**THE NAGALAND STATE LEGISLATURE MEMBERS (REMOVAL OF
DISQUALIFICATION) ACT, 1964**

(NAGALAND ACT NO. 1 OF 1964)

**An Act to provide for the removal of certain disqualifications for being
chosen as and for being a member of the Nagaland Legislative Assembly.**

WHEREAS it is expedient to provide in accordance with the provisions of article 191 (1) (a) of the Constitution of India that the holders of the offices hereinafter mentioned shall not be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the Nagaland Legislative Assembly.

It is hereby enacted in the Fifteenth Year of the Republic of India as follows:—

1. **Short title, extent and commencement** (1) This Act may be called the Nagaland State Legislature Members (Removal of Disqualification) Act, 1964.

(2) It extends to the whole of Nagaland.

(3) It shall be deemed to have come into force on the 11th day of February, 1964.

2. **Removal of certain disqualifications**—A person shall not be deemed never to have been disqualified for being chosen as, or for being, a member of the Nagaland Legislative Assembly by reason of the fact that he holds any of the offices specified in the Schedule appended hereto.

SCHEDULE

1. Any office held by a Minister of State or Deputy Minister for the Union or for any State specified in the First Schedule to the Constitution of India.

2. The office of the Parliamentary Secretary to the Government of India or to the Government of Nagaland.

3. The office of the Chief Whip, Deputy Chief Whip or Whip in Parliamentary or is the Nagaland Legislative Assembly.

4. The office of the Chairman, Vice-Chairman or member of any Regional Tribal Area, Range or Village Council constituted in Nagaland under any existing law or Regulation.

5. The office of Government Pleader or Public Prosecutor.

6. The office of part-time Professor, Lecturer, Instructor or Teacher in Government educational institutions.

7. Medical practitioner rendering part-time service to Government.

8. The office of Chairman, Vice-Chairman or member or members of any Committee, Board or Authority appointed by the Government of India or the Government of any State specified in the First Schedule to the Constitution of India.

9. Gaonbura, Chowkidar whether called by this or any other title.

10. Any office under the Government which is not a whole-time office remunerated either by salary or fees.

11. Any office held in the Territorial Army or National Cadet Corps.

12. Any office held in Auxiliary Air Force or Air Defence Reserve.

THE ORISSA OFFICES OF PROFIT (REMOVAL OF
DISQUALIFICATIONS) ACT, 1951

(ORISSA ACT XXXV OF 1951)

[31st October, 1951]

An Act to declare certain offices of profit not to disqualify their holders for being chosen as, and for being a member of the Orissa Legislative Assembly.

WHEREAS it is expedient to declare certain offices of profit under the Government of India or Government of any State so as not to disqualify their holders for being chosen as, and for being members of the Orissa Legislative Assembly :

It is hereby enacted as follows:—

1. **Short title, extent and commencement**—(1) This Act may be called the Orissa Offices of Profit (Removal of Disqualifications) Act, 1951.

(2) It extends to the whole of the State of Orissa.

(3) It shall come into force at once.

2. **Definitions**—In this Act unless there is anything repugnant in the subject or context :—

(a) "Government" means Government of India or Government of any State specified in the First Schedule to the Constitution;

(b) "Compensatory allowance" means travelling allowance, daily allowance, conveyance allowance and house rent allowance.

3. **Removal and prevention of disqualifications**—It is hereby declared that the following offices of profit under the Government shall not disqualify and shall be deemed never to have disqualified, the holders thereof for being chosen as, and for being members of the Orissa Legislative Assembly, namely:—

(i) office of members of the Regional Posts and Telegraphs Advisory Committee, Local Advisory Committee (Railway) and any other Committee, Board, Tribunal or Commission, office for advising Government or for performance of any special duty and such other like offices the holders of which being appointed by Government are allowed daily allowance not exceeding twenty rupees per day besides receiving any other compensatory allowance :

Provided that such holders of office are not paid any fee or remuneration other than any compensatory allowance;

(ii) the office of a Parliamentary Secretary to a Minister if and when it is created;

(iii) any office in the National Cadet Corps or the Territorial Army;

(iv) membership of the Statutory Bodies constituted under the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948);

(v) Persons in the employ of an insurer the management of whose controlled business has vested in the Central Government under the Life Insurance (Emergency Provisions), Act, 1956 (9 of 1956).

4. **Repeal of Or. Act V of 1937**—The Orissa Offices of Profit (Removal of Disqualifications) Act, 1937 is hereby repealed.

-
1. **LEGISLATIVE PAPERS**—For Statement of Objects and Reasons *see*, Oriss Gazette, Extraordinary, dated the 18th September, 1951, P. 2 and for proceedings in the Assembly, *see* Proceedings of the Orissa Legislative Assembly, 1951, Vol. XIV, No. 23, pp. 43-44.
 2. Inserted by the Orissa Offices of Profit (Removal of Disqualifications) (Amendment) Act, 1954 (Or. Act X of 1954), s. 2.
 3. Inserted by the Orissa Offices of Profit (Removal of Disqualifications) (Amendment) Act, 1956 (Or. Act 20 of 1956), s. 2.

THE PARLIAMENTARY SECRETARY (PAYMENT OF SPECIAL
ALLOWANCE AND PREVENTION OF DISQUALIFICATION) ACT, 1971

(ACT No. 12 OF 1971)

[11th June, 1971]

An Act to provide for the payment of special allowance to the Parliamentary Secretary and to declare that the office of the Parliamentary Secretary shall not disqualify the holder thereof for being chosen as, or for being, a member of the Legislative Assembly of Pondicherry.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Pondicherry in the Twenty-second Year of the Republic of India as follows:—

1. **Short title and commencement** —This Act may be called the Parliamentary Secretary (Payment of Special Allowance and Prevention of Disqualification) Act, 1971.

(2) It shall come into force at once.

2. **Payment of special allowance to the Parliamentary Secretary**—A member of the Legislative Assembly of Pondicherry, who is appointed as Parliamentary Secretary, shall, in addition to the salary and other allowances to which he is entitled from time to time as such member, be paid a special allowance of one hundred and fifty rupees per month.

3. **Office of Parliamentary Secretary not to disqualify**—It is hereby declared that the office of Parliamentary Secretary shall not disqualify the holder thereof for being chosen as, or for being, a member of the Legislative Assembly of Pondicherry.

**THE RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY MEMBERS
(REMOVAL OF DISQUALIFICATION) ACT, 1956
(ACT No. 7 OF 1957)**

[11th day of January, 1957]

An Act to declare certain offices of profit not to disqualify their holders for being, or for being chosen as, members of the Legislative Assembly of the State.

WHEREAS it is expedient to consolidate and amend the law declaring the offices of profit in the State which shall not disqualify their holders for being, or for being chosen as, members of the Legislative Assembly of the State.

BE it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventh Year of the Republic of India as follows:—

1. **Short title and commencement**—(1) This Act may be called the Rajasthan Legislative Assembly Members (Removal of Disqualification) Act, 1956.

(2) It shall come into force at once.

2. **Interpretation** (1)—In this Act unless the subject or context otherwise requires, “State” means the new State of Rajasthan as formed by section 10 of the States Reorganisation Act, 1956 (Central Act 37 of 1956).

(2) The provisions of the Rajasthan General Clauses Act, 1955 (Rajasthan Act 8 of 1955) in force in the pre-reorganisation State of Rajasthan shall as far as may be, apply *mutatis mutandis* to this Act.

3. **Removal and prevention of disqualification for membership of the State Legislative Assembly**—It is hereby declared that the following offices shall not disqualify, and shall be deemed never to have disqualified, the holders thereof for being chosen as, or for being, members of the State Legislative Assembly, namely:—

(a) the office of a Minister of State or a Deputy Minister;

¹[(aa) the office of the Government Chief Whip];

²[(aaa) the office of the Deputy Government Chief Whip];

(b) the office of a Parliamentary Secretary or a Parliamentary Under Secretary;

³[(bb) the office of the Leader of the Opposition in the Rajasthan Legislative Assembly];

(c) the office of a chairman or the member of a committee set up for the purpose of advising the Government or any other authority in respect of any matter of public importance or for the purpose of making an enquiry into, or collecting statistics in respect of, any such matter; provided that the holder of any such office is not in receipt of, or entitled to, any fee or remuneration other than compensatory allowance;

(d) the office held by officers in the National Cadet Corps raised and maintained under the National Cadet Corps Act, 1948 (Central Act, 31 of 1948) or in the Territorial Army raised and maintained under the Territorial Army Act, 1948 (Central Act 56 of 1948) or in the Auxiliary Air Force or the Air Defence Reserve raised under the Reserve and Auxiliary Air Force Act, 1952 (Central Act 62 of 1952);

(e) the office of a Chairman or a member of the committee other than any such committee as is referred to in clause (c);

1. Inserted and shall be deemed always to have been inserted by section 5 of Rajasthan Act No. 7 of 1969, published in the Rajasthan Gazette, Extraordinary, Part IV-A, dated 16-4-1969.

2. Inserted by section 16(a) of Rajasthan Act No. 4 of 1981, published in the Rajasthan Gazette, Extraordinary, Part IV-A, dated 2-4-1981.

3. Inserted by section 16(b), *ibid.*

राजस्थान विधान-सभा सदस्य (निरर्हता-निराकरण) अधिनियम, 1956

(1957 का अधिनियम सं० 7)

(राज्यपाल की अनुमति 11 जनवरी, 1957 को प्राप्त हुई)

ताम के कतिपय पद उनके धारकों को, राज्य की विधान सभा सदस्य के रूप में चुने जाने या सदस्य होने से निरर्हित नहीं करते, यह घोषणा करने के लिए अधिनियम

यतः राज्य में के ताम के जो पद उनके धारकों को राज्य की विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने या सदस्य होने से निरर्हित नहीं करेंगे उनकी घोषणा करने वाली विधि को संशोधित और संशोधित करवा समीचीन है;

भारत गणराज्य के सातवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विधान सभा सदस्य (निरर्हता-निराकरण) अधिनियम, 1956 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. निर्बंधन—(1) जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इस अधिनियम में, "राज्य" से राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 37) की धारा 10 द्वारा निर्मित नया राजस्थान राज्य अभिप्रेत है।

(2) पुनर्गठन-पूर्व के राजस्थान राज्य में प्रवृत्त राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम 8) के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित यावत्शक्य इस अधिनियम पर लागू होंगे।

3. राज्य विधान सभा की सदस्यता के लिए निरर्हता का निराकरण एवं निवारण—एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित पद, उनके धारकों को राज्य विधान सभा के सदस्यों के रूप में चुने जाने या सदस्य होने से निरर्हित नहीं करेंगे या उन्होंने कभी भी निरर्हित किया है, यह नहीं समझा जाएगा, अर्थात् :—

(क) राज्य मंत्री या उप-मंत्री का पद;

¹[(कक) सरकारी मुख्य सचेतक का पद;]

²[(ककक) सरकारी उप-मुख्य सचेतक का पद;]

(ख) संसदीय सचिव या भवर संसदीय सचिव का पद;

³[(खख) राजस्थान विधान सभा में विपक्ष के नेता का पद;]

(ग) लोक महत्व के किसी मामले के बारे में सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण को सलाह देने के प्रयोजन के लिए या ऐसे किसी मामले में जांच करने या उसके संबंध में आंकड़े इकट्ठे करने के प्रयोजन के लिए गठित समिति के अध्यक्ष या सदस्य का पद; यदि ऐसे किसी पद का धारक प्रतिकरात्मक भत्ते से भिन्न कोई फौस प्राप्त न करता हो या किसी पारिश्रमिक का हकदार न हो;

(घ) राष्ट्रीय केडेट कॉर अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 31) के अधीन समुस्थापित और संघारित राष्ट्रीय केडेट कॉर में या प्रादेशिक सेना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 56) के अधीन समुस्थापित और संघारित प्रादेशिक सेना में या आराक्षत तथा सहायक वायु सेना अधिनियम, 1952 (1952 का केन्द्रीय अधिनियम 62) के अधीन समुस्थापित सहायक वायु सेना या एयर डिफेंस रिजर्व में के अधिकारियों द्वारा धारित पद;

(ङ) खण्ड (ग) में यथानिर्दिष्ट किसी समिति से भिन्न समिति के अध्यक्ष या सदस्य का पद;

1. दिनांक 16-4-1969 के राजस्थान राजपत्र, विशेषांक, भाग 4 के में प्रकाशित 1969 के राजस्थान अधिनियम सं० 7 की धारा 5 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया और सर्वे से अन्तःस्थापित किया गया समझा जाएगा।
2. दिनांक 2-4-1981 के राजस्थान राजपत्र, विशेषांक, भाग 4क में प्रकाशित 1981 के राजस्थान अधिनियम सं० 4 की धारा 16(क) द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।
3. धारा 16 (ख) पूर्वोक्त द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

(PART IV.—Law Relating to Removal of Disqualification)

(f) the office of a chairman, director, member or any officer of a statutory body, where the power to make any appointment to any such office or the power to remove any person therefrom is vested in the Government;

(g) the office of profit under an insurer, the management of whose controlled business has vested in the Central Government under the Life Insurance (Emergency Provisions) Act, 1956 (Central Act 9 of 1956).

Explanation.—In this section, unless the subject or context otherwise requires,—

(i) “committee” means any committee, commission, council, board or any other body of persons whether a statutory body or not, set up by Government;

(ii) “compensatory allowance” means such sum of money as the Government may determine as being payable to the chairman or any other member of a committee by way of travelling allowance, daily allowance, conveyance allowance or house rent allowance for the purpose of enabling the chairman or other member to recoup any expenditure incurred by him in attending any meeting of a committee or performing any other function as a member of the committee;

¹[(iii) “daily allowance” means such daily allowance as shall not exceed the amount of daily allowance admissible to a Member of the State Legislative Assembly in accordance with the provisions of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments) Act, 1956, as amended from time to time, and the rules made thereunder;]

(iv) “insurer” means an insurer as defined in clause (5) of section 2 of the Life Insurance (Emergency Provisions) Act, 1956 (Central Act 9 of 1956);

(v) “statutory body” means any corporation, board, company, society or any other body of persons, whether incorporated or not, established, registered or formed by or under any law for the time being in force or exercising powers and functions under any such law.

4. Repeal—The Rajasthan Legislative Assembly Members (Removal of Disqualification) Ordinance, 1956 (Rajasthan Ordinance 10 of 1956) is hereby repealed.

1. Substituted by section 2 of Rajasthan Act No. 3 of 1976, published in the Rajasthan Gazette, Extraordinary, Part IV-A, dated 24-1-1976. Amendment shall be deemed to have come into force w.e.f. 1-4-1975.

(च) किसी कानूनी निकाय के अध्यक्ष, निदेशक, सदस्य या किसी अधिकारी का पद, जहाँ किसी ऐसे पद पर किसी को नियुक्त करने की शक्ति या किसी व्यक्ति को वहाँ से हटाने की शक्ति सरकार में निहित हो;

(छ) किसी ऐसे बीमाकर्ता, जिसके नियन्त्रित व्यापार का प्रबन्ध जीवन बीमा (आपात उपबन्ध) अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 9) के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गया है, के अधीन लाभ का पद;

स्पष्टीकरण—जब तक विषय या सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस धारा में,—

(i) "समिति" से सरकार द्वारा गठित कोई समिति, आयोग, परिषद्, बोर्ड या व्यक्तियों का कोई अन्य निकाय, चाहे वह कानूनी निकाय हो या न हो, अभिप्रेत है;

(ii) "प्रतिकरात्मक भत्ता" से ऐसी धनराशि अभिप्रेत है जिसका समिति के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को समिति की किसी बैठक में उपस्थित होने या समिति के सदस्य के रूप में कोई अन्य कृत्य करने में उसके द्वारा उपगत किसी व्यय की प्रतिपूर्ति करने में अध्यक्ष या सदस्य को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ते, प्रवहण भत्ते या गृह किराए भत्ते के रूप में संदेय होना सरकार प्रवधारित करे;

¹[(iii) "दैनिक भत्ता" से तात्पर्य ऐसे दैनिक भत्ते से है जो समय-समय पर यथा संशोधित राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों के परिलाभ) अधिनियम, 1956 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार राज्य विधान सभा के सदस्य को अनुज्ञेय दैनिक भत्ते की रकम से अधिक नहीं होगा;]

(iv) "बीमाकर्ता" से जीवन बीमा (आपात उपबन्ध) अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 9) की धारा 2 के खण्ड (5) में परिभाषित बीमाकर्ता अभिप्रेत है;

(v) "कानूनी निकाय" से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा या अधीन स्थापित, रजिस्ट्रीकृत या निर्मित, या किसी ऐसी विधि के अधीन शक्तियों का प्रयोगकर्ता और कृत्यों का पालनकर्ता, कोई निगम, बोर्ड, कम्पनी, सोसाइटी या व्यक्तियों का कोई अन्य निकाय, चाहे निगमित हो या न हो, अभिप्रेत है।

4. निरसन—राजस्थान विधान सभा सदस्य (निरहता-निराकरण) अध्यादेश, 1956 (1956 का राजस्थान अध्यादेश 10), एतद्वारा, निरसित किया जाता है।

THE SIKKIM LEGISLATIVE ASSEMBLY MEMBERS REMOVAL OF DISQUALIFICATIONS ACT, 1978

(SIKKIM ACT No. 5 OF 1978)

[31st March, 1978.]

An Act to declare that certain offices are not to disqualify the holders thereof for being chosen as, or for being, member of the Legislative Assembly of the State of Sikkim.

WHEREAS it is expedient to declare that certain offices are not to disqualify the holders thereof for being chosen as, or for being, members of the Legislative Assembly of the State of Sikkim;

It is hereby enacted in the Twenty-ninth Year of the Republic of India by the Legislature of Sikkim, as follows :—

1. **Short title** —(1) This Act may be called the Sikkim Legislative Assembly Members Removal of Disqualifications Act, 1978.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 3rd day of November, 1977.

2. **Definitions** —In this Act, unless the context otherwise requires :—

(a) "Compensatory allowance" means any sum of money payable to the holder of an office by way of daily allowance, conveyance allowance, house rent allowance or travelling allowance for the purpose of enabling him to recoup any expenditure incurred by him in performing the functions of that office.

(b) "Legislative Assembly" means the Legislative Assembly of the State of Sikkim.

(c) "non-statutory body" means any body of persons other than a statutory body.

(d) "State Government" means the Government of the State of Sikkim.

(e) "Statutory body" means any Corporation, Committee, Commission, Council, Board or other body of persons whether incorporated or not, established by or under any law for the time being in force.

3. **Certain Offices not to disqualify.**—It is declared that none of the following offices under the Government of India or the State Government, shall disqualify or be deemed ever to have disqualified the holder thereof for being chosen as or for being, a member of the Legislative Assembly namely:—

(a) the office of the Minister of the State or the Deputy Minister, either for the union or for the State of Sikkim;

(b) the office of a member of any force raised or maintained under the National Cadet Corps Act, 1948, the Territorial Army Act, 1948, or the Reserve and Auxiliary Air Force Act, 1952;

(c) any office in the Home Guard constituted by or under any law for the time being in force under the authority of the State Government;

(d) the office of the Chairman or a member of the syndicate, Senate, Executive Council or Court of a University or any Committee, by whatever name called, of any educational institution receiving aid out of the State funds;

(e) the office of the Chairman or a member of the Committee of management of a Co-operative Society nominated or appointed by the State Government under any law relating to co-operative societies for the time being in force in the State of Sikkim;

(f) the office of the Chairman or a member of the planning commission or Committee or Board or similar other authorities appointed by the State Government;

(g) the office of the Chairman or a member of the Labour Commission appointed by the State Government;

(h) the office of the Chairman or a member of the pay Commission appointed by the State Government;

(PART IV —Law Relating to Removal of Disqualification)

(i) the office of the Chairman or a member of the Board of the Directors of the State Trading Corporation;

(j) the office of the Chairman or a member of the Board of Directors of the State Bank of Sikkim;

(k) the office of the Chairman or a member of the State Electricity Advisory Board or the State Electricity Board appointed by the State Government;

(l) the office of the Chairman or a member of the Sikkim Khadi and Village Industries Board appointed by the State Government;

(m) the office of the Chairman or a member of the Board of the Sikkim Nationalised Transport appointed by the State Government;

(n) the office of the Chairman or a member of the Board of Directors of the Sikkim Mining Corporation appointed by the State Government;

(o) the office of the Chairman or a member of the Scheduled Caste Welfare Board appointed by the State Government;

(p) the office of the Block Mandal appointed by the State Government;

(q) the office of the Chairman, Deputy Chairman or a member or Secretary of any Committee, Commission, Corporation or similar other authorities constituted by the Government of India or the State Government or any other authority in respect of any public matter, if the holder of such office is not entitled to any remuneration other than compensatory allowance or any residential accommodation or any arrangement for conveyance to facilitate the performance of the function of such office.

Explanation.—For the purpose of this Act, the office of Chairman, Deputy Chairman or Secretary shall include every office of that description, by whatever name called.

4. Repeal —The Sikkim Legislative Assembly Members Removal of Disqualifications Ordinance, 1977, is hereby repealed.

*THE TAMIL NADU LEGISLATURE (PREVENTION OF
DISQUALIFICATION) ACT, 1967

(TAMIL NADU ACT NO. 3 OF 1967)

[10th April, 1967]

An Act to declare that certain offices of profit under the Government shall not disqualify the holders thereof for being chosen as, or for being, members of the State Legislature.

BE it enacted by the Legislature of *Tamil Nadu in the Eighteenth Year of the Republic of India as follows :—

1. **Short title and commencement**—(1) This Act may be called the *Tamil Nadu Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1967.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 1964.

2. **Certain offices of profit not to disqualify** —It is hereby declared that none of the offices specified in the Schedule shall disqualify, or shall be deemed ever to have disqualified, the holder thereof for being chosen as, or for being, a member of the Legislative Assembly. \$\$

3. **Amendment of *Tamil Nadu Act XX of 1951**:—In the *Tamil Nadu Payment of Salaries and Removal of Disqualifications Act, 1951 (*Tamil Nadu Act XX of 1951),—

(1) in the long title, the words “and for the removal of certain disqualifications” shall be omitted;

(2) in the preamble, the second paragraph shall be omitted;

(3) in section 1, the words “and Removal of Disqualifications” shall be omitted; and

(4) section 11 shall be omitted.

4. **Amendment of section 17, *Tamil Nadu Act, 3 of 1963** —In section 17 of the *Tamil Nadu Home Guard Act, 1953 (*Tamil Nadu Act 3 of 1953) :—

(1) sub-section (1) shall be omitted; and

(2) the brackets and figure “(2)” occurring at the commencement of sub-section (2) shall be omitted.

5. **Repeal of Madras Ordinance 4 of 1966** —The Madras Legislature (Prevention of Disqualification) Ordinance, 1966 (Madras Ordinance 4 of 1966), is hereby repealed.

THE SCHEDULE

(See section 2)

1. The office of Minister of State or Deputy Minister for the Union or for any State.

2. The office of Chief Government Whip, Deputy Chief Government Whip, Government Whip or Parliamentary Secretary.

3. The office of Sheriff in the City of Madras.

4. The office of member of any delegation or mission sent outside India by the Government of any special purpose.

* Substituted by the Tamil Nadu Adaptation of Laws Order, 1969.

\$\$ Consequent on the abolition of the Tamil Nadu Legislative Council by the Tamil Nadu Legislative Council (Abolition) Act, 1986 (Central Act 40 of 1986), the term “or of the Legislative Council” occurred in Section 2 of the Tamil Nadu Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1967, omitted by the Tamil Nadu Adaptation of Laws Order, 1987 (Tamil Nadu Government Gazette No. 654, Part IV, Section 2, dt. 28-10-1987).

(PART IV—Law Relating to Removal of Disqualification)

5. The office of member of a committee (not being a body specified in item 11), set up temporarily for the purpose of advising the Government or any other authority in respect of any matter of public importance or for the purpose of making an inquiry into or collecting statistics in respect of any such matter.

6. The office of member of any force raised or maintained under the National Cadet Corps Act, 1948 (Central Act XXXI of 1948), the Territorial Army Act, 1948 (Central Act LVI of 1948), or the Reserve and Auxiliary Air Forces Act, 1954 (Central Act LXII of 1952).

7. The office of member of a Home Guard constituted under any law for the time being in force in any State.

£7-A. The office of member of a District Development Council.

8. The office of honorary medical officer or honorary assistant medical officer in any hospital maintained by the Government.

9. The office of examiner or assistant examiner for any examination held by the Central or State Government or by the Union or State Public Service Commission.

10. The office of director of the—

\$(1) Omitted.

\$(2) Neyveli Lignite Corporation Limited.

**\$(2) (a) Tamil Nadu Handicrafts Development Corporation Limited;

****\$(2) (b) Tamil Nadu Backward Classes Economic Development Corporation (Private) Limited;

\$(3) Omitted.

11. The office of ***Chairman, †[Vice-Chairman], member or secretary of the—

(1) Advisory Committee for a Rural Extension Training Centre;

(2) Advisory Committee for Iron and Steel under Agricultural Quota and Agricultural Implements;

(3) Board of Examiners for Cinema Operators;

(4) Board of Visitors under rule 41 of the Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls@ (Tamil Nadu) Rules, 1958;

(5) Committees for the Selection of Auxiliary Nurse Midwife Pupils;

(6) Committee for the Selection of Nurse Pupils;

(7) Forage Resources Board;

†(8) Tamil Nadu State Film Advisory Board;

(9) Managing Committees for the Aftercare Homes at Madras and Vellore,

(10) State Agricultural Advisory Committee;

(11) State Campaign Committee for Freedom from Hunger;

(12) State Committee on Employment;

£Inserted by the Tamil Nadu Legislature (Prevention of Disqualification) (Amendment) Act, 1971.

§ Omitted by the Tamil Nadu (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 1975 (Tamil Nadu Act No. 53 of 1975).

**Inserted by the Tamil Nadu (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 1975 (Tamil Nadu Act No. 53 of 1975).

****In item (10), sub-item (2-B) and in item (11), sub-item 87 were inserted by the Tamil Nadu Legislature (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 1986 (Tamil Nadu Act No. 26 of 1986).

1. Ins. by the Tamil Nadu Legislature (Prevention of Disqualifications) Amendment Act, 1989 (Tamil Nadu Act No. 12 of 1989).

@Substituted by the Tamil Nadu Adaptation of Laws (Second Amendment) Order, 1969.

†Substituted by the Tamil Nadu Adaptation of Laws Order, 1970.

- (13) State Level Co-ordination Committee on Training;
- (14) State Social Welfare Board;
- (15) Allocation Committee under the Employees State Insurance (Medical Benefit) Panel System Rules, 1954;
- (16) Board of Examinations †Tamil Nadu;
- (17) Board of Studies to review the existing syllabi and curricula for the various courses conducted in the polytechnics and to suggest suitable modifications;
- (18) Greater Madras Road Development and Traffic Planning Committee;
- (19) Madras City Road Development and Traffic Planning Committee;
- (20) †Tamil Nadu Road Development and Traffic Planning Committee;
- (21) Medical Service Committee;
- (22) Project Level Committees for Rural Industries at Nanguneri, Omalur and Sriperumpudur;
- (23) State Level Advisory Committee for Rural Industries;
- (24) Wenlock Downs Advisory Committee;
- (25) Inspection Committee, †Tamil Nadu;
- (26) *Tamil Nadu Khadi and Village Industries Board established under the *Tamil Nadu Khadi and Village Industries Board Act, 1959 (*Tamil Nadu Act 18 of 1969);
- (27) †Tamil Nadu Housing Board constituted under the Tamil Nadu State Housing Board Act, 1961 (* Tamil Nadu Act 17 of 1961);
- (28) @@ Omitted;
- ‡(29) Panchayat Development Consultative Committee on Administration and Works, Production Programmes and Welfare Services Programmes;
- (30) State Cotton Committee;
- (31) All-India Handicrafts Board;
- (32) Central Advisory Committee for Consumer Co-operatives;
- (33) Central Committee on Employment;
- (34) Central Poultry Development Advisory Council;
- (25) Coal Development Council;
- (36) Committee on Untouchability, Economic Uplift and Educational Development of Scheduled Castes;
- (37) Court of the Forest Research Institute and Colleges, Dehra Dun;
- (38) Employees' State Insurance Corporation;
- (39) Export Advisory Committee for Books and Periodicals;
- (40) Film Export Advisory Committee;

†Substituted by the Tamil Nadu Adaptation of Laws Order, 1970.

Substituted by the Tamil Nadu Adaptation of Laws Order, 1969.

@@Omitted by the Tamil Nadu Legislature (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 1983 (Tamil Nadu Act No. 5 of 1983).

‡ Items 29 to 58 were inserted by the Tamil Nadu Legislature (Prevention of Disqualification) (Amendment) Act, 1971.

(PART IV --Law Relating to Removal of Disqualification)

- (41) Khadi and Village Industries Committee;
- (42) Indian Coconut Development Council;
- (43) Indian Sugarcane Development Council;
- (44) Medical Benefit Council of the Employees' State Insurance Corporation;
- (45) Mental Health Advisory Committee;
- (46) National Committee for International Council of Scientific Unions;
- (47) National Committee on Training in Community Development and Extension;
- (48) National Commission on Labour;
- (49) National Food and Agriculture Organisation Liaison Committee;
- (50) National School Health Council;
- (51) Panel for Air-conditioning and Refrigeration Industry;
- (52) Railway Catering and Passenger Amenities Committee;
- (53) Small Scale Industries (Official Level) Committee;
- (54) State Advisory Committee for the Territorial Army in Delhi;
- (55) Standing Technical Committee;
- (56) State Advisory Committee for the Territorial Army in the State of Bihar;
- (57) Selection Committees for the Marine Fisheries Training Centres at Colachel, Tuticorin, Mandapam, Nagapattinam, Cuddalore, Mettur and Madras;
- (58) Tamil Nadu Agro-Industries Corporation;
- ** (59) Tamil Nadu State Board for Salt and Allied Chemicals;
- ** (60) Sub-Committee to fix ex-mill and ex-depot prices of yarn produced in Co-operative Spinning Mills;
- ** (61) State Level Advisory Committee for Co-operative Spinning Mills;
- ** (62) Committee for selecting drama scripts and troupes on Family Planning;
- **** (63) State Wakf Board;
- (64) Minimum Wages Advisory Committee for employment in various trades, appointed under section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Central Act XI of 1948);
- (65) Minimum Wages (State) Advisory Board, appointed under section 7 of the Minimum Wages Act, 1948 (Central Act XI of 1948);
- (66) Press Accreditation Committee;
- (67) State Level Advisory Committee for Co-operative Sugar Mills;
- (68) State Labour Advisory Board;
- (69) Tamil Nadu Tourism Development Corporation Limited;
- (70) Tamil Nadu State Tube Wells Corporation Limited;
- (71) Second Backward Classes Commission constituted in G.O.Ms. No. 3078, Social Welfare Department, dated the 13th December 1982;

*Inserted by the Tamil Nadu (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 1975 (Tamil Nadu Act No. 53 of 1975).

*Items 63 to 86 were inserted by the Tamil Nadu Legislature (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 1983 (Tamil Nadu Act No. 5 of 1983).

Tamil Nadu Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1967
(PART IV —Law Relating to Removal of Disqualification)

- (72) State Advisory Board for National Savings;
- (73) State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited;
- (74) Tamil Nadu Small Industries Development Corporation Limited;
- (75) Tamil Nadu Industrial Investment Corporation Limited;
- (76) Tamil Nadu Small Industries Corporation Limited;
- (77) Tamil Nadu Textile Corporation Limited;
- (78) Tamil Nadu Ceramics Limited;
- (79) Tamil Nadu Handloom Finance and Trading Corporation Limited;
- (80) Tamil Nadu Theatre Corporation Limited;
- (81) Tamil Nadu Forest Plantation Corporation Limited;
- (82) Tamil Nadu Tea Plantation Corporation Limited;
- (83) Tamil Nadu Dairy Development Corporation Limited;
- (84) Tamil Nadu Sugarcane Farm Corporation Limited;
- (85) Tamil Nadu Harijan Housing and Development Corporation Limited;
- *** (86) Tamil Nadu Agro-Engineering and Service Co-operative Federation Limited;
- ***** (87) State Organising Committee for Nehru Yuvak Kendras.

**** Items 63 to 86 were inserted by the Tamil Nadu Legislature (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 1983 (Tamil Nadu Act No. 5 of 1983)

*****In item (10), sub-item (2-B) and in item (11), sub-item 87 were inserted by the Tamil Nadu Legislature (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 1986 (Tamil Nadu Act No. 26 of 1986)

THE TRIPURA STATE LEGISLATURE MEMBERS (REMOVAL OF
DISQUALIFICATIONS) ACT, 1972

[27th July, 1972.]

An Act to provide for the removal of disqualifications for being chosen as, and for being, a member of the Tripura Legislative Assembly

BE it enacted by the Legislative Assembly of Tripura in the Twenty-Third Year of the Republic of India as follows :—

1. **Short title, extent and commencement**—(1) This Act may be called the Tripura State Legislature Members (Removal of Disqualifications) Act, 1972.

(2) It extends to the whole of Tripura.

(3) It shall be deemed to have come into force with effect from the twentieth day of March, 1972.

2. **Removal of certain disqualifications**—A person shall not be disqualified for being chosen as, or for being, a member of the Tripura Legislative Assembly by reason of the fact that he holds any of the offices specified in the Schedule insofar as it is an office of profit under the †[Government of India or the State Government].

SCHEDULE

(See section 2)

1. The office of the Parliamentary Secretary to the Government of Tripura.
2. The office of the Public Prosecutor, Government Pleader or Government Advocate.
3. The office of the Minister of State and Deputy Minister to the Government of Tripura.
4. The offices of the Speaker, Deputy Speaker and the Leader of the Opposition in the Tripura Legislative Assembly.
5. The offices of the Chairman, Vice-Chairman, members of any committee, board or authority, statutory or otherwise, appointed by the Government of India or the Government of any State.
6. †[Any office under the Government of India or under the State Government which is not a whole-time office remunerated by honorarium, allowances, salaries or fees]
7. Any office held in the Territorial Army or National Cadet Corps.

1. Amended by the Tripura State Legislature Members.

† (Removal of Disqualifications) Amendment Act, 1976.

उत्तर प्रदेश राज्य विधान-मंडल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1971)

[17 जुलाई, 1971]

शासन के अन्तर्गत कुछ लाभप्रद पदों में यह घोषित करने के लिए कि उन पर अध्यासित व्यक्ति उन पदों के कारण राज्य विधान-मण्डल के सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए अनर्ह न होंगे, अधिनियम

भारत गणराज्य के बाइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1. संक्षिप्त नाम—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान-मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 कहलाएगा।

2. परिभाषाएँ—जब तक प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :—

(क) 'प्रतिकर भत्ता' का तात्पर्य किसी पदधारी को दैनिक भत्ता, सवारी भत्ता, गृह किराया भत्ता या यात्रा भत्ता के रूप में इस प्रयोजन से देय धनराशि से है जिससे कि वह उक्त पद के कृत्यों का संपादन करने में अपने द्वारा किए गए व्यय का पूर्ति कर सके, ऐसे भत्ते, दैनिक भत्ता, गृह किराया भत्ता या यात्रा भत्ता की दशा में, न तो उन दरों से अधिक हो और न उन शर्तों से अधिक अनुकूल शर्तों पर ग्राह्य हों जो संविधान के अनुच्छेद 195 के अधीन बनाए गए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रयोज्य हों,

(ख) 'परिणियत निकाय' का तात्पर्य निम्नी निगम, समिति, आयोग, परिषद, बोर्ड या व्यक्तियों के अन्य निकाय में है, चाहे वह निर्गमित हों या न हों, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित हों,

(ग) 'परिणियत निकाय' का तात्पर्य व्यक्तियों के किसी ऐसे निकाय से है जो परिणियत निकाय न हो,

(घ) 'राज्य' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है।

3. कुछ लाभप्रद पद अनर्ह न करेंगे—एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित में से कोई पद, जहां तक वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अन्तर्गत कोई लाभप्रद पद हो उसके धारक को राज्य विधान-मण्डल का सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए न तो अनर्ह करेगा और न कभी भी अनर्ह किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

(क) संघ या राज्य के किसी राज्य मंत्री या उपमंत्री का पद अथवा किसी मंत्री के सभा सचिव का पद,

(ख) नेशनल केडेट कोर ऐक्ट, 1940 (ऐक्ट संख्या 31, 1940), टेरिटोरियल आर्मी ऐक्ट, 1940 (ऐक्ट संख्या 56, 1940) या रिजर्व एण्ड आर्जीलियरी एयर फोर्स ऐक्ट, 1952 (ऐक्ट संख्या 82, 1952) के अधीन संगृहीत या अनुरक्षित किसी दल के किसी सदस्य का पद,

(ग) जबकि संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो, भारतीय स्थल सेना, भारतीय वायु सेना या भारतीय नौसेना या रक्षित दल के किसी अधिकारी का पद, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, या नागरिक सुरक्षा सेवा के किसी सदस्य का पद,

(घ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अथवा राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन संघटित होम गार्ड्स में कोई पद;

(ङ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अथवा राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन संघटित किसी ग्राम सुरक्षा दल (चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए) में कोई पद;

(च) किसी विश्वविद्यालय के सिडिकेट, सेनेट, कार्यकारिणी समिति, परिषद या कोर्ट अथवा विश्व-विद्यालय से सम्बद्ध किसी अन्य निकाय के या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शिक्षा संस्था की प्रबन्ध समिति, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, के अध्यक्ष या सदस्य का पद,

(छ) किसी विशेष प्रयोजन के लिए भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा भारत के बाहर भेजे गए किसी प्रतिनिधि मण्डल या शिष्ट मण्डल के सदस्य का पद,

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया 23 जुलाई, 1961 का सरकारी असाधारण गजट देखिए।

(भाग 4—निरर्हताओं को हटाने संबंधी विधि)

(ज) राज्य सरकार के नियोजन विभाग में राज्य मूल्यांकन सलाहकार परिषद् के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद;

(झ) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1966) के अधीन किसी सहकारी समिति को प्रबन्ध कमेटी में राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य अथवा सभापति का पद,

(ञ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सिचाई आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का पद;

(ट) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त श्रम आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का पद;

(ठ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त वेतन आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का पद;

(ड) लोह महत्व के किसी विषय के संबंध में भारत सरकार या राज्य सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकारी को सलाह देने के लिए या किसी ऐसे विषय के संबंध में जांच करने अथवा आंकड़े संगृहीत करने के लिए अस्थायी रूप से बनाई गई किसी समिति के (चाहे उसमें एक सदस्य या अधिक सदस्य हों) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य अथवा सचिव का पद, यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकर भत्ता से भिन्न किसी अन्य पारिश्रमिक का हकदार न हो;

(ढ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (अधिनियम संख्या 43, 1951) की धारा 10 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए खण्ड (ज), खंड (झ), खण्ड (ञ), खण्ड (ट), खण्ड (ठ), या खण्ड (ड) में अभिदिष्ट किसी ऐसे निकाय से भिन्न किसी परिनियत या अपरिनियत निकाय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, निदेशक, सदस्य या सचिव का पद, यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकर भत्ता से भिन्न किसी अन्य पारिश्रमिक का हकदार न हो;

(ण) किसी ग्राम राजस्व अधिकारी का पद, चाहे उसे लम्बरदार, प्रधान, सरप्रोह, मालगुजारी, ग्राम सयाना, खात सयाना के नाम से या किसी अन्य नाम से पुकारा जाए, जिसका कार्य मालगुजारी वसूल करना हो और जिसे उसके द्वारा वसूल की गई मालगुजारी का अंश या कमीशन द्वारा पारिश्रमिक दिया जाए, किन्तु जो पुलिस के किन्हीं कृत्यों को न करता हो;

(त) इंडियन सिन्थोरिटीज ऐक्ट, 1920 (ऐक्ट संख्या 10, 1920) में यथा पारिभाषित सरकारी प्रतिभूतियों या भारत सरकार द्वारा जारी किए गए किन्हीं वचन प्रमाण-पत्रों की बिन्नी के लिए अथवा उसके अंशदानों के संग्रहण के लिए किसी एजेंट का (कमीशन पर या बिना कमीशन पर) पद, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए;

(थ) संविधान के अनुच्छेद 31क के खण्ड (1) के उपखण्ड (ख) के अधीन बनाई गई विधि के अन्तर्गत संश्लिष्ट अवधि के लिए भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा अपने अधिकार में ली गई किसी सम्पत्ति के प्रबन्ध के लाभप्रद पद, जब वह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा धृत हो जो इस प्रकार उक्त सम्पत्ति के अधिकार में लिए जाने के पूर्व से उसके प्रबन्ध के संबंध में सेवायाचित हो;

(द) कोई पद जो किसी विशेष कर्तव्य का पालन करने के लिए पूर्णकालिक पद न हो, यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकर भत्ता से भिन्न किसी अन्य पारिश्रमिक का हकदार न हो;

(ध) पैनल के वकील का पद (जिसके अन्तर्गत 1950 ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा 127ख के अधीन नियुक्त कोई पैनल का वकील भी हो), यदि ऐसे पद का धारक किसी प्रतिधारण या वेतन, उसे चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, के लिए हकदार न हो;

(न) लेख-प्रमाणक या शपथ अधिकारी का पद या किसी न्यायालय या कलेक्टर द्वारा नियुक्त कमिश्नर अथवा आदाता अथवा एमीकस कथूरी का पद अथवा सरकारी आदाता किन्तु इसके अन्तर्गत सरकारी परिसमापक का पद नहीं है;

(प) राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य का पद;

(भाग 4—निरहंतुओं को हटाने संबंधी विधि)

(फ) राज्य सरकार के पंचायती राज (2) विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं० 4519-बी/33-III-71, तारीख 13 दिसम्बर, 1971 द्वारा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष या सदस्य का पद;

(ब) राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा नियुक्त राजस्व नायक पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष या किसी सदस्य का पद;

(भ) निम्नलिखित कानूनी निकायों से प्रत्येक के अध्यक्ष या सदस्य (चाहे वह निदेशक या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो) का पद, अर्थात् :—

- (1) उत्तर प्रदेश स्टेट फार्मेन्सियल कारपोरेशन,
- (2) उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन,
- (3) उत्तर प्रदेश स्टेट वेयर हार्जिसिंग कारपोरेशन,
- (4) उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्,

(म) निम्नलिखित कानूनी निकायों में से प्रत्येक के अध्यक्ष या सदस्य (चाहे वह निदेशक या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो) का पद, अर्थात् :—

- (1) उत्तर प्रदेश स्टेट स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड,
- (2) उत्तर प्रदेश स्टेट एग्री इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड,
- (3) उत्तर प्रदेश सीमेंट कारपोरेशन लिमिटेड,
- (4) उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड,
- (5) उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड,
- (6) उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड,
- (7) उत्तर प्रदेश स्टेट विलेज कारपोरेशन लिमिटेड,
- (8) उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कारपोरेशन,
- (9) हिल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड,
- (10) प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आक उत्तर प्रदेश लिमिटेड,
- (11) इंडियन टरबेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड,
- (12) उत्तर प्रदेश स्टेट हैन्डलूम कारपोरेशन,
- (13) पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड,
- (14) बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड,

(य) उत्तर प्रदेश में बम्बों के सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड या शिया सेन्ट्रल बोर्ड के, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य या नियंत्रक, यदि कोई हो, का पद।¹

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सचिव के पद के अन्तर्गत उसी प्रकार के सभी पद होंगे, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए।

4. निम्नलिखित अधिनियम एतद्द्वारा निरस्त किए जाते हैं :—

(1) दि यूनाइटेड प्राविसेज लेजिस्लेटिव मेम्बरस रिमूवल आफ डिस्कवालिफिकेशन ऐक्ट, 1940 (यू० पी० ऐक्ट संख्या 7, 1940),

(2) उत्तर प्रदेश सभा सचिव (अयोग्यता निवारण) अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1950 ई०),

1. राष्ट्रपति अधिनियम सं० 14, 1973 को धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित, जिसे उ०प्र० अधिनियम सं० 30, 1974 द्वारा निरस्त एवं पुनः अधिनियमित किया गया।

(भाग 4—निरर्हताओं को हटाने संबंधी विधि)

- (3) उत्तर प्रदेश राज्य विधान-मंडल के सदस्यों का (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1951 इ० (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 1951),
- (4) उत्तर प्रदेश राज्य विधान-मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1952 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, 1952),
- (5) उत्तर प्रदेश राज्य विधान-मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (द्वितीय) अधिनियम, 1952 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1952),
- (6) उत्तर प्रदेश राज्य विधान-मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (अनुपूरक) अधिनियम, 1953 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1953),
- (7) उत्तर प्रदेश विधान-मण्डल सदस्य (राष्ट्रीय नियोजन ऋण) (अनर्हता निवारण) अधिनियम 1954 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 1954),
- (8) उत्तर प्रदेश विधान-मण्डल सदस्य (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1955 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1955),
- (9) उत्तर प्रदेश राज्य विधान-मण्डल सदस्य (जीवन बीमा) (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, 1956),
- (10) उत्तर प्रदेश राज्य विधान-मण्डल सदस्य (अनर्हता निवारण) (अनुपूरक) अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, 1957) ।

THE WEST BENGAL LEGISLATURE (REMOVAL OF
DISQUALIFICATIONS) ACT, 1952¹

(WEST BENGAL ACT VI OF 1952)

[22nd July, 1952.]

An Act to declare that the holders of certain offices of profit under the Government of India or the Government of any State specified in the First Schedule to the Constitution of India shall not be disqualified for being chosen as, and for being members of the West Bengal Legislative Assembly² * * *

WHEREAS it is expedient to declare in accordance with the provisions contained in sub-clause (a) of clause (1) of article 191 of the Constitution of India that the holders of certain offices of profit under the Government of India or the Government of any State specified in the First Schedule to the said Constitution shall not be disqualified for being chosen as, and for being, members of the West Bengal Legislative Assembly² * * *.

It is hereby enacted as follows:—

1. **Short title and commencement**—(1) This Act may be called the West Bengal Legislature (Removal of Disqualifications) Act, 1952.

(2) It shall come into force immediately on the West Bengal Legislative (Removal of Disqualifications) Ordinance, 1952 (West Ben. Ord. III of 1952), ceasing to operate.

2. **Removal of certain disqualifications for membership**—It is hereby declared that a person shall not be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the West Bengal Legislative Assembly² * * * by reason only of the fact—

(i) that he holds any of the following offices of profit under the Government of India or the Government of any State specified in the First Schedule to the Constitution of India, namely:—

(a) an office of a Parliamentary Secretary or a Parliamentary Under Secretary;

(b) an office which is not a wholetime office remunerated either by salary or by fees; ⁴ * * *

⁵(c) an office in connection with the management of any property taken over by the State Government for a limited period under a law made under sub-clause (b) of clause (1) of article 31A of the Constitution of India, when held by a person who was employed in connection with the management of the property before such taking over; ⁶ * * *

1. For Statement of Objects and Reasons, see the *Calcutta Gazette, Extraordinary*, dated the 16th June, 1952, Pt. IVA, page 1248; for proceedings of the West Bengal Legislative Assembly, see the proceedings of the meeting of the West Bengal Legislative Assembly held on the 21st June, 1952; and for proceedings of the West Bengal Legislative Council, see the proceedings of the meeting of the West Bengal Legislative Council held on the 4th July, 1952.

2. The words "or the West Bengal Legislative Council" were omitted by paragraph 3 of, and the Schedule to, the Adaptation of Bengal and West Bengal Laws Order, 1970.

3. This section was substituted for the original section 2 by section 2 of the West Bengal Legislature (Removal of Disqualifications) (Amendment) Act, 1954 (West Ben. Act XXVII of 1954).

4. The word "or" was omitted by s. 2(A) of the West Bengal Legislature (Removal of Disqualifications) (Amendment) Act, 1960 (West Ben. Act XI of 1960).

5. Sub-clause (c) was inserted by s. 2(B). *ibid.*

6. The word "or" was omitted by s. 2(a) of the West Bengal Legislature (Removal of Disqualifications) (Amendment) Act, 1983 (West Ben. Act III of 1983).

(PART IV.—Law Relating to Removal of Disqualification)

¹(d) the office of Chairman or member of a Road Transport Corporation established under section 3 of the Road Transport Corporations Act, 1950 (64 of 1950) ²[or the office of member of the West Bengal Pollution Control Board constituted under section 4 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974),] if the holder of such office is not entitled to any remuneration other than compensatory allowance.

Explanation.—For the purpose of this sub-clause, “compensatory allowance” shall mean any sum of money payable to the holder of the office as aforesaid by way of daily allowance [such allowance not exceeding the amount of daily allowance to which a member of the West Bengal Legislative Assembly is entitled under the Bengal Legislative Assembly (Members’ Emoluments) Act, 1937 (Ben. Act 11 of 1937)] any conveyance allowance, house-rent allowance or travelling allowance for the purpose of enabling him to recoup any expenditure incurred by him in performing the functions of that office; or

(ii) that he has been enrolled in the National Cadet Corps raised and maintained under the National Cadet Corps Act, 1948 (31 of 1948), or in the Territorial Army raised and maintained under the Territorial Army Act, 1948 (56 of 1948), or in the West Bengal National Volunteer Force raised and maintained under the West Bengal National Volunteer Force Act, 1949 (West Ben. Act I of 1949), “[or in the Air Defence Reserve or the Auxiliary Air Force raised and maintained under the Reserve and Auxiliary Air Forces Act, 1952 (62 of 1952)] and receives emoluments consequent thereon.

3. **Repeal of Bengal Act III of 1937 and West Bengal Act XXXVII of 1950**—The Bengal Legislature (Removal of Disqualifications) Act, 1937 and the Legislative Assembly of West Bengal (Removal of Disqualifications) Act, 1950, are hereby repealed.

4. **Savings**—On the West Bengal Legislature (Removal of Disqualifications) Ordinance, 1952 (West Ben. Ord. III of 1952), ceasing to operate, section 8 of the Bengal General Clauses Act, 1899 (Ben. Act I of 1899), shall apply as if the said Ordinance were an enactment then repealed by a West Bengal Act.

-
1. Sub-clause (d) was inserted by s. 2(b) of the West Bengal Legislature (Removal of Disqualifications) (Amendment) Act, 1983 (West Ben. Act III of 1983).
 2. The words were inserted by s. 2 of the West Bengal Legislature (Removal of Disqualifications) (Amendment) Act, 1984 (West Ben. Act VII of 1984).
 3. The words were inserted by s. 2 of the West Bengal Legislature (Removal of Disqualifications) (Amendment) Act, 1959 (West Ben. Act XXII of 1959).

PLD 213 1 (Dig.)
15,000—1995 (DSK-IV)



निर्वाचन विधि निर्देशिका ELECTION MANUAL

Vol. I
खंड 1
1995

-
- विशेषता :—(1) प्रकाशन व विक्रय प्रबन्धक, विधि साहित्य प्रकाशन, भारत सरकार, भारतीय विधि संस्थान भवन, भगवान दास रोड, नई दिल्ली-110001.
(2) प्रकाशन-नियंत्रक, भारत सरकार, सिविल लाईन्स, दिल्ली-110054.
(3) प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली-110001.